WAPCOS

(भारत सरकार का उपक्रम–जल शक्ति मंत्रालय)

(A Government of India Undertaking-Ministry of Jal Shakti)

56 वीं वार्षिक रिपोर्ट

2024 - 2025



वैश्विक उपस्थिति (75 से अधिक देश)





श्री सी. आर. पाटिल

माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

भारत सरकार



श्री राज भूषण चौधरी

माननीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

भारत सरकार



श्री वी. सोमन्ना

माननीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार



श्री वी.एल. कांता राव
सचिव



श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल
संयुक्त सचिव (पीपी)



श्री गौरव मसलदान
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार



श्री करण सिंह
संयुक्त सचिव (एनआरसीडी)



श्री सुमंत नारायण
संयुक्त सचिव (एनडब्ल्यूएम)

विषय सूची

कॉरपोरेट अवलोकन

		पृष्ठ संख्या
1	विजन और मिशन	6
2	निदेशक मण्डल	7
3	वाप्कोस परिचय	8
4	अध्यक्ष का संदेश	11
5	महत्वपूर्ण गतिविधियां	18

सांविधिक रिपोर्ट

6	निदेशकों की रिपोर्ट	36

वित्तीय विवरण

स्टैंडअलोन

7	सीएंडएजी की टिप्पणियाँ	160
8	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (संशोधित)	165
9	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक	175

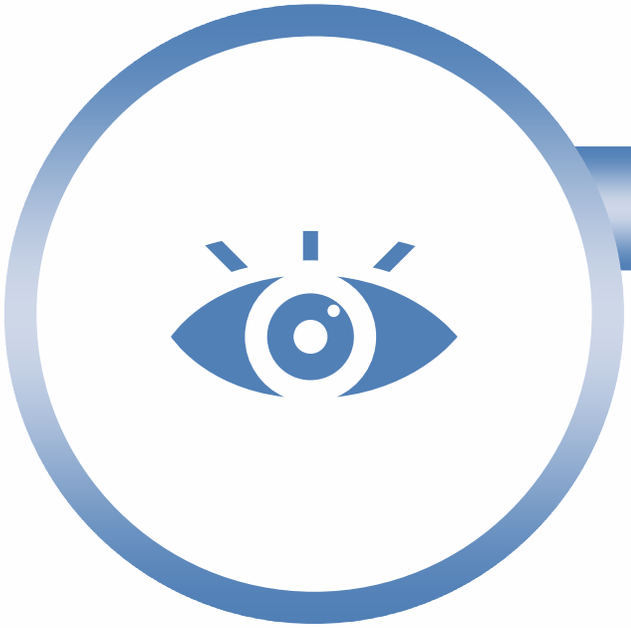
समेकित

10	सीएंडएजी की टिप्पणियाँ	276
11	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (संशोधित)	282
12	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक	295

WAPCOS

(भारत सरकार का उपक्रम–जल शक्ति मंत्रालय)

(A Government of India Undertaking-Ministry of Jal Shakti)



हमारी दूरदर्शिता

"जल, विद्युत तथा अवस्थापना परियोजनाओं के सतत् विकास हेतु एकीकृत व अनुकूलित समाधान उपलब्ध करवाने के लिए परामर्श और अभियांत्रिकी, प्रापण व निर्माण (ईपीसी) में विश्व में अग्रणी"

हमारा लक्ष्य

"सतत् लाभप्रद वृद्धि, कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता, नवउन्नत तकनीकी विशेषज्ञता का प्रयोग, नवीकरण तथा विश्वव्यापी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में क्षमता निर्माण"



निदेशक मण्डल
(वार्षिक आम बैठक की तिथि: 28 जुलाई, 2026)



श्रीमती शिल्पा सचिन शिंदे
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक



श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल
सरकारी नामित निदेशक,
संयुक्त सचिव (पी.पी.) जल संसाधन,
नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय



श्री पी. एस. गंगाधर
सरकारी नामित निदेशक,
संयुक्त सचिव (ईडी)
विदेश मंत्रालय



श्री अमिताभ त्रिपाठी
निदेशक (वाणिज्य एवं मा.सं.वि.)

वाप्कोस एक जानकारी

परिचय

वाप्कोस लिमिटेड जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत "लघु रत्न-I" केन्द्र सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 26 जून, 1969 को स्थापित; वाप्कोस देश और विदेशों में जल, विद्युत तथा अवस्थापना के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। कंपनी ने जल संसाधनों, विद्युत तथा अवस्थापना विकास परियोजनाओं में परामर्शी सेवाओं हेतु **आईएसओ 9001:2015** की गुणवत्ता आश्वासन अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए व्यापक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित किया है।

वाप्कोस को **एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा जारी 2021 वार्षिक प्रापण रिपोर्ट - मार्च 2022** के अनुसार, जल और अन्य शहरी अवस्थापना क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय परामर्श प्रतिष्ठानों की श्रेणी में सर्वाधिक स्वीकृत वित्त पोषित राशि के साथ शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, एशियन डेवलपमेंट बैंक मेम्बर फैक्ट शीट -अप्रैल 2022 के अनुसार, ऊर्जा, परिवहन तथा जल एवं अन्य शहरी अवस्थापना क्षेत्रों में 2017-2021 की अवधि के दौरान, एडीबी ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता परियोजनाओं के अंतर्गत परामर्श सेवा अनुबंध में शामिल भारत के शीर्ष 3 परामर्शदाताओं में वाप्कोस को भी शामिल किया गया है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र

कम्पनी की विशेषज्ञता के मुख्य क्षेत्रों में शामिल है –

- सिंचाई, जल निकासी और जल प्रबंधन
- भू जल खोज व लघु सिंचाई
- बाढ़ नियंत्रण और नदी आकारिकी
- बांध व जलाशय इंजीनियरिंग
- बांध सुरक्षा
- जल निकाय तथा भूमि संरक्षण
- कृषि
- जल विभाजक प्रबंधन
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
- नदी बेसिन आयोजना
- हाइड्रो पावर
- थर्मल पावर
- पम्पड स्टोरेज परियोजना
- ट्रांसमिशन तथा वितरण
- ग्रामीण विद्युतीकरण
- सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा विकास
- जल आपूर्ति, स्वच्छता और जल निकासी
- पर्यावरण इंजीनियरिंग
- पत्तन, बंदरगाह तथा अंतर्देशीय जलमार्ग
- शहरी व ग्रामीण क्षेत्र विकास
- सड़कें, रेल एवं राजमार्ग अभियांत्रिकी
- भवन व नगरीकरण
- रोपवे

सेवाओं की श्रृंखला

वाप्कोस अपने ग्राहकों को जल, विद्युत और अवस्थापना क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं के अलावा "कॉन्सेप्ट-टू-कमीशनिंग" की सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है। प्रदत्त परियोजना के संबंध में हमारी ओर से दी जाने वाली सेवाओं में इनमें से एक अथवा इनका संयोजन शामिल है –

- प्रारम्भिक अन्वेषण/सर्वेक्षण
- व्यवहार्यता अध्ययन/आयोजना/ परियोजना सूत्रीकरण
- फील्ड सर्वेक्षण एवं अन्वेषण व परीक्षण
- डिजाइन इंजीनियरिंग
- आधार रेखा और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण
- टेंडर इंजीनियरिंग
- संस्थागत/मानव संसाधन विकास
- परियोजना प्रबंधन और निर्माण पर्यवेक्षण
- प्रचालन व रखरखाव
- ईपीसी/टर्नकी व डिपोजिट कार्य

अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव

जल संसाधन

क) सिंचाई, जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, भूजल आदि में 550 से अधिक परियोजनाएँ।

पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन

क) पानी, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स।

पॉवर

क) **हाइड्रो:** 100 जीडब्ल्यू से ज़्यादा ग्लोबल हाइड्रोपावर के साथ 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, जो 60 जीडब्ल्यू से ज़्यादा एफिशिएंट पंप स्टोरेज सिस्टम और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस के डेवलपमेंट को लीड कर रहे हैं।

ख) **थर्मल:** 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो लगभग 23 जीडब्ल्यू की प्रोजेक्ट कैपेसिटी के साथ इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं।

ग) **ट्रांसमिशन और वितरण लाइनें:** 200 से अधिक परियोजनाएं, जिनमें 15,000 सर्किट किलोमीटर से अधिक ट्रांसमिशन लाइनें, 500 सबस्टेशन और 20,000 सर्किट किलोमीटर वितरण नेटवर्क शामिल हैं।

आधारभूत संरचना

क) वाटर सप्लाई और सैनिटेशन, रूरल और अर्बन डेवलपमेंट, रोड और हाईवे इंजीनियरिंग वगैरह में 550 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स।

ख) पोर्ट्स, हार्बर्स और इनलैंड वॉटरवेज़ में 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग

वाप्कोस विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषित अभिकरणों जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, जर्मन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा वित्त पोषित कई विकास परियोजनाओं में शामिल है।

साथ ही, हम भारत सरकार की द्विपक्षीय वित्त पोषण पहल के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान, भूटान, कंबोडिया, नेपाल, घाना और तंजानिया जैसे अन्य देशों की प्रमुख विकास परियोजनाओं से भी जुड़े हुए हैं।

वाप्कोस प्रचालन

21वीं सदी की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए वाप्कोस में उच्च अर्हता प्राप्त पेशेवर, कुशल प्रबंधन और उत्कृष्ट ढांचागत सुविधाएं मौजूद है। अपनी स्थापना से वाप्कोस पचास (50) से अधिक देशों में विभिन्न ग्राहको को इंजीनियरिंग परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

वाप्कोस ने विशेष रूप से दक्षिण एशिया और पूरे अफ्रीका में जल, विद्युत और अवस्थापना में विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं प्रदान करके वैश्विक उपस्थिति दर्ज की है। विदेशों में मौजूद हमारी व्यापक उपस्थिति और असाइनमेंट हमारे वर्षों के वैश्विक अनुभव और विशेषज्ञता को दर्शाती है। वर्तमान में, वाप्कोस छत्तीस देशों अर्थात (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बेलीज, भूटान, बोत्सवाना, बुरूंडी कम्बोडिया, क्यूब,मध्य अफ्रीकी गणराज्य, डी आर कांगो, इस्वातिनी,इथोपिया,फिजी द्वीप, घाना, गाम्बिया, इंडोनेशिया, लाइबेरिया, लाओ पीडीआर, मोजाम्बिक , म्यांमार, मंगोलिया, मार्शल द्वीप, निकारागुआ, नाइजर, नेपाल, रवांडा, श्रीलंका, सूरीनाम, सिएरा लियोन, ताजिकिस्तान, तंजानिया, टोगो, युगांडा, वियतनाम और ज़िम्बाब्वे) में जारी परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

भारत सरकार की लगभग सभी प्रमुख योजनाओं में शामिल होने के गौरव के साथ वाप्कोस लगभग सभी सरकारी और निजी क्षेत्रों फैले 100 से अधिक परियोजना कार्यालयों के माध्यम से भारत के सभी राज्यों में कार्यरत है।

पुरस्कार/सराहना

हमारी कॉरपोरेट नीति और संचालन दक्षता, गुणवत्ता नियंत्रण, सामाजिक कल्याण और संगठनात्मक मानकों के क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियां हमारे द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिए वर्षों से हमें प्राप्त हो रहे विभिन्न पुरस्कारों और प्रमाणों के माध्यम से परिलक्षित होती हैं। हमें गुणवत्ता के प्रति हमारी निष्ठा और उच्च पर्यावरणीय और सामाजिक उत्तरदायित्व मानकों को बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता के लिए भी सराहा गया है। हमें निम्नलिखित पुरस्कारों के माध्यम से प्रशंसा और सराहना प्राप्त हुई है:

- विगत वर्ष जहां वाप्कोस शीर्ष 5 एडीबी सलाहकारों में 3 वें स्थान पर था, इस वर्ष इस श्रेणी में भारत की ओर से एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है जोकि उत्कृष्टता और गुणवत्ता सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- वाप्कोस को नई दिल्ली में एचईएएल फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रथम हेल्थ केयर सीएसआर चेंज मेकर्स सम्मिट एंड अवार्ड 2024 में "सामाजिक प्रभाव में उत्कृष्टता पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।
- वाप्कोस को नई दिल्ली में आयोजित वॉटर ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवार्ड्स और कॉन्क्लेव 2024 में प्रतिष्ठित "अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम - वर्षाजल संचयन और भूजल प्रबंधन" पुरस्कार और "विशेष मान्यता पुरस्कार - विकास क्षेत्र में अग्रणी संगठन" से सम्मानित किया गया।
- इंस्टीट्युट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा 2024 के आईईआई इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड्स में इंजीनियरिंग सेवाओं और परामर्शी श्रेणी में वाप्कोस को प्रतिष्ठित गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
- इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा दिये जाने वाले 14वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 में वाप्कोस को कॉर्पोरेट गवर्नेंस श्रेणी में प्लेटिनम विनर अर्वाड से सम्मानित किया गया।
- कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीईएआई) द्वारा "परियोजना अभियांत्रिकी में उत्कृष्टता" श्रेणी में वाप्कोस को प्रतिष्ठित सीईएआई राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया।
- वाप्कोस को केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी) से "जल संसाधन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परामर्श परियोजना" हेतु प्रतिष्ठित सीबीआईपी पुरस्कार 2024 प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है।
- वाप्कोस को वर्ल्ड वाटर अवॉर्ड्स 2024-25 में वॉटर डायजेस्ट और यूनेस्को द्वारा जल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परामर्शदाता की श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है।

अध्यक्ष का संदेश



श्रीमती शिल्पा सचिन शिंदे
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारको,

आपकी कंपनी के वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित कार्य निष्पादन से संबंधी विशेषताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण और चुनौतीपूर्ण बाजार की परिस्थितियों के बीच, आपकी कंपनी ने उल्लेखनीय तन्यता और विकास का प्रदर्शन किया है।

आपकी कंपनी ने परिचालन के माध्यम से **₹ 612.04 करोड़** का राजस्व (परियोजना आय) प्राप्त की है, जबकि नया व्यवसाय अधिग्रहण कुल **₹ 3292.88 करोड़** का रहा है। बोर्ड ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **₹0.80 प्रति इक्विटी शेयर (₹10 प्रत्येक)** के लाभांश के संबंध में **कुल ₹10.40 करोड़** की अनुशंसा की है।

आपकी कंपनी को विभिन्न स्तरों पर सरहाना प्राप्त हो रही है। भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा किए गए लोक उद्यम सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2023-24 के संबंध में **विदेशी मुद्रा आय के आधार पर सेवा क्षेत्र के 10 शीर्ष** सीपीएसई में शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, एडीबी द्वारा अप्रैल 2024-जुलाई 2025 में प्रकाशित "एशियाई विकास बैंक और भारत: तथ्य पत्रक" के अनुसार, एडीबी ऋण, अनुदान **और तकनीकी सहायता परियोजनाओं के अंतर्गत परामर्श सेवाओं के अनुबंध के कार्य में संलग्न** शीर्ष 5 भारतीय सलाहकारों में से वाप्कोस को 3 प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है, इन शीर्ष पांच परामर्शदाताओं में वाप्कोस **एक मात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम** है।

इसके अतिरिक्त, एडीबी द्वारा जारी 2021 की वार्षिक प्रापण रिपोर्ट मार्च 2022 के अनुसार जल और अन्य शहरी अवस्थापना क्षेत्रों में एडीबी द्वारा वाप्कोस को सर्वाधिक स्वीकृत वित्त पोषित राशि के साथ अंतर्राष्ट्रीय परामर्श प्रतिष्ठानों में शीर्ष स्थान दिया गया है। एशियाई विकास बैंक के सदस्य तथ्य पत्रक-अप्रैल 2022 के अनुसार ऊर्जा, परिवहन और जल एवं अन्य शहरी अवस्थापना क्षेत्रों में एडीबी ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता परियोजनाओं के अंतर्गत 2017-2021 की अवधि के दौरान परामर्श सेवाओं के अनुबंधों में शामिल भारत के शीर्ष 3 सलाहकारों में भी वाप्कोस का नाम शामिल है।

वर्ष के दौरान कंपनी की उपलब्धियों को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के माध्यम से सराहा गया। इनमें वाटर **डाइजेस्ट और यूनेस्को द्वारा जल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ** कंसल्टेंसी श्रेणी में विजेता पुरस्कार; केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी) द्वारा जल 'संसाधन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परामर्शी परियोजना' दिये जाने वाला सीबीआईपी पुरस्कार 2024; **1वें हेल्थ केयर सीएसआर चेंज मेकर्स समिट एंड अवार्ड्स 2024 के दौरान**, एचईएएल फांउडेशन द्वारा 'सामाजिक प्रभाव में उत्कृष्टता" पुरस्कार शामिल है।

इसके अतिरिक्त, वाप्कोस को **"अग्रणी पीएसयू-वर्षा जल संचयन और भूजल प्रबंधन"** पुरस्कार और वाटर ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड्स एंड कॉनक्लेव 2024 में **" विकास क्षेत्र में अग्रणी संगठन-"** विशेष सरहाना पुरस्कार भी प्रदान किया गया है।

आपकी कंपनी निगमित अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है। निगमित अभिशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में लोक उद्यम विभाग द्वारा वाप्कोस को लगातार "उत्कृष्ट" श्रेणी प्रदान की गई है। इस वर्ष भी, हमारे संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए इन दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन किया गया है। बेहतर निगमित अभिभासन नीतियों के अंगीकृत करने के साथ ही, हम अपने ग्राहकों का विश्वास जीतने में समर्थ रहे हैं।

परिचालनात्मक उत्कृष्टता और ग्राहक संतोष हमेशा से ही हमारी कार्यनीतिक प्राथमिकताओं के केंद्र में रहे हैं। हमने समय पर कार्य पूर्णता सुनिश्चित करते हुए परियोजना कार्य-निष्पादन, गुणवत्ता आश्वासन और कर्मचारी अनुकूलन में प्रणालीगत सुधार किए हैं। हमारे ग्राहकों की विकसित होती आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित सेवा आपूर्ति में उत्कृष्टता के प्रति हमारी सुदृढ़ प्रतिबद्धता ही हमारी तीव्र विस्तार योजनाओं को संतुलन प्रदान करती हैं।

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठित परियोजनाओं को भी पूरा किया है। इनमें से कुछ पूर्ण/उद्घाटन की गई परियोजनाओं की जानकारी नीचे दी गई हैं:

गाम्बिया में गाम्बिया इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए कोर सेफगार्ड दस्तावेजों तैयार करने हेतु परामर्श सेवाएं

टीएचडीसी लिमिटेड, उत्तराखंड के लिए 03 वर्षों के लिए वीपीएचईपी में पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) की निगरानी और मूल्यांकन हेतु तृतीय पक्ष।

तंजानिया में मकोंडे, मफिंगा, रोरिया-तरीमे, सोंगेया शहर में जल आपूर्ति योजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) हेतु परामर्श सेवाएं।

फिजी में क्वीन एलिजाबेथ ड्राइव (क्यूईडी) रोड अपग्रेड स्टेज 2 प्रोजेक्ट वुसी रोड ड्रेनेज और फुटपाथ प्रोजेक्ट हेतु इंजीनियर अनुबंध।

- निकारागुआ में भारत सरकार की ऋण सहायता के अंतर्गत (i) 66 किलोमीटर लम्बी - 138 केवी विद्युत पारेषण लाइन (ii) 11 किलोमीटर लंबी - 69 केवी विद्युत पारेषण लाइन, (iii) 'ला एस्पेरांज़ा' में एक नया विद्युत उप-केंद्र और (iv) 'ला गेटेडा' में विद्युत उप-केंद्र का पुनर्वास और विस्तार
- जिला. सिहोर (म.प्र.) में पीडब्ल्यूडी पीआईयू के विभिन्न विभाग कार्य हेतु निर्माण उन्नयन के लिए एसक्यूसी
- नागालैंड में परिणाम आधारित वितरण क्षेत्र योजना से संबंधित संशोधित सुधार,
- ओडिशा राज्य के खुर्दा जिले में बालुगांव और पुरी जिले में कृष्णप्रसादगडा में रो-पैक्स जेट्टी और संबद्ध अवस्थापना विकास कार्य हेतु पीएमसी

उत्तर प्रदेश में मऊ से तारीघाट तक नई बीजी लाइन के निर्माण के संबंध में गाजीपुर और तारिघाट के बीच गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल के लिए उपसंरचना, अधिरचना और नदी प्रशिक्षण/संरक्षण कार्यों के निर्माण हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं

सतत और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बने रहने के साथ बाजार की गतिशीलता के साथ स्वयं को अनुकूलित करते हुए आपकी कंपनी का ध्यान भविष्य पर केंद्रित है। मौजूदा ग्राहकों से लगातार मिल रहे पुनरावृत्ति कार्यों के साथ-साथ नए व्यवसायों का मिलना, गुणवत्ता, समय पर कार्य निष्पादन और लागत दक्षता के प्रति हमारी अडिग प्रतिबद्धता को सत्यापित करते हैं। विकास संबंधी हमारी कार्यनीति इस दशक में राष्ट्रीय और वैश्विक विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे जल, विद्युत और अवस्थापना क्षेत्रों में संचालन विस्तार पर आधारित है।

आज के व्यापार परिदृश्य में, कोई भी कंपनी नई उभरती और अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाये बिना स्वयं के अस्तित्व को बनाये नहीं रख सकती। अपने क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के उपयोग के साथ स्वयं को अद्यतन रखने पर हमारा ध्यान केन्द्रित रहा है और यह आगे भी जारी रहेगा। हम अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में विभिन्न संख्यात्मक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं। ये संख्यात्मक मॉडलिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ हमारी सेवाओं में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करते हैं। वर्तमान में प्रचलित सभी प्रमुख सॉफ़्टवेयर का उपयोग आपकी कंपनी द्वारा किया जा रहा है।

सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों जैसे **जल जीवन मिशन (जेजेएम), कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत), नमामि गंगे एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन, स्मार्ट सिटी, प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सागरमाला कार्यक्रम, प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस), प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)** में योगदान देते हुए घरेलू स्तर पर,

वाप्कोस ने अपनी अखिल भारतीय उपस्थिति को और मजबूत किया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से, हम भारत के बुनियादी ढांचे और विकास परिदृश्य में लगातार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

सक्रिय रूप से परिचालर दक्षता बढ़ाने हेतु डिजिटल समाधानों को एकीकृत करने के साथ ही कंपनी का प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करते हुए हमने प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और सेवा वितरण में सुधार हेतु विभिन्न आईटी-आधारित प्रणालियों को कार्यान्वित किया गया है। नकदी रहित और कुल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने हेतु सरकारी निर्देशों के अनुरूप डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपनाया गया है। इसके अतिरिक, उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, वित्त मॉड्यूल पहले से ही कार्यात्मक है और अन्य मोड्यूल - परियोजना प्रबंधन और व्यवसाय विकास संबंधी मॉड्युल का कार्य पूरा होने वाला है। ईआरपी के पूर्व स्तरीय कार्यान्वयन से व्यवसायिक कार्यों में और व्यापक रूप से वृद्धि होगी।

आपकी कंपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को अपने मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है, जिसमें पर्यावरणीय स्थिरता, खेल को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य एवं पोषण शामिल हैं। सभी सीएसआर गतिविधियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यावित किया जाता है।

हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे कर्मचारी है। 31 मार्च 2025 तक 874 नियमित केडर कर्मचारियों के साथ वाप्कोस एक ज्ञान-आधारित संगठन बना हुआ है, जहां विशेषज्ञता और नवाचार सफलता के प्रमुख चालक कर्मचारियों के कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें तकनीक को अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु भौतिक और आभासी दोनों प्रकार की पद्धतियों में निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उत्कुशता की सराहना करने और प्रोत्साहित करने हेतु कंपनी ने **"माह के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी कार्यक्रम** की भी शुरुआत की है।

इसके अतिरिक्त, जारी परियोजनाओं और पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं, प्रमुख सफलताओं और कर्मचारियों की उपलब्धियों सहित प्रमुख गतिविधियों की जानकारी देने हेतु एक मासिक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया जा रहा है। इन प्रयासों के माध्यम से, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कर्मचारी न केवल प्रेरित हो बल्कि कंपनी के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्वयं को जोड़े रखे।

ग्राहक संतोष ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम अपेक्षाओं के अनुरूप और उससे अधिक उच्च गुणवत्ता, समयबद्ध और लागत-कुशल समाधान प्रदान करके दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध हैं। उत्कृष्टता पर मुख्य ध्यान केन्द्रित करने के साथ, हम भारत की विकास यात्रा में एक विश्वसनीय भागीदार और उससे कहीं अधिक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत बनाये हुए हैं।

आपकी कंपनी अपनी सहायक कंपनी, नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनपीसीसी) के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। दोनों कंपनियों की कार्यशक्तियों के समन्वय और हमारे हाल के कार्यकलापों के साथ, एनपीसीसी के कार्य निष्पादन में व्यापक रूप से सुधार हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोनों कंपनियां आगे भी इसी प्रकार विकास जारी रखेंगी और आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगी।

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों का कंपनी के विकास की दिशा में उनकी सक्रिय भागीदारी और योगदान के लिए, अपना हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं।

मैं माननीय जल शक्ति मंत्री, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री; सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की आभारी हूं, जिनका बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग समय-समय पर हमें मिलता रहता है।

मैं सरकार के मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त निकायों विशेष रूप से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; आयुष मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय; रक्षा मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, खान मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, पत्तन-पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का भी आभार व्यक्त करती हूं, जिनकी सहायता के बिना कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने की यात्रा सरल नहीं होती।

मैं इस अवसर पर लोक उद्यम विभाग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत में विदेशी मिशन और दूतावास; एक्जिम बैंक; विदेश में भारतीय मिशन और दूतावास, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, कंपनी से जुड़े सम्मानित ग्राहकों और अन्य पेशेवरों द्वारा हमें हमेशा दिए जाने वाले मूल्यवान सहयोग और योगदान के लिए धन्यवाद देती हूं।

निदेशक मंडल और प्रबंधन की ओर से, कंपनी के विकास में उत्कृत योगदान देने के लिए कंपनी के कर्मचारियों की हृदय से सराहना करना चाहती हूं।

मैं सभी शेयरधारकों की भी आभारी हूँ जिन्होंने कंपनी को दुनिया की सबसे विश्वसनीय और प्रशंसित कंपनियों में से एक बनाने हेतु निरंतर अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं आशा करती हूं कि यह निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन हमें हमेशा की तरह मिलता रहेगा।

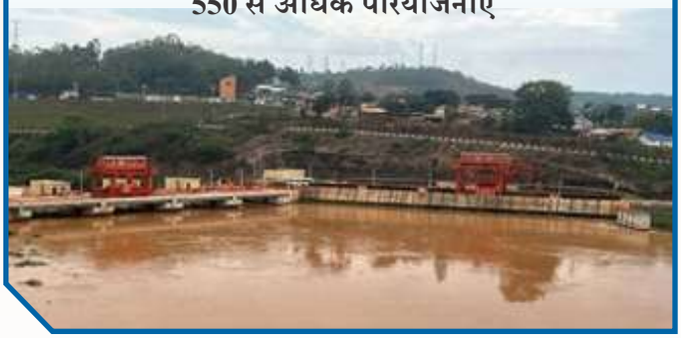
अंत में, अपनी बात के समापन में, मैं यह कहना चाहती हूँ कि आपकी कंपनी जल, विद्युत और अवसंरचना के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने में अग्रणी रही है, जोकि विकसित भारत @ 2047 के विजन को प्राप्त करने हेतु समावेशी विकास की आधारशिला हैं। एक ओर जहां, सतत विकास संबंधी चुनौतियाँ भयावह हैं, लेकिन आपकी कंपनी द्वारा किए जा रहे प्रयास यह दशति हैं कि गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करने, प्रौद्योगिकी के उपयोग, महत्वकांक्षी व्यावसायिक कार्यनीतियां और ग्राहकों के साथ स्थायी साझेदारी के साथ, आपकी कंपनी का भविष्य सुरक्षित है और अधिक से अधिक सफलता की प्राप्ति निर्धारित है।

श्रीमती शिल्पा सचिन शिंदे
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

यूनिक सेल्लिंग प्रोपोज़िशन (यूएसपी)

जल संसाधन

सिंचाई, जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, भूजल इत्यादि के क्षेत्र में **550 से अधिक परियोजनाएं**



पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आंकलन

जल, विद्युत और अवस्थापना के क्षेत्र में **300 से अधिक परियोजनाएं**



विद्युत

जलविद्युत

100 गीगावॉट से अधिक वैश्विक जलविद्युत, 60 गीगावॉट से अधिक सक्षम पम्प भंडारण प्रणालियों और ऊर्जा भंडारण समाधानों के विकास का नेतृत्व करते हुए **200 से अधिक परियोजनाएं**

थर्मल

वैश्विक स्तर पर लगभग 23 गीगावॉट परियोजना क्षमता के साथ 40 से अधिक परियोजनाओं को अभियांत्रिकी परामर्श सेवाएँ प्रदान करना

ट्रांसमिशन और संवितरण लाइन

15,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों, 500 सबस्टेशनों और 20,000 सर्किट किलोमीटर वितरण नेटवर्क के साथ **200 से अधिक परियोजनाएँ**



अवस्थापना

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, ग्रामीण तथा शहरी विकास, सड़क और राजमार्ग इत्यादि के क्षेत्र में **550 से अधिक परियोजनाएँ**

पत्तन, बंदरगाह, और अंतर्देशीय जलमार्ग के क्षेत्र में **200 से अधिक परियोजनाएँ**



नोट्स

महत्वपूर्ण गतिविधियां

25.05.2024





सेना प्रमुख (सीओएएस) जनरल मनोज पांडे ने भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक श्री संदीप प्रधान की गरिमामय उपस्थिति में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, पुणे में "खेलो इंडिया स्पोर्ट्स छात्रावास" का उद्घाटन किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त् इस 4 मंजिला छात्रावास भवन का निर्माण भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत वाप्कोस द्वारा किया गया है जिसमें 300 एथलीटों के आवास हेतु 100 छात्रावास कमरे, 24 स्टूडियो अपार्टमेंट्स रसोई और भोजन क्षेत्र के साथ, मनोरंजन क्षेत्र, बाहरी विकास कार्य आदि शामिल हैं। वाप्कोस, भारत में विभिन्न स्थानों पर युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के लिए विभिन्न खेल अवसंरचना सुविधाओं को विकसित कर रहा है।

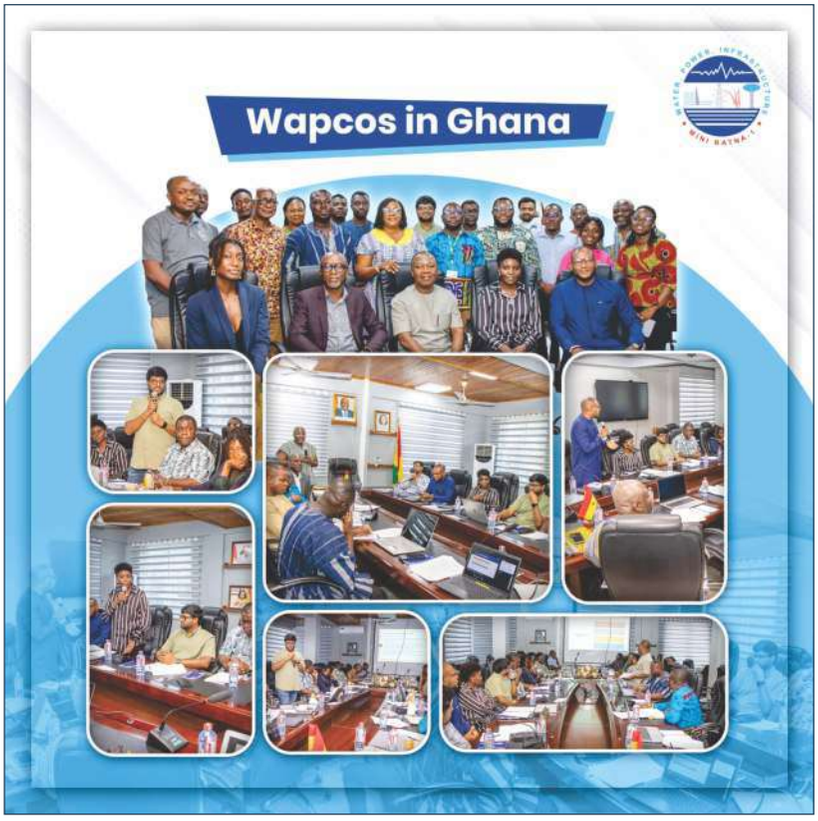


11.06.2024

माननीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल जी ने कार्यभार ग्रहण किया, इस अवसर पर श्रीमती वीनी महाजन, सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और श्रीमती देवश्री मुखर्जी, सचिव, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग उपस्थित थीं। माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में, वाप्कोस जल, विद्युत और अवसंरचना क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनने के साथ-साथ सभी के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए तैयार है।



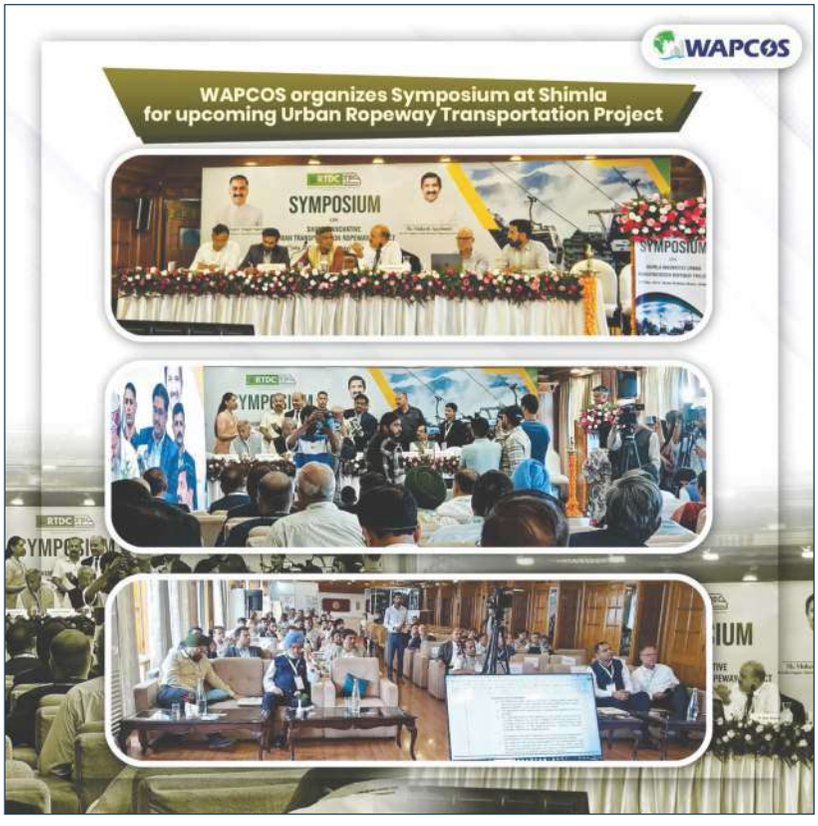
23.06.2024



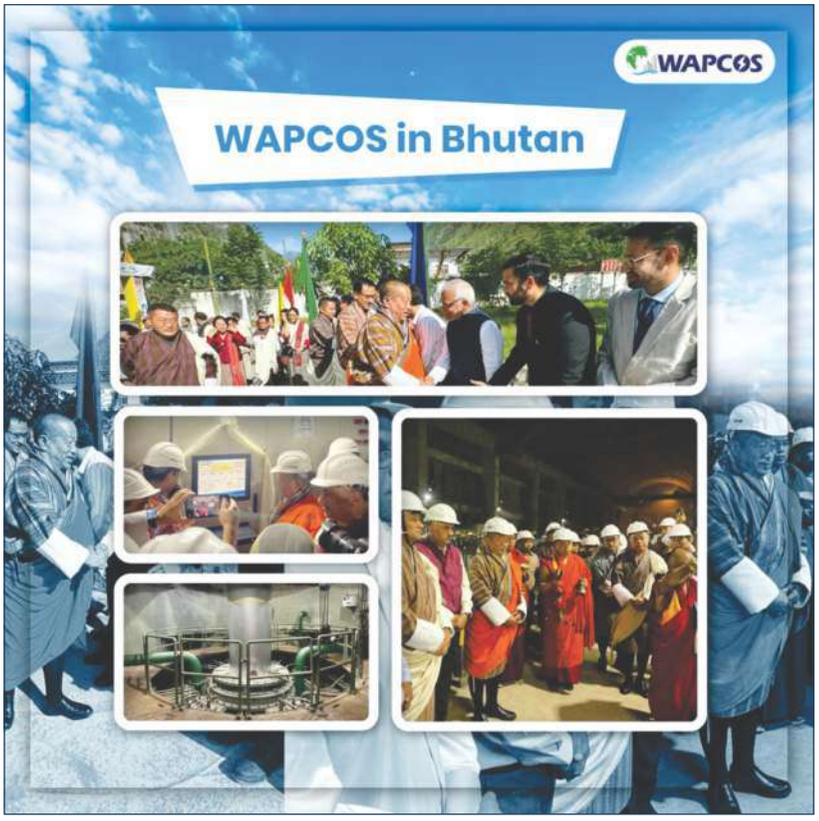
घाना के स्वच्छता और जल संसाधन मंत्रालय के साथ रोमांचक प्रगति। फैकल स्लज परियोजना के हितधारकों की कार्यशाला में सहभागिता कार्यशाला ने विभिन्न प्रमुख मंत्रालयों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक साथ भाग लिया। वाप्कोस ने अपनी सेवाओं और अंतिम परियोजना परिणामों पर एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया। स्वच्छता और जल संसाधन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्थानीय सरकार के मंत्रालय, ईपीए, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और टीए हब के प्रतिनिधियों के साथ इस महत्वपूर्ण पहल पर चर्चा करने पर गर्व की अनुभूति हुई।

31.07.2024

वाप्कोस ने शिमला में आरटीडीसी द्वारा शिमला इनोवेटिव अर्बन ट्रांसपोर्टेशन रोपवे प्रोजेक्ट पर आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लिया, जिसमें उद्योगिक साझेदार, ओईएम, संभावित डेवलपर्स, सहायक उद्योगपति, वित्तीय संस्थान, सरकारी अधिकारी और सलाहकार शामिल हुए। यह कार्यक्रम शिमला शहर के रोपवे प्रोजेक्ट पर केंद्रित था, जिसमें 13.65 किमी का रोपवे नेटवर्क और 14 स्टेशन हैं, जिसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम को कम करना और शहरी जन परिवहन का एक हरित, स्वच्छ और सुरक्षित माध्यम प्रदान करना है।



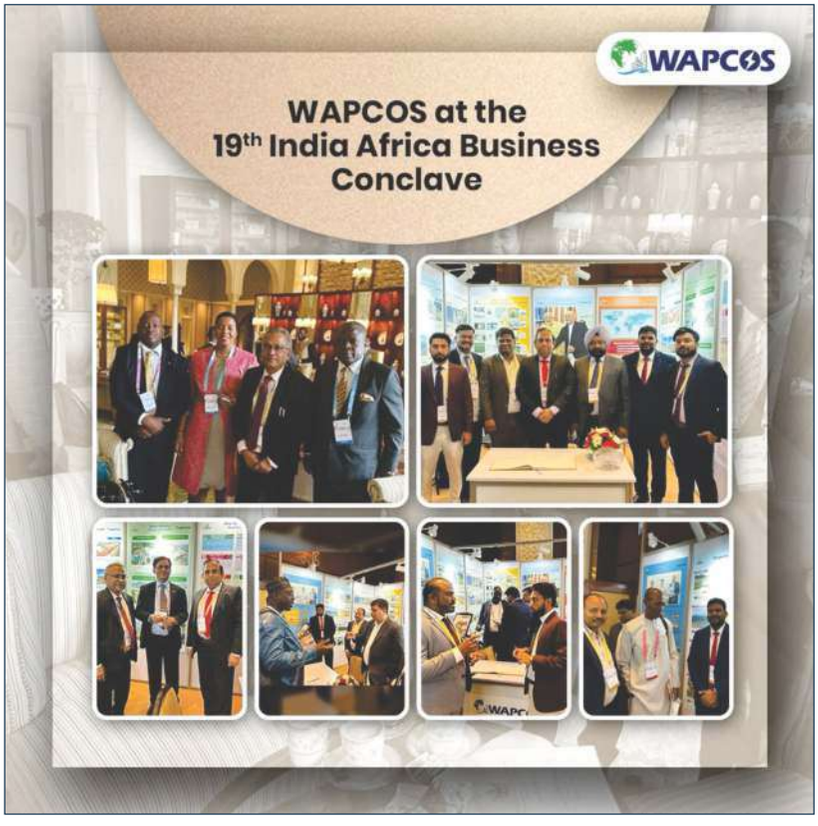
15.08.2024



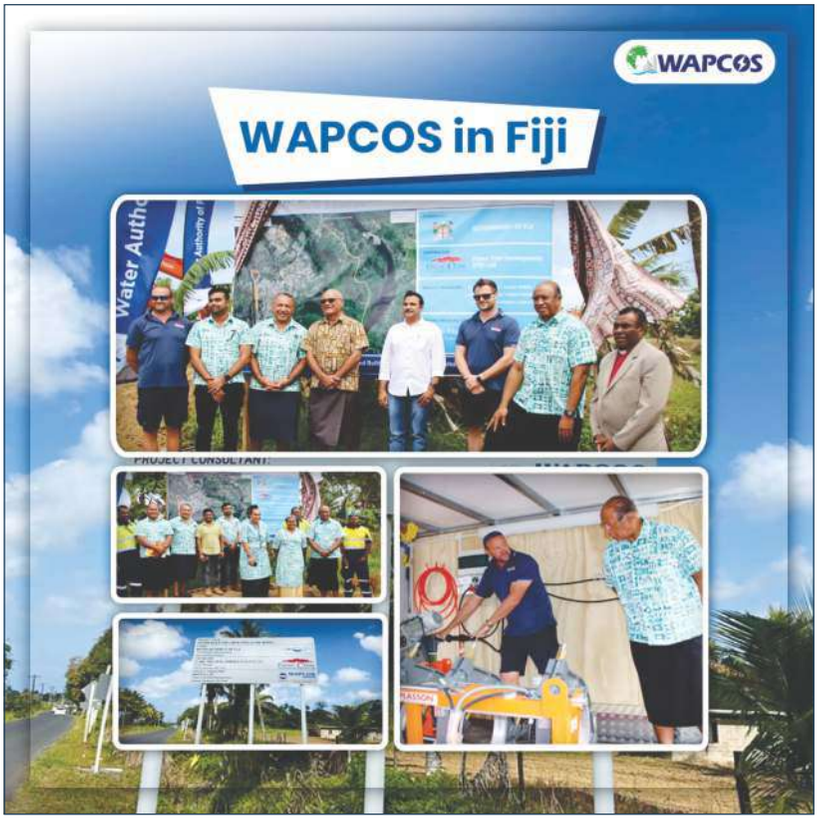
भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भूटान में पुनात्सांगचू- II जलविद्युत परियोजना (1020 मेगावाट) की पहली दो इकाइयों का यांत्रिक संचालन सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। इस समारोह में विशिष्ट रूप से ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन माननीय मंत्री और पीएचपीए के अध्यक्ष ल्योंपो गेम त्शेरिंग, एमओआरएनआर के सचिव, भूटान की शाही सरकार के अधिकारियों और पीएचपीए-II के प्रबंध निदेशक उपस्थित थे। इस मेगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के डिज़ाइन सलाहकार के रूप में, इस महत्वपूर्ण उपलब्धि में योगदान देने के लिए वाप्कोस को गर्व है।

20.08.2024 से 22.08.2024

सीआईआई द्वारा ताज पैलेस, नई दिल्ली में आयोजित 19वें इंडिया-अफ्रीका बिजनेस में सहभागिता करने पर वाप्कोस को गर्व है। 60 से अधिक अफ्रीकी देशों की भागीदारी के साथ, यह कार्यक्रम मजबूत व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा देने का एक प्रमुख मंच है। वाप्कोस को अफ्रीका क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करने और सम्मेलन में प्रदर्शनी के दौरान अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित करने का भी गौरव प्राप्त हुआ। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम लगातार अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत बना रहे हैं।



27.08.2024



फिजी में लोकिया पाइपलाइन निर्माण कार्य की शुरुआत की घोषणा करते हुए वाप्कोस को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है इससे 164,000 लोगों को लाभ पहुंचेगा। भूमि-पूजन समारोह में लोक कार्य, मौसम विज्ञान सेवाएं और परिवहन मंत्री माननीय रो फिलीपे तूइसवाउ उपस्थित थे। फिजी सरकार की पहल के अंतर्गत, समुदाय को विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस परियोजना का प्रबंधन वाप्कोस द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 8.6 किमी की डीएन 450एचडीपीई पाइपलाइन का निर्माण शामिल है। हमें फिजी की प्रगति में योगदान देने पर गर्व है!

25.05.2024

वाप्कोस को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित 8वें इंडिया वॉटर वीक 2024 का हिस्सा बनने पर गर्व है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया, इस अवसर पर माननीय मंत्री श्री सी. आर. पाटिल,; राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी,; सचिव, डीडीडब्लयूएंडएस श्रीमती विनी महाजन,; श्रीमती देवश्री मुखर्जी, सचिव, डीओडब्लयूआरएंडजीआर, जल शक्ति मंत्रालय उपस्थिति थे। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में, वाप्कोस द्वारा एक समर्पित स्टॉल लगाया गया, जहाँ हमने हमारे जल प्रबंधन के नवोक्त पद्धतियों का अन्वेषण कर दुनिया भर के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।



02.10.2024

स्वच्छ भारत मिशन के सफलतापूर्वक 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विज्ञान भवन से राष्ट्र को संबोधित किया, इस अवसर पर माननीय आवास एवं शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, माननीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील, माननीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू और माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी की गरिमामयी उपस्थिति रही।



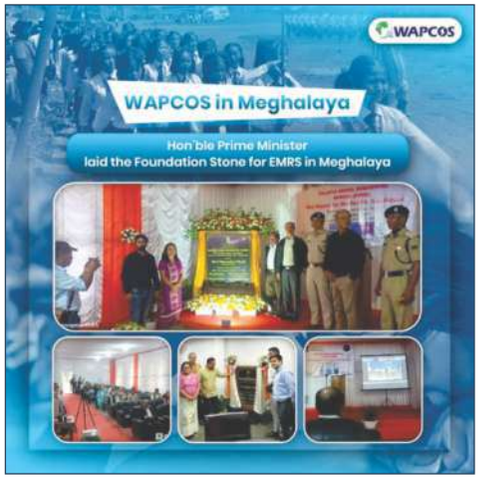


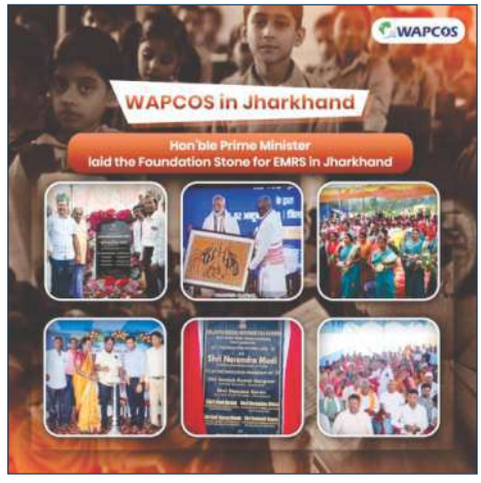




02.10.2024

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की आधारशिला रखी गई। माननीय प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रूप से झारखंड और मेघालय में चार नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी। वाप्कोस को देश भर में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए 45 ईएमआरएस का निर्माण कार्य संपन्न करने में गर्व है। जनजातीय युवाओं के संपूर्ण विकास को प्रोत्साहित करने हेतु छात्रावास, कर्मचारी क्वार्टर तथा तीरंदाजी, रनिंग ट्रैक, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट जैसी खेल सुविधाओं के साथ प्रत्येक विद्यालय में 480 विद्यार्थियों के आवास की व्यवस्था होगी। समुदायों को सशक्त बनाना, उज्जवल भविष्य का निर्माण।





03.10.2024



वाप्कोस ने 92वें आईसीओएलडी वार्षिक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। स्वीडन, ब्राज़ील, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और भारत के प्रतिनिधियों द्वारा पेपर प्रस्तुत किए गए। इस सत्र ने क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को प्रोत्साहित करने, बांध इंजीनियरिंग और निर्माण के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचारों के सार्थक आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की।



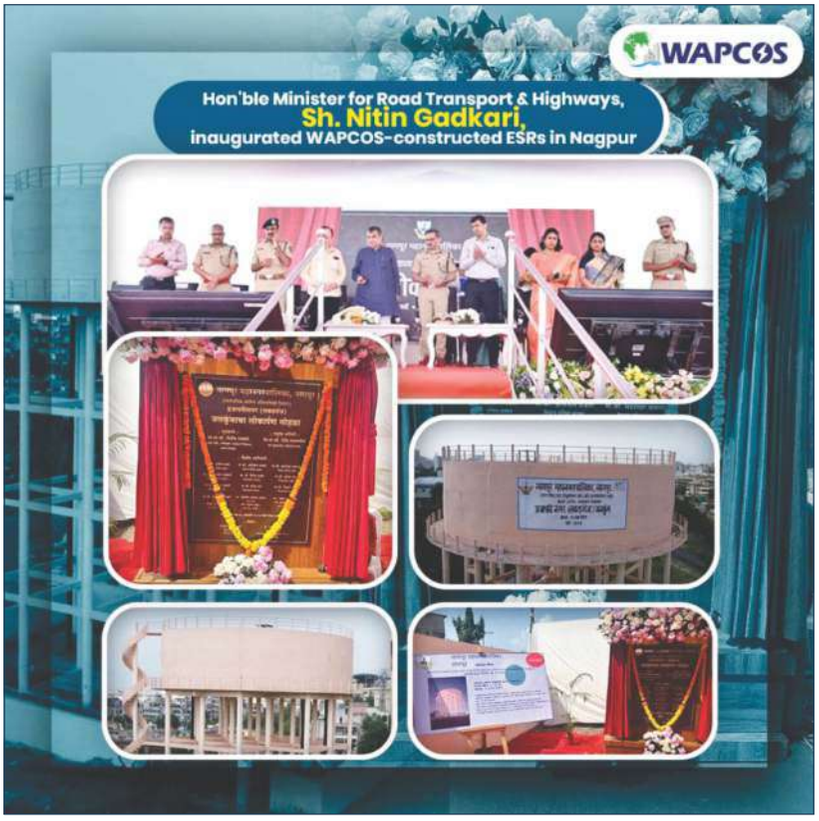


04.10.2024

वाप्कोस को लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एनएनआईपीई), ग्वालियर में 400-बिस्तर वाले छात्रावास भवन का निर्माण कार्य कार्यान्वित करने पर गर्व है इसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय युवा कार्य और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री, श्री मनसुख मांडविया द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। G+3 आरसीसी फ्रेम संरचना में पानी की आपूर्ति, आग बुझाने की व्यवस्था और पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ 100 कमरे, एक रसोई और भोजन कक्ष, मनोरंजन कक्ष हैं। भारत के खेल शिक्षा में भविष्य को सहयोग प्रदान करते हुए यह अत्याधुनिक सुविधा 400 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवास की सुविधा प्रदान करेगी।



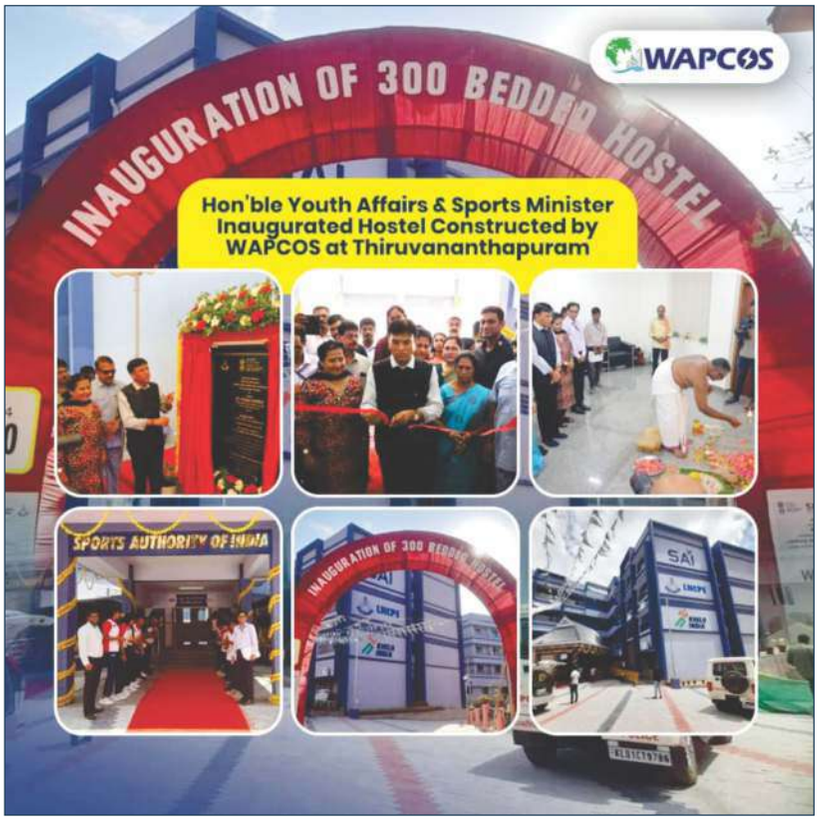
15.08.2024



माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने नागपुर के प्रजापति नगर (लकड़गंज) में 15 लाख लीटर क्षमता वाले एलिवेटेड सर्विस जलाशय (ईएसआर) का उद्घाटन किया। यह ईएसआर, अमृत मिशन के अंतर्गत वाप्कोस की व्यापक जल वितरण परियोजना का एक हिस्सा है, जिसमें नागपुर में 16 ईएसआर, 15 किमी की फीडर मेन और 378 किमी की वितरण पाइपलाइन शामिल हैं। शहर के निवासियों के लिए बेहतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

20.10.2024

माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल और श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने तिरुवनंतपुरम के लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में 300 बिस्तरों वाले बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया। 312 एथलीटों को ठहराने की व्यवस्था के साथ तैयार किए गए 4-मंजिला छात्रावास को वाप्कोस ने सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है इसमें अतिरिक्त स्टूडियो यूनिट्स, रसोई, भोजन क्षेत्र, मनोरंजन सुविधाएं और आवश्यक सेवाएं जैसे एसटीपी, फायरफाइटिंग सिस्टम और बाहरी विकास कार्य शामिल हैं। वाप्कोस, भारतीय खेल प्रतिभा को सशक्त बनाने हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।



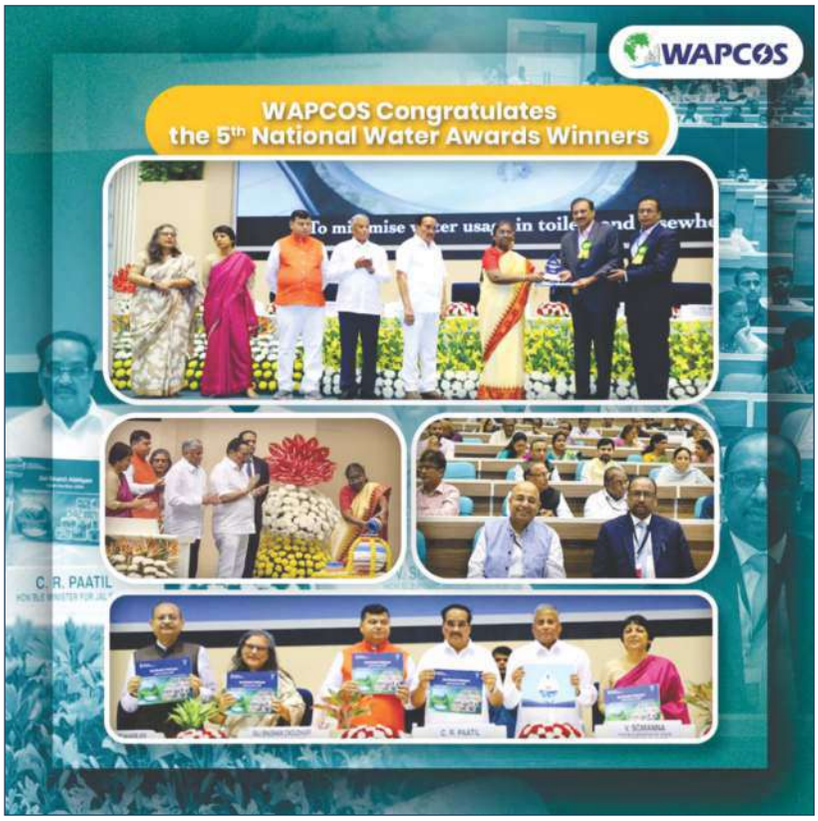
21.10.2024



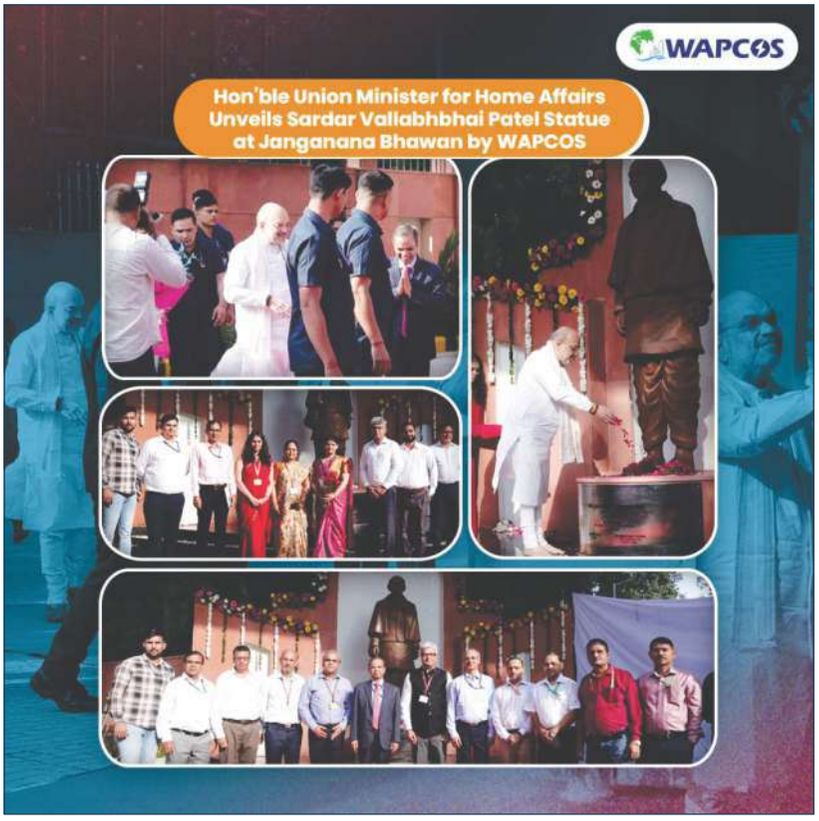
माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, माननीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल के नेतृत्व में, वाप्कोस ने स्वच्छता अभियान 4.0 के भाग के रूप में कोवलम के अडिमलथुरा बीच पर वाप्कोस अधिकारी, हरित कर्म सेना, स्थानीय पंचायत सदस्य और पर्यटकों सहित 50 से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक सफल स्वच्छता अभियान का आयोजन किया, सामूहिक प्रयासों ने समुद्र तट कायाकल्पीय परिवर्तन लाया, जिसकी स्थानीय हितधारकों और आगंतुकों ने प्रशंसा की।

23.10.2024

भारत में जल संरक्षण, कुशल जल उपयोग और स्थायी जल प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान को पाँचवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया किया। इस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल की उपस्थिति रही। नौ श्रेणियों में 38 विजेताओं को भारत के जल संरक्षण में उनके उल्लेखनीय प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया।



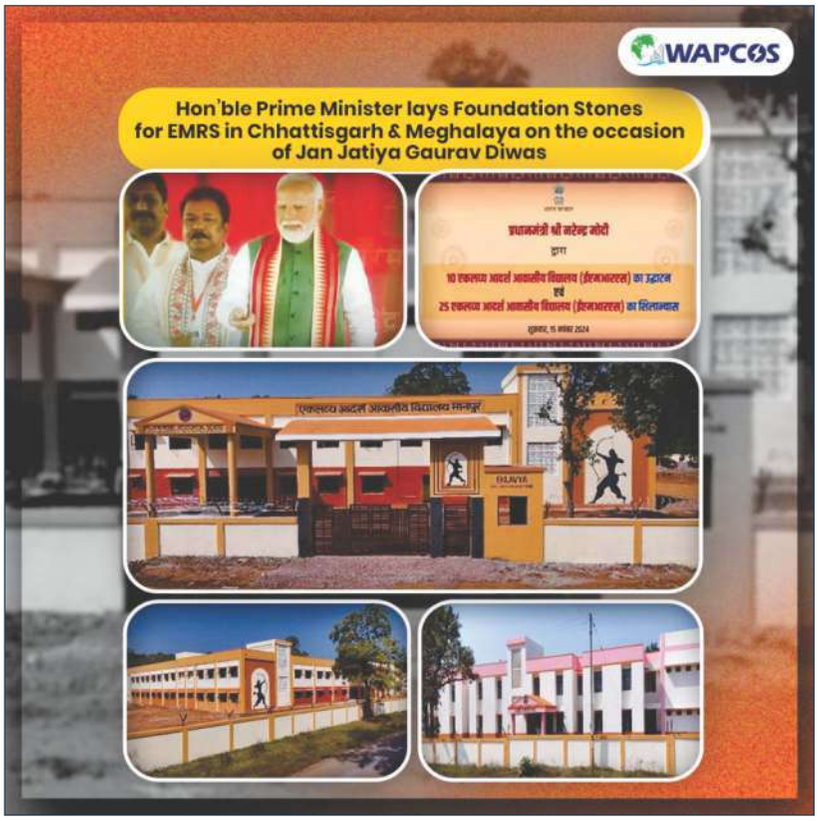
29.10.2024



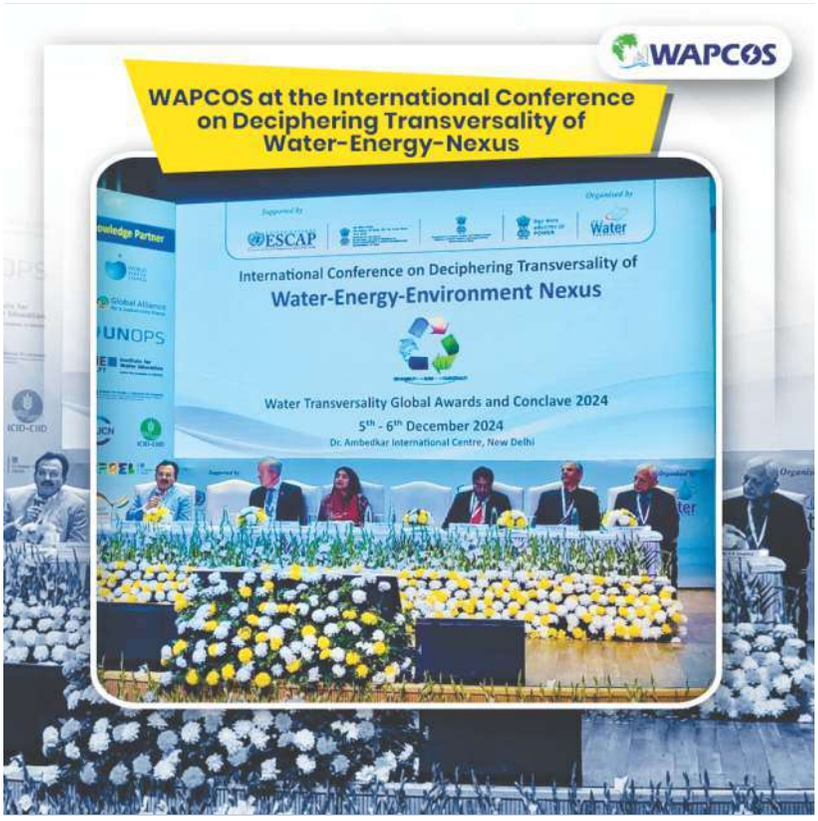
माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने जनगणना भवन में सरदार वल्लभभाई पटेल की 8 फीट ऊँची, 580 किलोग्राम भार वाली कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया, इस अवसर पर श्री गोविंद मोहन, गृह सचिव, गृह मंत्रालय, और श्री मृत्युञ्जय कुमार नारायण, रजिस्ट्रार जनरल एवं भारत के जनगणना आयुक्त की गरिमामय उपस्थिति थी। इस प्रतिष्ठित प्रतिमा निर्माण और इसे स्थापित करने का सम्मान वाप्कोस को प्राप्त हुआ है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर और इंजीनियरिंग मार्बल की पृष्ठभूमि के साथ इसे पूरी तरह से रोशन किया गया है। जनगणना भवन जोकि एक अत्याधुनिक कार्यालय भवन है जिसका कार्य हमने जून 2023 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के लिए पूरा किया था, इसमें एक श्रद्धांजलि प्रतिमा के रूप में स्थापित है।

16.11.2024

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जमुई, बिहार से देशभर में 10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) का उद्घाटन किया और 25 और विद्यालयों की नींव रखी। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के विज़न में योगदान देने और जिन 10 विद्यालयों का उद्घाटन हुआ उनमें से एक छत्तीसगढ़ के मानपुर में ईएमआरएस के निर्माण में योगदान देने पर वाप्कोस को गर्व है। इसके अतिरिक्त, हम पांच अन्य ईएमआरएस—छत्तीसगढ़ में चार (पेंड्रा, वड्राफनगर, दंतेवाड़ा, कोंटा) और मेघालय में एक (मॉवक्यरवाट) का निर्माण कर रहे हैं। हमारी टीम को शिक्षा और आदिवासी उत्थान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते इस ऐतिहासिक समारोह में भाग लेने का गौरव प्राप्त हुआ।



07.12.2024



'जल-ऊर्जा नेटवर्क की पारस्परिक समझ' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वाप्कोस के वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक श्री अमिताभ त्रिपाठी ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जल और पर्यावरण पर इसके प्रभाव पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट के रूप में वैश्विक विशेषज्ञों के साथ भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ विचारों के जीवंत आदान-प्रदान में योगदान देते हुए उन्होंने वाप्कोस के व्यापक अनुभव को साझा किया और जल-ऊर्जा-पर्यावरण नेटवर्क की अंतर्संबंधित चुनौतियों पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान की।

17.12.2024

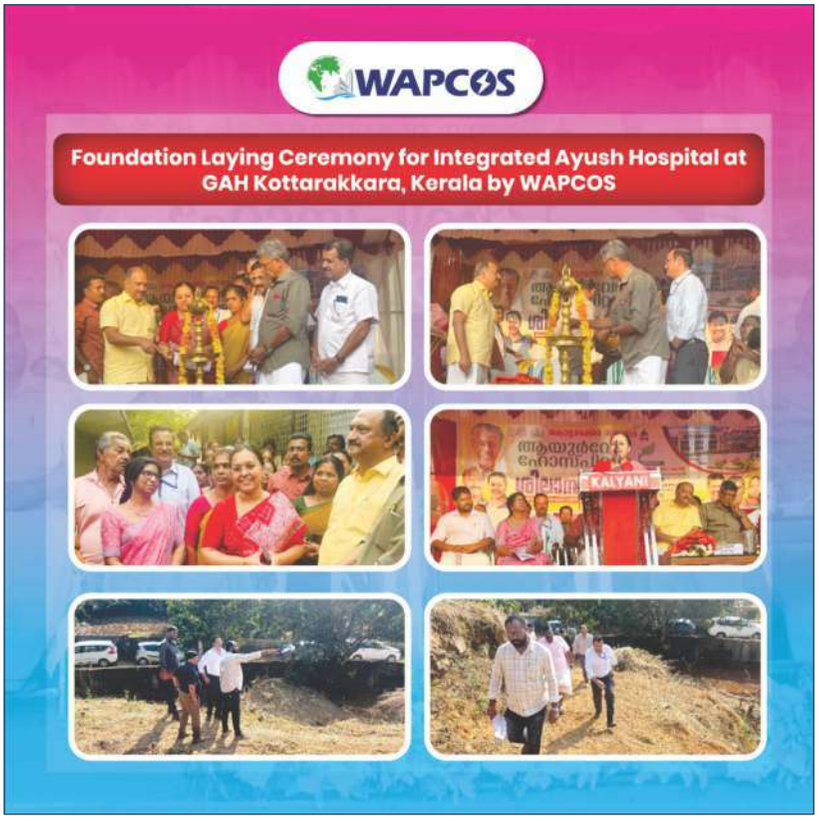
भूटान के 117वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, भारत-भूटान सहयोग को दर्शाती महत्वपूर्ण द्विपक्षीय परियोजना पुनात्सांग्चू- I I जलविद्युत परियोजना (1020 मेगावाट) ने अपनी पहली दो इकाइयों का ग्रिड सिंक्रोनाइज़ेशन हासिल किया। माननीय मंत्री ल्योंपो जेम त्शेरिंग और प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। सीडब्ल्यूसी और सीईए के साथ इस बृहद परियोजना में डिज़ाइन परामर्शदाता रूप में योगदान देने पर वाप्कोस को गर्व है।







10.01.2025



जीएएच कोट्टारकरा में 30-बिस्तर वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की आधारशिला रखे जाने के समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केरल के माननीय वित्त और स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे जोकि समग्र स्वास्थ्य सेवा को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परिवर्तनकारी परियोजना में पीमसी के रूप में योगदान देने पर वाप्कोस को गर्व है।

26.01.2025

हमारे देश के गणराज्य के 76 वर्षों के गौरव और देशभक्ति के सम्मान के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में वाप्कोस मुख्यालय पर तिरंगा फहराया गया, जोकि राष्ट्र निर्माण और प्रगति के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एकता, विकास और उत्कृष्ट भविष्य की ओर संगठन के विकास हेतु सर्वोत्तम योगदान देने के लिए वाप्कोस टीम को प्रेरित किया गया।



27.01.2025

जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्लनयूयूई), राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से वाप्कोस द्वारा भारतीय प्लंबिंग एसोसिएशन के सहयोग से जल उपयोग दक्षता: सतत भविष्य के लिए कार्यनीतियां विषय पर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में एक कार्याशाला का आयोजन किया गया।

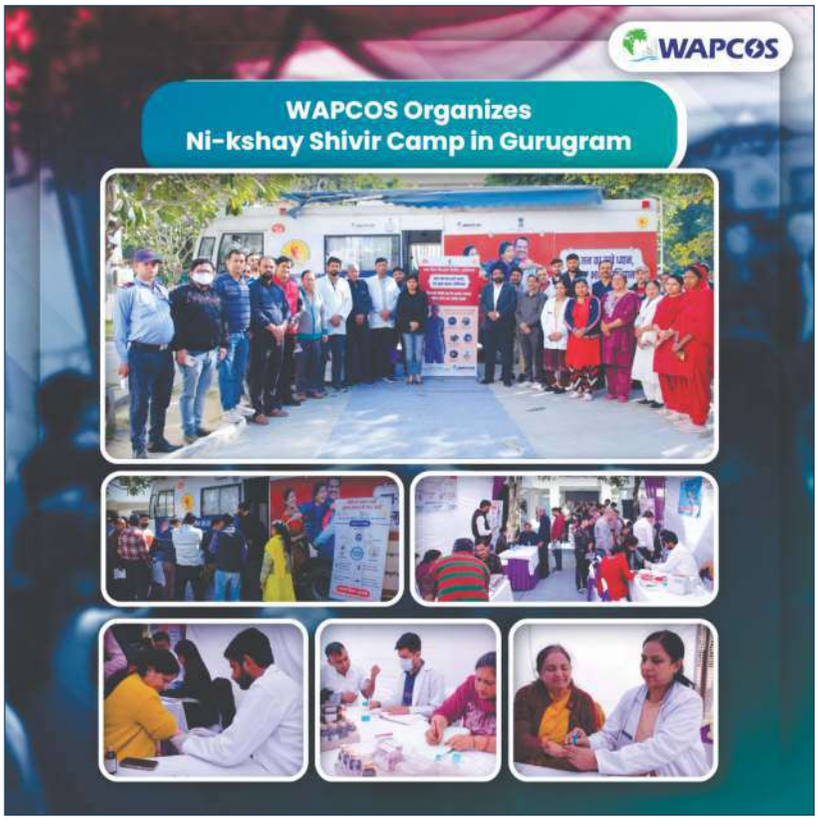






13.02.2025

टीबी उन्मूलन पर 100 दिन के व्यापक अभियान के अंतर्गत वाप्कोस प्रांगण, गुरुग्राम, हरियाणा में एक दिवशीय शिविर को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। टीबी मुक्त भारत के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में दिल्ली/एनसीआर के वाप्कोस के 200 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए।



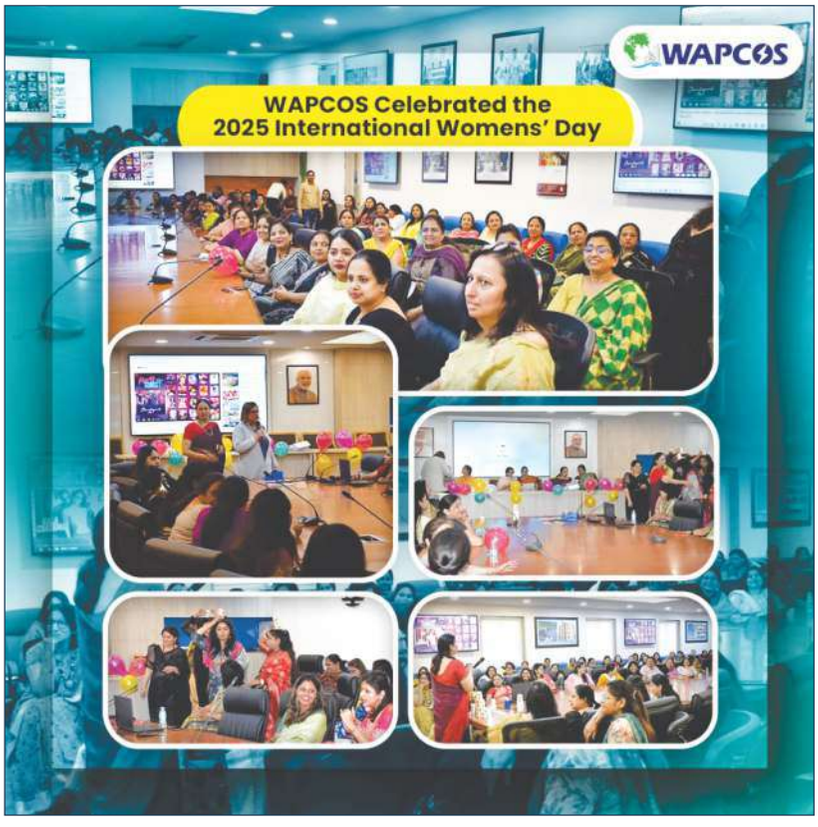
02.03.2025



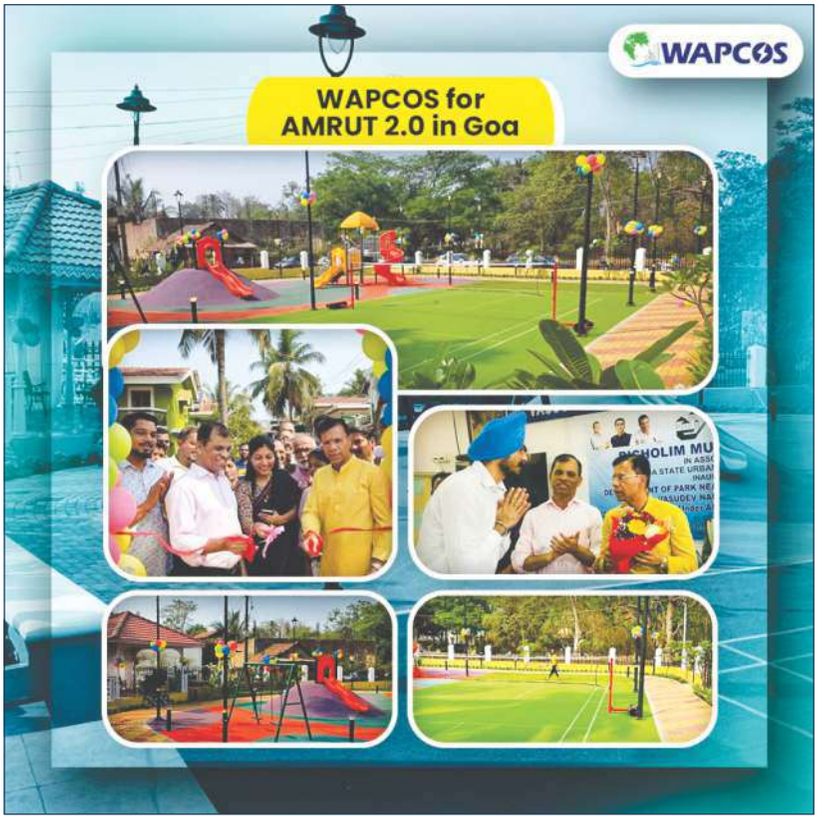
भारत सरकार की 500 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में हेंडेनी, कोरोगवे, मुहेज़ा और पंगानी शहरों की जल आपूर्ति परियोजना का हिस्सा बनने पर वाप्कोस को गर्व है। दिनांक 25 फरवरी 2025 को तंज़ानिया के माननीय राष्ट्रपति, माननीय डॉ. सामिया सुलुहु हसन ने इसकी आधारशिला रखी, इस अवसर पर तंज़ानिया में भारत के उच्चायुक्त श्री बिश्वदीप डे उपस्थित रहे। 24 शहरों और आस-पास के गांवों की 850,000 आबादी के लिए सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने वाली इस परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में वाप्कोस गुणवत्ता और दक्षता प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। हम मिलकर एक मजबूत जल-सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।

08.03.2025

वाप्कोस और एनपीसीसी की महिला कर्मचारियों ने उत्साह और एकता के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया यह दिन हमारे कार्यालय और उससे बाहर की महिलाओं की उपलब्धियों, तन्यता और योगदान का सम्मान करने का है।



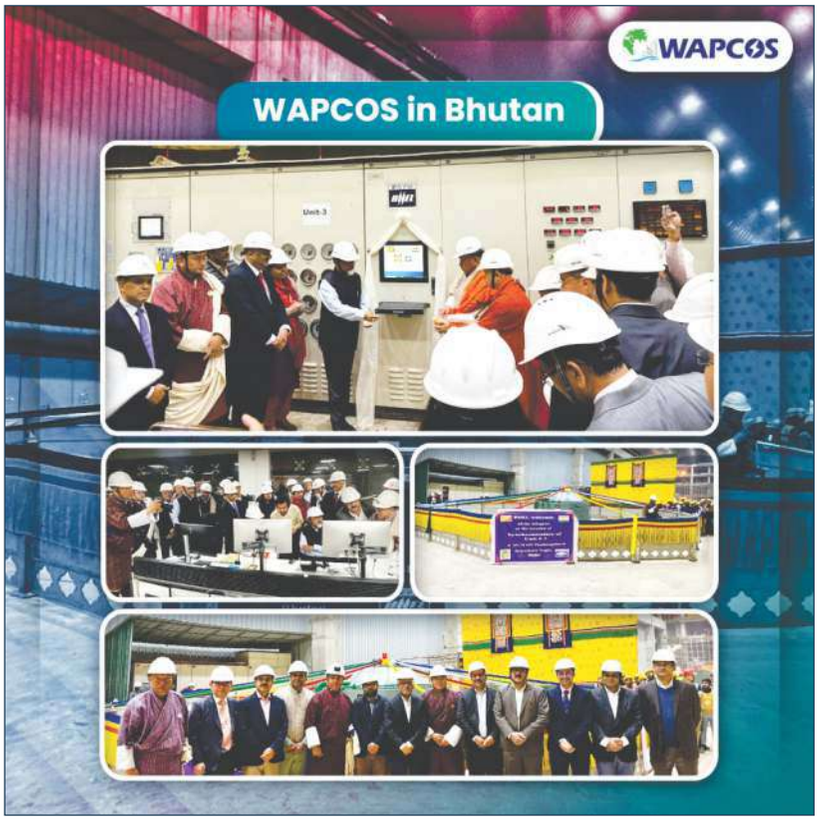
16.03.2025



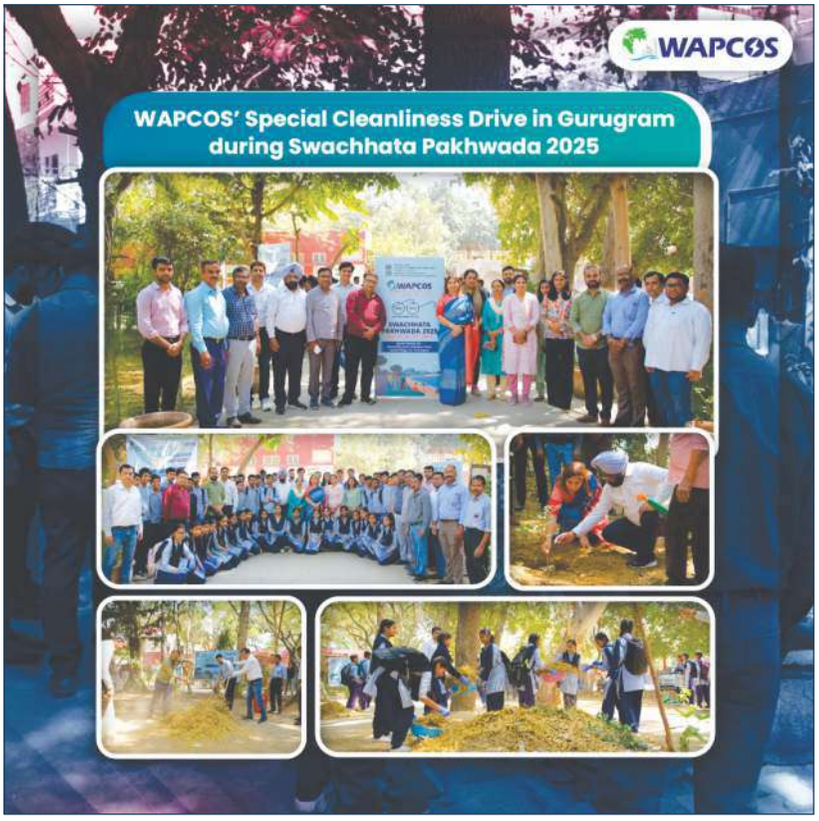
गोवा में सतत शहरी स्थानों का निर्माण! माननीय शहरी विकास मंत्री श्री विश्वजीत पी. राणे और बीचोलिम के माननीय विधायक डॉ. चंद्रकांत शेट्टी ने अमृत 2.0 के अंतर्गत बीचोलिम स्थित रोटरी क्लब प्राथमिक स्कूल के पास नव निर्मित पार्क का उद्घाटन किया। वाप्कोस को अमृत 2.0 के संबंध में परियोजना विकास और प्रबंधन सलाहकार (पीडीएमसी) के रूप में कार्य करने पर गर्व की अनुभूति है जिसके अंतर्गत वह *24 शहरी विकास परियोजनाओं* के कार्यान्वयन में सहयोग कर रहा है जिनमें जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकाय पुनर्रूद्धार और हरित क्षेत्र का विकास शामिल है। माननीय मंत्री ने गोवा में सतत और समावेशी शहरी विकास को आगे बढ़ाने में वाप्कोस के योगदान की सराहना की।

19.03.2025

भारत-भूटान सहयोग को दर्शाती एक महत्वपूर्ण परियोजना - पुनात्सांग्चू II जलविद्युत परियोजना (1020 मेगावाट) ने अपनी यूनिट के तीसरे ग्रिड सिंक्रनाइज़ेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के अवसर पर भूटान में भारत के राजदूत श्री सुधाकर दलेला, माननीय मंत्री ल्योंपो जेम त्सेरिंग, पीएचपीए के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों उपस्थित थे। सीडब्ल्यूसी और सीईए के सहयोग से डिज़ाइन सलाहकार के रूप में इस बृहद परियोजना में योगदान देने पर वाप्कोस को गर्व है।



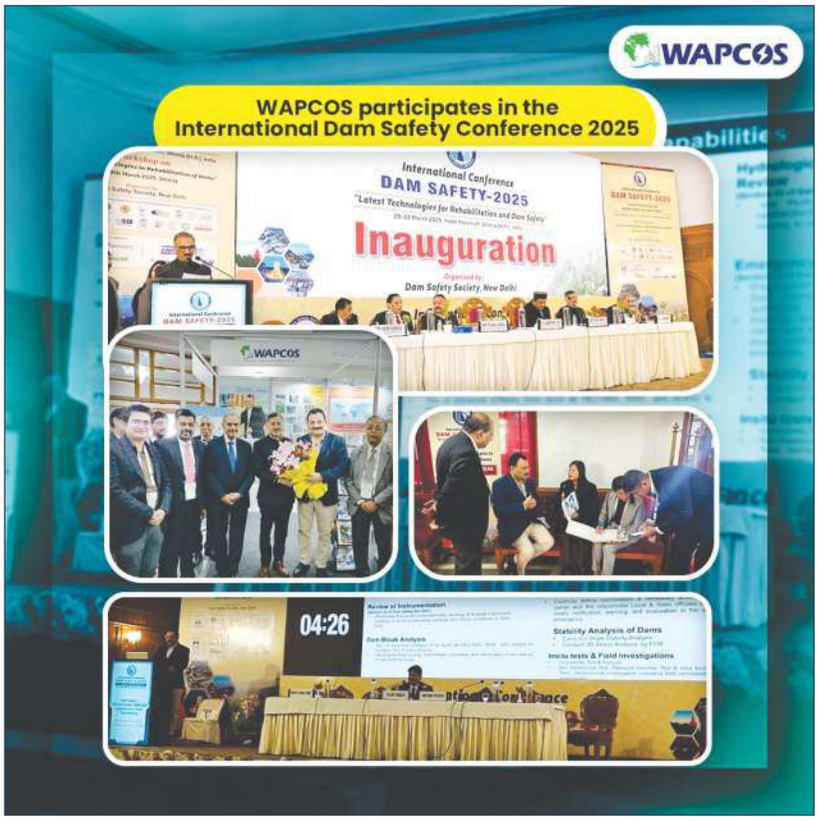
21.03.2025



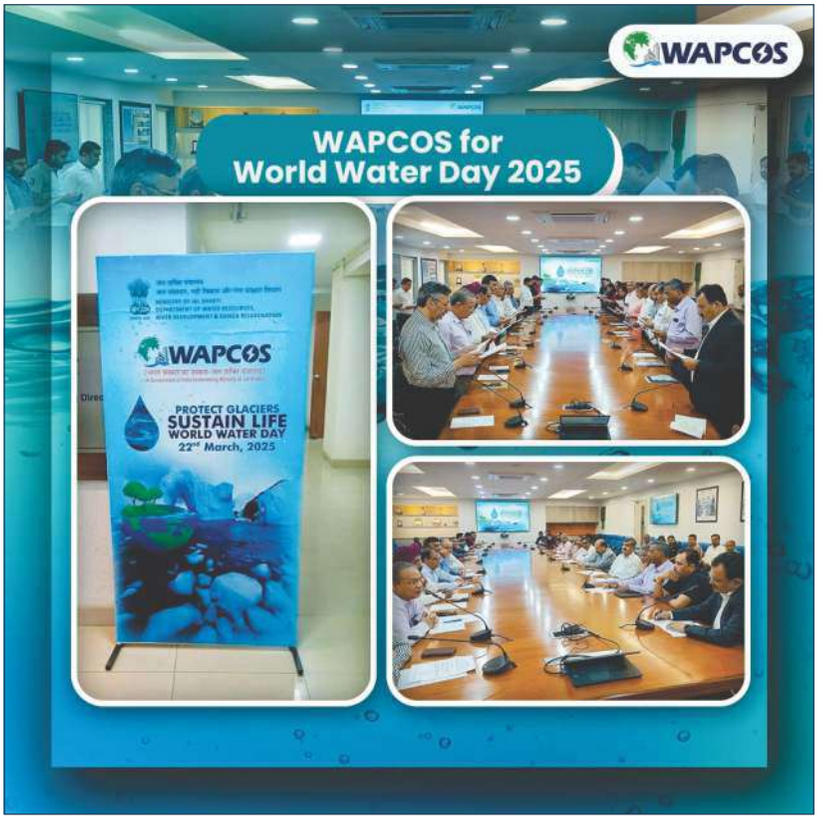
जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 16 से 31 मार्च 2025 तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया, जो स्वच्छता और सामुदायिक कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इस पहल के एक भाग के रूप में, हरियाणा के गुड़गांव के सेक्टर-18 स्थित सरहौल गांव के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। छात्रों और समुदाय के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ वातावरण के निर्माण में योगदान देने के लिए वाप्कोस की टीम ने स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से भाग लिया।

22.03.2025

श्री अमिताभ त्रिपाठी, निदेशक (वाणि. एवं मा.सं.वि.), ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, बांध सुरक्षा सोसाइटी द्वारा 20 से 22 मार्च 2025 तक हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन–2025 में सक्रिय रूप से भाग लिया। वाप्कोस ने एक स्टाल के माध्यम से बाधं अभियांत्रिकी और सुरक्षा में अपने व्यापक अनुभव और क्षमताओं को प्रदर्शित किया जिसका हिमाचल प्रदेश सरकार के माननीय प्रौद्योगिकी और शिक्षा मंत्री ने भी दौरा किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। निदेशक (वाणि. एवं मा.सं.वि.) ने "पुनर्वास और बांध सुरक्षा हेतु नवीनतम तकनीक" पर आयोजित एक महत्वपूर्ण सत्र की सह-अध्यक्षता की, जिसमें वाप्कोस की विशेषज्ञता को उजागर किया गया। बांध सुरक्षा समाधानों पर हमारी वैश्विक उपस्थिति को सुदृढ़ करते हुए वाप्कोस की टीम ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नेपाल और श्रीलंका के बांध मालिकों और प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की।



24.03.2025



"ग्लेशियर संरक्षण" थीम के साथ विश्व जल दिवस 2025 को वाप्कोस में बड़े उत्साह और उद्देश्य के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विश्व जल दिवस की शपथ से हुई, इसके बाद एक पैनल चर्चा हुई जिसमें महत्वपूर्ण जल-संबंधी चुनौतियों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। प्रतिभागियों ने जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों, ग्लेशियर संरक्षण, जल सुरक्षा, लचीली अवसंरचना, समग्र जल संसाधन प्रबंधन और जल-ऊर्जा संबंध जैसी समस्याओं पर विभिन्न दृष्टिकोण साझा किए। हमारे बहुमूल्य जल संसाधनों का संरक्षण और स्थायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीक-आधारित कार्यनीतियों से लेकर सामुदायिक पहल तक नवाचारपूर्ण समाधानों पर चर्चा की गई।

नोट्स

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 56वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय कार्य निष्पादन

(रूपये करोड़ में)

विवरण		वर्ष 2024-25 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष 2023-24 के वास्तविक आंकड़े
क.	**आय**		
	प्रचालन से प्राप्त आय		
	i) परामर्श सेवाएं	663.83	675.75
	ii) निर्माण परियोजनाएं	948.21	854.76
	प्रचालन से कुल राजस्व (परियोजना आय)	**1612.04**	**1530.51**
	iii) अन्य आय	27.08	38.92
	कुल आय (क)	**1639.12**	**1569.43**
ख.	**व्यय**		
	i) परामर्श सेवाएं	416.59	486.73
	ii) निर्माण परियोजनाएं	971.68	851.85
	कुल परियोजना व्यय	**1388.27**	**1338.58**
	iii) प्रशासन/सामान्य व्यय	221.74	143.81
	iv) मूल्यह्रास	8.76	9.08
	कुल व्यय (ख)	**1618.77**	**1491.47**
	असाधारण मदों और कर ग से पूर्व लाभ = (क-ख)	**20.35**	**78.96**
	जोड़ : असाधारण मद	5.99	0.02
	कर पूर्व लाभ	26.34	77.98

समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार समूह का कार्य निष्पादन निम्नानुसार है:

(रूपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
टर्नओवर	3142.65
कराधन से पहले लाभ/(हानि)	89.18
घटाएं: कर व्यय	23.08
कर के बाद लाभ/(हानि)	66.10

2. रिजर्व में स्थानांतरण

कंपनी ने सामान्य रिजर्व में कोई राशि स्थानांतरित नहीं की है।

3. पूंजी संरचना

कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कंपनी ने 200 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी को 10 रुपये के अंकित मूल्य के 20 करोड़ इक्विटी शेवरों में विभाजित किया है और 130 करोड़ रुपये की पेड-अप शेयर पूजी को 10 रुपये के अंकित मूल्य के 13 करोड़ इक्विटी शेगरी में विभाजित किया है।

4. लाभांश

बोर्ड ने 31.03.2025 को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में प्रत्येक 10 रुपये के इक्विटी शेयर पर 0.8 रुपये के लाभांश देने की सिफारिश की है, जो कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 8% होते हुए कुल 10.40 करोड़ रुपये है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा यथाअनुशंसित रु. 25.00 करोड़ के लाभांश को, शेयरधारकों द्वारा दिनांक 15.12.2025 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में घोषित नहीं किया गया।

5. जमा

कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान न तो कोई जमा आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है।

6. शेयरों की पुनर्खरीद (बाय-बैक)

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों की कोई पुनर्खरीद नहीं की है।

7. सहायक/संयुक्त उपक्रम और सम्बद्ध कंपनी का विवरण: - नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी)- सहायक कंपनी

एनपीसीसी लिमिटेड, जल शक्ति मंत्रालय के तत्वावधान में एक मिनी रत्न-1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसे 9 जनवरी, 1957 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शामिल किया गया था। वाप्कोस ने राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी) की 98.89% शेयरधारिता हासिल कर ली, जिसके परिणामस्वरूप यह वाप्कोस की सहायक कंपनी बन गई है। हमारी सहायक कंपनी बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के निर्माण के व्यवसाय में संलग्न है। इसने विभिन्न क्षेत्रों में कई परियोजनाएं जैसे टाउनशिप और अन्य आवासीय भवनों का निर्माण, संस्थागत भवन, कार्यालय परिसर, सड़कें, पुल और फ्लाई ओवर, अस्पताल और स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाएं, औद्योगिक संरचनाएं, सतही परिवहन परियोजनाएं, पर्यावरण परियोजनाएं, तापीय परियोजनाएं, जलविद्युत परियोजनाएं, बांध, बैराज और नहरें, सुरंगें और भूमिगत परियोजनाएं शुरू की हैं। इसने संकल्पना लेकर शुरूआत तक कई राष्ट्रीय परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है और कुछ कार्यनीतिक महत्व की परियोजनाओं को भी अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही है।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, एनपीसीसी ने परिचालन से रू.1,53,060.24/- लाख का राजस्व प्राप्त किया। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में रू. 6303.46/- लाख का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और रू. 5046.34/- लाख का कर पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया। वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने रू. 2532.82 करोड़ का नया व्यवसाय प्राप्त किया और 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार एनपीसीसी की प्राप्त कार्यादेश की स्थिति 13517.49 करोड़ रुपये है।

8. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

कंपनी ने जल संसाधन, विद्युत और अवसंरचना विकास परियोजनाओं में परामर्श सेवाओं के लिए आईएसओ 9001:2015 आवश्यकताओं के अनुपालन में एक व्यापक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन किया है।

9. पुरस्कार/सराहना

हमारी कॉरपोरेट नीति और संचालन दक्षता, गुणवत्ता नियंत्रण, सामाजिक कल्याण और संगठनात्मक मानकों के क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियां हमारे द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिए वर्षों से हमें प्राप्त हो रहे विभिन्न पुरस्कारों और प्रमाणों के माध्यम से परिलक्षित होती हैं। हमें गुणवत्ता के प्रति हमारी निष्ठा और उच्च पर्यावरणीय और सामाजिक उत्तरदायित्व मानकों को बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता के लिए भी सराहा गया है। हमें निम्नलिखित पुरस्कारों के माध्यम से प्रशंसा और सराहना प्राप्त हुई है:

- विगत वर्ष जहां वाप्कोस शीर्ष 5 एडीबी सलाहकारों में 3 वें स्थान पर था, इस वर्ष इस श्रेणी में भारत की ओर से एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है जोकि उत्कृष्टता और गुणवत्ता सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- वाप्कोस को नई दिल्ली में एचईएएल फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रथम हेल्थ केयर सीएसआर चेंज मेकर्स सम्मिट एंड अवार्ड 2024 में

"सामाजिक प्रभाव में उत्कृष्टता पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।

- वाप्कोस को नई दिल्ली में आयोजित वॉटर ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवार्ड्स और कॉन्क्लेव 2024 में प्रतिष्ठित "अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम - वर्षाजल संचयन और भूजल प्रबंधन" पुरस्कार और "विशेष मान्यता पुरस्कार - विकास क्षेत्र में अग्रणी संगठन" से सम्मानित किया गया।
- इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा 2024 के आईईआई इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड्स में इंजीनियरिंग सेवाओं और परामर्शी श्रेणी में वाप्कोस को प्रतिष्ठित गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
- इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा दिये जाने वाले 14वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 में वाप्कोस को कॉर्पोरेट गवर्नेंस श्रेणी में प्लेटिनम विनर अर्वाड से सम्मानित किया गया।
- कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीईएआई) द्वारा "परियोजना अभियांत्रिकी में उत्कृष्टता" श्रेणी में वाप्कोस को प्रतिष्ठित सीईएआई राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया।
- वाप्कोस को केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी) से "जल संसाधन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परामर्श परियोजना" हेतु प्रतिष्ठित सीबीआईपी पुरस्कार 2024 प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है।
- वाप्कोस को वर्ल्ड वाटर अवॉर्ड्स 2024-25 में वॉटर डायजेस्ट और यूनेस्को द्वारा जल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परामर्शदाता की श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है।

10. व्यवसाय विकास

वाप्कोस विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक, संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय, फ्रांसीसी विकास एजेंसी, जर्मन विकास बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, यूरोपीय निवेश बैंक और यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित अनेक विकास परियोजनाओं से संबद्ध है। वाप्कोस भारत सरकार की द्विपक्षीय वित्त पोषण पहल के भाग के रूप में अन्य के साथ-साथ अफगानिस्तान, भूटान, कंबोडिया, नेपाल, पनामा और तंजानिया जैसे विभिन्न देशों में प्रमुख विकास परियोजनाओं से भी संबद्ध है। कंपनी ने रू. 3292.88 करोड़ का नया व्यवसाय प्राप्त किया है।

11. कॉर्पोरेट योजना/विपणन कार्यनीति

हमारी मार्केटिंग रणनीति मुख्य रूप से दीर्घकालिक संबंधों के लिए ग्राहक भागीदारी पर केंद्रित है। इसकी देखरेख एक इन-हाउस टीम द्वारा की जाती है, जिसे व्यवसाय विकास और क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम सौंपा जाता है और इसका नेतृत्व हमारे अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधार विकास) और मुख्य कार्यकारी निदेशक (ओं) द्वारा किया जाता है। व्यवसाय उत्पन्न करना जारी रखने के लिए, हमारा कॉर्पोरेट नियोजन प्रभाग, जो बाजार की खुफिया जानकारी पर नजर रखता है, रुचि की अभिव्यक्तियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समन्वय करता कार्य है और बहुपक्षीय फंडिंग एजेंसियों और अन्य निष्पादन एजेंसियों के साथ पंजीकरण की स्थिति बनाए रखता है। हमारी कंपनी संयुक्त आयोगों/मिशन बैठकों, तकनीकी और व्यापार संस्थाओं के माथ-साथ भारत और विदेश में संयुक्त व्यापार परिषदों में व्यापार क अवसरों और विभिन्न एजेंसियों की सदस्यता की खोज के लिए विचार-विमर्श में भाग लेती है। हम व्यवसाय खरीद के अवसरों का पता लगाकर और विभिन्न एजेंसियों के सदस्य बनने के लिए विभिन्न सरकारी और सामुदायिक कार्यक्रमों में कर्मियों को भी नियुक्त करते हैं। वाप्कोस हमारा संभावित ग्राहकों और अन्य व्यावसायिक हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करता है। हम विभिन्न पुरस्कारों में भी भाग लेते हैं, प्रेस विज्ञप्तियां तैयार करते हैं, विपणन ब्रोशर प्रकाशित करते हैं तथा प्रचार और व्यवसाय उत्पन्न करने के उद्देश्य से एससीओपीई, ईईपीसी, फिक्की, सीबीआईपी, सीआईआई आदि संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करते हैं।

12. विदेशी परियोजनाएं

अफ्रीकी क्षेत्र

❍ **अंगोला**

- अंगोला में जनरेशन मॉनिटरिंग सेंटर, बांध सुरक्षा उपकरण और ओ एंड एम सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण, तकनीकी विनिर्देशों, बोली दस्तावेजों, बोली मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में पीआरओडीईएल को सहयोग प्रदान करने हेतु परामर्श प्रतिष्ठान (ओनर्स इंजीनियर)।



अंगोला के कैम्बांबे जलविद्युत संयंत्र में वाप्कोस अधिकारियों का दौरा



साइट दौरे के दौरान कैपांडा जलविद्युत संयंत्र में वाप्कोस के अधिकारियों का दौरा

- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कुइटो और क्विलेवा सबस्टेशनों के पुनर्वास और उन्नयन के लिए प्रारंभिक डिजाइन और बोली दस्तावेज तैयार करने हेतु परामर्शी प्रतिष्ठान।





❍ **बुरूंडी**

- बुरुंडी के सिबिटोके प्रांत में काबू -16 एचईपी (20 मेगावाट) जलविद्युत परियोजना और इसकी ट्रांसमिशन लाइन का निष्पादन।



बांध का अपस्ट्रीम दृश्य



बांध का डाउनस्ट्रीम दृश्य

❍ डीआर कांगो

- भारत सरकार की ऋण सहायता के अंतर्गत क्विलु (बंदुंडु) प्रांत में विद्युत ट्रांसमिशन और वितरण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श।



66/33केवी किकविट सबस्टेशन



66 केवी ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग

❍ इस्वातिनी

- नहलंगानो II से लावुमिसा तक एक हाई वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन (ओएचटीएल) के निर्माण और हुथी, मत्सांजेनी और लावुमिसा में संबद्ध 132/11 केवी सबस्टेशनों के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नेटवर्क रीइन्फोर्समेंट एंड एक्सेस परियोजना (एनआरएपी) के लिए स्वामित्व अभियंता।



132/11 केवी ह्लुथी सबस्टेशन में नियंत्रण कक्ष भवन और अन्य स्थापना कार्य प्रगति पर हैं



132 केवी ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग का काम प्रगति पर है

❍ इथियोपिया

- अदीस अबाबा सिटी रोड्स अथॉरिटी (एएसीआरए) इथियोपिया के लिए अदिस अबाबा सिटी सबप्रोजेक्ट हेतु जल निकासी मास्टर प्लान तैयार करने के लिए कार्यनीतिक पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन (एसईएसए) करने के लिए परामर्श सेवाएं।

❍ गाम्बिया

- गाम्बिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कोर सेफगार्ड दस्तावेज़ तैयार करने हेतु परामर्शी सेवाएं।



ग्रामीण और शहरी सड़कों के लिए स्थल सर्वेक्षण



सोमा से बासे तक ट्रांसमिशन लाइन के लिए स्थल सर्वेक्षण

- गाम्बिया में अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित ब्रिकामा और सोमा सबस्टेशनों से 59 ग्रामीण समुदायों के ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विस्तृत अध्ययन तैयार करने, खरीद में सहायता, नियंत्रण और पर्यवेक्षण।



एमवी पोल की स्थापना



राजमार्ग के किनारे एमवी पोल स्थापित किए गए हैं

❍ लाइबेरिया

- बोमी काउंटी, लाइबेरिया में क्ले हैचरी के कार्यों का वास्तुशिल्प डिजाइन और पर्यवेक्षण।



विशेषज्ञों के साथ स्थल का दौरा



साइट प्लान का विहंगम दृश्य

- लाइबेरिया में मनी नदी पर गबेदिन जलविद्युत संयंत्र, 33केवी इवैक्यूएशन लाइन और सभी संबंधित सबस्टेशनों के निर्माण के लिए विस्तृत डिजाइन तैयार करने, बोली दस्तावेज, निविदा और निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए परामर्श सेवाएं।




प्रोजेक्ट साइट पर वाप्कोस विशेषज्ञ की देखरेख में सर्वेक्षण कार्य

❍ मोज़ाम्बिक

- मोज़ाम्बिक के वल्कन इंटरनेशनल के लिए ज़ाम्बेज़ी वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए इंटेक कुएं और पाइपलाइन डिजाइन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु परामर्श सेवाएं।



वल्कन इंटरनेशनल लिमिटेड, टेटे, मोज़ाम्बिक के लिए जल आपूर्ति परियोजना



प्रस्तावित इनटेक स्थान

- ग्रामीण मोजाम्बिक परियोजना (प्रो-एनर्जी +) में सतत ऊर्जा और ब्रॉडबैंड पहुंच के तहत मोजाम्बिक के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण।





सिंगल फेज एनर्जी मीटर एफएटी

❍ **रवांडा**

- क्षेत्रीय रुसुमो जलप्रपात जलविद्युत परियोजना (आरआरएफएचपी), रवांडा के तैरते मलबे प्रबंधन पर व्यवहार्यता अध्ययन के लिए परामर्श सेवाएं।



नदी का बायां किनारा



साइट विशिष्ट डेटा का संग्रह

❍ **तंजानिया**

- तांगानियां झील के किनारे कालेमी और मोबा बंदरगाहों के सुधार के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और प्रारंभिक इंजीनियरिंग डिजाइन।



स्थल मानचित्र

- भारत सरकार की ऋण सहायता के अंतर्गत विभिन्न शहर (एलओटी 2) जल आपूर्ति योजना के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) हेतु परामर्श सेवाएं।



पैकेज-1 डब्ल्यूटीपी साइट



पैकेज -2 - इनटेक पंप हाउस और फिल्टर हाउस - आरसीसी का काम प्रगति पर है



पैकेज-3 - इफकारा में पाइप डबलिंग का कार्य



पैकेज-4 - शाफ्ट वॉल आरसीसी का कार्य प्रगति पर है

- मर्कोंडे, मर्फिंगा, रोरिया-तरीमे, सोंगेया शहरों में जल आपूर्ति योजना के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) हेतु परामर्श सेवाएं।



मलातु बीपीएस संप से नंबुंगा जीएसआर मर्कोंडे तक 400 मिमी व्यास एमएस (पीएन 30) पाइपलाइनिंग का कार्य प्रगति पर है



मार्कोंडे में मलातु बीपीएस में छत स्लैब के लिए स्टील बाइंडिंग कार्य की जांच का कार्य प्रगति पर है



फ्लैश मिक्सर राफ्ट और दीवार शटरिंग का निरीक्षण कार्य प्रगति पर है



टारिम जीएसआर में वाल्व चैम्बर (सी30/37) के लिए कंक्रीटिंग कार्य पूरा हुआ

- जंज़ीबार में वितरण नेटवर्क नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण और सम्पूर्ण कनेक्शन के लिए परामर्श सेवाएं।



132/33/11 केवी एमटोनी सबस्टेशन का स्थल दौरा



कोजानी द्वीप का स्थल दौरा

- 132 केवी बैकबोन ट्रांसमिशन और सबस्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़ांज़ीबार की निगरानी और पर्यवेक्षण।



माकुंडुची सबस्टेशन (एलओटी-2) का निर्माण



टावर फाउंडेशन की खुदाई (एलओटी-1)

❍ **टोगो**

- भारत सरकार की ऋण सहायता के अंतर्गत कारा - मैंगो - डपोन्ग - मंडौरी - टोगो/बेनिन सीमा और 161/20 केवी से संबंधित उप-स्टेशनों जोड़ने वाली नई 161 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं।



मैंगो सबस्टेशन पर 25 एमवीए के 2 पावर ट्रांसफ़ॉर्मर



डापाओंग सब-स्टेशन पर सीईबी कंट्रोल रूम भवन

- भारत सरकार की ऋण सहायता के अंतर्गत 150 ग्रामीण समुदायों के विद्युतीकरण के कार्य का नियंत्रण, इंजीनियरिंग अध्ययन और पर्यवेक्षण।
- 46 ग्रामीण इलाकों में एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्त पोषित विद्युतीकरण कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण।
- सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम के जरिए 350 गांवों के विद्युतीकरण के लिए परामर्श सेवाएं।



भार आकलन के लिए वाओगु स्कूल का स्थल दौरा



सौर विकिरण, तापमान और भार का आकलन करने के लिए स्कूल का स्थल दौरा

एशियाई क्षेत्र

❍ बांग्लादेश

- भारत-बांग्लादेश अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल मार्ग के आशुगंज से जकीगंज खंड और सिराजगंज से दाइखोवा खंड के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं।



सिराजगंज-दैखावा खंड के लिए रखरखाव ड्रेजिंग



आशुगंज-जाकीगंज खंड के लिए रखरखाव ड्रेजिंग

❍ भूटान

- पुनात्सांगछू-I एचई परियोजना (1200 मेगावाट) - विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित मुख्य सिविल कार्यों और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल, हाइड्रो-मैकेनिकल और अवस्थापना कार्यों की इंजीनियरिंग और डिजाइन परामर्श।



पावर इंटेक का सामने का दृश्य



पावरहाउस में मशीन हॉल

- पुनात्सांगछू-II एचई परियोजना (1020 मेगावाट) - विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित मुख्य सिविल कार्यों और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल, हाइड्रो-मैकेनिकल और बुनियादी ढांचे के कार्यों की इंजीनियरिंग और डिजाइन परामर्श।



बांध का डाउनस्ट्रीम दृश्य



पावरहाउस में मशीन हॉल

❍ **नेपाल**

- एनईए नेपाल के लिए प्राथमिकता ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं: i) अरुण हब-इनारुवा ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन, ii) अरुण हब-दुधकोशी-टिंगला ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन, iii) इनारुवा-अनारमानी ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन के लिए ईएसआईए अध्ययन।
- भारत सरकार की ऋण सहायता के अंतर्गत कोशी कॉरिडोर 220 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइनों और संबंधित सबस्टेशनों के लिए परियोजना प्रबंधन और निर्माण पर्यवेक्षण।





220/132/33 केव बसंतपुर सबस्टेशन की चार्जिंग के दौरान एनईए और वाप्कोस टीम

- नेपाल के प्रमुख शहरों (अरुण पूल - तिंगला हब - न्यू खिमती - तमाकोशी 3 - सुनकोशी हब - ढल्केबर 400 केवी पारेषण लाइन परियोजना) के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित विद्युत पारेषण प्रणाली आयोजना, व्यवहार्यता अध्ययन और परियोजना निर्माण।





वाप्कोस की बहु-विषयक विशेषज्ञों की टीम द्वारा विश्लेषण हेतु मौजूदा सबस्टेशन का दौरा

प्रशांत क्षेत्र

❍ फ़िजी

- परियोजना प्रबंधन और निर्माण पर्यवेक्षण हेतु पेशेवर सेवाएं।




पीएमयू -013 /2023 वाराके बांध से सरू जल शोधन संयंत्र, लौटोका तक पाइपलाइन का निर्माण



पीएमयू 082/2023-ओल्ड लवाई परियोजना में पुलिया क्रॉसिंग पर कंक्रीट सुदृढीकरण



डाउनस्ट्रीम कनेक्शन पॉइंट सत्यापन कार्य

- वालू बे, सुवा में जीएसएस सीवाल जेट्टी रैंप क्षेत्र के प्रस्तावित उन्नयन के लिए प्रमुख परामर्शी सेवाएं।



जंग से सुरक्षा कार्य सुदृढीकरण



फेंडर कार्य संस्थापन

- क्वीन एलिजाबेथ ड्राइव (क्यूईडी) रोड अपग्रेड चरण 2 प्रोजेक्ट वुसी रोड ड्रेनेज और फुटपाथ परियोजना हेतु इंजीनियर से अनुबंध।



सब बेस का सीमेंट स्थिरीकरण



पूर्ण क्यूईडी परियोजना का आकाश दृश्य

- फिजी में सौर रूफटॉप परियोजनाओं के विकास और संभावित साइटों के लिए बैंक योग्य विवरण परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए साइटों के मूल्यांकन हेतु परामर्श सेवाएं।



फिजी में मोटुकना प्राथमिक विद्यालय के मौजूदा प्रोफाइल से संबंधित डाटा संग्रह



फिजी में कावला स्वास्थ्य केंद्र के मौजूदा प्रोफाइल से संबंधित डाटा संग्रह

मध्य और दक्षिण अमेरिका

❍ निकारागुआ

- भारत सरकार की ऋण सहायता के अंतर्गत (i) 66 किलोमीटर लंबाई - 138 केवी विद्युत पारेषण लाइन (ii) 11 किलोमीटर लंबाई - 69 केवी विद्युत पारेषण लाइन, (iii) 'ला एस्पेरांज़ा' में एक नया विद्युत उप-केंद्र और (iv) 'ला गेटाडा' में स्थित विद्युत उप-केंद्र के पुनर्वास और विस्तार का डिजाइन, आपूर्ति, संस्थापन, निर्माण और शुरूआत।



ला एस्पेरांज़ा सबस्टेशन का कार्य पूर्ण



ला गेटाडा 2 सबस्टेशन: नियंत्रण और रिले पैनल

13. भारतीय परियोजनाएँ

➢ आंध्र प्रदेश

- एपीपीडीसीएल के लिए आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में 2 साल की अवधि के लिए एसडब्ल्यूआईओ प्रणाली के लिए तटरेखा परिवर्तन और अंतर्ग्रहण बेसिन की क्षेत्र निगरानी।



सर्वेक्षण के क्षेत्र को दिखाने के लिए गूगल अर्थ मानचित्र



साइट पर स्थलाकृतिक सर्वेक्षण

- शेड, संरचनाओं, भवनों, जल आपूर्ति व्यवस्था, जल निकासी, सड़क कार्यों, ट्रैक कार्यों, सिगनल और दूरसंचार कार्यों, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, सामान्य विद्युत कार्य और आपूर्ति, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में वैगन पोह वर्कशॉप की स्थापना के संबंध में मशीनरी और संयंत्र की स्थापना और शुरूआत हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं।



मुख्य भवन



वाडलापुदी रखरखाव क्षेत्र

- 1500 मेगावाट ग्रीनको सौर ऊर्जा परियोजना, कुरनूल, आंध्र प्रदेश के लिए पीएमए



स्थापित सौर मॉड्यूल



एमएमएस संरचना की संस्थापना

➢ अरुणाचल प्रदेश

- संशोधित सुधार लिंक परिणाम आधारित वितरण क्षेत्र योजना, अरुणाचल प्रदेश।





वास्तविक कार्य निरीक्षण समन्वय बैठक



केबल स्ट्रिंगिंग कार्य



एचटी लाइन कार्यों का निष्पादन

- व्यापक ईआईए और ईएमपी अध्ययन हेतु परामर्शी सेवाएं और ओजू एचईपी, ऊपरी सुबानिसीरी जिला, अरुणाचल प्रदेश ओजू सुबानिसीरी हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन प्रा. लि. के लिए पर्यावरण और वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए परामर्श सेवाएं।
- टीएचडीसी के लिए अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में स्थित कलई-II (1200 मेगावाट) के लिए एमओईएफ एंड सीसी से ईसी प्राप्त करने हेतु ईआईए-ईएमपी अध्ययन संबंधी परामर्श सेवाएं।

➢ असम

- दक्षिण पूर्व गुवाहाटी जल आपूर्ति परियोजना (एसईजीडब्ल्यूएसपी) के लिए डिजाइन प्रबंधन और पर्यवेक्षण सलाहकार (डीएमएससी)।



इनटेक स्थान पर डीएमएससी टीम के साथ साइट का दौरा



अपर परियोजना निदेशक के साथ स्थल का दौरा

- तूफान जल उपचार संयंत्र (एसडब्ल्यूपीटी), असम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड (एबीईपीएल), नुमालीगढ़।



कॉलम का सुदृढ़ीकरण बाइंडिंग कार्य



कच्चे पानी की पाइप लाइन का कार्य

- असम महिला विश्वविद्यालय, जोरहाट के नए शैक्षणिक भवन का निर्माण।



एनईसी और नोडल एजेंसी की टीम के साथ स्थल का दौरा



मुख्य भवन की दूसरी मंजिल का निर्माण

- जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी।



पंप हाउस, ईएसआर और रैपिड सैंड फिल्टर का कार्य पूर्ण



उपचार संयंत्र और यूजीआर के बीच अंतर्संबंध का कार्य पूर्ण

- एआईडब्ल्यूटीडीएस असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना, चरण- II के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन अध्ययन हेतु सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति।

➢ बिहार

- एनएमसीजी के लिए बिहार के चेचरघाट का निर्माण

➢ छत्तीसगढ़

- नया विधानसभा भवन, नया रायपुर, सीजी के निर्माण के दौरान डीपीआर और पर्यवेक्षण।





- एसबीएम 2.0 के अंतर्गत बिलासपुर और दुर्ग प्रखंड की प्रयुक्त जल प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं हेतु डीपीआर और पीएमसी।



परीक्षण हेतु स्थल पर अपशिष्ट जल नमूना संग्रह



साइट पर स्थलाकृतिक सर्वेक्षण

- छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श।





- छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व तटीय और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के संबलपुर और रायपुर डिवीजनों में रायपुर –टिटलागढ़ दोहरीकरण के भाग के रूप में आरन्ड (पूर्व)- रायपुर (पूर्व) खंड (57.404 किलोमीटर) के दोहरीकरण के संबंध में सड़क तल, प्रमुख और लघु पुलों, ट्रैक लिंकिंग (रेल, साधारण ट्रैक स्लीपर और ट्रैक वेब स्विच की आपूर्ति को छोड़कर), बाहरी सिग्नल और विद्युत (सामान्य) कार्यों का निर्माण।



रायपुर में प्रमुख रेलवे पुल



रायपुर में रेलवे पुल

➢ गोवा

- वर्ष 2024 में मोरमुगाओ बंदरगाह पर रखरखाव ड्रेजिंग के कार्य के लिए स्वतंत्र तृतीय पक्ष पूर्व और पश्चात खुदाई सर्वेक्षण।



खुदाई पूर्व सर्वेक्षण का कार्य जारी है



साइट पर बार चेक कार्य

- मिशन अवधि तक गोवा राज्य में स्वच्छ भारत मिशन - के निष्पादन और कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम(पीएसयू) की परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में नियुक्ति।



बायो मिथेनेशन प्लांट



शौचालय का निर्माण

- मिशन अवधि तक गोवा राज्य में अमृत 2.0 के कार्यान्वयन के लिए परियोजना विकास और प्रबंधन सलाहकार (पीडीएमसी)।



650 केएल ओवरहेड जलाशय मापुसा



डब्ल्यूएस योजना- बिचोलिम

➢ गुजरात

- हजीरा में कृभको जेट्टी के विस्तार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।



कृभको जेट्टी स्थल



कृभको जेट्टी पर कोयला संचालन गतिविधियां

- भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय, जूनागढ़ के परिसर में निर्माण चरण-1 के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श, तृतीय पक्ष निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण सेवाएं।



पुस्तकालय भवन का सामने का दृश्य



पुस्तकालय भवन के पीछे की ऊंचाई

- गुजरात राज्य में मत्स्य बंदरगाहों, मछली लैंडिंग केंद्रों, तट संरक्षण कार्यों, ड्रेजिंग गतिविधियों और सहायक सुविधाओं के विकास/आधुनिकीकरण/उन्नयन हेतु परामर्श सेवाएं।



नवाबंदर मत्स्य पालन बंदरगाह का ऊंचाई का दृश्य (बैक अप क्षेत्र)



नवाबंदर मत्स्य पालन बंदरगाह का ऊंचाई का दृश्य (हार्बर प्रवेश)

- हलोल में गुजरात जैविक कृषि विश्वविद्यालय के लिए किए जाने वाले विश्वविद्यालय परिसर निर्माण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रबंधन परामर्श सहित अभियांत्रिकी, खरीद और निर्माण सेवाएं।



पीजी संस्थान



विश्वविद्यालय भवन

- हलोल में गुजरात जैविक कृषि विश्वविद्यालय के लिए किए जाने वाले विश्वविद्यालय परिसर निर्माण कार्यों (चरण-I) के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सहित इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण सेवाएं।



अतिथि गृह



स्टाफ क्वार्टर

- गुजरात के नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, निर्माण, मरम्मत और रखरखाव कार्यों के लिए पीएमसी सहित इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण सेवाएं।





बालक छात्रावास, वाघई

- साई आरसी गांधीनगर में अस्थायी शेड के निर्माण हेतु पीएमसी।



- कच्छ क्षेत्र में 1 एमएएफ जल आपूर्ति हेतु 2 पाइपलाइन लिंक हेतु ईपीसी के लिए पीएमसी।



पाइपलाइन बिछाने का कार्य जारी



निरीक्षण कार्य

- कच्छ क्षेत्र में जिला पंचायत के विभिन्न सिंचाई कार्यों के निर्माण हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करना।



उमारपार एमआई योजना, नखतराना-पत्थर बिछाने का कार्य प्रगति पर है



खेंगर सागर योजना, मदावी-जैकेटिंग का कार्य प्रगति पर है

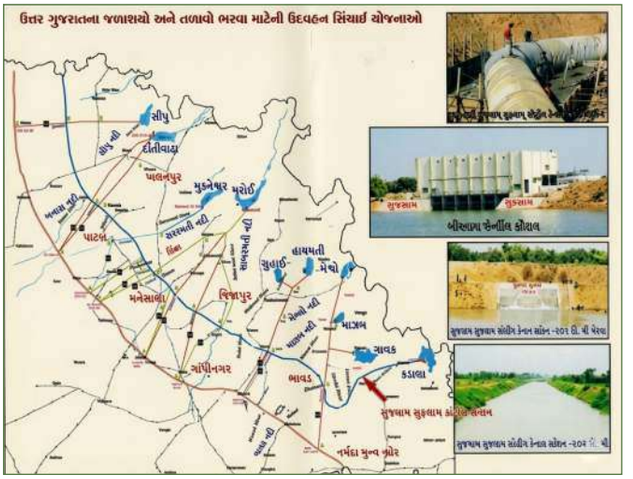
- गुजरात के पोरबंदर में जिला अस्पताल के उन्नयन और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए डिजाइन और विकास हेतु वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग डिजाइन सेवाएं।
- गुजरात राज्य के राजपीपला में विभिन्न स्वास्थ्य अवसंरचना (मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भवन, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों और अन्य भवनों के परिसरों का निर्माण तथा जल आपूर्ति, सीवरेज प्रणाली और परिसर विकास जैसी संबद्ध सेवाओं के पर्यवेक्षण के लिए परामर्श सेवाएं) के लिए परामर्श सेवाएं। (663 बिस्तर)।



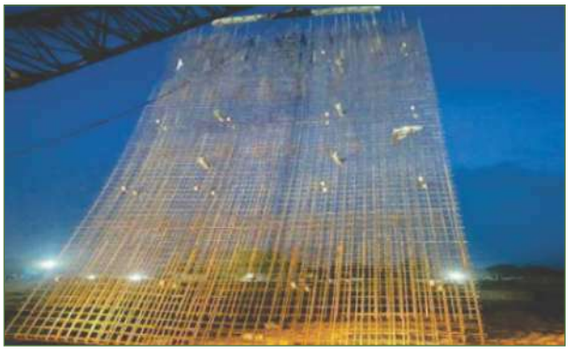


अस्पताल भवन

- सुजलाम सुफलाम सर्कल नं. 1 गांधीनगर के अंतर्गत उत्तरी गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में नर्मदा मुख्य नहर पर आधारित एल.आई. योजनाओं के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण हेतु परामर्श सेवाएं प्रदान करना।



- गुजरात के गांधी नगर के गिफ्ट सिटी के पास जल निकाय के साथ साबरमती नदी के तटों के जल क्षेत्र विकास का तृतीय पक्ष निरीक्षण (चरण 5)।

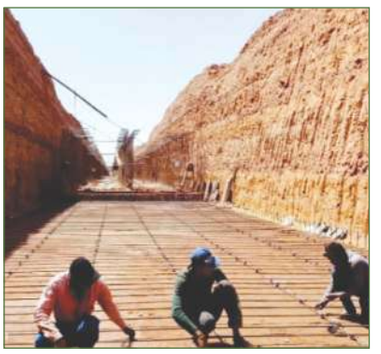
स्थल दौरा और थर्ड पार्टी निरीक्षण गतिविधियाँ

- पंचायत सिंचाई प्रभाग, जूनागढ़ के तहत लघु सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार और मरम्मत, परकोलेशन टैंक/चेक डैम आदि के निर्माण के लिए परामर्श सेवा प्रदान करना।
- 82.300 किमी से 133.519 किमी तक कच्छ शाखा नहर हेतु परामर्श सेवाएं जिसमें निरीक्षण, व्यापक रिपोर्ट योजनाएं, भू अन्वेषण, विशेषज्ञ तकनीकी शिल्प के साथ केबीसी पुर्नस्थापन और सुदृढ़ीकरण के सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना, अनुमान तैयार करना और डीटीपी शामिल हैं।
- उमरा, सूरत के पास तापी बैराज के पास ओलपाड और चोर्यासी तालुका जिलों के गांवों के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना द्वारा सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।




सर्वेक्षण कार्य जारी *सर्वेक्षण कार्य जारी*

- 23.025 किमी से 68.522 किमी के बीच दुधई उप शाखा नहर के निर्माण के लिए ईपीसी अनुबंध के कार्य के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करना।


उत्खनन का कार्य जारी *500 मीटर लंबा बैरल निर्माण कार्य प्रगति पर* *एमडी, एसएसएनएनएल द्वारा साइट का दौरा*

- अहमदाबाद जिले के साणंद, विरमगाम और बावला तालुका में नलकांता क्षेत्र और फाटेवाड़ी और नर्मदा कमांड सिस्टम के अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने हेतु परामर्श सेवा प्रदान करना, जिसमें विस्तृत सर्वेक्षण, योजना, डिजाइन और अनुमान तैयार करना और डीटीपी शामिल है।




गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्थल का दौरा

- कल्पसार जलाशय में बहने वाली साबरमती, माही, धाधर नदियों के साथ-साथ वार्षिक उपचारित/अनुपचारित घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल विश्लेषण करने हेतु परामर्श सेवाएं प्रदान करना।



नमूना संग्रह



नमूना संग्रह



नदी के पानी का नमूना

- अहमदाबाद जिले के साणंद, विरमगाम और बावला तालुका में नलकंठा क्षेत्र और फाटेवाड़ी और नर्मदा कमांड सिस्टम के अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधाओं के संवर्धन हेतु तृतीय पक्ष निरीक्षण (टीपीआई) के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करना (चरण-1)।



3000 मिमी व्यास की एमएस पाइपलाइन की दो पंक्तियों को बिछाने का निष्पादन



पाइपलाइन बिछाना



सिंचाई प्रयोजन हेतु जल स्रोत से अतिरिक्त नहर जल को गांवों तक ले जाने वाली नहर का निष्पादन

- एकता नगर में जीएसईसीएल कर्मचारियों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 05 नए आवासीय ब्लॉकों (124 क्वार्टर) के निर्माण और एकता नगर में विभिन्न श्रेणियों के 05 नए आवासीय ब्लॉकों (140 क्वार्टर) के निर्माण हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करना।



पीकेजी 8 1 बीएचके बाहरी प्लास्टर



पीकेजी 7 2 बीएचके कॉलम भरने का कार्य

- गुजरात में कच्छ, के खवड़ा क्षेत्र में अडानी रिन्यूएबल एनर्जी फोर्टी वन लिमिटेड की 306.8 मेगावाट पवन ऊर्जा और 12.5 मेगावाट एसी/17.1 मेगावाट डीसी सौर ऊर्जा परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए)।



आरई पार्क के अंदर प्लॉट नंबर ए9 बी2 में सौर ऊर्जा संयत्र



आरई पार्क के अंदर ईरेक्टेड स्विचयार्ड क्षेत्र पीएसएस -13

- गुजरात के कच्छ में 260 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना, पीएमए



आरई पार्क के अंदर 5.2 मेगावाट डब्ल्यूटीजी का निर्माण



डब्ल्यूटीजी नियंत्रण पैनलों का निर्माण कार्य

➢ हिमाचल प्रदेश

- कुपवी और भुंतर में पुलिस स्टेशन भवन का निर्माण।



भुंतर



कुपवी

- तीसरे आईआरबीएन पंडोह में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण।





- डार्लाघाट में एसडीपीओ कार्यालय- सह-आवास का निर्माण।





- पुलिस लाइन सोलन में 4 आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।





- शिमला में तहसील वेलफेयर कार्यालय कुमारसैन का निर्माण।



भुंतर



कुपवी

- जिला बिलासपुर (एचपी) के घुमारविन में तहसील कल्याण कार्यालय और निवास का निर्माण।





- हिमाचल प्रदेश में एसजेवीएन लिमिटेड के लिए प्रस्तावित रेओली-डुगली एचईपी (428 मेगावाट), पुरथी एचईपी (224 मेगावाट) और बार्दांग एचईपी के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए)/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी)।

➢ झारखंड

- झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (जेएसबीसीसीएल) के पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण कार्य - तृतीय पक्ष परामर्श।



सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र टोलरा, पलामू, झारखंड



डिग्री कॉलेज, बरहेट, साहिबगंज, झारखंड

- जल जीवन मिशन (जेजेएम), झारखंड के अंतर्गत सभी इंजीनियरिंग कार्यों के निरीक्षण के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए) का चयन।



बालियाजोर डब्ल्यूटीपी झारखंड



इनटेक वेल, दुमका

- रांची में जोन - 1 के लिए सीवरेज और जल निकासी प्रणाली के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग और निर्माण पर्यवेक्षण सहित परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं।





- मेदिनीनगर नगरपालिका के अंतर्गत शहरी जल आपूर्ति प्रणाली चरण-2, मेदिनीनगर की मौजूदा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का संशोधन, अंतिम डीपीआर के साथ एकीकरण और संवर्धन और सुदृढ़ीकरण हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) सेवाएं प्रदान करना।





- 3 यूएलबी अर्थात गिरिडीह, चास और जमशेदपुर (एनएसी क्षेत्र) की शहरी जल आपूर्ति के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण हेतु डीपीआर तैयार करना और पीएमसी प्रदान करना।



बालियाजोर डब्ल्यूटीपी झारखंड



इनटेक वेल, दुमका

- एनटीपीसी लिमिटेड की पकरी-बरवाडीह कोयला खदान के जलग्रहण जल के लिए अस्थायी विपथन नहर का निर्माण।
- अमृत 2.0 के तहत पूरे नगरपालिका क्षेत्र को कवर करते हुए गिरिडीह शहरी जल आपूर्ति योजना हेतु डिजाइन, इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन परामर्श।
- अमृत 2.0 के तहत पूरे नगरपालिका क्षेत्र को कवर करते हुए चास शहरी जल आपूर्ति योजना हेतु डिजाइन, इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन परामर्श।

➢ कर्नाटक

- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता विभाग (जल जीवन मिशन) की सेवा के लिए स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी।



क्षेत्र सत्यापन कार्य

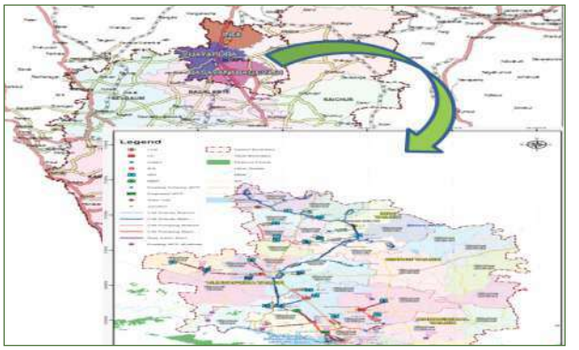


केएसआरडब्ल्यूएसपी कार्यक्रम और आईवीए सत्यापन प्रोटोकॉल के लिए स्पष्टीकरण

- कर्नाटक के ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग विजयपुरा प्रखंड द्वारा जेजेएम के तहत डिजाइन, निर्माण, संचालन और स्थनांतरण (डीबीओटी) मोड के माध्यम से उडुपी जिले में पेयजल आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु पीएमसी सेवाएं प्रदान करना।



ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य जारी है



110 एमएम पीएन6 पाइपलाइन का कार्य जारी

- ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग, उडुपी प्रभाग, कर्नाटक द्वारा जेजेएम के अंतर्गत 'डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (डीबीओटी)' पद्धति के माध्यम से उडुपी जिले में पेयजल आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु पीएमसी सेवाएं प्रदान करना।



ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य जारी है



110 एमएम पीएन6 एचडीपीई पाइपलाइन का कार्य जारी

- कर्नाटक के कोप्पल में 400.87 मेगावाट के लिए पीएमए - 196.87 मेगावाट (सौर) और 204 मेगावाट (पवन) हाइब्रिड विद्युत परियोजना।



स्थापित सौर मॉड्यूल



विंड टर्बाइन जनरेटर के निर्माण का कार्य प्रगति पर है

➢ केरल

- कोचीन बंदरगाह में नहरों और बेसिनों के रखरखाव के लिए ड्रेजिंग कार्य की निगरानी के लिए तृतीय पक्ष सत्यापन सह सर्वेक्षण एजेंसी।



बर्थ के साथ ड्रेजिंग की निगरानी करना



कुशल ड्रेजिंग के लिए डीहोपरिंग की निगरानी करना

- कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, कोच्चि, केरल के लिए पीएमसी।

➢ मध्य प्रदेश

- मध्य प्रदेश में विभिन्न बिजली संयंत्र स्थानों पर पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) की संभावनाओं का पता लगाने के लिए स्थल निरीक्षण परामर्श सेवाएं।



बिरसिंहपुर स्थल पर वाप्कोस अधिकारियों का दौरा



सारनी स्थल पर वाप्कोस अधिकारियों का दौरा

- स्मार्ट मीटरिंग/एएमआई परियोजना, मध्य प्रदेश के कार्यान्वयन के दौरान एमपीपीएमसीएल और डिस्कॉम की सहायता के लिए परियोजना कार्यान्वयन सलाहकार (पीआईसी)।



इंदौर, मध्य प्रदेश में वाप्कोस और डिस्कॉम अधिकारियों के साथ केएफडब्ल्यू जर्मनी द्वारा साइट का दौरा और उपभोक्ता बातचीत



एमपीपीएमसीएल कार्यालय, भोपाल में स्मार्ट मीटर पीआईसी -वाप्कोस, एमपीपीएमसीएल और केएफडब्ल्यू जर्मनी टीम के साथ बैठक और चर्चा



निर्माण परिसर में वाप्कोस और ग्राहक द्वारा स्मार्ट मीटर निरीक्षण



भोपाल में पीआईसी, टीकेसी, डिस्कॉम और केएफडब्ल्यू टीम के साथ साइट का दौरा

- फीडर पृथक्करण परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान एमपीपीएमसीएल और डिस्कॉम की सहायता के लिए परियोजना कार्यान्वयन सलाहकार (पीआईसी)।



घाना गांव में स्थापित ट्रांसफार्मर



दुदुम गांव में पोल निर्माण कार्य

- ईशानगर, मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र विस्तार योजना XXXIII (डब्ल्यूआरईएस- XXXIII) भाग – ग के लिए स्वतंत्र इंजीनियर परामर्श नियुक्ति।



ईशागनार डब्ल्यूआईपी में 765 केवी टॉवर नींव का कार्य



एसपीआर भवन निर्माण डब्ल्यूआईपी

- मध्य प्रदेश में अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन कार्य (पैकेज-I) के विकास के लिए स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में परामर्श सेवाएं प्रदान करना और गुणवत्ता निगरानी कार्य में सहायता करना।



जावरजोद साइट पर ई -05 132/33 केवी सबस्टेशन पर स्विचयार्ड उपकरण निर्माण का आकाशीय दृश्य



चौबराधीरा साइट पर ई -16 132/33 केवी सबस्टेशन में 50 एमवीए ट्रांसफार्मर का निर्माण

- जिला सिहोर (म.प्र.)विभिन्न पीडब्ल्यूडी पीआईयू विभाग के कार्य निर्माण उन्नयन के लिए एसक्यूसी।



पी. डब्ल्यू. डी. सिहोर के अंतर्गत आंतरिक गलियारे की ईंटों का पूर्ण अंतिम कार्य प्रगति पर



पीडब्ल्यूडी सिहोर के अंतर्गत प्रगति पर आंतरिक ईंट चिनाई कार्य

- जिला भोपाल (एमपी) में विभिन्न विभाग पीडब्ल्यूडी पीआईयू के लिए निर्माण उन्नयन हेतु एसक्यूसी।



पीडब्ल्यूडी भोपाल के अंतर्गत कॉलम सुदृढीकरण और स्टिल्ट फ्लोर के साथ निर्माणाधीन आरसीसी फ्रेमयुक्त भवन



पीडब्ल्यूडी भोपाल के अंतर्गत साइट पर सामग्री स्टॉक के साथ आरसीसी संरचनात्मक कार्य प्रगति पर

- जिला होशंगाबाद/नर्मदापुरम (म. प्र.) में विभिन्न विभाग पीडब्ल्यूडी पीआईयू के कार्य के लिए निर्माण उन्नयन हेतु एसक्यूसी।



पीडब्ल्यूडी होशंगाबाद/नर्मदापुरम के तहत बाहरी दीवार पर प्लास्टर का काम प्रगति पर



पीडब्ल्यूडी होशंगाबाद/नर्मदापुरम के तहत आरसीसी स्लैब हेतु सुदृढीकरण की व्यवस्था की जा रही है

- विभिन्न विभाग कार्य पीडब्ल्यूडी पीआईयू के लिए निर्माण उन्नयन के लिए एसक्यूसी, जिला देवास (म.प्र.)।



पीडब्ल्यूडी, देवास के तहत बीम और स्लैब सुदृढीकरण फिक्सिंग कार्य प्रगति पर है



पीडब्ल्यूडी, देवास के तहत बाहरी मुखौटा शटरिंग और सुदृढीकरण का काम प्रगति पर है

- जल जीवन मिशन मध्य प्रदेश के तहत एमपीपीएचईडी की आवश्यकता के अनुसार जनशक्ति की तैनाती के लिए प्लेसमेंट एजेंसी की सेवाएं प्रदान करना।



ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल व्यवस्था



निर्माण ओवरहेड टैंक जेजेएम पूरा हुआ

- एनएमसीजी के लिए ग्वालियर में मुरार नदी का पुनर्विकास।

➢ महाराष्ट्र

- पेंच जलविद्युत स्टेशन (2x80 मेगावाट), महाराष्ट्र के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए डीपीआर, निविदा दस्तावेज और पीएमसी तैयार करने हेतु परामर्श सेवाएं।



परियोजना स्थल पर वाप्कोस विशेषज्ञों का दौरा



परियोजना स्थल पर वाप्कोस विशेषज्ञों का दौरा

- औरंगाबाद क्षेत्र (8 जिले), नागपुर क्षेत्र (6 जिले) और अमरावती क्षेत्र (5 जिले) के लिए गांव/ब्लॉक/जिले में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत निष्पादित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना को तैयार करने, समीक्षा, पर्यवेक्षण और निगरानी हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करना।



योजना से संबंधित सूचना बोर्डों की स्थापना



गांव नायगांव, जिला : यवतमाल में ईएसआर



कार्यात्मक नल के पानी का कनेक्शन

- मुंबई में एमएमआरडीए के लिए मिठी नदी पर प्रस्तावित पैदल यात्री पुल के लिए एमओईएफ से सीआरजेड मंजूरी और एमओईएफ से वन मंजूरी के साथ पर्यावरण प्रभाव अध्ययन (ईआईए) तैयार करना।
- न्हावा यार्ड में एमडीएल के लिए जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत यार्ड हेतु ईआईए अध्ययन।
- पुणे में पीएमआरडीए के लिए इंद्रायणी नदी के लिए पीएफआर और डीपीआर तैयार करना।
- सांताक्रूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन (सीईईपीजेड), मुंबई हेतु पीएमसी।

➢ मणिपुर

- मणिपुर में कांगपोकपी जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू), आरसीएम बहु-सुविधा केंद्र का निर्माण।



छत का निर्माण



दूसरी मंजिल का निर्माण

➢ नागालैंड

- संशोधित सुधार लिंक परिणाम आधारित वितरण क्षेत्र योजना, नागालैंड।



एचटी गतिविधि के साथ लंबे एलटी नेटवर्क के प्रतिस्थापन के तहत डीटीआर और एबी केबल निर्माण कार्य पूर्ण



एचटी गतिविधि के साथ लंबे एलटी नेटवर्क के प्रतिस्थापन के तहत डीटीआर और एचटी लाइन निर्माण कार्य पूरा हुआ



टीकेसी के स्टोर पर प्राप्त आपूर्ति सामग्री



स्मार्ट मीटरिंग परियोजना के तहत फीडर स्मार्ट मीटर और डीटी स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर स्थापना कार्य पूर्ण

➢ ओडिशा

- ओडिशा राज्य के खुर्दा जिले में बालुगांव और पुरी जिले में कृष्णप्रसादगडा में रो-पैक्स जेट्टी और संबद्ध बुनियादी ढांचे का विकास कार्य हेतु पीएमसी।




बालुगांव और केपी गड़ा साइट पर जेट्टी स्लैब का कार्य पूर्ण

- केंद्र प्रायोजित पीएम-यशस्वी योजना के अंतर्गत ओडिशा के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास, एमएंडबीसीडब्ल्यू विभाग के लिए मयूरभंज, पुरी और संबलपुर में ओबीसी छात्रावास का निर्माण (चरण-1)।





समापन कार्य प्रगति पर है

- ओडिशा में राज्य क्षेत्र योजना के अंतर्गत एसटी और एससी विकास, एमएंडबीसीडब्ल्यू विभाग के लिए कुछ ओबीसी/अल्पसंख्यक छात्रावासों का निर्माण।



छत की मंजिल तक निर्मित संरचना का निष्पादन

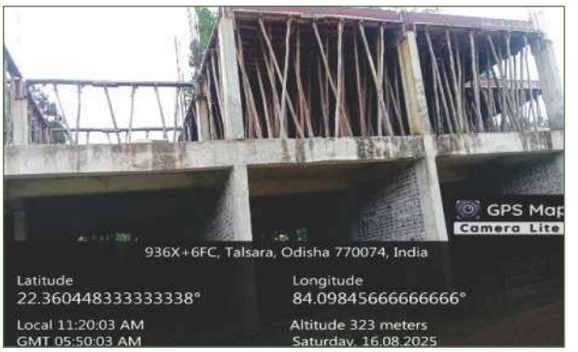


सुबर्णपुर में प्रथम तल तक निर्मित संरचना और दूसरी मंजिल के शटरिंग का कार्य प्रगति पर

- राज्य क्षेत्र योजना के तहत ओडिशा के एसटी और एससी विकास, एम और बीसीडब्ल्यू विभाग के लिए 120 सीटों वाले एसटी छात्रावासों का निर्माण।



कोटागाडा, कंधमाल में भूतल तक निष्पादित फ्रेम संरचना



तालसारा, सुंदरगढ़ में पहली मंजिल की छत के स्लैब की शटरिंग का कार्य जारी

- ओडिशा के सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के लिए रेवेनशॉ विश्वविद्यालय, कटक और उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में दिव्यांग छात्रों के लिए पीडब्ल्यूडी (दिव्यांगजन) छात्रावास का निर्माण।



उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में पीडब्ल्यूडी छात्रावास की पहली मंजिल तक निर्मित संरचना



कटक के रेवेनशॉ विश्वविद्यालय में 1 मंजिल तक तैयार संरचना का कार्य प्रगति पर

- सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ओडिशा के लिए जटनी, जिला खुर्दा में नेत्रहीन लोगों के लिए 120 बिस्तर वाले वृद्धावस्था गृह ब्लॉक-ए और 200 बिस्तर वाले छात्रावास (100 बालक और 100 बालिकाएं) ब्लॉक-बी का निर्माण।



नेत्रहीन लोगों के लिए 200 बिस्तरों वाले छात्रावास का निर्माण

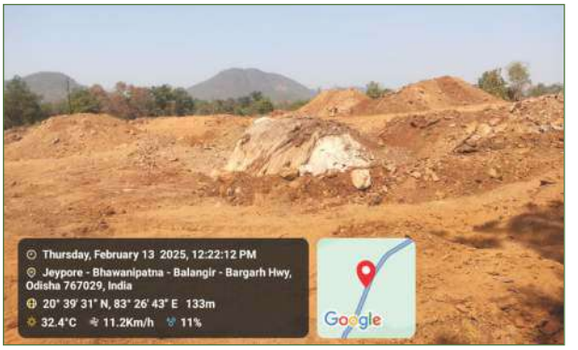


120 बिस्तर वाले वृद्धाश्रम का निर्माण

- सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ओडिशा के लिए ओडिशा राज्य के बलांगीर जिले में परिधीय विकास के साथ एकीकृत बुनियादी ढांचा परिसर (आईआईसी) का निर्माण।



डीजीपीएस के साथ भूमि ग्रेडिंग और समतलीकरण हेतु सर्वेक्षण



आईआईसी बलांगीर में पत्थर तोड़ने का कार्य प्रगति पर

- ओडिशा जल संसाधन विभाग के लिए रेंगाली सिंचाई परियोजना, चरण-II के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श।



आरडी 119.010 किमी पर सुपर पैसेज



कोरेई शाखा नहर के आरडी 8820 मीटर पर नहर लाइनिंग

- खारग जलविद्युत परियोजना (63 मेगावाट) के लिए बैंक योग्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।



साइट पर बोरहोल ड्रिलिंग



साइट पर क्लाइंट का दौरा

- बालीमेला जलविद्युत परियोजना (6 60 मेगावाट) के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण हेतु व्यापक अनुबंध प्रबंधन।



यूनिट हेतु थ्रस्ट पैड असेंबल करना



यूनिट - 5: बस डक्ट कनेक्शन हेतु तटस्थ साइड वॉल फ्रेम को ठीक करना

- निक्षेप कार्य के आधार पर चिप्पलिमा फोर-बे, स्पिलवे और सरप्लस एस्केप का मरम्मत और पुनर्वास कार्य।



ज़ोन -3 ए क्षेत्र का निर्माण



ज़ोन-1 क्षेत्र का निर्माण

- ओडिशा में यूआईएचईपी, मुखीगुडा, कालाहांडी, कार्यालय भवन का निर्माण।



भवन के सामने का दृश्य



पीछे की ओर प्लास्टर का काम

- राज्य केंद्रीय प्रयोगशाला, अरिलो, ओएमएफईडी, ओडिशा का निर्माण।



सम्पूर्ण भवन का दृश्य



भवन का साइड दृश्य

- ओडिशा के बारंग, अरिलो गोविंदपुर में ओएमएफईडी डेयरी में मक्खन और दही के लिए डीप फ्रीजर शेड का निर्माण।

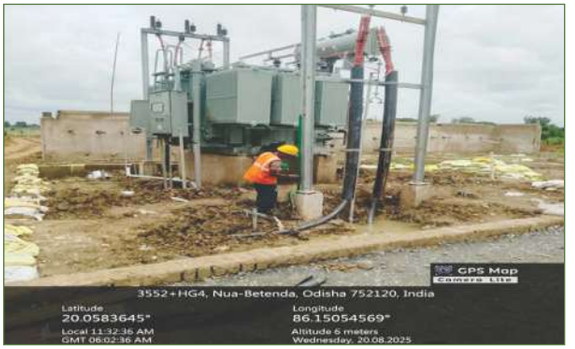


सामने का दृश्य



साइड का दृश्य

- ओडीएसएसपी चरण-IV के तहत टीपीसीओडीएल क्षेत्र में पीएमए की तैनाती।



बेटांडा पीएसएस में एबी स्विच अलाइनमेंट अर्थिंग का काम प्रगति पर



नागासपुर पीएसएस की 33 केवी लाइन में एचडीडी मशीन द्वारा यूजी कार्य प्रगति पर

- प्रस्तावित 33/11 केवी एस/एस और इसकी कनेक्टिंग लाइन, ओडीएसएसपी पीएच- , टीपीएसओडीएल के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी/परामर्श।



महुरीकलाउ पीएसएस का दृश्य



संकुलेई पीएसएस

- ओडिशा के राउरकेला में मंदिर बांध एसएचईपी 10 मेगावाट लघु जलविद्युत परियोजना हेतु पीएमसी।



जीएसपीसीएल अधिकारियों की उपस्थिति में खोदे गए एप्रोच कंड्यूट क्षेत्र स्तर की जांच



सर्ज टैंक उत्खनन क्षेत्र के लिए जीएसपीसीएल अधिकारियों का स्थल दौरा

- ओडिशा में बरहामपुर सर्कल चरण 1 में विभिन्न परियोजनाओं के लिए मेगा पीडब्ल्यूएस से संबंधित ग्रामीण पाइप जलापूर्ति परियोजना का निष्पादन।



कच्चे पानी के चैनल और सीएलएफ-1 और 2 के साथ। गोलामुंडा ब्लॉक डब्ल्यूटीपी @ बोरगुडा फोटो एरेटर



जयपाटना ब्लॉक, डब्ल्यूटीपी @ मंगलपुर सभी घटकों का आकाशीय फोटो

- ओडिशा के बरहामपुर सर्कल चरण 2 में विभिन्न परियोजनाओं के लिए मेगा पीडब्ल्यूएस से संबंधित ग्रामीण पाइप जलापूर्ति परियोजना का निष्पादन।



गुडीपादर ईएसआर में कार्य प्रगति पर



भंजननगर के सुनापल्ली ईएसआर में बॉटम डोम स्टेजिंग का कार्य जारी

- ओडिशा के बलांगीर सर्कल में विभिन्न परियोजनाओं के लिए मेगा पीडब्ल्यूएस से संबंधित ग्रामीण पाइप जलापूर्ति परियोजना का निष्पादन।



गोलामुंडा ब्लॉक, फरांग ओएचटी क्षमता 420केएल, 15 मीटर ऊंचाई



महिचला जी.पी. ओएचटी, जूनागढ़ ब्लॉक टॉप डोम कंक्रीट का कार्य जारी

- गंगाधर मेहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, बीजेपुर, अतिरिक्त अयाकट (एजेंसी-एमएस/एसएलसीईएसपीएल)।



अतिरिक्त अयाकट पंप हाउस बैक व्यू



सयान पीएच साइट का दौरा और निरीक्षण

- गंगाधर मेहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना आरईएसीएच-1, ईपीसी-एलएंडटी ओडिशा हेतु परामर्श सेवाएं।



टुरुंगा पंप हाउस का हवाई दृश्य



हेड वर्क्स एल एंड टी के तहत बटरफ्लाई वाल्व रखरखाव कार्य प्रगति पर

- गंगाधर मेहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना आरईएसीएच-II, ईपीसी-एमईआईएल ओडिशा हेतु परामर्श सेवाएं।



कान्हापल्ली पंप हाउस का हवाई दृश्य



कान्हापली पंप हाउस के भीतर का दृश्य

➢ राजस्थान

- राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग के लिए आईजीएनपी-चरण-1, हनुमानगढ़ के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और सामाजिक और पर्यावरण प्रबंधन योजना का विकास और डब्ल्यूआरडीपी परियोजना के तहत इसके कार्यान्वयन की निगरानी।
- राजस्थान आरईजेड पीएच- (भाग 1) (बीकानेर कॉम्प्लेक्स भाग) के लिए ट्रांसमिशन परियोजना का स्वतंत्र इंजीनियर: भाग – क।



उपकरण संस्थापन - डब्ल्यूआईपी



765 केवी टीएल टॉवर फाउंडेशन - डब्ल्यूआईपी

- राजस्थान आरईजेड पीएच चतुर्थ भाग 1 बीकानेर परिसर भाग ग से बिजली निकालने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम के संबंध में स्वतंत्र अभियंता।



765केवी बीकानेर -2 नेमारना -3 तक लोको नंबर-एपी1ए से एपी1बी स्ट्रिंगिंग कार्य पूर्ण

➢ तमिलनाडु

- एनसीबी III के सामने डॉक बेसिन की ड्रेजिंग और वी.ओ.सी.पी.ए. में पोर्ट प्रवेश द्वार और टर्निंग सर्कल के चौड़े हिस्से में ड्रेजिंग के लिए पीएमसी सेवाएं।



एनसीबी-3 से कंक्रीट के खंभों को उठाने का दृश्य



फ्लोटिंग पाइपलाइन असेंबलिंग कार्य

- तमिलनाडु सरकार के जल संसाधन विभाग के लिए तिरुनेलवेली जिले के नंगुनेरी तालुक में नंगुनेरी नहर को चौड़ा करने सहित नंगुनेरियनकल से 46 टैंकों के भरण हेतु नंगुनेरी बिग टैंक के नीचे बाईपास चैनल की खुदाई के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन और इसकी मंजूरी।
- तमिलनाडु सरकार के जल संसाधन विभाग के लिए कन्याकुमारी जिले के तोवलई तालुक के ग्नालाम गांव में तडावैयार नदी पर जलाशय के निर्माण की योजना हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन और मंजूरी प्राप्त करना।
- तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में इसैयानविलाई तालुक में नाम्बियार नदी पर डायवर्शन वियर के निर्माण और बाढ़ के पानी को कुट्टम और आसपास के क्षेत्रों में मोड़ने के लिए एक नई नहर की खुदाई के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन और मंजूरी।

- तमिलनाडु सरकार के जल संसाधन विभाग के लिए कन्याकुमारी जिले में कोडेयार प्रणाली के तोवलाई चैनल के भरण हेतु अझगियापंडिपुरम गांव में उलाक्कारुवैर में जलाशय के निर्माण के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन और स्वीकृति।
- तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के चेरनमहादेवी तालुक के थेरक्कुवीरवनल्लूर गांव के पास वल्लिमलाईओदाई में जलाशय के निर्माण हेतु तमिलनाडु सरकार के जल संसाधन विभाग के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन और स्वीकृति।
- तुननेलवेली जिले के अम्बासमुद्रम तालुक के विक्रमसिंगपुरम गांव में कोरैयार नदी पर जलाशय के निर्माण हेतु तमिलनाडु सरकार के जल संसाधन विभाग के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन और मंजूरी।
- तेन्कासी जिले के कडायानाल्लूर तालुक के मेलापुलियांगुडी गांव में वलमालयार में जलाशय के निर्माण हेतु तमिलनाडु सरकार के जल संसाधन विभाग के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन।
- तूतीकुड़ी नगर निगम में एडीबी के तहत तूफान जल निकासी प्रणाली (पैकेज - 1-4) के कार्यान्वयन हेतु तूतीकुड़ी नगर निगम के लिए अनुबंध प्रबंधन और पर्यवेक्षण परामर्श सेवाएं।

➢ त्रिपुरा

- त्रिपुरा के विभिन्न भागों में 98 एमआई योजनाओं के लिए वर्षा जल भंडारण जलाशय हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।



बांध का स्थान 1



बांध का स्थान 2

- त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित त्रिपुरा विद्युत उत्पादन उन्नयन और वितरण विश्वसनीयता सुधार परियोजना (टीएसईसीएल) के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन सलाहकार (पीआईसी)।





➢ उत्तराखंड

- वीपीएचईपी में 03 वर्षों के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) की निगरानी और मूल्यांकन हेतु तृतीय पक्ष।



मौसम स्टेशन



जलीय पारिस्थितिकी नमूनाकरण



ध्वनि की निगरानी



परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी

- बद्रीनाथ, उत्तराखंड में एनएमसीजी और इंडोरमा चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए डीपीआर तैयार करना और घाट का निर्माण।
- गंगोत्री, उत्तराखंड में एनएमसीजी और इंडोरमा चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए डीपीआर तैयार करना और घाट और श्मशान का निर्माण।
- हरिद्वार के अजीतपुर में एनएमसीजी के लिए घाट का निर्माण।

➢ उत्तर प्रदेश

- उत्तर प्रदेश में मऊ से तारिघाट तक नई बीजी लाइन के निर्माण के संबंध में गाजीपुर और तारिघाट के बीच गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल के लिए अधोसंरचना, अधिरचना और नदी प्रशिक्षण/संरक्षण कार्यों के निर्माण हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं।



गाजीपुर रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन



गाजीपुर रेल सह सड़क पुल की आधारशिला समारोह

- टोरेंट पावर लिमिटेड के लिए सशनई (1760 मेगावाट पीएसपी, उत्तर प्रदेश) के लिए ईआईए अध्ययन करने और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) से मंजूरी प्राप्त करने हेतु एक सलाहकार की नियुक्ति।
- टोरेंट पावर लिमिटेड के लिए शोमा (2400 मेगावाट) पीएसपी, उत्तर प्रदेश के लिए ईआईए अध्ययन करने और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) से मंजूरी प्राप्त करने हेतु एक सलाहकार की नियुक्ति।
- उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्यबल की तैनाती।
- संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यान्वयन कार्यों के लिए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल), आगरा को परियोजना प्रबंधन में सहायता और सहयोग प्रदान करना।



डीटी मीटर की स्थापना



स्मार्ट मीटर स्थापना के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान

- संशोधित सुधार आधारित और परिणाम लिंक वितरण क्षेत्र योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग कार्यान्वयन कार्यों के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पूवीवीएनएल), वाराणसी के लिए परियोजना प्रबंधन में सहायता और सहयोग प्रदान करना।





स्मार्ट मीटर हेतु फील्ड संस्थापन और एकीकरण परीक्षण

➢ पश्चिम बंगाल

- हावड़ा नगर निगम की व्यापक तूफान जल निकासी योजना के लिए मास्टर प्लान तैयार करना।





प्रस्तावित पीएस के लिए स्थान की पहचान करने हेतु संयुक्त स्थल दौरा

- पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल प्रमुख सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजना (डब्ल्यूबीएमआईएफएमपी) हेतु निगरानी और मूल्यांकन (एम एंड ई) सलाहकार।



नहर सिंचाई की निगरानी के लिए क्लाइंट के साथ साइट का दौरा



विश्व बैंक के साथ मध्यावधि समीक्षा बैठक

संघ राज्य क्षेत्र

➢ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

- सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के कैम्पबेल बे में भारतीय तटरक्षक बल के लिए जेट्टी और संबद्ध के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।



प्रस्तावित जेट्टी का स्थान
(मौजूदा पीएमबी जेट्टी से सटा हुआ)



कैंपबेल बे में सर्वेक्षण और भू-तकनीकी जांच

➢ दिल्ली

- दिल्ली में कोंडली में मौजूदा 45 एमजीडी (204.3 एमएलडी) एसटीपी का पुनर्वास।





परियोजना स्थल के फोटो

- मौजूदा 10 एमजीडी एसटीपी यमुना विहार, दिल्ली का पुनर्वास।



वातन टैंक



रिएक्टर बेसिन

- व्यापक वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (दिन-प्रतिदिन) और विशेष मरम्मत जिसमें सभी सिविल कार्य, आंतरिक और बाहरी विद्युत कार्य आदि शामिल हैं, जैसा कि नई एसपीजी परिसर, द्वारका सेक्टर -21, नई दिल्ली के निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया गया है।

➢ लद्दाख

- पीएचक्यू एग्लिंग, लेह में विभिन्न पुलिस बुनियादी अवसंरचनाओं का निर्माण।



04 टाइप IV (एस) आवासीय क्वार्टर ब्लॉक ए और बी



ब्लॉक ए (जी + 2) 6 टाइप II आवासीय क्वार्टर



शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ब्लॉक ए और बी



आंतरिक सड़कें

- फ्यांग, लेह में निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र की स्थापना और निर्माण।



निरीक्षण शेड



सभी उपकरणों के साथ लाइट कमर्शियल व्हीकल टेस्टिंग लेन

- लेह और कारगिल में खेल परिसरों का निर्माण।



बहु स्तरीय कार पार्किंग, लेह पीसीसी कार्य प्रगति पर



ट्रस स्तर तक खम्ब लगाने का कार्य, लेह



प्रतिधारक दीवार और नींव भरने का कार्य प्रगति पर, कारगिल



नींव भरने का कार्य प्रगति पर

14. मानव संसाधन प्रबंधन

मानव संसाधन प्रबंधन समग्र प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है। कंपनी की मुख्य संपदा होने के कारण कर्मचारियों को तेजी से बदलती तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है।

31 मार्च 2025 को कंपनी में नियमित कर्मचारी क्षमता 874 है। इसके अलावा, भारत और विदेशों में परियोजना कार्यों की आवश्यकता के अनुसार अनुबंधित कर्मचारी परामर्शदाता, प्रतिनियुक्ति और विशेषज्ञों को रखा जाता है। ऐसे विशेषज्ञों के पास मौजूद तकनीकी ज्ञान को कंपनी ने अपने इंजीनियरों में स्थानांतरित किया है ताकि उन पर निर्भरता को कम किया जा सके।

कंपनी में युवा कर्मचारियों के बड़े अनुपात को ध्यान में रखते हुए, कंपनी में जनसांख्यिकीय बदलाव देखा है। कर्मचारियों में अपनेपन की भावना पैदा करने और उत्साहवर्धन हेतु, मानव संसाधन प्रभाग ने विभिन्न उपाय किए हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, कंपनी के टर्नओवर में वृद्धि हुई है। मानव संसाधन प्रभाग श्रमशक्ति में सीमित वृद्धि के साथ अपने विभिन्न प्रयासों के माध्यम से अपने कर्मचारियों की क्षमता का अधिकतम लाभ उठाने और कर्मचारियों को प्रेरित करके कार्य प्रतिबद्धताओं में वृद्धि को प्राप्त करने में सफल रहा है।

एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/पूर्व-सैनिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति

कंपनी आरक्षण नीतियों के संबंध में भारत सरकार ('सरकार') के दिशानिर्देशों/ अनुदेशों का पालन करती है। तदनुसार, अनुसूचित जाति अनुचित अनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण के मामलों के संबंध में सरकार के दिशानिर्देश/अनुदेश और पूर्व सैनिकों की नियक्ति के लिए कपनी में भर्ती और पदोन्नति के दौरान ध्यान दिया गया/दिया जाता है। इन वगों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे को उचित तरीके से पालन करने से संबंधी दिशानिर्देश के अनुसार रोस्टर अनुरक्षित किया जाता है। चयन समिति में कमजोर वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान सेवा मामलों में सरकारी निर्देशों के अनुसार कंपनी ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के स्तर को भी बनाए रखा है।

वर्ष के दौरान, पात्र अभ्यर्थियों के नामांकन/ आवेदन आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा पदों को अधिसूचित कर भती प्रक्रिया चलाई गई थी। अधिकांश पदों पर चयन कर लिया गया है और चयनित अभ्यर्थियों ने कंपनी में पदभार ग्रहण कर लिया है।

कंपनी में भर्ती के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 बिंदु कार्यक्रम में दिए गए निर्देशों/मार्गदर्शिकाओं का अनुपालन किया जाता है। तदनुसार, चयन प्रक्रिया के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। सभी नियुक्तियों को रिक्तियों को अंग्रेजी और हिंदी के अलावा उन भाषाओं में भी, जो राज्य/संघ क्षेत्र में बड़ी संख्या में बोली जाती हैं, समाचार पत्रों और वाप्कोस वेबसाइट पर प्रकाशन के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है। यहां तक कि चयन बोर्ड में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर भी उचित ध्यान दिया गया है।

दिव्यांगजनों की नियुक्ति

कंपनी में दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।

कंपनी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूबीएमडी/भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित आरक्षण नीतियों पर सरकार के दिशा-निर्देशों निर्देशों को लागू करने और उनकी शिकायतों का निवारण करने हेतु एक अलग संपर्क प्रकोष्ठ स्थापित है। सरकार के निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए एक अलग संपर्क अधिकारी नियुक्त किया है जो ओबीसी संबंधी आरक्षण नीति पर सरकार के दिशा-निर्देशों/निर्देशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जाता है। संगठन में बहुत सी महिला कार्मिक महत्वपूर्ण पदों पर पदासीन हैं। कंपनी में कैरियर विकास और उन्नति हेतु महिलाओं को उच्च्च अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। उनके योगदान को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष महिला दिवस मनाया जाता है।

महिलाओं के लिए शिकायत तंत्र

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायत से निपटने के लिए कंपनी में एक शिकायत तंत्र स्थापित किया गया है। इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए इसके सदस्यों द्वारा इसकी आवधिक बैठकें आयोजित की जाती है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम, 2013

क्र.सं.	अपेक्षित विवरण	उत्तर
	कंपनी ने महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति बनाने से जुड़े नियमों का पालन किया है, साथ ही नीचे दी गई जानकारी भी दी गई है:	
(क)	वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या;	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या; और	शून्य
(ग)	नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	शून्य

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

महिला कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करने और केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप सीपीएसई की महिला कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाओं में एकरूपता बनाए रखने के लिए, वाप्कोस ने डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार वाप्कोस की महिला कर्मचारियों को भी यह सुविधा प्रदान की है।

छात्रवृत्ति योजना

कंपनी की नीति के अनुसार, 24000-82000 रुपये या उससे नीचे के वेतनमान पर काम करने वाले कर्मचारियों के 24 बच्चों, जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, प्रत्येक को योग्यता के क्रम में एक वर्ष की अवधि के लिए 1500/- रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

उर्जा संरक्षण

एक परामर्शी संगठन होने के नाते, वाप्कोस के संचालन में ऊर्जा की कोई विशेष खपत नहीं होती है। हालाँकि, जहाँ भी संभव हो, एलईडी बल्बों और ऊर्जा बचत बाले उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने समग्र जलवायु क्षेत्र में स्थित वाप्कोस लिमिटेड, गुड़गांव कार्यालयको बीईई 4 (**) लेबल प्रदान किया है।

कर्मचारी शिकायत निवारण

कंपनी द्वारा स्थापित शिकायत प्रकोष्ठ, कंपनी में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की दिन-प्रतिदिन की शिकायतों के तत्काल निवारण हेतु कार्य कर रहा है। कंपनी द्वारा नामित निदेशक (कर्मचारी/लोक शिकायत) को शिकायतों के संबंध में फाइलों/कागजातों को मंगाने और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की मंजूरी के साथ इसके निपटान संबंधी निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान की गई है। शिकायतों का निवारण करने के लिए निदेशक (कर्मचारी/लोक शिकायत) प्रत्येक बुधवार को व्यक्तिगत रूप से शिकायतों को सुनने के लिए उपलब्ध रहते हैं।

15. वाप्कोस में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर निरंतर बल दिया गया।

हिन्दी पखवाड़ा

- अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के मार्गदर्शन में वाप्कोस में दिनांक 14.09.2024 से 29.09.2024 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। वाप्कोस के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया गया कि वे अपना आधिकारिक कार्य हिंदी में करें ताकि उन्हें भविष्य में अधिकतम आधिकारिक कार्य हिंदी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कंपनी में अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके। हिंदी पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया:

  - ❖ हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता
  - ❖ चित्र अभिव्यक्ति प्रतियोगिता
  - ❖ राजभाषा नीति ज्ञान प्रतियोगिता
  - ❖ हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता (केवल समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए)

  हिन्दी पखवाड़े के दौरान, उक्त प्रतियोगिताओं के अलावा निम्नलिखित दो योजनाएं भी लागू की गईं :

  क) विशेष अल्पकालिक राजभाषा नकद पुरस्कार योजना (टिप्पण/ लेखन)

  ख) हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टंकण में कार्य करने की विशेष अल्पकालिक नकद पुरस्कार योजना।








हिन्दी पखवाड़ा 2024

❖ इस हिंदी पखवाड़े के दौरान, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (विराकास) की एक बैठक भी आयोजित की गई।

राजभाषा निरीक्षण

- संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा दिनांक 25.10.2024 को वाप्कोस के भुवनेश्वर कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया गया।





- संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा दिनांक 06.01.2025 को पुडुचेरी में वाप्कोस के चेन्नई कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया गया।





- संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति ने दिनांक 14 फरवरी, 2025 को शौर्य, सीआरपीएफ, बसंत कुंज, नई दिल्ली में आयोजित विचार-विमर्श कार्यक्रम में नराकास गुरूग्राम, सोनीपत, भिवानी और नराकास दिल्ली के कुछ सदस्य कार्यालय के साथ चर्चा की।

- कार्यालयी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने हेतु, जल शक्ति मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा वाप्कोस कार्यालय का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता रहा है। इसी के अनुपालन में, श्री विजय सिंह मीना, निदेशक, राजभाषा, जल शक्ति मंत्रालय ने 06 नवंबर 2024 को वाप्कोस के गुरुग्राम कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया। इस दौरान, उन्होंने वाप्कोस कार्यालय में राजभाषा हिंदी से संबंधित अधिनियमों और नियमों का अनुपालन की समीक्षा की और कार्यालय में राजभाषा के प्रगतिशील विकास हेतु किए जा रहे कार्यों की सराहना की।





विराकास बैठकें/कार्यशालाएं

- वर्ष 2024-25 के दौरान, श्री प्रदीप कुमार, वरि. कार्यकारी निदेशक (रा.भा.का.) की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठके प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की गई।

- वर्ष 2024-25 के दौरान, वाप्कोस में प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओ का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में व्याख्यान देने हेतु जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। इन कार्यशालाओं में निम्नलिखित विषयों पर व्याख्यान दिए गए और व्यावहारिक अभ्यास कराए गए:-

  - ❖ वायस टाइपिंग
  - ❖ राजभाषा नियमों/अधिनियमों के बारे में जानकारी
  - ❖ कार्यालय कामकाज में हिन्दी के उपयोग से संबंधित नियमों और कार्यालयी कामकाज में हिन्दी की मूलभूत जानकारी और व्यावहारिक पत्राचार संबंधी जानकारी
  - ❖ टिप्पण और प्रारूपण का व्यवहारिक अभ्यास

  कर्मचारियों ने इन कार्याशालाओं में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

नराकास गतिविधियां

- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गुरुग्राम की वर्ष 2024 की पहली अर्धवार्षिक बैठक दिनांक 23.07.2024 को वाप्कोस के गुरुग्राम कार्यालय में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गुरुग्राम के अध्यक्ष और वाप्कोस लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। नराकास, गुरुग्राम के सदस्य कार्यालयों के प्रमुख या उनके प्रतिनिधि और हिंदी अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गुरुग्राम की वर्ष 2024 की दूसरी अर्धवार्षिक बैठक दिनांक 20.12.2024 को वाप्कोस के गुरुग्राम कार्यालय में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गुरुग्राम के अध्यक्ष और वाप्कोस लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। नराकास, गुरुग्राम के सदस्य कार्यालयों के प्रमुख या उनके प्रतिनिधि और हिंदी अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

क्षेत्रीय कार्यालयों के विभागीय निरीक्षण

- राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए, चेन्नई कार्यालय, भुवनेश्वर कार्यालय, भोपाल कार्यालय, बेंगलुरु कार्यालय और जयपुर कार्यालय के राजभाषा निरीक्षण श्री आशीष त्यागी, प्रमुख (रा.भा.का.) द्वारा क्रमशः दिनांक 11.06.2024, 16.10.2024, 12.11.2024, 13.12.2024 और 18.02.2025 को किए गए।

विविध

- वर्ष के दौरान, विभिन्न प्रकार की तकनीकी रिपोर्ट, वाप्कोस प्रस्तुति, वाप्कोस संगठन चार्ट, विभिन्न कार्य आदि द्विभाषी रूप में तैयार किए गए।
- वर्ष के दौरान, वाप्कोस की हिन्दी गृह पत्रिका 'वाप्कोस दर्पण' का नियमित रूप से प्रकाशन किया गया।
- कम्पनी का समझौता ज्ञापन द्विभाषी रूप में तैयार किया गया।
- हिंदी में काम करने की सुविधा की दृष्टि से अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक सहायक सामग्री उपलब्ध कराई गई।
- जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति हेतु वाप्कोस के प्रस्तुतीकरण और वाप्कोस की कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के विवरण हिंदी में तैयार किये गए।
- परियोजना रिपोर्टों के कार्यकारी सार हिन्दी में तैयार किए गए।
- राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
- अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना अधिकांश कार्य हिन्दी में करने हेतु प्रेरित, प्रोत्साहित और उत्साहित करने के प्रयास भी किए गए।

16. सतर्कता

केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई के अधिदेश के साथ और सतर्कता प्रशासन पर सामान्य पर्यवेक्षण हेतु एक शीर्ष समेकित संस्था है। आयोग भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई में बहु-दीर्घकालिक पद्धति को अपनाता है जिसमें निवारक, दंडात्मक और सहभागी सतर्कता उपाय शामिल हैं। देश के नागरिकों में सत्यनिष्ठा की भावना को विकसित करने के एक प्रयास के रूप में, आयोग विभिन्न हितधारकों को विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न भ्रष्टाचार विरोधी उपायों में सामूहिक रूप से भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करता है।

इस संबंध में, केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिनांक 01.08.2024 के परिपत्र 08/08/2024 (सं. 024/VGL/081/36147) के माध्यम से सूचित किया गया कि आयोग ने इस वर्ष "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" (Culture of Integrity for Nation's Prosperity) के विषय के साथ दिनांक 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2024 को मनाने का निर्णय लिया है।

इससे पहले आयोग ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि इस वर्ष, 2024 के जागरूकता सप्ताह से पूर्व, सभी संगठन निम्नलिखित निवारक सतर्कता उपायों के साथ तीन महीने का अभियान (16 अगस्त, 2024 से 15 नवंबर, 2024 तक) संचालित करें:

क. क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ख. प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन

ग. परिपत्र/दिशानिर्देश/मैनुअल का अद्यतीकरण

घ. 30-06-2024 से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटान

ड. गतिशील डिजिटल मौजूदगी

वाप्कोस के सतर्कता अनुभाग, आयोग द्वारा यथानिर्देशित सभी उपायों की सम्बंधित विभागों के साथ समीक्षा की और यह सुनिश्चित करते हुए कि निवारक सतर्कता उपाय किए गए, संबंधित विभागों से 15 दिनों की अनुपालन रिपोर्ट एकत्र की गई।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित उल्लेखनीय उपलब्धियाँ पाई गई:

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

क. सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, डीएमआरसी ने 3 महीने की अभियान अवधि के दौरान निम्नलिखित 6 विषयों पर प्रत्येक बुधवार को 'क्षमता विकास कार्यक्रम' आयोजित किए।

1) नैतिकता और अभिशासन
2) आचार संहिता
3) संगठन की प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ
4) साइबर स्वच्छता और सुरक्षा
5) प्रापण
6) निवारक सतर्कता

चूँकि इस कार्यक्रम में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/संस्थान भाग ले सकते थे, वापकोस ने दिनांक 16.10.2024 को दिल्ली मेट्रो रेल अकादमी, नई दिल्ली में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लिया।

ख. वाप्कोस एवं एनपीसीसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने वाप्कोस के सतर्कता अनुभाग के दो अधिकारियों के साथ 3 माह की अभियान अवधि के दौरान दिनांक 20.09.2024 और 21.09.2024 को राज्य बैंक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद में "CVO द्वारा CTE प्रकार की परीक्षा" पर आयोजित 2-दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया।

ग. वाप्कोस एवं एनपीसीसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने दिनांक 15.10.2024 को इंडिया हैबिटैट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया। इसमें श्री अनिश प्रसाद, आईपीएस, ईडी/सतर्कता (पुलिस), रेलवे बोर्ड ने "साइबर सुरक्षा" पर व्याख्यान दिया।

ङ. मानव संसाधन विभाग से अनुरोध किया गया कि वे नए शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम और जिन्होंने दस या अधिक वर्षों की सेवा पूरी कर ली है उनके लिए सीवीसी द्वारा यथाइच्छित विषयों पर पारेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें।

च. दिनांक 19.11.2024 को GeM के माध्यम से खरीददारी विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान लगभग 105 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वाप्कोस लिमिटेड के GeM विभाग द्वारा गुरुग्राम कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया।

छ. वाप्कोस एवं एनपीसीसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने दिनांक 28-10-2024 को स्कोप कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में "वाप्कोस एवं एनपीसीसी में निवारक सतर्कता का प्रभाव" विषय पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने संगठन की समझ और विकास के लिए आवश्यक विभिन्न क्षमता निर्माण प्रशिक्षणों के महत्व पर जोर दिया।

पहचान, सुधार और प्रणालीगत सुधारों का कार्यान्वयन

i) भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील चार क्षेत्रों की पहचान की गई है, जैसा कि नीचे संक्षिप्त विवरण के साथ बताया गया है।

- एनआईटी और अनुबंध शर्तों के बीच विचलन – एनआईटी की शर्तों के साथ किए गए अनुबंध और बाद में जिनमें संशोधित किया गया। एनआईटी/आरएफक्यू शर्तों का उल्लंघन करने वाले अनुबंध की शर्तें। अनुबंध में उन शर्तों को शामिल करके संशोधन किया गया है, जो विज्ञापित और प्रस्ताव आमंत्रित करने से पूर्व स्पष्ट की गई शर्तों के परे हैं।
- डाटा सुरक्षा का उल्लंघन - गलत लाभार्थी विवरण शामिल करके भुगतान वाउचर में छेड़छाड़ की गई।

कुछ मामलों में संगठन को हानि पहुंचाने के साथ सरकारी धन की हेराफेरी देखी गई।

- जाली/नकली बैंक गारंटियों प्रस्तुत करना - ठेकेदार द्वारा नकली बैंक गारंटियां (बीजी) प्रस्तुत की गई। एक मामले में, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बीजी किसी तीसरे पक्ष के नाम पर थी, समझौते अंतर्गत जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी।
- परामर्शदाताओं/ अनुबंध कर्मचारियों की भर्ती और उन्हें रखा जाना - भर्ती दिशा-निर्देशों से विचलन में पात्रता शर्तों में छूट, चुने गए अभ्यर्थियों के कार्य अनुभव और प्रमाण पत्रों की जांच सुनिश्चित नहीं की गई। ऐसे मामले देखे गए जहां पाया गया कि आवेदक को पहले के विभाग द्वारा पहले ही दंडित किया गया था, सेवा में शामिल होने के समय वीसी उपलब्ध नहीं था अथवा गलत अनुभव विवरण प्रस्तुत किए गए थे।

ii) अभियान अवधि के दौरान भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को सुव्यवस्थित करने हेतु कार्यान्वित किए गए प्रणालीगत सुधार।

तीन महीने की अभियान अवधि के दौरान, मानव संसाधन विभाग को निम्नलिखित प्रणालीगत सुधार कार्यान्वित करने के निर्देश दिए गए :

1. अनुबंध कर्मचारियों का चयन और सेवा समाप्ति

I. वाप्कोस में डेटा बैंक के संदर्भ में तैयारी और प्रक्रिया पर मानकीकृत दिशानिर्देश (एसओपी/ नियमावली) तुरंत तैयार और कार्यान्वित की जानी चाहिए। इनमें विभिन्न विभागों द्वारा आवश्यक विभिन्न श्रेणियों के रोजगारों और कौशल आवश्यकताओं हेतु विशिष्ट रोजगार अनुमानों के संबंध में न्यूनतम उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान किए जाने संबंधी कार्यप्रणाली शामिल होनी चाहिए।

II. अभ्यर्थियों द्वारा ई आवेदन जमा कराने की एक प्रणाली का कार्यान्वयन।

III. बदलते व्यापारिक परिदृश्य और तकनीकी श्रम शक्ति की शीघ्र आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नलिखित के लिए वाप्कोस आरएंडपी नियम 2005 (संशोधित 2012) को तुरंत संशोधित किया जाना चाहिए:

क. रोजगार रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन जारी करने के लिए मानकीकृत और एक समान दिशानिर्देशों का निर्माण, जिसमें रिक्तियों की संख्या सहित प्रत्येक विज्ञापित पद से संबंधित पद-विशिष्ट विवरण और पारिश्रमिक विवरण के साथ आवश्यक अर्हताएं, अनुभव और आयु सीमा शामिल हो।

ख. चयन समितियों द्वारा साक्षात्कार या कौशल परीक्षण के आयोजन के दौरान अनुसरण किए जाने वाली प्रक्रिया और पात्रता मानदंडों पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करने के लिए लक्षित रिकॉर्डिंग की कार्यप्रणाली हेतु मानकीकृत और एक समान दिशानिर्देशों का निर्माण।

घ. शैक्षिक योग्यता, अनुभव और तकनीकी कौशल आदि जैसे पात्रता मानदंडों के आधार पर, यदि लागू हो, तो संविदात्मक कर्मचारियों के लिए वेतनमान के निर्धारण सहित मूल वेतन की सिफारिश करने हेतु मानकीकृत और समान दिशा-निर्देशों का निर्माण।

ङ. स्पष्ट रूप से पूर्व अनुमोदन के चरणों को सक्षम/प्राधिकृत प्राधिकारी के संज्ञान हेतु प्रत्येक मामले की समीक्षा के लिए अंतिम रखे जाने संबंधी आदेश जारी करने से पूर्व की जांच सूची, संविदा वेतनमान कर्मचारियों के जिसमें वेतन समायोजन और पदोन्नति के मानदंड सहित पुनः पदनामित करने संबंधी दिशानिर्देशों का निर्माण एवं तत्काल प्रभाव से अपनाया जाना ताकि किसी चुनिंदा किसी प्रकार का अनुचित लाभ न मिले।

2. अन्य

i) समय पर रिकॉर्ड की उपलब्धता हो और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अनुरक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों के साथ प्रत्येक विभाग में रिकॉर्डकीपिंग के लिए जिम्मेदार अधिकारी की पहचान।

ii) सुपरिभाषित सामान्य शर्तों और अनुबंध की विशेष शर्तों सहित एनआईटी के मुद्दों के लिए मानक टेम्पलेट का निर्माण और इसे अपनाया जाना। इसे मंजूरी दी जानी चाहिए।

iii) सभी कर्मचारियों के संदर्भ के लिए सभी परिपत्रों और एसओपी को वाप्कोस सर्वर पर अपलोड करना, जो सभी तक आवश्यक जानकारी के प्रसार में मदद करेगा और अनजाने में लिए जाने वाले निर्णयों की किसी भी संभावना को टालने में सहायक होगा।

iv) जहां किसी विशेष विषय पर वाप्कोस के दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं हैं, वहां डीओई/सीपीडब्ल्यूडी के आदर्श सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

परिपत्रों/दिशा-निर्देशों/नियमावलियों का अद्यतीकरण

- मानव संसाधन विभाग से वाप्कोस में पहले से जारी दिशानिर्देशों/परिपत्रों को संकलित करने को कहा गया।
- मानव संसाधन विभाग विभाग से नवंबर, 2023 से अब तक के सभी प्रासंगिक दिशानिर्देश/परिपत्र एकत्र किए गए और सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2022 के दौरान जारी कार्यालय आदेश/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के संकलन को अद्यतन किया गया।
- महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों/नियमावलियों जैसे वाप्कोस आरएंडपी नियम, सीडीए नियम और यौन उत्पीड़न निवारण का विवरण को कंपनी की वेबसाइट पर अपडेट किया गया।

गतिशील डिजिटल उपस्थिति वेबसाइट के अद्यतीकरण और समीक्षा हेतु प्रणाली की शुरूआत

सभी एनआईटी को सीपीपी पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में सीवीसी द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु सीवीसी द्वारा सभी संगठनों/विभागों को जारी निर्देशों अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था, इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

1. सभी विभागों से अनुरोध किया गया कि वे अवार्ड ऑफ वर्क को अपलोड करने संबंधी जानकारी सहित निर्धारित प्रारूप में (18.06.2024 से प्रारंभ होने वाली) प्रत्येक पखवाड़े की रिपोर्ट सतर्कता अनुभाग को प्रस्तुत करें, जिसे सीएमडी द्वारा समीक्षा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के तहत ई-प्रोक्योरमेंट के सामान्य निर्देशों के अनुसार, सभी विभागों को उनके संबंधित विभागों से प्रोक्योरमेंट ऑफिसर मूल्यांकक नियुक्त करने का निर्देश दिया गया। जिम्मेदार अधिकारी के नाम सहित इसका विवरण सतर्कता अनुभाग को भेजा गया, जिससे आवश्यक जानकारी मांगी जाएगी।
3. "वेबसाइट पर टेंडर/ठेकों को प्रदान किए जाने संबंधी विवरण डाले जाने" के संबंध में दिनांक 18.06.2024 से 31.10.2024 की अवधि की एक संकलित रिपोर्ट वाप्कोस के सीएमडी को अग्रिम कार्रवाई की सिफारिश के साथ अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई है।

- **अतिरिक्त क्षेत्र/गतिविधियाँ/सेवाएँ जिन्हें ऑनलाइन लाया गया**

  सतर्कता विभाग ने विभिन्न जाचं/समीक्षा के दौरान और विभिन्न मामलों में प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण पर पाया कि वाप्कोस में अनुबंधों के कार्यान्वयन और निष्पादन से संबंधित कर्तव्यों की अनदेखी के प्रमुख कारणों में से एक परियोजनाओं/कार्यों की प्रमाणित सूचनाओं और वास्तविक स्थिति की सही जानकारी उपलब्ध न होना है। गंभीर मामलों में, इसके कारण अनुबंध निष्पादन के दौरान अतिरिक्त/अनुचित भुगतान, त्रुटियां और अनुबंधीय शर्तों की पूर्ति में कमी के मामले देखने में आए हैं।

  हाल ही में केन्दीय सतर्कता आयोग द्वारा 02.08.2024 को नई दिल्ली के एससीओपीई कॉम्प्लेक्स में "शासन में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने संबंधी सर्वोत्तम पद्धतियां" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें निवारक सतर्कता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर प्रस्तुतियाँ दी गई। अन्य विषयों में से एक था "सार्वजनिक परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी"। इस विषय के अंतर्गत, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) द्वारा एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें एनसीआरटीसी में परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के प्रभाव पर चर्चा की गई। यह देखा गया कि इसके परिणामस्वरूप एनसीआरटीसी में परियोजनाओं की प्रगति बहुत तेजी से और समयबद्ध तरीके से हुई।

इसलिए, वाप्कोस और एनपीसीसी ने पारदर्शिता के साथ उच्च दक्षता प्राप्त करने हेतु एनसीआरटीसी द्वारा इन-हाउस परियोजना निगरानी के लिए विकसित मॉड्यूल के समान ही सहायता का अनुरोध किया था ताकि ऑनलाइन परियोजना निगरानी प्रणाली को लागू करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके, और यह परियोजनाओं की समयबद्ध निष्पादन में भी सहायक होगा, वास्तविक समय समीक्षा के माध्यम से और दीर्घकाल में संगठन के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी होगा। इसके अलावा, उपरोक्त ऑनलाइन निगरानी के समावेशन से वास्तविक डाटा आधार पर निर्णय लेने में आसानी के साथ पारदर्शिता में भी बढोतरी होगी।

इसके प्रत्युत्तर में, एनसीआरटीसी के एमडी ने अपने पत्र के माध्यम से इस पर विचार किया और बताया कि एनसीआरटीसी SPEED© प्लेटफॉर्म की क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकता है और वाप्कोस और एनपीसीसी के लिए परियोजना निगरानी को अनुकूलित करने के तरीकों को समझा सकता है।

दिनांक 28.10.2024 को नई दिल्ली के स्कोप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सम्मेलन के दौरान, एनसीआरटीसी के अधिकारियों द्वारा 'स्पीड - प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल' की क्षमताओं का प्रदर्शन करने वाली एक प्रस्तुति दी गई, ताकि वाप्कोस और एनपीसीसी के लिए परियोजना निगरानी को अनुकूलित करने के तरीकों को समझाया जा सके।

ईआरपी को अन्य परियोजना मॉड्यूल के साथ एकीकृत करने के पहलुओं की समीक्षा की जा रही है।

वाप्कोस ने 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2024 का भी आयोजन किया, जिसका उद्देश्य सतर्कता जागरूकता सप्ताह को भ्रष्टाचार के खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के उपकरणों में से एक के रूप में उपयोग करना था।

सप्ताह को पूरे उत्साह के साथ मनाने और जन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, वाप्कोस द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहल की गईं:

1. सप्ताह के प्रथम दिन से ही जन-जागरूकता पैदा करने के लिए – "सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2024" की शुरुआत के अवसर पर 28 अक्टूबर 2024 को मिर्ज़ा ग़ालिब कक्ष, स्कोप सम्मेलन केंद्र, नई दिल्ली में निवारक सतर्कता – समृद्धि के लिए जागरूकता और सत्यनिष्ठा', नामक सम्मेलन आयोजित किया गया (अनुलग्नक-v)।

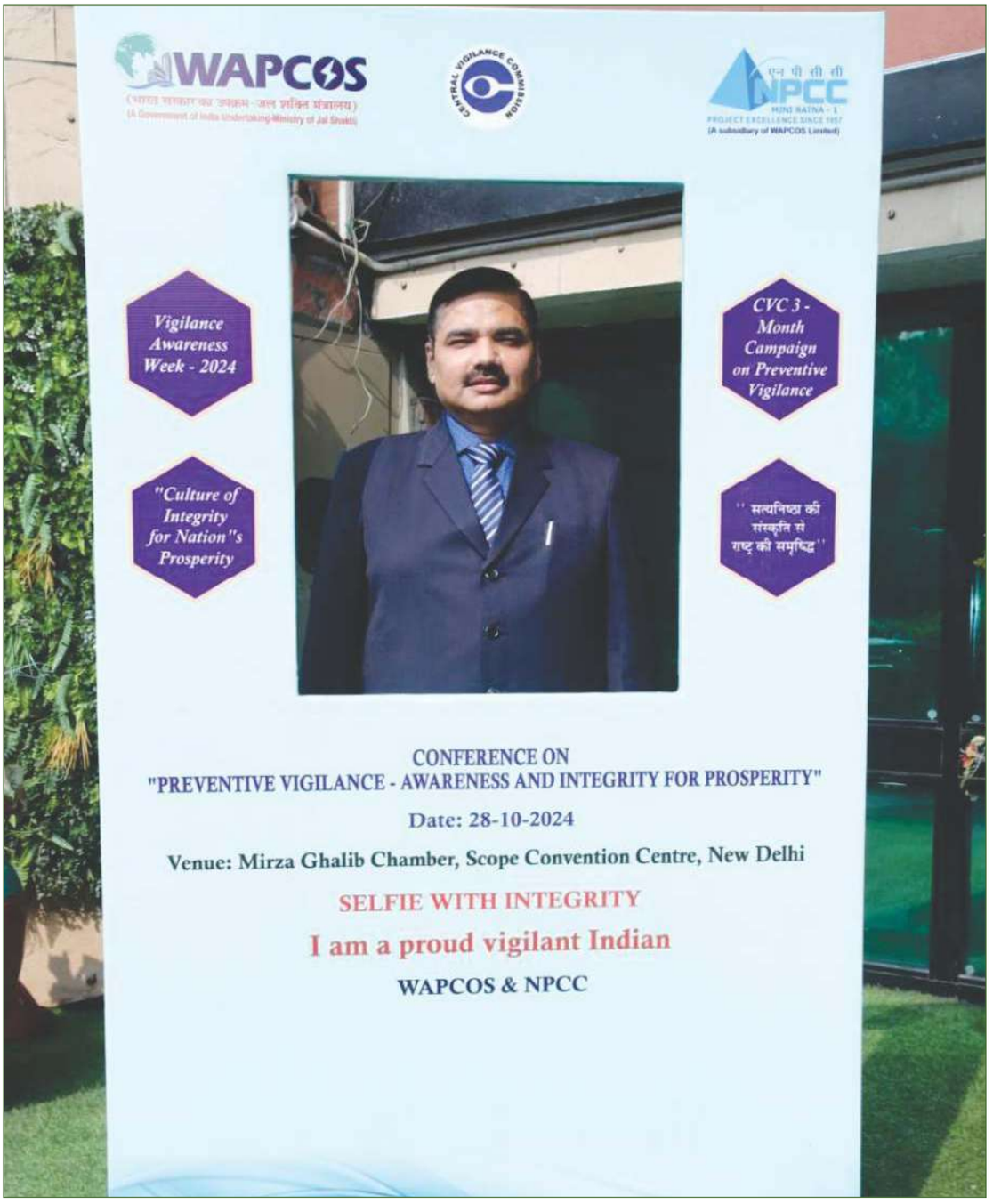
   इस कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्रालय के जल संसासधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के संयुक्त सचिव श्री आनंद मोहन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इससे संगठन में उच्च स्तर पर सतर्कता जागरूकता के महत्व का संदेश देने में मदद मिली।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संदेश पूरे संगठन में प्रसारित हो, इस सप्ताह की शुरूआत सम्मेलन कक्ष में वाप्कोस एवं एनपीसीसी के भौतिक रूप से उपस्थित अधिकारियों और साथ ही भारत और विदेशों में ऑनलाइन माध्यम के जरिए उपस्थित वाप्कोस और एनपीसीसी के सभी अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को समानांतर रूप से सत्यनिष्ठा शपथ दिलाकर किया गया।

3. सम्मेलन के दौरान, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा अतुल मेमोरियल हाई स्कूल, सेक्टर-39, गुरुग्राम, शिक्षा एजुकेशन सेंटर, सेक्टर 40, गुरुग्राम और मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय, सरहौल, गुरुग्राम के छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि का वितरण किया गया। ये छात्र एनपीसीसी और वाप्कोस द्वारा स्कूल छात्रों के मध्य सतर्कता जागरूकता से संबंधित आउटरीच गतिविधि के रूप में आयोजित की गई निबंध लेखन प्रतियोगिता और पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले छात्र थे। छात्रों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत करने हेतु विजेता छात्रों के लिए इंडिया गेट की यात्रा भी करवाई गई।

4. वाप्कोस के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने अपने सम्बोधन में भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों को उजागर किया और इसके विरूद्ध संघर्ष में सभी को एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया।

5. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशक श्री टी. पी. शर्मा द्वारा निवारक सतर्कता पर एक व्याख्यान दिया गया और एनसीआरटीसी के अधिकारियों द्वारा SPEED – परियोजना निगरानी उपकरण पर प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा, ईआरपी टीम द्वारा वाप्कोस में ईआरपी की विशेषताओं और कार्यान्वयन के संबंध में एक प्रस्तुति दी गई।
6. श्री अनुपम चंद्रा, मुख्य सतर्कता अधिकारी, वाप्कोस और एनपीसीसी ने वाप्कोस और एनपीसीसी में प्रिवेंटिव विजिलेंस के प्रभाव पर प्रस्तुति दी।
7. अधिक जागरूकता पैदा करने हेतु एक नई पहल के रूप में, सम्मेलन स्थल के बाहर सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2024 विषय को दर्शाता एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया।



सेल्फ़ी पॉइंट






8.10.2024 को भारत और विदेश में वाप्कोस के सभी कार्यालयों में शपथ/ई-शपथ ली गई



सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

अतः, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि:-

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा;
- ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा;
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा;
- जनहित में कार्य करूँगा;
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा;
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेन्सी को दूँगा।

UTTAR PRADESH, 29th Oct 2024

AKASH DEEP



Integrity Pledge

I believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. I believe that all stakeholders such as Government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption.I realize that every citizen should be vigilant and commit to highest standards of honesty and integrity at all times and support the fight against corruption.

I, therefore, pledge:

- To follow probity and rule of law in all walks of life;
- To neither take nor offer bribe;
- To perform all tasks in an honest and transparent manner;
- To act in public interest;
- To lead by example exhibiting integrity in personal behaviour;
- To report any incident of corruption to the appropriate agency.

WEST BENGAL, 29th Oct 2024

TARA RAI

ई-प्रमाण पत्र

8. वाप्कोस के कार्यालयों में "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" "Culture of Integrity for Nation's Prosperity" से संबंधित बैनर/स्टैंडियों को प्रदर्शित किया गया।

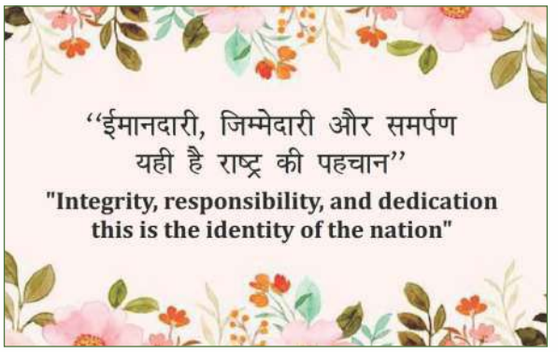


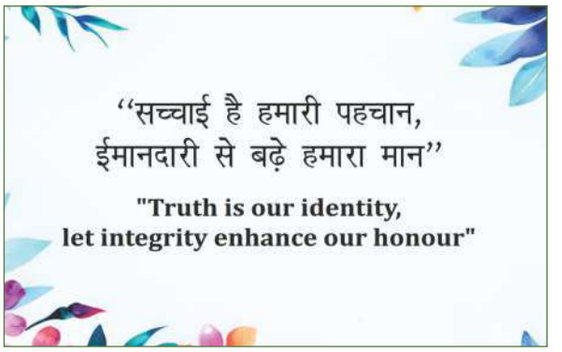
बैनर



स्टैंडी

9. कार्यालय परिसर में "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" "Culture of Integrity for Nation's Prosperity" से संबंधित स्लोगन वाले पोस्टर प्रदर्शित किए गए।





भ्रष्टाचार से संबंधित नारों वाले पोस्टर

10. बच्चे कल के नागरिक हैं और इसलिए उन्हें विभिन्न गतिविधियों में शामिल करके जागरूकता फैलाने के कार्य में शामिल किया गया। गतिविधियों की योजना इस प्रकार तैयार की गई कि उन्हें भ्रष्टाचार के खतरे और अगर इसे रोका न गया तो यह समाज को और अधिक पतन की ओर कैसे ले जा सकता है, इसके बारे में सोचने पर मजबूर किया गया। इसके लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाई गई:

क. दिनांक 29-10-2024 को कर्मचारियों के 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए "समृद्धि के लिए भ्रष्टाचार मिटाएं" विषय पर एक चित्रकला प्रतियोगिता और 10 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" विषय पर एक अनुच्छेद लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।





कर्मचारियों के बच्चों के लिए चित्रकला एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता

ख. आम आदमी के बच्चे और विशेष रूप से वे जो समाज के निम्नतम स्तर पर हैं, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पीड़ित होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, गुरुग्राम स्थित सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय सरहौल से संपर्क किया गया जहाँ ज्यादातर आम आदमी के बच्चे पढ़ते हैं। 29-10-2024 को इस सरकारी स्कूल के कक्षा 3 के छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता और कक्षा 5 के छात्रों के लिए अनुच्छेद लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई।




मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय, सरहौल, गुरूग्राम के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन

सभी बच्चों के लिए कार्यक्रम को सफल और उनके लिए यादगार बनाने के लिए खाद्य पैकेट और स्टेशनरी की वस्तुएं प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए उपहार स्वरूप वितरित किए गए।

11. उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के लिए वस्तुएं/स्टेशनरी आइटम/पुरस्कार की के अधिकतम खरीद लिए GeM पोर्टल के माध्यम से प्रयास किए गए।

12. फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग भ्रष्टाचार के विरूद्ध जागरूकता फैलाने और वाप्कोस लिमिटेड द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के अनुपालन को प्रचारित करने के लिए किया गया।



कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता

13. वाप्कोस के कर्मचारियों के लिए दिनांक 30-10-2024 को "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

इस संबंध में वाप्कोस के सभी फील्ड/क्षेत्रीय/विदेशी कार्यालयों को एक परिपत्र जारी किया गया। निर्धारित प्रारूप के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 से संबंधित गतिविधि रिपोर्ट संलग्न है (प्रारूप- ड. एवं च)।

17. धोखाधड़ी

सांविधिक लेखा परीक्षकों ने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 69 और समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 98 की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान वाप्कोस प्रबंधन द्वारा पता लगाए गए ₹ 0.90 लाख की धोखाधड़ी का वर्णन किया गया है। सम्बंधित विवरण नीचे दिए गए हैं:

(क) विवरण सहित धोखाधड़ी की प्रकृति: बिलिंग और सत्यापन प्रक्रिया में अनियमितताएं: वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एक सौर परियोजना असाइनमेंट के सम्बन्ध में सेवाओं की बिलिंग और सत्यापन के कार्य में कुछ अनियमितताएं पाई गईं। यह मामला ग्राहक द्वारा कुछ संविदात्मक शर्तों को पूरा न करने से संबंधित था, जिसके परिणामस्वरूप लेखांकन और प्रमाणन संबंधी विसंगतियां हुईं। मामले का संज्ञान होने पर, प्रबंधन ने लागू नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार, समीक्षा और सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की।

(ख) शामिल अनुमानित राशि: कुल रु. 90 लाख की राशि का वित्तीय निहितार्थ शामिल है

(ग) शामिल पक्ष, यदि उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई; और: लागू नहीं, क्योंकि की गई उपचारात्मक कार्रवाई का वर्णन पहले ही , नीचे बिंदु (घ) के अंतर्गत किया गया है।

(घ) किए गए उपचारात्मक कार्य: वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बहीखातों में आवश्यक लेखांकन समायोजन/प्रावधान किए गए, जिसमें संबंधित बिक्री प्रविष्टियों का व्युतक्रमण और जहां भी आवश्यक समझा गया, बयाना राशि जमा के लिए प्रावधान करना शामिल है, आंतरिक नियंत्रण, प्रक्रिया समीक्षा तंत्र को मज़बूत करने और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को कम करने हेतु संवेदीकरण उपायों के साथ-साथ प्रशासनिक और सुधारात्मक उपायों की शुरुआत भी की गई है।

18. डिजिटाइजेशन

प्रौद्योगिकी के लिए प्रबंधन ने कर्मचारी अनकूल वातावरण बनाने के लिए 'पेपर रहित कार्यालय' की संकल्पना की है। हमने पहल की और संगठन को अधिक दक्ष, निबार्ध पारदर्शी कार्य परिवेश व डिजिटल वाप्कोस बनाने के लिए विभिन्न आईटी गतिविधियों का कार्यान्वयन किया है। आईटी प्रभाग ने कम्पनी को अखिल भारतीय आधार पर निम्नलिखित आईटी सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं:

- अनुबंध कार्यों के लिए भारत सरकार के केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के माध्यम से ई-निविदाकरण
- वस्तु और सेवाओं के लिए जेम पोर्टल प्राषण
- ई-ऑफिस
- विडियो कांफ्रेसिंग
- ईआरपी कार्यान्वयनाधीन है

19. जोखिम प्रबंधन नीति

कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति में पहचाने गए, जोखिम वाले क्षेत्र में पूर्णता बाजार हिस्सेदारी निभा संसाधन जोखिम बीमा जोखिम रियलाइजेशन जोखिम, प्रणाली जोखिम धोखाधडी जोखिम व्यवसाय प्रचालन जोखिम टिटोरि अनुबंध निर्माण और निष्पादन जोखिम कानूनी बोखिम, आपदा जोखिम शामिल हैं। इन पहचाने गए जोखिमों के उपशमन के लिए कार्य शोधता जॉखिम प्रबंधन नीति में निहित है। विभागों के प्रमुख उनके कामकाज में संबंधित क्षेत्रों पर लागू जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

20. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आंतरिक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आतरिक वित्तीय नियंत्रण है। वाप्कोस में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित करें नौतियां योजनाएं हैं और इसका व्यवस्थित एवं कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। आवधिक रूप से परिसंपतियों

का भौतिक सत्यापन किया जाता है और लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

कंपनी के प्रचालन में लागू लेखा मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जाता है। सभी पुस्तिकाओं, रिकाड़ों, लेखाओं और वित्तीय विवरणों को उचित विवरण सहित अनुरक्षित किया जाता है तथा यह कंपनी के लेनदेन में प्रतिबिंबित होता है और प्रयोज्य कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप होता है।

कंपनी के बढ़ते व्यावसायिक कार्यक्षेत्र को देखते हुए, कंपनी मौजूदा कार्यप्रणाली में आवश्यक बदलाव करने पर विचार कर रही है। इस दिशा में उठाए गए ऐसे कदमों के अंतर्गत, कंपनी ने कंपनी की तेजी से बढ़ रही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियामक ढांचे के अनुरूप ईआरपी प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय निर्णय नवीनतम जानकारी पर आधारित हो, उपयोगकर्ताओं को समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी प्रदार काने का हर संभव प्रयास किया जाता है।

21. सांविधिक लेखापरीक्षक

सीएंडएजी ने अपने दिनांक 12.09.2025 के पत्र के माध्यम से मेसर्स भाटिया एंड भाटिया, नई दिल्ली को कंपनी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

22. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर विभिन्न दस्तावेज / अभिलेखों को रखा है, जो नियमित रूप से अपडेट किए जा रहे हैं। कंपनी ने श्री सुमिर चावला, अपर मुख्य प्रबंधक (मा.सं.वि.) को जन सूचना अधिकारी और डा. अमन शर्मा मुख्य कार्यकारी निदेशक (पर्यावरण निर्माण प्रबंधन और प्रशासन) को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त आरटीआई के 205 आवेदनों और 77 अपीलों पर त्वरित कार्रवाई की गई और आवेदकों को सूचना प्रदान की गई।

23. कार्पोरेट प्रशासन

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट, अनुलग्नक क' पर दी गई है।

24. सचिवीय मानकों का अनुपालन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के संबंध में सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यथाप्रतिवेदित को छोड़कर, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा जारी सचिवीय मानकों का अनुपालन किया।

25. प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट संबंधी रिपोर्ट अनुलग्नक 'ख' पर दी गई है।

26. वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम की धारा 134 (3) (क) के साथ पठित धारा 92 (3) के अनुसरण में 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट अर्थात http://www.wapcos.co.in/ पर उपलब्ध हैं।

27. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के प्रावधानों के तहत कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं था, जो रिपोर्ट किए जाने की आवश्यकता वाले कर्मचारियों की श्रेणी के अंतर्गत आता हो।

28. दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 के तहत लंबित कार्यवाही

(क) एक मामला आईबीसी2016 के प्रावधान के अंतर्गत माननीय एनसीएलएटी, नई दिल्ली के समक्ष लंबित था, जिसमें कंपनी ने माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की थी। इस मामले का दिनांक 20.12.2024 के आदेश के माध्यम से निपटान हो गया है।

(ख) क और मामला माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली के सामने लंबित था, जिसमें प्रतिवादी ने कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस मामले का दिनांक 10.02.2025 के आदेश के माध्यम से निपटान हो गया है।

29. कापर्पोरेट सामाजिक दायितव पहल

कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति है, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और कंपनी की वेबसाइट http://www.wapcos.co.in/ पर देखी जा सकती है।

30. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण, जैसा कि अधिनियम के तहत प्रकट किया सग आवश्यक है, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'घ' पर दिया गया है।

31. लागत रिकार्ड

कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधान के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकार्ड का रखरखाव आवश्यक नहीं है।

32. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत गारंटी या निवेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कवर किए गए ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दिया गया है।

33. सचिवीय लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुत्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा कार्य हेतु मैसर्स उर्वशी वर्मा एंड ऐसोसिएट्स, कंपनी सचिव इन प्रेक्टिस को नियुक्त किया है। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अनुलग्नक 'ङ' के रूप में संलग्न है।

34. सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का प्रत्युत्तर और सांविधिक लेखापरीक्षकों की अहर्ताएं

सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के प्रत्युत्तर को अनुलग्नक च तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों की अहर्ताओं को क्रमश: अनुलग्नक छ: पर दिया गया है

35. निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री पी.एस. गंगाधर, संयुक्त सचिव (ईडी), विदेश मंत्रालय को 06 मार्च, 2025 से वाप्कोस के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और श्री अमिताभ त्रिपाठी को 01 फरवरी, 2025 से वाप्कोस के निदेशक मंडल में निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन विकास) के रूप में नियुक्त किया गया।

इसके अलावा, श्री अभिषेक सिंह, संयुक्त सचिव (एमईआर), विदेश मंत्रालय और श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (वाणिज्यिक एवं मानव संसाधन विकास) क्रमशः 11 फरवरी, 2025 और 31 अगस्त, 2024 से वाप्कोस के निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर नहीं रहे।

श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत, श्री जसबीर सिंह ठाकुर, श्री लखनलाल साहु और श्री पार्थ सारथी घोष ने क्रमशः 11 जनवरी, 2025, 14 जनवरी, 2025, 01 फरवरी, 2025 और 22 फरवरी, 2025 से वाप्कोस के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया।

36. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी के स्वतंत्र निदेशक द्वारा बोर्ड की बैठकों में यह स्वतंत्र घोषणा की गयी है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में प्रदान किए गए, स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करती है।

37. बोर्ड की बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, चार बोर्ड बैठकें आयोजित की गई, जिनका विवरण अनुलग्नक 'क' में कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिया गया है।

38. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

एतत द्वारा पुष्टि की जाती है कि:

(क) वार्षिक लेखों की तैयारी के दौरान, निम्नलिखित लागू लेखा मानकों का पालन किया गया था;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा निर्णय और अनुमान तैयार किया है जो कि उचित और विवेकपूर्ण थे, ताकि 31 मार्च, 2025 को कंपनी की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ अथवा हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिए जा सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और पोखाधडी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्यास लेखा रिकॉडों के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है;

(घ) निदेशकों ने 'गोइंग कन्सर्न के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है;

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाला आआंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार किया था और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याम हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे; तथा

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह की प्रणली पर्याप्त और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

39. संबंधित पक्ष लेन देन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पक्ष लेनदेन नियमित लेन-देन और स्वतंत्र प्रकृति के थे। किसी भी संबंधित पक्ष के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन का कंपनी के हितों के साथ विरोधाभास नहीं था। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (ज) के तहत एओसी-2 के रूप में आवश्यक संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण लागू नहीं है।

कंपनी ने इस मामले पर कंपनी अधिनियम, 2013 और संबंधित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रियाओं का निर्धारण किया है। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 41 में उल्लिखित है।

40. निदेशकों के चयन और नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक हेतु नीति

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉरपोरेट मंत्रालय, भारत सरकार दिनांक 5 जून 2015 को जारी राजपत्र अधिसूचना के दृष्टिगत कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 134 (3) (ड.) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

41. सामान्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित मदों के संबंध में जानकारी को शून्य समझा जा सकता है:

- व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन,
- कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिवद्धता यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के बीच हुई हैं जिससे वित्तीय विवरण और रिपोर्ट की तारीख से संबंधित हैं।,
- नियामकों व न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण या गंभीर आदेश जो भविष्य में गोइंग कन्सर्न स्टेटस और कंपनी के प्रचालन को प्रभावित करते हैं,
- लाभांश, मतदान या अन्यथा के रूप में विभेदक अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर जारी करना,
- किसी भी योजना के तहत कंपनी के कर्मचारियों को शेयर (स्वेट इक्विटी शेयर सहित) जारी करना,
- एकबारगी निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण और उसके कारण।
- वर्ष के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों की सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता और अनुभव (दक्षता सहित) के संबंध में बोर्ड की राय संबंधी विवरण।

आभार

बोर्ड भारत और विदेशों में अपने मूल्यवान ग्राहकों को उनके निरंतर संरक्षण और साथ ही साथ कंपनी पर विश्वास और आस्था बनाए रखने के लिए प्रशंसा और अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता है। यह बोर्ड जल शक्ति मंत्रलय, जल संसाधन, नदी विकास और संरक्षण विभाग, विदेश मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अध्यक्ष और सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, संवैधानिक लेखा परीक्षकों और बैंकरों की सहायता, सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद व्यक्त करता है। बोर्ड अपने कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत, उत्साह, अथक प्रयासों और योगदान की दिल से सराहना करता है, जिनके बिना वर्तमान विकास और उपलब्धियां संभव नहीं होतीं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(शिल्पा शिंदे)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 10051735

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 जुलाई, 2026

अनुलग्नक-क

कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी का दर्शन

कंपनी द्वारा भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमित अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। नैतिक व्यावसायिक पद्धतियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पिछले कई वर्षों से कॉर्पोरेट प्रशासन दिशा-निर्देशों के अनुपालन में हमें प्राप्त होने वाली **'उत्कृष्ट रेटिंग'** की हमारी निरंतर उपलब्धि के माध्यम से परिलक्षित होती है। यह अभिशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानको को बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

2. डीपीई दिशा निर्देश

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट को जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग नदी विकास और गंगा सरक्षण विभाग को भेजा गया।

3. निदेशक मंडल

बोर्ड में तीन कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं, अर्थात् अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन विकास) और निदेशक (वित्त), दो सरकारी नामित निदेशक - एक जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग से और अन्य विदेश मंत्रालय से - और 31.03.2025 तक चार स्वतंत्र निदेशक।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, चार बोर्ड बैठकें 10.06.2024, 29.08.2024, 30.09.2024 और 17.01.2025 को आयोजित की गईं।

बोर्ड के निदेशकों के नाम और श्रेणियां, उनके कार्यकाल के दौरान 2024-2025 में आयोजित बोर्ड की बैठकों में उनकी उपस्थिति और निदेशकों द्वारा कंपनी को सूचित किए गए निदेशक पदों की संख्या नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम/निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	श्रेणी	निदेशक के कार्यकाल के दौरान 2024-25 में आयोजित / भाग ली गई बोर्ड बैठकें		क्या 15.12.2025 को आयोजित अंतिम एजीएम में भाग लिया था	अन्य कंपनी में धारित निदेशक पद की संख्या / कंपनी का नाम	
		सम्पन्न हुई	उपस्थिति		अध्यक्ष	सदस्य
श्री रजनी कांत अग्रवाल डीआईएन 09344894	कार्यात्मक निदेशक	4	4	नहीं	1 एनपीसीसी लिमिटेड	2 i. जीपीसीएल परामर्श सेवाएँ सीमित
श्री पंकज कपूर निदेशक (वित्त) डीआईएन 07290569	कार्यात्मक निदेशक	4	4	नहीं	-	1 i. एनपीसीसी लिमिटेड
श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (सी एंड एचआरडी) डीआईएन 08271048 (31.08.2024 तक)	कार्यात्मक निदेशक	2	2	नहीं	-	-
श्री अमिताभ त्रिपाठी, निदेशक (सी एंड एचआरडी) डीआईएन 10935800 (01.02.2025 से प्रभावी)	कार्यात्मक निदेशक	-	-	हां	-	-
श्री आनंद मोहन	सरकारी नामित निदेशक	4	4	नहीं	-	1 i. एनपीसीसी लिमिटेड
श्री अभिषेक सिंह डीआईएन 10290240 (11.02.2025 तक)	सरकारी नामित निदेशक	4	2	नहीं	-	6 i. इन्वेस्ट इंडिया ii. भारत व्यापार पदोन्नति संगठन iii. अभियांत्रिकी निर्यात पदोन्नति परिषद iv. निर्यात पदोन्नति परिषद की ईओयू और एसईजेड v. परियोजना निर्यात पदोन्नति परिषद vi. भारत संस्थान विदेश का ट्रेड

निदेशक का नाम/निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	श्रेणी	निदेशक के कार्यकाल के दौरान 2024-25 में आयोजित / भाग ली गई बोर्ड बैठकें		क्या 15.12.2025 को आयोजित अंतिम एजीएम में भाग लिया था	अन्य कंपनी में धारित निदेशक पद की संख्या / कंपनी का नाम	
		सम्पन्न हुई	उपस्थिति		अध्यक्ष	सदस्य
श्री पी.एस गंगाधर डीआईएन 09517108 (06.03.2025 तक)	सरकारी नामित निदेशक	-	-	हां	-	6 i. इन्वेस्ट इंडिया ii. भारत व्यापार संवर्धन संगठन iii. अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद iv. निर्यात संवर्धन परिषद ईओयू और एसईजेड v. परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद vi. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत डीआईएन 07900294 (11.01.2025 तक)	स्वतंत्र निदेशक	3	3	नहीं	-	4 i. एमआईसीसीआईए चैंबर ऑफ कॉमर्स ii. एजीसीसीआई चैंबर ऑफ कॉमर्स iii. दिमित्रिस इन्फ्राप्रो प्राइवेट लिमिटेड iv. डिफयूजन इंजीनियर्स लिमिटेड
श्री जसबीर सिंह ठाकुर डीआईएन 09469477 (14.01.2025 तक)	स्वतंत्र निदेशक	3	3	नहीं	-	1 i. एनपीसीसी लिमिटेड
श्री लखन लाल साहू डीआईएन 09488818 (01.02.2025 तक)	स्वतंत्र निदेशक	4	4	नहीं	-	-
श्री पार्थ सारथी घोष डीआईएन 09517108 (22.02.2025 तक)	स्वतंत्र निदेशक	4	4	नहीं	-	-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वाप्कोस लिमिटेड में निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति की गई:

- **श्री पी.एस. गंगाधर**

  वित्तीय वर्ष अर्थात 2024-25 के दौरान, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (आर्थिक कूटनीति) श्री पी.एस गंगाधर को विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एमईआर) श्री अभिषेक सिंह जोकि दिनांक 11.02.2025 से सरकारी नामित निदेशक नहीं रहे, उनके स्थान पर दिनांक 06.03.2025 से सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

  श्री पी.एस. गंगाधर का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

  सैंतालीस (47) वर्षीय श्री पी. एस . गंगाधर 06, मार्च, 2025 से हमारी कंपनी के सरकारी नामित (अंशकालिक) निदेशक हैं। वह कूटनीति और शिक्षा के क्षेत्र में दो दशकों से अधिक के अनुभव के साथ वे एक पेशेवर राजनयिक हैं। अपने राजनयिक करियर में, उनके कुशल वार्ताओं के कारण व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, विकास सहयोग, रक्षा और सुरक्षा से संबंधित कई समझौतों को पूरा करने में मदद मिली है। उन्होंने निवेश को सुविधाजनक बनाने, विनिर्माण, क्लीनटेक और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में सरकार के लिए कई नई पहल का भी नेतृत्व किया है। वह भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) 2005 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय (एमईए) में संयुक्त सचिव (आर्थिक कूटनीति) के पद पर कार्यरत हैं। अपनी वर्तमान भूमिका में वह ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और निवेश मध्यस्थता के क्षेत्रों में विदेश मंत्रालय की पहलों का संचालन कर रहे हैं। वह विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों / निकायों के बोर्डों में मंत्रालय का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले वह दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में भारत के महावाणिज्य दूत थे। उन्होंने 2020-23 के दौरान जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत के राजदूत / उप स्थायी प्रतिनिधि (डीपीआर) के रूप में भी कार्य किया है। वह 2016-20 के दौरान विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में अमरीकी विभाग में निदेशक और उप सचिव भी रहे। बर्लिन में भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव के रूप में उन्होंने 2013-16 के दौरान मिशन के आर्थिक और वाणिज्यिक विंग का नेतृत्व किया। विदेश में उनकी पहली नियुक्ति दमिश्क में भारतीय दूतावास में हुई जहां उन्होंने 2008-2012 के दौरान प्रथम / द्वितीय सचिव के रूप में कार्य किया। राजनयिक कार्यकाल के दौरान, उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में शामिल हैं: अपने तरह के पहले निवेश सुविधा कार्यक्रम - मेक इन इंडिया मिटेलस्टैन्ड (एमआईआईएम) की अवधारणा और कार्यान्वयन जिसने जर्मनी की 200 से अधिक एमएसएमई को भारत में निवेश करने में मदद की है। उन्होंने नई तकनीकों के कार्यनीतिक और विकासात्मक आयामों का उपयोग करने के लिए विदेश मंत्रालय में नए, उभरते और सामरिक प्रौद्योगिकियों (एनईएसटी) प्रभाग की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत-जर्मन सहयोग से संबंधित उनका प्रकाशन हाई टेकनोलॉजी मैनुफेक्चरिंग दोनों देशों के आपसी सहयोग के लिए कार्य ढांचा प्रदान करता है, जिसे 2015 में प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया था। उन्होंने स्वर्ण पदक के साथ मैसूर विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने 2001-2004 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय और 2000-01 के दौरान मैसूर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का शिक्षण किया है।

- **श्री अमिताभ त्रिपाठी**

  वित्तीय वर्ष अर्थात 2024-25 के दौरान, श्री अमिताभ त्रिपाठी को दिनांक 01.02.2025 से निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन विकास) के रूप में नियुक्त किया गया।

  श्री अमिताभ त्रिपाठी का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

  अट्ठावन (58) वर्षीय श्री अमिताभ त्रिपाठी, 1 फरवरी, 2025 से हमारी कंपनी के निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन विकास) हैं। वह वर्ष 1995 से हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और सिविल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। उन्हें भारत और विदेशों में जल संसाधन, विद्युत और अवस्थापना विकास परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन और कार्यान्वयन के क्षेत्र में तीस (30) से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्हें जलविद्युत और पंप भंडारण परियोजनाओं में अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक विशेषज्ञता की विशेषता हासिल है। वह हमारी कंपनी की व्यावसायिक विकास गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं।

4. लेखा परीक्षा समिति

कंपनी में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसरण में लेखा परीक्षा समिति मौजूद है। विवरण निम्न प्रकार है:-

लेखा परीक्षा समिति की भूमिका/ शक्तियां

लेखा परीक्षा समिति की भूमिका/ शक्तियों में निम्नलिखित शामिल है: -

1. संबंधित निरीक्षण कार्यों में बोर्ड की सहायता करना जिनमें शामिल है:
   क) लेखापरीक्षित और गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में निहित प्रकटीकरण की गुणवत्ता और सत्यनिष्ठा;
   ख) कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन; और
   ग) समय-समय पर स्थापित आंतरिक नियंत्रणों की सत्यनिष्ठा।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में निर्दिष्ट या बोर्ड द्वारा संदर्भित मदों के संबंध में किसी भी मामले की जांच करना और इस उद्देश्य के लिए, इसमें हमारी कंपनी के रिकॉर्ड में निहित सूचना तक पूरी पहुंच और यदि आवश्यक हो तो बाहरी जानकारी पेशेवर परामर्श प्राप्त करना शामिल होगा।
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की जानकारी रखना;
4. सदर्भगत किसी भी गतिविधि की जांच करना।
5. कर्मचारियों सहित किसी भी स्रोत से जानकारी प्राप्त करना।
6. यदि आवश्यक हो तो बाहरी विधिक या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।
7. यदि आवश्यक समझे तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
8. मुखबिरों की रक्षा करना।
9. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं, हमारी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी करना।
10. बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन के साथ त्रैमासिक/छमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।
11. विशेष संदर्भ में अनुमोदन हेतु बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन के साथ, वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना।
    क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के खंड (3)(ग) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले;
    ख) लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण;
    ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;
    घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
    ड.) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन;

च) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

छ) किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटन; और

ज) मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं/संशोधित अभिमत।

12. लेखापरीक्षा (परीक्षाएं)

(i) आंतरिक लेखा परीक्षा:

क) आंतरिक लेखा परीक्षकों (बाहरी प्रतिष्ठानों) के प्रबंधन प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

ख) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारी और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और ऐसे लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा (आंतरिक), यदि कोई हो के कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

ग) किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।

घ) लेखा परीक्षा और अन्य सेवाओं, यदि कोई हो, के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और शुल्क निर्धारण, हेतु बोर्ड को सिफारिश करना।

(ii) सांविधिक लेखा परीक्षा एवं शाखा लेखा परीक्षा :

क) लेखा की प्रकृति और दायरे के साथ-साथ संबंधित विषय पर सांवधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के साथ पूर्व लेखा परीक्षा साथ ही साथ पश्चात लेखा परीक्षा चर्चा

ख) किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।

ग) सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षा शुल्क के निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।

घ) सांविधिक लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा (लेखा परीक्षा के अलावा) के लिए भुगतान की मंजूरी।

(iii) लागत लेखा परीक्षा एवं कर लेखा परीक्षा: :

लागत लेखा परीक्षकों और कर लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, बदलने या हटाने और लेखा परीक्षा शुल्क और नियुक्ति की अन्य शर्तों के निर्धारण हेतु बोर्ड को सिफारिश करना।

13. लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और लेखा परीक्षा प्रक्रिया के निष्पादन और प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।

14. लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल प्रत्येक आरक्षण या अहर्तता की पूरी जानकारी और स्पष्टीकरण के साथ उसकी समीक्षा करना और बोर्ड के विचारार्थ रिपोर्ट की सिफारिश करना।

15. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला अवसर प्रदान करना।

16. कवरेज की पूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी और सभी ऑडिट संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के साथ समीक्षा करना।

17. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना:

    क) कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की अन्य पर्याप्तता

    ख) प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें।

18. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना :

    क) पिछली लेखापरीक्षा अनुशंसाओं की स्थिति सहित वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष,

    ख) जिसमें गतिविधियों के दायरे या आवश्यक जानकारी तक पहुंच पर कोई प्रतिबंध सहित लेखा परीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई

19. सरकारी लेखा परीक्षा : सीएंडएजी लेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

20. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

21. ऐसे मामलों में जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की वास्तविक विफलता है, आंतरिक लेखा परीक्षकों/वैधानिक लेखा परीक्षकों/अन्य एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना और मामले की जानकारी बोर्ड को देना।

22. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों पर गौर करना।

23. व्हिसिल ब्लोअर तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।

24. हमारी कंपनी के सभी संबंधित पक्ष लेनदेन की समीक्षा करना और पूर्व-अनुमोदन करना। इस प्रयोजन हेतु, लेखापरीक्षा समिति एक सदस्य को नामित कर सकती है जो संबंधित पार्टी लेनदेन के पूर्व-अनुमोदन हेतु उत्तरदायी होगा।

25. हमारी कंपनी की वित्तीय नीतियों, वाणिज्यिक नीतियों और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

26. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

27. किसी मामाले (सार्वजनिक मामाले, अधिकार मामले, व्यवसायिक मामले आदि) के माध्यम से एकत्र फंड के उपयोग/आवेदन का विवरण, इस प्रस्ताव दस्तावेज़/प्रॉस्पेक्टस/ में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए फंड का विवरण। नोटिस, और सार्वजनिक या अधिकार मुद्दे की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।

28. अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जांच।

29. हमारी कंपनी के व्यवसायों या संपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो।

30. संबंधित पक्षों के साथ हमारी कंपनी के लेनदेन की मंजूरी अथवा अनुवर्ती संशोधन।

31. निम्नलिखित जानकारी की अनिवार्य रूप से समीक्षा करना :

    क) वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;

    ख) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण (जैसा कि ऑडिट समिति द्वारा परिभाषित किया गया है);

    ग) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण खामियों के पत्र;

    घ) आंतरिक नियंत्रण खामियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;

    ड.) मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, हटाये जाने और पारिश्रमिक की शर्तें; और

    च) विचलन विवरण की समीक्षा:

        (i) विनियम 32(1) के अनुसार निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित यदि लागू हो, तो विचलन का त्रैमासिक विवरण स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया जाएगा।

        (ii) सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियमन 32(7) के संदर्भ में प्रस्ताव दस्तावेज़/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई राशि का वार्षिक विवरण।

32. मुख्य कार्यकरी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रमाणीकरण/घोषणा की समीक्षा;

33. लेखा परीक्षकों की पर्यवेक्षण सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के दायरे, से संबंधित लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां आमंत्रित करना और बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वित्तीय विवरण की समीक्षा और किसी भी संबंधित मुद्दे पर हमारी कंपनी के प्रबंधन और आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना।

34. इस प्रावधान के लागू होने की तारीख से मौजूद कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनी में ₹ 100 करोड़ से अधिक या सहायक कंपनी की संपत्ति के आकार का 10% से अधिक के ऋण और/या अग्रिम/निवेश जो भी मौजूदा ऋण/अग्रिम/ निवेश सहित कम हो, के उपयोग की समीक्षा।

35. सूचीबद्ध संस्था और उसके शेयरधारकों पर विलय, डिमर्जर, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार और टिप्पणी।

36. ऐसे अन्य कार्य जो हमारी कंपनी के निदेशक मंडल और/या निदेशकों की अन्य समितियों द्वारा विशेष रूप से समिति को निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

(i) वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों का प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श और विश्लेषण;

(ii) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण पार्टी संबंधी लेन-देन (लेखापरीक्षा समिति द्वारा परिभाषित) का विवरण;

(iii) विधायी लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किए गए प्रबंधन के पत्र/आंतरिक नियंत्राण कमजोरियों के पत्र;

(iv) आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें;

(v) मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति और पदच्युति लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जाएगी; तथा

(vi) मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, समिति में निम्नलिखित निदेशक अध्यक्ष और/अथवा सदस्य के रूप में शामिल थे।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक की श्रेणी	अध्यक्षता/ सदस्यता	टिप्पणियां
1.	श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	11.01.2025 से अध्यक्ष पद पर नहीं रहें।
2.	श्री जसबीर सिंह ठाकुर	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	14.01.2025 से सदस्य पद पर नहीं रहे
3.	श्री पार्थ सारथी घोष	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य और अध्यक्ष	1. 15.01.2025 से लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया 2. 22.02.2025 से अध्यक्ष और सदस्य के पद पर नहीं रहे
4.	श्री लखनलाल साहू	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य और अध्यक्ष	1. 15.01.2025. से लेखापरीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया 2. 01.02 .2025. से अध्यक्ष और सदस्य के पद पर नहीं रहे
5.	श्री अनुपम मिश्रा	निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन)	सदस्य	31.08.2024 से सदस्य के पद पर नहीं रहे
6.	श्री पंकज कपूर	निदेशक (वित्त)	सदस्य	03.03.2025. से लेखापरीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया
6.	श्री आनंद मोहन	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य और अध्यक्ष	1. 07.02.2025 से लेखापरीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया 2. 03.03.2025 से लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया
7.	श्री अमिताभ त्रिपाठी	निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन)	सदस्य	07.02.2025 से लेखापरीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें 10 जून 2024, 29 अगस्त 2024, 30 सितम्बर 2024 और 17 जनवरी 2025 को आयोजित की गई। लेखापरीक्षा समिति के सभी सदस्यों ने अपनी संबधित अवधि में आयोजित सभी बैठकों में भाग लिया।

5. नामांकन और पारिश्रमिक

कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति के लिए संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल का निर्णय करना प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित सीमाओं के भीतर अधिकारियों (बोर्ड स्तर के अधिकारियों सहित) और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण के लिए नीति।
2. मानव संसाधन से संबंधित सभी प्रस्तावों की जांच करना तथा अपनी सिफारिशें करना।
3. नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों को अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है।

4. योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और निदेशक की स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना;
5. स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
6. निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करना;
7. उन व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, और निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफारिश करें; और
8. स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि को बढ़ाया जाए या जारी रखा जाए।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, समिति में निम्नलिखित निदेशक अध्यक्ष और/या सदस्य के रूप में शामिल थे:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक की श्रेणी	अध्यक्षता/ सदस्यता	टिप्पणियां
1.	श्री पार्थ सारथी घोष	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	22.02.2025 से एनएंडआर समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना बंद कर दिया
2.	श्री जसबीर सिंह ठाकुर	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	14.01.2025 से एन एंड आर समिति के सदस्य पद पर नहीं रहे
3.	श्री लखनलाल साहू	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	01.02.2025 से एन एंड आर समिति के सदस्य के पद पर नहीं रहे।
4.	श्री आनंद मोहन	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य और अध्यक्ष	1. 15.01.2025 से एन एंड आर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया 2. 03.03.2025 से एन एंड आर समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया
5.	श्री पंकज कपूर	निदेशक (वित्त)	सदस्य	03.03.2025 से एन एंड आर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया
6.	श्री अमिताभ त्रिपाठी	निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन)	सदस्य	03.03.2025 से एन एंड आर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

6. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

(क) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

(राशि रूपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/ डब्ल्यूटीडी/ प्रबंधक का नाम	एमडी/ डब्ल्यूटीडी/ प्रबंधक का नाम	एमडी/ डब्ल्यूटीडी/ प्रबंधक का नाम	एमडी/ डब्ल्यूटीडी/ प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1	सकल वेतन	आर. के. अग्रवाल, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	पंकज कपूर निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	अनुपम मिश्रा निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन विकास)**	अमिताभ त्रिपाठी निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन)*	
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	4089333	4402260	1747416	829241	11068250
	(ख) आयरकर अधिनियम की धारा 17 (2) के अंतर्गत प्राप्ति मूल्य	234894	299346	335055	0	869295
	(ग) आयकर अधिनियम की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-
3	स्वीट इक्विटी	-	-	-	-	-
4	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-
	कुल	4324227	4701606	2082471	829241	11937545
	अधिनियम के अनुसार सीमा	-	-	-	-	-

* श्री अमिताभ त्रिपाठी को 01.02.2025 से निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन विकास) नियुक्त किया गया है।

** श्री अनुपम मिश्रा, 31.08 .2024 से निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन विकास) के पद पर नहीं रहे।

(ख) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक:

(राशि रूपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम				कुल राशि
क	स्वतंत्र निदेशक	अनिल कुमार त्रिगुणायत	लखन लाल साहू	पार्थ सारथी घोष	जसबीर सिंह	
	बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों का शुल्क	2,15,000	2,00,000	2,00,000	2,15,000	8,30,000
	कमीशन	-	-	-	-	-
	कुल (क)	**2,15,000**	**2,00,000**	**2,00,000**	**2,15,000**	**8,30,000**
ख	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक	-	-	-	-	-
	बोर्ड/समिति की बैठकें में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-
	कुल (ख)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	कुल (क+ख)	**2,15,000**	**2,00,000**	**2,00,000**	**2,15,000**	**8,30,000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	-	-	-	-	-

(ग) एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक:

(राशि रूपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			कुल राशि
			सीईओ	सीएफओ	सीएस	
1	सकल वेतन			पंकज कपूर	शैलेंद्र विश्वकर्मा	
	(क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा (17)(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	4402260	1058837	5461097
	(ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत प्राप्ति मूल्य	-	299346	54000	353346
	(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प			उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-
3	स्वीट इक्विटी			उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-
४	लाभ के % के रूप में कमीशन			उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-
	अन्य, निर्दिष्ट करें...				-	
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें			उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	-
	कुल			**4701606**	**1112837**	**5814443**

7. निगमित सामाजिक दायित्व

कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के लिए संदर्भ की शर्तें निम्नलिखित हैं:

1. एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति तैयार करना और उसकी सिफारिश बोर्ड को करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करे, समय-समय पर इसके कार्यान्वयन की निगरानी करना,और बोर्ड द्वारा जब कभी भी कोई निर्णय लिये जाएं तो उसमें संशोधन करना;
2. खंड 1 में निर्दिष्ट गतिविधियों पर होने वाले व्यय की राशि की समीक्षा और अनुशंसा करना;
3. कंपनी की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी नीति की समय-समय पर निगरानी करना;
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली निगमित सामाजिक जिम्मेदारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों/प्रस्तावों की सिफारिश/समीक्षा करना;
5. कंपनी की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी पहल से संबंधित रणनीति तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करना;
6. कंपनी द्वारा शुरू की गई निगमित सामाजिक जिम्मेदारी परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करना;
7. कोई अन्य मामला जिसे निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद उचित समझे या निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप दो स्तरीय संरचना स्थापित है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक की श्रेणी	अध्यक्षता/सदस्यता	टिप्पणियां
1.	श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	11.01.2025 से अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे
2.	श्री जसबीर सिंह ठाकुर	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	14.01.2025 से सदस्य के पद पर नहीं रहे
3.	श्री पार्थ सारथी घोष	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य और अध्यक्ष	1. नियुक्त 2. नियुक्त 3. पद पर नहीं रहे
4.	श्री लखनलाल साहू	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य और अध्यक्ष	1. नियुक्त 15.01.2025 2. 01.02.2025 से अध्यक्ष और सदस्य के पद पर नहीं रहे
5.	श्री अनुपम मिश्रा	निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन)	अध्यक्ष	पद पर नहीं रहे
6.	श्री पंकज कपूर	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष	01.09.2024 से सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया
7.	श्री आनंद मोहन	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	नियुक्त
8.	श्री अमिताभ त्रिपाठी	निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन)	अध्यक्ष	नियुक्त

सीएसआर समिति की वर्ष 2024-25 में चार बैठकें हुई- दिनांक 27.06.2024, 28.11.2024, 10.01.2025 और 26.03.2025 को। अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित सभी बैठकों में सभी सदस्यों ने भाग लिया, सिवाय सदस्य श्री अनुपम मिश्रा के, जो दिनांक 27.06.2024 को आयोजित सीएसआर समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

8. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी में चार स्वतंत्र निदेशक थे। डीपीई के दिनांक 28.12 .2012 के कार्याजय ज्ञापन सं. 16(4)/2012-जीएम और दिनांक 20.6 .2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 16(4)/2012-जीएम साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV- भाग-VII के साथ पठित धारा 149(8) के अनुसरण में गैर-आधिकारिक निदेशकों की भूमिका और जिम्मेदारियां विषय पर दिनांक 13/14.09 .2024 को कोच्चि में कार्यात्मक निदेशक, सरकारी नामित निदेशक और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना एक "अलग बैठक" आयोजित की गई, जिसमें बोर्ड द्वारा प्रभावी ढंग और उचित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन किया।

9. वार्षिक आम बैठक (आधारित), जांच करने की आवश्यकता है

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित एजीएम की तारीख, समय और स्थान निम्नानुसार हैं: -

वार्षिक आम बैठक (बैठकें)

वर्ष	तारीख	समय (आईएसटी)	स्थान
2021-22	07.12.2022	03:30 पीएम	कैलाश, तीसरी मंजिल, 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली -110 001
	20.12.2022 (स्थगित एजीएम)	04.00 पीएम	
2022-23	29.12.2023	04.30 पीएम	कैलाश, 3 फ्लोर, 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली -110 001
2023-24	15.12.2025	11.00 पूर्वाह्न	कैलाश, 5वां फ्लोर, 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली -110 001

10. असाधारण आम बैठक

तारीख	समय (आईएसटी)	स्थान
03.03.2022	01.00 पीएम	कैलाश, तीसरी मंजिल, 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली -110 001

वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2022-23 के दौरान कोई असाधारण सामान्य बैठक आयोजित नहीं की गई।

11. प्रकटन

- समीक्षाधीन वर्ष में सीएमडी, कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशक को भुगतान किए गए शुल्क को छोड़कर, कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया गया, जिसका व्यापक पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता हो।
- कंपनी में बोर्ड द्वारा अनुमोदित "व्हिसल ब्लोअर नीति" है। ”
- कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है। एक कार्यरत कंपनी सचिव ने कंपनी द्वारा वर्ष 2022-23 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच की और उनके दिनांक 20.10.2023 के प्रमाण पत्र को वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया।

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बही खातों में बिना व्यवसायिक उद्देश्यों वाले किसी प्रकार के व्यय को डेबिट नहीं किया गया।
- व्यक्तिगत प्रकृति का कोई व्यय निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए नहीं किया गया।

12. संचार के साधन

कंपनी पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह अपने अस्थायी परिणाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को प्रस्तुत करती है। कंपनी अपने लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण अपनी वेबसाइट में प्रदर्शित करती है। समय-समय पर अपनी उपलब्धियों के बारे में कंपनी द्वारा प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं।

13. आचार संहिता

कंपनी की एक आचरण संहिता है जो बोर्ड के सदस्यों और साथ ही उच्च प्रबंधन पर लागू है तथा इसे वेबसाइट पर डाला गया है। 31 मार्च, 2025 को सभी बोर्ड सदस्यों और उच्च प्रबंधन के लोगों ने आचरण संहिता का दृढ़ता से अनुपालन करने का निश्चय किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड सदस्यों और उच्च प्रबंधन द्वारा आचरण संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की घोषणा **अनुलग्नक-I** में दी गयी है।

14. निदेशक मंडल का चार्टर

कम्पनी के पास निदेशक मंडल का चार्टर है, जो बोर्ड और व्यक्तिगत निदेशकों की भूमिकाओं और दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

15. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

कंपनी ने, बोर्ड की मंजूरी से बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण नीति तैयार की है। इसके अलावा, बोर्ड में उनके शामिल होने के समय कंपनी निदेशकों को दस्तावेजों का एक सेट प्रस्तुत करती है। इस सेट में कंपनी का ब्रोशर, वार्षिक रिपोर्ट, ज्ञापन और संगम ज्ञापन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश और विभिन्न नीतियां आदि शामिल होती हैं। कंपनी के मामलों के बारे में बोर्ड बैठकों में विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया।

16. धोखा निवारण नीति

कंपनी की एक धोखा निवारण नीति है, जिसकी स्थापना नियंत्राणों के विकास में सुविधा के लिए की गयी है जो वाप्कोस के खिलाफ धोखे का पता लगाने और उसे रोकने में मदद करती है।

17. जोखिम प्रबंधन नीति

कम्पनी के पास बोर्ड से अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है। जब भी आवश्यक लगा बोर्ड द्वारा नीति की समीक्षा की गई। नीति में पहचान कि, गए होगों में प्रतिस्पर्धा/बाजार हिस्सेदारी जोखिम, मानव संसाधन जोखिम, बीमा जोखिम, प्राप्ति जोखिम, सिस्टम जोखिम, धोखाधड़ी जोखिम, व्यवसाय संचालन जोखिम, क्रेडिट जोखिम अनुबंध निर्माण और निष्पादन जोखिम, कानूनी जोखिम आपदा जोखिम शामिल हैं। इन पहचान गए जोखिमों को कम करने की कार्य योजना जोखिम प्रबंधन नीति में समाविष्ट है। विभागों के प्रमुख उनके कामकाज के संबंधित क्षेत्रों पर यथा लागू जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हैं।

18. व्हिसिल ब्लोअर नीति

कंपनी व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्च मानक अपनाकर एक उचित और पारदर्शी तरीके से अपने संघटकों के मामलों का संचालन करने में विश्वास करती है। इस संबंध में कम्पनी की बोर्ड द्वारा स्वीकृत व्हिसिल ब्लोअर नीति है।

19. डीपीई सर्वेक्षण हेतु डाटा शीट प्रस्तुत करना

डीपीई की आवश्यकता के अनुसार सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2024-25 के लिए डेटा शीट 31.10.2025 को डीपीई को प्रस्तुत की गई थी।

20. समग्रता अनुबंध

कंपनी ने निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर लेनदेन अनुबंध प्राप्त करने के संबंध में समग्रता अनुबंध करने की प्रणाली आरंभ की।

21. सी ई ओ/सी एफ ओ प्रमाणन

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक(सीईओ) / निदेशक (वित्त) प्रमाणन को **अनुलग्नक -II** में शामिल किया जाएगा।

22. अनुपालन प्रमाण पत्र

कॉर्पोरेट शासन पर डी.पी.ई. के दिशानिर्देशों के अनुपालन का एक व्यावसायिक कंपनी सचिव से प्राप्त किया गया एक प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक -III** में है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(शिल्पा शिंदे)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10051735

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 जुलाई, 2026

अनुलग्नक-I

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचरण कोड के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, शिल्पा शिंदे, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, वाप्कोस लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करती हूं कि कंपनी के निदेशक बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन टीम के सभी सदस्यों ने 2024-25 के दौरान कंपनी की आचरण संहिता के अनुपालन के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

(शिल्पा शिंदे)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10051735

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 जुलाई, 2026

अनुलग्नक-II

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीईओ) और निदेशक (वित्त) (सीएफओ) द्वारा प्रमाण

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 (स्टैण्डअलोन और समेकित) के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्राप्ति विवरण की हमने उचित समीक्षा कर ली है और हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण रूप से असत्य विवरण शामिल नहीं हैं अथवा विवरण जो भ्रामक हो सकते हैं शामिल नहीं हैं।

(ii) ये विवरण मिलकर कंपनी के मामलों की एक सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं तथा वर्तमान लेखाकरण मानकों, लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

(ख) हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई ऐसे लेनदेन नहीं किए गए, जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी के आचरण कोड का उल्लंघन करते हों।

(ग) हम आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के दायित्व को स्वीकार करते हैं और हमने कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है। हमने आंतरिक नियंत्रणों के अभिकल्प या प्रचालन में कमियां, यदि कोई हैं, जिनकी हमें जानकारी है और इन कमियों को दूर करने के लिए जो कदम हमने उठाए हैं या उठाए जाने प्रस्तावित हैं, को

लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को बताया है।

(घ) हमने जहां कहीं लागू है लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्न के बारे में बताया है:

(i) वर्ष के दौरान, आंतरिक नियंत्रण में किए गए/किए जाने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों,

(ii) वर्ष के दौरान, लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, यदि कोई हैं, और उन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है।

(घ) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष से सम्बंधित न तो महत्वपूर्ण कपट का कोई मामला हमारी जानकारी में आया है और न ही कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में प्रबंधन अथवा एक महत्वपूर्ण भूमिका वाले किसी कर्मचारी की उसमें संलिप्तता पायी गयी है।

ह./-
(पी.वी. सुषमा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक)

ह./-
(शिल्पा शिंदे)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
एवं
निदेशक (वित्त) अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन: 10051735

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 जुलाई, 2026

अनुलग्नक-III

उर्वशी वर्मा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

दिनांक : 9 जुलाई, 2026

सेवा में,
सदस्य
वाप्कोस लिमिटेड
5वां तल, कैलाश,
26, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली, 110001

हमने लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.05.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम के माध्यम से 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशानिर्देश' (इसके पश्चात "डीपीई दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित) में यथानिर्धारित है के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वाप्कोस लिमिटेड (इसके पश्चात 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जिम्मेदारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की जांच तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर उपर्युकत उल्लिखित दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का सामान्यत: अनुपालन किया है :

1. कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1 का अनुपालन नहीं किया है, क्योंकि स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) का पद 22 फरवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के लिए रिक्त रहा।
2. उपर्युक्त उल्लिखित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की आवश्यकता के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित समिति (समितियों) की संरचनाा निम्नलिखित अवधि के दौरान डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थीं:
   - लेखापरीक्षा समिति: 02 फरवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025
   - नामांकन और पारिश्रमिक समिति: 02 फरवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025
   - सीएसआर समिति: 23 फरवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025
3. वित्तीय वर्ष 2024-2025 की वार्षिक आम बैठक का आयोजन कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली-II द्वारा दी गई तीन महीने की विस्तारित अवधि सहित निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त हम सूचित करते हैं कि कंपनी की सहायक कंपनी के निदेशक मंडल ने लागू दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है। हालांकि, श्री जसबीर सिंह ठाकुर के दिनांक 14.01.2025 (एएन) से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पद पर न रहने पर, 31.03.2025 को डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 6.1 का अनुपालन नहीं किया गया जिसके अंतर्गत यह आवश्यक है कि होल्डिंग कंपनी के कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक को अपनी सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित कंपनी की 55वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली-II द्वारा दी गई तीन महीने की विस्तारित अवधि सहित निर्धारित समय सीमा से परे दिनांक 15 दिसंबर, 2025 को किया गया जिसमें वित्तीय विवरणों को अपनाया गया।

इसके अतिरिक्त हम सूचित करते हैं हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही कंपनी के मामलों को प्रबंधन ने जिस प्रभावशीलता के साथ संचालित किया है, उसकी प्रभावशीलता का आश्वासन है।

की ओर से/ के लिए
उर्वशी वर्मा एंड एसोसिएट्स
(कार्यरत कंपनी सचिव)

उर्वशी वर्मा
एसीएस सं. . 55202
सीओपी सं. 20456
पीयर समीक्षा सं. 4853/2023
यूडीआईएन: A055202400079324

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 9 जुलाई, 2026

अनुलग्नक-ख

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

1. उद्योग संरचना और विकास

वाप्कोस भारत और विदेशों में व्यवसायों और समुदायों के लिए जल, विद्युत और अवसंरचना क्षेत्रों में इंजीनियरिंग परामर्शी सेवाएं और निर्माण कार्य उपलब्ध कराने के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। पिछले 5 (पांच) दशकों से, कंपनी जल, विद्युत और अवसंरचना क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करा रही है, जिन्होंने भारत और विदेशों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इसके अतिरिक्त, हम अपने विविध अनुभव, प्रमुख दक्षताओं और हमारे पास उपलब्ध नवीनतम तकनीकों का उपयोग कराते हुए अपने ग्राहकों को "अवधारणा से कमीशनिंग" और उससे आगे जल, विद्युत और अवसंरचना क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं तक सेवाएं प्रदान करते हैं। हमारी अवधारणा-से-कमीशनिंग सेवाएँ हमारे डोमेन क्षेत्रों में विभिन्न उप-क्षेत्रों और सेवाओं को पूरा करती हैं, जिनमें बांध और जलाशय इंजीनियरिंग, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और नदी आकृति विज्ञान, भूजल अन्वेषण, कृषि, वाटरशेड प्रबंधन और नदी बेसिन योजना, पर्यावरण इंजीनियरिंग, जल विद्युत और पंप भंडारण, थर्मल पावर, नवीकरणीय ऊर्जा विकास जैसे सौर और पवन, जल आपूर्ति और स्वच्छता, पोर्ट और बंदरगाह, सड़क, रेलवे और राजमार्ग इंजीनियरिंग, शहरी और ग्रामीण विकास और रोपवे जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।

वैश्विक इंजीनियरिंग सेवाओं का बाज़ार वार्षिक संयुक्त वृद्धि दर (सीएजीआर) 2.9% के साथ 2024 के $1.11 ट्रिलियन से बढ़कर 2025 में $1.14 ट्रिलियन हो जाएगा। अगले कुछ वर्षों में, इंजीनियरिंग सेवाओं के बाज़ार के आकार में स्थिर वृद्धि की उम्मीद है, जोकि सीएजीआर की 3.7% वृद्धि के साथ 2029 तक $1.31 ट्रिलियन पहुँच जाएगा। रूस-यूक्रेन युद्ध ने कम से कम अल्पावधि में, कोविड-19 महामारी से वैश्विक आर्थिक सुधार की संभावनाओं को बाधित किया है। एशिया और अफ्रीका में बुनियादी ढाँचे में निवेश के कारण इंजीनियरिंग सेवाओं के बाजार में लगातार वृद्धि होने की उम्मीद है।

2. भारतीय परिदृश्य

2.1 जल संसाधन

भारत में, जल संसाधन विकास राज्य का विषय है और इसकी परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी स्वयं की प्राथमिकताओं के अनुसार अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाता है। केंद्र में, जल संसाधन से जुड़े मंत्रालय का नाम बदलकर दिनांक 14.06.2019 को दो विभागों के साथ "जल शक्ति मंत्रालय" कर दिया गया, जिनमें से एक जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग है। इस विभाग को सौंपे गए कार्य में राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल का विकास, संरक्षण और प्रबंधन; जल के विविध उपयोगों और नदियों को जोड़ने के संबंध में जल आयोजना और समन्वय का समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य शामिल है।

भारतीय नदियों को आपस में जोड़ने का उद्देश्य भारतीय नदियों को जलाशयों और नहरों के नेटवर्क से जोड़कर भारत में जल संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा 30 नदी लिंक की पहचान की गई है। है। केवल एक, केन-बेतवा लिंक परियोजना का कार्यान्वयन शुरू हुआ है। इसे दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा ₹44,605 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था।

जल शक्ति मंत्रालय को 2025-26 में ₹99,503 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पेयजल और स्वच्छता विभाग को 2025-26 के लिए ₹74,226 करोड़ आवंटित किए गए हैं। विभाग दो प्रमुख स्कीमें कार्यान्वित करता है: (i) जल जीवन मिशन (जेजेएम), और (ii) स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी)।

(I) जल जीवन मिशन (जेजेएम)

प्रत्येक ग्रामीण परिवार (16 करोड़ परिवारों) को एक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने के लिए, जेजेएम को वर्ष 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को शामिल करते हुए लॉन्च किया गया था। 15वें वित्त आयोग ने जल आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2.36 लाख करोड़ रुपये की निधि आवंटित की थी। वर्ष 2019 और वर्ष 2024 के बीच जेजेएम का कुल अनुमानित परिव्यय 3.6 लाख करोड़ रुपये है।

केन्दीय बजट 2025-26 में, जल जीवन मिशन को ₹67,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं और इसकी अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है। मिशन का फोकस "जन भागीदारी" पर होगा, ताकि जल आपूर्ति योजनाओं की सामुदायिक स्वामित्व और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से नल जल कनेक्शनों की स्थिरता सुनिश्चित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

31.03.2025 की तिथि के अनुसार, जल जीवन मिशन ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। अगस्त 2019 में इसकी शुरूआत के बाद से, ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन की संख्या 3.23 करोड़ से बढ़कर 15.56 करोड़ से अधिक घरों तक पहुँच गई है, जो भारत की ग्रामीण जनसंख्या के लगभग 80% का प्रतिनिधित्व करती है। 2028 तक 100% कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य है।

(II) स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (एसडबल्यूएम-जी)

एसबीएम-जी को वर्ष 2019 तक सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वर्ष 2014 में शुरूआत की गई थी। योजना का दूसरा चरण वर्ष 2020 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य पहले चरण में देश द्वारा प्राप्त ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना है, और सभी गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ कवर करना है।

केन्द्रीय बजट 2025-26 में, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 7,192 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(III) अटल भूजल योजना

अटल भूजल योजना वर्ष 2020 में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य पांच वर्षों में सात राज्यों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, अटल भूजल योजना के लिए 1,780 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(IV) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

1 जुलाई 2015 को शुरू की गई, पीएमकेएसवाई को सुनिश्चित सिंचाई के साथ कृषि योग्य भूमि के विस्तार, जल की बर्बादी को कम करने और जल उपयोग की दक्षता में सुधार करने हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है। 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के कुल बजट आवंटन में 37,454 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता और कुल 93,068.56 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय शामिल है।

जल संसाधनों के क्षेत्र में वाप्कोस के प्रतिद्वंदियों में डीएचवी कंसल्टेंट्स, मॉट मैक डोनाल्ड, एमडब्ल्यूएच, नॉर कंसल्ट, एसएमईसी, समन, केईसीसी, सिनो-टेक, निप्पॉन कोएई, ताहल, केपीएमजी, अर्न्स्ट और यंग (ई एंड वाई), पीडब्ल्यूसी, डेलॉइट, मैकिंसे, ग्रांट थॉर्नटन (जीटी) कंसल्टेंट्स शामिल हैं। इसके अलावा, इस व्यवसाय क्षेत्र में वाप्कोस के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले छोटे कंसल्टेंट्स की भी एक बड़ी संख्या है।

2.2 विद्युत

भारत के आर्थिक विकास के लिए विद्युत क्षेत्र एक प्रमुख सहायक है। भारत का विद्युत क्षेत्र दुनिया में सबसे विविध क्षेत्रों में से एक है। बिजली उत्पादन के स्रोत में कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा जैसे पारंपरिक स्रोतों से लेकर पवन, सौर, ज्वारीय और कृषि और घरेलू अपशिष्ट जैसे व्यवहार्य गैर-पारंपरिक स्रोत शामिल हैं। उत्पादन, पारेषण और वितरण के तीन स्तंभों के साथ यह क्षेत्र भारत के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, भारत की कुल संस्थापित विद्युत क्षमता 475.2 गीगावॉट तक पहुंच गई है। सौर ऊर्जा की संस्थापित क्षमता ने जनवरी 2025 में 100 गीगावॉट का आंकड़ा पार कर लिया, और मार्च 2025 तक यह 105.65 गीगावॉट तक पहुँच गई। पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता ने मार्च 2025 में 50 गीगावॉट का आंकड़ा पार कर लिया। आईआरईएनए आरई सांख्यिकी मार्च 2025 के अनुसार, वैश्विक रूप से भारत सौर ऊर्जा संस्थापित क्षमता में वैश्विक स्तर पर 3, पवन ऊर्जा क्षमता में 4 और कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता में 4 स्थान पर है। सरकार 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-इंधन आधारित विद्युत उत्पादन प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध है।

भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- अप्रैल 2024 तक, भारत में 12,664 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 36 बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) कार्यानवनाधीन हैं। देश का लक्ष्य 2031 तक अपनी जलविद्युत क्षमता को वर्तमान 42 गीगावाट से बढ़ाकर 67 गीगावाट करना है।
- भारत में वर्तमान में निर्माणाधीन 7 परमाणु रिएक्टर हैं, जिनकी कुल विद्युत क्षमता लगभग 5,398 मेगावाट है। पांच राज्यों में दस नए परमाणु रिएक्टरों को मंजूरी दी गई है, जिससे 2031 तक स्थापित परमाणु क्षमता 6,780 मेगावाट से बढ़कर 22,480 मेगावाट होने की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को सौर ऊर्जा के लिए ₹24,224 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और ग्रीन हाइड्रोजन पहल के प्रति सहयोग में वृद्धि को दर्शाता है।

2.2.1 पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15.02.2024 में की थी। इस योजना के तहत लोगों को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी सोलर पैनल की लागत का 40% तक कवर करेगी। इस योजना से पूरे भारत में 1 करोड़ घरों को लाभ मिलने की संभावना है।

2.2.2 संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस)

भारत सरकार ने देश भर में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को 3,03,758 करोड़ रू. आवंटित किए हैं।

2.2.3 जलविद्युत और पीएसपी परियोजना

भारत में जलविद्युत क्षमता काफी है, पुनर्मूल्यांकन अध्ययन (2017-23) के अनुसार, उपयोग योग्य पहचान की गई क्षमता 1,33,410 मेगावाट आंकी गई है। 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, कुल स्थापित क्षमता 42,182.57 मेगावाट (31.62%) वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक योजनाएं पहले ही विकसित की जा चुकी हैं। लगभग 57.86% पहचान की गई क्षमता अभी शेष है।

पम्प भंडारण परियोजना

पीएसपी जिन्हें अक्सर 'विशाल बैटरी' कहा जाता है, कुछ समय से मौजूद हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत तकनीक हैं। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की मौसमी परिवर्तनशीलता के साथ, बैटरी भंडारण और पीएसपी जैसी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का महत्व बढ़ गया है।

पीएसपी सेक्टर में महत्वपूर्ण विकास देखा जा रहा है। वर्तमान में, भारत में 10 पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिनकी कुल क्षमता 11,870 मेगावाट है। सरकार ने 30 गीगावॉट बीईएसएस क्षमता विकास के लिए पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) से 5,400 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने 2031-32 तक 35 गीगावॉट पीएसपी क्षमता शामिल कने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

2.3 अवस्थापना

अवसंरचना क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है। पीएम गति शक्ति अवसंरचना योजना से लेकर विकास और उपयोग के चरण तक अवसंरचना निर्माण में वास्तविक सार्वजनिक-निजी भागीदारी सुनिश्चित करेगी।

(I) अमृत 2.0

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 योजना की शुरूअता, 01 अक्टूबर, 2021 को 05 वर्ष की अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष (2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक) के लिए की गई है। अमरुत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक व्यय ₹2,99,000 करोड़ है, जिसमें केंद्रीय भाग के रूप में ₹76,760 करोड़ शामिल हैं। केन्द्रीय बजट 2025-26 में, सरकार ने अमृत 2.0 के लिए ₹60,000 करोड़ आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त, शहरी विकास, जल और स्वच्छता परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 1 लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष की घोषणा की गई है।

(II) एसबीएम शहरी

स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) का उद्देश्य शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना और देश के शहरों में नगरपालिका ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन प्राप्त करना है। शहरी भारत ओडीएफ बन गया है, सभी 4,715 यूएलबी पूरी तरह से ओडीएफ हैं। अपशिष्ट प्रसंस्करण 2014 के 17% से बढ़कर 2024 में 80% हो गया है। केन्द्रीय बजट 025-26 में, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिए लगभग ₹19,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

2.3.1 सड़क

केंद्र सरकार के बजट 2025-26 के अंतर्गत, भारत सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% बढ़ोतरी के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) को 2,87,100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। एनएचसएआई को 1,87,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क वित्त वर्ष 2025 में 1,46,342 किलोमीटर तक विस्तारित हुआ, जिसमें इस वर्ष के दौरान 10,660 किलोमीटर का निर्माण किया गया।

2.3.2 पत्तन, बंदरगाह और अंतर्देशीय जलमार्ग

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार,मात्रा के हिसाब से भारत का लगभग 95 प्रतिशत व्यापार और मूल्य के हिसाब से 70 प्रतिशत व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह और 205 अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। केन्द्रीय बजट 2025-26 में, समुद्री अवसंरचना के दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए ₹25,000 करोड़ की एक समुद्री विकास निधि की स्थापना की जा रही है, जिसमें सरकार द्वारा 49% तक का योगदान हो सकता है। आईडब्ल्यूएआई को ₹1,752 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सागरमाला को ₹866 करोड़ आवंटित किए गए हैं। आंतरिक जलमार्ग और तटीय शिपिंग के अंश को 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% करने के लिए तटीय कार्गो संवर्धन योजना की घोषणा की गई है।

2.3.3 रेलवे

भारतीय रेलवे को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स) के रूप में रिकॉर्ड 2,65,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। भारतीय रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड राजस्व 2,62,000 करोड़ रुपये अर्जित किया। वित्तीय वर्ष 25 में माल लोडिंग रिकॉर्ड 1.61 अरब टन तक पहुँच गया। इस आवंटन में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत, और 200 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण शामिल है। भारत ने 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 22 में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

2.3.4 पर्यटन मंत्रालय : स्वदेश दर्शन

स्वदेश दर्शन 2.0 योजना एक पर्यटक-केंद्रित दृष्टिकोण का अनुपालन करती है, पर्यावरण की दृष्टि से सतत पद्धतियों को बढ़ावा देने के साथ विभिन्न स्थानों पर बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करती है।

2.3.5 राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी)

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) को वित्तीय वर्ष 2024-30 के मध्य 1.723 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (रु. 143 ट्रिलियन) के कुल अवसंरचना व्यय के लक्ष्य के साथ 9,335 परियोजनाओं तक विस्तारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान एनआईपी में 25,00,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ लगभग 3,500 परियोजनाओं को शामिल किया गया। एनआईपी निवेश में चार मुख्य क्षेत्र सड़कें (23%), ऊर्जा (21%), जल और स्वच्छता (15%) और रेलवे (12%) प्रमुख बने हुए हैं।

3. अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

3.1 जल संसाधन

दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में जल संसाधन क्षेत्र में प्रचुर अवसर आ रहे हैं। इस विकास में सहायता के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी), अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी), केएफडब्ल्यू, एक्जिम बैंक, जेआईसीए, संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फंडिंग संस्थान (यूएनडीपी, एफएओ) आदि निम्न और मध्यम आय वाले देशों को अनुदान और ऋण प्रदान कर रहे हैं।

3.2 विद्युत

3.2.1 जल विद्युत

अफ्रीका और एशिया में प्रचुर मात्रा में जलविद्युत संसाधन हैं। जलविद्युत उत्पादन उनकी कुल क्षमता की तुलना में बहुत कम है जिसके लिए परियोजनाओं को मांग केंद्रों से जोड़ने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है।

3.2.2 थर्मल

दक्षिण अफ्रीका दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा कठोर कोयला उत्पादक है। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर जोर देने सहित ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क में सुधार की बढ़ती आवश्यकता है।

3.2.3 सौर

अफ्रीका में, विशेष रूप से उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में उच्च गुणवत्ता वाली सौर ऊर्जा का विशाल संसाधन है।

3.2.4 ट्रांसमिशन एवं वितरण परियोजनाएँ

विद्युतीकरण का किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद के आकार से गहरा संबंध है। अपनी क्षमताओं और अनुभव के साथ वाप्कोस अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका में अवसरों का लाभ उठा सकता है।

3.3 अवसंरचना

अफ्रीका सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक व्यावसायिक संभावनाएं हैं। मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, नाइजीरिया और केन्या जैसे देश अफ्रीका में अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या की दृष्टि से अग्रणी हैं।

4. दृष्टिकोण

भारत सरकार की कुछ प्रमुख स्कीमें, जिनमें कंपनी के लिए उपलब्ध अवसर इस प्रकार हैं:

क) जल जीवन मिशन

ख) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

ग) अटल भूजल योजना

घ) एडीबी के अवसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम के तहत पर्यटन अवसंरचना विकास

ङ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

च) स्वच्छ भारत अभियान

छ) स्मार्ट सिटी मिशन

ज) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

झ) प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)

ञ) मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी

ट) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)

ठ) संशोधित सुधार-लिंक्ड परिणाम-आधारित वितरण क्षेत्र योजना

ड) पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान)

ढ) पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (एक करोड़ घरों के लिए रूफटॉप सोलर)

ण) राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन

त) शहरी चुनौती कोष (1 लाख करोड़ रुपये) - जल और स्वच्छता और शहरों को विकास केंद्र के रूप में

थ) पम्पड भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) – 2031-32 तक 35 गीगावॉट लक्ष्य

5. सेगमेंट रिपोर्टिंग

वर्ष 2024-25 के लिए बैलेंस शीट के साथ संलग्न 'खातों पर नोट्स' के पैरा 47 का संदर्भ लिया जा सकता है।

6. परिचालन संचालन के संदर्भ में वित्तीय कार्य निष्पादन

2024-25 में, ग्राहकों के स्थान के आधार पर राजस्व के संदर्भ में कंपनी ने घरेलू स्तर पर परामर्श क्षेत्र में 464.76 करोड़ रुपये और निर्माण परियोजनाओं में 948.21 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, परामर्श परियोजनाओं में राजस्व 199.07 करोड़ रुपये का रहा है। संचालन से कुल लाभ 223.77 करोड़ रुपये रहा। 2024-25 में रिज़र्व और अधिशेष 340.89 करोड़ रुपये का रहा है। कंपनी को भारत सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं मिल रही है और उसे अपने संचालन के लिए अपने स्वयं के संसाधन सृजित करने की आवश्यकता होती है। कंपनी के अधिकांश ग्राहक केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग हैं जो अपनी प्रक्रियाओं/बजटीय और अन्य बाधाओं के कारण को भुगतान जारी करने में काफी समय लेते हैं। जैसा कि बैलेंस शीट में दिया गया है, कंपनी के पास ग्राहकों से व्यापार प्राप्तियां हैं, जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित कर रही हैं, हालांकि, इन देनदारों से वसूली के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

7. शक्ति एवं कमजोरियां

7.1 शक्ति

1. **सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड:** वाप्कोस के पास इंजीनियरिंग परियोजनाओं को पूरा करने का पांच दशकों से अधिक का सफल इतिहास है, जो उद्योग में इसकी विश्वसनीयता और भरोसे को बढ़ाता है। 26 जून 1969 को स्थापित, कंपनी को डीपीई, भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न श्रेणी-I (अनुसूची ख) का दर्जा प्रदान किया गया है परामर्श सेवाओं के लिए ISO 9001:2015 द्वारा प्रमाणित है।

2. **वैश्विक उपस्थिति:** 50 से अधिक देशों में फूटप्रींट के साथ, वाप्कोस की एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति है, जो इसे वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने और अपने राजस्व धाराओं में विविधता लाने में सक्षम बनाती है। वाप्कोस को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा उसकी वार्षिक प्रापण रिपोर्ट 2021-22 में जल और शहरी अवस्थापना के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय परामर्श प्रतिष्ठान के रूप #1 स्थान प्रदान किया गया है।

3. **कुशल मानव संसाधन:** कंपनी के पास अपने कार्यबल में एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले 1,000 से अधिक कुशल इंजीनियर शामिल हैं। यह वाप्कोस को उच्च-गुणवत्ता वाली सेवाएँ देने और प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखने में सक्षम बनाता है।

4. **इन-हाउस विशेषज्ञता:** आयोजना, डिज़ाइन और परियोजना मॉनिटरिंग में वाप्कोस के विशेषज्ञों की इन-हाउस टीम प्रतिस्पर्धियों पर एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, जिससे बेहतर परियोजना निष्पादन और क्लाइंट संतुष्टि संभव होती है।

5. **साझेदारियां:** सीडब्ल्यूसी, सीईए, सीडब्ल्यूपीआरएस, जीएसआई और सीएसएमआरएस जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करने की क्षमता, वाप्कोस को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और ज्ञान तक पहुंच प्रदान करती है, जिससे इसकी सेवा पेशकश में और वृद्धि होती है।

6. **चुनौतीपूर्ण वातावरण के प्रति अनुकूलनशीलता:** वाप्कोस ने अपनी अनुकूलनशीलता और लचीलेपन का प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया और फिजी जैसे विविधता वाले और चुनौतीपूर्ण इलाकों में काम करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है।

7. **बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों के साथ काम करने का अनुभव:** बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों के साथ काम करने का कंपनी का अनुभव बड़े पैमाने की परियोजनाओं और विविध वित्तपोषण स्रोतों तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है।

7.2 कमज़ोरियाँ

1. **तकनीकी परामर्श पर निर्भरता: तकनीकी परामर्श पर निर्भरता:** कंपनी का 50% से अधिक राजस्व तकनीकी परामर्श से आता है, जो इस क्षेत्र में मंदी या बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण जोखिम भरा हो सकता है।

2. **अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में चुनौतियाँ:** विभिन्न देशों में स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ वाप्कोस के निरंतर परिचालन को प्रभावित करती हैं, जिससे यह अपने नियंत्रण से परे बाहरी कारकों के प्रति कमज़ोर हो जाती है।

अपनी शक्तियों का लाभ उठाने और इन कमजोरियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करके, वाप्कोस निरंतर विकास जारी रख सकती है और वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी इंजीनियरिंग कंपनी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रख सकती है।

8. अवसर और जोखिम

8.1 अवसर

वैश्विक इंजीनियरिंग सेवा बाजार के 2024 में 1.11 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 3.7 % की सीएजीआर के साथ 2029 तक 1.31 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है। यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों द्वारा संचालित होगी।

भारत में, बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के साथ, नगरपालिका और औद्योगिक उपयोग के लिए जल की मांग तदनुसार बढ़ रही है। विशेष रूप से अवसंरचना, प्रौद्योगिकियों और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में इससे जल बाजार में नवाचार और समाधान के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत होता है।

अवसंरचना संबंधी व्यय पर बढ़ते फोकस ने दुनिया भर में अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। विशेष रूप से विकासशील देशों में जल, विद्युत और अवसंरचना उभरते हुए क्षेत्र हैं जिनके लिए अवसंरचना विकास की बहुत आवश्यकता है।

क. **जल :** दुनिया के शीर्ष 10 जल-समृद्ध देशों में से एक के रूप में, भारत के पास अद्वितीय अवसर है। 750 बिलियन क्यूबिक मीटर की वार्षिक मीठे जल की खपत और वर्ष 2030 तक 1.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर तक अनुमानित वृद्धि के साथ, संभावना बहुत बड़ी है। सरकार के जल जीवन मिशन (जेजेएम) का, अब 2025 में 67,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने के साथ 2028 तक विस्तार किया गया है, जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना है और इसमें सार्वजनिक और निजी पक्षों के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। 31.03.2025 की तिथि के अनुसार, 15.56 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों (80.38%) को नल जल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। पानी की कमी वाले राज्यों भूजल प्रबंधन के लिए 2025-26 में अटल भूजल योजना को 1,780 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

ख. **विद्युत :** विद्युत क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक है भारत संस्थापित विद्युत क्षमता के साथ दुनिया में विद्युत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। 31 मार्च 2025 तक कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 475.2 गीगावॉट है। भारत ने जनवरी 2025 में 100 गीगावॉट सौर क्षमता प्राप्त की और अब इसे सौर ऊर्जा में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त है। सरकार ने 2031-32 तक 35 गीगावॉट पंप्ड भंडारण परियोजना (पीएसपी) क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें वर्तमान में 10 पीएसपी (11,870 मेगावॉट) निर्माणाधीन हैं। भारत जी20 देशों में एकमात्र ऐसा देश है जो पेरिस समझौते के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के पथ पर है।

ग. **अवस्थापना :** अवसंरचना क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख चालक है। सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, आर्थिक गलियारे, किफायती आवास, सौर ऊर्जा, जल आपूर्ति और स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अवसंरचना विकास पर जोर को विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण लीवर के रूप में पहचाना जाता है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) को वित्त वर्ष 2024–30 के दौरान 1.723 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के लक्ष्य के साथ 9,335 परियोजनाओं तक विस्तारित किया गया है। एमओआरटीएच को 2,87,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और भारतीय रेल को 2025-26 में रिकॉर्ड सीएपीईएक्स 2,65,200 करोड़ रुपये प्राप्त हुए है। समुद्री अवसंरचना के दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए 25,000 करोड़ रुपये का समुद्री विकास कोष स्थापित किया गया है। भारत 2047 तक भारत को 'विकसित राष्ट्र' बनाने के दृष्टिकोण को अपनाते हुए अगली तिमाही में अवसंरचना क्षेत्र में एक तरह की क्रांति की परिकल्पना कर रहा है।

घ. **जल, विद्युत और अवस्थापना :** इन क्षेत्रों में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदर्शित करते हैं और वाप्कोस इस संभावना के प्रति अत्यधिक महत्वाकांक्षी है। नए देशों में व्यवसाय के विविधीकरण के साथ-साथ इन क्षेत्रों में निरंतर व्यापार करने वाले देशों पर कंपनी का ध्यान केंद्रित है।

8.2 जोखिम

1. **तीव्र प्रतिस्पर्धा:** विभिन्न देशों में स्थानीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने से लाभदायक मार्जिन पर नई परियोजनाओं को प्राप्त करने में चुनौती पैदा होती है, जो विकास और लाभप्रदता को प्रभावित कर सकती है।
2. **जनशक्ति प्रतिधारण:** विशेष रूप से उभरते बाजारों में दक्ष जनशक्ति को बनाए रखना एक चुनौती है जो प्रभावी ढंग से समाधान नहीं किए जाने पर परियोजना वितरण और समग्र प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है।
3. **सीमित बाजार विविधीकरण:** यद्यपि वाप्कोस की वैश्विक उपस्थिति है, फिर भी कुछ प्रमुख बाजारों पर निर्भरता हो सकती है, जो कि एक कमजोरी बन सकती है यदि वे बाजार आर्थिक या राजनीतिक अस्थिरता का सामना करते हैं।

9. नियोजित लोगों की संख्या सहित मानव संसाधन प्रबंधन

31 मार्च, 2025 तक कंपनी में नियमित कर्मचारियों की संख्या 874 थी। भारत और विदेश में परियोजना कार्यों के लिए अनुबंध कर्मचारियों के अलावा सलाहकार, प्रतिनियुक्तिकर्ता और विशेषज्ञों को आवश्यकतानुसार नियुक्त किया जाता है। ऐसे विशेषज्ञों के पास जो तकनीकी ज्ञान है, उसे कंपनी के अपने इंजीनियरों को हस्तांतरित कर दिया गया है, ताकि उन पर निर्भरता कम हो सके।

कंपनी में युवा लोगों के बड़े अनुपात को देखते हुए, कंपनी ने जनसांख्यिकीय बदलाव देखा है। कर्मचारियों में अपनेपन की भावना पैदा करने और उनमें उत्साह पैदा करने के लिए, मानव संसाधन विभाग ने कई उपाय किए हैं।

मानव संसाधन विभाग ने अपने विभिन्न उपायों के माध्यम से कर्मचारियों को प्रेरित करके तथा उनकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करते हुए और सीमित कर्मचारी संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ी हुई कार्य प्रतिबद्धता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।

9.1 कल्याणकारी उपाय/औद्योगिक संबंध

कंपनी ने अपने विभिन्न प्रेरक तथा कल्याणकारी उपायों जैसे चिकित्सा स्कीम, स्वास्थ्य जांच, कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, परोपकारी निधि योजना, बीमा योजना आदि के माध्यम से सभी स्तरों पर कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। कंपनी में औद्योगिक संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण तथा सामंजस्यपूर्ण रहे हैं।

9.2 प्रशिक्षण और कौशल विकास

प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। यह प्रभावी प्रबंधन की आधारशिला है क्योंकि यह कर्मचारियों को अधिक दक्ष और उत्पादक बनाता है। प्रशिक्षण किसी भी कंपनी के लिए सिर्फ़ महत्वपूर्ण ही नहीं है, यह बहुत आवश्यक भी है। यह उत्पादकता में सुधार और गुणवत्ता मानकों के पालन में सहायता करता है। कर्मचारी ऐसे कौशल विकसित करते हैं जो उन्हें अधिक विविधतापूर्ण कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। मानव संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य कार्य निष्पादन में सुधार लाने तथा व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षण गतिविधियों का आयोजन करना है, जिसका उद्देश्य नौकरी, व्यक्ति और संगठन में सुधार लाना है। प्रमुख शिक्षण पहलों के लिए व्यापक, समन्वित और गतिशील दृष्टिकोणों के विकास पर विशेष जोर दिया जाता है। प्रशिक्षण सभी कर्मचारियों के ज्ञान के आधार को विस्तारित करने का एक प्रमुख अवसर प्रस्तुत करता है। प्रशिक्षण और विकास से पूरी कंपनी और व्यक्तिगत कर्मचारियों दोनों को लाभ मिलता है। विकास कार्यक्रम सभी कर्मचारियों को उच्च स्तर पर लाता है ताकि उन सभी के पास समान कौशल और ज्ञान हो। वाप्कोस ने कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

10 पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, तकनीकी-तार्किक संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

वाप्कोस पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों पर परामर्शी सेवा उपलब्ध कराता है, जिसमें विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं पर पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन; पर्यावरण प्रबंधन योजनाएँ; पर्यावरण मॉडलिंग अध्ययन; जलीय पारिस्थितिक अध्ययन; जैव-विविधता संरक्षण और आवाह क्षेत्र उपचार शामिल हैं। कंपनी गंगा बेसिन और अन्य नदी बेसिनों में विभिन्न राज्यों में घाटों और नदी तट विकास कार्यों में भी शामिल है।

नवीकरणीय ऊर्जा विकास के संबंध में, कंपनी सौर ऊर्जा, लघु जलविद्युत और सूक्ष्म जलविद्युत योजनाओं के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करती है जिसमें कंपनी व्यवहार्यता अध्ययन और विश्वसनीय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के एक भाग के रूप में स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भू-तकनीकी मानचित्रण, भू-तकनीकी जांच से संबंधित परामर्शी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

11. जोखिम और चिंताएँ

वाप्कोस मूल रूप से एक परामर्श प्रदाता कंपनी है और भारत और विदेशों में जल संसाधन, विद्युत तथा अवसंरचना के सभी पहलुओं में इंजीनियरिंग परामर्शी सेवाएँ प्रदान करती है। व्यावसायिक संचालन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड की स्वीकृति से जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई थी।

कंपनी की सामान्य चिंताओं में वैश्विक बाजारों में मंदी, कम मार्जिन पर संचालन, इंजीनियरिंग, अधिप्रापण और निर्माण अनुबंधों की मांग में वृद्धि के कारण बोली लगाने से पहले निर्माण कंपनियों/निर्माताओं के साथ साझेदारी की आवश्यकता, दक्ष मेनपावर का उच्च टर्नओवर आदि शामिल हैं।

12. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी उपयुक्तता

कंपनी के पास अपने परिचालन के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ हैं। कंपनी कॉर्पोरेट शासन की प्रथाओं का अनुपालन कर रही है और कंपनी के मामलों की देखरेख के लिए बोर्ड स्तरीय ऑडिट/सीएसआर/आरएंडडी/पारिश्रमिक/परियोजना समीक्षा समिति और विभिन्न नीतियाँ/योजनाएँ हैं जिनकी समीक्षा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास एक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है जो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है। आंतरिक लेखा परीक्षक अभिज्ञात क्षेत्रों में प्रमुख नियंत्रणों की प्रभावशीलता की स्वतंत्र जांच भी करते हैं। आवधिक आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है।

13. चेतावनीपूर्ण वक्तव्य

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण में वक्तव्य वर्तमान व्यावसायिक माहौल पर आधारित होते हैं। वास्तविक परिणाम भारत और विदेश दोनों में भविष्य की आर्थिक और अन्य घटनाओं के आधार पर व्यक्त या निहित परिणामों के कारण भिन्न हो सकते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(शिल्पा शिंदे)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10051735

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 जुलाई, 2026

अनुलग्नक-ग

सीएसआर गतिविधियों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति से संबंधित संक्षिप्त रूपरेखा - संलग्नक ग-1 के रूप में संलग्न

2. सीएसआर समिति की संरचना :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदशेक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठक में भाग लेने की संख्या
1	श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत*	अध्यक्ष (स्तंतत्र निदेशक)	3	3
2	श्री जसबीर सिंह ठाकुर**	सदस्य (स्तंतत्र निदेशक)	3	3
3	श्री पार्थ सारथी घोष***	सदस्य एवं अध्यक्ष (स्तंतत्र निदेशक)	0	0
4	श्री लखनलाल साहू****	सदस्य एवं अध्यक्ष (स्तंतत्र निदेशक)	3	3
5	श्री अनुपम मिश्रा^	सदस्य निदेशक (वाणिज्य एवं मा.सं.वि.)	1	0
6	श्री पंकज कपूर^^	सदस्य निदेशक (वित्त)	3	3
7	श्री आनन्द मोहन^^^	अध्यक्ष (सरकारी नामांकित निदेशक)	1	1
8	श्री अमिताभ त्रिपाठी^^^^	सदस्य निदेशक (वाणिज्य एवं मा.सं.वि.)	1	1

* 11.01.2025 से अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे।

** 14.01.2025 से सदस्य के पद पर नहीं रहे।

*** 1. 15.01.2025 से सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।
2. 07.02.2025 से सीएसआर समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
3. 22.02.2025 से अध्यक्ष और सदस्य के पद पर नहीं रहे।

**** 1. 15.01.2025 से सीएसआर समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
2. 01.02.2025 से अध्यक्ष और सदस्य के पद पर नहीं रहे।

^ 31.08.2024 से सदस्य के रूप में पद पर नहीं रहे।

^^ 01.09.2024 से सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

^^^ 03.03.2025 से सीएसआर समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

^^^^ 07.02.2025 से सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

3. कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं जानकारी हो। http://www.wapcos.co.in/csr/

4. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो तो (रिपोर्ट संलग्न करें)। --

5. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुप में निर्धारण हेतु उपलब्ध राशि का शिरा। वित्तीय वर्ष के लिए हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो, का विवरण

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से निर्धारण हेतु उपलब्ध राशि (रुपये में)	पिछले वित्तीय वर्षों से निर्धारण हेतु अपेक्षित राशि (रुपये में)
	-		

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का शुद्ध औसत लाभ रू. 36,25,75,149

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत का दो प्रतिशत रू. 72,51,503

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेष -

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो -

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग) रू. 72,51,503

8. (क) वित्तीय वर्ष व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि:

अव्ययित राशि (रूपये में)

वित्तीय वर्ष में व्यव की गई कुल राशि. (रुपये में)	अव्ययित राशि (रूपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी कोष में अंतरित सशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	कोष का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
रू. 13,05,188	रू. 59,46,315	28.04.2025	-	-	-

(ख) वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	चालू वित्त वर्ष में परियोजना हेतु आवंटित राशि (रू. में)	चालू वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि (रू. में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि (रू. में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्यवयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
46,06,245/- रू. (अनुलग्नक-ग2 के रूप में संलग्न)												

(ग) वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना हेतु व्यय की गई राशि (रुपये करोड़ में)।	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/नहीं)।	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
-									

(घ) प्रशासनिक उपशीर्षों में व्ययित राशि- रू. 62151

(ड) प्रभाव मूल्यांकन पर व्ययित राशि, यदि लागू हो___

(च) वित्तीय वर्ष में व्ययित कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ)- रू. 13,05,188

क्र. सं.	विवरण	राशि (रूपये में)
(I)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	72,51,503
(ii)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि	13,05,188
(iii)	वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	—
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	—
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में निर्धारण हेतु उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	—

9. (क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)।	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी कोष में अंतरित राशि, यदि कोई हो।			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)
				कोष का नाम	राशि (रू में .)	अंतरण की तिथि	
1	2023-2024	रू 24,34,466	18,55,332 (अनुलग्नक ख के रूप में संलग्न)	-	-	-	5,79,134

(ख) विगत वित्तीय वर्ष (वर्षों) में जारी परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	जिस वित्तीय वर्ष में परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना हेतु आवंटित कुल राशि (रुपये में)।	रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि (रुपये में)।	रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति- पूर्ण/जारी

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से निर्मित अथवा या अर्जित परिसम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करें। —

(क) पूंजीगत संपत्ति (सम्पत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि। —

(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि। —

(ग) उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि —

(घ) निर्मित या अर्जित की गई पूंजीगत परिसंपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें। —

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

2024-2025 के दौरान, कंपनी ने धारा 135 (5) क अनुसार शुद्ध औसत लाभ के 2% का उपयोग सीएसआर कार्यों के लिए किया है। हालांकि, 2% के लक्ष्य की तुलना में व्यय 0.36 % है। गतिविधियां पूरी न होने के कारण शेष राशि जारी नहीं की जा सकी। तदनुसार, शेष राशि को उपरोक्त मद संख्या 8 (क) कॉलम 2 में दर्शाए गए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है।

ह./-
प्रदीप कुमार अग्रवाल
(अध्यक्ष सीएसआर समिति)
डीआईएन: 06982197

ह./-
शिल्पा शिंदे
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10051735

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 जुलाई, 2026

अनुलग्नक-ग

अनुलग्नक-ग-1

सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

वाप्कोस लिमिटेड जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रलय, भारत सरकार के अंतर्गत एक मिनी रत्न' सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 26 जून, 1969 को निगमित, वाप्कोस भारत और विदेशों में जल संसाधन, विद्युत और अवस्थापना क्षेत्र के संबंधित सभी क्षेत्रों में परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। वाप्कोस की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत परामर्शी सेवाओं से संबंधी आईएसओ 9001:2015 की गुणवत्ता आश्वासन आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है।

विगत कई वर्षों से वाप्कोस विभिन्न सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण संबंधी गतिविधियों का संचालन कर रहा है। 2010 से यह सीएसआर और सतत विकास के संबंध में लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों और तत्पश्चात अप्रैल 2013 से लागू संशोधित दिशानिर्देशों के साथ सरेखन करते हुए अपने प्रयास जारी रखे हुए है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, वाप्कोस भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं का पालन करता है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 27.2.14 को जारी अधिसूचना सहित, वाप्कोस कंपनी द्वारा किए गए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों से संबंधित सीएसआर नियमों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 का भी पालन करता है।

एक जागरूक कार्पोरेट नागरिक के रूप में, सीएसआर और स्थिरता के लिए वाप्कोस की अच्छी तरह से तैयार की गई नीति न केवल अपने दायित्वों को पूरा करती है बल्कि समाज पर भी सार्थक प्रभाव डालती है।

वाप्कोस सीएसआर विजन

"जीवन की गुणवत्ता और समाज की आर्थिक भलाई में सुधार करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रयासरत एक जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक बनना।"

सीएसआर नीति के उद्देश्य

- संगठन में अपने व्यवसाय को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से संचालित करने के लिए सभी स्तरों पर प्रतिबद्धता को बढ़ाना जो पारदर्शी और नैतिक हो।
- उपयुक्त सीएसआर परियोजनाओं की पहचान करने और उन्हें लागू करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।
- समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कठिनाई और दरिद्रता को दूर करने में सहायता करना।
- ग्रामीण/शहरी समाज में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सामुदायिक संपत्ति का निर्माण करना।
- कार्यान्वयन के लिए ग्लोबल काम्पैक्ट के सिद्धांतों की सदस्यता लेते हुए अच्छे कार्पोरेट नागरिक के रूप में कार्य करना
- एक जिम्मेदार कार्पोरेट इकाई के रूप में वाप्कोस की छवि को सुदृढ़ करना।

सीएसआर के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र

वाप्कोस की सीएसआर नीति अपने घोषित दृष्टिकोण, मिशन और उद्देश्यों के अनुरूप विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र में अपनी मौजूदा क्षमता का उपयोग करके सामाजिक आवश्यकताओं के लिए पूर्ण समाधान प्रदान करने के इर्द-गिर्द घूमती है।

वाप्कोस सीएसआर को व्यवसाय के संचालन के एक तरीके के रूप में देखता है जो नैतिक प्रणालियों और स्थायी प्रबंधन पद्धतियों के कार्यान्वयन और एकीकरण के माध्यम से अपने हितधारकों की बेहतरी के लिए राशि के निर्माण और वितरण को सक्षम बनाता है। वाप्कोस अधिदेश एजेंडा कंपनी को संगठनात्मक अखंडता और नैतिक व्यवहार के उच्च स्तर को बनाए रखते हुए सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए बाध्य करता है, इसकी गतिविधियों के सभी क्षेत्रे में रिपोर्टिंग और इसके प्रदर्शन का खुलासा करने में पारदर्शिता के अपेक्षित मानकों के अनुरूप, अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए चिंता प्रदर्शित करना, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने वाली उत्पादन विधियों, वाणिज्यिक संचालन और प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना, और गैर-वित्तीय मापदंडों में समान रूप से सराहनीय उपलब्धियों के साथ अपने वित्तीय प्रदर्शन का मिलान करके निवेशकों और शेयरधारकों के भरोसे और विश्वास को बनाए रखना। सीएसआर के लिए यह दृष्टिकोण सामाजिक आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर प्रभाव डालने में एक परामर्शी संगठन के रूप में वाप्कोस की भूमिका को मजबूत करता है।

संस्थागत व्यवस्था

वाप्कोस में सीएसआर गतिविधियों के लिए संस्थागत ढांचा इस प्रकार है:

इस विषय पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के लिए एक दो स्तरीय संरचना बनाई गई थी। इस संरचना में बोर्ड स्तरीय समिति में एक कार्यात्मक निदेशक तीन स्वतंत्र निदेशक साथ ही अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। बोर्ड स्तर से नीचे की समिति में मुख्य कार्यकारी निदेशक (पर्यावरण और निर्माण प्रबंधन) को नोडल अधिकारी के रूप में, वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (अवस्था.-II) (जून 2024 तक), वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (विद्युत), महाप्रबंधक (निगमित योजना और सीएसआर), मुख्य प्रबंधक (पीआरएंडए) और अपर मुख्य प्रबंधक (वित्त) को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है।

निधियों का स्रोत

कंपनी के औसत शुद्ध लाभ (धारा 198 के प्रावधान के अनुसार गणना की जाने वाली) के 2% की निर्धारित सीमा तत्काल पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अधिनियम 2013 और सीएसआर नियमों में यथा निर्धारित 2024-25 के दौरान अपनी कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के अनुसरण में खर्च करने के लिए निर्धारित है।

वाप्कोस में सीएसआर और स्थिरता प्रक्रिया

(i) आयोजना:

नियोजन के पहले चरण में सीएसआर के व्यापक क्षेत्र/परियोजनाओ की पहचान की जाती है। यह बजट आवंटन और सीएसआर परियोजनाओं के क्षेत्र/स्थान की पहचान के आधार पर किया जाता है।

सीएसआर और स्थिरता परियोजना के चयन पर अतिम निर्णय लेने से पहले, वाप्कोस परियोजना के कार्यान्वयन के माध्यम से सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय प्रभाव के अपेक्षित स्तर के लिए आवश्यक संसाधन इनपुट के वास्तविक मूल्याकन के लिए इच्छित लाभार्थियों की जरूरतों का आकलन करता है।

(ii) कार्यान्वयन:

वाप्कोस द्वारा सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी एजेंडे के तहत चुनी गई गतिविधियों को आम तौर पर एक प्रोजेक्ट मोड में लागू किया जाता है, जिसमें नियोजित प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्पादन के चरणों को तैयार करना, संसाधनों की पूर्व- अनुमानित मात्र को जुटाना और आबंटित बजट और नर्धारित समय सीमा के भीतर शामिल होता है। इसमें उन नामित अधिकारियों/एजेंसियों की स्पष्ट जिम्मेदारी और जवाबदेही सौंपना भी शामिल है जिन्हें कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। सभी सीएसआर और स्थिरता परियोजनाएं परिभाषित डिलिवरेबल्स, नियोजित समयसीमा और कार्यान्चयन भागीदारों के माध्यम से की जाती है।

(iii) निगरानी:

समय-सीमा, बजटीय व्यय और भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि के संदर्भ में प्रगति अपेक्षित लाइनों पर है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए पहचान किए गए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की मद से समय-समय पर निगरानी की जाती है, आवधिकता मुख्य रूप से प्रदर्शन संकेतकों की प्रकृति द्वारा निर्धारित की जा रही है। कार्यान्वयन में निरंतर प्रतिक्रिया और मध्य-पाठयक्रम सुधार, जब भी आवश्यक हो, प्रभावी निगरानी प्रक्रिया के प्रमुख घटक हैं।

(iv) प्रभाव आकलन:

समय-समय पर जारी नीति/दिशानिर्देशों के अनुरूप जहां भी आवश्यक हो, प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है।

सीएसआर और स्थायित्व का स्पष्ट रूप से जोर सतत विकास समावेशी विकास क्षमता निर्माण समुदायों के सशक्तिकरण समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण पिछड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने और समाज के हाशिए पर आये और वंचित वर्गों के उत्थान पर है। गतिविधियों के चयन के दौरान समाज के वंचित, उपेक्षित और कमजोर वर्गों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सतत और समावेशी विकास पर मुख्य बल दिया जाता है।

राष्ट्रीय विकास एजेंडे में सबसे अधिक गम्भीर विषय वाले मुद्दों जैसे वंचितों के सतत और समावेशी विकास के लिए स्कूली शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल और पोषण आदि को प्राथमिकता दी जाती है।

वाप्कोस ने 2024-25 के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य देखभाल और पोषण स्कूली शिक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और वंचितों वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सीएसआर और स्थिरता संबंधी पहल की है। व्यापक रूप से, वाप्कोस ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सीएसआर और स्थिरता गतिविधियाँ शुरू की हैं जिनका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है:-

स्वास्थ्य देखभाल /निवारक स्वास्थ्य देखभाल

तुगलकाबाद गाँव, नई दिल्ली की झुग्गी बस्ती की वंचित महिलाओं को स्वास्थ्य (शारीरिक/मानसिक) सेवाएँ और पोषण प्रदान करना।





पर्यावरणीय स्थिरता

- राजस्थान के जोधपुर जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पीने के पानी के लिए ट्यूब वेल की स्थापना।




- राजस्थान के फलोदी जिले के बाप ब्लॉक के तेपू गाँव में पीने के पानी के लिए ट्यूब वेल की स्थापना।




- बिहार के मुजफ्फरपुर की जिला अदालत के लिए 25किलोवॉट ऑन ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना।







वित्तीय वर्ष 2024-25 में जारी परियोजनाओं के संबंध में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण

अनुलग्नक-ग-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में दी गई गतिविधियों की सूची में से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना हेतु आवंटित राशि (रू. में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रू. में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना हेतु अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की जाने वाली राशि (रु में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	राजस्थान के फालोदी जिले के बाप ब्लॉक के टेपू गांव में पेयजल हेतु ट्यूबवेल की स्थापना	मद सं. 4 पर्यावरणीय स्थिरता	नहीं	राजस्थान	फालोदी	15-02-2025 से 31-08-2025	24,86,073.77	12,43,037	12,43,037	नहीं	अर्पण सेवा संस्थान	CSR00000826
2.	बिहार में मुजफ्फरपुर के जिला न्यायालय के लिए 25 किलोवाट के ग्रिड सौर ऊर्जा संयत्र की स्थापना	मद सं. 4 पर्यावरणीय स्थिरता	नहीं	बिहार	मुजफ्फरपुर	29-03-2025 से 29-07-2025	23,85,075	-	23,85,075	नहीं	इम्पीरियल सर्विस डेवलेपमेंट सोसायटी	CSR00011369
3.	बिहार में राजकीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरपुर में खेल अवसंरचना का विकास	मद संख्या 7 खेलों को बढ़ावा	नहीं	बिहार	मुजफ्फरपुर	29-03-2025 से 29-09-2025	24,87,742	-	23,18,203	नहीं	अभ्युदय ट्रस्ट	CSR00019017
4.	ग्रामीण फिटनेस हब- एक वाप्कोस सीएसआर पहल", राजस्थान में जोधपुर जिले के बालेसर ब्लॉक के वस्तवा माता गांव में जिम की स्थापना	मद संख्या 7 खेलों को बढ़ावा	नहीं	राजस्थान	जोधपुर	31-03-2025 से 30-09-2025	23,30,400	-	-	नहीं	अर्पण सेवा संस्थान	CSR00000826
							96,89,290.77	**12,43,037**	**59,46,315**			

वर्ष 2023-24 में अव्ययित सीएसआर खाते से परियोजनाओं पर किया गया व्यय (वर्ष 2024-2025 के दौरान संवितरित)

अनुलग्नक-ग-3

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना शामिल है	परियोजनाएँ/कार्यक्रम 1 स्थानीय क्षेत्र/अन्य 2 राज्य/जिला निर्दिष्ट करें (उस जिले/ राज्य का नाम जहाँ परियोजना/ कार्यक्रम आयोजित किया गया)	परियोजना/कार्यक्रम-वार राशि व्यय (बजट)	वर्ष 2022-23 के लिएअखर्च सीएसआर खाते सेपरियोजना पर खर्च की गई राशि(2023-24 के दौरान खर्च की गई)	राशि का व्यय प्रत्यक्ष / कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1.	तुगलकाबाद गांव, नई दिल्ली की झुग्गी बस्ती की वंचित महिलाओं को स्वास्थ्य (शारीरिक/मानसिक) सेवाएं और पोषण प्रदान करना	स्वास्थ्य एवं पोषण	1. दिल्ली 2. दिल्ली	रू.12,83,230/- (रू.5,29,380/- 2023-24 के दौरान व्यय)	रू. 7,28,238/-	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2.	राजस्थान के जोधपुर जिले के सेखला ब्लॉक के गड़ा गांव में पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल की स्थापना	पर्यावरणीय स्थिरता	1. जोधपुर 2. राजस्थान	रू.16,76,442.74/- (रू.8,38,221/- 2023-24 के दौरान व्यय)	रू. 5,10,615/-	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
3.	राजस्थान के जोधपुर जिले के सेरगढ़ ब्लॉक के गजे सिंह नगर गांव में पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल की स्थापना	पर्यावरणीय स्थिरता	1. जोधपुर 2. राजस्थान	रू.16,84,787.55/- (रू 8,42,393.77/- 2023-24 के दौरान व्यय)	रू. 6,16,479/-	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
			Total	**रू. 24,34,466/-**	**रू. 18,55,332/-**	

2024-25 के दौरान सीएसआर परियोजना व्यय

अनुलग्नक-ग-4

क्र. सं.	कार्यकलाप का नाम	जिस क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजनाएं / कार्यक्रम 1 स्थानीय क्षेत्र / अन्य 2 राज्य / जिले को निर्दिष्ट करें (उस जिले / राज्य का नाम जहां परियोजना / कार्यक्रम संचालित किया गया था)	परियोजना/कार्यक्रम वार राशि परिव्यय (बजट)	परियोजना / कार्यक्रम पर व्यय की गई राशि उपशीर्ष 1. परियोजना पर प्रत्यक्ष व्यय 2. उपरि शीर्ष	2024-2025 के दौरान संचित व्यय राशि	प्रत्यक्ष/कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि
1.	राजस्थान के फलोदी जिले के बाप ब्लॉक के टेपू गांव में पेयजल हेतु ट्यूबवेल की स्थापना	पर्यावरणीय स्थिरता	1. तेपु गांव, फालोदी 2. राजस्थान	रु 24,86,073.77	1. रु 12,43,037 2. -	रु 12,43,037	अर्पण सेवा संस्थान
2.	बिहार में मुजफ्फरपुर के जिला न्यायालय के लिए 25 किलोवाट के ग्रिड सौर ऊर्जा संयत्र की स्थापना	पर्यावरणीय स्थिरता	1. मुजफ्फरपुर 2. बिहार	रु 23,85,075	1. - 2. -	-	इंपीरियल सर्विस डेवलपमेंट सोसाइटी
3.	बिहार में राजकीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरपुर में खेल अवसंरचना का विकास	खेलों को बढ़ावा देना	1. मुजफ्फरपुर 2. बिहार	रु 24,87,742	1. - 2. -	-	अभ्युदय ट्रस्ट
4.	ग्रामीण फिटनेस हब- एक वाप्कोस सीएसआर पहल", राजस्थान में जोधपुर जिले के बालेसर ब्लॉक के वस्तवा माता गांव में जिम की स्थापना	खेलों को बढ़ावा देना	1. बालेसर ब्लॉक, जोधपुर 2. राजस्थान	रु 23,30,400	1. - 2. -	-	अर्पण सेवा संस्थान
				रु 96,89,290.77	**रु 12,43,037**	**रु 12,43,037**	

वर्ष 2023-2024 में अव्ययित सीएसआर खाते से परियोजनाओं पर व्यय (2024-2025 के दौरान वितरित)

क्र. सं.	कार्यकलाप का नाम	जिस क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजनाएं / कार्यक्रम 1 स्थानीय क्षेत्र / अन्य 2 राज्य / जिले को निर्दिष्ट करें (जिस जिले / राज्य में परियोजना / कार्यक्रम चलाया गया था उसका नाम)	परियोजना/कार्यक्रम वार राशि परिव्यय (बजट)	वर्ष 2023-24 के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते से परियोजना पर खर्च की गई राशि (24-25 में व्यय किया गया)	प्रत्यक्ष/कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि
1.	तुगलकाबाद गांव, नई दिल्ली की झुग्गी-बस्तियों की वंचित महिलाओं को स्वास्थ्य (शारीरिक / मानसिक) सेवाएं और पोषण प्रदान करना	स्वास्थ्य और पोषण	1. दिल्ली 2. दिल्ली	रु.12,83,230 (2023-24 के दौरान 5,29,380 रुपये व्यय किए गए)	रु 7,28,238	शांति सहयोग
2.	राजस्थान के जोधपुर जिले के सेखला ब्लॉक के गड़ा गांव में पेयजल हेतु ट्यूबवेल की स्थापना	पर्यावरणीय स्थिरता	1. सेखला ब्लॉक जोधपुर 2. राजस्थान	रु.16,76,442.74 (2023-24 के दौरान 8,38,221 रुपये व्यय किए गए)	रु 5,10,615	अर्पण सेवा संस्थान
3.	जोधपुर जिले के सेरगढ़ ब्लॉक के गजे सिंह नगर गांव में पेयजल के लिए ट्यूबवेल की स्थापना	पर्यावरणीय स्थिरता	1. सेरगढ़ ब्लॉक जोधपुर 2. राजस्थान	रु.16,84,787.55 (2023-24 के दौरान व्यय की गई राशि रु. 8,42,393.77)	रु 6,16,479	अर्पण सेवा संस्थान
				रु 24,34,466	**रु 18,55,332**	

निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधि संबंधी वार्षिक रिपोर्ट

क्रम सं	विवरण	जानकारी
1.	कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक का संदर्भ शामिल है।	अनुलग्नक-ग-1 के रूप में संलग्न http://www.wapcos.co.in/csr/
2.	सीएसआर समिति की संरचना (31.03.2025 तक)	श्री आनंद मोहन, अध्यक्ष श्री पंकज कपूर, सदस्य श्री अमिताभ त्रिपाठी, सदस्य
3.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	**रु. 36,25,75,149/-** (2021-22, 2022-23 एवं 2023-24)
4.	निर्धारित सीएसआर व्यय (ऊपर मद 3 में उल्लिखित राशि का दो प्रतिशत)	रु 72,51,503/-
5.	वित्तीय वर्ष के दौरान व्ययित सीएसआर राशि का विवरण	
	(क) वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली कुल राशि	रु. 13,05,188/-
	(ख) अव्ययित राशि, यदि कोई हो;	-
	वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण नीचे दियागया है।	अनुलग्नक-ग-4 के रूप में संलग्न
6.	यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भाग के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि व्यय न करने का कारण बताएं।	लागू नहीं।
7.	सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुरूप है।	

ह./-
प्रदीप कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष सीएसआर समिति
डीआईएन:06982197

ह./-
शिल्पा शिंदे
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन:10051735

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 जुलाई, 2026

अनुलग्नक-घ

ऊर्जा का सरंक्षण, प्रौद्योगकी का समावेश, विदेशी विनियम अर्जित आय एवं व्यय

ऊर्जा का सरंक्षण

एक परामर्शी संगठन होने के नाते वाप्कोस के संचालन में ऊर्जा की किसी प्रकार की महत्वपूर्ण खपत नहीं होती है। हालाँकि, जहाँ भी संभव हो एलईडी बल्ब और ऊर्जा बचत उपकरणों का उपयोग किया गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने समग्र जलवायु क्षेत्र में स्थित वाप्कोस लिमिटेड, गुड़गांव कार्यालय को बीईई 4 (****) नाम पत्र (लेबल) से सम्मानित किया है।

प्रौद्योगिकी का समावेश

1.	प्रौद्योगिकी के समावेश के लिए किए गए प्रयास	**प्रभाग में निम्नलिखित सॉफ्टवेयर खरीदे गए:** क) पीएसएसई - पॉवर सिस्टम अध्ययन हेतु इंजीनियरिंग के लिये पॉवर सिस्टम अनुकारक ख) ई टी ए पी - पावर सिस्टम का अध्ययन (मॉड्यूल) ग) पी एल एस - कैड - ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन सॉफ्टवेयर घ) पीएलएस टावर - पावर ट्रांसमिशन टावर का डिजाइन घ) पीएलएस पोल - वितरण पोल का डिजाइन च) पी वी सिस्ट - सौर ऊर्जा उत्पादन का अध्ययन करने का सॉफ्रटवेयर छ) पीएलएस - एसएपीएस - पावर का संरचनात्मक विश्लेषण संचार प्रणाली ज) एम एस- परियोजनाएं 2016 प्रोफेशनल - परियोजना निगरानी उपकरण झ) एस टी ए डी डी प्रो - संरचनात्मक विश्लेषण और कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन ण) कृत्रिम बुद्धि ट) अर्कजीआईएस सॉफ्रटवेयर - आर्कजीआईएस एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) अनुप्रयोग है। सॉफ्रटवेयर अन्य आर्कजीआईएस उत्पादों के साथ बनाए गए मानचित्रें को देखने और क्वेरी करने की अनुमति देता है।
2.	प्राप्त हुए लाभ जैसे उत्पाद में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद में विकास, आयात का स्थानापन्न	सॉफ्टवेयर बहुत अधिक लाभदायक होते हैं क्योंकि ये न्यूनतम समय अवधि में उच्च गुणवत्ता का कार्य करते हैं। इन सॉफ्रटवेयरों का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है: **क) ईटीएपी** विद्युतीय प्रणाली के निर्माण और विश्लेषण के दौरान उसके डायनेमिक्स, ट्रांसजिएंट और सुरक्षा को शामिल करते हुए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मॉडलिंग और सॉफ्रटवेयर के सिमुलेशन में इलेक्ट्रिकल ट्रांसिएंट एनालाइजर प्रोग्राम का प्रयोग (ईटीएपी)किया जा रहा है। • शॉर्ट सर्किट अध्ययन - सिस्टम में प्रत्येक भाग पर उपलब्ध त्रुटि का निर्धारण करने के लिए इनका प्रयोग जाता है। ये अध्ययन सर्किट ब्रेकरों के आवश्यक हस्तक्षेप करने वाली क्षमता का निर्धारण करने में मदद करते हैं जो एक उचित रिले सिस्टम को डिजाइन करने का आधार बनते हैं। • लोड फ्रलो अध्ययन - पावर सिस्टम प्रचालन और नियोजन में समस्याओं के अन्वेषण में यह अध्ययन महत्वपूर्ण है। **ख) पीएलएस-कैड** - सर्वेक्षण डाटा पर आधारित ट्रांसमिशन लाइन रूट प्रोफाइल के लिए डिजाइन और विकास हेतु तत्काल रूकावट, स्वीकृति और लोड गणना हेतु प्रयोग किया जाता है।

		• सर्वेक्षण डाटा के आधार पर वितरण लाइन रूट प्रोफाइल का डिजाइन और विकास **ग) पीएलएस-टावर**- इसका प्रयोग पावर ट्रांसमिशन टावर की डिजाइनिंग में किया जा रहा है। **घ) पीएलएस-पोल** - सॉफ्टवेयर के साथ (जैसे वितरण पोल की डिजाइनिंग) का निर्माण शीघ्रता से करने में सहायता। **ङ) पीवी सिस्टम - इसका प्रयोग सौर पीवी आधारित प्रणालियों के सौर ऊर्जा उत्पादन और कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की (तकनीकी और वित्तीय) गणना के लिए किया जाता है।** **च) पीएलएस - एसएपीएस** • पावर और संचार प्रणाली का संरचनात्मक विश्लेषण एक सामान्य संरचनात्मक विश्लेषण कार्यक्रम है और इसका प्रयोग बाधा क्षमताओं, पावर और संचार प्रणाली के संरचनात्मक विश्लेषण की गणना करने के लिए किया जाता है। **छ) एम एस परियोजनाएं-2016 (व्यावसायिक)** • परियोजना मॉनिटरिंग, परियोजनाओं का विश्लेषण, वित्तीय संसाधनों का आवंटन, मानव संसाधन प्रबंधन **ज) एस टी ए डी डी प्रो** • संरचनात्मक विश्लेषण, मॉडल की डिजाइनिंग परिशुद्ध तथा किफायती डिजाइन, लोडिंग स्थितियों का निर्धारण।

3.	आयात की गई प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्त वर्ष के आरंभ से गणना करते हुए पिछले 3 वर्षों के दौरान आयात किए गए)	
क)	आयात की गई प्रौद्योगिकी का विवरण	क) पीएसएसई-जर्मनी से आयातित ख) ईटीएपी- यूएसए से आयातित ग) पीएलएस-कैड/टावर/पोल - यूएसए से आयातित घ) पीवी सिस्ट - भारत ङ) पीएलएस - एसएपीएस - यूएसए से आयातित च) एमएस-परियोजनाएं - 2016 (व्यावसायिक) छ) एसटीएडीडी प्रो ज) आर्कजीआईएस – भारत से
ख)	आयात का वर्ष	क) ईटीएपी- 2012 (वर्तमान तिथि तक अद्यतन) ख) पीएलएस-कैड/टावर/पोल - 2013 (2018 को उन्नयन किया गया) ग) पीवी सिस्ट - 2013 घ) पीएलएस - एसएपीएस - 2019 ङ) एमएस-परियोजनाएं - 2014 (व्यावसायिक) च) एस टी ए डी डी प्रो - 2013/2014 छ) पीएसएसई ज) आर्कजीआईएस
ग)	क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह समावेशित कर लिया गया है	हां और प्रचालन में है
घ)	यदि समावेषित नहीं किया गया है तो उन क्षेत्रें के बारे में बताएं जहां समावेषित नहीं किया गया है और उसका कारण भी बताएं_और	लागू नहीं
4	अनुसंधान और विकास पर होने वाला व्यय	शून्य

विदेशी विनियम आय एवं व्यय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय से आय एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:-

आय	व्यय
172.29 करोड़ रू.	**73.32 करोड़ रू.**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(शिल्पा शिंदे)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 10051735

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 जुलाई, 2026

अनुलग्नक–च

प्रपत्र संख्या एमआर-3

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुपालन में]

सेवा में,

सदस्य, वाप्कोस लिमिटेड

5वां तल, कैलाश, 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग,

नई दिल्ली-1100011

हमने वाप्कोस लिमिटेड (इसके पश्चात "कंपनी" के रूप में संदर्भित) जिसका पंजीकृत कार्यालय 5वां तल कैलाश, 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 पर स्थित है, के द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों और बेहतर निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई है जिसने हमें निगमित लेन-देन/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु एक समुचित आधार प्रदान किया है।

कंपनी की पुस्तकें, दस्तावेज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और दर्ज विवरणी तथा अन्य अनुरक्षित अभिलेख, और साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान प्रदान की गई जानकारी, हमें दिए गए व्याख्यानों और स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति के आधार पर, हम यह सूचित करते हैं कि हमारी राय में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का सामान्यतः अनुपालन किया है और साथ ही यह भी कि कंपनी के पास बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन तंत्र उचित रूप से मौजूद हैं, जोकि उस सीमा तक, जिस रीति में और यहां इसके पश्चात दी गई जानकारी के अध्यधीन है।

हमने 'कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों" के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कंपनी द्वारा धारित और हमें उपलब्ध कराए गए अन्य अभिलेखों तथा दाखिल की गई विविरणियों, पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और की जांच की है।

इसके अतिरिक्त, हमने "भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों" और समय-समय पर यथा संशोधित "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों" (डीपीई दिशानिर्देशों) की प्रयोज्य धाराओं के अनुपालन की जाचं की है

इसके अतिरिक्त, हमने कंपनी द्वारा लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून के अनुपालन की जांच नहीं की है, क्योंकि इन्हें सांविधिक वित्तीय लेखा परीक्षक और अन्य नियुक्त पेशेवरों द्वारा की जाने वाली समीक्षा के अध्यधीन रखा गया है

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार निदेशक मंडल में महिला निदेशक नहीं थी।

2. कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 4 और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1 के अनुपालन में नहीं किया गया क्योंकि स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) का पद 22 फरवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 की अवधि तक रिक्त रहा।

3. उपर्युक्त उल्लिखित के अनुसार आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की आवश्यकता गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित समिति (समितियों) की संरचना निम्नलिखित अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थीं:

- लेखापरीक्षा समिति: 02 फरवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025
- नामांकन और पारिश्रमिक समिति: 02 फरवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025
- सीएसआर समिति: 23 फरवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025

3. वित्तीय वर्ष 2024-2025 की वार्षिक आम बैठक का आयोजन कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली-II द्वारा दी गई तीन महीने की विस्तारित अवधि सहित निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया गया।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-1 की आवश्यकताओं के अनुसार बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त पर विधिवत हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

हम यह सुचित करते हैं कि::

बोर्ड सदस्यों को पर्याप्त नोटिस, एजेंडा और एजेंडा संबंधी विवरण नोट उपलब्ध कराने के माध्यम से समुचित रीति से बोर्ड बैठके आयोजित की गई, और बैठक से पूर्व एजेंडा मदों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक सहभागिता हेतु एक प्रणाली मौजूद है।

अधिकांश निर्णय सहमति से लिए जाते हैं जबकि असहमति रखने वाले सदस्यों के विचारों को बैठकों के कार्यवृत्तों के भाग के रूप में अभिलेखित और दर्ज किया जाता है।

इसके अतिरिक्त हम यह भी सूचित करते हैं कि::

प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने और निगरानी हेतु कंपनी में कंपनी के आकार और संचालन की दृष्टि से पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

की ओर से/ के लिए
उर्वशी वर्मा एंड एसोसिएट्स
(कार्यरत कंपनी सचिव)

उर्वशी वर्मा
एसीएस सं. . 55202
सीओपी सं. 20456
पीयर समीक्षा सं. 4853/2023
यूडीआईएन:A055202I000793170

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 9 जुलाई, 2026

इस रिपोर्ट को संलग्नक क के रूप में डी संलग्न हमारे समसंख्यक तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना है और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है

'अनुलग्नक क'

सेवा में,

सदस्य, वाप्कोस लिमिटेड

5वां तल, कैलाश, 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग,

नई दिल्ली-1100011

हमारी पत्र के साथ समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर, इन सचिवीय रिकाडों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।

2. हमने उन लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकाडों की सामग्री की शुद्धता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन, परीक्षण आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सचिवीय रिकार्डों में सही तथ्य परिलक्षित हो रहे हैं। हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. समीक्षाधीन अवधि की सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को हमें उपलब्ध कराया गया है; हालांकि कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और बहीखातों की सटीकता और उपयुक्तता कंपनी की ओर से प्राप्त प्रबंधन के प्रत्युत्तर पर निर्भर करती है।

4. जहां कहीं आवश्यक हो, हमे कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और आयोजनों आदि के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक और अपना अभिमत देने तक सीमित थी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र है या नहीं।.

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्टन तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों से सबंधित कार्य किया है।.

के लिए

उर्वशी वर्मा एंड एसोसिएट्स

उर्वशी वर्मा

(कार्यरत कंपनी सचिव)

एसीएस सं.. 55202

सी पी सं..: 20456

पीयर समीक्षा सं. 4853/2023

यूडीआईएन: A055202II000793170

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 9 जुलाई, 2026

अनुलग्नक–च

सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन पर प्रत्युत्तर

क्र. सं.	सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	टिप्पणी पर कंपनी की प्रत्युत्तर
1.	वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार निदेशक मंडल में महिला निदेशक कार्यरत नहीं थी।	सरकारी कंपनियों में निदेशकों की नियुक्ति का प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, हमने अपनी कंपनी के निदेशक मंडल में महिला-सह-स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति हेतु अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात जल शक्ति मंत्रालय से अनुरोध किया है। नियुक्ति प्रतीक्षित है।
2.	कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 4 और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1 के अनुपालन में नहीं किया गया क्योंकि स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) का पद 22 फरवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 की अवधि तक रिक्त रहा।	सरकारी कंपनियों में निदेशकों की नियुक्ति का प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, हमने अपनी कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति हेतु अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात जल शक्ति मंत्रालय से अनुरोध किया है। नियुक्ति प्रतीक्षित है।
3.	उपर्युक्त उल्लिखित के अनुसार आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की आवश्यकता गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित समिति (समितियों) की संरचना निम्नलिखित अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थीं: • लेखापरीक्षा समिति: 02 फरवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 • नामांकन और पारिश्रमिक समिति: 02 फरवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 • सीएसआर समिति: 23 फरवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025	सरकारी कंपनियों में निदेशकों की नियुक्ति का प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, हमने अपनी कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति हेतु अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात जल शक्ति मंत्रालय से अनुरोध किया है। नियुक्ति प्रतीक्षित है।
4.	वित्तीय वर्ष 2024-2025 की वार्षिक आम बैठक का आयोजन कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली-II द्वारा दी गई तीन महीने की विस्तारित अवधि सहित निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया गया।	वित्तीय विवरणों से संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षा मार्च 2026 में पूरी की गई थी और वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 03 मार्च, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया था। इसके अतिरिक्त, सीएंडएजी की टिप्पणियां मई 2026 में प्राप्त हुई हैं। तदनुसार, वार्षिक आम बैठक निर्धारित समय अवधि के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी।
5.	कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-1 की आवश्यकताओं के अनुसार बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त पर विधिवत हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।	कंपनी लागू खंड के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

अनुलग्नक-छ

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की अहर्ताओं के सम्बन्ध में प्रबंधन के प्रत्युत्तर

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण:

क्र.सं.	लेखापरीक्षक अहर्ता अभिमत	प्रबंधन के प्रत्युत्तर
1.	यह कि व्यापार देयकों की पहचान सूक्ष्म और लघु के रूप में प्रबंधन द्वारा तैयार की गई है और हमारे द्वारा इस भरोसा किया गया है। हालांकि, एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत अपेक्षित ब्याज के लिए कोई प्रावधान कंपनी द्वारा इन एमएसएमई विक्रेताओं को भुगतान के लिए बकाया अतिदेय शेष राशि पर नहीं किया गया है, प्रबंधन के दृष्टिकोण से, ऐसे विक्रेताओं को भुगतान उनके द्वारा सहमत और विधिवत स्वीकार की गई शर्तों के अनुसार किया गया है। एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत बैलेंस शीट में कुल व्यापार देय राशि 39,652.05 लाख रुपये दर्शाया गया है। हमारी राय में, विलंबित भुगतानों पर ब्याज, यदि कोई हो, तो एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार प्रदान किया जाना आवश्यक है। हालाँकि, इस तरह के ब्याज की राशि प्रबंधन द्वारा निर्धारित नहीं की गई है और हम वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव निर्धारित करने में असमर्थ थे। इसके अलावा, हमने पाया कि प्रबंधन द्वारा बताई गई एमएसएमई शेष राशि उचित प्राधिकारी के साथ दायर एमएसएमई रिटर्न से सहमत नहीं है। एमएसएमई रिटर्न के अनुसार, एमएसएमई विक्रेताओं को देय बकाया राशि 36,004.68 लाख रुपये है, जबकि वित्तीय विवरणों में 39,652.05 लाख रुपये का प्रकटीकरण किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 3,647.37 लाख रुपये की राशि का का अंतर सामने आया है।	कंपनी ने ऐसे एमएसएमई विक्रेताओं को देय बकाया शेष राशि पर एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, क्योंकि एमएसएमई विक्रेताओं के साथ सहमत भुगतान शर्तों में बैक-टू-बैक भुगतान खंड शामिल है। प्रबंधन का विचार है कि इन विक्रेताओं को भुगतान पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार किया जा रहा है, जिसे संबंधित पक्षों द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है। इसके अलावा, किसी भी एमएसएमई विक्रेता द्वारा आज तक विलंबित भुगतान पर ब्याज का कोई दावा नहीं किया गया है। तदनुसार, प्रबंधन ने विचार किया है कि वित्तीय विवरणों में विलंबित भुगतान पर ब्याज के प्रति कोई देयता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, यह सादर सूचित किया जाता है कि कंपनी द्वारा उचित प्राधिकारी के साथ दायर एमएसएमई रिटर्न प्रासंगिक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किए गए लेनदेन को दर्शाने वाली अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित था और इसमें पिछली अवधि से आगे ले जाया गया शेष शामिल नहीं था। हालांकि, बैलेंस शीट में, रिपोर्टिंग तिथि पर समापन शेष को विधिवत प्रकट किया गया था। कंपनी यह आश्वासन देती है कि आगे चलकर अर्धवार्षिक एमएसएमई रिटर्न भी पिछली अवधि से आगे ले जाने वाले शुरुआती शेष राशि को शामिल करके तैयार किया जाएगा।
2.	वसूली योग्य दावों की शेष राशि, व्यापार प्राप्य, ठेकेदारों को अग्रिम, व्यापार प्राप्य, ठेकेदारों को अग्रिम, व्यापार देय और ठेकेदारों से प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि, यदि कोई हो, की पुष्टि और परिणामी समायोजन के अधीन है। इसके अलावा, समय पक्ष शेष राशि पुष्टिकरण प्राप्त करने की प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि काफी संख्या में पक्षों को भेजे गए पुष्टिकरण अनुरोधों का जवाब नहीं दिया गया है। लेखा पुस्तकों के अनुसार शेष राशि और यदि कोई हो तो प्राप्त पुष्टिकरण के अनुसार शेष राशि के बीच के अंतर का समाधान किया जाना बाकी है। लंबित समाधान या शेष की पुष्टि का वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का वर्तमान में अभी तक पता नहीं चला है।	सांविधिक लेखा परीक्षक के अवलोकन के संदर्भ में, यह सादर प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी के प्रमुख ग्राहक सरकारी विभाग/संगठन हैं, जिनमें आम तौर पर एकल प्रविष्टि प्रणाली के तहत लेखांकन किया जाता है और काफी समय के अंतराल के बाद पुष्टि प्राप्त होती है। कंपनी ने पहले ही सभी संबंधित देनदारों, लेनदारों और ठेकेदारों को व्यापार प्राप्य, ठेकेदारों को अग्रिम, व्यापार देय और प्रतिधारण राशि/प्रतिधारण राशि से संबंधित शेष राशि की पुष्टि के लिए शेष पुष्टिकरण अनुरोध जारी किये हैं। प्रबंधन का विचार है कि ऐसे शेष राशि के समेकन पर कोई भौतिक समायोजन होने की संभावना नहीं है। हालाँकि, पुष्टिकरण प्राप्त होने और उसके समाधान पर उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजन, यदि कोई हों, तो उसका उचित समय पर लेखांकन किया जाएगा।

समेकित वित्तीय विवरण:

क्र.सं.	लेखापरीक्षक अहर्ता अभिमत	प्रबंधन के प्रत्युत्तर
1.	1. यह कि व्यापार देयकों की पहचान सूक्ष्म और लघु के रूप में प्रबंधन द्वारा तैयार की गई है और हम पर भरोसा किया गया है। हालांकि, एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत अपेक्षित ब्याज के लिए समूह द्वारा इन एमएसएमई विक्रेताओं को भुगतान के लिए बकाया अतिदेय शेष राशि के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, प्रबंधन के दृष्टिकोण से, ऐसे विक्रेताओं को भुगतान उनके द्वारा सहमत और विधिवत स्वीकार की गई शर्तों के अनुसार किया गया है। एमएसएमईडी अधिनियम के तहत शामिल कुल व्यापार देय राशि बैलेंस शीट में 42,322.78 लाख रुपये है। हमारी राय में, विलंबित भुगतानों पर ब्याज, यदि कोई हो, तो एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार प्रदान किया जाना आवश्यक है। हालाँकि, इस तरह के ब्याज की राशि प्रबंधन द्वारा निर्धारित नहीं की गई है और हम वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव निर्धारित करने में असमर्थ थे इसके अलावा, हमने पाया कि प्रबंधन द्वारा सूचित एमएसएमई शेष राशि उचित प्राधिकारी के साथ दायर एमएसएमई रिटर्न से सहमत नहीं है। एमएसएमई रिटर्न के अनुसार, एमएसएमई विक्रेताओं को देय बकाया राशि 38,064.55 लाख रुपये है, जबकि वित्तीय विवरणों में 42,322.78 लाख रुपये का खुलासा किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 4,258.23 लाख रुपये का अंतर सामने आया है	समूह ने ऐसे एमएसएमई विक्रेताओं को देय बकाया शेष राशि पर एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, क्योंकि एमएसएमई विक्रेताओं के साथ सहमत भुगतान शर्तों में बैक-टू-बैक भुगतान खंड शामिल है। प्रबंधन का विचार है कि इन विक्रेताओं को भुगतान पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार किया जा रहा है, जिसे संबंधित पक्षों द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है। इसके अलावा, किसी भी एमएसएमई विक्रेता द्वारा आज तक विलंबित भुगतान पर ब्याज का कोई दावा नहीं किया गया है। तदनुसार, प्रबंधन ने विचार किया है कि वित्तीय विवरणों में विलंबित भुगतान पर ब्याज के प्रति कोई देयता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, यह सादर प्रस्तुत किया जाता है कि समूह द्वारा उचित प्राधिकारी के साथ दायर एमएसएमई रिटर्न प्रासंगिक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किए गए लेनदेन को दर्शाने वाली अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित था और इसमें पिछली अवधि से आगे ले जाया गया शेष राशि शामिल नहीं थी। हालांकि, बैलेंस शीट में, रिपोर्टिंग तिथि पर समापन शेष को विधिवत प्रकट किया गया था।
2.	वसूली योग्य दावों की शेष राशि, व्यापार प्राप्य, ठेकेदारों को अग्रिम, व्यापार प्राप्य, ठेकेदारों को अग्रिम, व्यापार देय और ठेकेदारों से सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि, यदि कोई हो, की पुष्टि और परिणामी समायोजन के अधीन है। इसके अलावा, समय पर पार्टी बैलेंस पुष्टिकरण प्राप्त करने की प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पार्टियों को भेजे गए पुष्टिकरण अनुरोधों की एक महत्वपूर्ण संख्या का जवाब नहीं दिया गया है। लेखा पुस्तकों के अनुसार शेष राशि और यदि कोई हो तो प्राप्त पुष्टिकरण के अनुसार शेष राशि के बीच के अंतर का समाधान किया जाना बाकी है। लंबित समाधान या शेष की पुष्टि का वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, वर्तमान में अभी तक पता नहीं चला है।	सांविधिक लेखा परीक्षक के अवलोकन के संदर्भ में, यह सादर प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी के प्रमुख ग्राहक सरकारी विभाग/संगठन हैं, जिनमें आम तौर पर एकल प्रविष्टि प्रणाली के तहत लेखांकन किया जाता है और काफी समय के अंतराल के बाद पुष्टि प्राप्त होती है। समूह ने पहले ही सभी संबंधित देनदारों, लेनदारों और ठेकेदारों को व्यापार प्राप्य, ठेकेदारों को अग्रिम, व्यापार देय और प्रतिधारण धन/प्रतिधारण राशि से संबंधित शेष राशि की पुष्टि के लिए शेष की पुष्टि के अनुरोध जारी किये हैं। प्रबंधन का विचार है कि ऐसे शेष राशि के समेकन पर कोई भौतिक समायोजन होने की संभावना नहीं है। हालाँकि, पुष्टिकरण प्राप्त होने और उसके समाधान पर उत्पन्न होने वाले परिणामी समायोजन, यदि कोई हों, तो उसका उचित समय पर लेखांकन किया जाएगा।

नोट्स

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के संबंध में वाप्कोस लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यढांचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वाप्कोस लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने का दायित्व अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक का है। यह उल्लिखित किया जाता है कि ऐसा उनके द्वारा उनकी दिनांक 11 अप्रैल 2026 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया जो उनकी पूर्व की दिनांक 03 मार्च 2026 लेखापरीक्षा रिपोर्ट को प्रतिस्थापित करती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष से संबंधित वाप्कोस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुंच के बिना, स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चयनित जांच तक सीमित है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान, मेरे द्वारा उठाई गई कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को अमल में लाने हेतु सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा/ चाहूंगी जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरी राय में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर रूप से समझने के लिए आवश्यक हैं:

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

ए.1 बैलेंस शीट

परिसंपत्ति-गैर वर्तमान परिसंपत्ति

अन्य अमूर्त संपत्ति (2ख) 222.83 लाख

इसमें प्रापण, डिजाइन, कार्यान्वयन, रखरखाव और प्रशिक्षण अथवा वाप्कोस में ईआरपी समाधान हेतु पूंजीकृत राशि शामिल है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में 220.95 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 में 170.75 लाख रुपये का ईआरपी व्यय किया और क्रमशः 70.22 लाख रुपये और 157.27 लाख रुपये का मूल्यह्रास किया।

भारतीय लेखा मानक 38 के संदर्भ में यह पूंजीकरण सही नहीं है क्योंकि उपयोगकर्ता स्वीकार्यता परीक्षण और मॉड्युल की कार्यक्षमता की सम्पूर्णता से संबंधित किसी भी दस्तावेज की अनुपस्थिति में 'ईष्टम उपयोग हेतु उपलब्ध परिसम्पत्ति' से संबंधित संबंध में शर्त की पूर्ति नहीं होती है।

इसके परिणामस्वरूप विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियों का कम आंकलन और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का ₹ 391.70 लाख का अधिक आंकलन हुआ है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान 157.27 लाख रुपये के मूल्यह्रास की अधिक गणना की गई है, जिसके परिणामस्वरूप उसी राशि के लाभ का कम आकलन किया गया है। साथ ही, वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 70.22 लाख का मूल्यह्रास, जो कि पिछली अवधि की एक त्रुटि है, को भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार अन्य इक्विटी (अनुसूची 13) को समायोजित करने की आवश्यकता है।

ख. अन्य टिप्पणियाँ

ख.1 इक्विटी (अन्य इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार नहीं किया गया है, विगत वर्ष प्रबंधन पत्र के माध्यम से इस मुद्दे की जानकारी प्रदान करने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ख..2 वित्तीय विवरणों का नोट 1.9.1 (परिभाषित अंशदान योजना) का संदर्भ अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि 'कंपनी द्वारा कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि न्यास में अंशदान किया जाता है जो समूह के ट्रस्ट के निवेश पर रिटर्न और ब्याज दर के बीच कमी, यदि कोई हो, की पूर्ति के दायित्व की सीमा तक एक परिभाषित लाभ योजना है। परिभाषित अंशदान योजना शीर्षक के अंतर्गत

एक परिभाषित लाभ योजना का प्रकटीकरण सही नहीं है और कंपनी को सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित अपनी लेखांकन और लेखांकन नीति के प्रकटीकरण की समीक्षा करनी चाहिए।

ख.3 आकस्मिक देयता, आकस्मिक परिसंपत्तियां और प्रतिबद्धताएं (नोट 51)

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 51 (4) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कहा गया है कि, "व्यावसायिक निष्पादन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कंपनी उन एमएसई विक्रेताओं से वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त कर रही है जिनके साथ कंपनी ने वस्तुओं और सेवाओं (एमएसई विक्रेताओं द्वारा प्रदान की गई) की स्वीकृति के बाद ग्राहक से संबंधित भुगतान जारी करने के पश्चात भुगतान करने संबंधी समझौता किया है। इस प्रकार कंपनी एमएसई विक्रेताओं के संबंध में अपने बहीखातों में कोई ब्याज प्रदान नहीं कर रही है।

यह प्रकटीकरण एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुरूप नहीं है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 और 16 में एमएसई आपूर्तिकर्ताओं को विलंबित भुगतान पर सांविधिक ब्याज का भुगतान अनिवार्य है, जबकि अधिनियम की धारा 24 किसी भी समझौते या अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद धारा 15 से 23 के प्रावधानों को प्राथमिकता देती है। इसके अलावा,भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार, जहां एक वर्तमान विधिक दायित्व मौजूद है, आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभव है, और विश्वसनीय अनुमान संभव है, तो देयता को प्रावधान के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता होती है।

एमएसएमई विक्रेताओं को विलंबित भुगतान पर ब्याज का प्रावधान न करना लेखांकन अनुमान का विषय नहीं है, अपितु भारतीय लेखा मानक -8 के अनुसार एक महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटि है और भारतीय लेखा मानक 8 के पैरा 43 के संदर्भ में वित्तीय विवरणों का पूर्वव्यापी पुनर्विवरण आवश्यक है।

इसके परिणामस्वरूप वर्ष से संबंधित देयता का कम आंकलन और लाभ का अधिक आंकलन हुआ है (यह राशि निश्चित नहीं है क्योंकि कंपनी ने कहा कि उसके पास एमएसएमई विक्रेताओं को विलंबित भुगतान का वर्ष-वार/विक्रेता-वार रिकॉर्ड, बिल-वार विलंब की गणना, या वैधानिक ब्याज देयता की स्वचालित पहचान और गणना के लिए कोई प्रणाली/तंत्र मौजूद नहीं था)। स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा 'अभिमत के लिए आधार' में दी गई अर्हता भी अपर्याप्त है क्योंकि इसमें पूर्वव्यापी पुनर्कथन के संबंध में उल्लेख नहीं किया गया है।

के लिए और की ओर से

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26.05.2026

वाप्कोस लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2024-2025 के स्टैंडअलोन वित्तीय पर सीएजी टिप्पणियां

क्र. सं.	सीएजी टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
1.	इसमें खरीद, डिजाइन, कार्यान्वयन, रखरखाव और प्रशिक्षण या वाप्कोस में ईआरपी समाधान के लिए पूंजीकृत राशि शामिल है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में 220.95 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 में 170.75 लाख रुपये का ईआरपी व्यय किया और क्रमशः 70.22 लाख रुपये और 157.27 लाख रुपये का मूल्यह्रास किया। इंड एएस 38 के संदर्भ में पूंजीकरण सही नहीं है क्योंकि 'उपयोग के लिए उपलब्ध संपत्ति' की शर्त उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण और मॉड्यूल की कार्यक्षमता को पूरा करने के संबंध में किसी भी दस्तावेज़ के अभाव में संतुष्ट नहीं है। इसके परिणामस्वरूप विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों का कम आंकलन और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिक आंकलन दोनों ही 391.70 लाख रुपये से हुआ है। वर्ष के दौरान 157.27 लाख रुपये का अधिक मूल्यह्रास किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ का कम आंकलन भी उतना ही हुआ है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 में प्रभारित 70.22 लाख रुपये का मूल्यह्रास, जो कि पूर्व अवधि की त्रुटि है, को इंड एएस 8 के अनुसार अन्य इक्विटी (अनुसूची 13) को समायोजित करने की आवश्यकता है।	कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 220.95 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 170.75 लाख रुपये का पूंजीकृत ईआरपी व्यय किया और ऐसी पूंजीकृत परिसंपत्तियों पर क्रमशः 70.22 लाख रुपये और 157.27 लाख रुपये का मूल्यह्रास प्रभारित किया। ईआरपी प्रणाली कार्यान्वयन में कई एकीकृत मॉड्यूल शामिल थे और कुछ मॉड्यूल कार्यात्मक थे और संबंधित वित्तीय वर्षों के दौरान उपयोगकर्ताओं द्वारा सक्रिय रूप से इनका उपयोग किया गया। इसलिए पूजीकरण प्रबंधन के इस आकलन पर आधारित था कि पूंजीकृत संपत्ति, इष्टम उपयोग हेतु उपलब्ध थी। उपरोक्त के बावजूद, प्रबंधन द्वारा इस मामले की जांच की जाएगी और यदि किसी समायोजन को आवश्यक समझा जाता है, तो इसे भारतीय लेखा मानक 38 और भारतीय लेखा 8 के लागू प्रावधानों के अनुसार उचित रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।
2.	इक्विटी (अन्य इक्विटी) में परिवर्तन का विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं किया गया है। पिछले साल प्रबंधन पत्र के माध्यम से मुद्दे की रिपोर्टिंग के बावजूद कंपनी द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।	नोट कर लिया गया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य के वित्तीय विवरणों में इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्धारित प्रारूप और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाए।
3.	वित्तीय विवरण के नोट 1.9.1 (परिभाषित अंशदान योजना) के संदर्भ में आमंत्रित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि 'कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट में योगदान करती है जो लाभ योजना है, यदि ट्रस्ट के निवेश पर रिटर्न और ब्याज दर के बीच कमी है, तो उसे पूरा करने की समूह की बाध्यता है। परिभाषित अंशदान योजना शीर्षक के तहत परिभाषित लाभ योजना का प्रकटीकरण सही नहीं है और कंपनी को सेवानिवृत्ति लाभ के लिए	समुचित अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

क्र. सं.	सीएजी टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
	अपनी लेखांकन और लेखांकन नीति के प्रकटीकरण की समीक्षा करनी चाहिए।	
4.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 51(4) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जिसमें कहा गया है कि, "व्यापार निष्पादन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कंपनी एमएसई विक्रेताओं से सामान और सेवाएं खरीद रही है जिनके साथ कंपनी के पास ग्राहक द्वारा संबंधित भुगतान जारी करने के बाद सामान और सेवाओं (एमएसई विक्रेताओं द्वारा प्रदान की गई) की स्वीकृति के बाद भुगतान करने के लिए समझौता है। इस प्रकार कंपनी एमएसई विक्रेताओं के संबंध में अपनी पुस्तकों में कोई ब्याज प्रदान नहीं कर रही है"। प्रकटीकरण एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुरूप नहीं है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 और 16 में एमएसई आपूर्तिकर्ताओं को विलंबित भुगतान पर वैधानिक ब्याज का भुगतान अनिवार्य है, जबकि अधिनियम की धारा 24 किसी भी समझौते या अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद धारा 15 से 23 के प्रावधानों को अधिमान्य प्रभाव देती है। इसके अलावा, इंड एएस 37 के अनुसार, जहां एक वर्तमान कानूनी दायित्व मौजूद है, आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभव है, और विश्वसनीय अनुमान संभव है, तो देयता को प्रावधान के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है। एमएसएमई विक्रेताओं को विलंबित भुगतान पर ब्याज का प्रावधान न करना लेखांकन अनुमान का मामला नहीं है, बल्कि इंड एएस-8 के संदर्भ में पूर्व अवधि की त्रुटि है और वित्तीय विवरणों के पूर्वव्यापी पुनर्विवरण के संदर्भ में इंड एएस8 के पैरा 43 के संदर्भ में आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए देयता का कम आंकलन और लाभ का अधिक आंकलन हुआ है (राशि अनिश्चित है क्योंकि कंपनी ने कहा कि उसने	नोट कर लिया गया है। कंपनी आवश्यक रिकॉर्ड की उपलब्धता के आधार पर मामले की व्यापक रूप से जांच करेगी और अनुवर्ती अवधि में, जहां भी आवश्यक समझा जाएगा, उचित कार्रवाई की जाएगी। जहां तक स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निहित अर्हता का संबंध है, इसे सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनके पेशेवर निर्णय और रिपोर्टिंग विचारों के आधार पर जारी किया गया है।

क्र. सं.	सीएजी टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
	एमएसएमई विक्रेताओं को विलंबित भुगतान का वर्ष-वार/विक्रेता-वार रिकॉर्ड, चालान-वार विलंब की गणना, या वैधानिक ब्याज देयता की स्वचालित पहचान और गणना के लिए कोई प्रणाली/तंत्र नहीं रखा है)। स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा 'राय के आधार' में दी गई योग्यता भी अपर्याप्त है क्योंकि इसमें पूर्वव्यापी पुनर्कथन के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (संशोधित)

मेसर्स वाप्कोस के सदस्यों के लिए

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण संबंधी लेखापरीक्षक रिपोर्ट

अभिमत

हमने वाप्कोस लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की बैलेंस शीट और लाभ-हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और तत्कालीन समान वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसके बाद स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कहा जाएगा) शामिल है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के अर्हता प्राप्त राय खंड के आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की 31 मार्च, 2025 को स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उसके नकदी प्रवाह का एक एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अभिमत का आधार

1. यह कि व्यापार प्राप्तियों की पहचान सूक्ष्म और लघु के रूप में प्रबंधन द्वारा तैयार की गई है और हम पर निर्भर है। हालांकि, एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत अपेक्षित ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान कंपनी द्वारा इन एमएसएमई विक्रेताओं को भुगतान के लिए बकाया अतिदेय शेष राशि पर नहीं किया गया है, प्रबंधन के दृष्टिकोण से, ऐसे विक्रेताओं को भुगतान उनके द्वारा सहमत और विधिवत स्वीकार की गई शर्तों के अनुसार किया गया है। एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत तुलन पत्र में दिखाए गए कुल व्यापार देय राशि 39,991 लाख रुपये है। हमारे मत में, विलंबित भुगतानों पर ब्याज, यदि कोई हो, एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार प्रदान किया जाना आवश्यक है। हालांकि, ऐसे ब्याज की राशि प्रबंधन द्वारा निर्धारित नहीं की गई है और हम वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव निर्धारित करने में असमर्थ थे।

   इसके अलावा, हमने पाया कि प्रबंधन द्वारा बताई गई एमएसएमई शेष राशि उचित प्राधिकारी के साथ दायर एमएसएमई रिटर्न से सहमत नहीं है। एमएसएमई रिटर्न के अनुसार, एमएसएमई विक्रेताओं को देय बकाया राशि वित्तीय विवरणों में बताए गए 39,652.05 लाख रुपये के मुकाबले 36,004.68 लाख रुपये है, जिसके परिणामस्वरूप 3,647.37 लाख रुपये का अंतर है।

2. दावा प्राप्तियों का शेष, व्यापार प्राप्य, ठेकेदारों को अग्रिम, व्यापार देय और ठेकेदारों से प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि, यदि कोई हो, की पुष्टि और परिणामी समायोजन के अधीन हैं। इसके अलावा, समय पर पक्ष अधिशेष पुष्टिकरण प्राप्त करने की प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पक्षों को भेजे गए पुष्टिकरण अनुरोध का काफी संख्या में उत्तर नहीं दिया गया है। लेखा बहियो के अनुसार शेष राशि और यदि कोई हो तो प्राप्त पुष्टिकरण के अनुसार शेष राशि के बीच के अंतर का समाधान किया जाना बाकी है। वर्तमान में लंबित समाधान या शेष की पुष्टि का वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का अभी तक पता नहीं चला है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग ("एसए") के मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अपना ऑडिट किया। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रि पोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों वाले अनुभाग में किया गया है। "हम भारतीय लेखाकार संस्थान (""आईसीएआई"") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।" हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामलों पर जोर

हम वित्तीय विवरणों के नोट में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान दिलाना चाहते हैं:

1. हम नोट 69 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा ₹ 90 लाख की धोखाधड़ी का पता लगाने की बात कही गई है। प्रबंधन ने नुकसान की गणना की है, आवश्यक लेखांकन समायोजन प्रविष्टियाँ पारित की हैं और राशि का 100% प्रावधान किया है।

2. विवादित दावों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण किया गया है। ऐसी देनदारियां उस रीति में विकसित हो सकती हैं जिसकी मूल रूप से अपेक्षा की गई थी और इसलिए यह आकलन करने हेतु लगातार आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है कि क्या आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना संभाव्य है। जहां यह निर्धारित किया जाता है कि पहले से ही आकस्मिक देयता के रूप में माने गए मामले के संबंध में भविष्य के आर्थिक लाभों का बहिर्वाह संभव है, जहां दुर्लभ स्थितियों में जहां दायित्व का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है वहां वित्तीय विवरणों में उस अवधि के लिए एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है जिसमें मूल्यांकन में परिवर्तन होता है। (नोट संख्या 51 देखें)

3. वर्ष के दौरान कंपनी ने परियोजना लागत अनुमान में अनुमोदित संशोधन के अनुसरण में रक्षा मंत्रालय (डीआरडीओ) के साथ एक परामर्श अनुबंध के संबंध में अंतरपरक परामर्श शुल्क के संबंध में दिनांक 7 फरवरी 2025 के लागू जीएसटी सहित ₹ 12.32 करोड़ की राशि की इनवायस प्रस्तुत की। प्रबंधन द्वारा दर्शाए गए अनुसार, रक्षा परियोजना की गोपनीय प्रकृति के कारण लेखापरीक्षा के लिए अनुमोदित बढ़ी हुई परामर्श शुल्क को प्रमाणित करने वाला औपचारिक संशोधित कार्य आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया था। वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने की तारीख तक राशि बकाया है। कंपनी ने एक संशोधित अनुबंध मूल्य गणना शीट प्रदान की है और यह दर्शाया है कि बकाया राशि की वसूली के लिए क्लाइंट के साथ मामले पर सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है।

4. हम रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार सहायक कंपनी के साथ लेनदेन से संबंधित शेष राशि में अंतर के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 70 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी ने अंतर की पहचान करते हुए एक समायोजन विवरण तैयार किया है, जिसका समायोजन में उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त मामलों पर हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपने मत के निर्माण शामिल किया गया और हम इन मामलों पर कोई अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले लेखा-परीक्षा के प्रमुख मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है-

क्र. सं.	मुख्य लेखा-परीक्षा बिंदु	लेखापरीक्षक के प्रत्युत्तर
1.	**राजस्व मान्यता** कंपनी कराजस्व मान्यता ग्राहकों के साथ कंपनी के अनुबंधों में परामर्श और निर्माण अनुबंध शामिल हैं। कंपनी भारत और विदेशों में व्यवसायों और समुदायों के लिए जल, विद्युत और अवस्थापना क्षेत्रों में इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं और निर्माण से राजस्व प्राप्त करती है। कंपनी अनुबंध में वादा की गई सेवाओं का आकलन करती है और अनुबंध में विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पहचान करती है। डेलिवरेबल्स को निर्धारित करने के लिए विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पहचान और ऐसे डिलिवरेबल्स से स्वतंत्र रूप से लाभ उठाने की ग्राहक की क्षमता में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। कुछ एकीकृत सेवा व्यवस्थाओं में, ग्राहकों के साथ अनुबंधों में उपठेकेदार सेवाएं या तीसरे पक्ष के विक्रेता उपकरण शामिल होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाओं में, तीसरे पक्ष के विक्रेता उत्पादों या सेवाओं की बिक्री से राजस्व को लागतों के शुद्ध रूप में दर्ज किया जाता है जब कंपनी ग्राहक और विक्रेता के बीच एक एजेंट के रूप में कार्य कर रही होती है, और सकल रूप में जब कंपनी लेनदेन के लिए प्रमुख होती है। ऐसा करने में, कंपनी सबसे पहले यह मूल्यांकन करती है कि क्या वह ग्राहक को हस्तांतरित किए जाने से पहले निर्दिष्ट माल या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करती है। कंपनी इस बात पर विचार करती है कि क्या वह मुख्य रूप से निर्दिष्ट सामान या सेवा प्रदान करने के वादे को पूरा करने, इन्वेंट्री जोखिम, मूल्य निर्धारण विवेकाधिकार और अन्य कारकों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वह उत्पादों या सेवा को नियंत्रित करता है और इसलिए, एक प्रिंसिपल या एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है।	निष्पादित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियओं में शामिल थे- (1) विशिष्ट कार्यनिष्पादन दायित्वों की पहचान, (2) इस बात का आकलन कि क्या कंपनी एक मूल या एजेंट के रूप में कार्य कर रही है और (3) इस बात का मूल्यांकन कि क्या निश्चित-मूल्य रखरखाव राजस्व को प्रत्यक्ष आधार पर या प्रतिशत-पूर्णता विधि के तहत मान्यता दी गई है, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल थे। • हमने ग्राहकों के साथ अनुबंधों के एक नमूने का चयन किया और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ कीं: - प्रत्येक चयनित नमूने के संबंध में, हमने प्रासंगिक अनुबंध दस्तावेज़ प्राप्त किए और उनकी समीक्षा की, जिसमें मास्टर सेवा समझौते और संविदात्मक व्यवस्था का हिस्सा बनने वाले अन्य सभी दस्तावेज़ शामिल थे। - अनुबंध में महत्वपूर्ण शर्तों और डिलिवरेबल्स की पहचान करें ताकि प्रबंधन के निष्कर्षों का आकलन किया जा सके (i) विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान (ii) क्या कंपनी एक मूल या एजेंट के रूप में कार्य कर रही है और (iii) क्या निश्चित मूल्य रखरखाव राजस्व को सीधे-लाइन आधार पर या पूर्णता प्रतिशत विधि का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। - उपलब्धि प्राप्त करने की स्थिति और उपलब्धि प्राप्त करने में संभावित देरी की पहचान करने के लिए ग्राहकों की स्वीकृति के साथ निरंतरता के अनुमानों का परीक्षण करना, जिसके लिए अनुमानित लागत में बदलाव या शेष कार्य निष्पादन दायित्व को पूरा करने के प्रयासों की आवश्यकता होती है – मान्यता प्राप्त राजस्व की तर्कसंगतता के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाएं करना – लागू लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अनुबंध राजस्व और लागत से संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता का मूल्यांकन करना निर्माण अनुबंधों से कंपनी के राजस्व में वे अनुबंध शामिल हैं जहां यह परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में कार्य करता है। इन व्यवस्थाओं केअंतर्गत, अनुबंध की शर्तों के लिए कंपनी को ग्राहक की ओर से ठेकेदार का चयन करना, निविदा दस्तावेज तैयार करना और बोली आमंत्रित करना और उनका मूल्यांकन करना आवश्यक है। कंपनी कुल निर्माण लागत के एक निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में गणना की गई पीएमसी शुल्क लेती है। ठेकेदार निष्पादित निर्माण कार्य के लिए कंपनी पर शुल्क प्रभारित करता है, और बदले में, कंपनी, संविदात्मक शर्तों के अनुरूप, लागत-से-लागत के आधार पर ग्राहक पर संबंधित शुल्क प्रभारित करती है। स्वयं को मूल के रूप में मानते हुए, कंपनी अपने लाभ और हानि के विवरण में निर्माण लागत और पीएमसी शुल्क का कुल योग राजस्व के सकल मूल्य की पहचान करती है जबकि साथ ही साथ खर्चों के रूप में समतुल्य बैक-टू-बैक निर्माण लागत का अभिलेखीकरण करती है। मुख्य बातें/पर्यवेक्षण नीचे दिए गए हैं: 1. कंपनी की मुख्य विशेषज्ञता स्वयं निर्माण गतिविधियों कार्यान्वित करने के स्थान पर इंजीनियरिंग, खरीदप्रापण और निर्माण (ईपीसी) परामर्श में निहित है। तदनुसार, इसे विभिन्न ग्राहकों द्वारा परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया जाता है, और उस क्षमता में, यह निर्माण से संबंधित कार्यों को निष्पादित करने के लिए ठेकेदारों को नियुक्त करता है।

क्र. सं.	मुख्य लेखा-परीक्षा बिंदु	लेखापरीक्षक के प्रत्युत्तर
		2. ग्राहक की ओर से निष्पादित ठेकेदारों और उपठेकेदारों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाली शर्तें, विशेष रूप से बैक-टू-बैक भुगतान व्यवस्था के लिए प्रदान करती हैं और स्पष्ट रूप से स्थापित करती हैं कि कंपनी कोई क्रेडिट जोखिम नहीं उठाती है। कंपनी द्वारा ठेकेदारों को भुगतान ग्राहक से संबंधित धन प्राप्त होने पर ही जारी किया जाता है। 3. कंपनी की अनुबंध की शर्तें, या समझौता ज्ञापन, अपने ग्राहकों के साथ ज्यादातर परियोजना प्रबंधन सलाहकार के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर ही ध्यान केंद्रित होती हैं। इसके अलावा, संगठन की कोई इन्वेंट्री नहीं है। 4. लागत-प्लस अनुबंध के विशिष्ट ढांचे के विपरीत, वर्तमान में समीक्षाधीन अनुबंधों में ठेकेदारों से मुख्य रूप से टर्नकी आधार पर निर्माण उद्धरण प्राप्त करना शामिल है। 5. ठेकेदारों के लाभ अंश के विपरीत, पीएमसी शुल्क निर्माण लागत के अतिरिक्त लिया जाता है, जो कंपनी की वास्तविक आय का प्रतिनिधित्व करता है।
2.	प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति कंपनी विभिन्न कर और अन्य विधिक मामलों में शामिल है, जिसके परिणाम अनिश्चित हैं और इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण वित्तीय और कानूनी निहितार्थ हो सकते हैं। इन कार्यवाहियों से उत्पन्न जोखिम का आकलन करने के लिए प्रबंधन को काफी निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह लागू कानूनों और तथ्यों की जटिल मान्यताओं और व्याख्याओं पर आधारित होता है। इस तरह का निर्णय मुख्य रूप से मामलों के संभावित परिणाम के आसपास की अनिश्चितताओं का मूल्यांकन करने और यह निर्धारित करने से संबंधित है कि क्या वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रावधान या प्रकटीकरण पर्याप्त और उचित हैं। इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्तर के शामिल निर्णय, विवादों के संभावित महत्वपूर्ण प्रभाव और संबंधित जोखिमों और प्रकटीकरण के आकलन में निहित जटिलता के कारण एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना गया है।	निष्पादित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे: i जारी कानूनी और कर मुकदमेबाजी की पहचान करने और निगरानी करने हेतु स्थापित प्रक्रियाओं और प्रासंगिक नियंत्रणों का आकलन। ii कानूनी और कर मामलों से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिम का अनुमान लगाने में कानूनी और कर टीमों द्वारा लागू मान्यताओं का आकलन। iii महत वपूर्ण विवादों की स्थिति के संबंध में कानूनी और कर विभागों से अद्यतन स्थिति प्राप्त किए और उसके संबंध में हमें प्रदान किए गए प्रमुख दस्तावेजों और अभ्यावेदनों की समीक्षा की। iv जारी विवादों के संभावित परिणामों और संभावित प्रभावों के संबंध में प्रबंधन से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त किए। v वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में किए गए प्रकटीकरण की पर्याप्तता और पूर्णता का आकलन।
3.	व्यापारप्राप्य, प्रतिधारण राशि और अनुबंध परिसंपत्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) कंपनी के पास व्यापार प्राप्य, प्रतिधारण धन और लंबी अवधि की अचल संपत्ति परामर्श और निर्माण अनुबंधों से उत्पन्न बिल रहित राजस्व/अनुबंध परिसंपत्तियों की महत्वपूर्ण शेष राशि है, जो मुख्य रूप से सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से संबंधित है। भा.ले.मा. 109 के तहत अपेक्षित क्रेडिट हानि	निष्पादित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे: • ईसीएल अनुमान प्रक्रिया पर नियंत्रण के डिजाइन और कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना; • भालेमा 109 के संदर्भ में लागू पद्धति की उपयुक्तता का आकलन करना; • आवधिक रिपोर्ट, अनुबंध शेष राशि और प्रतिधारण अनुसूची की सटीकता का परीक्षण करना;

क्र. सं.	मुख्य लेखा-परीक्षा बिंदु	लेखापरीक्षक के प्रत्युत्तर
	("ईसीएल") के निर्धारण में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय शामिल है, जिनमें विशेष रूप से निम्नलिखित शामलि हैं : • इस बात का आकलन करना कि क्या क्रेडिट जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित प्रस्तुतीकरण किया गया है, ; • डिफ़ॉल्ट की संभावना (पीडी), डिफ़ॉल्ट (एलजीडी) और डिफ़ॉल्ट (ईएडी) पर हानि का निर्धारण करना; • विवादित दावों और विलंबित परियोजनाओं सहित लंबे समय से बकाया शेष राशि की पुनर्प्राप्ति का मूल्यांकन करना; • दूरदर्शी व्यापक आर्थिक कारकों और सरकार-विशिष्ट जोखिमों को शामिल करना; • परियोजना पूर्ण होने और अनुमोदन के अधीन प्रतिधारण राशि और अनुबंध परिसंपत्तियों के पुनर्प्राप्त मूल्य का अनुमान लगाना अंतर्निहित अनुमान अनिश्चितता और इन शेष राशि के महत्व को देखते हुए, इस क्षेत्र में लेखापरीक्षक के व्यापक ध्यान देने की आवश्यकता थी और तदनुसार इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामला माना गया है।	• लंबे समय से लंबित और विवादित शेष राशि की समीक्षा सहित प्राप्य की प्रस्तुतिकरण का आकलन करना; • वसूली की धारणाओं का मूल्यांकन करने के लिए रिपोर्टिंग तिथि के बाद की प्राप्तियों की जांच करना; • दूरगामी समायोजन और व्यापक आर्थिक अधिकता की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना; • वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन करना। कंपनी ने मूल्यांकन का सहयोग करने हेतु एक बीमांकिक को नियुक्त किया है। कंपनी की नीति के अनुसार, दस वर्ष से अधिक की अवधि वाले व्यापार प्राप्य, प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा सहित लंबे समय से बकाया वित्तीय परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है और मामले-दर-मामले के आधार पर जहां अंसंभरणीय माने जाने वाले प्राप्य को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, भले ही दस वर्ष की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई हो निष्पादित प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने पाया कि प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली और पद्धतियां भलेमा 109 की आवश्यकताओं के अनुरूप और उचित हैं।
4.	आस्थगित कर परिसंपत्ति कंपनी ने आस्थगित कर संपत्ति को मान्यता दी है। इस आस्थगित कर संपत्ति की वसूली आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर इस हकदारी का उपयोग करने के लिए पर्याप्त भावी कर योग्य लाभ के सृजन पर निर्भर करती है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में मान्यता दी क्योंकि आस्थगित कर संपत्ति की मान्यता के लिए संभावित कर योग्य लाभों का पूर्वानुमान लगाने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। (वित्तीय विवरण के नोट संख्या - 5 देखें)	हमने भावी राजस्व, कर योग्य लाभ के पूर्वानुमानों से संबंधित प्रबंधन के निर्णय का आकलन किया है और इन पूर्वानुमानों को तैयार करने के अंतर्निहित विचारों/मान्यताओं की तर्कसंगतता का मूल्यांकन किया है। उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, आस्थगित कर की मान्यता और माप को पर्याप्त और उचित माना गया।

वित्तीय विवरणों और इस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा सूचना

कंपनी प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल सूचना शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है और ऐसा विचार करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ अन्य सूचना वास्तविक रूप से असंगत है अथवा अन्यथा वास्तविक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कोई सूचना नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियां

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए। जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत भारतीय लेखा मानकों (भा.ले.मा.) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत भारतीय लेखा गानको और अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और कंपनी के नकदी प्रवाह सहित वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन का एक सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं। समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारियों में प्रत्येक कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और घोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्र लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव, उचित लेखांकन नौतियों का चयन और अनुप्रयोगः निर्णय लेना और अनुमान लगाना, जो उचित और विवेकपूर्ण हो; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो कि लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं और मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल प्रत्येक कंपनी को गोइंग कन्सर्न के रुप में जारी रखने हेतु कंपनी की क्षमता का आकलर, प्रकटीकरण, जैसा भी लागू हो, गोइंग कन्सर्न और लेखांकन के गोइंग कन्सर्न आधार का उपयोग करने से संबंधित मामले, जब तक प्रबंधन या तो समूह को समाज करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न रहा हो, के लिए जिम्मेदार हैं।

प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टेंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण संपूर्ण रुप से मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, से मुक्त है और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने, जिसमें हमारी राय भी शामिल है, के लिए है। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन

यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा मिथ्याकथन का पता लगाएगी, यदि यह मौजूद हो। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और महत्वपूर्ण तब माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या एकीकृत रूप में, वे इन स्टेंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों प्रभावित करने के लिए युक्तिसंगत रूप से अपेक्षित हो सकती है।

एसएएस के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम-

स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, की जोखिमों, उन जोखिमों के लिए जिम्मेदार डिज़ाइन और निष्पादन लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की पहचान करते हैं और उनका आकलन करते हैं और लेखा परीक्षा साक्ष्य भी प्राप्त करते है जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त होते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप मिथ्याकथन का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले मिध्याकथन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना (ओवरराइड) शामिल हो सकती हैं।

उन लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन तैयार करने के क्रम में लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझते है जो ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या समूह के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन भी करते हैं।

प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा उपयोग की उपयुक्तता, और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित है जो गोइंग कन्सर्न के रुप में जारी रखने संबंधी कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकते हैं, के संबंध में भी निष्कर्ष निकालते है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, या राय संशोधित करने के लिए, यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरणों से संबंधित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होती है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां समूह को गोइंग कन्सर्न के रुप में जारी रखने को रोकने का कारण बन सकती हैं।• स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें खुलासे भी शामिल हैं, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण उचित प्रस्तुति प्राप्त करने के तरीके से अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हम स्टेंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का प्रकटीकरण सहित मूल्यांकन भी करते है, और यह भी पता लगाते हैं कि क्या स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व उस रुप में करता है, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त कर सकते हैं।

मैटेरियलिटी, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है जिससे कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में, और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक मैटेरियलिटी और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के उन प्रभारित अधिकारियों को सूचित करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम प्रशासन के उन प्रभारित अधिकारियों को एक स्टेटमेंट भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संबंध में सूचित करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता का पालन करने, और जहां भी लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के लिए उचित माना जा सकता है।

शासन के उन प्रभारित अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इस तरह की सूचना के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक प्रतिकूल परिणामों की समुचित अपेक्षा है।

अन्य मामले

1. हम समीक्षाधीन अवधि की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने में असमर्थ हैं। परिणामस्वरूप, हम किसी भी संभावित गैर-अनुपालन या परिणामी प्रभावों को सत्यापित या पर्यवेक्षण करने में असमर्थ हैं जो सामान्यत: सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संबोधित मामलों से उत्पन्न हो सकते हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2023 -2024 और 2024 -2025 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की धारा 96 के तहत नियत तारीख के भीतर वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन नहीं किया। जबकि इसका वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हम संवैधानिक दायित्वों के संभावित गैर-अनुपालन की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके शासी परिणाम हो सकते हैं।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं के संबंध में रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के अनुसार यथा अपेक्षित, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, जहां तक लागू हो, "अनुलग्नक-क" में एक विवरण प्रदान करते हैं।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के माध्यम से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की आवश्यकतानुसार प्रबंधन से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, हम संलग्न "अनुलग्नक-ख" में निर्दिष्ट मामले पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा और प्राप्त किया है जो हमारे सर्वोत्म ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

   ख) हमारी राय में, कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षित लेखा पुस्तकों को बनाए रखा है, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रकट होता है।

   ग) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।

घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के अनुसार निर्धारित किए गए भारतीय लेखा मानक का अनुपालन करते हैं

ङ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 463(ई) के संदर्भ में, निदेशकों की अयोग्यता के संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान, सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, हमारी राय में अपर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के कारण, "अनुलग्नक-ग" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें जिसमें हमने अपनी राय का अस्वीकरण व्यक्त किया है।

छ) अधिनियम की धारा 197(16) यथा संशोधित के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, यह कहा गया है कि कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची v के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) के संदर्भ में कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ज) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, यथा संशोधित, लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए गए अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार;

i) कंपनी ने अपने स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों नोट में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। वित्तीय विवरण के टिप्पणी संख्या 51 का संदर्भ लें।

ii) कंपनी ने लागू कानूनों या भालेमा के तहत दीर्घकालिक अनुबंधों के संबंध में भौतिक अनुमानित भौतिक हानि, यदि कोई हो, , के लिए आवश्यक प्रावधान किया है। इसके अलावा, कंपनी के पास 31 मार्च, 2025 तक कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं है।

iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे निवेशकों की शिक्षा और सुरक्षा धोखाधड़ी के लिए स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv) (क) प्रबंधन ने अभ्यावेदन दिया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर व्यापक है) को अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ द्वारा कंपनी ("अल्टीमेट बेनिफिशरीज") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार दिया जाएगा या निवेश किया जाएगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान की जाएगी;

(ख) प्रबंधन ने अभ्यावेदन दिया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर व्यापक है) को किसी अन्य स्रोत या प्रकार के कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टी") सहित किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी द्वारा फंडिंग पार्टी ("अल्टीमेट बेनिफिशरीज") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार दिया जाएगा या निवेश किया जाएगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान की जाएगी;

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

(v) क) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अंतरिम लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।

ख कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023 -24 के संबंध में कोई अंतिम लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।

ग) इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024 -25 के संबंध में निदेशक मंडल ने 0.80 रुपये प्रति शेयर के लाभांश का प्रस्ताव किया है, जिसमें कुल 10.40 करोड़ रुपये का बहिर्वाह शामिल है।

( ) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2 025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने बहीखातों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन देन के लिए पूरे वर्ष इसका संचालन किया गया है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला हमें नहीं मिला और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

.

कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी के लिए।
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 007814एन

प्रदीप कुमार लखानी
साझेदार
सदस्यता सं. 091192
दिनांक: 11 अप्रैल 2026
यूडीआईएन: 26091192 1420

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "क"

(वाप्कोस लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट की तारीख के अंतर्गत 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अनुच्छेद 1 में संदर्भित)

हमारी जानकारी और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और सामान्य लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा जांच किए गए बहीखातों और अभिलेखों के अनुसार, हम यह कह सकते हैं कि -

I (क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण प्रदर्शित करने वाले समुचित अभिलेख अनुरक्षित किए हुए हैं। हालाँकि, परिसंपत्तियों को स्पष्ट रूप से चिह्नित नहीं किया गया है और स्थान-वार पहचान को पर्याप्त रूप से अनुरक्षित नहीं किया गया है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का सम्पूर्ण विवरण प्रदर्शित करने वाले समुचित रिकॉर्ड अनुरक्षित किए हुए हैं।

(ख) यह कि एक नियमित सत्यापन कार्यक्रम के अनुसार एक नियमित अंतराल पर भौतिक रूप से परिसंपत्तियों को सत्यापित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और औपचारिक बनाने की आवश्यकता है जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक है। इस तरह की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान विसंगतियां सामने आईं; जिनके संबंध में कंपनी द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जानी बाकी है। यह कि प्रबंधन ने सूचित किया है कि पाई गई विसंगतियां भौतिक प्रकृति की नहीं हैं और भौतिक संपत्तियों को चिह्नित किए जाने जैसे विशिष्ट उपाय पर्याप्त रूप से लागू किए जाएंगे और जहां भी आवश्यक हो, आने वाले वर्षों में सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे। कंपनी प्रबंधन को तत्काल उपचारात्मक उपाय करने की सलाह दी जाती है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा कंपनी के रिकॉर्ड की गई जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक/पट्टा विलेख (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है, और पट्टेदारों के पक्ष में पट्टा समझौते विधिवत निष्पादित किए गए हैं) कंपनी के नाम धारित हैं।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, खंड 3(i)(घ) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार बेनामी संपत्ति रखे जाने के संबंध में कंपनी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है अथवा लंबित नहीं है।

ii. (क) कंपनी के पास किसी प्रकार की इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii) (क) के अंतर्गत जानकारी प्रदान करने संबंधी प्रावधान लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान किसी भी समय कंपनी के लिए चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों की ओर से पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा नहीं लगाई गई है।

iii (क) वर्ष के दौरान यदि कंपनी ने कंपनियों, प्रतिष्ठानों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को ऋण की प्रकृति में कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है या कोई ऋण अथवा अग्रिम प्रदान किया है, सुरक्षित या असुरक्षित, तदनुसार, हम निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं:

(₹ in Lakh)

विवरण	गारंटी	प्रतिभूति	ऋण	ऋण की प्रकृति में अग्रिम
अनुदत्त सकल राशि/ वर्ष के दौरान उपलब्ध - सहायक - अन्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
उपरोक्त मामलों के संबंध में बैलेंस शीट तिथि तक बकाया शेष - सहायक - अन्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य

(ख) यह कि कंपनी ने 31 मार्च, 2025 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत शामिल पक्षकारों को पार्टियों को किसी प्रकार का ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियाँ प्रदान नहीं की हैं, और उपधारा (iii) (ख) लागू नहीं है।

(ग) कि कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं और इसलिए खंड (iii) (ग) लागू नहीं होता है।

(घ) कि कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं और इसलिए खंड (iii) (प) लागू नहीं होता है।

(ङ) कि कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं और इसलिए खंड (iii) (ङ) लागू नहीं होता है।

(च) कि कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं और इसलिए खंड (iii) (च) लागू नहीं होता है।

iv. यह कि कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियाँ नहीं दी हैं, जिन पर अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हों और इसलिए खंड (iv) लागू नहीं है

v. कंपनी ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के तहत शामिल माना जाता है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

vi. कंपनी द्वारा की जाने बाली व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड का रखरखाव विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, आदेश के खंड (vi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

vii. संवैधानिक देय राशि के संबंध में:

(क) कंपनी आयकर, उपकर और उस पर लागू अन्य सांविधिक देय राशि सहित निर्विवाद वैधानिक देय राशि उचित अधिकारियों के पास जमा कराने में नियमित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, माल और सेवा कर (जीएसटी), उपकर और अन्य वैधानिक बकाया के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च 2025 तक बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिकारियों के साथ विवाद के कारण जमा किए गए कोई भी बकाया वैधानिक देय राशि नहीं थी, सिवाय इसके कि:

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	फोरम जहां विवाद लंबित है	जिस अवधि से संबंधित है (वित्तीय वर्ष)	राशि रू. में	वर्तमान स्थिति
प्रत्यक्ष कर मामले						
1	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आय कर विभाग	2000-2001	500000	कंपनी ने आयकर पोर्टल पर यह कहते हुए कि मामला पहले ही समाप्त हो चुका है और मूल्यांकन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है;इस मांग के प्रति असहमति व्यक्त की है, हालांकि, मांग ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रदर्शित होती रहती है।
2	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आय कर विभाग	2005-2006	2114543	कंपनी ने आयकर पोर्टल पर यह कहते हुए कि मामला पहले ही समाप्त हो चुका है और मूल्यांकन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है;इस मांग के प्रति असहमति व्यक्त की है, हालांकि, मांग ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रदर्शित होती रहती है।
3	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आय कर विभाग	2016-2017	220320	कंपनी ने आयकर पोर्टल पर यह कहते हुए कि मामला पहले ही समाप्त हो चुका है और मूल्यांकन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है;इस मांग के प्रति असहमति व्यक्त की है, हालांकि, मांग ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रदर्शित होती रहती है।
4	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आय कर विभाग	2009-2010	26873896	कंपनी ने आयकर पोर्टल पर यह कहते हुए कि मामला पहले ही समाप्त हो चुका है और मूल्यांकन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है;इस मांग के प्रति असहमति व्यक्त की है, हालांकि, मांग ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रदर्शित होती रहती है।
5	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आय कर विभाग	2013-2014	2523255	कंपनी ने आयकर पोर्टल पर यह कहते हुए कि मामला पहले ही समाप्त हो चुका है और मूल्यांकन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है;इस मांग के प्रति असहमति व्यक्त की है, हालांकि, मांग ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रदर्शित होती रहती है।
6	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	सीआईटी अपील	2016-2017	13743306	दायर की गई अपील का जवाब वर्चुअल सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया है
7	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	सीआईटी अपील	2019-2020	129792413	अपील दायर की गई और सुनवाई की गई
8	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	सीआईटी अपील	2020-2021	10589630	धारा 154 के अंतर्गत आवेदन दायर किया गया
9	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	सीआईटी अपील	2021-2022	83234430	सूचना प्राप्त हुई। अपील दायर की गई। सुनवाई की गई
10	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	सीआईटी अपील	2022-2023	53535327	सूचना प्राप्त हुई। अपील दायर की गई।
11	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आय कर विभाग	2017-2018	19106370	कंपनी ने आयकर पोर्टल पर मांग के प्रति अपनी असहमति दर्ज की है।

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	फोरम जहां विवाद लंबित है	जिस अवधि से संबंधित है (वित्तीय वर्ष)	राशि रू. में	वर्तमान स्थिति
प्रत्यक्ष कर मामले						
1	जीएसटी	उत्तराखंड जीएसटी	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2017-2018	42447255	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
2	जीएसटी	उत्तराखंड जीएसटी	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2019-2020	39905490	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
3	जीएसटी	राजस्थान	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2017-2018	169564304	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
4	जीएसटी	राजस्थान	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2017-2022	5404246	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
5	जीएसटी	राजस्थान	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2018-2019	22053892	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
6	जीएसटी	राजस्थान	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2019-2020	5348612	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
7	जीएसटी	राजस्थान	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2020-2021	1807880	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
8	जीएसटी	राजस्थान	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2021-2022	19751938	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
9	जीएसटी	बिहार	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2017-2021	84293562	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
10	जीएसटी	केरल	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2018-2019	6476087	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
11	जीएसटी	केरल	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2019-2020	19918843	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
12	जीएसटी	केरल	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2020-2021	7236517	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
13	जीएसटी	महाराष्ट्र	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2017-2018	463128	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
14	जीएसटी	ओडिशा	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2020-2021	3518548	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
15	जीएसटी	पश्चिम बंगाल	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2019-2020	2133034	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
16	जीएसटी	दिल्ली	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2019-2020	245378597	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
17	जीएसटी	दिल्ली	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2020-2021	71839752	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
18	जीएसटी	हरियाणा	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2017-2022	134598246	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
19	जीएसटी	हिमाचल प्रदेश	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2020-2022	27666462	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
20	जीएसटी	तमिलनाडु	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2018-2019	15158048	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	फोरम जहां विवाद लंबित है	जिस अवधि से संबंधित है (वित्तीय वर्ष)	राशि रू. में	वर्तमान स्थिति
	प्रत्यक्ष कर मामले					
21	जीएसटी	तमिलनाडु	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2019-2020	1025712	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
22	जीएसटी	तमिलनाडु	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2020-2021	4594750	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
23	जीएसटी	पंजाब	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2017-2018	29448452	अधिकरण पीठ के समक्ष फाइलिंग के लिए लंबित
24	जीएसटी	राजस्थान	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2017-2018	3626916	अधिकरण पीठ के समक्ष फाइलिंग के लिए लंबित
25	जीएसटी	पश्चिम बंगाल	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2019-2020	131029	अधिकरण पीठ के समक्ष फाइलिंग के लिए लंबित
26	जीएसटी	कोच्चि	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2017-2018	2396124	अधिकरण पीठ के समक्ष फाइलिंग के लिए लंबित

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान सरेंडर या आय के रूप में प्रकट की गई पहले से अघोषित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

(क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण के पुनर्भुगतान में या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) कंपनी के संदर्भ में हमारे रिकॉर्ड में कोई भी उदाहरण या जानकारी नहीं आई है कि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा कंपनी को जानबूझकर डिफ़ॉल्टर घोषित किया गया है।

(ग) ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए ऋण प्राप्त किया गया था।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि का, प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

(ड.) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उसके कारण किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix) (च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ए) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(एक्स)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(बी) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट (पूरी तरह से या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(एक्स)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ए) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, प्रबंधन द्वारा मेसर्स पाटेपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट (पी) लिमिटेड के साथ एक परामर्शी परियोजना के दौरान एक अनियमितता की पहचान की गई थी। प्रबंधन की आंतरिक समीक्षा में ग्राहक द्वारा संविदात्मक शर्तों की पूर्ति न होने का संकेत दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभ में मार्च 2025 में 67.50 करोड़ रुपये के राजस्व की पहचान की गई, क्योंकि राजस्व मान्यता के लिए लागू लेखांकन ढांचे के तहत मानदंड पूरा नहीं किए गए थे।

कंपनी ने एक ही वित्तीय वर्ष में पूरे राजस्व को पलट दिया है। संबंधित जीएसटी देयता रु. 12.15 करोड़ की है, जिसे क्रेडिट नोट जारी करके समायोजित किया गया है, जिसे ग्राहक द्वारा स्वीकार किया गया है। तदनुसार, वर्ष के लिए रिपोर्ट किए गए कारोबार और वैधानिक देय राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शेष वित्तीय निहितार्थ ग्राहक के साथ रखे गए 90 लाख रुपये के अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) से संबंधित है, जिसकी वसूली कंपनी द्वारा की जा रही है। प्रबंधन ने बहीखातों में उक्त राशि का पूरा प्रावधान किया है।

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी द्वारा या कंपनी पर, ऊपर वर्णित के अलावा, कोई धोखाधड़ी सामने नहीं आई है अथवा या वर्ष के दौरान ऐसी जानकारी नहीं दी गई है।

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार को वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करते समय हमने वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तारीख तक) कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा है।

कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

XIII. हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षों, जहां लागू हो, के संबंध में प्रयोज्य लेनदेन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन कर रही है और संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि प्रयोज्य लेखा मानकों में आवश्यक है।

(क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है। हालाँकि, कंपनी को अपनी समयबद्धता और कार्य को समय पर पूरा होने के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता है और अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

(बी) हमने लेखा परीक्षा की अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

XV. वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से की गई हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या जुड़े व्यक्तियों द्वारा किसी भी संपत्ति अधिग्रहण से जुड़े निदेशकों या व्यक्तियों के साथ गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है।

(क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश की धारा 3(xvi) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवासीय वित्त गतिविधियां नहीं की हैं, इसलिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ख) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(घ) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी कोई कोर निवेश कंपनी (कोर निवेश कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में यथापरिभाषित) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

17. हमारी लेखापरीक्षा में शामिल वित्त वर्ष और ठीक पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी को कोई नकद हानि नहीं हुई है।

वर्ष के दौरान कंपनी के किसी सांविधिक लेखा परीक्षक ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया है। इसलिए आदेश का खंड 3 (xviii) लागू नहीं है।

xix. वित्तीय अनुपातों के आधार पर और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियां और वित्तीय विवरणों के साथ वित्तीय देनदारियों/अन्य जानकारी का भुगतान और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साध्य की हमारी जांच के आधार पर / हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि को मौजूदा अपनी देनदारियों और जब भी वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं, को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हांलाकि हमारा अभिमत है कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारा विचार है कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय और जैसे भी और जब भी वे देय हो जाते हैं, सभी देनदारियां कंपनी द्वारा समाप्त कर दी जाएंगी।

(क) अन्य चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ("सीएसआर") के लिए 59.46 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1.09 लाख रुपये) की अप्रयुक्त राशि एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई है। यह कि 31 मार्च 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची में VII निर्दिष्ट किसी निधि में हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं है।

(ख) यह कि ऐसी कोई राशि नहीं है जो कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत अव्ययित राशि बनी हुई है, इसलिए खंड (xx) (ख) लागू नहीं होता है।

xxi. यह कि उपर्युक्त रिपोर्टिंग स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित है और इसलिए खंड (xxi) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी के लिए।
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 007814एन

प्रदीप कुमार लखानी
साझेदार
सदस्यता सं. 091192
दिनांक: 11 अप्रैल 2026
यूडीआईएन: 260 91192 1420

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक - बी

एक्ट की धारा 143(5) के तहत रिपोर्ट, और 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वैपकोस लिमिटेड के वित्तीय मामलों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश लागू हैं।

क्र. सं.	निदेश	प्रत्युत्तर
1.	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए कंपनी द्वारा या ट्रस्ट के माध्यम से सीधे किए गए सभी निवेशों, उद्भूत और अ-उद्भूत दोनों का उचित मूल्यांकन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, भारतीय लेखा मानकों के साथ सुसंगता सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेज़ों की समीक्षा शामिल है। लेखापरीक्षक किसी भी भौतिक विचलन या गलत बयानों जानकारी देते हुए मूल्यांकन दृष्टिकोण, इसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन से संबंधित एक संक्षिप्त नोट उपलब्ध कराएगा।	कंपनी के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों में परिभाषित अंशदान और परिभाषित लाभ व्यवस्था दोनों शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न ट्रस्टों और बीमा योजनाओं के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। मूल्यांकन दृष्टिकोण - निवेश और सेवानिवृत्ति के बाद की देनदारियों का मूल्यांकन उपयुक्त पद्धतियों का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें परिभाषित लाभ दायित्वों के लिए बीमांकन मूल्यांकन भी शामिल है। पेंशन निधि न्यास श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुपालन में निवेश के साथ लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, उस पर दर्ज निवेश का प्रबंधन करता है। इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अनुपालन लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा पीएफ ट्रस्ट का समय-समय पर लेखा परीक्षण किया जाता है। पेंशन ट्रस्ट, भविष्य निधि न्यास और ग्रेच्युटी ट्रस्ट तीनों में से प्रत्येक का चार्टर्ड एकाउंटेंट की बाहरी फर्म द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षण किया जाता है। ग्रेच्युटी दायित्व को परिभाषित लाभ योजना ढांचे के तहत एलआईसी के साथ 'कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी सह जीवन बीमा योजना' के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा मान्यता प्राप्त एक निधि प्रबंधक एलआईसी सुपरएनुएशन (पेंशन निधि) को अधिवार्षिता योजना हस्तांतरित की जा रही है। समीक्षित जानकारी और रिकॉर्ड के आधार पर, हमने लागू नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन के संबंध में किसी भी भौतिक विचलन या गलत प्राककथन को नहीं पाया।
2.	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने हेतु कोई प्रणाली है? यदि हां, तो क्या कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के साथ-साथ साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रणाली और नियंत्रणों की समीक्षा की गई है और यदि कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां पाई गई हैं, तो क्या उचित रूप से उसकी जानकारी दी गई है? लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित करने के लेखांकन की अखंडता पर निहितार्थ के साथ-साथ वित्तीय निहितार्थ की भी जानकारी दी जा सकती है।	हाँ, कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक स्थापित ईआरपी प्रणाली मौजूद है। वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण प्रणाली और नियंत्रण, जिसमें साइबर सुरक्षा से संबंधित नियंत्रण भी शामिल हैं, की समीक्षा की गई है। इस समीक्षा के आधार पर, कोई भी ऐसी भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई जिनके बारे में जानकारी दी जानी आवश्यक हो। वित्तीय वर्ष 2024 -25 के दौरान, सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए गए थे। हालाँकि, भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कुछ मैनुअल हस्तक्षेप आवश्यक थे।

क्र. सं.	निदेश	प्रत्युत्तर
3	ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/उधारी/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने अथवा मौजूदा ऋण की पुर्नसंरचना के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ की जानकारी दें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से गणना की जाती है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी ऋण की पुर्नसरंचना अथवा कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण या ऋणों की छूट/बट्टे खाते में डालने/ऋण/ब्याज आदि का मामला नहीं है।
4.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य राशि का लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से किया गया और क्या प्राप्त राशि का उपयोग उसकी शर्तों के अनुसार किया गया ? क्या प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज का लेखांकन अनुदान की शर्तों के अनुसार किया गया है। विचलन के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान केंद्र/राज्य एजेंसियों से किसी भी विशिष्ट योजना के लिए कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी) प्राप्त नहीं हुई है।
5.	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हां, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा संपत्तियों की पहचान की है और क्या इसका उचित मूल्यांकन किया गया है?	हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा की गई प्रासंगिक रिकॉर्डों की जांच के आधार पर, हम यह कह सकते हैं कि कंपनी के पास वर्तमान में मई 2022 में तैयार की गई एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की गई है। कंपनी ने अपनी जोखिम प्रबंधन नीति को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया है। (क) कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। हालाँकि, इस कार्यढांचे में संरचित उद्यम जोखिम प्रबंधन घटक जैसे कि परिभाषित जोखिम भूख, औपचारिक जोखिम मूल्यांकन पद्धति, केंद्रीकृत जोखिम रजिस्टर और आवधिक निगरानी तंत्र शामिल नहीं हैं। हमारी राय में, कंपनी ने सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक जोखिम प्रबंधन कार्यढांचा तैयार नहीं किया है। (ख) कंपनी का संगठन के आकार और इसके संचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अपनी डेटा संपत्तियों की पहचान करने और उनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता का आकलन करने की मंशा रखती है
6.	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सेबी, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी-आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय भुगतान निगम ऑफ इंडिया के अन्य लागू नियमों और विनियमों का पालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों पर प्रकाश डालें।	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी निम्नलिखित नियमों का अनुपालन करती है: 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015: - उपरोक्त नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं 2. निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए): - कंपनी डीआईपीएएम और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करती है। समीक्षा के दौरान कोई विचलन या गैर-अनुपालन मुद्दे नहीं पाए गए। 3. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई): - कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करती है। समीक्षा के दौरान किसी प्रकार का विचलन या गैर-अनुपालन नहीं पाया गया। 4. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), सीईआरटी-इन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई): - उपरोक्त नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

क्र. सं.	उप-निर्देश	जवाब
1.	क्या राशि की वसूली और हानि आवश्यकताओं के संबंध में ईसीएल प्रावधान हेतु लेखांकन अनुमान सही है।	अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को एक संरचित, जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके निर्धारित किया गया है जिसमें ऐतिहासिक डिफ़ॉल्ट पैटर्न, उधारकर्ता-विशिष्ट वित्तीय आकलन, भविष्य की जानकारी और डिफ़ॉल्ट मापदंडों को देखते हुए डिफ़ॉल्ट और हानि की संभावना शामिल है। आवधिक एजिंग विश्लेषण, संपार्श्विक के मूल्यांकन, रिपोर्टिंग के बाद की वसूली की समीक्षा और क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की पहचान के माध्यम से वसूली का मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी ने मूल्यांकन के सहयोग के लिए एक बीमांकिक नियुक्त किया है। कंपनी की नीति के अनुसार, दस वर्ष से अधिक की अवधि वाले व्यापार प्राप्य, प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा सहित लंबे समय से बकाया वित्तीय परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है और मामले-दर-मामले के आधार पर असंभरणीय माने जाने वाले प्राप्य को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, भले ही दस वर्ष की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई हो। तदनुसार, वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त ईसीएल प्रावधान पर समुचित रूप से विचार किया गया और लागू हानि आवश्यकताओं के अनुपालन में है।

क्र. सं.	प्रबंधन पत्र	जवाब
1.	क्या राशि की वसूली और हानि आवश्यकताओं के संबंध में ईसीएल प्रावधान हेतु लेखांकन अनुमान सही है।	क्या राशि की वसूली और हानि आवश्यकताओं के संबंध में ईसीएल प्रावधान हेतु लेखांकन अनुमान सही है।

सीएजी के निर्देशों/अवलोकन के अनुसार एस.एन.2 को अद्यतन/संशोधित किया गया है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी के लिए।
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 007814एन

प्रदीप कुमार लखानी
साझेदार
सदस्यता सं. 091192
दिनांक: 11 अप्रैल 2026
यूडीआईएन: 260 91192 1420

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक "सी"

(हमारी वैपकोस लिमिटेड के सदस्यों को दिनांक तक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी औ र विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 1(एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड ( ) के संदर्भ में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 तक वैपकोस लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय

नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारी

प्रबंधन और निदेशक मंडल आंतरिक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("आई.सी.ए.आई.") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के संदर्भ में हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

ऑडिटर की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने आईसीएआई द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया, जहां तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होता है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और उसे अंजाम दें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते थे।

हमारे ऑडिट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, एक भौतिक कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित पद्धति वित्तीय विवरणों का विषय संबंधित गलत-सूचना के जोखिमों के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित है कि यह धोखाधडी अथवा त्रुटि के कारण है । नीचे दिए गए राय के खंडन में वर्णित मामले के कारण, हम कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों पर लेखापरीक्षा राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपय ुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विस्तार में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करता है कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया गया है, और कंपनी की प्राप्य और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या कंपनी की संपत्ति के निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करता है जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

7. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं जिसमें सांठ-गांठ अथवा नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधन की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी वजह से वित्तीय गलतियां हो जाने जैसी घटना घट जाए और उसका पता नहीं भी लग सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय का अस्वीकरण

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर या उन पर विचार करते हुए मानदंडों पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। तदनुसार, हम 31 मार्च 2025 को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

महत्वपूर्ण कमजोरियाँ और अवलोकन

i. कंपनी के पास दावा वसूली योग्य, व्यापार प्राप्य, ठेकेदारों को अग्रिम, व्यापार देय, परियोजना प्राधिकरणों को/से शेष राशि और ठेकेदारों/परियोजना प्राधिकरणों को बकाया सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि के संबंध में शेष की पुष्टि के लिए अनुरोध करने की प्रणाली है। हालाँकि, हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी व्यापार प्राप्य और अन्य वसूली योग्य और देय के संबंध में पुष्टिकरण प्राप्त करने और समय-समय पर समाधान तैयार करने में सक्षम नहीं है। अधिकांश व्यापार प्राप्य या तो केंद्र या राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/नगर निगम प्राधिकरण और विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के तहत अन्य स्वायत्त निकायों हैं। इसलिए, हमारी राय है कि कंपनी को उक्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए इसे अधिक सक्रिय रूप से प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल होने की आवश्यकता है।

ii कंपनी के पास ठेकेदार के दावों का मूल्यांकन करने की एक मजबूत प्रणाली होनी चाहिए, जिससे बड़ी मात्रा में मुकदमेबाजी और बढ़ते ब्याज बोझ के साथ निपटान हो। समय पर देयता का निर्धारण न करने से वित्तीय रिपोर्टिंग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और कंपनी के कामकाज पर भी असर पड़ सकता है।

iii अनुबंधों/समझौतों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए और कानूनी रूप से जांच की जानी चाहिए। हमारी राय में, अनुबंधों/समझौतों की विधिक जांच को और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि इसमें शामिल पक्षों की ओर से विभिन्न नकारात्मक परिणामों और संभावित जोखिमों से बचा जा सके।

iv हमने यह भी पाया है कि संविदा कर्मचारी और सलाहकार जैसी अन्य एजेंसियां परिचालन कार्य की प्रक्रिया में शामिल हैं जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रक्रिया के पूरी तरह से विरूद्ध है।

v वित्तीय विवरण आंतरिक रूप से तैयार नहीं किए जाते हैं जो आंतरिक नियंत्रण की अच्छी पद्धति नहीं है। आंतरिक रूप से वित्तीय विवरण तैयार न करना वास्तव में किसी संगठन के भीतर आंतरिक नियंत्रण की कमजोरी माना जा सकता है। आंतरिक नियंत्रण ऐसी प्रक्रियाएं, रीति और पद्धतियां हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता, विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के साथ-साथ परिसंपत्तियों की सुरक्षा और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए लागू की जाती हैं।

भौतिक कमजोरी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमियों या त्रुटियों का एक ऐसा संयोजन है, जो इस बात की संभावना की पुष्टि करता है कि कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण को समय आधार पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा को निर्धारित करने में ऊपर बताई गई अस्वीकरण और महत्वपूर्ण कमियों पर विचार किया है, और अस्वीकरण के साथ पढ़ी गई महत्वपूर्ण कमियां कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी के लिए।
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 007814एन

प्रदीप कुमार लखानी
साझेदार
सदस्यता सं. 091192
दिनांक: 11 अप्रैल 2026
यूडीआईएन: 260 91192 1420

वाप्कोस लिमिटेड
सीआईएन: U74899DL1969G01005070
31 मार्च, 2025 को यथास्थिति तुलन पत्र

(रूपये लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 को यथास्थिति	31 मार्च, 2024 को यथास्थिति	1 अप्रैल, 2023 को यथास्थिति
संपत्ति				
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	1,829.70	2,018.08	2,304.89
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर		-	-	-
(ग) संपत्ति के उपयोग का अधिकार	2क	516.85	619.87	686.22
(घ) निवेश संपत्ति		-	-	-
(ङ) गुडविल		-	-	-
(च) अन्य अमूर्त संपत्ति	2ख	222.83	246.43	194.81
(छ) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति		-	-	-
(ज) बियरर प्लांट्स के अलावा अन्य बायोलॉजिकल संपत्तियां		-	-	-
(i) वित्तीय संपत्ति				
(i) निवेश	3	8,034.00	8,029.06	8,024.02
(ii) व्यापार प्राप्य		-	-	-
(iii) ऋण		-	-	-
(iv) अन्य वित्तीय संपत्तियां	4क	4,885.34	4,177.07	2,316.00
(झ) आस्थगित कर संपत्ति (निवल)	5	16,306.42	14,327.03	11,969.65
(ञ) अन्य गैर-वर्तमान संपत्तियां	6	135.91	162.11	121.41
वर्तमान संपत्ति				
(क) सूची		-	-	-
(ख) वित्तीय संपत्ति				
(i) निवेश		-	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	7	166,968.04	150,968.49	145,674.22
(iii) नकद और नकद समकक्ष	8	40,696.13	26,792.01	16,805.53
(iv) उपरोक्त (पपप) के अलावा अन्य बैंक शेष	9	34,094.59	32,819.95	33,005.04
(v) अन्य वित्तीय संपत्तियां	4ख	3,330.72	2,807.09	2,598.43
(ग) वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)	10	7,263.24	10,166.31	8,769.04
(घ) अन्य वर्तमान संपत्ति	11	33,872.35	29,282.56	25,613.16
कुल संपत्ति		**318,156.12**	**282,416.06**	**258,082.42**
इक्विटी और देयता				
इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	12	13,000.00	13,000.00	13,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	13	34,088.69	32,358.77	29,052.54
देयताएं				
गैर मौजूदा देनदारियों				
(क) वित्तीय देनदारियां				
(i) उधार	17क	20,799.50	19,272.64	13,551.17
(क) पट्टा देयता	18क	303.26	459.97	469.96
(ii) व्यापार देय				
(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	14क	360.26	380.06	406.40
(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	14क	1,597.01	1,135.77	901.27
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	19क	10,079.13	9,317.59	8,530.70
(ख) प्रावधान	15क	10,311.04	8,826.27	8,173.72
(ग) आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)		-	-	-
(घ) अन्य गैर-वर्तमान देनदारियां	16क	3,557.75	12,260.46	2,995.67
वर्तमान देनदारियां				
(क) वित्तीय देनदारियां				
(i) उधार	17ख			
(iअ) पट्टा देयता	18ख	3,499.98	3,499.98	731.17
(ii) व्यापार देय		318.92	272.99	388.91
(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	14ख	-	-	-
(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	14ख	39,291.79	27,283.90	30,590.75
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	19ख			
(ख) प्रावधान	15ख	105,051.98	99,908.78	81,294.89
(ग) वर्तमान कर देनदारियां (शुद्ध)		7,761.87	10,994.54	12,784.32
(घ) अन्य वर्तमान देनदारियां	16ख	3,950.99	4,015.90	3,407.23
		-	-	-
		64,183.95	39,428.44	51,803.72
कुल इक्विटी और देनदारियां		**318,156.12**	**282,416.06**	**258,082.42**
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखा टिप्पणियां वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है।	टिप्पणी 1-70			

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(शैलेन्द्र विश्वकर्मा)	(सुषमा पी. वी.)	(अमिताभ त्रिपाठी)	(शिल्पा शिंदे)
कम्पनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	निदेशक (वाणिज्य व मा. सं. वि.) (डीआईएन नं. 10935800)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (डीआईएन नं. 10051735)

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007814एन

प्रदीप कुमार लखानी
साझेदार
एम. नं. 091192

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 3 मार्च, 2026

वाप्कोस लिमिटेड
सीआईएन: U74899DL1969G01005070
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रूपये लाख में)

विवरण		टिप्पणी सं.	वर्तमान समीक्षाधीन वर्ष के अंत में यथास्थिति आंकड़े (31 मार्च, 2025)	वर्तमान समीक्षाधीन वर्ष के अंत में यथास्थिति आंकड़े (31 मार्च, 2024)
	राजस्व			
I	प्रचालनों से राजस्व	20	161,204.39	153,051.45
II	अन्य आय	21	2,707.97	3,892.14
III	परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों की गैर-मान्यता पर शुद्ध लाभ		-	-
IV	वित्तीय आस्तियों के पुनवर्गीकरण का शुद्ध लाभ		-	-
V	**कुल आय (I+II+III+IV)**		**163,912.36**	**156,943.59**
VI	**व्यय**			
	निर्माण व्यय			
	कर्मचारी लाभ व्यय	22	93,544.90	81,449.77
	वित्तीय लागत	23	29,524.42	32,292.72
	प्राप्त सेवाएं	24	2,032.41	1,510.00
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	25	15,456.45	15,479.24
	परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों की गैर-मान्यता पर शुद्ध हानि	26	876.26	908.34
	वित्तीय आस्तियों के पुनवर्गीकरण की शुद्ध हानि		-	-
	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय (अनुसूची III पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार संस्तुति)		-	-
	अन्य व्यय	27	72.52	73.80
	कुल व्यय (IV)	28	20,370.91	17,433.53
	पूर्व अवधि (नेटिंग)		**161,877.87**	**149,147.40**
VII	**एसोसिएट्स/संयुक्त के लाभ/(हानि) के हिस्से से पहले लाभ/(हानि) उद्यम और असाधारण वस्तुएँ और कर (V-VI)**	**29a**	-	-
VIII	**एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) का भाग**		**2,034.49**	**7,796.19**
IX	**विशिष्ट मदों व कर से पहले लाभ/(हानि) (VII+VIII)**		-	-
X	**विशिष्ट मदें**			
XI	**कर से पहले लाभ/(हानि) (IX+X)**	**29**	**599.55**	**2.68**
XII	**कर व्यय**		**2,634.04**	**7,798.87**
	(1) वर्तमान कर	**30**		
	(2) पूर्व वर्षों हेतु आय कर		2,641.94	4,389.01
	(3) आस्थगित		438.06	(64.69)
XIII	**निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ/(हानि) (XI-XII)**		(2,028.85)	(2,366.32)
XIV	**बंद किए गए प्रचालनों हेतु लाभ/(हानि)**		1,582.89	5,840.87
XV	**बंद किए गए प्रचालनों से कर व्यय**		-	-
XVI	**कर के बाद बंद किए गए प्रचालनों हेतु लाभ/(हानि) (X-XI)**		-	-
XVII	**अवधि हेतु लाभ/(हानि) (IX-XII)**		-	-
XVIII	**अन्य विस्तृत आय**		1,582.89	5,840.87
	मदें			
	परिभाषित लाभ योजनाओं के लाभ/(हानि) का पुनःमापन - पीआरएमएस			
	आस्थगित कर प्रभाव		(162.24)	39.81
	परिभाषित लाभ योजनाओं के लाभ/(हानि) का पुनःमापन - अवकाश नकदीकरण		40.83	10.02
	आस्थगित कर प्रभाव		-	-
	परिभाषित लाभ योजनाओं के लाभ/(हानि) का पुनःमापन - ग्रेच्युटी		-	-
	आस्थगित कर प्रभाव		353.79	(9.32
	ओसीआई द्वारा उचित मूल्य के इक्विटी इन्स्ट्रूमैंट डेजिगनेटेड में निवश लाभ/(हानि)		(89.04)	(2.35)
	आस्थगित कर प्रभाव			
	मदों से संबंधित आय कर जो लाभ व हानि विवरण में पुनःवर्गीकृत नहीं किए गए हैं		4.94	(5.04)
			(1.24)	1.27
XIX	**वर्ष के लिए कुल आय विस्तृत आय (कर का निवल)**		**147.03**	**34.39**
	वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय		**1,729.92**	**5,875.26**
XX	**प्रति इक्विटी शेयर आय (संदर्भ टिप्पणी सं- 34)**			
	प्रत्येक 10/- रु- मूल्य का इक्विटी शेयर			
	(1) मुल (केवल रु- में)		1.22	4.49
	(2) अवमिश्रित(केवल रु- में)		1.22	4.49
	उपरोक्त महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ लाभ और हानि के विवरण का अभिन्न अंग है।	टिप्पणी 1-70		

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(शैलेन्द्र विश्वकर्मा)	(सुषमा पी. वी.)	(अमिताभ त्रिपाठी)	(शिल्पा शिंदे)
कम्पनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	निदेशक (वाणिज्य व मा. सं. वि.) (डीआईएन नं. 10935800)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (डीआईएन नं. 10051735)

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007814एन

प्रदीप कुमार लखानी
साझेदार
एम. नं. 091192

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 3 मार्च, 2026

वाप्कोस लिमिटेड
सीआईएन: U74899DL1969G01005070
31 मार्च, 2025 को इक्विटी में परिवर्तन के विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

(1) वित्तीय वर्ष 2024-2025 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

(रु. लाख में)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ के रूप में शेष राशि	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में शेष राशि
13,000.00				13,000.00

(2) वित्तीय वर्ष 2023-2024 की पूर्व रिपोर्टिंग अवधि

(रु. लाख में)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ के रूप में शेष राशि	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में शेष राशि
13,000.00				13,000.00

(3) वित्तीय वर्ष 2022-2023 की पूर्व रिपोर्टिंग अवधि

(रु. लाख में)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ के रूप में शेष राशि	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में शेष राशि
13,000.00				13,000.00

(ख) अन्य इक्विटी

(1) वित्तीय वर्ष 2024-2025 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

(रु. लाख में)

विवरण	धन लंबित आवंटन शेयर एप्लीकेशन	मिश्रित वित्तीय लिखतों का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय (ओसीआई)			शेयर वारंट के निमित प्राप्त धन	कुल
			सामान्य आरक्षित (क)	प्रतिधारित अर्जन (ख)	पूँजी आरक्षित (ग)	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (घ)	एफवीओसीआई नामित इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश से लाभ/(हानियाँ) (ड)	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (आय निर्दिष्ट करें)		
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**-**	**-**	**1,369.25**	**31,345.01**	**-**	**(393.94)**	**38.45**	**-**	**-**	**32,358.78**
जोड़ / (घटाएं): पूर्व अवधि त्रुटि के कारण देय शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुन: घोषित शेष	-	-	1,369.25	31,345.01	-	(393.94)	38.45	-	-	32,358.78
वर्ष की कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	1,582.88	-	-	-	-	-	1,582.88
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	191.54	-	-	-	191.54
– परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: आंकलन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– इक्विटी साधन (एफवीओसीआई) पर उचित मूल्य लाभ / (हानि)	-	-	-	-	-	-	4.94	-	-	4.94
– ओसीआई पर आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	(48.21)	(1.24)	-	-	(49.45)
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश आरक्षित में/ से हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शेयर वारंट के खिलाफ प्राप्त राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2025 को शेष राशि	**-**	**-**	**1,369.25**	**32,927.89**	**-**	**(250.60)**	**42.15**	**-**	**-**	**34,088.69**

(1) वित्तीय वर्ष 2023-2024 की पूर्व रिपोर्टिंग अवधि

(रु. लाख में)

विवरण	धन लंबित आवंटन शेयर एप्लीकेशन	मिश्रित वित्तीय लिखतों का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय (ओसीआई)			शेयर वारंट के निमित प्राप्त धन	कुल
			सामान्य आरक्षित (क)	प्रतिधारित अर्जन (ख)	पूँजी आरक्षित (ग)	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (घ)	एफवीओसीआई नामित इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश से लाभ/(हानियाँ) (ड)	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (आय निर्दिष्ट करें)		
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**-**	**-**	**1,369.25**	**28,004.41**	**-**	**(355.78)**	**34.68**	**-**	**-**	**29,052.56**
जोड़ / (घटाएं): पूर्व अवधि त्रुटि के कारण देय शुल्क	-	-	-	(0.27)	-	-	-	-	-	(0.27)
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुन: घोषित शेष	-	-	1,369.25	28,004.14	-	(355.78)	34.68	-	-	29,052.29
वर्ष की कुल व्यापक आय				-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	5,840.87	-	-	-	-	-	5,840.87
अन्य व्यापक आय				-	-	-	-	-	-	-
– परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: आंकलन	-	-	-	-	-	(30.49)	-	-	-	(30.49)
– इक्विटी साधन (एफवीओसीआई) पर उचित मूल्य लाभ / (हानि)	-	-	-	-	-	-	5.04	-	-	5.04
– ओसीआई पर आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	(7.67)	(1.27)	-	-	(8.94)
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	-	-		(2,500.00)	-	-	-	-	-	(2,500.00)
वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश आरक्षित में/ से हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शेयर वारंट के खिलाफ प्राप्त राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को शेष राशि	**-**	**-**	**1,369.25**	**31,345.01**	**-**	**(393.94)**	**38.45**	**-**	**-**	**32,358.77**

(2) वित्तीय वर्ष 2022-2023 की पूर्व रिपोर्टिंग अवधि

(रु. लाख में)

विवरण	धन लंबित आवंटन शेयर एप्लीकेशन	मिश्रित वित्तीय लिखतों का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय (ओसीआई)			शेयर वारंट के निमित प्राप्त धन	कुल
			सामान्य आरक्षित (क)	प्रतिधारित अर्जन (ख)	पूँजी आरक्षित (ग)	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (घ)	एफवीओसीआई नामित इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश से लाभ/(हानियाँ) (ङ)	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (आय निर्दिष्ट करें)		
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	**-**	**-**	**4,469.25**	**33,494.42**	**-**	**(381.90)**	**31.31**	**-**	**-**	**37,613.08**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	(4,946.35)	-	-	-	-	-	(4,946.35)
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	-	-	(3,100.00)	-	-	-	-	-	-	(3,100.00)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	34.91	-	-	-	34.91
पूर्व अवधि व्यय/आय में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	(543.69)	-	-	-	-	-	(543.69)
इक्विटी शेयर निवेश पर उचित मूल्य लाभ	-	-	-	-	-	-	4.51	-	-	4.51
ओसीआई पर आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	(8.79)	(1.13)	-	-	(9.92)
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**-**	**-**	**1,369.25**	**28,004.38**	**-**	**(355.78)**	**34.69**	**-**	**-**	**29,052.54**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा टिप्पणियां स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है। Note 1-70

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(शैलेन्द्र विश्वकर्मा) कम्पनी सचिव	(सुषमा पी. वी.) मुख्य वित्त अधिकारी	(अमिताभ त्रिपाठी) निदेशक (वाणिज्य व मा. सं. वि.) (डीआईएन नं. 10935800)	(शिल्पा शिंदे) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (डीआईएन नं. 10051735)

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007814एन

प्रदीप कुमार लखानी
साझेदार
एम. नं. 091192

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 3 मार्च, 2026

वाप्कोस लिमिटेड
सीआईएन: U74899DL1969G01005070
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	
क)	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	लाभ व हानि विवरण के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		2,634.04		7,798.87
i)	**समायोजन हेतु:**				
	लाभ/(हानि) के विवरण में अभिज्ञात ब्याज आय	(2,721.08)		(1,795.33)	
	लाभांश आय	(0.97)		(1,386.89)	
	रियायती किराया/लीज समाप्ति	(0.65)		(20.14)	
	(लाभ) विनिमय भिन्नता के कारण हानि	173.46		(294.07)	
	नियत परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (निवल)	(0.53)		0.32	
	अचल संपत्तियां बट्टे	-		-	
	व्यापार प्राप्त और प्रतिधारण राशि हेतु प्रावधान	7,587.52		5,376.83	
	अग्रिम किराए के लिए प्रावधान	-		(3.00)	
	संदिग्ध इंप्रेस्ट खाते के लिए प्रावधान	(310.99)		183.44	
	प्रतिकर्ता के लिए अग्रिम हेतु प्रावधान	-		199.18	
	मूल्यह्रास व परिशोधन	604.31		557.94	
	अधिकार के प्रयोग पर मूल्यह्रास व परिशोधन	271.95		350.40	
	बट्टे खाते में डाले गए प्रावधान	(596.55)		(3.00)	
	वित्त लागत आरओयू परिसम्पत्तियां	56.30		65.15	
	वित्तीय लागत सावधि ऋण	1,976.11		1,444.85	
	वित्तीय लागत नकद क्रेडिट	-		-	
	लंबी अवधि के ऋण में ईआईआर समायोजन	-		(2.20)	
			7,038.86		**4,673.50**
	कार्यगत पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ		**9,672.90**		**12,472.37**
ii)	**परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन**				
	प्राप्य व्यापार	(23,587.07)		(10,671.11)	
	व्यापार देय	17,592.53		15,515.19	
	अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	(4,589.78)		(3,865.59)	
	गैर वर्तमान परिसम्पत्तियां	26.20		(40.71)	
	अन्य वर्तमान वित्तीय परिसम्पत्तियां	(212.64)		(392.08)	
	गैर वर्तमान वित्तीय परिसम्पत्तियां	(35.41)		(1,720.71)	
	अन्य वर्तमान देयताएं	24,755.51		(12,375.28)	
	गैर वर्तमान देयताएं	(8,702.70)		9,264.78	
	अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं	(2,636.11)		(1,786.79)	
	गैर वर्तमान वित्तीय देयताएं	761.54		786.88	
	वर्तमान प्रावधान	126.64		578.18	
	गैर वर्तमान प्रावधान	1,484.78		652.55	
			4,983.49		(4,054.69)
	कर से पहले प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकद		14,656.39		8,417.68
	घटाएं: निगमित प्रदत्त कर	261.13	261.13	(5,721.59)	(5,721.59)
	घटाएं: निगमित प्रदत्त कर/पूर्व वर्ष हेतु समायोजित	(438.06)	(438.06)		-
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह		**14,479.46**		**2,696.09**
ख)	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**				
	लाभांश आय	0.97		1,386.89	
	संपत्ति, प्लांट व उपकरण की बिक्री	2.18		0.05	
	अमूर्त परिसम्पत्तियों का निपटारा	-		-	
	संपत्ति, प्लांट व उपकरण की खरीद	(175.43)		(98.34)	
	अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद	(218.58)		(225.03)	
	नकद व नकद तुल्यमान के रूप में न मानी जाने वाले जमा	(1,947.51)		44.74	
	लाभ/(हानि) के विवरण में अभिज्ञात आय ब्याज	2,721.08		1,795.33	
	निवेश गतिविधियों में निवल नकद प्रभाव		382.71		2,903.64
ग)	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रभाव**				
	पट्टा भुगतान के प्रमुख आधार	(279.05)		(389.80)	
	पट्टा का ब्याज आधार	(56.30)		(65.15)	
	लंबी अवधि के ऋण से आय	5,000.00		7,461.17	

	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	
	लंबी अवधि के ऋण का (पुर्नभुगतान)	(3,473.13)		(1,737.50)	
	लंबी अवधि के ऋण से पुर्नभुगतान (निवल)	-		2,768.81	
	कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान (कर सहित)	-		(2,500.00)	
	भुगतान की गई वित्त लागत	(1,976.11)		(1,444.85)	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह		**(784.59)**		**4,092.68**
	विदेशी मुद्रा नकद और नकद तुल्य के रूपांतरण पर				
	विनिमय अंतर का प्रभाव		(173.46)		294.07
	नकद व बैंक शेष में निवल वृद्धि/कमी		**13,904.12**		**9,986**
	वर्ष के आरम्भ में नकद व बैंक शेष		**26,792.01**		**16,805.53**
	वर्ष के अन्त में नकद व बैंक शेष		**40,696.13**		**26,792.01**
	टिप्पणियां	-	**13,904.12**		**9,986.48**
	1- भारतीय लेखा मानक-7 के अनुसार नकदी प्रवाह तैयार रने हेतु अप्रत्यक्ष पद्धति का अनुपालन किया गया है।		**40,696.13**		**26,792.01**
	2- नकदी व बैंक शेष प्रतिनिधित्व करते हैं		**40,696.13**		**26,792.01**
	क- नकद व नकद तुल्यमान:				
	(क) चालू खातों में बैंकों साथ शेष		40,179.10		25,432.10
	(ख) रैमिटेस इन ट्रांजिट				
	(ग) 3 माह से कम मूल परिपक्वता वाले बैंक जमा		508.11		1,350.99
	(घ) हस्तगत नकदी		8.92		8.92
	(ङ) पोस्टेज स्टाम्प				-
		40,696.13		**26,792.01**	

नोट: भारतीय लेखा मानक 7 के तहत वित्तीय गतिविधियों से उभरने वाली देयताओं का समायोजन

(Rs in Lakhs)

	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
	वर्ष के आरंभ में शेष	22,772.61	14,282.34
	नकद प्रवाह-प्राप्तियां/(पुर्न भुगतान)	1,526.87	8,492.48
	गैर नकद परिवर्तन	-	(2.20)
	वर्ष के अंत में शेष	24,299.48	22,772.61

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(शैलेन्द्र विश्वकर्मा)	(सुषमा पी. वी.)	(अमिताभ त्रिपाठी)	(शिल्पा शिंदे)
कम्पनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	निदेशक (वाणिज्य व मा. सं. वि.)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
		(डीआईएन नं. 10935800)	(डीआईएन नं. 10051735)

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007814एन

प्रदीप कुमार लखानी
साझेदार
एम. नं. 091192

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 3 मार्च, 2026

मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक विवरणों का सारांश

कंपनी सिंहावलोकन, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स टू अकाउंट्स स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

कंपनी सिंहावलोकन

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 26 जून 1969 को स्थापित **वाप्कोस लिमिटेड (कंपनी)** केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, गंगा संरक्षण और नदी विकास विभाग के तत्वावधान में एक "मिनी रत्न -I" सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। जल, विद्युत और अवस्थापना के क्षेत्र में मजबूत घरेलु और वैश्विक उपस्थिति के साथ वाप्कोस एक प्रौद्योगिकी संचालित परामर्श और अभियांत्रिकी, प्रापण और निर्माण संगठन है। अभियांत्रिकी उत्कृष्टता, असाधारण कार्यबल और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण ने ग्राहकों की परियोजनाओं को निरंतर पूरा करने में वाप्कोस को समर्थ बनाया है। वाप्कोस के पास अपने प्रचालन से संबंधित क्षेत्रों की किसी भी स्तर और जटिलता से परिपूर्ण परामर्श और ईपीसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित अनुभव और विशेषज्ञता मौजूद है। परियोजनाओं से संबंधित वाप्कोस का पोर्टफोलियो प्रभावशाली और विविध दोनों प्रकार की प्रकृति का है। वाप्कोस की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में आवासीय, कार्यालय भवनों, सिविल कार्यों, सड़क एवं राजमार्गों, सिंचाई, कृषि एवं जल परियोजनाओं, उत्पादन, उप-केंद्र, पारेषण इत्यादि हेतु विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित जल संसाधन, विद्युत और अवसंरचना विकास परियोजनाओं में परामर्श सेवाओं के संबंध में **आईएसओ-9001:2015** की गुणवत्ता आश्वासन अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है।

कंपनी को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित किया गया है और कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कैलाश, 5 वीं मंजिल, 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 (भारत) और कॉर्पोरेट कार्यालय 76-सी, सेक्टर -18, गुरुग्राम, हरियाणा -122015 (भारत) में स्थित है।

कंपनी की समग्र शेयरधारिता राष्ट्रपति और उसके नामितों के पास है।

कंपनी की रिपोर्टिंग और कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया (आईएनआर) है। प्रति शेयर डेटा को छोड़कर और अन्यथा उल्लिखित के संबंध में दो दशमलव तक पूर्णांकित करके वित्तीय विवरणों में आंकड़े रु/₹ लाख में प्रस्तुत किए जाते हैं। विगत अवधि के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, पुन: समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को दिनांक 20.02.2026 को अनुमोदित किया गया है।

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1.1 सामान्य

(क) अनुपालना का विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण के साथ पठित यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत कारपोरेट कार्य मंत्रलय ("एमसीए") द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (भा.ले.मा.) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

लेखांकन नीतियाँ को केवल उन स्थितियों को छोड़ कर जहां नए जारी किए गए भारतीय लेखांकन मानक को प्रारम्भ में अपनाया गया है अथवा एक विद्यमान लेखांकन मानक में किसी संशोधन के लिए पहले से प्रयोग में आ रही लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, में सतत रूप से लागू किया गया हैं। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण पहले वित्तीय विवरण हैं जिन्हें कंपनी ने सभी लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया है।

एमसीए ने 31 मार्च, 2023 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 को अधिसूचित किया, जिससे माध्यम से कंपनियों को केवल प्रमुख लेखाकंप नीतियों के प्रकटीकरण को अनिवार्य अनिवार्य किया गया है। तदनुसार, पूर्ववर्ती महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की समीक्षा की गई है और उनके स्थान पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतिययों को प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रतिस्थापन पर कोई वित्तीय निहितार्थ लागू नहीं है।

(ख) वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं और उचित मूल्य पर मापे जाने वाली परिभाषित लाभ योजनाओं को छोड़ कर कंपनी के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के सिद्धान्त के आधार पर तैयार किए गए हैं, और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (भा.ले.मा.) नियम, 2015 के नियम 4 की अनुपालना में तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी वर्षों के लिए भारतीय लेखांकन मानकों की लेखांकन नीतियाँ समान रूप से लागू की गई हैं।

सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को कंपनी के प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान अथवा गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्रियाकलापों की प्रकृति और प्रक्रियान्वयन के लिए परिसंपत्तियों की प्रापण तथा उनकी नकद एवं नकद के समान मूल्य में प्राप्ति के बीच के समय के आधार पर कंपनी ने परिसंपत्तियों तथा देयताओं के वर्तमान अथवा गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 माह निर्धारित किया है।

1.2 अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन को कुछ आकलन, अनुमान तथा परिकल्पनाएँ करनी होती हैं। ये अनुमान, आकलन और परिकल्पनाएँ लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों तथा देयताओं की रिपोर्ट की गई मात्र, वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किए जाने की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और वर्ष के लिए रिपोर्ट की गई राजस्व तथा व्यय की मात्र को प्रभावित करती हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त अनुमानों तथा आकलनों का कंपनी द्वारा लगातार मूल्यांकन किया जाता है और ये पूर्व अनुभव और वर्तमान परिस्थितियों में कंपनी द्वारा तर्कपूर्ण समझे जाने वाली कंपनी की विभिन्न अन्य परिकल्पनाओं और घटकों (भविष्य की घटनाओं की अपेक्षाओं सहित) पर आधारित होते हैं। यद्यपि कंपनी इन अनुमानों का नियमित रूप से आकलन करती है परंतु वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं। जैसे-जैसे प्रबंधन को अनुमानों से संबंधित परिस्थितियों में बदलाव की जानकारी मिलती है वैसे-वैसे अनुमानों में उचित बदलाव किए जाते हैं। अनुमानों में बदलाव उस अवधि के वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं जिस अवधि में बदलाव किए गए हैं और, यदि उल्लेखनीय हों, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के साथ की गई टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

1.3 राजस्व की मान्यता

प्रचालनों से राजस्व

1.3.1 कंपनी को प्रमुख रूप से परामर्श एवं निर्माण संविदाओं से प्रचालन राजस्व प्राप्त होता है।

1.3.2 वित्तीय विवरणों में राजस्व को पहचानने के लिए सामान्य मानदंड निम्न प्रकार से है, जो राजस्व के सभी क्षेत्रें पर लागू होते हैं, जबकि राजस्व के संबंधित क्षेत्र को लेखांकन नीति में विशिष्ट मापदंडों कहा जाता है।

सामान्य पैरामीटर

राजस्व को पहचान करने के उद्देश्य के लिए, कंपनी पांच प्रक्रिया का अनुसरण करती है:

- एक ग्राहक के साथ संविदा की पहचान करना
- कार्य निष्पादन दायित्वों की पहचान करना
- लेनदेन मूल्य का निर्धारण
- कार्य निष्पादन दायित्वों के लिए लेनदेन की कीमत आवंटित करना
- कार्य निष्पादन दायित्व का जब /जैसे निष्पादन किया जाता है, तो राजस्व की पहचान की जाती है।

कंपनी की सेवाओं की श्रृंखला में शामिल सभी क्षेत्रें में कार्य करती है। सभी मामलों में, कार्य निष्पादन दायित्वों के आधार पर संविदा हेतु सम्पूर्ण कार्य मूल्य होता है।

राजस्व या तो समय पर या समय पूरा होने पर पहचाना जाता है, तब (या जैसे) कम्पनी अपने ग्राहकों को दिए गए माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके संतोषजनक कार्य निष्पादन दायित्वों को पूरा करती है।

लेन देन मूल्य वह राशि है जिसे कंपनी ग्राहक को माल या सेवाओं के स्थानांतरण हेतु विनिमय के लिए पाने की आशा रखती है। एक संविदा में वादा किए गए विचार में निश्चित राशियाँ, परिवर्तनशील राशियाँ या दोनों शामिल हो सकती हैं। किसी निर्धारित परिस्थिति में अपेक्षित मूल्य विधि या सबसे अधिक संभावित राशि का उपयोग करके परिवर्तनीय विचार का अनुमान लगाया जाता है। ग्राहकों के साथ सहमत भुगतान शर्तें व्यावसायिक व्यवहार के अनुसार हैं और लेनदेन मूल्य में कोई वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है।

प्रस्ताव की तैयारी के लिए प्रशासनिक लागत को छोड़कर संविदा प्राप्त करने के लिए कंपनी कोई भी लागत नहीं लेती है और वही लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया जाता है।

संविदा को पूरा करने में लगने वाली लागत संबंधित संविदा के राजस्व को लाभ और हानि विवरण में जोड़ा जाता है।

संविदा पर राजस्व को संबंधित सेवाओं के रूप में मान्यता दी जाती है और अंतिम बिल की तिथि से तुलन पत्र की तारीख तक के राजस्व को तुलन पत्र में बिल न किए गए राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

कंपनी असंतुष्ट कार्य निष्पादन दायित्वों के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों के लिए संविदा देनदारियों को पहचानती है और इन राशियों को तुलन पत्र में अन्य देनदारियों के रूप में रिपोर्ट करती है। इसी तरह, यदि कंपनी एक कार्य निष्पादन दायित्व को संतोषजनक रूप से पूरा करती है और इस पर टिप्पणी प्राप्त करना अभी बाकी होता है, तो टिप्पणी प्राप्त होने से पहले, कंपनी अपने तुलन पत्र में एक संविदा परिसंपत्ति लगाती।

1.3.3 राजस्व को माल व सेवा कर (जीएसटी) से मान्यता प्राप्त है।

1.3.4 अनुबंध राजस्व में अनुबंध में सहमत राजस्व की प्रारंभिक राशि और प्रदत्तअतिरिक्त कार्य, यदि कोई हों, शामिल हैं।

1.3.5 परामर्शी शुल्क

- सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त राजस्व को उस लेखा अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। राजस्व या तो समय पर या समय पूरा होने पर पर पहचाना जाता है, तब (या जैसे) कम्पनी अपने ग्राहकों को दिए गए माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके संतोषजनक कार्य निष्पादन दायित्वों को पूरा करती है।
- यदि कार्य निष्पादन दायित्वों को समय पर पूरा किया जाता है, तो राजस्व को संविदा अवधि के अनुसार लेनदेन की प्रकृति के आधार पर उपयुक्त पद्धति का उपयोग करके प्रदान की जाने वाली कुल सेवाओं के अनुपात के रूप में रिर्पोट अवधि के अंत तक प्रदान की गई वास्तविक सेवा के आधार पर मान्यता प्राप्त होती है।

- अन्य मामलों में जहां कार्य निष्पादन की बाध्यता समय के साथ संतोषजनक नहीं होती है, राजस्व को बाद में मान्यता दी जाती है।
- अधिक लागत वाली संविदाओं के मामले में, राजस्व को अपने ग्राहकों को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करके संविदा के तहत काम की प्रगति और संबद्ध कार्य निष्पादन दायित्वों को पूरा करने के साथ बिल योग्य राशि के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- संबंधित कार्य निष्पादनों के संतोषजनक दायित्वों के मध्यनजर, गैर-समायोजित अग्रिम/शुल्क को राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। तथापि, वसूली योग्य अग्रिम को बाद के राजस्व बुकिंग के विरूद्ध समायोजित किया जाता है।
- निर्माण प्रबंधन/प्रर्यवेक्षण अनुबंध में, राजस्व को प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रत्येक अनुबंध किए गए कार्य/निर्मित लागत के मूल्य के प्रतिशत के रूप में मान्यता प्राप्त है, यदि ग्राहक द्वारा कोई स्वीकृति लंबित हो।
- संविदा पर राजस्व को संबंधित सेवाओं के रूप में मान्यता दी जाती है और अंतिम बिल की तिथि से तुलन पत्र की तारीख तक के राजस्व को तुलन पत्र में बिल न किए गए राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.3.6 निर्माण परियोजनाएं

कंपनी निर्माण संविदाओं/ परियोजनाओं में राजस्व को समय के साथ पहचानती है। इन परियोजनाओं के विभिन्न तत्वों के बीच अन्योन्याश्रितता के उच्च स्तर के कारण, इन परियोजनाओं को एकल कार्य निष्पादन दायित्व के रूप में माना जाता है।

अधिक लागत वाली संविदाएं

- अधिक लागत वाली संविदा से राजस्व को समय के साथ पहचाना जाता है और यह निर्धारित किया जाता है कि कार्य निष्पादन दायित्व संतोषजनक है। कंपनी द्वारा ग्राहक को दिए गए माल का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और यह स्थापित करने के लिए कि कब और किस हद तक राजस्व को मान्यता दी जा सकती है, कंपनी कार्य के आधार पर निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को मापती है।
- कार्य निष्पादन दायित्वों के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य की राशि उस अवधि के दौरान वसूल किए गए वसूली योग्य लागतों को दर्शाती है जो ग्राहक के साथ सहमत होने पर मार्जिन से अधिक होती है।
- अधिक लागत वाली संविदा के मामले में, यदि परामर्शी आय/शुल्क को एक अलग रूप में निर्धारित किया जाता है, तो ऐसी परामर्शी आय/शुल्क को समय की अवधि में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है या समय के साथ-साथ कंपनी वादा किए गए माल को स्थानांतरित करके कार्य निष्पादन दायित्वों को पूरा करती है या संविदा की शर्तों के अनुसार अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है।
- अन्य मामलों में, राजस्व को समय-समय पर कार्य निष्पादन दायित्वों को संतुष्ट करने और ग्राहक को हस्तांतरित करने की सीमा तक मान्यता प्राप्त है। संविदा राजस्व को आवंटन योग्य लेनदेन मूल्य पर पहचाना जाता है जो पूर्णविधि के प्रतिशत का उपयोग करते हुए संविदा के आनुपातिक मार्जिन पर किए गए कार्य की लागत का प्रतिनिधित्व करता है।
- किसी भी अपेक्षित हानि को रिपोर्टिंग तिथि में नुकसानदेह हानि के प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त है।

1.3.7 प्लांट और उपकरणों की आपूर्ति/चालू करने के लिए माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को निम्नानुसार मान्यता दी गई है:

माल की बिक्री से होने वाले राजस्व की पहचान तब की जाती है जब उसे ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है और यह संभव है जब विनिमय माल की हकदारी पर कम्पनी ध्यान एकत्र करेगी। माल की बिक्री के लिए संविदा के संबंध में कार्य निष्पादन दायित्वों को उस समय संतोजनक माना जाता है जब उसे ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है और यहां परिसंपत्ति का वैकल्पिक उपयोग हो या कंपनी के पास उस तिथि तक कार्य निष्पादन पूर्ण करने के लिए

भुगतान या तो निहित या स्पष्ट हो। परिसंपत्ति का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं होने के मामले में हो और कंपनी के पास कानूनी मामलों पर विचार करके भुगतान का निहित या स्पष्ट अधिकार हो, कार्य निष्पादन दायित्व को समय की अवधि के रूप में संतोषजनक माना जाता है और समय के साथ राजस्व को मान्यता दी जाती है।

1.3.8 वसूली योग्य प्रतिपूर्ति व्यय वर्तमान परिसंपत्तियों की प्रकृति में हैं और ग्राहक द्वारा प्रतिपूर्ति की गई सीमा तक समायोजित किए जाते हैं।

1.3.9 प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग से ब्याज आय को पहचाना जाता है, जब यह संभावित है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ इकाई में स्थिरता से बढ़ाता है और राशि को स्थिरता से मापी जाती है।

1.3.10 लाभांश आय को तब मान्यता प्राप्त होती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है और जब यह संभावित है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ इकाई में स्थिरता से बढ़ाता है और राशि को स्थिरता से मापा जाता है।

1.3.11 अन्य

कंपनी के पास कंपनी में नियुक्त नियमित भर्तियों से बॉन्ड राशि लेने की नीति है। बॉन्ड राशि को कंपनी के नाम पर बैंकों के पास सावधि जमा रसीदों के रूप में रखा जाता है। मूल राशि के साथ जमा पर अर्जित ब्याज को कंपनी की पुस्तकों में परिसम्पति व देयताओं के रूप में माना जाता है। बांड अवधि के सफल समापन पर, संबंधित अधिकारियों को बांड की धनराशि ब्याज के साथ वापस कर दी जाती है। यदि अधिकारी बांड अवधि पूरी होने से पहले कंपनी छोड़ देता है, तो उसे जब्त कर लिया जाता है और उसे आय के रूप में माना जाता है।

1.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि ऐतिहासिक लागत पर रखी जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को प्रारंभ में लागत, अर्थात माल भाड़ा, निर्माण तथा कार्य सौंपने के शुल्क, अप्रतिदेय शुल्क एवं कर, निर्माण अवधि के दौरान व्यय, उधार लिए जाने संबंधी लागत, एक पात्र संपत्ति के मामले में, प्रापण/संस्थापन की तारीख तक, निवल संचित मूल्यह्रास तथा खराब होने से होने वाले नुकसान, यदि कोई हो, सहित अधिग्रहण अथवा निर्माण की लागत पर मान्यता दी जाती है। इसके बाद में मापन लागत में से संचित मूल्यह्रास तथा खराब होने से होने वाले नुकसान, यदि कोई हो, को घटा कर किया जाता है। लागत में वह व्यय शामिल होता है जो प्रबंधन द्वारा संपत्ति को इसके अभिप्रेत उद्देश्य के लिए तैयार करने में प्रत्यक्ष रूप से लगा है।

इसके बाद संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावित हो कि इनसे संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है। मरम्मत तथा रखरखाव पर होने वाली लागत को व्यय किए जाने पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। प्रारंभ में मान्यता प्रदान की गई संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मद और किसी उल्लेखनीय हिस्से को निपटान के बाद अथवा इसके उपयोग अथवा निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ होने की अपेक्षा न होने पर इसकी मान्यता समाप्त कर दी जाती है। संपत्ति की मान्यता समाप्त किए जाने से होने वाले किसी लाभ अथवा हानि (निवल निपटान प्राप्ति और संपत्ति की वर्तमान लागत राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को संपत्ति की मान्यता समाप्त किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। निपटान की जाने वाली संपत्ति को वर्तमान लागत मूल्य अथवा उचित मूल्य में से बेचने की लागत को घटा कर प्राप्त होने वाली राशि में से कम राशि पर रिपोर्ट किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा विधि (एसएलएम) के तहत प्रदान किया जाता है जो प्रबंधन के आकलन के समान हो। मूल्यह्रास पद्धति, उपयोगी जीवन और शेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। सम्पत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IIके भाग ग में निर्धारित किए गए अनुसार है। वर्ष के दौरान सम्पत्तियों में जोड़/कटौती के संबंध में मूल्यह्रास समानुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाता है।

विभिन्न परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी कार्यकाल निम्नानुसार है:-

संपत्ति का वर्ग	उपयोगी कार्यकाल (वर्ष)
आरसीसी फ्रेम संरचना वाले कार्यालय भवन	60
फर्नीचर और फिक्सचर	10
वाहन-मोटर कारें	8
वाहन-मोटर साइकिल, स्कूटर और अन्य मोपेड़	10
कार्यालय उपकरण	5
विद्युत कार्य	10
कंप्यूटर	3
नेटवर्किंग सर्वर	6
लकड़ी की अस्थायी संरचना	3
इंजीनियरिंग और अन्य पुस्तकें	3

पूंजी कार्य प्रगति

ऐसी परिसंपत्तियां जो इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक खर्च और जिम्मेदार ब्याज सहित लागत पर किया जाता है।

1.5 अमूर्त संपत्तियाँ

अमूर्त संपत्ति बिना किसी वास्तविक संपत्ति के एक पहचाने जा सकने वाली गैर-मौद्रिक संपत्ति होती है जैसे तकनीकी जानकारी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसे तब पूंजीकृत किया जाता है जब संपत्ति के कारण भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित रूप से कंपनी को प्राप्त हों और संपत्ति के अधिग्रहण अथवा सृजन की लागत का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके। इसके लिए उस बिन्दु से परिशोधन किया जाता है जहाँ संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

अधिग्रहित/विकसित अमूर्त सम्पत्तियों का मापन लागत में से परिशोधन और खराबी होने के कारण हुए संचित नुकसान को घटा कर प्राप्त राशि से किया जाता है।

अमूर्त सम्पत्तियों की मान्यता समाप्त करने से होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्ति और संपत्ति की मूल कीमत के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और जब संपत्ति की मान्यता समाप्त की जाती है तब इसे लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

अमूर्त सम्पत्तियों का परिशोधन उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख से अनुमानित उपयोगी कार्यकाल में सीधी रेखा आधार पर किया जाता है।

परिशोधन:

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का परिशोधन 3 वर्ष की अवधि में अथवा उनकी लाइसेंस अवधि में किया जाता है, जो भी लागू हो।

1.6 वित्तीय साधन

प्रारंभिक मान्यता

कंपनी वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्यता देती है जब यह उस साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्षकार बन जाती है। व्यापार प्राप्तियों/व्यापार देयताओं, जिनका मापन प्रारंभ में लेन-देन की तारीख को किया जाता है, को छोड़ कर सभी वित्तीय सम्पत्तियों और देयताओं को प्रारंभिक मान्यता में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। लेन-देन लागतें जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सम्पत्तियों तथा वित्तीय देयताओं, जो लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं हैं, के अधिग्रहण अथवा जारी किए जाने के कारण नहीं हैं उन्हें प्रारंभिक मान्यता में उचित मूल्य में जोड़ा जाता है/से घटाया जाता है।

अनुवर्ती मापन

(क) बाद में यदि वित्तीय सम्पत्तियों को एक ऐसे व्यापार मॉडल में रखा जाता है जिसका उद्देश्य नकद प्रवाह एकत्रित करने के लिए संपत्ति को रोक कर रखना है और वित्तीय संपत्ति की संविदात्मक शर्तें विशिष्ट तारीखों पर ऐसे नकद प्रवाह में वृद्धि लाती हैं जो केवल प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का प्रयोग करके लंबित मूलधन पर मूल तथा ब्याज के भुगतान हैं तो इनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल किया जाता है। खराबी से होने वाले नुकसान को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ऽ) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियाँ वित्तीय सम्पत्तियों का मापन लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है जब तक कि इसे परिशोधित लागत पर वर्गीकृत न किया जाए।

(ग) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देयताएँ और प्रारंभिक मान्यता में उचित मूल्य पद्धति के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय देयताएँ शामिल हैं।

अन्य सभी वित्तीय देयताओं का मापन बाद में ईआईआर पद्धति का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। जब देयताओं की मान्यता समाप्त की जाती है तब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया से भी लाभ एवं हानि के विवरण में लाभ एवं हानि को मान्यता दी जाती है।

कंपनी के पास गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधन हैं। गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) वित्तीय संपत्तियाँ, जिनमें नकद और नकद समकक्ष, इक्विटी में निवेश, व्यापार प्राप्तियाँ, परियोजना प्राधिकरणों द्वारा प्रतिधारित राशि, बिल नहीं किए गए राजस्व, कर्मचारी और अन्य अग्रिम (दी गई जमानत राशि सहित जो कंपनी को वापस की जा सकती है) शामिल हैं।

(ii) वित्तीय देयताएँ, जिनमें व्यापार देयताएँ, संविदात्मक भुगतानों से धारित राशि (ली गई जमानत राशि सहित जिसे कंपनी द्वारा वापस लौटाया जाना होता है) शामिल हैं।

प्रारंभिक मान्यता के बाद गैर-व्युत्पन्न साधनों का मापन निम्नानुसार किया जाता है:

(i) नकद और नकद समकक्ष:

नकद में कंपनी के पास उपलब्ध नकद राशि और बैंकों में जमा की गई माँग जमा राशि शामिल है। नकद समकक्ष में अधिग्रहण की तारीख से तीन माह अथवा इससे कम की मूल परिपक्वता वाली लघु अवधि जमा शामिल है जो तुरंत नकद की ज्ञात मात्र में बदली जा सकती हैं और जिनमें मूल्य बदलने का जोखिम न के बराबर हो। नकद और नकद समकक्ष में बैंकों में वह शेष राशि शामिल है जिसे निकाले जाने और उपयोग किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ii) सहायक में निवेश

सहायक में निवेश को लागत के अनुसार (भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार) जिसमें सहायक कम्पनी में 98-89% इक्विटी का अधिग्रहण करने के लिए भुगतान करने के लिए विचार शामिल है।

निवेश- अन्य

भारतीय लेखांकन मानक 109 के तहत सभी इक्विटी निवेशों का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जिन इक्विटी साधनों को व्यापार के लिए रखा जाता है उन्हें लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी साधनों के लिए कंपनी इसे अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) पर अथवा लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वर्गीकृत करने का निर्णय करती है।

(iii) परिशोधित लागत पर वित्तीय संपत्तियाँ

ऋणों, अग्रिम को वर्तमान वित्तीय संपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, केवल उन संपत्तियों को छोड़ कर जो रिपोर्टिंग तारीख के बाद 12 माह से अधिक समय बाद परिपक्व होती हैं जिन्हें गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऋणों और प्राप्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में इनका मापन प्रभावी ब्याज पद्धति (ईआईआर) का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है।

(iv) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियाँ

एक वित्तीय संपत्ति जिसे उपयुक्त में से किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है उसका मापन बाद में लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर किया जाता है।

वित्तीय साधनों की मान्यता समाप्त करना

- एक वित्तीय संपत्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है जबः
- कंपनी ने उल्लेखनीय रूप से संपत्ति के सभी जोखिम तथा लाभ हस्तांतरित कर दिए हैं, अथवा कंपनी ने उल्लेखनीय रूप से न तो संपत्ति के सभी जोखिम तथा लाभ हस्तांतरित किए हैं और न ही अपने पास रखें हैं, परंतु संपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया है।

एक वित्तीय देयता अथवा वित्तीय देयता के एक हिस्से को तुलन पत्र से बाहर कर दिया जाता है जब संविदा में विनिर्धारित दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है अथवा समाप्त हो जाता है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता की ओर से उल्लेखनीय रूप से भिन्न शर्तों पर किसी दूसरी देयता से बदला जाता है अथवा एक वर्तमान देयता की शर्तों में उल्लेखनीय संशोधन किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा संशोधन को मूल देयता की मान्यता समाप्त किया जाना और एक नई देयता को मान्यता दिया जाना माना जाता है। संगत मूल कीमतों में अंतर को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.7 हानि

क. वित्तीय संपत्तियाँः
(उचित मूल्य को छोड़ कर)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार कंपनी वित्तीय संपत्तियों के लिए संपत्ति-हानि से होने वाले नुकसान के मापन एवं इसे मान्यता देने के लिए अपेक्षित क्रेडिट नुकसान (ईसीएल) मॉडल अपनाती है।

ईसीएल संविदा के अनुसार कंपनी को देय सभी संविदात्मक नकद प्रवाह और कंपनी को प्राप्त होने की संभावना वाले अपेक्षित सभी नकद प्रवाह के बीच का अंतर होता है। नकद प्रवाह का अनुमान करते समय कंपनी को निम्नलिखित पर विचार करना होता हैः-

- संपत्तियों के अनुमानित जीवन में वित्तीय संपत्तियों की सभी संविदात्मक शर्तें (पूर्व-भुगतान और विस्तार सहित)।
- जमानत के रूप में धारित वस्तु की बिक्री अथवा संविदात्मक शर्तों के अभिन्न हिस्से के रूप में अन्य क्रेडिट संवर्धन से नकद प्रवाह।

व्यापार प्राप्तियाँ

कंपनी लागू वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुसार व्यापार प्राप्य पर हानि को स्वीकार करती है, जिसके तहत प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर भावी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को मान्यता दी जाती है।

कंपनी ने मूल्यांकन को सहयोग प्रदान करने के लिए एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया है। भारतीय बीमांकन मूल्यांकन बीमा संस्थान द्वारा जारी प्रासंगिक बीमांकन अभ्यास मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार बीमांकन किया जाता है, जहां तक प्रासंगिक लेखांकन मानकों के तहत लागू, वित्तीय संपत्तियों पर लागू हानि ढांचे के अनुसार या तो 12 महीने या भावी ईसीएल की मान्यता के लिए उचित रूप से वर्गीकृत किया गया हो। कंपनी की नीति के अनुसार, व्यापार प्राप्य, प्रतिधारण राशि और दस वर्ष से अधिक की प्रतिभूति जमा सहित दीर्घकालिक बकाया वित्तीय परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को एक सुसंगठित, जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके निर्धारित किया गया है जिसमें ऐतिहासिक डिफ़ॉल्ट पद्धति, उधारकर्ता-विशिष्ट वित्तीय आकलन, भविष्य की जानकारी और डिफ़ॉल्ट मापदंडों को देखते हुए डिफ़ॉल्ट और हानि की संभावना शामिल है। आवधिक अवधि विश्लेषण, संपार्श्विक आकलन, रिपोर्टिंग के बाद की वसूली की समीक्षा और क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की पहचान के माध्यम से वसूली का मूल्यांकन किया जाता है।

गैर-वित्तीय संपत्तियाँ:

(मूर्त और अमूर्त संपत्तियाँ)

एक संपत्ति को हानिप्रद समझा जाता है जब इसकी मूल कीमत इससे प्राप्त हो सकने वाली राशि (अर्थात उचित मूल्य में से बिक्री लागत और उपयोग में मूल्य को घटाने के बाद प्राप्त राशियों में से उच्च राशि) से अधिक हो जाती है। संपत्ति-हानि से होने वाले नुकसान को उस वर्ष लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष संपत्ति को हानिप्रद के रूप में चिहनित किया जाता है। पूर्ववर्ती लेखांकन अवधियों में चिन्हित संपत्ति-हानि को बदल दिया जाता है यदि इससे प्राप्त हो सकने वाली राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है और ऐसी हानि विद्यमान नहीं रहती है अथवा घट जाती है। संपत्ति-हानि को बदलने को पूर्व में मान्य अथवा संतुलित की गई संपत्ति-हानि की सीमा तक लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

बट्टे खाते में डालना

वित्तीय संपत्तियाँ

(उचित मूल्य पर संपत्तियों को छोड़ कर)

व्यापार प्राप्तियों, प्रतिधारण राशि और दस वर्ष से अधिक अवधि के लिए लंबित जमानत राशि सहित ऐसी संपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

गैर-वित्तीय संपत्तियाँ (मूर्त और अमूर्त संपत्तियाँ)

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, अमूर्त संपत्तियों, वस्तु सूची आदि सहित ऐसी संपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब प्रबंधन की राय में ऐसी संपत्तियाँ जीर्ण-शीर्ण, मरम्मत किए जाने की सीमा से परे क्षतिग्रस्त, चोरी और उपयोग हेतु अलाभकर हो गई हैं।

सम्पत्ति सूची की ऐसी मदों को जब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। तब प्रबंधन की राय में, ऐसी मदें बाधा, मरम्मत किए जाने की सीमा से परे, चोरी और उपयोग हेतु अलाभकर हो गई है।

1.8 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ

(i) प्रावधानों को तभी मान्यता दी जाती है जबः

क. कंपनी पर किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में कोई दायित्व (कानूनी अथवा निर्माण संबंधी) है

ख. इससे संभवतः भविष्य में संसाधनों का बहिर्वाह होगा और इससे होने वाले आर्थिक लाभों के दायित्व का निर्वहन करने में आवश्यकता होगी और

ग. दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

दायित्व का निर्वहन करने के लिए आवश्यक नकद प्रवाह का अनुमान लगा कर प्रावधान का निर्धारण किया जाता है और यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है तो प्रावधानों की मूल कीमत नकद बहिर्वाह का वर्तमान मूल्य होती है। एक प्रावधान के रूप में मान्य राशि दायित्व से संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग की तारीख को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक राशि का सर्वश्रेष्ठ अनुमान है।

(ii) आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती परंतु निम्नलिखित में से किसी मामले में इन्हें टिप्पणियों में प्रकट किया जाता हैः-

क. किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व, जब यह संभावना न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। अथवा

ख. वर्तमान दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता। अथवा

ग. संसाधनों के बहिर्वाह की संभाव्यता को छोड़ कर एक दायित्व की संभावना बहुत कम है।

आकस्मिक देयता निपटान के लिए संभावित बहिर्वाह को ध्यान में रखते हुए अनुमानित प्रावधानों का निवल है।

(iii) आकस्मिक संपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती परंतु इन्हें तब प्रकट किया जाता है जब किसी आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभाव्य होता है।

आकस्मिक संपत्तियों, आकस्मिक देयता और आकस्मिक देयताओं के लिए आवश्यक प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को समीक्षा की जाती है।

1.9 कर्मचारियों के लिए लाभ

1.9.1 परिभाषित अंशदान योजना

एक परिभाषित अंशदान योजना एक सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभ योजना होती है जिसके अंतर्गत एक इकाई विभिन्न कोषों में निर्धारित अंशदान जमा करती है और उस पर इसके अतिरिक्त किसी राशि का भुगतान करने का कोई कानूनी अथवा रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। कंपनी ऐसे कोषों/स्कीमों को भुगतान किए जाने वाले अंशदान को व्यय मानती है, जब कोई कर्मचारी संबंधित सेवाएँ दे देता है। यदि बैलेंस शीट तैयार किए जाने से पहले सेवाओं के लिए स्कीमों हेतु प्राप्त देय अंशदान पहले से ही भुगतान किए गए अंशदान से अधिक है तो इस स्कीम हेतु देय अंतर को भुगतान किए जा चुके अंशदान को घटाने के बाद एक दायित्व माना जाता है। यदि पहले से भुगतान किया जा चुका अंशदान तुलन पत्र तैयार किए जाने से पहले सेवाओं के लिए प्राप्त देय अंशदान से अधिक है तो इस अधिक राशि को उस सीमा तक संपत्ति माना जाता है कि इस पूर्व-भुगतान से, उदाहरण के लिए, भविष्य में भुगतान में कमी होगी अथवा नकद वापसी होगी।

परिभाषित लाभ योजनाओं में अंशदान के दायित्व को लाभ एवं हानि के विवरण में उस अवधि में कर्मचारी लाभ व्यय माना जाता है जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएँ दी गई हैं।

कंपनी की एक परिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम है जिसे एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। कंपनी का दायित्व इस ट्रस्ट में उस सीमा तक अंशदान करने का है जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% में से भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ स्कीम के लिए

नियोक्तफ़ा के अंशदान को घटाने के बाद प्राप्त राशि से अधिक न हो। इस कोष में किसी वर्ष के लिए अंशदान को व्यय माना जाता है और इसे लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि - "वाप्कोस कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट" में अंशदान करती है जो कि उस सीमा तक एक परिभाषित लाभ योजना है कि कंपनी पर ट्रस्ट के निवेशों से मिलने वाले प्रतिफल के अधिसूचित ब्याज दर से कम होने की स्थिति में कमी को पूरा करने का दायित्व है। इस संबंध में कंपनी का दायित्व एक बीमांकक द्वारा निर्धारित किया जाता है और यदि परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि ट्रस्ट सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दरों को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रतिफल सृजित करने में सक्षम नहीं होगा तो इसके लिए कदम उठाए जाते हैं। कोष में कंपनी के अंशदान को लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

1.9.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

1.9.2.1 ग्रेच्युटी

कंपनी पात्र नियमित और संविदा कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, एक परिभाषित लाभ योजना, उपलब्ध कराती है। ग्रेच्युटी योजना में निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अशक्तता, अथवा रोजगार की शर्तों को पूरा करने पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और सेवा की अवधि के आधार पर एक राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाता है।

ग्रेच्युटी योजना के संबंध में देयताएँ निम्नानुसार वर्ष के अंत में एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निष्पादित "अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति" का प्रयोग करके प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को बीमांकित मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती हैं:

(i) कंपनी ने एक ग्रेच्युटी ट्रस्ट निधि बनाई है जिसका प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जा रहा है जो अंशदान का निवेश भारत के कानून द्वारा अनुमत्य स्कीमों में करता है।

(ii) कंपनी एक परिभाषित लाभ योजना के निवल दायित्व को बैलेंस शीट में एक संपत्ति अथवा देयता के रूप में मान्यता देती है।

(iii) निवल परिभाषित देयता/(संपत्ति) के पुनः मापन के माध्यम से लाभ अथवा हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है।

(iv) परिभाषित लाभ दायित्व के मापन के लिए प्रयुक्त छूट दर को लागू करके परिकलित लब्धि से अधिक राशि के योजना संपत्तियों के पोर्टफोलियो के वास्तविक प्रतिफल को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है।

(v) सेवा लागत तथा निवल ब्याज लागत/ निवल परिभाषित लाभ देयता पर (आय)/ (संपत्ति) को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

किसी योजना संशोधनों के प्रभावों, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.9.2.2 प्रतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति

कंपनी प्रतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए परिभाषित लाभ योजना प्रचालित करती है। ऐसे परिभाषित लाभ प्रदान करने की लागत "अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति" का प्रयोग करके प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख को बीमांकित मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती है।

1.9.2.3 सेवानिवृत्ति-पश्चात् चिकित्सा लाभ स्कीम

सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभों के दायित्व का निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख को बीमांकित मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। बीमांकित लाभों/नुकसानों को अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.9.2.4 अन्य लघु-अवधि लाभों की गणना उस अवधि में की जाती है जिसके दौरान सेवाएं दी गई हैं और तदनुसार लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

1.10 लीज

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि आने वाले वर्ष या 01 अप्रैल 2019 के बाद से लीज के लिए विद्यमान भारतीय लेखांकन मानक 17 को भारतीय लेखांकन मानक 116 से प्रतिस्थापित किया जाता है।

कंपनी लीजदार के रूप में

मान्यता

लीज के आरम्भ के समय, उपयोग के अधिकार को किसी भी अप्रत्यक्ष लागत सहित परिसंपत्ति और विघटित लागत प्राप्त करने के लिए मान्यता दी जाएगी (यदि कोई हो), निम्नलिखित मामलों के अतिरिक्त भुगतान न किए गए लीज के वर्तमान मूल्य के समतुल्य देयता समरूपी लीज के साथ लीज प्रोत्साहन को कम करेंगी:

i) शॉर्ट लघु अवधी पट्टा या टर्म लीज

ii) लीज जिनके लिए कम मूल्य की संपत्ति अंतर्निहित है

लीज शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू होने के मामले में, उन पट्टों से जुड़े लीज पेमेंट को लीज टर्म या किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर स्ट्रेट-लाइन आधार पर व्यय के रूप में लिया जाएगा। लीजदार के रूप में कंपनी एक और व्यवस्थित आधार लागू करती है यदि वह आधार कंपनी के पैटर्न के अधिक प्रतिनिधि के रूप में लीजदार के लाभ के रूप में है।

लीज की अवधि में वित्त लागत में होने से लीज भुगतान के ब्याज तत्व को लाभ व हानि विवरण में चार्ज किया जाता है।

अनुवर्ती मापन (मूल्यह्रास)

अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी कार्यकाल या पट्टा अवधि की वैधता का उपयोग का अधिकार, जो भी कम है और हानि के अधीन है।

अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी कार्यकाल और उपयोग के अधिकार के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और उचित रूप से समायोजित की जाती है।

लीज की देयता का पुनः मापन

लीज देनदारी फिर से मापी जाती है (उपयोग परिसंपत्ति के अधिकार के अनुरूप समायोजन के साथ) जबः

1. लीज अवधि को संशोधित किया जाता है - लीजदार को यह आश्वस्त करना चाहिए कि क्या विस्तार विकल्प का प्रयोग करना उचित है, या एक महत्वपूर्ण विकल्प या परिस्थितियों में बदलाव होने पर समाप्ति के विकल्प का प्रयोग न करें:
   - लीजदार के नियंत्रण में है। तथा
   - प्रभाव क्या अनुपालन (या गैर-अनुपालन) यथोचित निश्चित है।
2. एक सूचकांक या दर के आधार पर लीज का भुगतान संशोधित किया जाता है।
3. लीज को संशोधित किया गया है
4. अवशिष्ट मूल्य की गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली राशियों में एक बदलाव है।

एक लीजदार संशोधित लीज के भुगतान को छूट देकर लीज देयता को अस्वीकार करेगा, यदि या तोः

(क) अवशिष्ट मूल्य की गारंटी के तहत देय राशि में बदलाव की उम्मीद है। अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय राशि में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए एक लीजदार संशोधित लीज भुगतान का निर्धारण करेगा।

(ख) भविष्य के लीज के भुगतान में बदलाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप एक सूचकांक या उन भुगतानों को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली दर शामिल है, उदाहरण के लिए बाजार किराए की समीक्षा के बाद बाजार किराये की दरों में बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए एक बदलाव। लीजदार उन देय लीज भुगतानों को प्रतिबिंबित करने के लिए पट्टा देयता को वापस करेगा, जब नकदी प्रवाह में परिवर्तन होता है (यानी जब लीज के भुगतान में समायोजन प्रभावी होता है)। एक लीजदार संशोधित संविदात्मक भुगतानों के आधार पर लीज की शेष अवधि के लिए संशोधित पट्टा भुगतानों का निर्धारण करेगा।

लीजदार अपरिवर्तित छूट दर का उपयोग करेगा, जब तक कि लीज के भुगतान में परिवर्तन से फ्रलोटिंग ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं होता है। उस मामले में, लीजदार एक संशोधित छूट दर का उपयोग करेगा जो ब्याज दर में परिवर्तन को दर्शाता है।

<u>लीज संशोधन</u>

लीजदार एक लीज के संशोधन के लिए एक अलग लीज के रूप में खाता होगा यदि दोनों:

(क) संशोधन एक या अधिक अंतर्निहित परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार जोड़कर लीज के दायरे को बढ़ाता है। तथा

(ख) लीज के लिए विचार राशि में वृद्धि की गुंजाइश के लिए स्टैंड-अलोन मूल्य के साथ कम हो जाता है और उस अनुबंध के लिए किसी भी उपयुक्त समायोजन के लिए किसी भी उपयुक्त समायोजन विशेष अनुबंध की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए।

लीज के संशोधन के लिए जिसका अलग लीज के रूप में हिसाब नहीं है, पट्टा संशोधन की प्रभावी तिथि पर लीजदार करेगा:

(क) संशोधित अनुबंध में विचार को आवंटित करें

(ख) संशोधित लीज की लीज अवधि निर्धारित करें

(ग) संशोधित छूट भुगतानों को संशोधित छूट दरों का उपयोग करके पट्टा देयता को पुनः प्राप्त करें। संशोधित छूट दर को लीज अवधि के शेष के लिए लीज में निहित ब्याज दर के रूप में निर्धारित किया जाता है, अगर उस दर को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है, या संशोधन की प्रभावी तिथि पर लीजदार की वृद्धिशील उधार दर, यदि ब्याज दर में निहित है। पट्टा आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

एक लीज संशोधन के लिए जिसका अलग लीज के रूप में हिसाब नहीं है, लीजदार लीज देनदारी की पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा:

(क) लीज के संशोधनों के लिए लीज के आंशिक या पूर्ण समाप्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए उपयोग की गई परिसंपत्ति की वहन राशि को कम करना, जो लीज के दायरे को कम करता है। लीजदार लाभ या नुकसान को पहचान सकता है या लीज की आंशिक या पूर्ण समाप्ति से संबंधित कोई लाभ या हानि।

(ख) अन्य सभी लीज संशोधनों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति के लिए एक संगत समायोजन करना

(ग) एक व्यावहारिक समीचीन के रूप में, एक लीजदार यह आकलन नहीं करने का चुनाव कर सकता है कि क्या पैरा 46बी में शर्तों को पूरा करने वाली किराया रियायत एक पट्टा रियायत है। एक लीजदार जो इस चुनाव को करता है, वह किराया रियायत के परिणामस्वरूप लीज के भुगतान में किसी भी बदलाव के लिए जिम्मेदार होगा, उसी तरह यह इस मानक को लागू करने वाले परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होगा यदि परिवर्तन एक पट्टा संशोधन नहीं था

(घ) कोविड 19 महामारी के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में होने वाली किराया रियायत और केवल तभी जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं: -

(i) लीज के भुगतान में परिवर्तन के परिणामस्वरूप लीज के लिए संशोधित प्रतिफल होता है जो काफी हद तक परिवर्तन से ठीक पहले लीज के प्रतिफल के समान या उससे कम होता है।

(ii) लीज के भुगतान में कोई भी कमी केवल 30 जून, 2021 को या उससे पहले मूल रूप से देय भुगतानों को प्रभावित करती है (एक रियायत इस शर्त को पूरा करेगी यदि इसके परिणामस्वरूप 30 जून 2021 को या उससे पहले लीज के भुगतान में कमी आती है, और लीज के भुगतान में वृद्धि होती है जो इससे आगे बढ़ती है 30 जून 2021)।

(iii) लीज के अन्य नियमों और शर्तों में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

वि-मान्यता

प्रारंभ में मान्यता प्राप्त उपयोग संपत्ति का अधिकार निपटान या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। उपयोग की संपत्ति के अधिकार की मान्यता को लेकर उत्पन्न कोई भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना) लाभ और हानि खातें के विवरण में शामिल है जब उपयोग संपत्ति का अधिकार है पहचाना हुआ।

एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्त पट्टा

कंपनी एक वित्तीय लीज के तहत धारित संपत्ति को लीज में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में पहचानती है। कंपनी लीज अवधि में वित्त आय को सीधे-सीधे आधार पर मान्यता देती है, जो लीज में शुद्ध निवेश पर रिटर्न की निरंतर आवधिक दर को दर्शाती है।

परिचालन पट्टा

जिन पट्टों में कंपनी किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत लीज पर दी गई संपत्ति को पूंजीकृत किया जाता है। किराये की आय को लीज की अवधि के दौरान सीधी-रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि किराए में अनुसूचित वृद्धि कंपनी को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत के साथ मुआवजा देती है।

1.11 विदेशी मुद्रा लेन-देन

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा है। एक कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा वह होती है जो प्रमुख आर्थिक वातावरण की मुद्रा होती है जिसमें कंपनी प्रचालन करती है।

विदेशी मुद्रा में लेन-देन प्रारंभ में कंपनी द्वारा उस तारीख की कार्यात्मक मुद्रा स्पॉट दरों पर रिकॉर्ड किए जाते हैं जब यह लेन-देन सर्वप्रथम मान्यता के लिए पात्र होता है। तथापि व्यावहारिक कारणों से कंपनी एक उपलब्ध औसत दर का प्रयोग करती है जब लेन-देन की तारीख को यह औसत वास्तविक दर के लगभग समान होता है।

विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक संपत्तियाँ और देयताएँ रिपोर्टिंग की तारीख को विनिमय की कार्यात्मक मुद्रा स्पॉट दरों पर बदली जाती हैं।

निपटान के समय विनिमय में होने वाले अंतर अथवा मौद्रिक वस्तुओं के परिवर्तन को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

गैर-मौद्रिक संपत्तियों तथा देयताओं, जिनका मापन विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के अनुसार किया जाता है, को पुनः बदला नहीं जाता।

1.12 आय कर

1.12.1 वर्तमान आय कर

वर्तमान आय कर संपत्तियों और देयताओं का मापन कराधान प्राधिकरणों से प्राप्त किए जाने वाली अथवा उन्हें भुगतान किए जाने वाली अपेक्षित राशि पर किया जाता है। राशि की गणना करने के लिए प्रयुक्त दरें और कर कानून वे होते हैं जो रिपोर्टिंग की तारीख को भारत में अधिनियमित किए गए हैं अथवा मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं।

प्रबंधन ऐसी स्थितियों, जिनमें लागू कर विनियम विवेचना के शर्ताधीन है, के संबंध में कर आकलनों में अपनाई गई स्थितियों का आवधिक रूप से मूल्यांकन करता है और जहाँ उचित हो वहाँ प्रावधान स्थापित करता है।

वर्तमान कर संपत्तियों द्वारा वर्तमान कर दायित्वों को संतुलित किया जाता है, यदि और केवल यदि मान्य राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए एक कानूनी रूप से लागू अधिकार विद्यमान है और निवल आधार पर निपटान करने अथवा संपत्ति को बेचने और साथ-साथ देयता का निपटान करने का इरादा हो।

अंतिम रूप से कर प्राधिकरणों/अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए/लागू किए गए अतिरिक्त करों, ब्याज और/अथवा जुर्मानों को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

लाभ एवं हानि के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित वर्तमान कर को लाभ एवं हानि के बाहर मान्यता दी जाती है (अन्य व्यापक आय में अथवा इक्विटी में)।

1.12.2 आस्थगित आय कर

रिपोर्टिंग की तारीख को वित्तीय रिपो²टग के उद्देश्यों से आस्थगित कर संपत्तियों तथा देयताओं के कर आधारों और उनकी मूल कीमतों के बीच अस्थायी अंतर पर प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर संपत्तियों को सभी छूट योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिट के आगे ले जाए गए भाग और किन्हीं अप्रयुक्त कर नुकसानों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभाव्य है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध छूट योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिट के आगे ले जाए गए भाग और अप्रयुत्तफ़ कर नुकसानों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर संपत्तियों की मूल कीमत की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर समीक्षा की जाती है और इसे उस सीमा तक घटाया जाता है कि यह संभाव्य न रहे कि आस्थगित कर संपत्ति का पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उपयोग करने की अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध हो सके। गैर-मान्यताप्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को पुनःआकलन किया जाता है और उस सीमा तक इन्हें मान्यता दी जाती है कि यह संभाव्य हो जाए कि भविष्य में कर योग्य लाभ से आस्थगित कर संपत्ति को वापस प्राप्त किया जा सकेगा।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं का मापन उन कर दरों (और कानूनों), जिन्हें रिपोर्टिंग तारीख को अधिनियमित किया गया है अथवा मूल रूप से अधिनियमित किया गया है, के आधार पर उन दरों पर किया जाता है जिनके उस वर्ष में लागू होने की संभावना हो जब संपत्ति को बेचा जाता है अथवा देयता का निपटान किया जाता है।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43बी (ए) के अनुसार कर, शुल्क, उपकर या शुल्क की प्रकृति में देय किसी भी राशि के संबंध में कर योग्य आय केसंबंधमेंआस्थगित कर परिसंपत्तियों की गणना की जाती है

लाभ एवं हानि के बाहर मान्यताप्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ एवं हानि के बाहर मान्यता दी जाती है (अन्य व्यापक आय में अथवा इक्विटी में)।

आस्थगित कर संपत्तियों और आस्थगित कर दायित्वों को संतुलित किया जाता है, यदि वर्तमान कर संपत्तियों से वर्तमान कर दायित्वों को पूरा करने के लिए एक कानूनी रूप से लागू अधिकार विद्यमान है और आस्थगित कर उसी कर योग्य इकाई और उसी कराधान प्राधिकरण से संबंधित है।

1.13 दरें और कर

भारत में अथवा विदेश में भुगतान किए गए/उपार्जित विदेशी कार्यों पर विदेशी कर, सेवा कर, जीएसटी, मूल्य वर्धित कर, समान कर, पेशेवर कर, संपत्ति कर, प्रवेश कर, श्रम उपकर, चुंगी आदि जिसके लिए कंपनी के पास क्रेडिट उपलब्ध नहीं हैं उन्हें लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

1.14 पूर्व-भुगतान व्यय और पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व-भुगतान व्यय

पूर्व-भुगतान व्यय आने वाले वर्ष में, कंपनी की वर्तमान / गैर - वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में व्यवहार किया जाता है, जैसा कि मामला हो सकता है और इसे संबंधित वित्तीय वर्ष के व्यय / आय के रूप में माना जाता है, जो इसके अंतर्गत आता है जिसके संबंधित वर्ष के लेखों के प्राकृतिक शीर्ष में डाला जाता है।

पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि समायोजन में प्रस्तुत की गई त्रुटियों के लिए तुलनात्मक मात्र को बहाल करके पूर्ववर्ती त्रुटियों को पूर्व अवधि रूप से ठीक किया जाता है। यदि प्रस्तुत की गई आरंभिक अवधि से पहले त्रुटि हुई है, प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्ति देयता और इक्विटी का प्रारंभिक संतुलन, तब तक बहाल किया जाता है जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, इस मामले में, तुलनात्मक जानकारी को नई लेखांकन नीति को जल्द से जल्द लागू करने के लिए समायोजित किया जाता है।

1.15 परिसमापन नुकसान/दावे

परिसमापन नुकसानों/दावों पर प्रवेश आधार पर विचार किया जाता है और इन्हें क्रिस्टलीकरण के संबंध में लाभ एवं हानि के विवरण में व्यय/आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.16 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी क्रियाकलापों के लिए संविधि के तहत लाभों के निर्धारित प्रतिशत में से शेष अव्ययित राशि, यदि कोई हो, को भविष्य में उपयोग के लिए सीएसआर निधि खाते में समायोजित किया जाता है।

1.17 लाभांश:

शेयरों पर अंतिम लाभांश को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तारीख को देयता के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है और अंतरिम लाभांश को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा घोषित किए जाने की तारीख को देयता के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

1.18 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर आधारभूत आय का निर्धारण करने में इक्विटी शेयरधारकों के कारण निवल लाभ को अवधि के दौरान लंबित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित किया जाता है।

प्रति शेयर कम की गई आमदनी का निर्धारण करने में इक्विटी शेयरधारकों के कारण निवल लाभ को प्रति शेयर आधारभूत आय के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और सभी आमदनी कम करने की संभावना वाले इक्विटी शेयरों को बदलने पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भी विभाजित किया जाता है। आमदनी कम करने की संभावना वाले इक्विटी शेयरों को अवधि के प्रारंभ में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में माना जाता है, यदि इन्हें बाद की तारीख में जारी न किया जाए। आमदनी कम करने की संभावना वाले इक्विटी शेयरों का निर्धारण प्रस्तुत की गई प्रत्येक अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से किया जाएगा।

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पहले किए गए परिवर्तनों सहित जारी किए जाने वाले बोनस शेयरों हेतु प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए इक्विटी शेयरों और आमदनी कम करने की संभावना वाले इक्विटी शेयरों की संख्या को पूर्वव्यापी प्रभाव से समायोजित किया जाता है।

1.19 नकद प्रवाह का विवरण

नकद प्रवाह के विवरण के प्रस्तुतीकरण के उद्देश्य से नकद और नकद समकक्ष में उपलब्ध नकद, माँग जमा सहित बैंकों के पास शेष राशि, अन्य लघु अवधि अत्यधिक तरल निवेश जो मूल्य में परिवर्तन के गैर-महत्वपूर्ण जोखिम के शर्ताधीन हों, जिन्हें आसानी से नकद की ज्ञात मात्रा में बदला जा सके और जिनकी परिपक्वता अवधि अधिग्रहण अथवा निवेश की तारीख से तीन माह अथवा इससे कम हो। प्रचालन, वित्तपोषण और निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह को अलग-अलग किया जाता है।

1.20 अवकाश यात्रा रियायत का लाभ वास्तविक आधार के अनुसार किया जाता है।

1.21 लागू किए गए किन्तु प्रभावी नहीं मानदंड

हाल ही में की गई लेखांकन संबंधी घोषणाएं

प्रमुख लेखांकन नीति संबंधी जानकारी

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए"), कीदिनांक07 मई, 2025 कीअधिसूचना केअनुसार, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

भालेमा 21 - विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव: इस संशोधन केअंतर्गत संस्थाओं को यह आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या एक मुद्रा मापन तिथि पर और विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु अन्य मुद्रा में विनिमय योग्य है। यदि कोई इकाई विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु मापन तिथि पर अन्य मुद्रा की नगण्य राशि से अधिक प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो मुद्रा अन्य मुद्रा में विनिमय योग्य नहीं है। ऐसे मामले में संस्था को निम्नकाउपयोग करकेपैराग्राफ 19 ककेउद्देश्य पूर्तिकरने वाली तत्कालविनिमय दर का अनुमान लगाने की आवश्यकता है:

(क) समायोजन के बिना एक पर्यवेक्षणीय विनिमय दर; या

(ख) अन्य अनुमान तकनीक

इस मानक संशोधन की प्रभावी तिथि 7 मई 2025 है, अर्थात इसकेप्रकाशन की तिथि और यहसे लागू होगी।

1.21.1 लेखांकन नीतियों और अनुमान अनिश्चितता को लागू करने संबंधी महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय

भारत में वित्तीय विवरणों को आईएनडीएएस के अनुसार तैयार जाता है जिसके अंतर्गत प्रबंधन को अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तारीख में संपत्तियों, देनदारियों के शेष और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण और अवधि के दौरान दिये गए आय और व्यय की मात्रा को प्रभावित करते हैं।

यद्यपि वित्तीय विवरणों के साथ उपयोग किए जाने वाले ये अनुमान और धारणाएं वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों, जोकि प्रबंधन की राय में विवेकपूर्ण और उचित होते हैं, के मूल्यांकन पर आधारित होते हैं, वास्तविक परिणाम वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले अनुमानों और धारणाओं से भिन्न हो सकते हैं।

लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को संभावित रूप से उस अवधि के लिए अभिज्ञात किया जाता है जिस अवधि में लागू भारतीय लेखा मानकों के

अनुसार ज्ञात/वास्तविक परिणाम होते हैं। परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय को अभिज्ञात करने और उसके मापन पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अनुमानों और धारणाओं से संबधित जानकारी को नीचे दिया गया है:

मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक विवरणों का सारांश

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्धारण

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने में वित्तीय विवरणों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्धारक निम्नलिखित हैं :

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता

जिस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अभिज्ञात किया जाता है वह कंपनी की भविष्य की कर संभावित आय के आकलन पर आधारित होती है, जिसके संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

परिसंपत्तियों की हानि हेतु संकेतकों का मूल्यांकन

परिसंपत्तियों की हानि के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण निर्धारक शामिल होते हैं जिसके लिए विभिन्न बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करना अपेक्षित होता है जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट आ सकती है। इन संकेतकों में जारीकर्ता या देनदार की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाइयां, भुगतान में डिफ़ॉल्ट या दोष, तकनीकी, बाजार, आर्थिक या कानूनी वातावरण, अन्य में महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन शामिल हो सकते हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

प्रबंधन शेष उपयोगी वस्तुओं और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्य का आकलन करता है और उसका मानना है कि निर्दिष्ट उपयोगी वस्तु और अवशिष्ट मूल्य यथोचित हैं।

अनुमान अनिश्चितता

परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय को अभिज्ञात करने और उनके मापन पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अनुमानों और मान्यताओं से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

अग्रिम/प्राप्य राशियों की वसूली

परियोजना/तकनीकी प्रमुख और क्षेत्रीय प्रमुख समय-समय पर अग्रिम और प्राप्य राशियों की वसूली की समीक्षा करते हैं। वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जाती है और ऐसे मूल्यांकन के लिए परस्पर प्रतिपक्षों की वित्तीय स्थिति, बाजार जानकारी और अन्य संगत कारकों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्धारण की आवश्यकता होती है।

परिभाषित लाभ दायित्व (डीओबी)

डीबीओ से संबंधित प्रबंधन अनुमान कई महत्वपूर्ण अंतर्निहित धारणाओं जैसे मुद्रास्फीति की मानक दर, चिकित्सा लागत प्रचलन , मृत्यु दर, छूट दर और भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान पर आधारित है। इन अवधारणाओं में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय को प्रभावित कर सकती है।

आकस्मिकताएं

चूंकि लंबित मामलों के परिणाम का सटीकता के साथ पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है, कंपनी के विरुद्ध आकस्मिकताओं/दावे/मुकदमों के संबंध में संसाधनों के संभावित बहिर्वाह, यदि कोई हो, का अनुमान लगाने हेतु प्रबंधन निर्धारण की आवश्यकता होती है

परिसमापित हानि

परिसमापित क्षति प्राप्त योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और संविदात्मक शर्तों के अनुसार दर्ज किया जाता है; ठेकेदार/विक्रेता पर लगाए गए अनुमान वास्तविक अनुमान से भिन्न हो सकते हैं।

राजस्व

प्रदर्शन दायित्व के समाधान हेतु प्रतिशत पूर्णता विधि के उपयोग के लिए कंपनी को कुल अपेक्षित लागत के सापेक्ष लागत का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए दीर्घकालिक निर्माण और सेवा अनुबंधों के परिणामों का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, संतुलित प्रयासों, अनुबंध को पूरा करने संबंधी लागत और समय पर आकलन और निर्णय लेने, जिसमें परिनिर्धारित क्षति हेतु भारित संभावना और संभावित सीमा तक विलम्ब हेतु मूल्य में गिरावट और विश्वसनीय रूप से मापन में सक्षम हों, की आवश्यकता होती है। चूंकि इनपुट और कार्य निष्पादन के समाधान के मध्य सीधा संबंध है, कार्य पूरा होने की दिशा में प्रगति के मापन हेतु लागत और समय लगा है।

पट्टेदार के रूप में संपत्ति पट्टा वर्गीकरण

कंपनी ने कार्यालय/आवासीय परिसरों हेतु पट्टे पर हस्ताक्षर किए हैं।

जैसा कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक परिपेक्ष्य का एक बड़ा भाग नहीं है और न्यूनतम पट्टे के भुगतान का वर्तमान मूल्य वाणिज्यिक संपत्ति के उचित मूल्य की समग्र राशि नहीं है, यह कि इन संपत्तियों के स्वामित्व हेतु और पट्टों के परिचालन के अनुबंधों के उत्तरदायी है, कंपनी ने अनुबंधों के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारण किया है।

अनुमान अनिश्चितता

परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय के निर्धारण और मापन पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अनुमानों और अवधारणाओं से संबंधी जानकारी नीचे दी गई है। वास्तविक परिणाम काफी भिन्न हो सकते हैं।

प्रावधान

प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर, कंपनी प्रबंधन के निर्णय, तथ्यों में परिवर्तन और विधिक पहलुओं के आधार पर, कंपनी की बकाया राशि से संबंधित प्रावधानों की आवश्यकता का आकलन करती है। हालांकि, भविष्य के वास्तविक परिणाम इस निर्धारण से भिन्न हो सकते हैं।

भौतिकता का निर्धारण

भारतीय लेखा मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों में विभिन्न लेन-देन के प्रकटीकरण और लेखाकंकन हेतु कंपनी द्वारा भौतिकता का मूल्यांकन अपेक्षित है। तदनुसार, कंपनी लेखांकन और प्रकटीकरण के लिए विभिन्न मदों के लिए भौतिकता सीमा का आकलन करती है और निरंतर आधार पर अनुसरण करती है।

वाप्कोस लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2024-25

टिप्पणी - 2

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(रु. लाख में)

सकल मूल राशि	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भवन	फर्नीचर और फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	विद्युत कार्य	कंप्यूटर	नेटवर्किंग सेवाएँ	अस्थायी लकड़ी की अवसंरचना	पुस्तकें	कुल
सकल ब्लाक-परिसंपत्तियां											
31-03-2022 को प्रारंभिक शेष	**17.28**	**817.17**	**734.37**	**119.78**	**1,010.12**	**74.10**	**1,081.41**	**188.93**	**-**	**14.70**	**4,057.86**
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वृद्धि	-	-	15.50	40.68	90.60	-	54.35	552.14	-	0.04	753.31
निपटान/ बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां:	-	-	(11.21)	-	(20.12)	-	(29.64)	-	-	-	(60.97)
31-03-2023 को शेष	**17.28**	**817.17**	**738.66**	**160.46**	**1,080.60**	**74.10**	**1,106.12**	**741.07**	**-**	**14.74**	**4,750.20**
वर्ष 2023-24 के दौरान वृद्धि	-	-	16.27	-	34.11	-	47.98	-	-	-	98.36
निपटान/ बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां:	-	-	(0.48)	-	(0.43)	-	(0.19)	-	-	-	(1.10)
ईआरपी प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2024 को शेष	**17.28**	**817.17**	**754.45**	**160.46**	**1,114.28**	**74.10**	**1,153.91**	**741.07**	**-**	**14.74**	**4,847.46**
वर्ष 2024-25 के दौरान वृद्धि	-	-	19.27	-	23.03	-	133.10	-	-	-	175.40
निपटान/ बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां:	-	-	(6.23)	-	(15.22)	-	(12.61)	-	-	-	(34.06)
ईआरपी प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2025 को शेष	**17.28**	**817.17**	**767.49**	**160.46**	**1,122.09**	**74.10**	**1,274.40**	**741.07**	**-**	**14.74**	**4,988.80**
संचित मूल्यह्रास											
31-03-2022 को शेष	**-**	**66.64**	**332.84**	**17.38**	**688.46**	**43.49**	**785.52**	**156.86**	**-**	**12.07**	**2,103.26**
वर्ष के लिए प्रभार	-	14.71	75.07	17.35	102.44	6.98	109.36	70.84	-	2.00	398.75
निपटान के लिए समायोजन	-	-	(9.75)	-	(19.07)	-	(27.88)	-	-	-	(56.70)
31-03-2023 को शेष	**-**	**81.35**	**398.16**	**34.73**	**771.83**	**50.47**	**867.00**	**227.70**	**-**	**14.07**	**2,445.31**
वर्ष के लिए प्रभार	-	14.71	72.22	18.94	82.66	6.14	98.70	91.15	-	0.01	384.53
निपटान के लिए समायोजन	-	-	(0.19)	-	(0.35)	-	(0.18)	-	-	-	(0.72)
पूर्व अवधि मूल्यह्रास	-	-	-	-	-	-	0.26	-	-	-	0.26
31-03-2024 को शेष	**-**	**96.06**	**470.19**	**53.67**	**854.14**	**56.61**	**965.78**	**318.85**	**-**	**14.08**	**2,829.38**
वर्ष के लिए प्रभार	-	14.71	67.60	16.91	68.65	4.21	100.79	89.25	-	0.01	362.13
निपटान के लिए समायोजन	-	-	(5.86)	-	(14.51)	-	(12.04)	-	-	-	(32.41)
पूर्व अवधि मूल्यह्रास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2025 को शेष	**-**	**110.77**	**531.93**	**70.58**	**908.28**	**60.82**	**1,054.53**	**408.10**	**-**	**14.09**	**3,159.10**
को नेट बुक वैल्यू 31-03-2023	**17.28**	**735.82**	**340.50**	**125.73**	**308.77**	**23.63**	**239.12**	**513.37**	**-**	**0.67**	**2,304.89**
को नेट बुक वैल्यू 31-03-2024	**17.28**	**721.11**	**284.26**	**106.79**	**260.14**	**17.49**	**188.13**	**422.22**	**-**	**0.66**	**2,018.08**
को नेट बुक वैल्यू 31-03-2025	**17.28**	**706.40**	**235.56**	**89.88**	**213.81**	**13.28**	**219.87**	**332.97**	**-**	**0.65**	**1,829.70**

टिप्पणी - 2क
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

(रु. लाख में)

	आरओयू भवन	आरओयू वाहन	कुल
सकल ब्लाक			
01-04-2022 को आरंभिक शेष	**3,328.32**	**134.98**	**3,463.30**
जोड़	27.28	34.65	61.93
निपटान/बट्टे खाते में डालना	(139.99)	(2.45)	(142.44)
31-03-2023 को शेष	**3,215.61**	**167.18**	**3,382.79**
मूल्यह्रास			
01-04-2022 को प्रारंभिक शेष	**2,136.44**	**109.25**	**2,245.68**
वर्ष के लिए परिशोधन	428.48	22.40	450.88
निपटान के लिए समायोजन			-
31-03-2023 को शेष	**2,564.92**	**131.65**	**2,696.56**
31-03-2023 को नेट बुक वैल्यू	**650.69**	**35.53**	**686.22**
सकल ब्लाक			
01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	**3,215.61**	**167.18**	**3,382.79**
जोड़	329.02	19.47	348.49
निपटान/बट्टे खाते में डालना	(64.45)	-	(64.45)
31-03-2024 को शेष	**3,480.18**	**186.65**	**3,666.83**
मूल्यह्रास			
01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	**2,564.92**	**131.65**	**2,696.56**
वर्ष के लिए परिशोधन	331.55	18.84	350.40
निपटान के लिए समायोजन			-
31-03-2024 को शेष	**2,896.47**	**150.49**	**3,046.96**
31-03-2024 को नेट बुक वैल्यू	**583.71**	**36.16**	**619.87**
सकल ब्लाक			
01-04-2024 को आरंभिक शेष	**3,480.18**	**186.65**	**3,666.83**
जोड़	173.76	-	173.76
निपटान/बट्टे खाते में डालना	(18.53)	-	(18.53)
31-03-2025 को शेष	**3,635.41**	**186.65**	**3,822.06**
मूल्यह्रास			
01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	**2,896.48**	**150.49**	**3,046.96**
वर्ष के लिए परिशोधन	258.42	13.53	271.95
निपटान के लिए समायोजन	(13.70)	-	(13.70)
31-03-2025 को शेष	**3,141.19**	**164.02**	**3,305.21**
31-03-2025 को नेट बुक वेल्यू	**494.21**	**22.63**	**516.85**

टिप्पणी - 2ख
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
स्कल ब्लाक	
31-03-2023 को शेष राशि	**718.97**
प्रारंभिक वर्षों का समायोजन	0.01
जोड़	225.02
31-03-2024 को शेष राशि	**944.00**
प्रारंभिक वर्षों का समायोजन	-
जोड़	218.58
31-03-2025 को शेष राशि	**1,162.58**
संचित मूल्यह्रास	
31-03-2023 को शेष राशि	**524.16**
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	173.41
31-03-2024 को शेष राशि	**697.57**
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	242.18
31-03-2025 को शेष राशि	**939.75**
31-03-2023 को नेट बुक वैल्यू	**194.81**
31-03-2024 को नेट बुक वैल्यू	**246.43**
31-03-2025 को नेट बुक वैल्यू	**222.83**

टिप्पणी - 3
गैर-वर्तमान निवेश

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक		1 अप्रैल, 2023 तक	
	यूनिटों की संख्या	राशि	यूनिटों की संख्या	राशि	यूनिटों की संख्या	राशि
इक्विटी निवेश **अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर कंपनी (अनकोटेड) इक्विटी शेयरों में निवेश** **अन्य व्यापक आय (ओसीआई)** जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड 10/- रू प्रत्येक शेयर की दर से 30,000 इक्विटी शेयर का पूर्णतयः भुगतान 3,00,000/- रू 10 रुपये प्रत्येक के 2279 इक्विटी शेयर की खरीद 20/- रुपये प्रति शेयर का पूर्णतयः भुगतान 45,580/- रुपये* **सहायक कंपनी में निवेश (अनकोटिड) इक्विटी शेयर लागत पर निवेश** एनपीसीसी लिमिटेड** 1000/- रू के प्रत्येक 9,34,821 इक्विटी शेयरों का 853.64 रू प्रति शेयर की दर से पूर्णतयः भुगतान कर अधिग्रहण किया कुल 79.80 करोड़ रु						
कुल						

** कंपनी ने एनपीसीसी लिमिटेड के 98.89% इक्विटी शेयर होल्डिंग का अधिग्रहण किया है, जिसके भारत में व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र दिनांक 26-04-2019 से प्रभावी है

टिप्पणी - 4
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ
क- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ - गैर-वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
प्रतिभूति जमा / ईएमडी			
सुरक्षित, उचित समझे	192.24	193.56	179.98
प्रतिधारण राशि			
असुरक्षित, उचित समझे	1,904.56	1,867.99	160.86
क्रेडिट हानि	887.05	863.69	11.00
12 महीने से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा (क), (ख) (उपार्जित ब्याज सहित)	1,942.70	1,269.84	1,129.48
आपूर्तिकताओं और उप ठेकेदारों को अग्रिम			
असुरक्षित, उचित समझे	845.84	845.68	845.68
	5,772.39	**5,040.76**	**2,327.00**
कमी : अपेक्षित क्रेडिट हानि की अनुमति (ग)	(887.05)	(863.69)	(11.00)
कुल	**4,885.34**	**4,177.07**	**2,316.00**

(क) उपरोक्त में 312.05 लाख रू. (गत वर्ष 242.87 लाख रू.) की राशि के 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक एफडीआर के रूप में ईएमडी शामिल है और ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं 111.4 लाख रूपये (गत वर्ष 83.84 लाख रूपये)

(ख) उपर्युक्त में बैंक गारंटियों के संबंध में मार्जिन राशि/प्रतिभूति के रूप में धारित 1437.64 लाख रूपये की बैंक जमा और 67.88 लाख रूपये का अर्जित ब्याज शामिल है (गत वर्ष 861.28 लाख रूपये और 18.01 लाख रूपये का अर्जित ब्याज)

(ग) प्रबंधन की राय में, संदिग्ध प्रतिधारण राशि के संबंध में धारित भत्ता प्रतिधारण की वसूली के कारण किसी भी नुकसान को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

ख. अन्य वित्तीय संपत्तियाँ - वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
असुरक्षित, उचित समझी जाती हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो			
प्रतिभूति जमाएँ/ ईएमडी	1,404.18	998.74	1,200.81
क्रेडिट हानि	1,685.44	1,996.44	1,813.00
अन्य वसूली योग्य (ख)	1,624.78	1,585.59	1,192.11
स्टाफ को अग्रिम (क)	301.76	222.76	205.51
	5,016.16	**4,803.53**	**4,411.43**
कमः अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	(1,685.44)	(1,996.44)	(1,813.00)
कुल	**3,330.72**	**2,807.09**	**2,598.43**

(क) टिप्पणी संख्या - 59 देखें

(ख) इसमे ठेकेदार द्वारा परियोजना में विलम्ब के कारण मैसर्स बीपीआरडी द्वारा प्रतिसंहरण की गई वाप्कोस की बैंक गारंटी से संबंधित 710.81 लाख की राशि शामिल है। परिणामस्वरूप, वाप्कोस लिमिटेड में मैसर्स स्वर्णिम की 304.40 लाख की बैंक गारंटी का प्रतिसंहारण किया और शेष राशि को बिलों के माध्यम से समायोजित किया।

टिप्पणी - 5
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	-	-	-
कर्मचारी लाभ	**3,715.95**	**3,389.55**	**3,061.84**
ईएमडी का प्रावधान	424.19	499.90	-
एमएसएमई आपूर्तिकर्ता का प्रावधान	701.77	567.98	-
आपूर्तिकर्ता अग्रिम का प्रावधान	81.08	81.08	30.95
किराया अग्रिम का प्रावधान	5.54	5.54	6.29
यात्र भत्ता व्यय/विविध व्यय हेतु प्रावधान	7.00	7.00	1.02
विदेशी अग्रदाय हेतु प्रावधान	2.56	2.56	2.56
लीज देनदारियां (आरओयू का निवल)	26.51	28.46	43.46
अदत्त सांविधिक देय	210.74	-	-
अवैतनिक वैधानिक बकाया	11,153.26	9,784.20	8,862.32
अपेक्षित क्रेडिट नुकसान हेतु प्रावधान	**16,328.60**	**14,366.27**	**12,008.44**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)			
उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर देयताएं			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों तथा अमूर्त संपत्तियों का मूल्यह्रास और परिशोधन	(8.62)	(26.89)	(27.71)
निवेश पर मूल्यांकन लाभ के लिए प्रावधान	(13.56)	(12.35)	(11.08)
आस्थगित कर संपत्ति (ओसीआई)	-	-	-
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	**(22.18)**	**(39.24)**	**(38.79)**
आस्थगित कर देनदारियां (ख)	**16,306.42**	**14,327.03**	**11,969.65**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां			

आस्थगित कर परिसंपत्ति में संचलन / (देनदारी)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात	हानि के विवरण में अभिज्ञात	31 मार्च, 2024 को	अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात	हानि के विवरण में अभिज्ञात	31 मार्च, 2023 को की स्थिति के अनुसार	अन्य महत्वपूर्ण आय में मान्यता
उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:								
कर्मचारी लाभ	3,715.95	(48.21)	374.61	3,389.55	(7.67)	335.38	3,061.84	(8.79)
लीज देनदारियां	26.51	-	(1.95)	28.46	-	(14.99)	43.45	-
अनुमानित हानियों के लिए प्रावधान	11,153.26	-	1,369.06	9,784.20	-	921.88	8,862.32	-
अन्य	1,432.88	-	268.81	1,164.07	-	1,123.25	40.82	-
उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर देनदारियां:	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास	(8.62)	-	18.28	(26.90)	-	0.81	(27.71)	-
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (ओसीआई)	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	(13.56)	(1.24)	0.03	(12.35)	(1.27)	-	(11.08)	(1.13)
कुल	**16,306.42**	**(49.45)**	**2,028.84**	**14,327.03**	**(8.94)**	**2,366.33**	**11,969.65**	**(9.92)**

टिप्पणी - 6
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	1 अप्रैल, 2023 तक
पूर्व-भुगतान व्यय	70.10	156.30	117.70
प्रतिभूति जमा पर उचित मूल्य आरक्षित	5.21	5.81	3.71
आपूर्तिकर्ताओं और उप-संविदाकारों को अग्रिमः			
सुरक्षित, उचित समझे	60.60	-	-
कुल	**135.91**	**162.11**	**121.41**

टिप्पणी - 7
व्यापार प्राप्तियां *- चालू

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	1 अप्रैल, 2023 तक
व्यापार प्राप्तियाँ			
असुरक्षित, उचित समझी जाती है**	166,968.04	150,968.49	145,674.22
क्रेडिट हानि	54,668.49	49,252.15	42,767.12
	221,636.53	200,220.64	188,441.34
घटाएं: अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते*#	(54,668.49)	(49,252.15)	(42,767.12)
कुल	**166,968.04**	**150,968.49**	**145,674.22**

* प्रबंधन की राय में, संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों की एवज में धारित भत्ते व्यापार प्राप्तियों के वापस प्राप्त न होने की स्थिति में किसी हानि को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। संदर्भ टिप्पणी-49

व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल

(रु. लाख में)

विवरण	अनबिल	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ – उचित समझे	700.53	27,108.79	4,977.67	36,781.62	30,936.87	15,566.50	50,896.06	166,968.04
अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ – क्रेडिट हानि	-	-	1,186.59	974.34	2,753.89	3,532.11	46,221.56	54,668.49
विवादित व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित समझे	-	-	-	-	-	-	-	-
जिनमें ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-
क्रेडिट हानि	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2025 को	**700.53**	**27,108.79**	**6,164.26**	**37,755.96**	**33,690.76**	**19,098.61**	**97,117.62**	**221,636.53**
अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ – उचित समझे	1,256.55	12,527.56	49,857.58	3,721.75	22,597.87	13,109.40	47,897.78	150,968.49
अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ – क्रेडिट हानि	-	-	825.42	63.52	2,095.21	3,334.21	42,933.79	49,252.15
विवादित व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित समझे	-	-	-	-	-	-	-	-
जिनमें ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	
क्रेडिट हानि	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को	**1,256.55**	**12,527.56**	**50,683.00**	**3,785.27**	**24,693.08**	**16,443.61**	**90,831.57**	**200,220.64**
अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ – उचित समझे	1,259.06	16,256.75	39,812.20	6,777.68	20,979.52	18,915.52	41,673.49	145,674.22
अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ – क्रेडिट हानि	-	-	1,224.79	118.79	2,216.00	5,324.81	33,882.72	42,767.12
विवादित व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित समझे	-	-	-	-	-	-	-	-
जिनमें ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	
क्रेडिट हानि	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को	**1,259.06**	**16,256.75**	**41,036.99**	**6,896.47**	**23,195.52**	**24,240.33**	**75,556.21**	**188,441.34**

टिप्पणी - 8
नकद एवं नकद समकक्ष

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	1 अप्रैल, 2023 तक
बैंकों में चालू खातों में जमा राशि (क), (ख), (ग) एवं (घ)	40,179.10	25,432.10	16,795.47
3 माह से कम की मूल परिपक्वता वाली बैंक जमाएँ (ङ), (च) (प्राप्त ब्याज सहित)	508.11	1,350.99	0.06
उपलब्ध नकद	8.92	8.92	10.00
कुल	**40,696.13**	**26,792.01**	**16,805.53**

क) टिप्पणी 8 में से निम्नलिखित बैंक शेष ग्राहकों/मंत्रलयों की ओर से बनाए गए अलग-अलग बैंक खातों में रखे गए हैं:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	1 अप्रैल, 2023 तक
बैंकों के चालू खातों में शेष राशि	**31,739.59**	**17,729.56**	**4,786.46**
कुल	**31,739.59**	**17,729.56**	**4,786.46**

(ख) इसमें विदेशी मुद्रा बैंक खातों और विदेशी बैंकों में बैंक खातों में शेष राशि शामिल है। इसके अलावा, 50.39 लाख रुपये (पिछले वर्ष 135.58 लाख रुपये) की राशि विदेशी देशों में है, जिन पर प्रत्यावर्तन प्रतिबंध हैं।

(ग) इसमें बैंक गारंटी के एवज में बैंक के साथ ग्रहणाधिकार के तहत शून्य रुपये (पिछले वर्ष 3.62 लाख रुपये) की राशि शामिल है।

(घ) 28.04.2025 को 59.05 लाख रुपये की धनराशि समर्पित खाते में स्थानांतरित की गई।

(ड.) उपरोक्त में बैंक रु. शून्य लाख की जमा राशि और रु. शून्य लाख का अर्जित ब्याज शामिल है जो बैंक गारंटी एवज मार्जिन मनी/प्रतिभूति के रूप में धारित है जिसकी परिपक्वता तिथि से 3 महीने से कम है। (पिछला वर्ष रु. शून्य और रु. शून्य का अर्जित ब्याज)

(च) उपरोक्त में शून्य लाख रूपये (विगत वर्ष शून्य) 3 महीने से कम की परिपक्वता के साथ बैंक एफडीआर के रूप में ईएमडी शामिल है, और उस पर शून्य लाख रूपये (विगत वर्ष शून्य) का प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं शामिल है।

टिप्पणी - 9
अन्य बैंक शेष

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	1 अप्रैल, 2023 तक
बैंक में जमा खाते में तीन माह से अधिक परिपक्वता अवधि वाली शेष राशि परंतु जो बैलेंस शीट डाटा (क) (ख), (ग) और (घ) की तारीख से बारह माह की अवधि के अंदर परिपक्व होने वाली हो (अर्जित ब्याज सहित)	34,094.59	32,819.95	33,005.04
कुल	**34,094.59**	**32,819.95**	**33,005.04**

(क) उपरोक्त में रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने से कम की परिपक्वता वाली बैंक गारंटी के संबंध में मार्जिन मनी/प्रतिभूति के रूप में धारित रु. 9326.39 लाख की बैंक जमा राशि और रु. 209.68 लाख का अर्जित ब्याज शामिल है। (पिछले वर्ष 8200.32 लाख की राशि और रु. 105.42 लाख का अर्जित ब्याज)

(ख) इसमें कर्मचारी सावधि जमा राशि शामिल है, संदर्भ सं. - 61

(ग) इसमें मैसर्स भारत अफगान मैत्री बांध परियोजना की आय से अर्जित दिनांक 31 मार्च, 2025 को देय 20433.92 लाख रुपये (और 813.90 लाख रुपये की अर्जित ब्याज राशि) की पीएनबी लंदन के पास सावधि जमा राशि शामिल है, जिसका उपयोग उक्त परियोजना से संबंधित वेंडर को देय राशि (यूएसडी और आईएनआर में देय मूल ओ/एस देय राशि 17059.41 लाख रुपये है) के निर्वहन के लिए किया जाएगा। कंपनी की दृष्टि में ऐसे बकाया मूल पर कोई ब्याज देयता नहीं है।

(घ) उपरोक्त में 1222.19 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1189.13 लाख रुपये) की 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि के साथ बैंक एफडीआर के रूप में ईएमडी उस पर अर्जित ब्याज 365.59 लाख रुपये (पिछले वर्ष 258.82 लाख रुपये) लेकिन देय नहीं शामिल है।

टिप्पणी- 10
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	1 अप्रैल, 2023 तक
अग्रिम आय कर और टीडीएस (1934.52 लाख रू की राशि के कराधान के प्रावधान का निवल (गत वर्ष 2,295.30 लाख रू)) (क)	7,263.24	10,166.31	8,769.04
कुल	**7,263.24**	**10,166.31**	**8,769.04**

टिप्पणी - 11
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	1 अप्रैल, 2023 तक
आपूर्तिकर्ताओं और उप-संविदाकारों को अग्रिम			
सुरक्षित, उचित समझे (क)	1,714.66	2,252.38	1,919.01
असुरक्षित, उचित समझे	1,941.36	601.80	1,079.17
क्रेडिट अवर्जित	322.17	322.17	122.99
अग्रिम किराया	-	-	-
असुरक्षित उचित समझें	3.81	0.44	21.14
क्रेडिट अवर्जित	22.01	22.01	25.00
पूर्व-भुगतान व्यय	204.53	237.03	340.13
सुरक्षा जमा पर उचित मूल्य आरक्षित	3.89	3.62	8.15
सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष राशि	30,004.10	26,187.29	22,245.56
	34,216.53	**29,626.74**	**25,761.15**
कम: आपूर्तिकर्ता को अग्रिम के लिए संदिग्ध प्रावधान	(322.17)	(322.17)	(122.99)
कम: अग्रिम किराए के लिए प्रावधान	(22.01)	(22.01)	(25.00)
कुल	**33,872.35**	**29,282.56**	**25,613.16**

(क) बैंक गारंटी के संबंध में सुरक्षित 1058.79 लाख रू (गत वर्ष 1951.04 लाख रू)

(ख) ठेकेदार द्वारा स्थल पर सामग्री खरीद के संबंध में 655.87 लाख रू (गत वर्ष 301.35 लाख रू)

टिप्पणी-12
शेयर पूंजी
इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को		01 अप्रैल, 2023 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
प्राधिकृत सम मूल्य पर 10/-रू प्रत्येक के इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 31, मार्च 2022 10/-रू प्रत्येक और 1 अप्रैल, 2021 100/-रू प्रत्येक)	200,000,000	20,000	200,000,000	20,000	200,000,000	20,000
जारी किए गए, अभिदत्त और प्रदत्त सम मूल्य पर 10/- रुपये इक्विटी शेयर की दर से (गत वर्ष 31 मार्च, 2022 को 10/- रू प्रत्येक और 01 अप्रैल, 2021 को 100/- रू प्रत्येक)	130,000,000	13,000	130,000,000	13,000	130,000,000	13,000
कुल	**130,000,000**	**13,000**	**130,000,000**	**13,000**	**130,000,000**	**13,000**

31 मार्च, 2025, 31 मार्च, 2024, 1 अप्रैल 2023 को बकाया शेयरों का पुनर्मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को		01 अप्रैल, 2023 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	130,000,000	13,000	130,000,000	13,000	130,000,000	13,000
जोड़: विभाजक के कारण वृद्धि	-	-	-	-	-	-
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयरः बोनस जारी	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	130,000,000	13,000	130,000,000	13,000	130,000,000	13,000

सममूल्य पर 10/- रू- प्रति के इक्विटी शेयर (गत वर्ष 31 मार्च, 2024 को 10/- रू- प्रत्येक और 01 अप्रैल, 2023 को 100/- रू- प्रत्येक)

इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/अधिकार

कम्पनी के पास इक्विटी शेयर के रूप में संदर्भित शेयर का एक वर्ग है जो 10 रु प्रत्येक के मूल्य के हैं। इक्विट शेयर के प्रत्येक धारक की प्रतिशेयर एक वोट का हकदारी है।

कंपनी में 5% से अधिक शेयरों के शेयरधारकों की सूची:

(रु. लाख में)

शेयर धारक का नाम	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को		01 अप्रैल, 2023 को	
	संख्या	धारित शेयरों का %	संख्या	धारित शेयरों का %	संख्या	धारित शेयरों का %
10 रुपये प्रत्येक के पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर (गत वर्ष 31 मार्च, 2023 तक 10 रु- प्रति और 01 अप्रैल, 2022 तक 100/- रुपये प्रति)						
भारत के राष्ट्रपति और उनके नामित सदस्य	130,000,000	100.00%	130,000,000	100.00%	130,000,000	100.00%

तुलन पत्र की तारीख से पहले गत पाँच वर्षों में बोनस शेयरों द्वारा पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों के रूप में आवंटित इक्विटी शेयरों की कुल संख्या

शेयर धारक का नाम	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को	1 अप्रैल, 2021 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
सामान्य आरक्षित को पूंजीकृत करके पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में आवंटित इक्विटी शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	30,000,000
कुल					**30,000,000**

वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर

31 मार्च 2025 को

क्र. सं.	प्रवर्तक का नाम	अंशधारक का दर्जा	शेयर की संख्या	कुल शेयर का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
1	भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति	लाभार्थी स्वामित्व	129981800	99.986%	-
2	श्री आर.के.अग्रवाल अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	नामिति	2600	0.002%	-
3	श्री पंकज कपूर निदेशक (वित्त)	नामिति	2600	0.002%	-
4	श्री सुबोध यादव संयुक्त सचिव (प्रशासन, आईसी और जीडब्ल्यू), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।	नामिति	2600	0.002%	-
5	सुश्री ऋचा मिश्रा संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार,जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।	नामिति	2600	0.002%	-
6	श्री आनंद मोहन सरकारी नामित निदेशक और संयुक्त सचिव, आरडी एंड जीआर, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार	नामिति	2600	0.002%-	
7	श्री पी.एस. गंगाधर सरकारी नामित निदेशक और संयुक्त सचिव, (ईडी), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार।	नामिति	2600	0.002%	-
8	श्री अमिताभ त्रिपाठी निदेशक (वाणिज्य एवं मा.सं. वि.)	नामिति	2600	0.002%	
	कुल		**13,00,00,000**	**100%**	-

31 मार्च 2024 को

क्र. सं.	प्रवर्तक का नाम	अंशधारक का दर्जा	शेयर की संख्या	कुल शेयर का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
1	भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति		129981800	99.986%	-
2	श्री आर.के.अग्रवाल अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	नामिति	2600		0.002% -
3	श्री पंकज कपूर निदेशक (वित्त)	नामिति	2600		0.002% -
4	श्री सुबोध यादव संयुक्त सचिव (प्रशासन, आईसी और जीडब्ल्यू), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।	नामिति	2600		0.002% -
5	सुश्री ऋचा मिश्रा संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।	नामिति	2600		0.002% -
6	श्री आनंद मोहन सरकारी नामित निदेशक और संयुक्त सचिव, आरडी एंड जीआर, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार	नामिति	2600		0.002% -
7	श्री पी.एस. गंगाधर सरकारी नामित निदेशक और संयुक्त सचिव, (ईडी), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार।	नामिति	2600		0.002% -
8	श्री अमिताभ त्रिपाठी निदेशक (वाणिज्य एवं मा.सं. वि.)	नामिति	2600		0.002% -
	कुल		**13,00,00,000**		**100%** **-**

1 अप्रैल 2023 को

क्र. सं.	प्रवर्तक का नाम	अंशधारक का दर्जा	शेयर की संख्या	कुल शेयर का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
1	भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति	13,00,00,000	13,00,00,000	100%	-
	कुल	**13,00,00,000**	**13,00,00,000**	**100%**	**-**

टिप्पणी-13

अन्य इक्विटी

आरक्षित और अधिशेष की प्रकृति और उद्देश्य

1. **सामान्य आरक्षित:**

   सामान्य आरक्षित का अर्थ है किसी उद्यम की आय का वह भाग जिसे प्रबंधन द्वारा शेयरधारकों के बीच वितरित करने के बजाय भविष्य में ज्ञात या अज्ञात दायित्व को पूरा करने के लिए विनियोजित किया जाता है।

2. **अधिशेष:**

   कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अर्जित लाभ को लाभ एवं हानि खाते के विवरण से अधिशेष में अंतरित किया जाता है।

3. **अन्य व्यापक आय:**

   अन्य व्यापक आय भारतीय लेखांकन मानक 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुसरण में परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर निर्धारित किए गए लाभ/(हानि) और भारतीय लेखांकन मानक 109 "वित्तीय साधन" के अनुसरण में अन्य व्यापक आय के मध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर निर्धारित अनकोटेड इक्विटी साधनों में निवेश से निर्धारित किए गए लाभ/(हानि) के कारण शेष राशि होती है।

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
आरक्षित और अधिशेष			
सामान्य आरक्षित	1,369.25	1,369.25	1,369.25
अधिशेष	32,927.89	31,345.01	28,004.39
अन्य व्यापक आय	(208.45)	(355.49)	(321.10)
कुल	**34,088.69**	**32,358.77**	**29,052.54**

टिप्पणी-14

व्यापार देयाएँ

क. व्यापार देयताएँ-गैर-वर्तमान*

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
सूक्ष्म, एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि	360.26	380.06	406.40
सूक्ष्म, एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया देय राशि	1,597.01	1,135.77	901.27
कुल	**1,957.27**	**1,515.83**	**1,307.67**

*आपूर्तिकर्ता/विक्रेता को देय प्रतिधारण राशि शामिल

व्यापार देय राशि - गैर - वर्तमान - प्राप्य राशि तालिका

(रु. लाख में)

विवरण	अनबिल	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अविवादित बकाया	-	360.26	177.32	108.99	65.75	8.21	360.27
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के अविवादित बकाया	-	1,597.01	702.37	466.09	90.26	338.28	1,597.00
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-	-
31, मार्च 2025 के अनुसार	**-**	**1,957.27**	**879.69**	**575.08**	**156.01**	**346.49**	**1,957.27**
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अविवादित बकाया	-	380.06	205.27	151.33	-	23.46	380.06
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के अविवादित बकाया	-	1,135.77	525.63	610.14	-	-	1,135.77
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-	-
31, मार्च, 2024 के अनुसार	**-**	**1,515.83**	**730.90**	**761.47**	**-**	**23.46**	**1,515.83**
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अविवादित बकाया	-	406.40	-	-	-	-	406.40
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के अविवादित बकाया	-	901.27	-	-	-	-	901.27
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-	-
31, मार्च, 2023 के अनुसार	**-**	**1,307.67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,307.67**

ख. व्यापार देय-वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि*	39,291.79	27,283.90	30,590.75
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	105,051.98	99,908.78	81,294.89
कुल	**144,343.77**	**127,192.68**	**111,885.64**

***संदर्भ टिप्पणी संख्या - 36**

व्यापार देय राशि - वर्तमान - प्राप्य राशी तालिका

(रु. लाख में)

विवरण	अनबिल	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अविवादित बकाया	-	-	22,860.05	7,462.37	3,005.67	5,963.70	39,291.79
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के अविवादित बकाया	-	-	49,978.19	22,522.33	5,918.91	26,632.55	105,051.98
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-	-
31, मार्च 2025 के अनुसार	**-**	**-**	**72,838.24**	**29,984.70**	**8,924.58**	**32,596.25**	**144,343.77**
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अविवादित बकाया	-	-	6,953.04	2,474.76	2,469.55	15,386.55	27,283.90
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के अविवादित बकाया	720.37	-	43,557.83	13,664.95	7,407.60	34,558.03	99,908.78
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-	-
31, मार्च, 2024 के अनुसार	**720.37**		**50,510.87**	**16,139.71**	**9,877.15**	**49,944.58**	**127,192.68**
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अविवादित बकाया	39.21	-	10,929.50	3,232.44	2,791.24	13,598.36	30,590.75
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के अविवादित बकाया	1,238.86	-	31,095.14	9,201.26	8,320.24	31,439.39	81,294.89
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-	-
31, मार्च, 2023 के अनुसार	**1,278.07**	**-**	**42,024.64**	**12,433.70**	**11,111.48**	**45,037.75**	**111,885.64**

टिप्पणी - 15
प्रावधान
क. प्रावधान - गैर-वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान			
अवकाश नकदीकरण गैर-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 32)	4,259.17	3,826.45	3,889.68
सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा स्कीम - गैर-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 32)	3,469.42	3,015.67	2,718.01
ग्रेच्यूटी-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 32)	2,582.45	1,984.15	1,566.03
कुल	**10,311.04**	**8,826.27**	**8,173.72**

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रावधानों की प्रत्येक श्रेणी में संचलन हेतु (संदर्भ टिप्पणी 33)

ख. प्रावधान - वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान			
सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा स्कीम - गैर-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 32)	95.68	89.42	78.55
पेंशन	2,993.52	2,433.00	1,901.30
अवकाश यात्र रियायत	-	54.71	54.71
अवकाश नकदीकरण गैर-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 32)	356.07	445.64	380.32
ग्रेच्यूटी-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 32)	505.72	993.13	992.35
कुल	**3,950.99**	**4,015.90**	**3,407.23**

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक श्रेणी के प्रावधानों में संचलन के लिए (संदर्भ टिप्पणी 33)

टिप्पणी - 16
अन्य देयताएँ
क. अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
ग्राहकों से अग्रिम	2,628.10	11,271.45	2,006.35
अनुपार्जित आय	767.16	800.86	916.07
अन्य देयताएँ	162.49	188.15	73.25
कुल	**3,557.75**	**12,260.46**	**2,995.67**

ख. अन्य चालू देयताएँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
ग्राहकों से अग्रिम	47,093.84	26,773.76	40,553.84
सांविधिक देय	15,917.08	11,537.22	9,772.12
अन्य देयताएँ	1,173.03	1,117.46	1,477.76
कुल	**64,183.95**	**39,428.44**	**51,803.72**

टिप्पणी- 17
ऋण
क- दीर्घावधि-ऋण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
बैंक से ऋण (सुरक्षित)			
बैंक से भारतीय मुद्रा ऋण (क)	20,799.50	19,272.64	13,551.17
कुल	**20,799.50**	**19,272.64**	**13,551.17**

(क) बैंक से सुरक्षित सावधि ऋणः

कंपनी ने भारतीय बैंक से 40,000 लाख रूपए का सावधि ऋण लिया है, जिसमें से 31 मार्च, 2025 तक 25300 लाख रूपए, 3 माह के एमसीएलआर (तिमाही पुनर्नियोजन के साथ) वितरित किए गए हैं, और इसके माध्यम से सुरक्षित होगा:

(iक) प्राथमिक सुरक्षा - क) कंपनी की संपूर्ण अचल संपत्तियां वर्तमान और भविष्य दोनों पर विशेष प्रभार और कॉर्पोरेट ऋण के लिए कंपनी की संपूर्ण वर्तमान परिसंपत्तियों पर पहला समरूप प्रभार।

(iख) एनएफबी सीमाओं के लिए कंपनी की ओम्नीबस काउंटर गारंटी

पुनः भुगतान की शर्तें- निम्नलिखित पुनः भुगतान के साथ 9 वर्ष 6 महीने की ऋण अवधि

(I) बकाया मूलधन को जून, 2022 से आरंभ कर मार्च, 2031 तक त्रैमासिक भुगतानों में चुकाया जाएगा। 31 मार्च, 2025 तक वास्तविक बकाया शेष 24295.83 लाख (प्रसंस्करण शुल्क के कारण ईआईआर समायोजन को छोड़कर) होगा।

(ii) दिसम्बर 2021 से शुरू होने वाले प्रावधानों के अनुसार मासिक ब्याज देय होगा

ख. अल्पावधि-ऋण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
बैंक से ऋण (सुरक्षित)			
नकद ऋण सुविधा (क)	(0.02)	(0.02)	-
बैंक से ऋण (सुरक्षित)			
दीर्घ अवधि की उधारी के लिए लघु अवधि मैच्योरिटी (सन्दर्भ टिप्पणी सं. 17क)	3,500.00	3,500.00	731.17
कुल	**3,499.98**	**3,499.98**	**731.17**

(क) कंपनी ने निम्नलिखित नकद ऋण सुविधाओं को संस्वीकृत किया है। :

I) एचडीएफ़सी बैंक रू 5,000 लाख एमसीएलआर पर मासिक देय है और के माधयम से सुरक्षित:

(i) कंपनी की संपूर्ण वर्तमान परिसंपत्तियों पर पहला समान प्रभार, वर्तमान और भविष्य दोनों।

वित्तीय वर्ष 2024-25

बैंक का नाम **एचडीएफसी बैंक**

(रु. लाख में)

तिमाही	प्रदान की गई प्रतिभूति का विवरण	बही खातों के अनुसार राशि	तिमाही विवरणी/विवरण में रिपोर्ट की गई राशि
जून-24	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसी प्रकार की नकद ऋण सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया।		
सितंबर-24			
दिसंबर-24			
मार्च-25			

वित्तीय वर्ष 2023-24

बैंक का नाम एचडीएफसी बैंक

तिमाही	प्रदान की गई प्रतिभूति का विवरण	बही खातों के अनुसार राशि	तिमाही विवरणी/विवरण में रिपोर्ट की गई राशि
जून-23	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसी प्रकार की नकद ऋण सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया।		
सितंबर-23			
दिसंबर-23			
मार्च-24			

(ख) कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईडीएफसी से रु. 96,500.00 लाख (पिछले वर्ष रु. 96,500 लाख) की गैर-वित्त पोषित सुविधा का लाभ उठाया है जिसमें से 31 मार्च 2025 तक रु. 36,652.93 लाख (पिछले वर्ष रु. 38,427.52 लाख) का उपयोग बैंक जमा के संबंध में किया गया है, जोकि रु. 10,764.03 लाख (पिछले वर्ष रु. 5984.24 लाख) प्रतिभूति के रूप में धारित हैं। (संदर्भ नोट सं. - 4, 8 एवं 9)

टिप्पणी-18
लीज देयता
क. लीज देयता - गैर-वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
लीज देयता	303.26	459.97	469.96
कुल	**303.26**	**459.97**	**469.96**

ख. लीज देयता - वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
लीज देयता	318.92	272.99	388.91
कुल	**318.92**	**272.99**	**388.91**

टिप्पणी-19
अन्य वित्तीय देयताएँ
क. अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
ग्राहक के डिपोजिट पर देय ब्याज (क)	8,497.08	7,785.23	6,998.77
अन्य देयताएँ	1,434.17	1,434.17	1,434.17
बयाना राशि और प्रतिभूति जमा	147.88	98.19	97.76
कुल	**10,079.13**	**9,317.59**	**8,530.70**

(क) संदर्भ टिप्पणी सं- 60

ख. अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
कार्य निष्पादन से संबंधित वेतन/बोनस	1,231.11	1,480.86	1,345.87
निगमित सामाजिक दायित्व देय राशि (क)	65.25	60.64	208.23
पेंशन (स्वैच्छिक)	-	-	-
अग्रिम राशि और प्रतिभूति जमा	1,748.30	1,856.65	1,538.49
कर्मचारियों को देय राशि	3,880.84	5,772.03	5,425.32
ग्राहकों से अग्रिम- प्रत्यावर्तनीय	-	1,042.12	3,465.19
अन्य देयताये	760.49	760.49	760.49
अन्य देय राशि (ख)	75.88	21.75	40.73
कुल	**7,761.87**	**10,994.54**	**12,784.32**

(क) संदर्भ टिप्पणी सं 40

(ख) उन कर्मचारियों की प्रतिभूति राशि शामिल है जिनके संबंध में काउंटर सावधि जमा बनाए गए हैं संदर्भ टिप्पणी 61

टिप्पणी - 20
प्रचालनों से राजस्व

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
परामर्शी आय	66,382.90	67,575.37
निर्माण संविदाएँ	94,821.49	85,476.08
कुल	**161,204.39**	**153,051.45**

टिप्पणी - 21
अन्य आय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
ब्याज आय	2,721.08	1,795.33
लाभांश आय*	0.97	1,386.89
विनिमय परिवर्तन	(67.37)	613.01
अन्य गैर-प्रचालन आय	53.29	96.91
कुल	**2,707.97**	**3,892.14**

*लाभांश में सहायक कंपनी अर्थात एनपीसीसी से प्राप्त शून्य राशि (पिछले वर्ष 1385.87 लाख रुपये) शामिल है

टिप्पणी - 22
निर्माण व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
निर्माण परियोजनाओं के लिए	93,544.90	81,449.77
कुल	**93,544.90**	**81,449.77**

टिप्पणी -23
कर्मचारी लाभ व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
वेतन, पारिश्रमिक एवं प्रोत्साहन राशि	27,385.46	29,996.58
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	1,912.92	1,999.63
कर्मचारी कल्याण व्यय	226.04	296.51
कुल	**29,524.42**	**32,292.72**

टिप्पणी - 24
वित्त लागत

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
ब्याज (क)	-	-
नकद ऋण सुविधा	-	-
सावधि ऋण	1,976.11	1,444.85
लीज देनदारियां	56.30	65.15
कुल	**2,032.41**	**1,510.00**

टिप्पणी - 25
प्राप्त की गई सेवाएं

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
परामर्शी परियोजनाओं के लिए	15,344.95	15,382.51
निर्माण परियोजनाओं के लिए	111.50	96.73
कुल	**15,456.45**	**15,479.24**

टिप्पणी - 26
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	362.13	384.53
अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	242.18	173.41
कुल (क)	**604.31**	**557.94**
उपयोग के अधिकार पर परिशोधन	271.95	350.40
कुल (ख)	**271.95**	**350.40**
कुल (क+ख)	**876.26**	**908.34**

टिप्पणी - 27
निगमित सामाजिक दायित्व

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
निगमित सामाजिक दायित्व (क)	72.52	73.80
कुल	**72.52**	**73.80**

(क) संदर्भ टिप्पणी सं- 40

टिप्पणी - 28
अन्य व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
विद्युत एवं ईंधन	228.33	251.79
किराया (क)	1,241.61	1,367.37
मरम्मत और रखरखाव - कार्यालय परिसर	477.87	483.40
मरम्मत और रखरखाव - अन्य	112.22	107.45
बीमा	110.24	143.92
दरें और कर	1,530.13	374.16
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	596.62	629.37
यात्रा व्यय - भारत	1,074.99	930.43
- विदेश	686.46	545.16
वाहन और यातायात पर व्यय	1,257.66	1,355.59
वाहन किराये पर लेना	873.27	1,145.73
निदेशक बैठक शुल्क	9.55	14.07
डाक टेलीफोन एवं टेलीग्राम	234.29	249.09
विज्ञापन व प्रचार	74.79	149.18
विनिमय में भिन्नता	106.08	382.12
ग्राहकों से जमा पर ब्याज	1,511.15	1,725.56
लेखापरीक्षकों को भुगतान -	-	-
(क) सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	13.75	13.75
(ख) कर लेखापरीक्षा शुल्क	4.13	4.14
(ग) अन्य सेवाओं के लिए	5.46	3.67
व्यापार प्राप्तियों और प्रतिधारण राशि और अन्यों के लिए प्रावधान	7,587.52	5,376.83
संदिग्ध अग्रदाय खाता	11.87	45.42
किराया अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
विधिक दावों के लिए प्रावधान	762.08	514.56
विविध व्यय	1,891.13	1,649.31
कम: व्यय प्रतिपूर्ति योग्य (ख)	(30.29)	(28.54)
कुल	**20,370.91**	**17,433.53**

(क) लीज भुगतान के संबंध में संदर्भ टिप्पणी सं- 42

(ख) प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में संदर्भ टिप्पणी सं- 38

(ग) संदर्भ टिप्पणी सं- 60

टिप्पणी - 29
असाधारण मदें

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
व्यय		
सम्पत्ति, और उपकरण की बिक्री पर हानि	-	0.32
(क)	-	0.32
आय		
बट्टे खाते का प्रावधान	599.55	3.00
(ख)	599.55	3.00
कुल (ख-क)	**599.55**	**2.68**

टिप्पणी-30
आयकर व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
वर्तमान वर्ष कर		
वर्तमान वर्ष का कर शुल्क	2,641.94	4,389.01
पिछले वर्ष का कर शुल्क	438.06	(64.69)
आस्थगित कर		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	(2,028.85)	(2,366.32)
कुल	**1,051.15**	**1,958.00**

अन्य व्यापक आय में आयकर व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
आस्थगित कर		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	(49.45)	8.94
कुल	**(49.45)**	**8.94**

कर व्यय और लेखा लाभ के बीच पुनर्मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
सतत संचालन से कर पूर्व लेखांकन लाभ	**2,634.04**	**7,798.87**
भारत की वैधानिक आयकर दर 25-168%	662.93	1,962.82
उन राशियों का कर प्रभाव जो कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य (कर योग्य) नहीं हैं		
आयकर में व्यय की अनुमति नहीं है (निवल)	(49.84)	37.51
ओसीआई में कर का प्रभाव	(49.45)	8.94
आयकर में पूर्व अवधि समायोजन की अनुमति नहीं है	-	-
आयकर की दर में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
गत वर्ष के कर व्यय और अन्य प्रभावों का प्रभाव	-	-
पूर्व अवधि के समायोजन का प्रभाव	-	-
प्रभावी कर दर पर	**563.64**	**2,009.27**
लाभ और हानि लेखा के विवरण में दर्ज किया गया आयकर व्यय	**563.64**	**2,031.63**
प्रभावी कर दर	**21.40%**	**25.76%**

अनुपात विश्लेषण

क्र. सं.	अनुपातों का नाम	अंश	/	भाजक		वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	परिवर्तन	परिवर्तनों के कारण > 25%
1	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां	/	वर्तमान देयताएं	=	1.277	1.364	-6.32%	-
2	ऋण इक्विटी अनुपात	दीर्घजीवी ऋण + लघु अवधि ऋण	/	कुल शेयरधारकों की इक्विटी	=	0.516	0.502	2.78%	-
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ई बी आई टी डी ए	/	ऋण चुकौती दायित्व (कर के बाद ब्याज़+मूलधन)	=	0.211	0.422	-50.00%	ऋण और वित्त लागत में वृद्धि और अन्य खर्चों में ग्राहकों पर ब्याज लागत के पुनर्गठन के कारण
4	इक्विटी अनुपात पर वापसी	लाभांश के बाद कर के बाद निवल लाभ	/	औसत शेयरधारक की निधि	=	0.034	0.129	-73.90%	कंपनी के परामर्श खंड में कमी के चलते राजस्व लाभ में कमी के कारण
5	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (दिनों में)	निवल ऋण बिक्री	/	औसत व्यापार प्राप्तियां	=	370.134	376.640	-1.73%	-
6	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (दिनों में)	निवल ऋण खरीद	/	औसत व्यापार देय	=	460.446	455.458	1.10%	-
7	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	निवल वार्षिक बिक्री	/	कार्यशील पूंजी	=	2.593	2.270	14.25%	-
8	निवल लाभ अनुपात	कर के बाद निवल लाभ	/	कुल टर्नओवर	=	0.010	0.038	-74.27%	कंपनी के परामर्श खंड में कमी के चलते राजस्व लाभ में कमी के कारण
9	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ईबीआईटी (ऑपरेटिंग)	/	नियोजित पूंजी	=	0.074	0.174	-57.34%	कंपनी के परामर्श खंड में कमी के चलते राजस्व लाभ में कमी के कारण
10	निवेश पर रिटर्न	ईबीआईटी (ऑपरेटिंग)	/	कुल निवेश	=	0.40	0.90	-55.40%	कंपनी के परामर्श खंड में कमी के चलते राजस्व लाभ में कमी के कारण

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणिया

31. कोविड-19 के कारण प्रभाव

दिसंबर 2019 में, कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) की सूचना आई थी और तब से, इसने न केवल दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है, बल्कि इसने वैश्विक आर्थिक वातावरण को भी गंभीर रूप से विचलित किया है। समूह प्रबंधन ने अगले वर्ष के लिए अपने नकद की स्थिति का आकलन किया है, जिसमें इसकी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के वहनीय मूल्य की प्राप्ति भी शामिल है। समूह को आशा है कि मूल्यांकन के आधार पर इन परिसंपत्तियों की वहनीय राशि वसूल ली जाएगी।

चूंकि महामारी के कारण तेजी से बदलते परिवेश में अनिश्चितताएं अंतर्निहित हैं, वित्तीय विवरणों की तैयारी में किए गए प्राक्कलनों और धारणाओं से अनुमानित स्थिति, भविष्य में वास्तविक विवरण से भिन्न हो सकती है। प्रबंधन, भविष्य की आर्थिक स्थितियों और समूह की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव होने के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की निगरानी कर रहा है। प्रबंधन को मौजूदा समस्या में आगे बढ़ने और जब भी आवश्यक हो अपनी देनदारियों को पूरा करने के संबंध में समूह की क्षमता में कोई जोखिम दिखाई नहीं देता है।

32. कर्मचारी लाभ

परिभाषित अंशदान योजना:

परिभाषित अंशदान योजना में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त निर्धारित राशि इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
अंशदायी भविष्य निधि	1384.906	1468.66

कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी **"वाप्कोस कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट"** नामक ट्रस्ट के माध्यम से स्थापित एक परिभाषित अंशदायी योजना भविष्य निधि के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ट्रस्ट के कानून के तहत विनिर्धारित किए गए अनुसार एक निर्धारित दर से मासिक अंशदान करते हैं। कंपनी का दायित्व यह अंशदान करने और ट्रस्ट के निवेशों से मिलने वाले प्रतिफल के अधिसूचित ब्याज दर से कम रहने पर, यदि ऐसा हो तो, इस कमी को पूरा करने तक सीमित है। इस संबंध में कमी, यदि कोई हो, को उस वर्ष के दौरान व्यय माना जाता है। बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार निधि के संबंध में ब्याज की अनुमानित गारंटी कृत दर के आधार पर भविष्य के लिए अनुमानित आय व्यक्तिगत सदस्यों के लिए अंशदान की जाने वाली अनुमानित राशि से अधिक है, जिससे कंपनी पर कोई दायित्व नहीं होगा। कंपनी के उपर्युक्त मूल्यांकन के संदर्भ में कंपनी की 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को ब्याज दर की गारंटी के संबंध में कोई देयता नहीं है।

परिभाषित लाभ योजनाएं

समूह में निम्नलिखित परिभाषित लाभ योजनाएं हैं:

- ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)
- पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित)
- अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)

योजना के प्रावधानों से जुड़े जोखिम बीमांकिक जोखिम हैं। ये जोखिम निम्नानुसार हैं:

I. निवेश जोखिम,

ii. ब्याज जोखिम (छूट दर जोखिम),

iii. मृत्यु दर जोखिम

iv. वेतन जोखिम।

निवेश जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना सरकारी बॉन्ड यील्ड के संदर्भ में निर्धारित छूट दर का उपयोग करके की जाती है। यदि योजना की देनदारी वित्त पोषित है और प्लान एसेट्स पर रिटर्न इस दर से कम है, तो यह योजना घाटा उत्पन्न करेगी।
ब्याज जोखिम (छूट दर)	बॉन्ड ब्याज दर (छूट दर) में कमी से योजना की देयता बढ़ जाएगी।
मृत्यु दर जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में की जाती है। इस रिपोर्ट के लिए हमने भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006-08) का उपयोग किया है। अंतिम तालिका मृत्यु दर में बदलाव से योजना की देयता पर असर पड़ेगा।
वेतन जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना भविष्य में योजना प्रतिभागियों की वेतन वृद्धि दर की धारणा के साथ की जाती है। देयता के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने हेतु उपयोग किए जाने वाले वेतन में वृद्धि की दर से योजना प्रतिभागियों के लिए भविष्य में वेतन वृद्धि की दर में विचलन से योजना की देयता पर असर पड़ेगा।
चिकित्सा व्यय मुद्रास्फीति जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना भविष्य में योजना प्रतिभागियों की चिकित्सा व्यय मुद्रास्फीति वृद्धि दर के अनुमान पर की जाती है। देयता के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने हेतु उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा व्यय में वृद्धि की दर से योजना प्रतिभागियों के लिए भविष्य में चिकित्सा व्यय मुद्रास्फीति की वृद्धि दर में विचलन से योजना की देयता पर असर पड़ेगा।
नकद भत्ता मुद्रास्फीति जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना भविष्य में योजना प्रतिभागियों के नकद भत्ते की मुद्रास्फीति वृद्धि दर के अनुमान पर की जाती है। देयता के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने हेतु उपयोग किए जाने वाले नकद भत्ते में वृद्धि दर से भविष्य में योजना प्रतिभागियों के लिए नकद भत्ते की वृद्धि की दर में विचलन से योजना की देयता पर असर पड़ेगा।

वित्तपोषित/गैर-वित्तपोषित दायित्वों से संबंधित प्रकटन

i. तुलन पत्र में मान्य राशि

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
वर्ष के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	5633.92	5998.69	3565.1	3105.08	4615.24	4272.08
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2545.75	3013.64	-	-	-	-
वित्तपोषित/गैर-वित्तपोषित स्थिति	3088.17	2985.05	3565.1	3105.08	4615.24	4272.08
बैलेंस शीट में निर्धारित शुद्ध (संपत्ति) / देयता	**3088.17**	**2985.05**	**3565.1**	**3105.08**	**4615.24**	**4272.08**

ii. लाभ-हानि के विवरण में निर्धारित व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
वर्तमान सेवा लागत	296.67	291.6	148.01	141.62	161.55	143.8
विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ देयता पर ब्याज लागत	432.5	421.88	224.80	210.58	297.78	319.82 -
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	(217.28)	(230.26)	-	-	-	-
पुनः आकलन	-	-	-	-	-	-
प्रोदभूत (लाभ/हानि)	-	-	-	-	47.32	(247.85)
लाभ हानि विवरण में अभिज्ञात व्यय	**511.89**	**483.22**	**372.81**	**352.2**	**506.65**	**215.77**

iii. अन्य व्यापक आय में निर्धारित व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
योजना परिसंपत्ति पर रिटर्न	35.4	26.85	-	-	-	-
बीमांकिक (लाभ) / हानि	(389.18)	(36.17)	162.24	39.81	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय	**(353.78)**	**(9.32)**	**162.24**	**39.81**	**-**	**-**

vi. परिभाषित लाभ देयताओं के आरंभिक शेष और अंतिम शेष का पुनर्मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
वर्ष की आरंभ में देयताओं का वर्तमान मूल्य	5,998.70	5632.61	3,105.08	2796.56	4,272.08	4269.99
ब्याज लागत	432.50	421.88	224.81	210.58	297.78	319.82
वर्तमान सेवा लागत से	296.66	291.62	148.01	141.62	161.55	143.8
उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-	-	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन	215.56	152.32	143.39	138.85	47.32	115.31
अनुभव समायोजन	(604.75)	(188.50)	18.85	(99.04)	-	(363.16)
विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
किया गया लाभ भुगतान	(704.75)	(311.23)	(75.04)	(83.49)	(163.49)	(213.68)
वर्ष के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	**5633.92**	**5998.70**	**3565.1**	**3105.08**	**4615.24**	**4272.08**

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक शेष और अंतिम शेष का पुनर्मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3,013.64	3074.25	-	-	-	-
ब्याज आय	217.27	230.26	-	-	-	-
पुनःआकलन लाभ/ (हानि)- शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशियों को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	(35.39)	(26.85)	-	-	-	-
नियोक्ता से अंशदान	54.96	47.23	-	-	-	-
लाभ भुगतान	(704.75)	(311.23)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**2545.75**	**3013.66**	**-**	**-**	**-**	**-**

v. बीमांकिक अनुमान

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
छूट की दर	6.75%	7.21%	6.95%	7.24%	6.75%	7.21%
भविष्य की वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
मुआवजा स्तरों में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
सेवानिवृत्ति की आयु	-	-	-	-	-	-

vi. परिभाषित लाभ देयता की परिपक्वता प्रोफाइल

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
परिभाषित लाभ देयता का भारित औसत	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ देयता की अवधि- निधि से अवधि (वर्ष)	-	-	-	-	-	-
1	522.50	599.31	-	-	-	-
2	599.17	314.40	-	-	-	-
3	553.71	546.45	-	-	-	-
4	555.62	537.91	-	-	-	-
5	518.76	513.06	-	-	-	-
5 से अधिक	2,175.48	12273.42	-	-	-	-
कुल	**4925.24**	**14784.55**	**-**	**-**	**-**	**-**
परिभाषित लाभ भुगतान की अवधि- नियोक्ता से	-	-	-	-	-	-
अवधि (वर्ष)	**-**	**-**	-	-	-	-
1	-	-	98.95	89.41	-	-
2	-	-	113.09	102.19	-	-
3	-	-	146.96	116.19	-	-
4	-	-	211.77	128.85	-	-
5	-	-	340.47	143.75	-	-
5 से अधिक	-	-	17,119.77	15563.39	-	-
कुल	**-**	**-**	**18031.01**	**16143.78**	**-**	**-**

vii. योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रुप में)

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
बीमा निधि	100%	100%	-	-	-	-

viii. संवेदनशीलता विश्लेषण

ग्रेच्युटी (वित्त पोषित) के संबंध में संवेदनशीलता विश्लेषण

(रु. लाख में)

विवरण	अनुमान में परिवर्तन		परिभाषित लाभ में वृद्धि		परिभाषित लाभ में गिरावट	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
छूट दर में वृद्धि / (कमी)	+/- 1%	+/- 1%	527.38	609.59	449.65	512.13
भविष्य की वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	+/- 1%	+/- 1%	209.97	369.35	226.96	356.49
कर्मचारी आय टर्नओवर की दर में अपेक्षित परिवर्तन	+/- 1%	+/- 1%	211.26	132.36	243.72	152.3

पीआरएमएस के संबंध में संवेदनशीलता विश्लेषण

(रु. लाख में)

विवरण	अनुमान में परिवर्तन		परिभाषित लाभ देयता में वृद्धि		परिभाषित लाभ देयता में गिरावट	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
रियायती दर में वृद्धि/ (कमी)	+/- 1%	+/- 1%	-	566.62	-	439.7
भविष्य में वेतन वृद्धि की अनुमानित दर	+/- 1%	+/- 1%	-	-	-	-
नियोक्ता के कारोबार की दर में अनुमानित परिवर्तन	+/- 1%	+/- 1%	-	-	-	-
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति में अपेक्षित परिवर्तन	+/- 1%	+/- 1%	-	-	-	-

अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित) के संबंध में संवेदनशीलता विश्लेषण

(रु. लाख में)

विवरण	अनुमान में परिवर्तन		परिभाषित लाभ देयता में वृद्धि		परिभाषित लाभ देयता में गिरावट	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
रियायती दर में वृद्धि/ (कमी)	-	-	-	-	-	-
भविष्य में वेतन वृद्धि की अनुमानित दर	-	-	-	-	-	-

***यदि अन्य सभी मान्यताएँ समान रहती हैं तो मृत्यु दर में 1% की वृद्धि/कमी के कारण परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन नगण्य होता है।**

उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण संभवतः परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व न करता हो क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे से पृथक अलग से होगा चूंकि कुछ मान्यताएँ सहसंबद्ध हो सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करने में परिभाषित दायित्व के वर्तमान मूल्य का परिकलन रिपोर्ट अवधि के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके किया गया है, जो कि वही है जिसका प्रयोग वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्य परिभाषित लाभ दायित्व देयता के परिकलन में किया गया है।

पूर्व की अवधि हेतु मूल्यांकन में कोई परिवर्तन नहीं है। मान्यता में परिवर्तन के लिए कृपया ऊपर तालिका (ड) देखे जहाँ पूर्व की अवधि के लिए मान्यताएँ दी गई हैं।

33. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ (भा.ले.मा. 37)

प्रावधानों का संचलन

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रावधान की प्रत्येक श्रेणी (वर्तमान एवं गैर-वर्तमान) में संचलन नीचे प्रस्तुत की गई हैं:-

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)		पीआरएमएस		अवकाश नकदीकरण	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
प्रारंभिक शेष राशि	2,985.04	2558.38	3,105.08	2796.56	4,272.08	4269.99
वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान	158.10	473.89	535.06	392.01	506.65	215.77
वर्ष के दौरान प्रयुक्त प्रावधान	(54.97)	(47.23)	(75.04)	(83.49)	(163.49)	(213.68)
वर्ष के दौरान बदले गए प्रावधान				-	-	
अंतिम शेष राशि	**3088.17**	**2985.04**	**3565.1**	**3105.08**	**4615.24**	**4272.08**

(रु. लाख में)

विवरण	अवकाश यात्रा रियायत		पेंशन*	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
प्रारंभिक शेष राशि	54.71	54.71	2,433.00	1,901.30
वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान	-	-	740.52	846.70
वर्ष के दौरान प्रयुक्त प्रावधान	-	-	(1,840.00)	(315.00)
वर्ष के दौरान बदले गए प्रावधान	(54.71)	-	-	-
अंतिम शेष राशि	**-**	**54.71**	**1,333.52**	**2,433.00**

*कंपनी के पास अपने कर्मचारियों के लिए डी-पी-ई दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन योजना है। इसके लिए एलआईसी ऑफ इंडिया से पेंशन प्लान लिया गया है।

34. प्रति शेयर आय (ईपीएस) (भा.ले.मा. 33)

(रु. लाख में)

प्रति इक्विटी शेयर आय	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
इक्विटी धारकों के कारण लाभ	1582.88	5840.87
प्रचालन जो जारी है	1582.88	5840.87
प्रचालन जो रोक दिए गए	0.00	0.00
मूलभूत आय के लिए इक्विटी धारकों के कारण लाभ	1582.88	5840.87
इक्विटी धारकों के कारण लाभ जिसे विलयन के प्रभाव के लिए समायोजित किया गया है	1582.88	5840.87
मूल ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	130000000	130000000
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	10	10
प्रति इक्विटी शेयर आय (जारी प्रचालन के लिए)		
मूल (रुपये में)	1.22	4.49
तनुकरण (रुपये में)	1.22	4.49

35. लाभांश और आरक्षित

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
घोषित और प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश	-	-
भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	-	2500.00
भुगतान किए गए अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-
भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	-

36. **सूक्ष्म, लघु उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 22** के अनुसार इन उद्यमों को देय राशि को प्रकट किया जाना होता है। इन उद्यमों को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना आवश्यक होता है। कंपनी ने विक्रेताओं से एमएसएमई पंजीकरण की स्थिति के संबंध में पूछा है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यमों को देय राशि का विवरण प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर दिया गया है:-

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
1 (क)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया शेष, उस पर देय मूल राशि	39652.04	27663.96
1 (ख)	उपर्युक्त राशि पर प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया शेष, उस पर देय ब्याज	-	-
2	सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को की गई भुगतान राशि के साथ।	-	-
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज और देय राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) लेकिन सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया है।	-	-
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में देय ब्याज और शेष बकाया राशि।	-	-
5	आगामी वर्षों में भी बकाया और देय शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दी जाती।	-	-

*कंपनी ने सभी आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि करके सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उपरोक्त सूचना केवल प्राप्त सूचना और उपलब्ध रिकॉर्ड की सीमा तक एकत्रित की गई है।

37. वसूली किए जाने वाले दावों, व्यापार प्राप्तियों, संविदाकारों को अग्रिम व्यापार, देय राशि और संविदाकारों से प्रतिभूति जमा/अग्रिम राशि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष पुष्टि और संबंधित परिणाम समायोजन की शर्त के अधीन हैं। प्राप्त **शेष पुष्टि** की स्थिति निम्नानुसार :

31 मार्च 2025 तक

(रु. लाख में)

विवरण	केंद्र / राज्य सरकार के विभाग		विदेशी सरकारें		अन्य	
	बकाया	पुष्टि प्राप्त	बकाया	पुष्टि प्राप्त	बकाया	पुष्टि प्राप्त
व्यापार प्राप्तियां	178460.58	952.88	32333.56	-	9712.33	-
प्रतिभूति जमा	3460.12	-	405.15	-	56.4	-
व्यापार देनदारियां	7753.2	6427.27	1,056.44	-	137491.40	-
ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान	54.94	-	6.47	-	4823.22	-

31 मार्च 2024 तक

(रु. लाख में)

विवरण	केंद्र / राज्य सरकार के विभाग		विदेशी सरकारें		अन्य	
	बकाया	पुष्टि प्राप्त	बकाया	पुष्टि प्राप्त	बकाया	पुष्टि प्राप्त
व्यापार प्राप्तियां	167294.23	49.72	30008.03		811.61	14.5
प्रतिभूति जमा	3675.19	-	441.1	-		-
व्यापार देनदारियां	5137.41	1.53	2,921.19	-	120554.08	11412.89
ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान	5.81	3.40	675.79	2.50	3289.88	13.34

व्यापार प्राप्य और व्यापार देय राशि का संतुलन वास्तव में लेखा पुस्तकों में परिलक्षित होता है। जिसके द्वारा बताए गए मतभेदों के संबंध में, समूह समन्वय की प्रक्रिया में है और नियत समय में सही पुष्टि प्राप्त करेगा।

प्रबंधन के विचार में, व्यापार के साधारण क्रम में व्यापार प्राप्तियों, ऋण और अग्रिमों की राशि प्राप्त कर लेने पर, बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होंगी। कुल व्यापार प्राप्तियां 227770.94 लाख रुपये हैं, जिसमें से 271.09 लाख रुपये आस्थगित ऋण हैं जिसका वर्तमान में भुगतान नहीं किया जाना है। (पिछले वर्ष 189408.45 लाख रु- जिसमें से 16256.75 लाख रु- आस्थगित ऋण था।)

38. वर्ष के दौरान, कंपनी ने ग्राहकों की ओर से 30.29 लाख रुपये (पिछले वर्ष 33.75 लाख रुपये) की अचल संपत्तियां/ढीले उपकरण (कंपनी की संपत्ति का हिस्सा नहीं होने वाले यानी पीपीई) खरीदे हैं। इसके अलावा 30.29 लाख रुपये (पिछले वर्ष 28.53 लाख रुपये) ग्राहक से प्राप्त प्रतिपूर्ति के संबंध में सेट-ऑफ किए गए हैं।

39. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारियों के लिए "प्रदर्शन संबंधित वेतन" के संबंध में देयता 000 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1350.40 रुपये) का अनुमान लगाया गया है और डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई योजना के आधार पर कुछ रैंकिंग पैरामीटर के आधार पर प्रदान किया गया है। संचलन चार्ट इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
1	प्रारंभिक शेष	1350.4	1196.06
2	जोड़ः वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	154.81
3	घटाएंः वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	(220.61)	(0.47)
4	जमा शेष	1129.79	1350.4

40. कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) व्यय

भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देश नोट के अनुसार सीएसआर व्यय से सम्बंधित हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-2025

(क) वित्तीय वर्ष में व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि

(रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि				
	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे नियम के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
72.51	59.46	28-4-2025			

(ख) वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की 7वीं अनुसूची में गतिविधियों की सूची में से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि	चालू वित्त वर्ष में व्ययित राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला						
1.	राजस्थान के फलोदी जिले के बाप ब्लॉक के टेपू गांव में पेयजल हेतु ट्यूबवेल की स्थापना	मद सं. 4 पर्यावरणीय स्थिरता	नहीं	राजस्थान	फालोदी	15-2-25 से 31-8-25	24.86	12.43	12.43	नहीं	अर्पण सेवा संस्थान (सीएसआर पंजीकरण संख्या - CSR00000826)
2.	बिहार में मुजफ्फरपुर के जिला न्यायालय के लिए 25 किलोवाट के ग्रिड सौर ऊर्जा संयत्र की स्थापना	मद सं. 4 पर्यावरणीय स्थिरता	नहीं	बिहार	मुज्जफरपुर	29-03-2025 से 29-07-2025	23.85		23.85	नहीं	इंपीरियल सर्विस डेवलपमेंट सोसाइटी (सीएसआर पंजीकरण संख्या - CSR00011369)
3.	बिहार में राजकीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरपुर में खेल अवसंरचना का विकास	मद सं. 7 खेलों को बढ़ावा देना	नहीं	बिहार	मुज्जफरपुर	29-03-2025 से 29-09-2025	24.88		23.18	नहीं	अभ्युदय ट्रस्ट (सीएसआर पंजीकरण संख्या - CSR00019017)
4.	ग्रामीण फिटनेस हब- एक वाप्कोस सीएसआर पहल", राजस्थान में जोधपुर जिले के बालेसर ब्लॉक के वस्तवा माता गांव में जिम की स्थापना	मद सं. 7 खेलों को बढ़ावा देना	नहीं	राजस्थान	जोधपुर	31-03-2025 से 30-09-2025	23.30			नहीं	अर्पण सेवा संस्थान (सीएसआर पंजीकरण संख्या - CSR00000826)
		कुल					**96.89**	**12.43**	**59.46**		

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के संबंध में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना हेतु व्ययित राशि	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष	कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय पर व्यय राशि - रु 0.62 लाख

(ड़) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो - शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (ख+ग+घ+ङ) - रु 13.05 लाख

(छ) निपटान के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	कुल
1	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	72.51
2	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	13.05
3	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	-
4	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
5	अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में निपटान के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	-

(ज) गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि	
1	वित्तीय वर्ष 2021-2022	39.03	35.04	-	-	-	4.26
2	वित्तीय वर्ष 2022-2023	203.97	173.03	-	-	-	30.94
3	वित्तीय वर्ष 2023-2024	24.34	18.55	-	-	-	5.79

(झ) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से निर्मित अथवा या अर्जित परिसम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करें। शून्य

1. पूंजीगत संपत्ति (सम्पत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि। शून्य
2. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि। शून्य
3. उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि शून्य
4. निर्मित या अर्जित की गई पूंजीगत परिसंपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें। शून्य

(ञ) कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

2024-2025 के दौरान, कंपनी ने धारा 135 (5) के अनुसार शुद्ध औसत लाभ के 2% का उपयोग सीएसआर कार्यों के लिए किया है। हालाँकि, 2% के लक्ष्य के की तुलना में व्यय 18.62% है। गतिविधियां पूरी न होने के कारण शेष राशि जारी नहीं की जा सकी। तदनुसार, शेष को उपरोक्त मद संख्या 8 (क) कॉलम 2 में दर्शाए गए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-2024

(क) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित और अव्ययित सीएसआर राशि:

(रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि				
	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे नियम के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
48.37	24.34	29-4-2024		-	

(ख) वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की 7वीं अनुसूची में गतिविधियों की सूची में से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि	चालू वित्त वर्ष में व्ययित राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला						
1.	तुगलकाबाद गांव, नई दिल्ली की झुग्गी-बस्तियों की वंचित महिलाओं को स्वास्थ्य (शारीरिक / मानसिक) सेवाएं और पोषण प्रदान करना	मद संख्या 1 स्वास्थ्य एवं पोषण	हां	नई दिल्ली	तुगलकाबाद	1-11-2023 से 31-10-2024	12.83	5.29	7.54	नहीं	शांति सहयोग - (सीएसआर पंजीकरण संख्या - CSR00008695)
2.	ओड़िशा के कंधमाल जिले के जलेश्वरपट्टा,में आदिवासी बालिका छात्रावास, शंकराचार्य संस्कृत कन्याश्रम को सुरक्षा और संरक्षा सुविधाएं प्रदान करना	मद सं. 3 महिलाओं के लिए आवास और छात्रावास की स्थापना	नहीं	ओडिशा	कंधमाल	20-10-2023 से 31-1-2024	23.96	23.96	-	नहीं	समर्पण चैरिटेबल-ट्रस्ट (सीएसआर पंजीकरण संख्या - CSR00012502)
3.	राजस्थान के जोधपुर जिले के सेखला ब्लॉक के गड़ा गांव में पेयजल हेतु ट्यूबवेल की स्थापना	मद सं. 4 पर्यावरणीय स्थिरता	नहीं	राजस्थान	जोधपुर	7-3-2024 से 30-6-2024	16.76	8.39	8.39	नहीं	अर्पण सेवा संस्थान (सीएसआर पंजीकरण संख्या - CSR00000826)
4.	जोधपुर जिले के सेरगढ़ ब्लॉक के गजे सिंह नगर गांव में पेयजल के लिए ट्यूबवेल की स्थापना	मद सं. 4 पर्यावरणीय स्थिरता	नहीं	राजस्थान	जोधपुर	7-3-2024 से 30-6-2024	16.85	8.43	8.43	नहीं	अर्पण सेवा संस्थान (सीएसआर पंजीकरण संख्या - CSR00000826)

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के संबंध में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गयी राशि	निष्पादन की प्रणाली - स्पष्ट (हाँ/नहीं)	निष्पादन की प्रणाली - निष्पादन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय पर व्यय राशि - रु 2.30 लाख

(ड़) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो - शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (ख+ग+घ+ङ) - रु 48.37 लाख

(छ) निपटान के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	कुल
1	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	73.8
2	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	48.37
3	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	-
4	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
5	अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में निपटान के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	-

(ज) गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि	
1	वित्तीय वर्ष 2020-2021	13.00	13.00	-	-	-	-
2	वित्तीय वर्ष 2021-2022	39.03	35.04	-	-	-	4.26
3	वित्तीय वर्ष 2022-2023	203.97	173.03	-	-	-	30.94

(झ) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से निर्मित अथवा या अर्जित परिसम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करें।

1. पूंजीगत संपत्ति (सम्पत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि। शून्य
2. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि। शून्य
3. उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि शून्य
4. निर्मित या अर्जित की गई पूंजीगत परिसंपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें। शून्य

(ञ) कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

2023-2024 के दौरान, कंपनी ने धारा 135 (5) के अनुसार शुद्ध औसत लाभ के 2% का उपयोग सीएसआर कार्यों के लिए किया है। हालाँकि, 2% के लक्ष्य के की तुलना में व्यय 65.53% है। गतिविधियां पूरी न होने के कारण शेष राशि जारी नहीं की जा सकी। तदनुसार, शेष को उपरोक्त मद संख्या 8 (क) कॉलम 2 में दर्शाए गए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है।

41 संबंधित पक्ष प्रकटन (भा.ले.मा. 24)

I. संबंधित पक्षः वित्तीय वर्ष 2024-25

(रु. लाख में)

अन्य संबंधित पक्षों के नाम	देश	संबंध की प्रकृति
वाप्कोस कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन ट्रस्ट)	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	भारत	बहुसंख्यक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

ii. अन्य संबंधित पक्षः - वित्तीय वर्ष 2023-24

(रु. लाख में)

अन्य संबंधित पक्षों के नाम	देश	संबंध की प्रकृति
वाप्कोस कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन ट्रस्ट)	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	भारत	बहुसंख्यक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

ii. **प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**

वित्तीय वर्ष 2024-25

निदेशक / प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

श्री रजनी कांत अग्रवाल

पूर्ण कालिक निदेशक

श्री पंकज कपूर, निदेशक (वित्त)

श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (वाणिज्यिक व मानव संसाधन विकास) 31.08.2024 तक

श्री अमिताभ त्रिपाठी, निदेशक (वाणिज्यिक व मानव संसाधन विकास) 01.02.2025 से लागू

सरकारी नामंकित निदेशक

श्री अभिषेक सिंह (11.02.2025 तक)

श्री आनंद मोहन

श्री पुट्टाराजू सरोजा गंगाधर (06.03.2025 तक)

गैर - कार्यकारी (स्वतंत्र निदेशक)

श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत (11.01.2025 तक)

श्री जसबीर सिंह ठाकुर (14.01.2025 तक)

श्री लखन लाल साहू (01.02.2025 तक)

श्री पार्थ सारथी घोष (22.02.2025 तक)

कंपनी सचिव

श्री शैलेन्द्र विश्वकर्मा

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्रीमती सुषमा पी. वी. (दिनांक 03.03.2026 से)

iii. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के साथ लेन-देन

विवरण	31 मार्च, 2025				31 मार्च, 2024			
	लघु अवधि के कर्मचारी लाभ	रोजगार-बाद लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	शेयर आधारित भुगतान और समापन लाभ	लघु अवधि के कर्मचारी लाभ	रोजगार-बाद लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	शेयर आधारित भुगतान और समापन लाभ
सीएमडी, पूर्ण कालिक निदेशक और कंपनी सचिव								
श्री आर.के. अग्रवाल	43.24	29.60	21.87		44.84	2.06	(5.26)	-
श्री पंकज कपूर	47.02	30.63	24.10		48.58	2.46	(4.70)	-
श्री अमिताभ त्रिपाठी	8.29	32.51	23.45					
श्री अनुपम मिश्रा	-	-	-		45.17	2.63	(3.41)	-
श्री शैलेन्द्र विश्वकर्मा	11.13	0.75	0.99		8.84	1.60	0.41	-
सुश्री कविता परमार	-	-	-		-	-	-	-
कुल	**109.68**	**93.49**	**70.41**	**-**	**147.43**	**8.75**	**(12.96)**	**-**

अभिज्ञात संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के संबंध में डिसक्लोजर केवल उस अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके दौरान ऐसे संबंध मौजूद थे।

अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक को 2,000 / - रुपये प्रति माह (गत वर्ष 2,000 / - रुपये प्रति माह) के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रति माह की ऊपरी सीमा तक की निजी यात्रा के लिए स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति है।

निदेशक (वित्त) और निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन विकास) को 490/- रुपए प्रति माह (गत वर्ष 490/- रुपए प्रति माह) के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रति माह की ऊपरी सीमा तक की निजी यात्रा के लिए स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति है।

iv. सहायक कम्पनी के साथ लेन देन

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
किराया और रखरखाव - अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक, जिसके बाद किराया समझौते को आगे बढ़ाया नहीं गया	19.57	36.56
एनपीसीसी से प्राप्त लाभांश	1385.87	
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान NPCC की ओर से ERP विक्रेता को किया गया भुगतान	150.49	220.95

v. स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक / बैठक शुल्क का विवरण:

(रु. लाख में)

नाम और पदनाम	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
डॉ. प्रीति मदान	-	0.00
श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत	2.15	3.60
श्री लखन लाल साहू	2.00	3.00
श्री पार्थ सारथी घोष	2.00	3.20
श्री जसबीर सिंह ठाकुर	2.15	3.60
कुल	**8.30**	**13.40**

vi. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (देय) के पास बकाया राशि:

(रु. लाख में)

नाम और पदनाम	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
	देय	देय
श्री आर. के. अग्रवाल	6.12	5.05
श्री अमिताभ त्रिपाठी	5.48	
श्री अनुपम मिश्रा		7.18
श्री पंकज कपूर	7.09	5.73
श्री शैलेन्द्र विश्वकर्मा	0.91	0.71
कुल	**19.6**	**18.67**

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों से कोई राशि देय नहीं है।

vii. सहायक कंपनी की बकाया शेष राशि

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
सहायक कंपनी में इक्विटी निवेश (98.89%)	7980.00	7980.00

viii. सरकार से संबाधीत संस्थाओं के साथ लेन-देन

भारत सरकार के पास कंपनी के 100% इक्विटी शेयर हैं, जो भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितों के पास हैं।

कंपनी ने जल शक्ति मंत्रालय और उन संस्थाओं के साथ विभिन्न लेनदेन किए हैं जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नियंत्रित, संयुक्त रूप से नियंत्रित या जिन पर मंत्रालय का व्यापक प्रभाव है, जिनमें बांसागर नियंत्रण बोर्ड, बेतवा नदी बोर्ड, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय भूजल बोर्ड फरीदाबाद, केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, केंद्रीय जल और ऊर्जा अनुसंधान केंद्र पुणे, केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली, फरक्का बैराज परियोजना, फरक्का, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, एनएमसीजी, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम), पोलावरम परियोजना प्राधिकरण, तुंगभद्रा बोर्ड, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड शामिल हैं।

उनके साथ किए गए लेन-देन का विवरण निम्नानुसार है:

सरकार से संबंधित इकाइयों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन-

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
राजस्व	14,507.33	9911.01
खरीद	-	874.03
प्रशिक्षण व्यय	-	-
कुल	**14507.33**	**10785.04**

सरकार से संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण बकाया शेष राशि

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
पूंजीगत अग्रिम	-	0
अन्य अग्रिम	-	14.85
देय राशि	4,214.38	5315.87
प्राप्त अग्रिम	611.41	530.82
प्राप्तियाँ	15,384.55	9057.93
कुल	**20210.34**	**14919.47**

I. संबंधित पक्ष: वित्तीय वर्ष 2023-24

(रु. लाख में)

अन्य संबंधित पक्षों के नाम	देश	संबंध की प्रकृति
वाप्कोस कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन ट्रस्ट)	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	भारत	बहुसंख्यक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

ii. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

वित्तीय वर्ष 2023-2024

निदेशक / प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

श्री आर. के. अग्रवाल

पूर्ण कालिक निदेशक

श्री पंकज कपूर, निदेशक (वित्त)

श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (वाणिज्यिक व मानव संसाधन विकास)

सरकारी नामंकित निदेशक

शश्री अभय ठाकुर (06.06.2022 तक)

श्री मोहम्मद नूर रहमान शेख (29.12.2022 से)

श्री सुबोध यादव (09.08.2022)

श्री आनंद मोहन (10.08.2022 से)

गैर - कार्यकारी (स्वतंत्र निदेशक)

सुश्री प्रीति मदान (21.07.2022 तक)

श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत

श्री जसबीर सिंह ठाकुर

श्री लखन लाल साहू

श्री पार्थ सारथी घोष

कंपनी सचिव

सुश्री कविता परमार (30.03.2023 तक)

iii. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के साथ लेन-देन

विवरण	31 मार्च, 2024				31 मार्च, 2023			
	लघु अवधि के कर्मचारी लाभ	रोजगार-बाद लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	शेयर आधारित भुगतान और समापन लाभ	लघु अवधि के कर्मचारी लाभ	रोजगार-बाद लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	शेयर आधारित भुगतान और समापन लाभ
सीएमडी, पूर्ण कालिक निदेशक और कंपनी सचिव								
श्री आर.के. अग्रवाल	44.84	2.06	(5.26)		47.10	1.03	1.98	-
श्री पंकज कपूर	48.58	2.46	(4.70)		53.01	0.85	2.89	-
श्री अनुपम मिश्रा	45.17	2.63	(3.41)		49.97	1.87	3.04	-
सुश्री कविता परमार	8.84	1.6	0.41		11.89	0.48	0.29	-
कुल	**147.43**	**8.75**	**(12.96)**	**-**	**161.97**	**4.23**	**8.20**	**-**

ज्ञात संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के संबंध में डिसक्लोजर केवल उस अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके दौरान ऐसे संबंध मौजूद थे।

अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक को 2,000 / - रुपये प्रति माह (गत वर्ष 2,000 / - रुपये प्रति माह) के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रति माह की ऊपरी सीमा तक की निजी यात्र के लिए स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति है।

निदेशक (वित्त) और निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन विकास) को 490/- रुपए प्रति माह (गत वर्ष 490/- रुपए प्रति माह) के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रति माह की ऊपरी सीमा तक की निजी यात्र के लिए स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति है।

iv. सहायक कम्पनी के साथ लेन देन

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
किराया और रखरखाव	36.56	36.56

v. स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक / बैठक शुल्क का विवरण इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

नाम और पदनाम	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
डॉ. प्रीति मदान	0.00	0.45
श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत	3.60	3.55
श्री लखन लाल साहू	3.00	3.00
श्री पार्थ सारथी घोष	3.20	3.20
श्री जसबीर सिंह ठाकुर	3.60	3.60
कुल	**13.40**	**13.80**

vi. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (देय) के पास बकाया राशि:

(रु. लाख में)

नाम और पदनाम	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
	देय	देय
श्री आर. के. अग्रवाल	5.05	6.17
श्री अनुपम मिश्रा	7.18	8.43
श्री पंकज कपूर	5.73	7.40
श्री शैलेन्द्र विश्वकर्मा	0.71	
सुश्री कविता परमार	0	2.46
कुल	**18.67**	**24.46**

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की ओर राशि देय नहीं है।

vii. सहायक कंपनी की बकाया शेष राशि

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
सहायक कंपनी में इक्विटी निवेश (98.89%)	7980.00	7980.00

viii. सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेन-देन

भारत सरकार के पास कंपनी के 100% इक्विटी शेयर हैं, जो भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितों के पास हैं।

कंपनी ने जल शक्ति मंत्रालय और उन संस्थाओं के साथ विभिन्न लेनदेन किए हैं जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नियंत्रित, संयुक्त रूप से नियंत्रित या जिन पर मंत्रालय का व्यापक प्रभाव है, उनके साथ किए गए लेन-देन का विवरण निम्नानुसार है:

सरकार से संबंधित इकाइयों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन-

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
राजस्व	9911.01	3886.30
खरीद	874.03	725.14
प्रशिक्षण व्यय	-	-
कुल	**10785.04**	**4611.44**

सरकार से संबंधित पक्षों के पास महत्वपूर्ण शेष

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
पूंजीगत अग्रिम	0	768.95
अन्य अग्रिम	14.85	592.27
देय राशि	5315.87	2859.99
प्राप्त अग्रिम	530.82	-
प्राप्तियाँ	9057.93	4017.58
कुल	**14919.47**	**8238.79**

42. पट्टा

क. तुलन पत्र में मान्य राशि

पट्टों से संबंधित राशि तुलन पत्र में निम्नानुसार है:

संपत्ति उपयोग का अधिकार

(Rs in Lakhs)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
भवन	494.21	583.71
वाहन	22.63	36.16

लीज देयता

31 मार्च 2025 को

(रु. लाख में)

विवरण	वर्तमान	गैर-वर्तमान	कुल
भवन	302.88	294.55	597.43
वाहन	16.04	8.71	24.75
कुल	**318.92**	**303.26**	**622.18**

31 मार्च 2024 को

(रु. लाख में)

विवरण	वर्तमान	गैर-वर्तमान	कुल
भवन	259.83	435.22	695.05
वाहन	13.16	24.75	37.91
कुल	**272.99**	**459.97**	**732.96**

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उपयोग के अधिकार में वृद्धि 173.75 लाख रुपये थी।

ख. लाभ या हानि के विवरण में मान्य राशि:

पट्टों से संबंधित राशि लाभ या हानि का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

संपत्ति उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास प्रभार	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
भवन	258.41	331.56
वाहन	13.53	18.84

(रु. लाख में)

ब्याज व्यय (वित्त लागत में शामिल)	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
ब्याज व्यय	56.3	65.15

2024-2025 में लीज हेतु कुल नकद बहिर्वाह 335.35 रुपये (आरओयू भवन के लिए 319.31 लाख रुपये और आरओयू वाहन के लिए 16.04 लाख रुपये)

ग. कंपनी की लीजिंग गतिविधियाँ और इनका लेखा कैसे रखा जाता है

कंपनी विभिन्न कार्यालयों और वाहनों को लीज पर लेती है। किराये के अनुबंध आमतौर पर 6 महीने से 8 साल की निश्चित अवधि के लिए किए जाते हैं, लेकिन नीचे दिए गए अनुसार विस्तार विकल्प हो सकते हैं:

अनुबंध में लीज और गैर-लीज दोनों घटक शामिल हो सकते हैं। कंपनी अनुबंध में विचाराधीन लीज और गैर-लीज घटकों को उनके सापेक्ष अकेले कीमतों के आधार पर आवंटित करती है। हालांकि, अचल संपत्ति के पट्टों के लिए, जिसके लिए कंपनी एक लीजदार है, उसने अलग-अलग लीज और गैर-लीज घटकों को चुना है और इसके बजाय एकल पट्टा घटक के रूप में इनका खाता है।

लीज की शर्तों पर व्यक्तिगत आधार पर बातचीत की जाती है और इसमें विभिन्न नियमों और शर्तों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। पट्टा करार लीजदार द्वारा रखी गई पट्टा परिसंपत्तियों में सुरक्षा हितों के अलावा कोई भी संविदा नहीं लगाते हैं। उधार ली गई संपत्ति का उपयोग उधार के उद्देश्यों के लिए सुरक्षा के रूप में नहीं किया जा सकता है।

घ. लीज का भुगतान मूलधन और वित्त लागत के बीच किया जाता है। वित्त लागत पट्टा अवधि पर लाभ या हानि के लिए चार्ज की जाती है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के शेष राशि पर ब्याज की निरंतर आवधिक दर का उत्पादन किया जा सके।

उपयोग में आने वाली परिसंपत्तियों को निम्नलिखित लागतों से मापा जाता है:

- पट्टा देनदारी के प्रारंभिक आकलन राशि
- पट्टे की तारीख को अथवा तारीख से पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान को किसी भी प्राप्त पट्टा इंसेंटिव से घटानाक

संपत्ति उपयोग का अधिकार आमतौर पर संपत्ति के उपयोगी कार्यकाल के छोटे और सीधी रेखा के आधार पर लीज की अवधि से अधिक मूल्यह्रास की जाती है। यदि कंपनी उचित रूप से खरीद विकल्प का उपयोग करने के लिए निश्चित है, तो अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी कार्यकाल पर सही उपयोग की संपत्ति का मूल्यह्रास या जाता है।

कार्यालय भवनों के अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के सभी लीज से जुड़े भुगतानों को लाभ या हानि में व्यय के रूप में एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

लीज भुगतान लीज देयता के माप में शामिल नहीं है:

लीज देयता के माप में शामिल नहीं किए गए भुगतान से संबंधित व्यय इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
लघु अवधि के पट्टे	1241.61	1360.41
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान	-	-
परिचालन पट्टे से संबंधित कुल किराया व्यय	**1241.61**	**1360.41**

ङ. विस्तार और समाप्ति विकल्प

विस्तार और समाप्ति विकल्प कंपनी के कई संपत्ति लीज में शामिल हैं। इनका उपयोग कंपनी के संचालन में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए परिचालन लचीलेपन को अधिकतम करने के लिए किया जाता है।

च. यदि कोई विकल्प वास्तव में प्रयोग किया जाता है (या प्रयोग नहीं किया जाता है) या कंपनी को प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है (या प्रयोग नहीं किया जाता है) तो लीज अवधि फिर से निर्धारित किया जाता है। उचित निश्चितता का मूल्यांकन केवल तभी संशोधित किया जाता है जब कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थितियों में

महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, जो इस मूल्यांकन को प्रभावित करता है, और जो लीजदार के नियंत्रण में है।

भारतीय लेखा मानके 116 के पैरा 58 के अनुक्रम में, भारतीय लेखा मानक 107 के पैरा 39 और ख 11 को लागू करने वाली लीज देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण; अन्य वित्तीय देनदारियों के परिपक्वता विश्लेषण से अलग-अलग प्रकटीकरण।

लीज देनदारियों की परिपक्वता

निम्न तालिका में बताई गई राशि में संविदात्मक रियायत रहित नकदी प्रवाह हैं।

31 मार्च, 2025 को

(Rs in Lakhs)

वित्तीय देनदारियों की अनुबंधित परिपक्वता	6 महीने से कम	6-12 महीने	1 और 2 वर्ष के बीच	2 और 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
पट्टा देनदारियाँ	83.58	76.70	88.91	90.31	-	339.50

31 मार्च, 2024 को

(Rs in Lakhs)

वित्तीय देनदारियों की अनुबंधित परिपक्वता	6 महीने से कम	6-12 महीने	1 और 2 वर्ष के बीच	2 और 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
पट्टा देनदारियाँ	179.02	150.32	225.76	277.09	-	832.19

नीचे निर्धारित राशि अवधि के दौरान पट्टा देनदारियों और चालन के वहन हेतु राशि है

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025
01 अप्रैल 2024 को	**732.96**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	173.76
संपत्ति का बट्टे खाते में डालना	5.49
लीज देनदारियों की वित्तीय लागत	56.30
भुगतान	335.35
31 मार्च 2025 को	**622.18**
वर्तमान	**318.92**
गैर-वर्तमान	**303.26**

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024
01 अप्रैल 2023 को	**858.87**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	348.50
संपत्ति का बट्टे खाते में डालना	(84.35)
लीज देनदारियों की वित्तीय लागत	65.15
भुगतान	(455.21)
31 मार्च 2024 को	**732.96**
वर्तमान	272.99
गैर-वर्तमान	459.97

43. पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य हैं:

- एक बढ़ती हुई इकाई के रूप में आगे बढ़ने की कंपनी की क्षमता सुनिश्चित करना, और
- शेयरधारकों को पर्याप्त प्रतिफल प्रदान करना

कंपनी अंतर्निहित संपत्तियों की आर्थिक स्थितियों और जोखिम विशिष्टताओं में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और इसमें समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने और इसे समायोजित करने के लिए कंपनी शेयरधारकों को भुगतान किए जाने वाले लाभांश, शेयरधारकों को पूंजी वापस लौटाने अथवा नए शेयर जारी करने की राशि को समायोजित कर सकती है।

कंपनी द्वारा पूंजी के रूप में प्रबंधित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
इक्विटी शेयर पूंजी	13000.00	13000.00
अन्य इक्विटी	33736.69	32991.31
कंपनी की पूर्ण इक्विटी	46736.69	45991.31
ऋण	24299.48	22772.61
इक्विटी अनुपात के लिए शुद्ध ऋण	0.52	0.50

44.

प्रबंधन की यह राय है कि भारतीय लेखांकन मानक - 36 (संपत्तियों की हानि) के संदर्भ में नकद सृजन करने वाली संपत्ति को कोई हानि नहीं हुई है।

45. लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां (भारतीय लेखा मानक 8):

i. पूर्व अवधि लेन-देन निम्नानुसार हैं:

(रु. लाख में)

व्यय/ आय की प्रकृति	वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित	1 अप्रैल 2023 से पूर्व
व्यय :		
सामान्य स्टेशनरी	0.43	1.06
परामर्शी परियोजनाओं हेतु प्राप्त सेवाएं	67.31	
बीमा अन्य बीआईआर डब्ल्यूएल	2.30	
सदस्यता शुल्क	0.09	
विविध व्यय	2.29	
डाक टेलीफोन और टेलीग्राफ	0.01	0.09
मरम्मत और रखरखाव – कार्यालय परिसर	0.41	
यात्रा व्यय - भारत	0.00	3.00
ऊर्जा एवं ईंधन	0.00	
कंप्यूटर	8.26	
वाहन किराए पर लेना	0.30	
विज्ञापन और प्रचार	8.30	2.00
कुल व्यय (वृद्धि /कमी)	**89.68**	**6.15**
व्यय/आय की प्रकृति	**वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित**	**1 अप्रैल 2022 से पूर्व**
आय :		
परिचालन से राजस्व - परामर्शी परियोजनाएं	(0.84)	(537.53)
परिचालन से राजस्व - निर्माण परियोजनाएं		-
अन्य गैर- परिचालन आय	-	
कुल आय (वृद्धि/(कमी)	**(0.84)**	**(537.53)**

ii. तुलन पत्र की मदों पर प्रभाव इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

वर्ष की पूर्व अवधि	प्रमुख समूहन	टिप्पणी	2022-23 पर प्रभाव	01-04-2023 से पूर्व	कुल
देयताएं					
व्यापार देयताएं	व्यापार देय - वर्तमान	14B	89.68	6.15	95.83
देयताओं में कुल परिवर्तन			89.68	6.15	95.83
परिसम्पत्तियां					
व्यापार प्राप्तियां - अनारक्षित उचित माने	व्यापार प्राप्तियां	7	0.84	(538.17)	(537.33)
प्रीपेड प्यय		11		0.20	0.20
					-
परिसम्पत्तियों में कुल परिवर्तन			**0.84**	**(537.97)**	**(537.13)**

iii. लाभ और हानि मदों के विवरण पर प्रभाव निम्नानुसार है :

(रु. लाख में)

वर्ष की पूर्व अवधि	टिप्पणी	31 मार्च 2024 के अनुसार 2023-24 पर प्रभाव
व्यय		
वेतन, पारिश्रमिक और अन्य	24	0.43
परामर्शी परियोजनाओं हेतु प्राप्त सेवाएं	25	67.31
Insurance Others BIRR WL	26	2.30
निर्माण परियोजनाओं हेतु प्राप्त सेवाएं	27	0.09
विविध व्यय	28	2.29
डाक, टेलिफोन और टेलिग्राम	28	0.01
मरम्मत एवं रखरखाव - अन्य	28	0.41
यात्रा व्यय - भारत	28	-
Power And Fuel	28	-
Computer	28	8.26
वाहन किराए पर लेना	28	0.30
विज्ञापन और प्रचार	28	8.30
कुल व्यय		**89.68**
आय :		
परिचालन से राजस्व - परामर्शी परियोजनाएं		0.84
परिचालन से राजस्व - निर्माण परियोजनाएं		
कुल आय (वृद्धि/(कमी)		**0.84**
कर पश्चात लाभ पर निवल प्रभाव		**88.84**

46. **टिप्पणी सं- 2ख** के अनुसार अमूर्त संपत्ति के रूप में प्रकट किए गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रत्यक्ष रेखा आधार पर उनकी लाइसेंस अवधि में जैसा लागू हो, तीन वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किए जाते हैं। परिशोधित राशि निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
लाभ एवं हानि विवरण में मान्य परिशोधन	242.18	173.41

प्रबंधन की राय है कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रलय ('एमसीए') द्वारा यथा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक-36 "संपत्ति की हानि" के संदर्भ में अमूर्त आस्तियों (अर्थात सॉफ्टवेयर) की कोई हानि नहीं हुई है।

47. परिचालन खंड संबंधी प्रकटीकरण (भारतीय लेखा मानक-108) इस प्रकार हैं:

प्रचालन खंडों को कंपनी के उन घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके लिए अलग से वित्तीय सूचना उपलब्ध होती है जिसका यह निर्णय करने में, कि संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए और निष्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाए, प्रमुख प्रचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है। कंपनी के सीओडीएम (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक)

I. कंपनी ने किए जा रहे प्रचालनों के आधार पर दो प्रचालनात्मक रिपोर्ट योग्य खंडों की पहचान कि है जो निम्नानुसार हैं:-

क. परामर्श सेवाएँ

ख. निर्माण संविदाएँ

ii. भौगोलिक स्थिति के अनुसार राजस्व खंड का प्रकटन निम्नानुसार किया गया है:-

क. भारत में परामर्श से राजस्व में गुणवत्ता आश्वासन तथा परियोजना प्रबंधन सेवाएँ, टर्नकी निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं।

ख. भारत के बाहर से राजस्व में परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं के लिए दी गई सेवाएँ, टर्नकी निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं।

iii. वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का लगातार व्यक्तिगत खंड में राजस्व तथा व्यय रिकॉर्ड करने में अनुप्रयोग किया जाता है जैसा कि उल्लेखनीय लेखांकन नीतियों संबंधी नोट में दर्शाया गया है।

iv. प्रत्यक्ष रूप से खंडों के कारण होने वाले राजस्व और व्यय प्रत्येक रिपोर्ट किए जा सकने वाले खंड में रिपोर्ट किए जाते हैं। अन्य सभी व्यय जो खंडों के कारण नहीं हैं अथवा उन्हें आवंटित नहीं किए जा सकते उन्हें गैर-आवंटन योग्य व्यय के रूप में प्रकट किया गया है।

v. कंपनी के व्यवसाय में प्रयुक्त संपत्तियों और देयताओं को किसी रिपोर्ट किए जा सकने वाले खंड में चिह्नित नहीं किया जाता क्योंकि इन्हें खंडों के बीच परस्पर बदल कर प्रयोग किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और अमूर्त संपत्तियों पर मूल्यह्रास, परिशोधन तथा नुकसान को किसी विशिष्ट खंड को आवंटित नहीं किया जा सकता। कंपनी का मानना है कि वर्तमान में कुल संपत्तियों, कुल देयताओं तथा मूल्यह्रास, परिशोधन और नुकसान से संबंधित खंडीय प्रकटन उपलब्ध कराना व्यवहार्य नहीं है चूंकि उपलब्ध आंकड़ों को अर्थपूर्ण तरीके से अलग-अलग करना दुर्भर हो सकता है।

vi. **प्रचालनात्मक खंड-**

(प्रबंधन द्वारा प्रमाणित बहीखातों से जानकारी ली गयी है।)

31 मार्च 2025 को

(रु. लाख में)

वर्ष की पूर्व अवधि	परामर्शी सेवाएं		निर्माण परियोजनाएं		कुल
	घरेलू	विदेश	घरेलू	विदेश	
राजस्व	46475.69	19907.21	94821.49	0.00	161204.39
अभिज्ञेय परिचालन व्यय	29880.46	11778.77	97167.78	0.00	138827.01
संचालन से सेगमेंट लाभ / (हानि)	16595.23	8128.44	-2346.29	0.00	22377.38
जोड़ : ब्याज आय					2721.08
जोड़ : अन्य आय					(13.11)
कमी : असाधारण मद सहित गैर आवंटन व्यय					22174.60
कर पूर्व निवल लाभ					2910.75
कमी : आय कर (स्थगित कर सहित)					1332.87
कर पश्चात निवल लाभ					**1577.88**
अतिरिक्त सूचना					
अवमूल्यन और परिशोधन					876.26
अवमूल्यन और परिशोधन के अतिरिक्त गैर-नकद व्यय/(आय)					
प्रावधानों का व्युत्क्रमण					599.56
पीपीई के विक्रय पर लाभ					
पीपीई के विक्रय पर हानि					

31 मार्च 2024 को

(रु. लाख में)

वर्ष की पूर्व अवधि	परामर्शी सेवाएं		निर्माण परियोजनाएं		कुल
	घरेलू	विदेश	घरेलू	विदेश	
राजस्व	47860.34	19714.19	85476.08	-	153050.61
अभिज्ञेय परिचालन व्यय	35830.44	12841.59	84955.97	229.25	133857.25
संचालन से सेगमेंट लाभ / (हानि)	12029.90	6872.60	520.11	(229.25)	19193.36
जोड़ : ब्याज आय					1795.33
जोड़ : अन्य आय					2096.81
कमी : असाधारण मद सहित गैर आवंटन व्यय					15197.77
कर पूर्व निवल लाभ					7887.73
कमी : आय कर					1958
कर पश्चात निवल लाभ					5929.73
अतिरिक्त सूचना					
अवमूल्यन और परिशोधन					908.34
अवमूल्यन और परिशोधन के अतिरिक्त गैर-नकद व्यय/(आय)					-
प्रावधानों का व्युत्क्रमण					3
पीपीई के विक्रय पर लाभ					-
पीपीई के विक्रय पर हानि					0.32

vii. प्रमुख ग्राहकों से राजस्व रू. 31989.05 लाख है (पिछले वर्ष रू. 14101.63 लाख) विवरण निम्नानुसार है :

(रु. लाख में)

वर्ष की पूर्व अवधि	31 मार्च 2025			31 मार्च 2024		
	परामर्शी सेवाएं	टर्नकी / इंजीनियरिंग परियोजनाएँ	कुल	परामर्शी सेवाएं	टर्नकी / इंजीनियरिंग परियोजनाएँ	कुल
ग्राहक -1	2893.56	16405.26	19298.82	1837.88	7004.13	8842.01
ग्राहक-2	2488.38	10201.85	12690.23	1767.71	3491.91	5259.62
कुल	**5381.94**	**26607.11**	**31989.05**	**3605.59**	**10496.04**	**14101.63**

48. वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ

प्रत्येक श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की वहनीय राशि इस प्रकार हैं:-

श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025					31 मार्च 2024		
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य
वित्तीय पूंजी:								
प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा (गैर चालू) सहित अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		4885.33		4885.33	-	4177.07	0.00	4177.07
निवेश - गैर वर्तमान*			54.00	54.00	-	0.00	49.06	49.06
व्यापार लेनदारियाँ			166968.04	166968.04	-	150970.17	0.00	151505.39
नकद और नकदी समतुल्य			40696.13	40696.13	-	26792.01	0.00	26792.01
अन्य बैंक शेष			34094.59	34094.59	-	32819.95	0.00	32819.95
प्रतिभूति जमा (चालू) सहित अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां			3330.72	3330.72	-	2807.09	0.00	2807.09
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**4885.33**	**245143.48**	**250028.81**	**0**	**217566.29**	**49.06**	**218150.57**

* सहायक कंपनी में निवेश रू. 7980 लाख (पिछले वर्ष रू. 7980 लाख) की गणना लागत पर की गई है।

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025				31 मार्च 2024			
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य
वित्तीय देनदारियाँ:								
व्यापार देय (चालू एवं गैर चालू)	-	146301.04		146301.04	0.00	128612.68	0.00	128612.68
अन्य वित्तीय देयताएं (चालू एवं गैर चालू)	-	17841.00		17841.00	0.00	20312.12	0.00	20312.12
कुल वित्तीय देनदारियाँ	**-**	**164142.04**	**0.00**	**164142.04**	**0.00**	**148924.80**	**0.00**	**148924.80**

व्यापार लेनदारियों, व्यापार देनदारियों और नकद तथा नकदी समतुल्य की वहनीय राशि को उनके उचित मूल्यों के समान समझा जाता है।

अमूर्त लागत पर तैयार की गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की वहनीय राशि को उचित मूल्य का एक युक्तिसंगत अनुमान समझा जाता है।

i. उचित मूल्य वर्गीकरण

तुलन पत्र में उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य वर्गीकरण के तीन स्तरों में बांटा गया है। मापन के महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन के आधार पर तीन स्तरों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

स्तर - 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धत कीमतें (असमायोजित)।

स्तर - 2: सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन को तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जिसमें अधिकाशं अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग होता हैं, इकाई विशिष्ट अनुमानों पर जितना संभव हो उतनी कम निर्भरता होती है।

स्तर - 3: यदि एक या उससे अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं, तो साधन को स्तर 3 में शामिल किया जाता है

निम्नलिखित तालिकाएँ 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के पदानुक्रम के भीतरी स्तर को दर्शाती हैं:

ii. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां - आवर्ती उचित मूल्य माप

(रु. लाख में)

विवरण	अवधि	टिप्पणी सन्दर्भ	स्तर-1	स्तर-2	स्तर-3	कुल
एफवीटीओसीआई में वित्तीय साधन				-	-	- -
गैर-वर्तमान निवेश - इक्विटी शेयर	31 मार्च 2025		-	-	4.94	4.94
	31 मार्च 2024		-	-	5.04	5.04

iii. उचित मूल्य के निर्धारित हेतु प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निवेशित पक्ष से प्राप्त लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर गैर-उद्धत इक्विटी शेयरों के शुद्ध संपत्ति मूल्य का उपयोग शामिल है।

49. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी के क्रियाकलाप इसे क्रेडिट जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम में डालते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल की कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए समग्र जिम्मेदारी होती है। यह टिप्पणी जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट करती है जिनका सामना इकाई को करना होता है और यह स्पष्ट करती है कि इकाई कैसे जोखिम और वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रभावों का प्रबंधन करती है।

i. क्रेडिट जोखिम

कंपनी अपने प्रचालन क्रियाकलापों (प्रमुख रूप से व्यापार प्राप्तियाँ) से और बैंकों, म्यूचुअल फंड तथा वित्तीय संस्थाओं और अन्य वित्तीय साधनों में जमाओं सहित अपने वित्तीय क्रियाकलापों से क्रेडिट जोखिम में आती है।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय संपत्तियों की विशिष्ट श्रेणी के अनुसार मान्यताओं, सूचनाओं और घटकों के अनुसार निर्धारित निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर वित्तीय संपत्तियों के क्रेडिट जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है।

क: वित्तीय रिपोर्टिंग तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम

ख: मध्यम क्रेडिट जोखिम

ग: उच्च क्रेडिट जोखिम

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि का प्रावधान करती है:

(रु. लाख में)

परिसंपत्ति समूह	वर्गीकरण का आधार	व्यय क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान
क: कम क्रेडिट जोखिम	नकद और नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और गैर-चालू निवेश।	12 माह के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि
ख: मध्यम क्रेडिट जोखिम	व्यापार लेनदारी और प्रतिधारण धन	आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि
ग: उच्च क्रेडिट जोखिम	व्यापार लेनदारी और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि अथवा के लिए पूर्णकालिक प्रावधान

Iव्यापार प्राप्य के संबंध में, कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान को मान्यता दी है। अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को संरचित, जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके निर्धारित किया गया है जैसा कि पिछले वित्तीय वर्ष में किया गया था

कारोबारी माहौल के आधार पर, जिसमें कंपनी काम करती है, वित्तीय संपत्ति पर एक चूक तब मानी जाती है जब प्रतिपक्ष अनुबंध के अनुसार सहमत समय अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है या मामला-दर-मामला आधार पर तथ्यात्मक परिस्थितियों के आधार पर बाद में निर्णय लिया जाता है। चूक को दर्शाने वाली हानि दरें वास्तविक क्रेडिट हानि अनुभव और वर्तमान और ऐतिहासिक आर्थिक स्थितियों के बीच के अंतरों पर आधारित हैं।

जब वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं होती है, जैसे दिवालिया होने की घोषणा करने वाला देनदार या कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाजी का फैसला तब संपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। कंपनी उन पार्टियों के साथ काम करना जारी रखती है जिनकी शेष राशि बट्टे खाते में डाल दी जाती है और चुकौती को लागू करने का प्रयास करती है। लाभ और हानि के विवरण में की गई वसूली को मान्यता दी जाती है।

(रु. लाख में)

परिसंपत्ति समूह	विवरण	31 मार्च 2025		31 मार्च 2024	
क: कम क्रेडिट जोखिम	नकद और नकदी के समान, अन्य बैंक शेष, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और गैर-चालू निवेश।	83,006.78	-	66,596.11	-
ख: मध्यम क्रेडिट जोखिम	व्यापार लेनदारी और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	124,518.91	-	109,389.07	-
ग: उच्च क्रेडिट जोखिम	व्यापार लेनदारी और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	97,117.63	-	90,831.57	-

व्यापार प्राप्तियों का संकेन्द्रण

कंपनी को व्यापार प्राप्तियों के लिए क्रेडिट जोखिम प्रमुख रूप से केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों से होता है।

क्रेडिट जोखिम

अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान

कंपनी निम्नलिखित वित्तीय संपत्तियों के लिए 12 माह और आजीवन अनुमानित क्रेडिट हानि आधार पर अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान करती है-

क: कम ऋण जोखिम

31 मार्च 2025

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	वहनीय राशि		हानि	हानि प्रावधान की वहनीय शुद्ध राशि
नकद और नकदी समतुल्य	8		40696.13	-	40,696.13
अन्य बैंक शेष	9		34094.59	-	34,094.59
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4क और 4ख		8216.05	2,572.49	5,643.56
गैर-वर्तमान निवेश	3		54	-	54.00

31 मार्च 2024

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	वहनीय राशि		हानि	हानि प्रावधान की वहनीय शुद्ध राशि
नकद और नकदी समतुल्य	8		26792.01	-	26,792.01
अन्य बैंक शेष	9		32819.95	-	32,819.95
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4क और 4ख		6984.15	2,860.13	4,124.02
गैर-वर्तमान निवेश	3		49.06	-	49.06

ख: मध्यम क्रेडिट जोखिम (जिसमें 1-3 वर्ष तक की व्यापार लेनदारियाँ और प्रतिधारण राशि शामिल हैं)

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार लेनदारियों और प्रतिधारण राशि के लिए प्रत्याशित क्रेडिट घाटा

31 मार्च 2025

(रु. लाख में)

अवधि	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच	2 वर्ष से 3 वर्ष के बीच	कुल
	7	3 माह से 1 वर्ष	1 - 2 years	2 - 3 years	Total
सकल वहनीय राशि (अच्छा माना जाता है)	7	71,729.54	33,690.76	19,098.61	124,518.91
प्रत्याशित क्रेडिट हानि पर हानि भत्ता प्रावधान	7	2,160.93	2,753.89	3,532.11	8,446.93
व्यापार लेनदारियों की वहनीय राशि (निवल हानि)	7	69,568.61	30,936.87	15,566.50	116,071.98

31 मार्च 2024

(रु. लाख में)

अवधि	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच	2 वर्ष से 3 वर्ष के बीच	कुल
सकल वहनीय राशि (अच्छा माना जाता है)	7	68,252.38	24,693.08	16,443.61	109,389.08
प्रत्याशित क्रेडिट हानि पर हानि भत्ता प्रावधान	7	888.93	2,095.21	3,334.21	6,318.35
व्यापार लेनदारियों की वहनीय राशि (निवल हानि)	7	67,363.45	22,597.87	13,109.40	103,070.72

ग: उच्च ऋण जोखिम

31 मार्च 2025

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	अवधि	सकल राशि	हानि	हानि प्रावधान की वहनीय निवल राशि
व्यापार लेनदारी और प्रतिधारण धनराशि	7	3 वर्ष से अधिक	97117.62	-46221.56	50896.06

31 मार्च 2024

विवरण	नोट संदर्भ	अवधि	सकल राशि	हानि	हानि प्रावधान की वहनीय निवल राशि
व्यापार लेनदारी और प्रतिधारण धनराशि	7	3 वर्ष से अधिक	90831.57	-42933.80	47897.78

हानि प्रावधान का समायोजन-व्यापार प्राप्तियां और प्रतिधारण राशि

(रु. लाख में)

हानि भत्ते का समायोजन	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
आरंभिक हानि भत्ता	46893.74	42767.40
हानि घाटे की पहचान	8661.80	6484.75
प्रत्यावर्तन / वसूली		0.00
समापन हानि भत्ता	55555.54	49252.15

ii. चलनिधि जोखिम

कंपनी की चलनिधि के प्रमुख स्रोत नकद और नकद समकक्ष हैं जो प्रचालनों से नकद प्रवाह से सृजित किए जाते हैं। कंपनी पर कोई बकाया बैंक उधार नहीं हैं। कंपनी का मानना है कि प्रचालनों से नकद प्रवाह इसकी वर्तमान चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिकाओं में संविदात्मक परिपक्वताओं के आधार पर संगत परिपक्वता समूहों में वित्तीय देयताओं का विश्लेषण किया गया है। तालिका में प्रकट की गई राशि संविदात्मक गैर-छूट प्राप्त नकद प्रवाह हैं। 12 माह के अंदर देय शेष राशि उनके मूल शेष के समान है चूंकि रियायत देने का प्रभाव बहुत कम है।

31 मार्च 2025

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 वर्ष एक अधिक	कुल
व्यापार देनदारी	14 & 14B	73717.93	72583.10	146301.03
प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण राशि	19 & 19B	1748.30	147.88	1896.18
कुल		**75466.23**	**72583.10**	**148197.21**

31 मार्च 2024

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 वर्ष एक अधिक	कुल
व्यापार देनदारी	14	50509.76	76682.92	127192.68
प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण राशि	14 & 14B	1856.65	98.19	1954.84
कुल		**52366.41**	**76781.11**	**129147.52**

iii. बाजार जोखिम

कंपनी का मूल्य वृद्धि से होने वाला जोखिम अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर रखे गए और तुलन पत्र में वर्गीकृत निवेशों के कारण है।

कंपनी का इक्विटी प्रतिभूति से संबंधित जोखिम कंपनी द्वारा रखे गए और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर बैलेंस शीट में वर्गीकृत निवेशों के कारण है।

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
निवेश- गैर उद्धृत निवेश	3	54	49.06

iv. विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन होते हैं और इसे विदेशी मुद्रा में लेन-देन से विदेशी मुद्रा जोखिम भी होता है। विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के व्यावसायिक लेन-देन और एक ऐसी मुद्रा, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा नहीं है, में अंकित मान्य संपत्तियों और देयताओं से होता है।

विदेशी मुद्रा में आय

(रु. लाख में)

लेन - देन का विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
निर्माण	-	-
परामर्शी	16,228.50	16,024.43
अन्य आय (एफडीआर में ब्याज शामिल)	1,000.67	319.10
कुल	**17229.17**	**16343.53**

विदेशी मुद्राओं में व्यय

(रु. लाख में)

लेन - देन का विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
प्राप्त सेवा शुल्क	2,723.35	1,084.60
कर्मचारी लाभ व्यय	2,283.35	2,701.10
परिवहन	244.53	203.62
अन्य	2,080.68	2,057.33
कुल	**7331.91**	**6046.65**

विदेशी मुद्रा रिस्क जोखिम

(मुद्रा लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025										
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	वाई आर	ओआर	एमजैडएम	एसइके	बीडीटी
वित्तीय परिसंपत्तियां											
व्यापार प्राप्तियां	212.86	8.96	127.89	45937.73	4.78	146.10	0.00	0.00	0.00	7.42	120.31
नकद और नकद समतुल्य	27.26	4.998	16.15	24.13	-	25.46	0.0021	0.085	0.00	0.00	5.18
अन्य बैंक शेष	250.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	0.33	-	-	101.64	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**490.91**	**13.96**	**144.04**	**46063.50**	**4.78**	**171.56**	**0.00**	**0.09**	**0.00**	**7.42**	**125.49**

विवरण	31 मार्च 2025										
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	वाई आर	ओआर	एमजैडएम	एसइके	बीडीटी
वित्तीय देयताएं											
व्यापार देनदारियां	203.70	0.97	0.75	8244.97	-	145.94	-	-	-	-	52.00
कर्मचारियों को देय	2.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारण राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**206.64**	**0.97**	**0.75**	**8244.97**	**0.00**	**145.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52.00**

विवरण	31 मार्च 2024										
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	वाई आर	ओआर	एमजैडएम	एसइके	बीडीटी
वित्तीय परिसंपत्तियां											
व्यापार प्राप्तियां	214.16	4.81	46.65	35603.27	4.78	146.10	0.00	0.00	0.00	40.89	120.31
नकद और नकद समतुल्य	17.02	2.64	52.67	634.19	-	25.46	0.09	0.002	0.00	-	10.78
अन्य बैंक शेष	252.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रतिभूति जमा	0.36	-	-	101.64	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**483.59**	**7.45**	**99.32**	**36339.10**	**4.78**	**171.56**	**0.09**	**0.00**	**0.00**	**40.89**	**131.09**

विवरण	31 मार्च 2024										
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	वाई आर	ओआर	एमजैडएम	एसइके	बीडीटी
वित्तीय देयताएं											
व्यापार देनदारियां	17.60	0.14	0.75	2945.03	0.00	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	95.37
कर्मचारियों को देय	3.38	0	0	0.00	-	0	0	0	0	-	0
प्रतिधारण राशि	154.54	-	0.5689775	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**175.52**	**0.14**	**1.32**	**2945.03**	**0.00**	**145.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**95.37**

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विनिमय दर में 5% प्रतिशत परिवर्तन का संवेदनशीलता विश्लेषण

(मुद्रा लाख में)

विवरण	विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता								
	31 मार्च 2025								
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	ओआर	एसइके	बीडीटी
भारतीय मुद्रा में 5 प्रतिशत मूल्यह्रास									
लाभ और हानि खाते पर प्रभाव - आय/(व्यय)	1,216.39	60.00	4.66	44.06	1.95	0.37	0.95	3.16	2.58
भारतीय मुद्रा में 5 प्रतिशत में अभिमूल्यन									
लाभ और हानि खाते पर प्रभाव - आय/(व्यय)	(1,216.39)	(60.00)	(4.66)	(44.06)	(1.95)	(0.37)	(0.95)	(3.16)	(2.58)

विवरण	विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता								
	31 मार्च 2024								
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	ओआर	एसइके	बीडीटी
भारतीय मुद्रा में 5 प्रतिशत मूल्यह्रास									
लाभ और हानि खाते पर प्रभाव - आय/(व्यय)	1,284.21	32.97	7.19	35.73	1.83	0.36	0.02	26.49	1.01
भारतीय मुद्रा में 5 प्रतिशत में अभिमूल्यन									
लाभ और हानि खाते पर प्रभाव - आय/(व्यय)	(1,284.21)	(32.97)	(7.19)	(35.73)	(1.83)	(0.36)	(0.02)	(26.49)	(1.01)

v. ब्याज दर जोखिम

कंपनी में ब्याज दर जोखिम का अनावरण भी किया गया है, ब्याज दर ममें परिवर्तन भविष्य के नकदी प्रवाह या इसके वित्तीय साधन मुख्य रूप से ऋण के उचित मूल्य को प्रभावित करेगा।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के ऋणों का प्रकटीकरण निम्न प्रकार से है:

(रु. लाख में)

ब्याज दर जोखिम	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
उधार		
गैर वर्तमान - फ्रलोटिंग (वर्तमान परिपक्वताओं सहित)	20799.50	22,772.64
वर्तमान	3,499.98	(0.02)
कुल	**24299.48**	**22772.62**

समीक्षाधीन अवधि के अंत में ब्याज दर में 1 प्रतिशत परिवर्तन की गैर-वर्तमान उधारियों के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण

(रु. लाख में)

विवरण	ब्याज दर संवेदनशीलता			
	31 मार्च 2025		31 मार्च 2024	
	ब्याज दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि	ब्याज दर में 1 प्रतिशत की कमी	ब्याज दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि	ब्याज दर में 1 प्रतिशत की कमी
लाभ और हानि खाते पर प्रभाव - आय/(व्यय)	556.85	(556.85)	814.28	(814.28)

50. विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन और लेनदेन पर शुद्ध (लाभ/हानि)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
विनिमय भिन्नता आय	1108.92	613.01
विनिमय भिन्नता व्यय	1282.24	382.12
शुद्ध प्रभाव - लाभ/(हानि)*	(173.32)	230.89

*विचाराधीन उस प्रभावी चालू वित्तीय वर्ष में, समायोज्य व्यापार अग्रिम प्राप्त या भुगतान होने पर भी गैर-मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय उतार-चढ़ाव की गणना नहीं की जाती है।

51. आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसंपत्तियाँ और प्रतिबद्धताएं (उस सीमा तक जिसका प्रावधान नही किया गया) (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)

(रु. लाख में)

विवरण			31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
i. आकस्मिक देयताएं - मूल कंपनी				
1. कंपनी के खिलाफ दावा जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया।			30270.37	29536.97
	2025	2024		
कार्मिक द्वारा	44.36	35.31		
अन्यों द्वारा	30226.01	29501.66		
(उपर्युक्त दावों के विरुद्ध कंपनी द्वारा प्रति दावों की राशि 31 मार्च 2025 रु. 3025.28 (गत वर्ष को रु. 3025.28 है, जिसका हिसाब लेखाबही में नहीं है)				
2. सेवा कर विभाग द्वारा मांग सह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया (सेवा कर विभाग द्वारा वर्ष 2014 में उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। समूह ने उक्त कारण बताओ नोटिस का प्रतिवाद किया और विभाग को इसके जवाब प्रस्तुत किए थे। विभाग द्वारा कई बार सुनवाई की गई है और प्रारंभिक कारण बताओ नोटिस के बाद कोई और डिमांड नोटिस जारी नहीं किया गया है।)				16667.99	16667.99
3. **अन्य - परिसमापन नुकसान** कंपनी बड़ी संख्या में ऐसी परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है जिनमें लेबी निर्माणपूर्व अवधि का समय है और विभिन्न सरकारी एजेंसियों से मंजूरी अनुमोदन की आवश्यकता है, जो समय लगने वाली प्रक्रिया है। नोट में दर्शायी गयी राशि परिसमापन क्षति की संभावित राशि से संबंधित है, जो परियोजना के समय पर पूरी न होने पर कंपनी पर लगाया जा सकता है।			7657.759 -	7384.47 -
4. व्यवसाय कार्य - निष्पादन प्रक्रिया के भाग के रूप में कंपनी ग्राहक द्वारा संबधित भुगतान जारी किए जाने के पश्चात एमएसई विक्रेताओं, जिनके साथ कंपनी ने सामान और सेवाओं (जो एमएसई विक्रेताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं) की स्वीकृति के पश्चात भुगतान हेतु करार किया है, सामान और सेवाओं का क्रय रही है। इस प्रकार, कंपनी एमएसई विक्रेताओं के संबंध में अपने खातों में किसी प्रकार का ब्याज उपलब्ध नहीं करा रही है।					
ii. आकस्मिक परिसंपत्तियाँ				
iii. प्रतिबद्धताएँ - अमूर्त संपत्तियाँ			**873.63**	**1216.7**
1. प्रदर्शन के लिए बैंक गारंटी, बयाना जमा और सुरक्षा जमा			36652.00	38427.52
2. पूँजीगत खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानिक राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (संदर्भ टिप्पणी सं-2)			0.00	0.00
कुल			**92121.75**	**93233.65**

आकस्मिक देयता के लिए संचालन चार्ट

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
प्रारंभिक जमा	**93233.15**	**77637.19**
अतिरिक्त: वर्ष के दौरान	23114.90	32486.51
कम: वर्ष के दौरान समायोजित/स्थिर	(24226.30)	(16890.55)
जमा शेष	**92121.75**	**93233.15**

उपरोक्त दावों के विरुद्ध कंपनी ने 3025.28 लाख रुपये की प्रतिदावा दायर किया है (पिछले वर्ष 3025.28 लाख रुपये)

52. ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व संबंधी प्रकटीकरण (भारतीय लेखा मानक-115) निम्नानुसार है:

i. राजस्व निर्धारण संबंधी महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय:

अनुबंध राजस्व और संबंधित लेनदारियों की मान्यता प्राप्त राशि प्रबंधन के प्रत्येक अनुबंध के परिणाम और पूरा होने के चरण के सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाती है, जो प्रगति, प्रयासों, लागत के आधार पर लेन-देन की कुल अनुमानित लागत, व्यतीत समय, सेवा निष्पादन या कोई अन्य तरीके, जिसे प्रबंधन उचित मानता है, के आधार पर आंकलित की जाती है। विशेष रूप से अधिक जटिल अनुबंधों के लिए, कार्य पूरा करने की लागत और अनुबंध लाभप्रदता, सटीक अनुमान और अनिश्चितता के अधीन होते हैं।

ii. कंपनी के पास विभिन्न सेवाओं के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंध है जो नीचे दिए गए हैं:

- परामर्शी सेवाएं
- टर्नकी निर्माण परियोजनाएं

iii. कंपनी ने ग्राहकों को वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण स्थानांतरित करने पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर समय के साथ या समय के आधार पर राजस्व को मान्यता दी है। यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है, तो राजस्व को कंपनी द्वारा समय के आधार पर मान्यता दी गई है:

- ग्राहक एक ही साथ प्राप्त करता है और लाभ उठाता है।
- कंपनी का कार्य निष्पादन ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण करता है या बढ़ाता है जिन्हें ग्राहक संपत्ति के निर्माण या संवर्द्धन के रूप में नियंत्रित करता है।
- कंपनी का निष्पादन वैकल्पिक उपयोग के साथ नहीं बनता है और कंपनी को अब तक के निष्पादन के लिए भुगतान के लिए लागू करने योग्य अधिकार है।

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व (भारतीय लेखा मानक 115) यह निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है कि क्या, कितना और कब राजस्व मान्यता प्राप्त है और ग्राहक अनुबंध से उत्पन्न होने वाली प्रकृति, राशि, समय और राजस्व की अनिश्चितता और नकदी प्रवाह के बारे में खुलासे की आवश्यकता है। भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत, राजस्व 5-चरण दृष्टिकोण के माध्यम से मान्यता प्राप्त है:

क) ग्राहक के साथ अनुबंध (अनुबंधों) की पहचान करना,

ख) अनुबंध में अलग-अलग निष्पादन दायित्वों की पहचान करना,

ग) लेन-देन मूल्य निर्धारित करना,

घ) निष्पादन दायित्वों के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करना, तथा

घ) निष्पादन दायित्व से संतुष्ट होने पर राजस्व की पहचान करना।

अनुबंध परिसम्पति - अनबिल राजस्व

अनुबंध में उल्लिखित कार्य पूरा होने के आधार पर ग्राहकों को बिल जारी किए जाते हैं। कुछ मामलों में, हालांकि उल्लिखित कार्य समय के अलावा अन्य कारकों के कारण बिलिंग नहीं हो पाती है। बिलिंग से अधिक राजस्व राजस्व नहीं है और अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पहले से अनुबंधित परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त कोई भी राशि, जब और जब बिलिंग की जाती है और संबंधित कार्य प्राप्त किया जाता है, तो व्यापार प्राप्तियों के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

संविदा परिसम्पतियों का संचलन - अनबिल राजस्व

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
प्रारंभिक शेष	**1256.55**	**1727.18**
निवल जोड़	838.57	856.68
प्रत्यावर्तित राशि	(1393.54)	(1,327.31)
जमा शेष	**701.58**	**1256.55**

अनुबंध परिसंपत्तियों का परिचालन: प्रतिधारण राशि

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
प्रारंभिक शेष	**4116.29**	**3532.55**
निवल जोड़	503.31	1040.81
प्रत्यावर्तित राशि	(697.93)	(457.07)
जमा शेष	**3,921.67**	**4,116.29**

अनुबंध परिसंपत्तियों का परिचालन: प्रतिभूति जमा

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
प्रारंभिक शेष	3188.74	3193.8
निवल जोड़	4443.54	2040.08
प्रत्यावर्तित राशि	(3306.42)	(2045.14)
जमा शेष	**4325.86**	**3188.74**

अनुबंध देनदारियां - अग्रिम में प्राप्त राजस्व

एक अनुबंध देनदारी को मान्यता दी जाती है यदि इकाई को प्रदर्शन के अग्रिम में महत्त्व (या यदि उसे महत्त्व मिलने का बिना शर्त का अधिकार है) प्राप्त हो।

अनुबंध देनदारियों का संचालन - अग्रिम में प्राप्त राजस्व

(Rs in Lakhs)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
प्रारंभिक शेष	39087.31	46025.38
निवल जोड़	38318.77	66954.99
प्रत्यावर्तित राशि	(27684.15)	(73893.06)
जमा शेष	**49721.93**	**39087.31**

अनुबंध देनदारियों का संचालन - प्रतिधारण राशि

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
प्रारंभिक शेष	27149.57	24,544.97
निवल जोड़	3928.46	4511.36
प्रत्यावर्तित राशि	(18526.93)	(1906.76)
जमा शेष	**12551.10**	**27149.57**

अनुबंध देनदारियों का संचालन - प्रतिभूति जमा

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
प्रारंभिक शेष	1,921.67	1636.25
निवल जोड़	1304.04	1537.22
प्रत्यावर्तित राशि	(1,329.53)	(1251.80)
जमा शेष	**1,896.18**	**1,921.67**

"सूचना अवधि में निर्धारित राजस्व, जिसे अवधि के प्रारंभ में अनुबंध देयता शेष में शामिल किया गया था" और निष्पादन दायित्वों से सूचना अवधि में निर्धारित राजस्व से पूर्ववर्ती अवधियों में संतुष्टि (या आंशिक रूप से संतुष्टि) प्राप्त है के संबंध में भारतीय लेखा मानक 115 के पैरा 116 (ख) और (ग) के प्रकटीकरण निम्नानुसार दिए गए हैं:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सूचना अवधि में निर्धारित राजस्व जो अवधि की शुरुआत में अनुबंध की देयता शेष में शामिल था	27684.15	24059.425
पूर्ववर्ती अवधियों में निष्पादन दायित्वों का निर्वाह (या आंशिक निर्वाह) होने से सूचना अवधि में निर्धारित राजस्व	1393.54	1327.31

पृथककरण राजस्व सूचना

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न क्षेत्रें से राजस्व हेतु ग्राहक के साथ अनुबंध से असहमत राजस्व निम्नानुसार दर्शाया गया है। कम्पनी का मानना है कि ये असहमत राजस्व और नकदी प्रवाह की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता उद्योग, बाजार और अन्य आर्थिक कारकों को कैसे प्रभावित करता है।

(रु. लाख में)

विवरण	परामर्शी सेवाएं		निर्माण परियोजनाएं		कुल
	घरेलू	विदेश	घरेलू	विदेश	
2024-25	46475.69	19907.21	94821.49	0.00	161204.39
2023-24	47860.34	19174.19	85476.08	0.00	152510.61

iv. कंपनी ग्राहकों को ओर उनकी और से कई परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही है।

कार्य निष्पादन दायित्वों ग्राहकों से भुगतान के साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ भी रिर्पोटिंग तारीख पर कार्य निष्पादन किया जाता और संविदा के अनुसार भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे मामलों में अनुबंध परिसंपत्ति बनाया गया है।

तथापि, जहां भुगतान अग्रिम में प्राप्त होता है, लेकिन कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा नहीं किया गया ऐसे मामलों में अनुबंध देनदारियों नहीं बनाई गई है। कंपनी द्वारा प्राप्त अग्रिम कार्य के निष्पादन के लिए है और सुरक्षा का प्रकार है अर्थात् बचाव का स्रोत हैं।

वर्ष के दौरान, प्रदान की गई सेवाओं/आपूर्ति की गई वस्तुओं के संबंध में ग्राहक से प्राप्य राशि की हानि के लिए 7615.37 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है (पिछले वर्ष 5671.11 लाख रुपये प्रदान किए गए थे)।

53. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, 1 अप्रैल 2024 तक 1393.54 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1327.31 लाख रुपये) के बिलिंग रहित राजस्व को ग्राहकों से उपलब्धियों के पूरा होने पर व्यापार प्राप्य के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

54. 31 मार्च 2025 तक पूरी होने वाली कुल कार्य निष्पादन देनदारियां 1674490.43 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1500055.15 लाख रुपये) हैं, जो कंपनी के विभिन्न खंडों से संबंधित हैं।

31 मार्च 2025 को

(रु. लाख में)

विवरण	चालू परियोजनाएं	बाधित परियोजनाएं	कुल
परियोजनाओं का शेष मूल्य	1581519.43	92971.00	1674490.43

31 मार्च 2024 को

(रु. लाख में)

विवरण	चालू परियोजनाएं	बाधित परियोजनाएं*	कुल
परियोजनाओं का शेष मूल्य	1406120.39	93934.76	1500055.15

*कंपनी का मानना है कि कुछ परियोजनाओं में निलंबन प्रकृति में अस्थायी है और एक बार प्रतिबंधित परिस्थितियाँ दूर हो जाने पर गतिविधियां पुनः आरंभ हो जाएंगी। कंपनी अपने तकनीकी और वित्तीय दायित्वों को पूर्ण करने के साथ-साथ इन परियोजनाओं से किए जाने वाले धन के के भुगतान के लिए अवश्वस्त है। इसलिए, प्राप्तियों के साथ-साथ देय, प्रकृति में स्थिर नहीं है और इन्हें वसूली योग्य प्राप्तियां और भुगतान योग्य वास्तविक शेष माना गया है। हालांकि, ऐसी प्राप्तियों पर कंपनी की अपेक्षित क्रेडिट हानि नीति के संदर्भ में पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

55. कंपनी ने प्रस्तावों को तैयार करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक लागत को छोड़कर संविदा प्राप्त करने के लिए कोई लागत नहीं ली है और लाभ और हानि विवरण के लिए शुल्क लिया गया है।

56. संविदा को पूरा करने में लगने वाली लागत (खरीद लागत को छोड़कर) लाभ और हानि विवरण के लिए वसूल की जाती है, अगर यह वसूली योग्य नहीं है, तो यह बिल न किए गए राजस्व और बिल न की गई परिसम्मत्तियों का भाग है।

57. संयुक्त व्यवस्थाओं में कंपनी हित में प्रकटनः

(रु. लाख में)

क्र. सं.	व्यवस्था का नाम	कम्पनी का हित		पार्टनर और उनका पार्टनरशिप इंटरेस्ट (पीआई	देश
		2024-25	2023-24		
1.	लोअर सेती (तानाहु) हाइड्रोपावर परियोजना (एलएसएचईपी)	84.80%	84.80%	प्रमुख संयुक्त व्यवस्था पार्टनर - निप्पन कोई लिमिटेड - 15-2%	नेपाल
2.	पावर सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रेंदनिंग प्रोजेक्ट	81.65%	81.65%	प्रमुख संयुक्त व्यवस्था पार्टनर - एसएमईसी इंटरनेशनल पीटीवाई-लि. -18-35%	नेपाल
3.	सीएएसए- 1000	83.00%		प्रमुख संयुक्त अनुबंध साझेदार- सीईएसआईएस;पी.ए. (इटली) -17%	अफगानिस्तान
4.	काठमांडु घाटी नेपाल	42.92%		प्रमुख संयुक्त अनुबंध साझेदार- बी.एन. कंसल्टेन्सी प्रा.लि. -57.07%	नेपाल
5.	एनआईजीडीई, तुर्किए	60.00%		प्रमुख संयुक्त अनुबंध साझेदार- आईडिया ग्रुप प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग 40%	तुर्किए
6.	ऊपरी अरूण नेपाल	19.86%		प्रमुख संयुक्त अनुबंध साझेदार - ट्राक्टेबेल इंजीनियरिंग, जर्मनी (51.25%)और ट्राक्टेबेल इंजीनियरिंग, फ्रांस(28.89%)	नेपाल

58. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, रु.54.71 लाख रूपये राशि की अवकाश यात्रा छूट (एलटीसी) देयता की बकाया राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया है। यह राशि पुरानी शेष राशि से संबंधित है जो अब देय नहीं है। परिणामस्वरूप, यह देयता समाप्त हो गई है और भविष्य में किसी भी देयता को प्रकट नहीं करती है।

59. कर्मचारी अग्रिम से संबंधित नोट संख्या 4 ख में 301.76 लाख रुपये की राशि दर्शायी गई है। इसकी वसूली/समायोजन के लिए उचित उपाय किए जा रहे है। कंपनी का विचार है कि पूरी राशि पूर्ण रूप से वसूल की जा सकती है।

60. कंपनी जमा कार्यों के आधार पर कई परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। कंपनी द्वारा आदर्श निधियों का उपयोग किए जाने की सीमा तक ग्राहकों को देय ब्याज के संबंध में बहीखातों में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान प्रदान की गई कुल ब्याज लागत 1511.15 लाख रुपये है (पिछले वर्ष 1725.55 लाख रुपये) और देय ब्याज को वित्तीय विवरण की नोट संख्या -28 में सम्यक रूप से प्रकट किया गया है।

61. कंपनी की कंपनी में लगे नए नियमित भत्तियों से बॉन्ड मनी लेने की नीति है। बांड का पैसा कंपनी के नाम पर बैंकों के पास सावधि जमा रसीद के रूप में रखा जाता है। मूल राशि के साथ जमा पर अर्जित ब्याज को कंपनी की पुस्तकों में परिसंपत्ति और देयता के रूप में माना जाता है। बांड अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, बांड की राशि संबंधित अधिकारियों को उस पर अर्जित ब्याज के साथ वापस कर दी जाती है। यदि अधिकारी बांड की अवधि पूरी होने से पहले कंपनी छोड़ देता है, तो उसे जब्त कर लिया जाता है और उसे आय के रूप में माना जाता है। 31 मार्च्र 2025 को रू. 62.42 लाख है (पिछले वर्ष रू. 78.90 लाख).। कंपनी के पास कर्मचारियों से संबंधित एफडीआर को विनियमित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है और प्रत्येक कर्मचारी स्तर पर समाधान के लिए प्रक्रिया को डिजिटाइज करने के उपाय किए जा रहे हैं।

62. कंपनी अफगानिस्तान में तीन परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है और दिनांक 31/03/2025 को कुल देनदारी राशि 14.62 करोड़ रुपये है। तीन परियोजनाओं में से कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान दो देनदारों के लिए 11.00 करोड़ रुपये का पूर्ण प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान तीसरी परियोजना के लिए 1.89 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

63. कंपनी बांग्लादेश में तीन परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है और दिनांक 31/03/2025 को कुल देनदार मूल्य 9.70 करोड़ रुपये है। तीन परियोजनाओं में से कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान दो देनदारों के संबंध में 6.83 करोड़ रुपये का पूर्ण प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 0.50 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है

64. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, कंपनी ने कुछ पुराने बकाया व्यापार देय राशि से संबंधित 324.22 लाख रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है। विस्तृत समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि ये शेष राशि अब देय नहीं है। तदनुसार, वर्ष के दौरान बहीखातों में बट्टे खाते में रखा गया है।

65. कंपनी गुजरात में तीन परियोजनाओं को निष्पादित कर रही थी जिन्हें ग्राहक द्वारा बंद कर दिया गया था। ग्राहक की ओर से कंपनी के व्यापार प्राप्य और प्रतिधारित राशि का बहीखातों में पूरी तरह उल्लेख किया गया है।

66 अन्य जानकारी

i) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।

ii) कंपनी ने बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है।

iii) कंपनी के पास कोई प्रभार या ऋणमुक्ति नहीं है जिसको वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है।

iv) कंपनी ने संबंधित वित्तीय वर्षों/अवधि के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

v) कंपनी ने विदेशी इकाइयों (मध्यस्थों) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाइयों) को मध्यस्थ बनकर अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया है:

क) कंपनी (मुख्य लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करे या

ख) मुख्य लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें

vi) कंपनी को विदेशी इकाइयों (वित्तपोषित पक्ष) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाइयों) से कोई वित्त प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनी:

क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिए गए ऋण या किसी व्यक्ति या वित्तपोषित पक्ष (मुख्य लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचानी गई इकाइयों में निवेश या

ख) मुख्य लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करना

vii) कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे कि, आयकर अधिनियम 1961 के खोज या सर्वेक्षण या कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किए गए खातों की बुक्स में रिकार्ड नहीं है।

viii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विल्फुल डिफाल्टर घोषित नहीं किया गया है।

ix) कंपनी ने कंपनी (संख्या की लेयर पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2(87) के तहत निर्धारित लेयर की संख्या का अनुपालन किया है।

67. गत वर्ष के आंकड़ों का वर्तमान वर्ष के समूहीकरण और / या वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, पुनर्समूहीकरण और / या पुनर्वर्गीकरण किया गया है। नकारात्मक आंकड़े कोष्ठक में प्रदर्शित किए गए हैं।

क्र. सं.	पुर्न समूहित या पुनर्वर्गीकृत मद	मद से	मद तक	2024-2025	2023-2024
1	वित्तीय वर्ष 2023-24 में भुगतान किया गया लाभांश	सामान्य आरक्षित	संचित लाभ	शून्य	2500
2	ग्राहक से जमा पर ब्याज	वित्तीय लागत	अन्य व्यय	1511.15	1725.55
3	12 महीनों से अधिक शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा	नकद प्रवाह निवेश गतिविधियां	नकद प्रवाह निवेश गतिविधियां	672.9	140.4

68. लाभांश - कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के प्रावधान के अनुसार विचाराधीन वर्ष के दौरान 10.40 करोड़ रुपये (10 करोड़ 40 लाख रुपये) का लाभांश प्रस्तावित किया है

69. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रबंधन ने मेसर्स पाटेपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट (प्रा.) लिमिटेड के साथ एक परामर्शी परियोजना में कुछ अनियमितताओं की पहचान की।

घटना की प्रकृति

एक आंतरिक समीक्षा से पता चला कि ग्राहक द्वारा संविदात्मक शर्तों की पूर्ति नहीं की गई थी, जिसके कारण मार्च 2025 के दौरान वर्धित विक्रय की पहचान हुई। प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि लेनदेन लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अंतर्गत राजस्व मान्यता के मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

वित्तीय प्रभाव और सुधारात्मक कार्रवाई

कंपनी ने वित्तीय विवरणों में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं::

- **राजस्व व्युतक्रमण :** प्रारंभ में पहचान की गई 67.50 करोड़ रुपये की राशि के चालान को उसी वित्तीय वर्ष (वि.व) 2024-25) के भीतर पूरी तरह से व्युतक्रमित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, वर्ष की रिपोर्ट किए गए कारोबार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

- **वैधानिक देयताएं (जीएसटी):** जीएसटी पोर्टल पर क्रेडिट नोट जारी करके 12.15 करोड़ रुपये की संबंधित जीएसटी देयता के संबंध में कार्रवाई की गई है। इन्हें ग्राहक द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, जिससे कर प्रभाव निष्प्रभावी हो गया है।

- **वसूली योग्य परिसंपत्तियां:** कंपनी की 90 लाख रुपये की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) ग्राहक के पास प्रतिधारित थी। चूंकि अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं किया गया था, इसलिए कंपनी वर्तमान में इस राशि को वसूलने के लिए प्रशासनिक माध्यमों का अनुसरण कर रही है।

वित्तीय निहितार्थ का सारांश

चूंकि राजस्व और कर घटकों को निष्प्रभावी कर दिया गया है, इसलिए वित्तीय निहितार्थ की कुल मात्रा 90 लाख रुपये ईएमडी तक सीमित है। प्रबंधन द्वारा बहीखातों में 90 लाख रुपये की खराब एवं संदिग्ध ईएमडी के हेतु प्रावधान किया गया है

70. वाप्कोस लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी के मध्य समायोजन का विवरण

31.03.2025 को शेष राशि

(रू. लाख में)

विवरण	वाप्कोस के अनुसार (राशि रुपये में)	एनपीसीसी के अनुसार (राशि रुपये में)	अंतर
बहीखातों में – ईआरपी	371.44	220.95	150.49
बहीखातों में – किराया	163.66	163.66	0.00
बहीखातों में – अनबिल किराया आय	0.00	19.57	-19.57

1. एनपीसीसी के बहीखाों से पता चलता है कि ईआरपी के विकास हेतु वाप्कोस की शेष राशि 220.95 लाख रुपये है, जबकि वाप्कोस द्वारा 371.44 लाख रुपये की राशि दर्शायी गयी है।

2. एनपीसीसी ने अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए 19.57 लाख रुपये की अनबिल किराया आय को प्रदर्शित किया है। हालांकि, वाप्कोस ने इस अवधि के लिए किराया व्यय प्रदर्शित नहीं किया है क्योंकि लीज समझौते को सितंबर 2024 से आगे नहीं बढ़ाया गया।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(शैलेन्द्र विश्वकर्मा) कम्पनी सचिव	(सुषमा पी. वी.) मुख्य वित्त अधिकारी	(अमिताभ त्रिपाठी) निदेशक (वाणिज्य व मा. सं. वि.) (डीआईएन नं. 10935800)	(शिल्पा शिंदे) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (डीआईएन नं. 10051735)

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007814एन

प्रदीप कुमार लखानी
साझेदार
एम. नं. 091192

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 3 मार्च, 2026

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष से संबंधित वाप्कोस लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यढांचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वाप्कोस लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के साथ पठित धारा 129 (4) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने का दायित्व अधिनियम की धारा 139 (5) के साथ पठित धारा 129 (4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक का है। यह उल्लिखित किया जाता है कि ऐसा उनके द्वारा उनकी दिनांक 14 अप्रैल 2026 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया जो उनकी पूर्व की दिनांक 03 मार्च 2026 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को प्रतिस्थापित करती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के साथ पठित धारा 129(4) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष से संबंधित वाप्कोस लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की एक अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष से संबंधित वाप्कोस लिमिटेड और नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुंच के बिना, स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चयनित जांच तक सीमित है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान, मेरे द्वारा उठाई गई कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को अमल में लाने हेतु सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के साथ पठित धारा 129(4) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा/ चाहूंगी जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरी राय में समेकित वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर रूप से समझने के लिए आवश्यक हैं:

क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क.1 बैलेंस शीट

परिसंपत्ति-गैर वर्तमान परिसंपत्ति

अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (2ग) 230.11 लाख

इसमें प्रापण, डिजाइन, कार्यान्वयन, रखरखाव और प्रशिक्षण अथवा वाप्कोस में ईआरपी समाधान हेतु पूंजीकृत राशि शामिल है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में 220.95 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 में 170.75 लाख रुपये का ईआरपी व्यय किया और क्रमशः 70.22 लाख रुपये और 157.27 लाख रुपये का मूल्यह्रास किया।

भारतीय लेखा मानक 38 के संदर्भ में यह पूंजीकरण सही नहीं है क्योंकि उपयोगकर्ता स्वीकार्यता परीक्षण और मॉड्युल की कार्यक्षमता की सम्पूर्णता से संबंधित किसी भी दस्तावेज की अनुपस्थिति में ' ईष्टम उपयोग हेतु उपलब्ध परिसम्पत्ति' से संबंधित संबंध में शर्त की पूर्ति नहीं होती है।

इसके परिणामस्वरूप विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियों का कम आंकलन और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का ₹ 391.70 लाख का अधिक आंकलन हुआ है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान 157.27 लाख रुपये के मूल्यह्रास की अधिक गणना की गई है, जिसके परिणामस्वरूप उसी राशि के लाभ का कम आकलन किया गया है। साथ ही, वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 70.22 लाख का मूल्यह्रास, जो कि पिछली अवधि की एक त्रुटि है, को भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार अन्य इक्विटी (अनुसूची 13) को समायोजित करने की आवश्यकता है।

क.2 अन्य वित्तीय देनदारियां- 120.64 करोड़ (नोट 18ख)

उपरोक्त में गृह मंत्रालय और एनपीसीसी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार गृह मंत्रालय को देय 23.87 करोड़ रुपये की परिसमापन क्षतिपूर्ति शामिल नहीं हैं।

परियोजना को निर्धारित समय सीमा (जून 2018) के भीतर पूरा नहीं किया जा सका। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने (जुलाई 2022) 23.87 करोड़ रुपये की परिसमापन क्षतिपूर्ति जमा कराने का निर्देश दिया। हालांकि, इससे छूट दिये जाने संबंधी एनपीसीसी के अनुरोध (अगस्त 2022) को आज तक स्वीकार नहीं किया गया है, एनपीसीसी ने प्रावधान करने के बजाय, आकस्मिक देयता के माध्यम से इसका प्रकटीकरण किया है।

चूंकि करार की शर्तों के अनुसार एलडी देय है और भारतीय लेखा मानक 37 में प्रावधान को मान्यता देने संबंधी सभी तीन शर्तों की पूर्ति हो गई है, क्योंकि छूट के अनुरोध का पालन किये जाने वाली लेखांकन समाधान पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है इसलिए इसका वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप 'वर्तमान देयताओं' संबंधी प्रावधान' का 23.87 करोड़ रुपये का कम आंकलन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 'वर्ष के दौरान लाभ' का भी उतना ही अधिक आंकलन हुआ है।

पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों (2023-24) में इसे इंगित करने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ख. अन्य टिप्पणियाँ

ख.1 इक्विटी (अन्य इक्विटी) में परिवर्तन संबंधी विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची iii में यथानिर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं किया गया है। विगत वर्ष में प्रबंधन पत्र के माध्यम से मुद्दे की जानकारी देने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ख.2 वित्तीय विवरणों का नोट 1.9.1 (परिभाषित अंशदान योजना) का संदर्भ अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि 'कंपनी द्वारा कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि न्यास में अंशदान किया जाता है जो समूह के ट्रस्ट के निवेश पर रिटर्न और ब्याज दर के बीच कमी, यदि कोई हो, की पूर्ति के दायित्व की सीमा तक एक परिभाषित लाभ योजना है। परिभाषित अंशदान योजना शीर्षक के अंतर्गत एक परिभाषित लाभ योजना का प्रकटीकरण सही नहीं है और कंपनी को सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित अपनी लेखांकन और लेखांकन नीति के प्रकटीकरण की समीक्षा करनी चाहिए।

ख.3 आकस्मिक देयता, आकस्मिक परिसंपत्तियां और प्रतिबद्धताएं (नोट 56)

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 56 (4) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कहा गया है कि, "व्यावसायिक निष्पादन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कंपनी उन एमएसई विक्रेताओं से वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त कर रही है जिनके साथ कंपनी ने वस्तुओं और सेवाओं (एमएसई विक्रेताओं द्वारा प्रदान की गई) की स्वीकृति के बाद ग्राहक से संबंधित भुगतान जारी करने के पश्चात भुगतान करने संबंधी समझौता किया है। इस प्रकार कंपनी एमएसई विक्रेताओं के संबंध में अपने बहीखातों में कोई ब्याज प्रदान नहीं कर रही है।

यह प्रकटीकरण एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुरूप नहीं है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 और 16 में एमएसई आपूर्तिकर्ताओं को विलंबित भुगतान पर सांविधिक ब्याज का भुगतान अनिवार्य है, जबकि अधिनियम की धारा 24 किसी भी समझौते या अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद धारा 15 से 23 के प्रावधानों को प्राथमिकता देती है। इसके अलावा,भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार, जहां एक वर्तमान विधिक दायित्व मौजूद है, आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभव है, और विश्वसनीय अनुमान संभव है, तो देयता को प्रावधान के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता होती है।

एमएसएमई विक्रेताओं को विलंबित भुगतान पर ब्याज का प्रावधान न करना लेखांकन अनुमान का विषय नहीं है, अपितु भारतीय लेखा मानक -8 के अनुसार एक महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटि है और भारतीय लेखा मानक 8 के पैरा 43 के संदर्भ में वित्तीय विवरणों का पूर्वव्यापी पुनर्विवरण आवश्यक है।

इसके परिणामस्वरूप वर्ष से संबंधित देयता का कम आंकलन और लाभ का अधिक आंकलन हुआ है (यह राशि निश्चित नहीं है क्योंकि कंपनी ने कहा कि उसके पास एमएसएमई विक्रेताओं को विलंबित भुगतान का वर्ष-वार/विक्रेता-वार रिकॉर्ड, बिल-वार विलंब की गणना, या वैधानिक ब्याज देयता की स्वचालित पहचान और गणना के लिए कोई प्रणाली/तंत्र मौजूद नहीं था)। स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा 'अभिमत के लिए आधार' में दी गई अर्हता भी अपर्याप्त है क्योंकि इसमें पूर्वव्यापी पुनर्कथन के संबंध में उल्लेख नहीं किया गया है।

के लिए और की ओर से

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26.05.2026

(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

वाप्कोस लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2024-2025 के समेकित वित्तीय पर सीएजी टिप्पणियां

क्र. सं.	सीएजी टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
1.	इसमें प्रापण, डिजाइन, कार्यान्वयन, रखरखाव और प्रशिक्षण अथवा वाप्कोस में ईआरपी समाधान हेतु पूंजीकृत राशि शामिल है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में 220.95 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 में 170.75 लाख रुपये का ईआरपी व्यय किया और क्रमशः 70.22 लाख रुपये और 157.27 लाख रुपये का मूल्यह्रास किया। भारतीय लेखा मानक 38 के संदर्भ में यह पूंजीकरण सही नहीं है क्योंकि उपयोगकर्ता स्वीकार्यता परीक्षण और मॉड्यूल की कार्यक्षमता की सम्पूर्णता से संबंधित किसी भी दस्तावेज की अनुपस्थिति में ' ईष्टम उपयोग हेतु उपलब्ध परिसम्पत्ति' से संबंधित संबंध में शर्त की पूर्ति नहीं होती है। इसके परिणामस्वरूप विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियों का कम आंकलन और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का ₹ 391.70 लाख का अधिक आंकलन हुआ है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान 157.27 लाख रुपये के मूल्यह्रास की अधिक गणना की गई है, जिसके परिणामस्वरूप उसी राशि के लाभ का कम आकलन किया गया है। साथ ही, वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 70.22 लाख का मूल्यह्रास, जो कि पिछली अवधि की एक त्रुटि है, को भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार अन्य इक्विटी (अनुसूची 13) को समायोजित करने की आवश्यकता है।	कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 220.95 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 170.75 लाख रुपये का पूंजीकृत ईआरपी व्यय किया और ऐसी पूंजीकृत परिसंपत्तियों पर क्रमशः 70.22 लाख रुपये और 157.27 लाख रुपये का मूल्यह्रास प्रभारित किया। ईआरपी प्रणाली कार्यान्वयन में कई एकीकृत मॉड्यूल शामिल थे और कुछ मॉड्यूल कार्यात्मक थे और संबंधित वित्तीय वर्षों के दौरान उपयोगकर्ताओं द्वारा सक्रिय रूप से इनका उपयोग किया गया। इसलिए पूँजीकरण प्रबंधन के इस आकलन पर आधारित था कि पूंजीकृत संपत्ति, इष्टम उपयोग हेतु उपलब्ध थी। उपरोक्त के बावजूद, प्रबंधन द्वारा इस मामले की जांच की जाएगी और यदि किसी समायोजन को आवश्यक समझा जाता है, तो इसे भारतीय लेखा मानक 38 और भारतीय लेखा 8 के लागू प्रावधानों के अनुसार उचित रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।
2.	उपरोक्त में गृह मंत्रालय और एनपीसीसी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार गृह मंत्रालय को देय 23.87 करोड़ रुपये की परिसमापन क्षतिपूर्ति शामिल नहीं हैं। परियोजना को निर्धारित समय सीमा (जून 2018) के भीतर पूरा नहीं किया जा सका। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने (जुलाई 2022) 23.87 करोड़ रुपये की परिसमापन क्षतिपूर्ति जमा कराने का निर्देश दिया। हालांकि, इससे छूट दिये जाने संबंधी एनपीसीसी के अनुरोध (अगस्त 2022) को आज तक स्वीकार नहीं किया गया है, एनपीसीसी ने प्रावधान करने के बजाय, आकस्मिक देयता के माध्यम से इसका प्रकटीकरण किया है। चूंकि करार की शर्तों के अनुसार एलडी देय है और भारतीय लेखा मानक 37 में प्रावधान को मान्यता देने संबंधी सभी तीन शर्तों की पूर्ति हो गई है, क्योंकि छूट के अनुरोध का पालन किये जाने वाली लेखांकन समाधान पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है इसलिए इसका वित्तीय विवरणों में	लेखापरीक्षा टिप्पणी के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि एनपीसीसी ने निम्नलिखित पत्र संख्या के माध्यम से गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है : 1) दिनांक 02.08.2022 का पत्र संख्या एनईजेड/आईबीएडब्ल्यूपी/एलडी/838, 2) दिनांक 15.06.2023 का पत्र संख्या एनईजेड/आईबीएडब्ल्यूपी/एलडी/2023/591, 3) दिनांक 18.10.2023 का पत्र संख्या एनईजेड/आईबीएडब्ल्यूपी/एलडी/2023/1494, 4) दिनांक 02.07.2025 का पत्र संख्या एनपीसी/परियोजना/2025/139 और 5) एनईजेड/बीबीएडब्ल्यूपी/एलडी/2025/346 दिनांक 15.07.2025 को सम्पूर्ण कार्यों पर एलडी लागू नहीं करने का अनुरोध किया गया क्योंकि एनपीसी ने पहले ही कार्य पूरा कर लिया है और गृह मंत्रालय द्वारा एलडी की छूट संबंधी अनुरोध को अभी तक अस्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए, कंपनी के पास गृह मंत्रालय से एलडी की छूट प्राप्त करने हेतु एक ठोस आधार है। यह भी सूचित किया जाता है कि एनपीसी, के पास एक के बाद अनुबंध और अंततः देनदारी है और कार्य निष्पादित कर रहे ठेकेदार के साथ किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार इसे ठेकेदार से पुनर्प्राप्त किया जाएगा। इस प्रकार, 23.87 करोड़ रुपये का वर्तमान देनदारी के लिए प्रावधान का कम आंकलन नहीं किया गया है और न ही इतनी राशि का वर्ष के लिए लाभ का अधिक आंकलन किया गया है। इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भी एलडी लागू

क्र. सं.	सीएजी टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
	प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप 'वर्तमान देयताओं' संबंधी प्रावधान' का 23.87 करोड़ रुपये का कम आंकलन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 'वर्ष के दौरान लाभ' का भी उतना ही अधिक आंकलन हुआ है। पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों (2023-24) में इसे इंगित करने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	नहीं करने हेतु एनपीसीसी नियमित रूप से गृह मंत्रालय के साथ सम्पर्क में हैं और यदि वित्तीय वर्ष 2025-26 के वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने से पहले गृह मंत्रालय की ओर से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, तो एनपीसीसी द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2025-26 के उनके बहीखातों में आवश्यक लेखांकन उपचार किया जाएगा।
3.	इक्विटी (अन्य इक्विटी) में परिवर्तन संबंधी विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची iii में यथानिर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं किया गया है। विगत वर्ष में प्रबंधन पत्र के माध्यम से मुद्दे की जानकारी देने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	नोट कर लिया गया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य के वित्तीय विवरणों में इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाए।
4.	वित्तीय विवरणों का नोट 1.9.1 (परिभाषित अंशदान योजना) का संदर्भ अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि 'कंपनी द्वारा कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि न्यास में अंशदान किया जाता है जो समूह के ट्रस्ट के निवेश पर रिटर्न और ब्याज दर के बीच कमी, यदि कोई हो, की पूर्ति के दायित्व की सीमा तक एक परिभाषित लाभ योजना है। परिभाषित अंशदान योजना शीर्षक के अंतर्गत एक परिभाषित लाभ योजना का प्रकटीकरण सही नहीं है और कंपनी को सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित अपनी लेखांकन और लेखांकन नीति के प्रकटीकरण की समीक्षा करनी चाहिए।	समुचित अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।
5.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 56 (4) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कहा गया है कि, "व्यावसायिक निष्पादन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कंपनी उन एमएसई विक्रेताओं से वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त कर रही है जिनके साथ कंपनी ने वस्तुओं और सेवाओं (एमएसई विक्रेताओं द्वारा प्रदान की गई) की स्वीकृति के बाद ग्राहक से संबंधित भुगतान जारी करने के पश्चात भुगतान करने संबंधी समझौता किया है। इस प्रकार कंपनी एमएसई विक्रेताओं के संबंध में अपने बहीखातों में कोई ब्याज प्रदान नहीं कर रही है। यह प्रकटीकरण एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुरूप नहीं है। एमएसएमईडी अधिनियम,	नोट कर लिया गया है। कंपनी आवश्यक रिकॉर्ड की उपलब्धता के आधार पर मामले की व्यापक रूप से जांच करेगी और अनुवर्ती अवधि में, जहां भी आवश्यक समझा जाएगा, उचित कार्रवाई की जाएगी। जहां तक स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निहित अर्हता का संबंध है, इसे सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनके पेशेवर निर्णय और रिपोर्टिंग विचारों के आधार पर जारी किया गया है।

क्र. सं.	सीएजी टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
	2006 की धारा 15 और 16 में एमएसई आपूर्तिकर्ताओं को विलंबित भुगतान पर सांविधिक ब्याज का भुगतान अनिवार्य है, जबकि अधिनियम की धारा 24 किसी भी समझौते या अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद धारा 15 से 23 के प्रावधानों को प्राथमिकता देती है। इसके अलावा,भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार, जहां एक वर्तमान विधिक दायित्व मौजूद है, आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभव है, और विश्वसनीय अनुमान संभव है, तो देयता को प्रावधान के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता होती है। एमएसएमई विक्रेताओं को विलंबित भुगतान पर ब्याज का प्रावधान न करना लेखांकन अनुमान का विषय नहीं है, अपितु भारतीय लेखा मानक -8 के अनुसार एक महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटि है और भारतीय लेखा मानक 8 के पैरा 43 के संदर्भ में वित्तीय विवरणों का पूर्वव्यापी पुनर्विवरण आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष से संबंधित देयता का कम आंकलन और लाभ का अधिक आंकलन हुआ है (यह राशि निश्चित नहीं है क्योंकि कंपनी ने कहा कि उसके पास एमएसएमई विक्रेताओं को विलंबित भुगतान का वर्ष-वार/विक्रेता-वार रिकॉर्ड, बिल-वार विलंब की गणना, या वैधानिक ब्याज देयता की स्वचालित पहचान और गणना के लिए कोई प्रणाली/तंत्र मौजूद नहीं था)। स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा 'अभिमत के लिए आधार' में दी गई अर्हता भी अपर्याप्त है क्योंकि इसमें पूर्वव्यापी पुनर्कथन के संबंध में उल्लेख नहीं किया गया है।	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (संशोधित)

मेसर्स वाप्कोस के सदस्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरण संबंधी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अर्हता प्राप्त अभिमत

हमने वाप्कोस लिमिटेड (इसके पश्चात होल्डिंग समूह के रूप संदर्भित) और इसकी सहायक समूह मैसर्स नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (होल्डिंग समूह और इसकी सहायक समूह दोनों एक साथ ' 'समूह' के रूप में संदर्भित) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिथि के लिए समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि का विवरण (अन्य समग्र आय सहित), इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण और नकदी प्रवाह का समेकित विवरण शामिल हैं और वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है (इन्हें आगे "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है)।

यह कि सहायक समूह की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा सहायक समूह के लिए नियुक्त अन्य सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा एसए600 के अनुसार की गई है, हम समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उसकी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ अन्य लेखापरीक्षक के काम पर निर्भर है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारे रिपोर्ट के अर्हताप्राप्त अभिमत अनुभाग में वर्णित विषयों के प्रभावों को छोड़कर, और सहायक समूह के अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करते हुए जैसा कि उन विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थी, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित रीति में और अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित समूह (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित ("इंड एएस") भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार, और भारत में अन्य सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2025 को समूह की समेकित स्थिति और इसके समेकित लाभ, समेकित कुल व्यापक आय, समेकित इक्विटी में परिवर्तन और वर्ष की समेकित नकदी प्रवाह के संबंध में समेकित स्थिति का सही और न्यायसंगत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत का आधार

1. यह कि व्यापार प्राप्तियों की पहचान सूक्ष्म और लघु के रूप में प्रबंधन द्वारा तैयार की गई है और हम पर निर्भर है। हालांकि, एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत अपेक्षित ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान समूह द्वारा इन एमएसएमई विक्रेताओं को भुगतान के लिए बकाया अतिदेय शेष राशि पर नहीं किया गया है, प्रबंधन के दृष्टिकोण से, ऐसे विक्रेताओं को भुगतान उनके द्वारा सहमत और विधिवत स्वीकार की गई शर्तों के अनुसार किया गया है। एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत तुलन पत्र में दिखाए गए कुल व्यापार देय राशि 42,322.78 लाख रुपये है। हमारे मत में, विलंबित भुगतानों पर ब्याज, यदि कोई हो, एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार प्रदान किया जाना आवश्यक है। हालांकि, ऐसे ब्याज की राशि प्रबंधन द्वारा निर्धारित नहीं की गई है और हम वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव निर्धारित करने में असमर्थ थे।

   इसके अलावा, हमने पाया कि प्रबंधन द्वारा बताई गई एमएसएमई शेष राशि उचित प्राधिकारी के साथ दायर एमएसएमई रिटर्न से सहमत नहीं है। एमएसएमई रिटर्न के अनुसार, एमएसएमई विक्रेताओं को देय बकाया राशि वित्तीय विवरणों में बताए गए 42,322.78 लाख रुपये के मुकाबले

38,064.55 लाख रुपये है, जिसके परिणामस्वरूप 4,258.23 लाख रुपये का अंतर है।

2. दावा प्राप्तियों का शेष, व्यापार प्राप्य, ठेकेदारों को अग्रिम, व्यापार देय और ठेकेदारों से प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि, यदि कोई हो, की पुष्टि और परिणामी समायोजन के अधीन हैं। इसके अलावा, समय पर पक्ष अधिशेष पुष्टिकरण प्राप्त करने की प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पक्षों को भेजे गए पुष्टिकरण अनुरोध का काफी संख्या में उत्तर नहीं दिया गया है। लेखा बहियो के अनुसार शेष राशि और यदि कोई हो तो प्राप्त पुष्टिकरण के अनुसार शेष राशि के बीच के अंतर का समाधान किया जाना बाकी है। वर्तमान में लंबित समाधान या शेष की पुष्टि का वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का अभी तक पता नहीं चला है।

हमने अधिनियम, की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग ("एसए") के मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों का अपना ऑडिट किया। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों वाले अनुभाग में किया गया है। "हम भारतीय लेखाकार संस्थान (""आईसीएआई"") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।" हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले पर जोर

हम वित्तीय विवरणों के नोटों में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

1. हम नोट 98 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें वर्ष के दौरान होल्डिंग समूह के प्रबंधन द्वारा पता लगाए गए ₹ 90 लाख की धोखाधड़ी का वर्णन किया गया है। प्रबंधन ने नुकसान को परिमाणित किया है, आवश्यक लेखांकन समायोजन प्रविष्टियाँ पारित की हैं और राशि का 100% प्रावधान किया है।

2. विवादित दावों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया गया है। ऐसी देनदारियां उस तरीके से विकसित हो सकती हैं जिसकी मूल रूप से अपेक्षा की गई थी और इसलिए यह आकलन करने के लिए लगातार आधार पर समीक्षा की जाती है कि क्या आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना संभावित हो गई है। जहां यह निर्धारित किया जाता है कि पहले से ही आकस्मिक देयता के रूप में माने गए मामले के संबंध में भविष्य के आर्थिक लाभों का बहिर्वाह संभव है, वहां वित्तीय विवरणों में उस अवधि के लिए एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है जिसमें मूल्यांकन में परिवर्तन होता है, सिवाय दुर्लभ स्थितियों में जहां दायित्व का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। (नोट संख्या 56 देखें)

3. वर्ष के दौरान होल्डिंग समूह ने रक्षा मंत्रालय (डीआरडीओ) के साथ एक परामर्श अनुबंध के संबंध में विभेदक परामर्श शुल्क के लिए ₹ 12.32 करोड़ की राशि और लागू जीएसटी के साथ 7 फरवरी 2025 की तारीख का एक चालान तैयार किया है, जो परियोजना लागत अनुमान में अनुमोदित संशोधन के अनुसार है। प्रबंधन द्वारा दर्शाए गए अनुसार, रक्षा परियोजना की गोपनीय प्रकृति के कारण ऑडिट के लिए अनुमोदित बढ़ी हुई परामर्श शुल्क को प्रमाणित करने वाला औपचारिक संशोधित कार्य आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया था। वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने की तारीख तक राशि बकाया है। समूह ने एक संशोधित अनुबंध मूल्य गणना शीट प्रदा न की है और यह दर्शाया है कि बकाया राशि की वसूली के लिए मामले को सक्रिय रूप से ग्राहक के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

4. हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 105 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो रिपोर्टिंग तिथि पर होल्डिंग समूह और उसकी सहायक समूह के बीच लेनदेन से संबंधित शेष राशि में अंतर का वर्णन करता है। समूह ने ऐसे अंतरों की पहचान करते हुए एक समाधान विवरण तैयार किया है। इस समाधान के

आधार पर अंतर-समूह लेनदेन की प्रकृति में अंतर होने के कारण, समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर को उचित रूप से पुनर्वर्गीकृत और समायोजित किया गया है।

5. नोट सं. 92, सहायक समूह को बिहार में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण/उन्नयन के लिए डीपीआर तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। सहायक समूह ने उक्त कार्य के निष्पादन के लिए उप-ठेकेदार के रूप में मेसर्स रांची डिजाइन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया। कार्य निष्पादन के दौरान कुछ विवाद उत्पन्न हुए और ठेकेदार ने 16.30 लाख रुपये और 23.86 लाख रुपये की बकाया राशि के लिए दो मामले दायर किए। झारखंड सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद ने उप-ठेकेदार के पक्ष में 191.99 लाख रुपये का निर्णय दिया। सहायक समूह ने इस फैसले को चुनौती दी है और मामला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झारखंड के अधीन वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अदालत के निर्देशों के अनुसार, सहायक समूह ने 1.44 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जो आवंटित राशि का 75% है, जिसे अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत नोट संख्या 12 में "विभिन्न न्यायालयों/प्राधिकरणों के पास जमा राशि" के अंतर्गत प्रकट किया गया है।

सहायक समूह के प्रबंधन अभ्यावेदन और सहायक समूह के लेखापरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कानूनी राय के आधार पर कोई फर्म देयता उत्पन्न नहीं होगी। तदनुसार, सहायक समूह ने 411.16 लाख रुपये (ब्याज सहित) की विवादित मांग को आकस्मिक देनदारी के रूप में प्रकट किया है। यह समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयता के रूप में भी परिलक्षित हुआ है।

6. समेकित वित्तीय विवरणों का नोट सं. 53, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि समूह की लेखांकन नीति के अनुसार, निर्माण परियोजनाओं में प्रतिभूति जमा (एसडी) और बयाना जमा राशि (ईएमडी) जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मान्यता दी जानी है। हालाँकि, कुछ लेन-देन की जटिल प्रकृति के कारण, जिसमें समझौतों की अस्थिर अवधि और आरए बिलों से जुड़ी कटौती शामिल है, एसडी/ईएमडी राशि को उनके उचित मूल्य पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि इन राशियों में एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है और अनुबंधों के तहत ठेकेदार के गैर-निष्पादन के कारण समूह के हित की रक्षा हेतु इसे रोक दिया गया है।

7. नोट सं. 73, सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा योजना हेतु प्रावधान नहीं किए जाने के संबंध में, सहायक समूह के निदेशक मंडल ने 18 अगस्त, 2021 को आयोजित अपनी 333वीं बैठक में, 01.01.2007 को या उससे पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा और आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने हेतु सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना के लिए पीबीटी का 1.5% तक अंशदान के माध्यम से एक कोष बनाने पर विचार करने का निर्णय लिया था। बोर्ड ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि सभी कर्मचारियों जिसमें 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, को शामिल वाली एक समान नीति स्थापित करने के लिए एक मूल्यांकन किया जाए, हालाँकि, आवश्यक राशि की मात्रा और वितरण योजना तैयार करने के संबंध में बोर्ड के अंतिम निर्णय के लंबित रहने तक, कोष निधि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सहायक समूह के प्रबंधन ने सूचित किया है कि सहायक समूह उक्त योजना हेतु नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है।

8. समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. 12 और नोट सं. 20 ख, जो सहायक समूह के संबंध में क्रमशः 79.10 करोड़ रुपये और 46.80 करोड़ रुपये की जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी देयता सहित सरकारी प्राधिकरणों और वैधानिक देय राशि के साथ शेष राशि का प्रकटीकरण करते हैं। सहायक समूह के लेखापरीक्षकों ने संकेत दिया है कि सहायक समूह ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में कहा है कि ये शेष राशि जीएसटी पोर्टल पर दिखाई देने वाले आंकड़ों के साथ असंगत बनी हुई है। समाधान प्रक्रिया जारी है और अपेक्षित रिटर्न दाखिल करने के बाद इसके पूरा होने की उम्मीद है। पूर्ण जानकारी के अभाव में, समायोजन परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सकता है या उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

9. वर्तमान और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्गीकरण के संबंध में नोट सं. 91 समूह दीर्घकालिक अनुबंध सहित निर्माण गतिविधियों में

संलग्न है, जहां परियोजनाओं की अलग-अलग प्रकृति और अवधि के कारण परिचालन चक्र का निर्धारण करना मुश्किल है। परिणामस्वरूप, भारतीय लेखांकन मानक 1 (वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति) के अनुसार, समूह ने 12 महीने के डिफ़ॉल्ट परिचालन चक्र के आधार पर अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर-वर्तमान में वर्गीकृत किया है। वर्तमान परिसंपत्तियों में वे शामिल हैं जिनकी रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों के भीतर प्राप्त, बेचे अथवा उपभोग किए जाने की संभावना है, जबकि गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में वे परिसम्पत्तियां शामिल हैं जो इस अवधि के भीतर प्राप्त किए जाने की उम्मीद नहीं है। सहायक समूह के मामले में, चालू और गैर-चालू का वर्गीकरण रिपोर्टिंग वर्ष के समाप्ति पर संबंधित क्षेत्र में निर्धारित किया जाता है।

10. नोट नं. 76, "महाकाली सिंचाई परियोजना, नेपाल" के तहत जब्त की गई संपत्ति के प्रावधान के संबंध में। इस परियोजना को 1993 में ग्राहक द्वारा समाप्त कर दिया गया था। परियोजना स्थल पर सहायक समूह की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था और बाद में वर्ष 2008 में ग्राहक द्वारा नीलाम कर दिया गया। सहायक समूह ने वित्तीय वर्ष 2023-24 तक जब्त की गई संपत्ति के लिए पूर्ण प्रावधान किया है

    प्रबंधन के अनुसार, अंतिम बिल के निपटान के समय ग्राहक द्वारा इसे वापस कर दिया जाएगा। सहायक समूह इसकी वसूली के लिए मामले की समीक्षा कर रही है।

11. नोट सं. 94, सहायक समूह ओडिशा के सिमाद्री में मेसर्स ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएचपीसी) के लिए एक परियोजना का निष्पादन कर रही थी जिसे ओएचपीसी द्वारा वर्ष 1993 में समाप्त कर दिया गया था। पक्षकारों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए और मामले को ओडिशा सरकार के प्रधान सचिव के माध्यम से निपटान के लिए भेजा गया। बैठकों के दौरान, समूह को ओएचपीसी के पक्ष में 28 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। समूह ने उक्त क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत किया और वह 31.03.2011 को समाप्त हो गया। ओडिशा सरकार के प्रधान सचिव के माध्यम से निपटान के समानांतर, ओएचपीसी ने उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन किया और ब्याज का दावा किया। ओएचपीसी के दावे का हवाला देते हुए मध्यस्थ की नियुक्ति पर एनपीसीसी ने आपत्ति जताई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी दायर की, जिसने छूट की अनुमति दी और कहा कि "इस न्यायालय का मत है कि मध्यस्थता शुरू करने के लिए ओएचपीसी का कदम बहुत देर से उठाया गया था। उच्च न्यायालय ने आवेदन की अनुमति देने और मध्यस्थ की नियुक्ति का निर्देश देने में त्रुटि की। अतः विवादित आदेश को रद्द किया जाता है तदनुसार, समूह ने वित्त वर्ष 2016-17 से कोई ब्याज देयता निर्धारित नहीं की है।

12. नकद गारंटी के समायोजन के संबंध में नोट नं. 93, सहायक समूह झारखंड में पीएमजीएसवाई परियोजना के तहत कार्यकर रही थी। गैर-प्रदर्शन के कारण, समूह ने विगत वर्ष में विभिन्न उप-ठेकेदारों से 890.87 लाख रुपये की गारंटी को नकदीकृत किया, जिसे नोट संख्या 18क में "अन्य गैर-चालू वित्तीय देनदारियां - अन्य देयताएं" के तहत वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान में झारखंड जोन बहीखातों में आवश्यक समायोजन हेतु इन गारंटियों के अवधि-वार और परियोजना-वार विवरण की पहचान करने की प्रक्रिया में है।

13. परियोजना प्राधिकरण द्वारा सावधि जमा के नकदीकरण के संबंध में नोट सं. 79, यह कि सहायक समूह को यूजेवीएनएल द्वारा प्रतिभूति जमा/ईएमडी से संबंधित 795.90 लाख रुपये की राशि के कुछ कार्य प्रदान किए गए थे। इसमें परियोजना प्राधिकरण, यूजेवीएनएल के पास सावधि जमा के रूप में धारित 696.95 लाख रुपये की शेष राशि शामिल है, जिसमें अर्जित ब्याज भी शामिल है। परियोजना प्राधिकरण द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान गिरवी रखी गई सावधि जमाओं नकदीकरण किया गया।

    प्रबंधन के अनुसार, अंतिम बिल के निपटान के समय ग्राहक द्वारा इसे वापस कर दिया जाएगा। समूह इसकी वसूली के लिए मामले की समीक्षा कर रही है

14. समेकित वित्तीय विवरणों का नोट सं. 11, जोकि सहायक समूह के अग्रिम आयकर और टीडीएस की 84.28 करोड़ रुपये की शेष राशि जोकि आयकर पोर्टल और भालेमा 26 के अनुरूप समायोजन के अध्यधीन है, इसके परिणामस्वरूप होने वाले प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सकता है या टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

15. टिप्पणी सं. 104: जीजीवी बिलासपुर- सीजेडओ, रायपुर के खातों में, ग्राहक के पास अभी भी जीजीवी, बिलासपुर में बुनियादी अवसंरचना विकास कार्य के संबंध में 2.13 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। सात भवनों का विकास कार्य 16.10.2023 को पूरा किया गया और ग्राहक द्वारा अपने अधिकार में ले लिया, और एक अतिरिक्त भवन को 20.05.2024 को अपने कब्जे में ले लिया गया। सहायक समूह ने परियोजना के वित्तीय निपटान के लिए ग्राहक से अनुरोध किया है; हालाँकि, यह अभी भी लंबित है और ग्राहक की ओर इसकी समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा, इस कार्य से संबंधित उपठेकेदार मेसर्स श्रीजी कृपा की 2.49 करोड़ रुपये की सुरक्षा जमा राशि बहीखातों में बकाया है। इसलिए, प्रबंधन को लगता है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान बहीखातों में किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपने मत के निर्माण शामिल किया गया और हम इन मामलों पर कोई अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले लेखा-परीक्षा के प्रमुख मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है-

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा बिंदु	लेखापरीक्षक के उत्तर
1.	**राजस्व मान्यता** ग्राहकों के साथ समूह के अनुबंधों में परामर्श और निर्माण अनुबंध शामिल हैं। समूह भारत और विदेशों में व्यवसायों और समुदायों के लिए जल, विद्युत और अवस्थापना क्षेत्रों में इंजीनियरिंग परामर्श सेवाओं और निर्माण से राजस्व प्राप्त करती है। समूह अनुबंध में वादा की गई सेवाओं का आकलन करती है और अनुबंध में विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पहचान करती है। डेलिवरेबल्स को निर्धारित करने के लिए विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पहचान और ऐसे डिलिवरेबल्स से स्वतंत्र रूप से लाभ उठाने की ग्राहक की क्षमता में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। कुछ एकीकृत सेवा व्यवस्थाओं में, ग्राहकों के साथ अनुबंधों में उपठेकेदार सेवाएं या तीसरे पक्ष के विक्रेता उपकरण शामिल होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाओं में, तीसरे पक्ष के विक्रेता उत्पादों या सेवाओं की बिक्री से राजस्व को लागतों के शुद्ध रूप में दर्ज किया जाता है जब समूह ग्राहक और	निष्पादित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियओं में शामिल थे- (1) विशिष्ट कार्यनिष्पादन दायित्वों की पहचान, (2) इस बात का आकलन कि क्या समूह एक मूल या एजेंट के रूप में कार्य कर रही है और (3) इस बात का मूल्यांकन कि क्या निश्चित-मूल्य रखरखाव राजस्व को प्रत्यक्ष आधार पर या प्रतिशत-पूर्णता विधि के तहत मान्यता दी गई है, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल थे। • हमने ग्राहकों के साथ अनुबंधों के एक नमूने का चयन किया और निम्नलिखित प्रक्रियाएँ कीं: - प्रत्येक चयनित नमूने के संबंध में, हमने प्रासंगिक अनुबंध दस्तावेज़ प्राप्त किए और उनकी समीक्षा की, जिसमें मास्टर सेवा समझौते और संविदात्मक व्यवस्था का हिस्सा बनने वाले अन्य सभी दस्तावेज़ शामिल थे। - अनुबंध में महत्वपूर्ण शर्तें और डिलिवरेबल्स की पहचान करें ताकि प्रबंधन के निष्कर्षों का आकलन किया जा सके (i) विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान (ii) क्या समूह एक मूल या एजेंट के रूप में कार्य कर रही है और (iii) क्या निश्चित मूल्य रखरखाव राजस्व को सीधे-लाइन आधार पर या पूर्णता प्रतिशत विधि का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। – उपलब्धि प्राप्त करने की स्थिति और उपलब्धि प्राप्त करने में संभावित देरी की पहचान करने के लिए ग्राहकों की स्वीकृति के साथ निरंतरता के अनुमानों का परीक्षण करना, जिसके लिए अनुमानित लागत में बदलाव या शेष कार्य निष्पादन दायित्व को पूरा करने के प्रयासों की आवश्यकता होती है

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा बिंदु	लेखापरीक्षक के उत्तर
	विक्रेता के बीच एक एजेंट के रूप में कार्य कर रही होती है, और सकल रूप में जब समूह लेनदेन के लिए प्रमुख होती है। ऐसा करने में, समूह सबसे पहले यह मूल्यांकन करती है कि क्या वह ग्राहक को हस्तांतरित किए जाने से पहले निर्दिष्ट माल या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करती है। समूह इस बात पर विचार करती है कि क्या वह मुख्य रूप से निर्दिष्ट सामान या सेवा प्रदान करने के वादे को पूरा करने, इन्वेंट्री जोखिम, मूल्य निर्धारण विवेकाधिकार और अन्य कारकों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वह उत्पादों या सेवा को नियंत्रित करता है और इसलिए, एक प्रिंसिपल या एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है।	– मान्यता प्राप्त राजस्व की तर्कसंगतता के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाएं करना – लागू लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में अनुबंध राजस्व और लागत से संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता का मूल्यांकन करना निर्माण अनुबंधों से समूह के राजस्व में वे अनुबंध शामिल हैं जहां यह परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में कार्य करता है। इन व्यवस्थाओं केअंतर्गत, अनुबंध की शर्तों के लिए समूह को ग्राहक की ओर से ठेकेदार का चयन करना, निविदा दस्तावेज तैयार करना और बोली आमंत्रित करना और उनका मूल्यांकन करना आवश्यक है। समूह कुल निर्माण लागत के एक निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में गणना की गई पीएमसी शुल्क लेती है। ठेकेदार निष्पादित निर्माण कार्य के लिए समूह पर शुल्क प्रभारित करता है, और बदले में, कंपनी, संविदात्मक शर्तों के अनुरूप, लागत-से-लागत के आधार पर ग्राहक पर संबंधित शुल्क प्रभारित करती है। स्वयं को मूल के रूप में मानते हुए, समूह अपने लाभ और हानि के विवरण में निर्माण लागत और पीएमसी शुल्क का कुल योग राजस्व के सकल मूल्य की पहचान करती है जबकि साथ ही साथ खर्चों के रूप में समतुल्य बैक-टू-बैक निर्माण लागत का अभिलेखीकरण करती है। मुख्य बातें/पर्यवेक्षण नीचे दिए गए हैं: 1. समूह की मुख्य विशेषज्ञता स्वयं निर्माण गतिविधियों कार्यान्वित करने के स्थान पर इंजीनियरिंग, खरीदप्रापण और निर्माण (ईपीसी) परामर्श में निहित है। तदनुसार, इसे विभिन्न ग्राहकों द्वारा परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया जाता है, और उस क्षमता में, यह निर्माण से संबंधित कार्यों को निष्पादित करने के लिए ठेकेदारों को नियुक्त करता है। 2. ग्राहक की ओर से निष्पादित ठेकेदारों और उपठेकेदारों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाली शर्तें, विशेष रूप से बैक-टू-बैक भुगतान व्यवस्था के लिए प्रदान करती हैं और स्पष्ट रूप से स्थापित करती हैं कि समूह कोई क्रेडिट जोखिम नहीं उठाती है। समूह द्वारा ठेकेदारों को भुगतान ग्राहक से संबंधित धन प्राप्त होने पर ही जारी किया जाता है। 3. समूह की अनुबंध की शर्तें, या समझौता ज्ञापन, अपने ग्राहकों के साथ ज्यादातर परियोजना प्रबंधन सलाहकार के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर ही ध्यान केंद्रित होती हैं। इसके अलावा, संगठन की कोई इन्वेंट्री नहीं है। 4. लागत-प्लस अनुबंध के विशिष्ट ढांचे के विपरीत, वर्तमान में समीक्षाधीन अनुबंधों में ठेकेदारों से मुख्य रूप से टर्नकी आधार पर निर्माण उद्धरण प्राप्त करना शामिल है। 5. ठेकेदारों के लाभ अंश के विपरीत, पीएमसी शुल्क निर्माण लागत के अतिरिक्त लिया जाता है, जो समूह की वास्तविक आय का प्रतिनिधित्व करता है।
2.	प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति समूह विभिन्न कर और अन्य विधिक मामलों में शामिल है, जिसके परिणाम अनिश्चित हैं और इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण वित्तीय और कानूनी निहितार्थ हो सकते हैं। इन कार्यवाहियों से उत्पन्न जोखिम का आकलन करने के लिए प्रबंधन को काफी निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह लागू कानूनों और तथ्यों की जटिल मान्यताओं और व्याख्याओं पर आधारित होता	निष्पादित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: I जारी कानूनी और कर मुकदमेबाजी की पहचान करने और निगरानी करने हेतु स्थापित प्रक्रियाओं और प्रासंगिक नियंत्रणों का आकलन। ii कानूनी और कर मामलों से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिम का अनुमान लगाने में कानूनी और कर विभाग द्वारा लागू मान्यताओं का आकलन। iii महतवपूर्ण विवादों की स्थिति के संबंध में कानूनी और कर विभागों से अद्यतन स्थिति प्राप्त किए और उसके संबंध में हमें प्रदान किए गए प्रमुख दस्तावेजों और अभ्यावेदनों की समीक्षा की। iv जारी विवादों के संभावित परिणामों और संभावित प्रभावों के संबंध में प्रबंधन से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त किए।

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा बिंदु	लेखापरीक्षक के उत्तर
	है। इस तरह का निर्णय मुख्य रूप से मामलों के संभावित परिणाम के आसपास की अनिश्चितताओं का मूल्यांकन करने और यह निर्धारित करने से संबंधित है कि क्या वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रावधान या प्रकटीकरण पर्याप्त और उचित हैं। इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्तर के शामिल निर्णय, विवादों के संभावित महत्वपूर्ण प्रभाव और संबंधित जोखिमों और प्रकटीकरण के आकलन में निहित जटिलता के कारण एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना गया है।	v वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों के पर्याप्त प्रकटीकरण आकलन।
3.	आस्थगित कर परिसंपत्ति समूह ने आस्थगित कर संपत्ति को मान्यता दी है। इस आस्थगित कर संपत्ति की वसूली आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर इस हकदारी का उपयोग करने के लिए पर्याप्त भावी कर योग्य लाभ के सृजन पर निर्भर करती है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में मान्यता दी क्योंकि आस्थगित कर संपत्ति की मान्यता के लिए संभावित कर योग्य लाभों का पूर्वानुमान लगाने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। (समेकित वित्तीय विवरण के नोट संख्या - 5 देखें)	हमने भावी राजस्व, कर योग्य लाभ के पूर्वानुमानों से संबंधित प्रबंधन के निर्णय का आकलन किया है और इन पूर्वानुमानों को तैयार करने के अंतर्निहित विचारों/मान्यताओं की तर्कसंगतता का मूल्यांकन किया है। उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, आस्थगित कर की मान्यता और माप को पर्याप्त और उचित माना गया।

वित्तीय विवरणों और इस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा सूचना

समूह प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में होल्डिंग कंपनी की बोर्ड सहित जानकारी के अनुलग्नकों सहित बोर्ड की रिपोर्ट, प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण, व्यापार दायितव और स्थायित्व रिपोर्ट, निगमित अभिशासन हितधारकों की जानकारी शामिल सूचना शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है और ऐसा विचार करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ अन्य सूचना वास्तविक रूप से असंगत है अथवा अन्यथा वास्तविक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर और अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कोई सूचना नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियां

समूह का प्रबंधन और निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए। जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत भारतीय लेखा मानकों (भा.ले.मा.) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत भारतीय लेखा गानको और अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और समूह के नकदी प्रवाह सहित वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन का एक सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं। समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारियों में प्रत्येक समूह की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और घोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्र लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव, उचित लेखांकन नौतियों का चयन और अनुप्रयोगः निर्णय लेना और अनुमान लगाना, जो उचित और विवेकपूर्ण हो; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो कि लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं और मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल प्रत्येक समूह को गोइंग कन्सर्न के रुप में जारी रखने हेतु समूह की क्षमता का आकलर, प्रकटीकरण, जैसा भी लागू हो, गोइंग कन्सर्न और लेखांकन के गोइंग कन्सर्न आधार का उपयोग करने से संबंधित मामले, जब तक प्रबंधन या तो समूह को समाज करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न रहा हो, के लिए जिम्मेदार हैं।

प्रबंधन और निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टेंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण संपूर्ण रुप से मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, से मुक्त है और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने, जिसमें हमारी राय भी शामिल है, के लिए है। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा मिथ्याकथन का पता लगाएगी, यदि यह मौजूद हो। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और महत्वपूर्ण तब माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या एकीकृत रूप में, वे इन स्टेंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए युक्तिसंगत रूप से अपेक्षित हो सकती है।

एसएएस के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम-

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, की जोखिमों, उन जोखिमों के लिए जिम्मेदार डिज़ाइन और निष्पादन लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की पहचान करते हैं और उनका आकलन करते हैं और लेखा परीक्षा साक्ष्य भी प्राप्त करते है जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त होते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप मिथ्याकथन का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले मिध्याकथन की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना (ओवरराइड) शामिल हो सकती हैं।

उन लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन तैयार करने के क्रम में लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझते है जो ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त होते

हैं। समूह अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या समूह के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन भी करते हैं।

प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा उपयोग की उपयुक्तता, और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या वास्तविक अनिश्चितता उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित है जो गोइंग कन्सर्न के रुप में जारी रखने संबंधी समूह की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकते हैं, के संबंध में भी निष्कर्ष निकालते है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, या राय संशोधित करने के लिए, यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरणों से संबंधित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होती है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां समूह को गोइंग कन्सर्न के रुप में जारी रखने को रोकने का कारण बन सकती हैं।• समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें खुलासे भी शामिल हैं, और क्या समेकित वित्तीय विवरण उचित प्रस्तुति प्राप्त करने के तरीके से अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हम स्टेंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का प्रकटीकरण सहित मूल्यांकन भी करते है, और यह भी पता लगाते हैं कि क्या स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व उस रुप में करता है, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त कर सकते हैं।

मैटेरियलिटी, समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है जिससे कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में, और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक मैटेरियलिटी और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के उन प्रभारित अधिकारियों को सूचित करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम प्रशासन के उन प्रभारित अधिकारियों को एक स्टेटमेंट भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संबंध में सूचित करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता का पालन करने, और जहां भी लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के लिए उचित माना जा सकता है।

शासन के उन प्रभारित अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इस तरह की सूचना के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक प्रतिकूल परिणामों की समुचित अपेक्षा है।

अन्य विषय

1. हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों का ऑडिट नहीं किया, जिसके वित्तीय विवरणों में समेकित समायोजन से पहले 31 मार्च 2025 को समूह की

कुल परिसंपत्तियों का हिस्सा 5981.10 करोड़ रुपये, समेकित समायोजन से पहले कुल राजस्व का समूह का हिस्सा 3234.63 करोड़ रुपये और समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किए जाने के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध नकदी अंतर्वाह का समूह का हिस्सा 137.18 करोड़ रुपये है। सहायक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक यह सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल राशि और खुलासे से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

2. कुछ अनुबंधों के संबंध में सहायक कंपनी ग्राहकों से जमा प्राप्त कर रही है जिस पर सेवाओं के प्रावधान के समय जीएसटी देयता का निर्वहन किया जा रहा है और जमा प्राप्त करने के समय नहीं। समूह को ब्याज और जुर्माना का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, यदि कोई भी जीएसटी विभाग द्वारा लगाया गया है, जिसकी मात्रा वर्तमान में अनिश्चित है। (नोट संख्या देखें . – 71)

3. समूह के लेखा परीक्षकों को समीक्षाधीन अवधि के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा है कि इसके परिणामस्वरूप वे किसी भी संभावित गैर अनुपालन या परिणामी प्रभावों को सत्यापित या टिप्पणी करने में असमर्थ थे जो आमतौर पर सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संबोधित मामलों से उत्पन्न हो सकते हैं।

4. वित्तीय वर्ष 2023-2024 और 2024-2025 के दौरान, समूह ने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की धारा 96 के तहत नियत तारीख के भीतर वार्षिक आम बैठक (एजीएम) नहीं की। जबकि इससे वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हम वैधानिक दायित्वों के संभावित गैर-अनुपालन की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके दंड परिणाम हो सकते हैं

5. सहायक कंपनी के लेखा परीक्षक ने कहा कि केंद्र सरकार के माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 171 के संदर्भ में लाभ-विरोधी प्रावधानों से संबंधित व्यवसायी से प्राप्त प्रबंधन अभ्यावेदन और राय के आधार पर, परियोजना प्राधिकरण के लिए निष्पादित कार्य के संबंध में जीएसटी को उचित रूप से प्रभारित, भुगतान, उपयोग और उपयोग किया गया है। ठेकेदार के साथ किए गए लेनदेन से सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 के अर्थ के अंतर्गत मुनाफाखोरी का कोई उदाहरण नहीं बनता है। तदनुसार, ठेकेदार या एनपीसीसी को कोई अनुचित लाभ या अनुचित संवर्धन प्राप्त होता प्रतीत नहीं होता है।

6. हमारी राय में, समितियों का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक ढांचे के अनुसार नहीं है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं के संबंध में रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के अनुसार यथा अपेक्षित, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, जहां तक लागू हो, **"अनुलग्नक-क"** में एक विवरण प्रदान करते हैं।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के माध्यम से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की आवश्यकतानुसार प्रबंधन से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, हम संलग्न "अनुलग्नक-ख" में निर्दिष्ट मामले पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा और प्राप्त किया है जो हमारे सर्वोत्म ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

ख) हमारी राय में, समूह ने कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(च) के तहत रिपोर्टिंग से संबंधित निम्नलिखित अनुच्छेद 1(i)(vi) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, कानून द्वारा अपेक्षित लेखा पुस्तकों को बनाए रखा है, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रकट होता है।

ग) इस रिपोर्ट में समेकित बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित समेकित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।

घ) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अनुसार निर्धारित किए गए भारतीय लेखा मानक का अनुपालन करते हैं

ङ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 463(ई) के संदर्भ में, निदेशकों की अयोग्यता के संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान, सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, हमारी राय में अपर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के कारण, "अनुलग्नक-ग" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें जिसमें हमने अपनी राय का अस्वीकरण व्यक्त किया है।

छ) अधिनियम की धारा 197(16) यथा संशोधित के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, यह कहा गया है कि कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची v के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) के संदर्भ में कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

समूह की सहायक कंपनी के खातों सीएजी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की गई, यह रिपोर्ट हमें भेजी गई और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा सम्यक सवाधानी बरती गई है।

(i) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014, यथा संशोधित के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और सहायक कंपनी के अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर जैसा कि अन्य मामलों के पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है

(क) समेकित वित्तीय विवरण समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च 2025 तक लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को प्रकट करते हैं (नोट 56 देखें)।

(ख) समूह ने अपने ग्राहकों के लिए समूह द्वारा निष्पादित किए जा रहे अनुबंधों के संबंध में लागू आईएनडी एएस के तहत अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रावधान किया है। इसके अलावा, समूह को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर कोई अन्य अनुमानित नुकसान नहीं हुआ।

(ग) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित की जाने वाली कोई राशि नहीं थी

(घ) (I) समूह प्रबंधन ने अभ्यावेदन दिया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर व्यापक है) को अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या

प्रकार के कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ द्वारा समूह ("अल्टीमेट बेनिफिशरीज") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार दिया जाएगा या निवेश किया जाएगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान की जाएगी;

(ख) समूह प्रबंधन ने अभ्यावेदन किया है कि, अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार, समूह द्वारा किसी भी व्यक्ति या इकाई, जिसमें विदेशी इकाई ("निधियन पक्ष") भी शामिल हैं, से कोई भी धन (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर भौतिक रूप से) इस विचार के साथ, चाहे लिखित रूप या अन्यथा रूप में, कि समूह, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से,निधियन पक्ष ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उनकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण या निवेश या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करेगा।

परिस्थितियों के अनुसार जिन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को उचित और उपयुक्त माना गया, उसके आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो सके कि उपरोक्त (क) और (ख) के तहत नियम 11(ड) के खंड (i) और (ii) में दिए गए अभ्यावेदन में कोई भौतिक गलत बयान है।

(ड) (क) समूह ने वर्ष के दौरान कोई अंतरिम लाभांश घोषित नहीं किया है।

(ख) (i) वर्ष के दौरान, समूह की होल्डिंग कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 123 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में कोई अंतिम लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

(ii) वर्ष के दौरान, समूह की सहायक कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 123 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में 12 जनवरी 2026 को 25 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश दिया था।

(ग) (i) इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के संबंध में होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल ने 0.80 रुपये प्रति शेयर के लाभांश का प्रस्ताव किया है, जिसमें कुल 10.40 करोड़ रुपये का बहिर्वाह शामिल है।

(ii) इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के संबंध में सहायक कंपनी के निदेशक मंडल ने 169 रुपये प्रति शेयर के लाभांश का प्रस्ताव किया है, जिसमें कुल 15.98 करोड़ रुपये का बहिर्वाह शामिल है

होल्डिंग कंपनी

हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2 025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने बहीखातों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन देन के लिए पूरे वर्ष इसका संचालन किया गया है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला हमें नहीं मिला और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

सहायक कंपनी

हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा की सुविधा है, हालांकि, सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष लगातार इसका रखरखाव नहीं किया गया था। तदनुसार, हम उक्त सॉफ्टवेयर के ऑडिट ट्रेल सुविधा की पूर्णता और प्रभावशीलता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

इसके अलावा, रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऑडिट ट्रेल संरक्षित नहीं किया गया है।

* बिन्दु 1 को निर्देशानुसार अद्यतन/संशोधित/सीएजी के अवलोकन

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है

कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी के लिए।
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 007814एन

प्रदीप कुमार लखानी
साझेदार
सदस्यता सं. 091192
दिनांक: 14 अप्रैल 2026
यूडीआईएन: 26091192PHVHIT1420

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "क"

मैसर्स वाप्कोस लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के ' अन्य विधिक और अन्य विनियामक आवश्यकता संबंधी रिपोर्ट' के खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 1 देखें।

हमारी सर्वोत्तम जानकारी और समूह द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और लेखा परीक्षा की अवधि दौरान हमारे द्वारा जांच किए गए बहीखातों और अभिलेखों के आधार पर हमारा अभिमत है कि:

मूल कंपनी के मामले में

स्वामित्व कंपनी

हमारी सर्वोत्तम जानकारी और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और लेखा परीक्षा की अवधि दौरान हमारे द्वारा जांच किए गए बहीखातों और अभिलेखों के आधार पर हमारा अभिमत है कि:

I (क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण प्रदर्शित करने वाले समुचित अभिलेख अनुरक्षित किए हुए हैं। हालाँकि, परिसंपत्तियों को स्पष्ट रूप से चिह्नित नहीं किया गया है और स्थान-वार पहचान को पर्याप्त रूप से अनुरक्षित नहीं किया गया है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का सम्पूर्ण विवरण प्रदर्शित करने वाले समुचित रिकॉर्ड अनुरक्षित किए हुए हैं।

(ख) यह एक नियमित सत्यापन कार्यक्रम के अनुसार एक नियमित अंतराल पर भौतिक रूप से परिसंपत्तियों को सत्यापित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और औपचारिक बनाने की आवश्यकता है जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक है। इस तरह की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान विसंगतियां सामने आईं, जिनके संबंध में कंपनी द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जानी बाकी है। यह कि प्रबंधन ने सूचित किया है कि पाई गई विसंगतियां भौतिक प्रकृति की नहीं हैं और भौतिक संपत्तियों को चिह्नित किए जाने जैसे विशिष्ट उपाय पर्याप्त रूप से लागू किए जाएंगे और जहां भी आवश्यक हो, आने वाले वर्षों में सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे। कंपनी प्रबंधन को तत्काल उपचारात्मक उपाय करने की सलाह दी जाती है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा कंपनी के रिकॉर्ड की गई जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक/पट्टा विलेख (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है, और पट्टेदारों के पक्ष में पट्टा समझौते विधिवत निष्पादित किए गए हैं) कंपनी के नाम धारित हैं।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, खंड 3(i)(घ) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार बेनामी संपत्ति रखे जाने के संबंध में कंपनी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है अथवा लंबित नहीं है।

ii. (क) कंपनी के पास किसी प्रकार की इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii) (क) के अंतर्गत जानकारी प्रदान करने संबंधी प्रावधान लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान किसी भी समय कंपनी के लिए चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों की ओर से पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा नहीं लगाई गई है।

iii (क) वर्ष के दौरान यदि कंपनी ने कंपनियों, प्रतिष्ठानों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को ऋण की प्रकृति में कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है या कोई ऋण अथवा अग्रिम प्रदान किया है, सुरक्षित या असुरक्षित, तदनुसार, हम निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	गारंटी	प्रतिभूति	ऋण	ऋण की प्रकृति में अग्रिम
अनुदत्त सकल राशि /वर्ष के दौरान उपलब्ध				
- सहायक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
- अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
- उपरोक्त मामलों के संबंध में				
- बैलेंस शीट तिथि तक				
- बकाया शेष				
- सहायक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
- अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) यह कि कंपनी ने 31 मार्च, 2025 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत शामिल पक्षकारों को पार्टियों को किसी प्रकार का ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियाँ प्रदान नहीं की हैं, और उपधारा (iii) (ख) लागू नहीं है।

(ग) कि कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं और इसलिए खंड (iii) (ग) लागू नहीं होता है।

(घ) कि कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं और इसलिए खंड (iii) (प) लागू नहीं होता है।

(ङ) कि कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं और इसलिए खंड (iii) (ङ) लागू नहीं होता है।

(च) कि कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं और इसलिए खंड (iii) (च) लागू नहीं होता है।

iv. यह कि कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियाँ नहीं दी हैं, जिन पर अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हों और इसलिए खंड (iv) लागू नहीं है

v. कंपनी ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के तहत शामिल माना जाता है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

vi. कंपनी द्वारा की जाने बाली व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड का रखरखाव विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, आदेश के खंड (vi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

vii. संवैधानिक देय राशि के संबंध में:

(क) कंपनी आयकर, उपकर और उस पर लागू अन्य सांविधिक देय राशि सहित निर्विवाद वैधानिक देय राशि उचित अधिकारियों के पास जमा कराने में नियमित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, माल और सेवा कर (जीएसटी), उपकर और अन्य वैधानिक बकाया के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च 2025 तक बकाया नहीं थी।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिकारियों के साथ विवाद के कारण जमा किए गए कोई भी बकाया वैधानिक देय राशि नहीं थी, सिवाय इसके कि:

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	फोरम जहां विवाद लंबित है	जिस अवधि से संबंधित है (वित्तीय वर्ष)	राशि रू. में	वर्तमान स्थिति
	प्रत्यक्ष कर मामले					
1	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आय कर विभाग	2000-2001	500000	कंपनी ने आयकर पोर्टल पर यह कहते हुए कि मामला पहले ही समाप्त हो चुका है और मूल्यांकन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है; इस मांग के प्रति असहमति व्यक्त की है, हालांकि, मांग ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रदर्शित होती रहती है।
2	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आय कर विभाग	2005-2006	2114543	कंपनी ने आयकर पोर्टल पर यह कहते हुए कि मामला पहले ही समाप्त हो चुका है और मूल्यांकन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है; इस मांग के प्रति असहमति व्यक्त की है, हालांकि, मांग ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रदर्शित होती रहती है।
3	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आय कर विभाग	2016-2017	220320	कंपनी ने आयकर पोर्टल पर यह कहते हुए कि मामला पहले ही समाप्त हो चुका है और मूल्यांकन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है; इस मांग के प्रति असहमति व्यक्त की है, हालांकि, मांग ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रदर्शित होती रहती है।
4	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आय कर विभाग	2009-2010	26873896	कंपनी ने आयकर पोर्टल पर यह कहते हुए कि मामला पहले ही समाप्त हो चुका है और मूल्यांकन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है; इस मांग के प्रति असहमति व्यक्त की है, हालांकि, मांग ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रदर्शित होती रहती है।
5	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आय कर विभाग	2013-2014	2523255	कंपनी ने आयकर पोर्टल पर यह कहते हुए कि मामला पहले ही समाप्त हो चुका है और मूल्यांकन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है; इस मांग के प्रति असहमति व्यक्त की है, हालांकि, मांग ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रदर्शित होती रहती है।
6	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	सीआईटी अपील	2016-2017	13743306	दायर की गई अपील का जवाब वर्चुअल सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया है
7	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	सीआईटी अपील	2019-2020	129792413	अपील दायर की गई और सुनवाई की गई
8	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	सीआईटी अपील	2020-2021	10589630	धारा 154 के अंतर्गत आवेदन दायर किया गया
9	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	सीआईटी अपील	2021-2022	83234430	सूचना प्राप्त हुई। अपील दायर की गई। सुनवाई की गई
10	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	सीआईटी अपील	2022-2023	53535327	सूचना प्राप्त हुई। अपील दायर की गई।
11	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आय कर विभाग	2017-2018	19106370	कंपनी ने आयकर पोर्टल पर मांग के प्रति अपनी असहमति दर्ज की है।

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	फोरम जहां विवाद लंबित है	जिस अवधि से संबंधित	राशि रू. में	वर्तमान स्थिति
	अप्रत्यक्ष कर मामले					
1	जीएसटी	उत्तराखंड जीएसटी	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2017-2018	42447255	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
2	जीएसटी	उत्तराखंड जीएसटी	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2019-2020	39905490	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
3	जीएसटी	राजस्थान	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2017-2018	169564304	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
4	जीएसटी	राजस्थान	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2017-2022	5404246	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
5	जीएसटी	राजस्थान	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2018-2019	22053892	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
6	जीएसटी	राजस्थान	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2019-2020	5348612	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
7	जीएसटी	राजस्थान	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2020-2021	1807880	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
8	जीएसटी	राजस्थान	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2021-2022	19751938	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
9	जीएसटी	बिहार	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2017-2021	84293562	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
10	जीएसटी	केरल	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2018-2019	6476087	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
11	जीएसटी	केरल	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2019-2020	19918843	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
12	जीएसटी	केरल	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2020-2021	7236517	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
13	जीएसटी	महाराष्ट्र	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2017-2018	463128	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
14	जीएसटी	ओडिशा	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2020-2021	3518548	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
15	जीएसटी	पश्चिम बंगाल	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2019-2020	2133034	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
16	जीएसटी	दिल्ली	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2019-2020	245378597	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
17	जीएसटी	दिल्ली	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2020-2021	71839752	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
18	जीएसटी	हरियाणा	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2017-2022	134598246	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
19	जीएसटी	हिमाचल प्रदेश	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2020-2022	27666462	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
20	जीएसटी	तमिलनाडु	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2018-2019	15158048	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	फोरम जहां विवाद लंबित है	जिस अवधि से संबंधित	राशि रू. में	वर्तमान स्थिति
	अप्रत्यक्ष कर मामले					
21	जीएसटी	तमिलनाडु	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2019-2020	1025712	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
22	जीएसटी	तमिलनाडु	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2020-2021	4594750	अपील दायर की गई और सुनवाई प्रतीक्षित है
23	जीएसटी	पंजाब	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2017-2018	29448452	अधिकरण पीठ के समक्ष फाइलिंग के लिए लंबित
24	जीएसटी	राजस्थान	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2017-2018	3626916	अधिकरण पीठ के समक्ष फाइलिंग के लिए लंबित
25	जीएसटी	पश्चिम बंगाल	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2019-2020	131029	अधिकरण पीठ के समक्ष फाइलिंग के लिए लंबित
26	जीएसटी	कोच्चि	जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण	2017-2018	2396124	अधिकरण पीठ के समक्ष फाइलिंग के लिए लंबित

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान सरेंडर या आय के रूप में प्रकट की गई पहले से अघोषित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

(क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण के पुनर्भुगतान में या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) कंपनी के संदर्भ में हमारे रिकॉर्ड में कोई भी उदाहरण या जानकारी नहीं आई है कि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा कंपनी को जानबूझकर डिफ़ॉल्टर घोषित किया गया है।

(ग) ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए ऋण प्राप्त किया गया था।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि का, प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

(ड.) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उसके कारण किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix) (च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ए) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(एक्स)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(बी) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट (पूरी तरह से या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(एक्स)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ए) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, प्रबंधन द्वारा मेसर्स पाटेपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट (पी) लिमिटेड के साथ एक परामर्शी परियोजना के दौरान एक अनियमितता की पहचान की गई थी। प्रबंधन की आंतरिक समीक्षा में ग्राहक द्वारा संविदात्मक शर्तों की पूर्ति न होने का संकेत दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभ में मार्च 2025 में 67.50 करोड़ रुपये के राजस्व की पहचान की गई, क्योंकि राजस्व मान्यता के लिए लागू लेखांकन ढांचे के तहत मानदंड पूरा नहीं किए गए थे।

कंपनी ने एक ही वित्तीय वर्ष में पूरे राजस्व को पलट दिया है। संबंधित जीएसटी देयता रु. 12.15 करोड़ की है, जिसे क्रेडिट नोट जारी करके समायोजित किया गया है, जिसे ग्राहक द्वारा स्वीकार किया गया है। तदनुसार, वर्ष के लिए रिपोर्ट किए गए कारोबार और वैधानिक देय राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शेष वित्तीय निहितार्थ ग्राहक के साथ रखे गए 90 लाख रुपये के अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) से संबंधित है, जिसकी वसूली कंपनी द्वारा की जा रही है। प्रबंधन ने बहीखातों में उक्त राशि का पूरा प्रावधान किया है।

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी द्वारा या कंपनी पर, ऊपर वर्णित के अलावा, कोई धोखाधड़ी सामने नहीं आई है अथवा या वर्ष के दौरान ऐसी जानकारी नहीं दी गई है।

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार को वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करते समय हमने वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तारीख तक) कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा है।

कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

XIII. हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षों, जहां लागू हो, के संबंध में प्रयोज्य लेनदेन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन कर रही है और संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि प्रयोज्य लेखा मानकों में आवश्यक है।

(क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है। हालाँकि, कंपनी को अपनी समयबद्धता और कार्य को समय पर पूरा होने के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता है और अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

(बी) हमने लेखा परीक्षा की अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

XV. वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से की गई हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या जुड़े व्यक्तियों द्वारा किसी भी संपत्ति अधिग्रहण से जुड़े निदेशकों या व्यक्तियों के साथ गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है।

(क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश की धारा 3(xvi) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवासीय वित्त गतिविधियां नहीं की हैं, इसलिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ख) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(घ) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी कोई कोर निवेश कंपनी (कोर निवेश कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में यथापरिभाषित) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

17. हमारी लेखापरीक्षा में शामिल वित्त वर्ष और ठीक पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी को कोई नकद हानि नहीं हुई है।

वर्ष के दौरान कंपनी के किसी सांविधिक लेखा परीक्षक ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया है। इसलिए आदेश का खंड 3 (xviii) लागू नहीं है।

lxix. वित्तीय अनुपातों के आधार पर और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियां और वित्तीय विवरणों के साथ वित्तीय देनदारियों/अन्य जानकारी का भुगतान और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साध्य की हमारी जांच के आधार पर / हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि को मौजूदा अपनी देनदारियों और जब भी वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं, को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हांलाकि हमारा अभिमत है कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारा विचार है कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय और जैसे भी और जब भी वे देय हो जाते हैं, सभी देनदारियां कंपनी द्वारा समाप्त कर दी जाएंगी।

(क) अन्य चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ("सीएसआर") के लिए 59.46 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1.09 लाख रुपये) की अप्रयुक्त राशि एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई है। यह कि 31 मार्च 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची में VII निर्दिष्ट किसी निधि में हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं है।

(ख) यह कि ऐसी कोई राशि नहीं है जो कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत अव्ययित राशि बनी हुई है, इसलिए खंड (xx) (ख) लागू नहीं होता है।

xxi. खंड 3(xxi) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, जिन्हें लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे द्वारा जारी की गई सीएआरओ रिपोर्ट के आधार पर और सहायक कंपनी के लेखा परीक्षकों के अनुसार कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण में शामिल है, जहां सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू है, हम यह कह सकते हैं कि सीएआरओ रिपोर्ट में निम्नलिखित को छोड़कर कोई अर्हता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है

क्र सं.	कंपनी का नाम	सीआईएन	सहायक/ सम्बद्ध	अर्हता या प्रतिकूल टिप्पणियों के साथ सम्बद्ध सीएआरओ की खंड सं.
1	नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	यू45202डीएल1957जीओआई002752	सहायक 3(vii)	(क)

सहायक कंपनी

सहायक कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने जानकारी दी है कि:

(i) (क) (क) कंपनी ने साामन्यत: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक जानकारी और स्थिति सहित पूर्ण विवरण प्रदर्शित करने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं, लेकिन सभी वांछित कॉलम को अपडेट करके समय पर अद्यतन नहीं किया गया है, जिसे पूर्ण प्रकटीकरण देने हेतु सुधार की आवश्यकता है।

(ख) कंपनी ने सामान्यत: अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण प्रदर्शित करने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी वर्ष के अंत में अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन करती है, सिवाय कुछ बंद इकाइयों के संबंध में जहां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण परियोजना प्राधिकरणों के अधिकार में हैं। जैसा कि बताया गया है, वर्ष के दौरान ऐसे सत्यापन के दौरान कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई। हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए भौतिक सत्यापन की आवधिकता उचित है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के संबंध में हमारी जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक/पट्टे के विलेख (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है, और पट्टे के समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) कंपनी के नाम पर रखे गए हैं।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) या अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, खंड 3(i)(घ) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई अथवा लंबित नहीं है।

(ii) (क) हमें प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अनुसार भौतिक रूप से इन्वेंट्री का सत्यापन किया गया है, सिवाय बंद साइटों पर मौजूद सामग्री के, जहां कंपनी की पहुंच नहीं है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के किसी भी समय पांच करोड़ रुपये से अधिक की कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है।

(iii) कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है;

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी नहीं दी है जिसके लिए अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हैं;

(v) कंपनी ने कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान लागू होते हैं;

(vi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा की गई व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत लागत रिकॉर्ड रखरखाव हेतु निर्दिष्ट नहीं किया है। इसलिए, आदेश के खंड (vi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(vii)(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की गई हमारी जांच के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर, माल एवं सेवा कर और अन्य वैधानिक देयताओं सहित निर्विवाद वैधानिक देयताओं के संबंध में बहीखातों में कटौती/उपार्जित राशि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उचित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा की गई है और निम्नलिखित को छोड़कर वर्ष के अंत में 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई बकाया राशि नहीं है,

छह महीने से अधिक समय से बकाया सांविधिक देय राशि का विवरण

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रु.)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	देय तिथि	भुगतान की तिथि	टिप्पणियां, यदि कोई हो
भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996	श्रम उपकर	51,14,997	2024-25	अप्रैल-25	29-10-2025	-
भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996	श्रम उपकर	1,85,208	2023-24	अप्रैल-24	16-12-2024	-
भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996	श्रम उपकर	4,498	2023-24	अप्रैल-24	19-12-2024	-
भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996	श्रम उपकर	1,04,941	2023-24	अप्रैल-24	19-12-2024	-
भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996	श्रम उपकर	25,29,250	2024-25	अप्रैल-25	13-02-2026	-
संविदात्मक	रॉयल्टी	24,044	2023-24	-	-	-
आयकर अधिनियम	टीडीएस 94जे	5,000	2024-25	अप्रैल-25	-	-
माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	सीजीएसटी और एसजीएसटी	36,68,000	2024-25	-	20 अगस्त, 2025 बिना ब्याज के लागू। राशि का पता लगाया	जैसा कि हमें बताया गया है, ऐसा भरने के समय अनजाने में हुई त्रुटि के परिणामस्वरूप आईटीसी के अत्यधिक दावे के कारण है
संविदात्मक	रॉयल्टी	7,98,000	-	-	-	-
सहायक आयुक्त, जीएसटी	जीएसटी 2020-21	1,84,60,460	2024-25	-	-	जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी ने मांग के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है। हालाँकि, यह विलंब की माफी दाखिल करने की योजना बना रहा है, लेकिन पुस्तकों में इसी तरह का प्रावधान किया गया है

इसके अतिरिक्त, जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर कर्मचारियों के राज्य बीमा और उत्पाद शुल्क के कारण कोई बकाया नहीं था।

i. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर और जीएसटी के कारण 'परिशिष्ट 1' में दर्शाए बकाया राशि को कंपनी द्वारा विवादों के कारण जमा नहीं किया गया है।

(viii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे कोई लेनदेन नहीं हैं जो बहीखातों में दर्ज नहीं किए गए थे और जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया था

(ix) कंपनी के पास वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंकों या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण या उधार नहीं है।

(x) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) और सावधि ऋण के माध्यम से कोई धन उपार्जित नहीं किया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान, शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी नियोजन या पूर्णतः या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xi) (क) हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की भौतिक धोखाधड़ी नहीं पाई गई है अथवा जानकारी नहीं दी गई है।

(ख) हमने कंपनी अधिनियम (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 के तहत यथानिर्धारित एडीटी-4 में, इस रिपोर्ट की तारीख तक और वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 12 के तहत कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई।

(xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश की धारा 3(xii) (क)(ख) और (ग) लागू नहीं हैं।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188, जहां कहीं लागू हो, के अनुपालन में हैं और भारतीय लेखा मानक द्वारा यथाअपेक्षित ऐसे लेनदेन का विवरण वित्तीय विवरणों में दियागया है।

(xiv) (क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है। हालाँकि, कंपनी को समयबद्धता और आवधिकता के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता है और अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

(ख) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।

(xvi) (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(xvi) (क) लागू नहीं हैं।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां नहीं की हैं, इसलिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) (ख) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में यथापरिभाषित कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(घ) समूह का हिस्सा बनाने वाली संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा साझा की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में, समूह के भीतर कोई मूल निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है)। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvii) (घ) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(xvii) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नकद नुकसान नहीं किया है। तदनुसार, खंड 3(xvii) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों का त्यागपत्र नहीं दिया है। इसलिए आदेश का खंड 3 (xviii) लागू नहीं है।

(xix) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अवधि और अपेक्षित तिथि तथा वित्तीय देनदारियों के भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, हमें दी गई निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के आधार पर, लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख पर कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं है यह कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जब कभी देय होने पर बैलेंस शीट की तारीख पर अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

(xx) (क) हमें दी गई व्याख्या और जानकारी के अनुसार, जारी परियोजनाओं के अलावा, अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में अप्रयुक्त राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता नहीं थी।

(ख) जारी परियोजनाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुपालन में एक विशेष बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाने हेतु कोई अप्रयुक्त राशि मौजूद नहीं थी।

(xxi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी का कोई सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, खंड 3(xxi) के तहत अभिलेखीकरण लागू नहीं है।

* होल्डिंग कंपनी- खंड 3 (xxi) सीएजी के निदेश/पर्यवेक्षण के अनुसार अद्यतित/ संशोधित

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है

कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी के लिए।
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 007814एन

प्रदीप कुमार लखानी
साझेदार
सदस्यता सं. 091192
दिनांक: 14 अप्रैल 2026
यूडीआ ईएन: 26091192पीएचवीएचआईटी4024

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ख"

एक्ट की धारा 143(5) के तहत रिपोर्ट, और 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वाप्कोस लिमिटेड के वित्तीय मामलों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश लागू हैं।

क्र. सं.	निदेश	प्रत्युत्तर
1.	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए कंपनी द्वारा या ट्रस्ट के माध्यम से सीधे किए गए सभी निवेशों, उद्धृत और अ-उद्धृत दोनों का उचित मूल्यांकन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, भारतीय लेखा मानकों के साथ सुसंगता सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेज़ों की समीक्षा शामिल है। लेखापरीक्षक किसी भी भौतिक विचलन या गलत बयानों जानकारी देते हुए मूल्यांकन दृष्टिकोण, इसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन से संबंधित एक संक्षिप्त नोट उपलब्ध कराएगा।	कंपनी के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों में परिभाषित अंशदान और परिभाषित लाभ व्यवस्था दोनों शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न ट्रस्टों और बीमा योजनाओं के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। मूल्यांकन दृष्टिकोण - निवेश और सेवानिवृत्ति के बाद की देनदारियों का मूल्यांकन उपयुक्त पद्धतियों का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें परिभाषित लाभ दायित्वों के लिए बीमांकन मूल्यांकन भी शामिल है। पेंशन निधि न्यास श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुपालन में निवेश के साथ लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, उस पर दर्ज निवेश का प्रबंधन करता है। इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अनुपालन लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा पीएफ ट्रस्ट का समय-समय पर लेखा परीक्षण किया जाता है। पेंशन ट्रस्ट, भविष्य निधि न्यास और ग्रेच्युटी ट्रस्ट तीनों में से प्रत्येक का चार्टर्ड एकाउंटेंट की बाहरी फर्म द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षण किया जाता है। ग्रेच्युटी दायित्व को परिभाषित लाभ योजना ढांचे के तहत एलआईसी के साथ 'कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी सह जीवन बीमा योजना' के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा मान्यता प्राप्त एक निधि प्रबंधक एलआईसी सुपरएनुएशन (पेंशन निधि) को अधिवार्षिता योजना हस्तांतरित की जा रही है। समीक्षित जानकारी और रिकॉर्ड के आधार पर, हमने लागू नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन के संबंध में किसी भी भौतिक विचलन या गलत प्राककथन को नहीं पाया।
2.	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने हेतु कोई प्रणाली है? यदि हां, तो क्या कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के साथ-साथ साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रणाली और नियंत्रणों की समीक्षा की गई है और यदि कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां पाई गई हैं, तो क्या उचित रूप से उसकी जानकारी दी गई है? लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित करने के लेखांकन की अखंडता पर निहितार्थ के साथ-साथ वित्तीय निहितार्थ की भी जानकारी दी जा सकती है।	हाँ, कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक स्थापित ईआरपी प्रणाली मौजूद है। वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण प्रणाली और नियंत्रण, जिसमें साइबर सुरक्षा से संबंधित नियंत्रण भी शामिल हैं, की समीक्षा की गई है। इस समीक्षा के आधार पर, कोई भी ऐसी भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई जिनके बारे में जानकारी दी जानी आवश्यक हो। वित्तीय वर्ष 2024 -25 के दौरान, सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए गए थे। हालाँकि, भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कुछ मैनुअल हस्तक्षेप आवश्यक थे।
3.	ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/उधारी/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने अथवा मौजूदा ऋण की पुर्नसंरचना के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ की जानकारी दें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से गणना की जाती है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी ऋण की पुर्नसंरचना अथवा कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण या ऋणों की छूट/बट्टे खाते में डालने/ऋण/ब्याज आदि का मामला नहीं है।

क्र. सं.	निदेश	प्रत्युत्तर
4.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य राशि का लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से किया गया और क्या प्राप्त राशि का उपयोग उसकी शर्तों के अनुसार किया गया ? क्या प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज का लेखांकन अनुदान की शर्तों के अनुसार किया गया है। विचलन के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान केंद्र/राज्य एजेंसियों से किसी भी विशिष्ट योजना के लिए कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी) प्राप्त नहीं हुई है।
5.	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हां, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा संपत्तियों की पहचान की है और क्या इसका उचित मूल्यांकन किया गया है?	हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा की गई प्रासंगिक रिकॉर्डों की जांच के आधार पर, हम यह कह सकते हैं कि कंपनी के पास वर्तमान में मई 2022 में तैयार की गई एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की गई है। कंपनी ने अपनी जोखिम प्रबंधन नीति को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया है। (क) कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। हालाँकि, इस कार्यढांचे में संरचित उद्यम जोखिम प्रबंधन घटक जैसे कि परिभाषित जोखिम भूख, औपचारिक जोखिम मूल्यांकन पद्धति, केंद्रीकृत जोखिम रजिस्टर और आवधिक निगरानी तंत्र शामिल नहीं हैं। हमारी राय में, कंपनी ने सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक जोखिम प्रबंधन कार्यढांचा तैयार नहीं किया है। (ख) कंपनी का संगठन के आकार और इसके संचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अपनी डेटा संपत्तियों की पहचान करने और उनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता का आकलन करने की मंशा रखती है
6.	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सेबी, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी-आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय भुगतान निगम ऑफ इंडिया के अन्य लागू नियमों और विनियमों का पालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों पर प्रकाश डालें।	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी निम्नलिखित नियमों का अनुपालन करती है: 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015: - उपरोक्त नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं 2. निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए): - कंपनी डीआईपीएएम और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करती है। समीक्षा के दौरान कोई विचलन या गैर-अनुपालन मुद्दे नहीं पाए गए। 3. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई): - कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करती है। समीक्षा के दौरान किसी प्रकार का विचलन या गैर-अनुपालन नहीं पाया गया। 4. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), सीईआरटी-इन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई): - उपरोक्त नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

क्र. सं.	उप-निर्देश	जवाब
1.	क्या राशि की वसूली और हानि आवश्यकताओं के संबंध में ईसीएल प्रावधान हेतु लेखांकन अनुमान सही है।	अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को एक संरचित, जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके निर्धारित किया गया है जिसमें ऐतिहासिक डिफ़ॉल्ट पैटर्न, उधारकर्ता-विशिष्ट वित्तीय आकलन, भविष्य की जानकारी और डिफ़ॉल्ट मापदंडों को देखते हुए डिफ़ॉल्ट और हानि की संभावना शामिल है। आवधिक एजिंग विश्लेषण, संपार्श्विक के मूल्यांकन, रिपोर्टिंग के बाद की वसूली की समीक्षा और क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की पहचान के माध्यम से वसूली का मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी ने मूल्यांकन के सहयोग के लिए एक बीमांकिक नियुक्त किया है। कंपनी की नीति के अनुसार, दस वर्ष से अधिक की अवधि वाले व्यापार प्राप्य, प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा सहित लंबे समय से बकाया वित्तीय परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है और मामले-दर-मामले के आधार पर अंसभरणीय माने जाने वाले प्राप्य को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, भले ही दस वर्ष की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई हो। तदनुसार, वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त ईसीएल प्रावधान पर समुचित रूप से विचार किया गया और लागू हानि आवश्यकताओं के अनुपालन में है।

क्र. सं.	प्रबंधन पत्र	जवाब
1.	प्रबंधन के दिनांक 18/06/2025 के पत्र संख्या 41 पीडीसीए/एचएस/एमएबी -4///12 -13/ के जारी पत्र पर प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई पर टिप्पणी	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 -24 से संबंधित प्रबंधन के पत्र में उठाए गए सभी 22 बिंदुओं पर कार्रवाई की है

* सीएजी के निर्देशों/अवलोकन के अनुसार एस.एन.2 को अद्यतन/संशोधित किया गया है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी के लिए।
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 007814एन

प्रदीप कुमार लखानी
साझेदार
सदस्यता सं. 091192
दिनांक: 11 अप्रैल 2026
यूडीआ ईएन: 26091192पीएचवीएचआईटी4024

सहायक कंपनी

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश लागू हैं

क्र. सं.	निदेश	जवाब
i.	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए कंपनी द्वारा या ट्रस्टों के माध्यम से सीधे किए गए सभी निवेशों, उद्धृत और अ-उद्धृत दोनों का उचित मूल्यांकन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन करना, इंड एएस के साथ निरंतरता सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेज़ों की समीक्षा करना शामिल है। ऑडिटर मूल्यांकन दृष्टिकोण, इसकी तर्कसंगतता और लागू नियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त नोट प्रदान करेगा, किसी भी भौतिक विचलन या गलत बयानों की रिपोर्ट करेगा।	हमें प्रदान की गई सभी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए ट्रस्टों के माध्यम से कंपनी द्वारा किए गए सभी निवेशों को लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे और लागू नियमों के अनुसार उचित रूप से मूल्यांकित किया गया है और कंपनी ने ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के मूल्यांकन के लिए बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया है। इसके लिए हमने बीमांकिक रिपोर्टों पर भरोसा किया है। हालाँकि, संविदात्मक कर्मचारी की कंपनी में उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किए बिना वास्तविक आधार पर गणना की गई ग्रेच्युटी। इसके अलावा, सीपीएफ ट्रस्ट ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और लागत के आधार पर इन म्यूचुअल फंड के लिए लेखांकन का पालन किया है और सीपीएफ ट्रस्ट ऑडिटेड वित्तीय विवरणों के अनुसार इन म्यूचुअल फंड के लिए उचित मूल्यांकन पद्धति का पालन नहीं किया है जो हमें प्रदान किया गया है और जिसका ऑडिट किसी अन्य लेखा परीक्षक द्वारा किया गया है।
ii.	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हां, तो क्या कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के साथ-साथ साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण इस प्रणाली और नियंत्रणों की समीक्षा की गई है और यदि कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां पाई गई हैं, तो क्या उन्हें उचित रूप से रिपोर्ट किया गया है? लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित करने के लेखांकन की अखंडता पर निहितार्थ के साथ-साथ वित्तीय निहितार्थ की भी रिपोर्ट की जा सकती है।	हां, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। वर्तमान में कंपनी टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। हालाँकि, इसके पास आदेशों, प्राप्य और देय का प्रबंधन करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। कंपनी लागत केंद्र और टैली में उपलब्ध वैधानिक अनुपालन कार्यों का उपयोग नहीं कर रही है। यद्यपि ऑडिट ट्रेल सुविधा सिस्टम में उपलब्ध थी, लेकिन इसे पूरे वर्ष लगातार या सटीक रूप से बनाए नहीं रखा गया था। इसके अलावा, हमें साइबर सुरक्षा पर रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई है। इसके अलावा, हम यह बताना चाहते हैं कि होल्डिंग कंपनी ने एनपीसीसी लिमिटेड में वित्त वर्ष 2023-24 में ईआरपी सॉफ्टवेयर को लागू करने के लिए कंपनी को नियुक्त किया है, हालांकि, वित्त वर्ष 31.03.2025 तक कोई प्रगति नहीं हुई है।
iii.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धन का लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन किया गया था और क्या प्राप्त धन का उपयोग उसकी शर्तों के अनुसार किया गया था? क्या प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज का लेखांकन अनुदान की शर्तों के अनुसार किया गया है। विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी विशिष्ट योजना के लिए केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी) प्राप्त नहीं हुई है।
iv.	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हां, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हां, (ए) क्या वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है? (b) क्या कंपनी ने अपनी डेटा संपत्तियों की पहचान की है और क्या इसका उचित मूल्यांकन किया गया है?	जोखिम प्रबंधन नीति कंपनी द्वारा तैयार की गई है। हालाँकि, कंपनी द्वारा जोखिम के संबंध में पहचाने गए किसी भी जोखिम मैट्रिक्स या विवरण को हमें नहीं दिखाया गया है।

क्र. सं.	निदेश	जवाब
v.	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सेबी, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी-आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय भुगतान निगम, जहां भी लागू हो, के अन्य लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को उजागर किया जा सकता है।	हमें दी गई व्याख्या और जानकारी के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, सेबी, आरबीआई, ट्राई, सीईआरटी-आईएन, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियम और विनियम निगम कंपनी पर लागू नहीं हैं। इसके अलावा, सूचित करने के रूप में उन्होंने सार्वजनिक उद्यम विभाग के साथ डीपीई अनुपालन रिपोर्ट दायर की है। इसके अलावा, उन्होंने एमसीए के साथ रिटर्न दाखिल किया है, हालांकि सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट हमारे सामने नहीं रखी गई है, इसलिए हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। के अलावा, जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी ने डीआईपीएएम द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि इस तरह के अनुपालन की आवश्यकता विशेष रूप से घोषणा और लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से है।

कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी के लिए।
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 007814एन

प्रदीप कुमार लखानी
साझेदार
सदस्यता सं. 091192
दिनांक: 11 अप्रैल 2026
यूडीआ ईएन: 26091192पीएचवीएचआईटी4024

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ग"

(हमारी वाप्कोस लिमिटेड के सदस्यों को दिनांक तक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 1(एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरणों के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 तक वाप्कोस लिमिटेड ("कंपनी") के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारी

प्रबंधन और निदेशक मंडल आंतरिक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("आई.सी.ए.आई.") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए समूह द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के संदर्भ में हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो समूह की नीतियों के अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में समेकित के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने आईसीएआई द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया, जहां तक समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होता है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और उसे अंजाम दें कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते थे।

हमारे लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, एक भौतिक कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित पद्धति वित्तीय विवरणों का विषय संबंधित गलत-सूचना के जोखिमों के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित है कि यह धोखाधडी अथवा त्रुटि के कारण है।

हम मानना है कि हमें लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे संयुक्त वित्तीय विवरणों के संदर्भ में समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखा परीक्षा टिप्पणी के लिए एक आधार प्रदान करने के हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक समूह का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विस्तार में, समूह की संपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करता है कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया गया है, और समूह की प्राप्य और व्यय समूह के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या समूह की संपत्ति के निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करता है जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

7. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं जिसमें सांठ-गांठ अथवा नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधन की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी वजह से वित्तीय गलतियां हो जाने जैसी घटना घट जाए और उसका पता नहीं भी लग सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

मूल कंपनी (होल्डिंग कंपनी) राय का अस्वीकरण

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर या उन पर विचार करते हुए मानदंडों पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। तदनुसार, हम 31 मार्च 2025 को समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

महत्वपूर्ण कमजोरियाँ और अवलोकन

i. कंपनी के पास दावा वसूली योग्य, व्यापार प्राप्य, ठेकेदारों को अग्रिम, व्यापार देय, परियोजना प्राधिकरणों को/से शेष राशि और ठेकेदारों/परियोजना प्राधिकरणों को बकाया सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि के संबंध में शेष की पुष्टि के लिए अनुरोध करने की प्रणाली है। हालाँकि, हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी व्यापार प्राप्य और अन्य वसूली योग्य और देय के संबंध में पुष्टिकरण प्राप्त करने और समय-समय पर समाधान तैयार करने में सक्षम नहीं है। अधिकांश व्यापार प्राप्य या तो केंद्र या राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/नगर निगम प्राधिकरण और विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के तहत अन्य स्वायत्त निकायों हैं। इसलिए, हमारी राय है कि कंपनी को उक्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए इसे अधिक सक्रिय रूप से प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल होने की आवश्यकता है।

ii कंपनी के पास ठेकेदार के दावों का मूल्यांकन करने की एक मजबूत प्रणाली होनी चाहिए, जिससे बड़ी मात्रा में मुकदमेबाजी और बढ़ते ब्याज बोझ के

साथ निपटान हो। समय पर देयता का निर्धारण न करने से वित्तीय रिपोर्टिंग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और कंपनी के कामकाज पर भी असर पड़ सकता है।

iii अनुबंधों/समझौतों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए और कानूनी रूप से जांच की जानी चाहिए। हमारी राय में, अनुबंधों/समझौतों की विधिक जांच को और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि इसमें शामिल पक्षों की ओर से विभिन्न नकारात्मक परिणामों और संभावित जोखिमों से बचा जा सके।

iv हमने यह भी पाया है कि संविदा कर्मचारी और सलाहकार जैसी अन्य एजेंसियां परिचालन कार्य की प्रक्रिया में शामिल हैं जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रक्रिया के पूरी तरह से विरूद्ध है।

v वित्तीय विवरण आंतरिक रूप से तैयार नहीं किए जाते हैं जो आंतरिक नियंत्रण की अच्छी पद्धति नहीं है। आंतरिक रूप से वित्तीय विवरण तैयार न करना वास्तव में किसी संगठन के भीतर आंतरिक नियंत्रण की कमजोरी माना जा सकता है। आंतरिक नियंत्रण ऐसी प्रक्रियाएं, रीति और पद्धतियां हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता, विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के साथ-साथ परिसंपत्तियों की सुरक्षा और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए लागू की जाती हैं।

भौतिक कमजोरी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमियों या त्रुटियों का एक ऐसा संयोजन है, जो इस बात की संभावना की पुष्टि करता है कि कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण को समय आधार पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा को निर्धारित करने में ऊपर बताई गई अस्वीकरण और महत्वपूर्ण कमियों पर विचार किया है, और अस्वीकरण के साथ पढ़ी गई महत्वपूर्ण कमियां कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

अभिमत का अस्वीकरण

सहायक कंपनी

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा से संबंधित मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर या उन पर विचार करते हुए मानदंडों के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित अपना आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। इस कारण से, हम इस बात का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में इस प्रकार का कोई आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और क्या इस प्रकार का कोई आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

महत्वपूर्ण कमजोरियाँ और अवलोकन

कंपनी के पास दावा वसूली योग्य, व्यापार प्राप्य, ठेकेदारों को अग्रिम, व्यापार देय, परियोजना प्राधिकरणों को/से शेष राशि और ठेकेदारों/परियोजना प्राधिकरणों को बकाया सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि के संबंध में शेष की पुष्टि हेतु अनुरोध प्रणाली मौजूद है। हालाँकि, हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी व्यापार प्राप्य और अन्य वसूली योग्य और अधिकांश देय राशि के संबंध में पुष्टिकरण प्राप्त करने और आवधिक समाधान तैयार करने में सक्षम नहीं है। अधिकांश व्यापार प्राप्य या तो केंद्र या राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/नगर निगम प्राधिकरण और विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के तहत अन्य स्वायत्त निकायों हैं। इसलिए, हमारी राय है कि कंपनी को उक्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु अधिक सक्रिय रूप से इसकी प्राप्ति की प्रक्रिया में शामिल होने की आवश्यकता है।

ii बंद इकाइयों के विभिन्न लेखाकंन शीर्षों में मौजूद डेबिट और क्रेडिट शेष राशि के समायोजन के संबंध में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।

iii कंपनी के पास ठेकेदारों के दावों का संविदात्मक शर्तों के साथ-साथ सही मूल्यांकन करने की उचित प्रणाली नहीं है, जिसके कारण अनेकों मुकदमों और निराकरण बढी हुई ब्याज देयताओं के साथ होते हैं। समय पर देयता का निर्धारण न होना वित्तीय रिपोर्टिंग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है और कंपनी के कार्य संचालन को भी प्रभावित कर सकता है।

iv करारों/समझौतों का पूर्ण से पुनरीक्षण नहीं किया जाता है। हमारी राय में, करारों/समझौतों में विधिक जांच की कमी से शामिल पक्षों से विभिन्न नकारात्मक परिणाम और संभावित जोखिम हो सकते हैं।

v हमने यह भी पाया है कि संविदा कर्मचारी और सलाहकार जैसी अन्य एजेंसियां परिचालन कार्य के साथ-साथ भुगतान की प्रक्रिया में शामिल हैं जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रक्रिया के पूरी तरह से विरूद्ध है।

वित्तीय विवरण आंतरिक रूप से तैयार नहीं किए जाते जोकि नियंत्रण की एक मूलभूत कमजोरी है। आंतरिक रूप से वित्तीय विवरण तैयार न करने को वास्तव में किसी संगठन के भीतर आंतरिक नियंत्रण की एक बुनियादी कमजोरी माना जा सकता है। आंतरिक नियंत्रण ऐसी प्रक्रियाएं, व्यवस्थाएं और पद्धतियां हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता, विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठता सुनिश्चित करने के साथ-साथ परिसंपत्तियों की सुरक्षा और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने हेतु कार्यान्वित की जाती हैं।

मापक पुस्तिका (मीजरमेंट बुक) को समय पर अद्यतन नहीं किया जाता है, जिससे माप और संबंधित आंकड़ों की प्रामाणिकता के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं। कंपनी को सही समय में मापक पुस्तिका को बनाए रखने, समय पर अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करने, बेहतर सटीकता और बेहतर डाटा विश्वसनीयता के लिए एक आधुनिक, सॉफ्टवेयर-आधारित समाधान अपनाने का प्रयास करना चाहिए।

साइट पर सामग्री की आपूर्ति के विरूद्ध अग्रिम प्राय: अक्सर सुरक्षित अग्रिम के रूप में संदर्भित किया जाता और प्रदान किया जाता है लेकिन कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ मामलों में इसका पालन नहीं किया जाता है। कुछ मामलों में इन प्रक्रियाओं से विचलन संभावित जोखिम और समस्याएं उत्पन्न कर सकता है।

ग्राहकों या परियोजना प्राधिकरणों से समय पर प्राप्त अग्रिम पर देय माल और सेवा कर (जीएसटी) जमा न करने से संभावित दंड और ब्याज शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। इन मुद्दों से बचने और जीएसटी नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु, इससे संबंधित प्रक्रियाओं में सुधार लागू करना महत्वपूर्ण है।

दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, भुवनेश्वर के अनुसार, शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि एसटी रोके गए खातों के लिए टैली में कोई अलग बहीखाता नहीं रखा गया है।

कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लिए आवश्यक मेकर एंड चेकर प्रणाली का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में अपेक्षाओं के अनुरूप वर्तमान और गैर-वर्तमान श्रेणियों में परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित वर्गीकरण को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त रूप से निर्मित और प्रलेखित नियंत्रण तंत्र नहीं है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग में तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा के तहत तकनीकी क्षेत्र को कवर नहीं किया गया है।

कंपनी के पास टैली (लेखांकन सॉफ्टवेयर) के डेटा बैकअप के लिए एक समान नीति का अभाव है, जिससे डेटा हानि का खतरा बढ़ जाता है। डेटा सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु एक मानकीकृत, सुरक्षित बैकअप प्रणाली को लागू करना आवश्यक है।

एक भौतिक कमजोरी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित कमियों या कमियों का एक संयोजन है, जो इस बात की संभावना की यथोचित पुष्टि करता है कि कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों के एक गलत बयान को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा को निर्धारित करने में उपरोक्त उल्लिखित अस्वीकरण और भौतिक कमजोरियों पर विचार किया है, और महतवपूर्ण कमजोरियां के साथ पठित अस्वीकरण कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करता हैं।

कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी के लिए।
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 007814एन

प्रदीप कुमार लखानी
साझेदार
सदस्यता सं. 091192
दिनांक: 11 अप्रैल 2026
यूडीआ ईएन: 26091192पीएचवीएचआईटी4024

वाप्कोस लिमिटेड
सीआईएन: U74899DL1969G01005070
31 मार्च, 2025 को समेकित यथास्थिति तुलन पत्र

(रूपये लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2025 को यथास्थिति	31 मार्च, 2024 को यथास्थिति	1 अप्रैल, 2023 को यथास्थिति
संपत्ति				
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	4,887.73	5,193.95	5,607.18
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर		-	-	-
(ग) संपत्ति के उपयोग का अधिकार	2क	564.15	688.83	738.98
(घ) निवेश संपत्ति	2ख	134.70	137.55	140.40
(ङ) गुडविल	-	-	-	-
(च) अन्य अमूर्त संपत्ति	2ग	230.11	258.88	212.44
(छ) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति		-	-	-
(ज) बियरर प्लांट्स के अलावा अन्य बायोलॉजिकल संपत्तियां		-	-	-
(i) वित्तीय संपत्ति				
(i) निवेश	3	54.00	49.06	44.02
(ii) व्यापार प्राप्य	7क	5,337.37	11,165.90	11,549.16
(iii) ऋण		-	-	-
(iv) अन्य वित्तीय संपत्तियां	4क	11,199.17	21,297.40	9,067.96
(झ) आस्थगित कर संपत्ति (निवल)	5	22,582.99	19,360.35	14,855.93
(ञ) अन्य गैर-वर्तमान संपत्तियां	6	1,005.72	960.13	955.38
वर्तमान संपत्ति				
(क) सूची	8	-	-	0.16
(ख) वित्तीय संपत्ति				
(i) निवेश		-	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	7ख	2,17,677.64	2,01,773.10	1,84,959.32
(iii) नकद और नकद समकक्ष	9	87,187.36	73,259.31	52,439.45
(iv) उपरोक्त (iii) के अलावा अन्य बैंक शेष	10	1,74,121.86	1,50,292.37	1,56,236.68
(v) अन्य वित्तीय संपत्तियां	4ख	4,298.26	3,980.22	3,226.60
(ग) वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)	11	15,691.18	18,481.95	17,826.15
(घ) अन्य वर्तमान संपत्ति	12	44,753.93	41,018.86	38,107.12
कुल संपत्ति		**5,89,726.18**	**5,47,917.85**	**4,95,966.93**
इक्विटी और देयता इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	13,000.00	13,000.00	13,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	14	56,506.22	49,792.60	40,646.32
मूल कंपनी के मालिकों को देय इक्विटी		69,506.22	62,792.60	53,646.32
गैर-नियंत्रण हित		420.68	364.52	298.97
कुल इक्विटी		**69,926.90**	**63,157.12**	**53,945.29**
देयताएं				
गैर मौजूदा देनदारियों				
(क) वित्तीय देनदारियां				
(i) उधार	18क	20,799.50	19,272.64	13,551.17
(क) पट्टा देयता	19क	326.95	498.50	495.95
(ii) व्यापार देय				
(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	15क	1,462.92	380.06	406.40
(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	15क	17,388.98	17,680.29	16,875.93
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	20क	62,725.03	55,559.61	47,917.36
(ख) प्रावधान	16क	11,169.91	9,641.53	9,023.85
(ग) आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)		-	-	-
(घ) अन्य गैर-वर्तमान देनदारियां	17क	9,853.49	19,754.65	11,695.94
वर्तमान देनदारियां				
(क) वित्तीय देनदारियां				
(i) उधार	18ख	3,499.98	3,499.98	731.17
(क) पट्टा देयता	19ख	346.47	306.31	418.51
(ii) व्यापार देय		-	-	-
(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	15ख	40,859.86	28,927.42	32,551.70
(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	15ख	1,67,243.24	1,60,374.89	1,28,168.25
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	20ख	19,825.50	24,611.31	27,253.27
(ख) प्रावधान	16ख	4,079.32	4,246.50	3,789.96
(ग) वर्तमान कर देनदारियां (शुद्ध)	17ख	-	-	-
(घ) अन्य वर्तमान देयताएँ		1,60,218.13	1,40,007.04	1,49,142.18
कुल इक्विटी और देनदारियां		**5,89,726.18**	**5,47,917.85**	**4,95,966.93**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखा टिप्पणियां वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है।	**टिप्पणी 1-104**			

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(शैलेन्द्र विश्वकर्मा)	(सुषमा पी. वी.)	(अमिताभ त्रिपाठी)	(शिल्पा शिंदे)
कम्पनी सचिव	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**निदेशक (वाणिज्य व मा. सं. वि.)**	**अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक**
		(डीआईएन नं. 10935800)	**(डीआईएन नं. 10051735)**

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007814एन

प्रदीप कुमार लखानी
साझेदार
एम. नं. 091192

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 3 मार्च, 2026

वाप्कोस लिमिटेड
सीआईएन: U74899DL1969G01005070
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

(रूपये लाख में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	वर्तमान समीक्षाधीन वर्ष के अंत में यथास्थिति आंकड़े (31 मार्च, 2025)	वर्तमान समीक्षाधीन वर्ष के अंत में यथास्थिति आंकड़े (31 मार्च, 2024)
	राजस्व			
I	प्रचालनों से राजस्व	21	3,14,264.63	3,18,530.61
II	अन्य आय	22	9,159.45	8,311.83
III	परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों की गैर-मान्यता पर शुद्ध लाभ		-	-
IV	वित्तीय आस्तियों के पुनवर्गीकरण का शुद्ध लाभ		-	-
V	**कुल आय (I+II+III+IV)**		**3,23,424.08**	**3,26,842.45**
VI	**व्यय**			
	निर्माण व्यय			
	कर्मचारी लाभ व्यय	23	2,37,290.24	2,37,114.06
	वित्तीय लागत	24	33,987.50	36,653.47
	प्राप्त सेवाएं	25	2,037.66	1,514.43
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	26	15,456.45	15,479.24
	परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों की गैर-मान्यता पर शुद्ध हानि	27	1,046.91	1,085.90
	वित्तीय आस्तियों के पुनवर्गीकरण की शुद्ध हानि	28	204.10	176.44
	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय (अनुसूची III पर मार्गदर्शन			
	नोट के अनुसार संस्तुति)	29	25,237.51	21,312.49
	अन्य व्यय		**3,15,260.37**	**3,13,336.02**
	कुल व्यय (IV)		-	-
	पूर्व अवधि (नेटिंग)		**8,163.71**	**13,506.42**
VII	**किसी एसोसिएट्स/संयुक्त के लाभ/(हानि) के हिस्से से पहले लाभ/(हानि)**			
	उद्यम और असाधारण वस्तुएं और कर (V-VI)		-	-
VIII	**एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) का भाग**		-	-
IX	**विशिष्ट मदों व कर से पहले लाभ/(हानि) (VII+VIII)**	30	754.22	561.52
X	**असाधारण मदें**		**8,917.93**	**14,067.95**
XI	**कर से पहले लाभ/(हानि) (IX+X)**	31		
XII	**कर व्यय**			
	(1) वर्तमान कर		5,146.36	6,826.82
	(2) पूर्व वर्षों हेतु आय कर		438.41	(65.16)
	(3) आस्थगित		(3,276.50)	(4,498.86)
XIII	**निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ/(हानि) (XI-XII)**		**6,609.66**	**11,805.15**
XIV	**बंद किए गए प्रचालनों हेतु लाभ/(हानि)**		-	-
XV	**बंद किए गए प्रचालनों से कर व्यय**		-	-
XVI	**कर के बाद बंद किए गए प्रचालनों हेतु लाभ/(हानि) (X-XI)**		-	-
XVII	**अवधि हेतु लाभ/(हानि) (IX-XII)**		**6,609.66**	**11,805.15**
XVIII	**अन्य विस्तृत आय**			
	मदें			
	परिभाषित लाभ योजनाओं के लाभ/(हानि) का पुनःमापन - पीआरएमएस		(162.24)	39.81
	आस्थगित कर प्रभाव		40.83	10.02
	परिभाषित लाभ योजनाओं के लाभ/(हानि) का पुनःमापन - अवकाश नकदीकरण		13.00	(53.34)
	आस्थगित कर प्रभाव		(3.27)	13.42
	परिभाषित लाभ योजनाओं के लाभ/(हानि) का पुनःमापन - ग्रेच्युटी		358.28	(13.59)
	आस्थगित कर प्रभाव		(90.17)	(1.28)
	ओसीआई द्वारा उचित मूल्य के इक्विटी इन्स्ट्रूमैंट डेजिगनेटेड में		4.94	(5.04)
	निवश लाभ/(हानि)			
	आस्थगित कर प्रभाव		(1.24)	1.27
	मदों से संबंधित आय कर जो लाभ व हानि विवरण में पुनःवर्गीकृत		-	-
	नहीं किए गए हैं			
XIX	**वर्ष के लिए कुल आय विस्तृत आय (कर का निवल)**		160.13	(8.72)
	वर्ष की कुल व्यापक आय		**6,769.79**	**11,796.43**
	लाभ/(हानि) माता-पिता के स्वामियों			
	गैर-नियंत्रक हित		**6,553.64**	**11,723.57**
	अन्य व्यापक आय		**56.01**	**81.59**
	माता-पिता के स्वामियों			
	गैर-नियंत्रक हित		**159.98**	**(8.24)**
	कुल व्यापक आय		**0.15**	**(0.48)**
	माता-पिता के स्वामियों			
	गैर-नियंत्रक हित		**6,713.63**	**11,715.33**
XX	**प्रति इक्विटी शेयर आय (संदर्भ टिप्पणी सं- 34)**		**56.16**	**81.11**
	प्रत्येक 10/- रु- मूल्य का इक्विटी शेयर			
	(1) मूल (केवल रु- में)		5.08	9.08
	(2) अवमिश्रित(केवल रु- में)		5.08	9.08
	उपरोक्त महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ लाभ और हानि के			
	विवरण का अभिन्न अंग है।	**टिप्पणी 1-104**		

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(शैलेन्द्र विश्वकर्मा)	(सुषमा पी. वी.)	(अमिताभ त्रिपाठी)	(शिल्पा शिंदे)
कम्पनी सचिव	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**निदेशक (वाणिज्य व मा. सं. वि.)**	**अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक**
		(डीआईएन नं. 10935800)	**(डीआईएन नं. 10051735)**

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007814एन

प्रदीप कुमार लखानी
साझेदार
एम. नं. 091192

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 3 मार्च, 2026

वाप्कोस लिमिटेड
सीआईएन: U74899DL1969G01005070
31 मार्च, 2025 को समेकित इक्विटी में परिवर्तन के विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

(1) वित्तीय वर्ष 2024-2025 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

(रूपये लाख में)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ के रूप में शेष राशि	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में शेष राशि
13,000.00				13,000.00

(2) वित्तीय वर्ष 2023-2024 की पूर्व रिपोर्टिंग अवधि

(रूपये लाख में)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ के रूप में शेष राशि	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में शेष राशि
13,000.00				13,000.00

(3) वित्तीय वर्ष 2022-2023 की पूर्व रिपोर्टिंग अवधि

(रूपये लाख में)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ के रूप में शेष राशि	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में शेष राशि
13,000.00				13,000.00

(ख) अन्य इक्विटी

(1) वित्तीय वर्ष 2024-2025 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

(रूपये लाख में)

विवरण	धन लंबित आवंटन शेयर एप्लीकेशन	मिश्रित वित्तीय लिखतों का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय (ओसीआई)			पैरेंट से संबंधित अन्य इक्विटी (A+B+C+D+E)	गैर-नियंत्रित हित NCI से संबंधित इक्विटी	कुल
			सामान्य आरक्षित (क)	प्रतिधारित अर्जन (ख)	पूँजी आरक्षित (ग)	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मांप (घ)	एफवीओसीआई नामित इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश से लाभ/(हानियाँ) (ड)	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (आय निर्दिष्ट करें)			
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**-**	**-**	**1,369.25**	**39,587.38**	**9,016.39**	**(218.47)**	**38.05**	**-**	**49,792.60**	**364.52**	**50,157.12**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	6,553.64	-	-	-	-	6,553.64	56.01	6,609.66
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	208.85	208.85	-	208.85	0.19	209.04
पूर्व अवधि व्यय/ आय में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इक्विटी शेयर निवेश पर उचित मूल्य लाभ	-	-	-	-	-	-	4.94	-	4.94	-	4.94
ओसीआई पर आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	(52.56)	(1.24)	-	-53.80	(0.05)	(53.85)
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	**-**	**-**	**1,369.25**	**46,141.02**	**9,016.39**	**(62.19)**	**41.75**	**-**	**56,506.22**	**420.68**	**56,926.90**

(2) वित्तीय वर्ष 2023-2024 की पूर्व रिपोर्टिंग अवधि

(रूपये लाख में)

विवरण	धन लंबित आवंटन शेयर एप्लीकेशन	मिश्रित वित्तीय लिखतों का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय (ओसीआई)			पैरेंट से संबंधित अन्य इक्विटी (A+B+C+D+E)	गैर-नियंत्रित हित NCI से संबंधित इक्विटी	कुल
			सामान्य आरक्षित (क)	प्रतिधारित अर्जन (ख)	पूँजी आरक्षित (ग)	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (घ)	एफवीओसीआई नामित इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश से लाभ/(हानियाँ) (ड)	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (आय निर्दिष्ट करें)			
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**-**	**-**	**1,369.25**	**30,364.08**	**9,016.39**	**(137.68)**	**34.28**	**-**	**40,646.32**	**298.97**	**40,945.29**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	11,723.57	-	-	-	-	11,723.57	81.59	11,805.15
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	-	-	-	(2,500.00)	-	-	-	-	(2,500.00)	(15.56)	(2,515.56)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	(87.46)	-	-	(87.46)	(0.64)	(88.10)
पूर्व अवधि व्यय/ आय में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	(0.27)	-	-	-	-	(0.27)	-	(0.27)
इक्विटी शेयर निवेश पर उचित मूल्य लाभ	-	-	-	-	-	-	5.04	-	5.04	-	5.04
ओसीआई पर आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	6.67	(1.27)	-	5.40	0.16	5.56
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**-**	**-**	**1,369.25**	**39,587.38**	**9,016.39**	**(218.47)**	**38.05**	**-**	**49,792.60**	**364.52**	**50,157.11**

(3) वित्तीय वर्ष 2022-2023 की पूर्व रिपोर्टिंग अवधि

(रूपये लाख में)

विवरण	धन लंबित आवंटन शेयर एप्लीकेशन	मिश्रित वित्तीय लिखतों का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष			अन्य व्यापक आय (ओसीआई)			पैरेंट से संबंधित अन्य इक्विटी (A+B+C+D+E)	गैर-नियंत्रित हित NCI से संबंधित इक्विटी	कुल
			सामान्य आरक्षित (क)	प्रतिधारित अर्जन (ख)	पूँजी आरक्षित (ग)	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (घ)	एफवीओसीआई नामित इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश से लाभ/(हानियाँ) (ड)	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (आय निर्दिष्ट करें)			
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	**-**	**-**	**4,469.25**	**33,566.94**	**9,016.39**	**(270.63)**	**30.90**	**-**	**46,812.85**	**272.09**	**47,084.94**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	(1,683.82)	-	-	-		(1,683.82)	50.02	(1,633.80)
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	-	-	(3,100.00)	-	-	-	-		(3,100.00)	(13.40)	(3,113.40)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	177.67	-		177.67	1.60	179.27
पूर्व अवधि व्यय/आय में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	-	-	-	4.51		4.51	-	4.51
ओसीआई पर आयकर प्रभाव	-	-	-	-	-	(44.72)	(1.13)		(45.85)	(0.40)	(46.25)
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**-**	**-**	**1,369.25**	**31,883.12**	**9,016.39**	**(137.68)**	**34.28**	**-**	**42,165.36**	**309.92**	**42,475.28**
Effect of changes in Prior Period Expenses/Income	-	-	-	(1,519.04)	-	-	-	-	(1,519.04)	(10.95)	(1,529.98)
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**-**	**-**	**1,369.25**	**30,364.08**	**9,016.39**	**(137.68)**	**34.28**	**-**	**40,646.32**	**298.97**	**40,945.29**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा टिप्पणियाँ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं **Note 1-104**

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(शैलेन्द्र विश्वकर्मा) कम्पनी सचिव	(सुषमा पी. वी.) मुख्य वित्त अधिकारी	(अमिताभ त्रिपाठी) निदेशक (वाणिज्य व मा. सं. वि.) (डीआईएन नं. 10935800)	(शिल्पा शिंदे) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (डीआईएन नं. 10051735)

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007814एन

प्रदीप कुमार लखानी
साझेदार
एम. नं. 091192

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 3 मार्च, 2026

वाप्कोस लिमिटेड
सीआईएन: U74899DL1969G01005070
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह समेकित विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	
क)	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	लाभ व हानि विवरण के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		8,917.93		14,067.95
i)	**समायोजन हेतु:**				
	लाभ/(हानि) के विवरण में अभिज्ञात ब्याज आय	(8,956.63)		(7,077.01)	
	लाभांश आय	(0.97)		(1.02)	
	रियायती किराया/लीज समाप्ति	(0.65)		(20.14)	
	(लाभ) विनिमय भिन्नता के कारण हानि	173.46		(294.07)	
	नियत परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (निवल)	(0.56)		0.29	
	अचल संपत्तियां बट्टे	0.79		0.10	
	व्यापार प्राप्त और प्रतिधारण राशि हेतु प्रावधान	11,097.07		7,783.49	
	अग्रिम किराए के लिए प्रावधान	-		(3.00)	
	संदिग्ध अग्रदाय खाते के लिए प्रावधान	11.87		45.42	
	प्रतिकर्ता के लिए अग्रिम हेतु प्रावधान	-		(199.18)	
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	438.26		193.15	
	मूल्यह्रास व परिशोधन	738.52		700.01	
	अधिकार के प्रयोग पर मूल्यह्रास व परिशोधन	308.40		385.89	
	बट्टे खाते में डाले गए प्रावधान	(599.55)		(118.52)	
	वित्त लागत आरओयू परिसम्पत्तियां	61.55		69.58	
	वित्तीय लागत सावधि ऋण	1,976.11		1,444.85	
	वित्तीय लागत नकद क्रेडिट	-		-	
	अपरिमेय क्रेडिट शेष राशि वापस लिखी गई	(168.49)		(443.74)	
	व्यापार प्राप्य राशि लिखी गई			0.41	
	राजस्व और व्यय में कमी का समायोजन	-		0.03	
	लंबी अवधि के ऋण में ईआईआर समायोजन	-		(2.20)	
			5,079.16		**2,464.34**
	कार्यगत पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ		**13,997.09**		**16,532.28**
ii)	**परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन**				
	प्राप्य व्यापार	(20,573.58)		(24,095.93)	
	व्यापार देय	19,760.84		29,804.12	
	इन्वेंट्री	-		0.16	
	अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	(3,735.08)		(2,712.56)	
	गैर वर्तमान परिसम्पत्तियां	(45.59)		(4.75)	
	अन्य वर्तमान वित्तीय परिसम्पत्तियां	(318.04)		(753.62)	
	गैर वर्तमान वित्तीय परिसम्पत्तियां	550.92		(1,351.14)	
	अन्य वर्तमान देयताएं	20,211.09		(9,135.13)	
	गैर वर्तमान देयताएं	(9,901.16)		8,058.71	
	अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं	(4,797.69)		(2,687.38)	
	गैर वर्तमान वित्तीय देयताएं	7,165.42		7,642.25	
	वर्तमान प्रावधान	(396.35)		162.48	
	गैर वर्तमान प्रावधान	1,528.38		617.67	
			9,449.16		5,544.88
	कर से पहले प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकद		**23,446.25**		**22,077.16**
	घटाएं: निगमित प्रदत्त कर		(2,355.59)		(7,482.62)
	घटाएं: निगमित प्रदत्त कर/पूर्व वर्ष हेतु समायोजित		(438.41)		65.16
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह		**20,652.26**		**14,659.71**
ख)	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**				
	लाभांश आय	0.97		1.02	
	संपत्ति, प्लांट व उपकरण की बिक्री	2.25		3.85	
	अमूर्त परिसम्पत्तियों का निपटारा	-		-	
	संपत्ति, प्लांट व उपकरण की खरीद	(184.57)		(109.84)	
	अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद	(218.58)		(225.03)	
	नकद व नकद तुल्यमान के रूप में न मानी जाने वाले जमा	(14,282.18)		(4,933.99)	
	लाभ/(हानि) के विवरण में अभिज्ञात आय ब्याज	8,956.63		7,077.01	
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह		**(5,725.48)**		**1,813.01**

(रु. लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	
ग)	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रभाव**				
	पट्टा भुगतान के प्रमुख आधार	(314.47)	-	(424.99)	
	पट्टा का ब्याज आधार	(61.55)		(69.58)	
	लंबी अवधि के ड्डण से आय	5,000.00	-	10,229.98	
	लंबी अवधि के ऋण का (पुर्नभुगतान)	(3,473.13)	-	(1,737.50)	
	लंबी अवधि के ऋण से पुर्नभुगतान (निवल)				
	कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान (कर सहित)			(2,500.00)	
	भुगतान की गई वित्तीय लागत	(1,976.11)	-	(1,444.85)	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह		**(825.26)**		**4,053.06**
	विदेशी मुद्रा नकद और नकद तुल्य के रूपांतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव		(173.46)		294.07
	नकद व बैंक शेष में निवल वृद्धि/कमी		**13,928.06**		**20,819.85**
	वर्ष के आरम्भ में नकद व बैंक शेष		**73,259.31**		**52,439.45**
	वर्ष के अन्त में नकद व बैंक शेष		**87,187.36**		**73,259.30**
	टिप्पणियां				
	1. भारतीय लेखा मानक-7 के अनुसार नकदी प्रवाह तैयार रने हेतु अप्रत्यक्ष पद्धति का अनुपालन किया गया है।		**87,187.36**		**73,259.31**
	2. नकदी व बैंक शेष प्रतिनिधित्व करते हैं		**87,187.36**		**73,259.31**
	क- नकद व नकद तुल्यमान:				
	(क) चालू खातों में बैंकों साथ शेष		85,419.43		62,764.63
	(ख) रैमिटेस इन ट्रांजिट				
	(ग) 3 माह से कम मूल परिपक्वता वाले बैंक जमा		1,759.01		10,485.75
	(घ) हस्तगत नकदी		8.92		8.92
	(ङ) पोस्टेज स्टाम्प				-
					73,259.31

नोटः भारतीय लेखा मानक 7 के तहत वित्तीय गतिविधियों से उभरने वाली देयताओं का समायोजन

(रु. लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
	वर्ष के आरंभ में शेष	22,772.62	14,282.34
	नकद प्रवाह-प्राप्तियां/(पुर्न भुगतान)	1,526.87	8,492.48
	गैर नकद परिवर्तन		- (2.20)
	वर्ष के अंत में शेष	24,299.48	22,772.62

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(शैलेन्द्र विश्वकर्मा)	(सुषमा पी. वी.)	(अमिताभ त्रिपाठी)	(शिल्पा शिंदे)
कम्पनी सचिव	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**निदेशक (वाणिज्य व मा. सं. वि.)**	**अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक**
		(डीआईएन नं. 10935800)	**(डीआईएन नं. 10051735)**

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007814एन

प्रदीप कुमार लखानी
साझेदार
एम. नं. 091192

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 3 मार्च, 2026

1. महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां

1.1 सामान्य

(क) अनुपालन विवरण

समूह के वित्तीय विवरणों को समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किया जा रहा है।

जब कभी नये जारी लेखांकन मानक को अपनाया जाता है अथवा अब तक उपयोग में लाये जा रही अपेक्षित परिवर्तन के कारण मौजूदा लेखांकन नीति मानक संशोधन को अपनाये जाने को छोड़कर लेखांकन नीतियों को निरंतर रूप से लागू किया जाता है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष से संबंधित इन वित्तीय विवरणों को सभी लागू भारतीय-लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया गया है।

31 मार्च 2023 को, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 को अधिसूचित किया, जिससे अंतर्गत कंपनियों को केवल महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण को अनिवार्य बना दिया गया है। तद्नुसार, पूर्व की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की समीक्षा की गई है और उन्हें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों से प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रतिस्थापन का कोई वित्तीय निहतार्थ नहीं है।

(ख) वित्तीय विविरण तैयार करने का आधार

कंपनी समेकन के उद्देश्य से विचार-विमर्श के अंतर्गत सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए जाते हैं।

कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं और उचित मूल्य पर मापे जाने वाली परिभाषित लाभ योजनाओं को छोड़ कर समूह के समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के सिद्धान्त के आधार पर तैयार किए गए हैं, और इसे लेखा भारतीय मानक (भा.ले.मा.) की अनुपालन में कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अंतर्गत समय-समय पर कम्पनियों भारतीय लेखा मानक द्वारा संशोधित नियमों के अनुसार संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के नियम 4 के साथ पढ़ा जाएगा। वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी वर्षों के लिए भारतीय लेखांकन मानकों की लेखांकन नीतियाँ समान रूप से लागू की गई हैं।

सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को समूह के प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-iii में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान अथवा गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्रियाकलापों की प्रकृति और प्रक्रियान्वयन के लिए परिसंपत्तियों की प्रापण तथा उनकी नकद एवं नकद के समान मूल्य में प्राप्ति के बीच के समय के आधार पर कंपनी ने परिसंपत्तियों तथा देयताओं के वर्तमान अथवा गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 माह निर्धारित किया है।

(ग) समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी के वित्तीय विवरण और उसकी नियंत्रित इकाई अर्थात सहायक रिपोर्टिंग तिथि पर शामिल हैं।

यदि समेकित वित्तीय विवरण लेन देन और अन्य समान परिस्थितियों के लिए समरूप लेखा नीतियों के प्रयोग से तैयार की जाती है। समूह का कोई सदस्य समूह की लेखांकन नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय विवरणों में अपनाई गई लेखांकन नीतियाँ जो उस समूह के सदस्यों के समेकित वित्तीय विवरणों जैसे लेन-देन और सामान परिस्थितियों में घटनाओं, उचित समायोजनों को तैयार करने के लिए अपनाई जाती हैं।

सभी संस्थाओं के वित्तीय विवरण जो समेकन के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि के समान तैयार किए जाते हैं।

सहायक कम्पनी के लिए समेकन प्रक्रिया

मूल की परिसंपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह की मदों का उसकी सहायक कंपनी के साथ समायोजन।

ऑफसेट (छोड़) सहायक में मूल के निवेश और सहायक की इक्विटी के मूल के हिस्से की आगे की राशि दें।

समूह की इकाइयों के बीच लेन-देन से संबंधित संपूर्ण इंट्रा-ग्रुप परिसंपत्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह को हटा दें। इंट्रा ग्रुप हानियां उस क्षति का संकेत दे सकती हैं जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता की आवश्यकता होती है। भारतीय लेखा मानक 12 आयकर अस्थायी अंतरों पर लागू होता है जो इंट्राग्रुप लेनदेन से होने वाले लाभ और हानि के उन्मूलन से उत्पन्न होते हैं।

यद्यपि इसका परिणाम घाटे के शेष वाले गैर-नियंत्रित ब्याज में हो लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के प्रत्येक घटक को समूह के मूल के इक्विटी धारकों और गैर-नियंत्रित ब्याज के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है।

व्यवसाय संयोजन

व्यवसायों के अधिग्रहण (सामान्य नियंत्रण के तहत व्यावसायिक संयोजनों को छोड़कर) को अधिग्रहण पद्धति का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। एक व्यावसायिक संयोजन में हस्तांतरित प्रतिफल को उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसकी गणना समूह द्वारा हस्तांतरित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की तिथि के उचित मूल्य के योग, समूह द्वारा अधिग्रहण के पूर्व मालिकों को दी गई देनदारियां और अधिग्रहणिती के नियंत्रण के विनिमय में समूह द्वारा जारी इक्विटी ब्याज के रूप में की जाती है।

अधिग्रहण की तिथि में, अधिग्रहीत अभिज्ञात परिसंपत्ति और स्वीकृत देनदारियों को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, निम्न के अलावा:-

आस्थगित कर परिसंपत्तियां या देनदारियां या कर्मचारी लाभ व्यवस्थाओं से संबंधित देनदारियों को क्रमशः भारतीय लेखा मानक 12 "आयकर" और भारतीय लेखा मानक 19 " कर्मचारी" लाभ के अनुसार मान्यता प्राप्त है और मापी जाती हैं;

गुडविल को हस्तांतरित प्रतिफल के योगफल, अधिग्रहणिती में किसी भी गैर-नियंत्रित ब्याज की राशि और अधिग्रहणकर्ता के पूर्व में धारित इक्विटी ब्याज के उचित मूल्य के रूप में मापा जाता है, यदि अधिग्रहीत पहचान योग्य संपत्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों अधिग्रहण की तारीख की कुल राशि से अधिक है।

खरीद के मामले में, उसके संबंध में लाभ की पहचान से पहले, समूह यह निर्धारित करता है कि क्या व्यापार संयोजन को खरीद के रूप में वर्गीकृत करने के अंतर्निहित कारणों का स्पष्ट प्रमाण मौजूद है। तत्पश्चात, समूह पुनर्मूल्यांकन करता है कि क्या उसने अधिग्रहीत की गई सभी परिसंपत्तियों और स्वीकृत की गई सभी देनदारियों की सही पहचान की है और उस पुनर्मूल्यांकन में निर्धारित की गई अतिरिक्त परिसंपत्तियों या देनदारियों को पहचानता है। समूह तब उन प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है जिनका उपयोग भारतीय लेखा मानक द्वारा खरीद-फरोख्त की गणना के उद्देश्यों के लिए आवश्यक राशियों को मापने हेतु किया जाता है। यदि इस पुनर्मूल्यांकन और समीक्षा के बाद भी लाभ बना रहता है, तो समूह इसे इक्विटी में पूंजी आरक्षित के रूप में मान्यता देता है। इस लाभ का श्रेय अधिग्रहणकर्ता को दिया जाता है।

जब एक व्यवसाय संयोजन में समूह द्वारा हस्तांतरित प्रतिफल में आकस्मिक प्रतिफल व्यवस्था के परिणामस्वरूप संपत्ति या देनदारियां शामिल होती हैं, तो आकस्मिक प्रतिफल को इसके अधिग्रहण की तिथि के उचित मूल्य पर मापा जाता है जब एक व्यापार संयोजन में हस्तांतरित प्रतिफल के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है। आकस्मिक प्रतिफल के उचित मूल्य में परिवर्तन जो माप अवधि समायोजन के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं, पूर्वव्यापी रूप से समायोजित किए जाते हैं, गुडविल या पूंजी आरक्षित के विपरीत इसी समायोजन के साथ, जैसा भी मामला हो। मापन अवधि समायोजन वे समायोजन हैं जो समूह द्वारा मापन अवधि के दौरान' अधिग्रहण तिथि पर मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में प्राप्त की गई अतिरिक्त जानकारी से उत्पन्न होते हैं। मापन अवधि अधिग्रहण की तिथि से एक वर्ष से अधिक नहीं होती है।

आकस्मिक प्रतिफल के उचित मूल्य में परिवर्तन के लिए अनुवर्ती लेखांकन, जो माप अवधि व्यवस्था के रूप में योग्य नहीं है, इस पर निर्भर करता है कि आकस्मिक प्रतिफल को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। आकस्मिक प्रतिफल जिसे इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को आगामी रिपोर्टिंग तिथियों पर पुनः नहीं मापा जाता है और इसके बाद के निपटान का हिसाब इक्विटी के अंतर्गत किया जाता है। आकस्मिक प्रतिफल, जिसे परिसंपत्ति या

दायित्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, का आगामी रिपोर्टिंग तिथियों पर उचित मूल्य, जिसमें लाभ और हानि के समेकित विवरण में संबंधित लाभ या हानि को मान्यता दी जाती है, पर पुनः मापा जाता है।

जब व्यावसायिक समायोजन चरणों में प्राप्त किया जाता है, तो अधिग्रहण में समूह के पहले से धारित इक्विटी ब्याज को इसकी अधिग्रहण तिथि पर उचित मूल्य और परिणामी लाभ या हानि पर फिर से मापा जाता है, यदि कोई हो, इसे लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है। अधिग्रहण की तारीख से पहले अधिग्रहण में ब्याज से उत्पन्न होने वाली राशियों को पहले अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है, लाभ और हानि के समेकित विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है जहां ऐसा वर्णन/निरूपण उपर्युक्त होगा यदि उस ब्याज का निपटान किया गया था।

यदि किसी व्यावसायिक संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन, जिसमें संयोजन होता है, रिपोर्टिंगअवधि के अंत तक अधूरा है, तो समूह मदों के लिए अस्थायी राशि की रिपोर्ट करता है जिनके लिए लेखांकन अधूरा है। उन अस्थायी राशियों को अतिरिक्त परिसंपत्तियों या देनदारियों (यदि कोई हो) को चिन्हित करते हुए माप अवधि के दौरान समायोजित किया जाता है ताकि अधिग्रहण तिथि पर मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में प्राप्त नई जानकारी को प्रतिबिंबित किया जा सके, यदि ज्ञात हो तो, उस तिथि पर मान्यता प्राप्त राशियों को प्रभावित कर सकती है।

गैर नियंत्रित ब्याज

गैर-नियंत्रित ब्याज सहायक कंपनी में आय के अनुपात, अन्य व्यापक आय और निवल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कंपनी के शेयरधारकों के लिए उत्तरदायी नहीं है।

गैर-नियंत्रित ब्याज को आरम्भ में अधिगृहणीति की पहचान योग्य निवल संपत्ति की मान्यता प्राप्त राशि के आनुपातिक हिस्से पर मापा जाता है। अधिग्रहण के पश्चात, गैर-नियंत्रित ब्याज की वहन राशि, प्रारंभिक मान्यता पर ब्याज की राशि के अतिरिक्त इक्विटी में बाद के परिवर्तनों के गैर-नियंत्रित ब्याज की हिस्सेदारी है।

समेकन पर नियंत्रण लागत

एक व्यवसाय के पूर्ण अधिग्रहण पर उत्पन्न होने वाले नियंत्रण की लागत व्यवसाय के अधिग्रहण की तिथि पर स्थापित लागत पर वहन की जाती है।

1.2 अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन को कुछ आकलन, अनुमान तथा परिकल्पनाएँ करनी होती हैं। ये अनुमान, आकलन और परिकल्पनाएँ लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों तथा देयताओं की रिपोर्ट की गई मात्र, वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किए जाने की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और वर्ष के लिए रिपोर्ट की गई राजस्व तथा व्यय की मात्र को प्रभावित करती हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त अनुमानों तथा आकलनों का समूह द्वारा लगातार मूल्यांकन किया जाता है और ये पूर्व अनुभव और वर्तमान परिस्थितियों में कंपनी द्वारा तर्कपूर्ण समझे जाने वाली कंपनी की विभिन्न अन्य परिकल्पनाओं और घटकों (भविष्य की गतिविधियों की अपेक्षाओं सहित) पर आधारित होते हैं। यद्यपि कंपनी इन अनुमानों का नियमित रूप से आकलन करती है परंतु वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं। जैसे-जैसे प्रबंधन को अनुमानों से संबंधित परिस्थितियों में बदलाव की जानकारी मिलती है वैसे-वैसे अनुमानों में उचित बदलाव किए जाते हैं। अनुमानों में बदलाव उस अवधि के वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं जिस अवधि में बदलाव किए गए हैं और, यदि उल्लेखनीय हों, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के साथ की गई टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

1.3 राजस्व की मान्यता

प्रचालनों से राजस्व

1.3.1 समूह को प्रमुख रूप से परामर्श एवं निर्माण संविदाओं से प्रचालन राजस्व प्राप्त होता है।

1.3.2 वित्तीय विवरणों में राजस्व को पहचानने के लिए सामान्य मानदंड निम्न प्रकार से है, जो राजस्व के सभी क्षेत्रें पर लागू होते हैं, जबकि राजस्व की संबंधित क्षेत्र को लेखांकन नीति में विशिष्ट मापदंडों कहा जाता है।

सामान्य पैरामीटर

राजस्व को पहचान करने के उद्देश्य के लिए, समूह पांच प्रक्रिया का अनुसरण करता है:

- ग्राहक के साथ संविदा की पहचान करना
- कार्य निष्पादन दायित्वों की पहचान करना
- लेनदेन मूल्य का निर्धारण
- कार्य निष्पादन दायित्वों के लिए लेनदेन की कीमत आवंटित करना
- कार्य निष्पादन दायित्व का जब/जैसे निष्पादन किया जाता है, तो राजस्व की पहचान की जाती है।

समूह की सेवाओं की श्रृंखला में शामिल सभी क्षेत्रों में समूह कार्य करता है। सभी मामलों में, कार्य निष्पादन दायित्वों के आधार पर संविदा हेतु सम्पूर्ण कार्य मूल्य होता है।

राजस्व या तो समय पर या समय पूरा होने पर पर पहचाना जाता है, तब (या जैसे) समूह अपने ग्राहकों को दिए गए माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके संतोषजनक कार्य निष्पादन दायित्वों को पूरा करती है।

लेन देन मूल्य वह राशि है जिसे समूह ग्राहक को माल या सेवाओं के स्थानांतरण हेतु विनिमय के लिए पाने की आशा रखती है। एक संविदा में वादा किए गए विचार में निश्चित राशियाँ, परिवर्तनशील राशियाँ या दोनों शामिल हो सकती हैं। किसी निर्धारित परिस्थिति में अपेक्षित मूल्य विधि या सबसे अधिक संभावित राशि का उपयोग करके परिवर्तनीय विचार का अनुमान लगाया जाता है। ग्राहकों के साथ सहमत भुगतान शर्तें व्यावसायिक व्यवहार के अनुसार हैं और लेनदेन मूल्य में कोई वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है।

प्रस्ताव की तैयारी के लिए प्रशासनिक लागत को छोड़कर संविदा प्राप्त करने के लिए समूह कोई भी लागत नहीं लेता है और वही लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया जाता है।

संविदा को पूरा करने में लगने वाली लागत संबंधित संविदा के राजस्व को लाभ और हानि विवरण में जोड़ा जाता है।

कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए कार्मिक अनेक परियोजनाओं पर एक साथ तैनात/काम करते हैं, जिनकी लागत को सीधे विशिष्ट परियोजना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इस तरह की लागत को आवधिक लागत की प्रकृति में लाभ और हानि का प्रभार सीधे सौंप दिया जाता है।

संविदा पर राजस्व को संबंधित सेवाओं के रूप में मान्यता दी जाती है और अंतिम बिल की तिथि से तुलन पत्र की तारीख तक के राजस्व को तुलन पत्र में बिल न किए गए राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

समूह असंतुष्ट कार्य निष्पादन दायित्वों के संबंध में प्राप्त टिप्पणियां के लिए संविदा देनदारियों की पहचान करता है और इन राशियों को तुलन पत्र में अन्य देनदारियों के रूप में जानकारी करती है। इसी तरह, यदि कंपनी एक कार्य निष्पादन दायित्व को संतोषजनक रूप से पूरा करती है और इस पर टिप्पणी प्राप्त करना अभी बाकी होता है, तो टिप्पणी प्राप्त होने से पहले, समूह अपने तुलन पत्र में एक संविदा परिसंपत्ति लगाती।

1.3.3 राजस्व को माल व सेवा कर (जीएसटी) से मान्यता प्राप्त है।

1.3.4 संविदा राजस्व में संविदा में सहमत राजस्व की प्रारंभिक राशि शामिल है

1.3.4 परामर्शी शुल्क

- सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त राजस्व को उस लेखा अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। राजस्व या तो समय पर या समय पूरा होने पर पर पहचाना जाता है, तब (या जैसे) कम्पनी अपने ग्राहकों को दिए गए माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके संतोषजनक कार्य निष्पादन दायित्वों को पूरा करती है।
- यदि कार्य निष्पादन दायित्वों को समय पर पूरा किया जाता है, तो राजस्व को अनुबंध अवधि के अनुसार लेनदेन की प्रकृति के आधार पर उपयुक्तफ़ पद्धति का उपयोग करके प्रदान की जाने वाली कुल सेवाओं के अनुपात के रूप में वास्तविक सेवा के आधार पर मान्यता प्राप्त होती है।
- अन्य मामलों में जहां कार्य निष्पादन की बाध्यता समय के साथ संतोषजनक नहीं होती है, राजस्व को बाद में मान्यता दी जाती है।
- अधिक लागत वाली संविदाओं के मामले में, राजस्व को अपने ग्राहकों को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करके संविदा के तहत काम की प्रगति और संबद्ध कार्य निष्पादन दायित्वों को पूरा करने के साथ बिल योग्य राशि के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- संबंधित कार्य निष्पादनों के संतोषजनक दायित्वों के मध्यनजर, गैर-समायोजित अग्रिम/शुल्क को राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। तथपि, वसूली योग्य अग्रिम को बाद के राजस्व बुकिंग के विरूद्ध समायोजित किया जाता है।
- निर्माण प्रबंधन/प्रर्यवेक्षण अनुबंध में, राजस्व को प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रत्येक अनुबंध किए गए कार्य/निर्मित लागत के मूल्य के प्रतिशत के रूप में मान्यता प्राप्त है, यदि ग्राहक द्वारा कोई स्वीकृति लंबित हो।
- संविदा पर राजस्व को संबंधित सेवाओं के रूप में मान्यता दी जाती है और अंतिम बिल की तिथि से तुलन पत्र की तारीख तक के राजस्व को तुलन पत्र में बिल न किए गए राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.3.6 निर्माण परियोजनाएँ

- समूह निर्माण संविदाओं/परियोजनाओं में राजस्व को समय के साथ पहचानती है। इन परियोजनाओं के विभिन्न तत्वों के बीच अन्योन्याश्रितता के उच्च स्तर के कारण, इन परियोजनाओं को एकल कार्य निष्पादन दायित्व के रूप में माना जाता है।
- निर्माण/पर्यवेक्षण संविदाओं के संबंध मेंए राजस्व का निर्धारण किए गए कार्य के मूल्य के प्रतिशत के रूप मेंधप्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रत्येक संविदा की निर्माण लागतए लंबित ग्राहक/क्लाइंट अनुमोदनए यदि कोई होए के रूप में किया जाता है।

अधिक लागत वाली परियोजनाएं

- अधिक लागत वाली संविदा से राजस्व को समय के साथ पहचाना जाता है और यह निर्धारित किया जाता है कि कार्य निष्पादन दायित्व संतोषजनक है। समूह द्वारा ग्राहक को दिए गए माल का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और यह स्थापित करने के लिए कि कब और किस हद तक राजस्व को मान्यता दी जा सकती है, समूह कार्य के आधार पर निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को मापती है।
- कार्य निष्पादन दायित्वों के लिए आबंटित लेनदेन मूल्य की राशि उस अवधि के दौरान वसूल किए गए वसूली योग्य लागतों को दर्शाती है जो ग्राहक के साथ सहमत होने पर मार्जिन से अधिक होती है।
- अधिक लागत वाली संविदा के मामले में, यदि परामर्शी आय/शुल्क को एक अलग रूप में निर्धारित किया जाता है, तो ऐसी परामर्शी आय/शुल्क को समय की अवधि में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है या समय के साथ-साथ कंपनी वादा किए गए माल को स्थानांतरित करके कार्य निष्पादन दायित्वों को पूरा करती है या संविदा की शर्तों के अनुसार अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है।
- अन्य मामलों में, राजस्व को समय-समय पर कार्य निष्पादन दायित्वों को संतुष्ट करने और ग्राहक को हस्तांतरित करने की सीमा तक मान्यता प्राप्त है। संविदा राजस्व को आवंटन योग्य लेनदेन मूल्य पर पहचाना जाता है जो पूर्णविधि के प्रतिशत का उपयोग करते हुए संविदा के आनुपातिक मार्जिन पर किए गए कार्य की लागत का प्रतिनिधित्व करता है।

- किसी भी अपेक्षित हानि को रिपोर्टिंग तिथि में नुकसानदेह हानि के प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अभियांत्रिकी प्रापण एवं निर्माण (ईपीसी)

ईपीसी संविदा के लिए, लेनदेन मूल्य वह मूल्य है जो सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्राहक के साथ संविदागत रूप से सहमत है। प्रगति को मापने के इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व को समय के साथ पहचाना जाता है क्योंकि ऐसे अनुबंधों में, ग्राहक लाभ प्राप्त करता है और उपयोग करता है क्योंकि कंपनी दायित्वों का पालन करती है।

किसी भी अपेक्षित हानि को रिपो²टग तिथि में नुकसानदेह हानि के प्रावधान के रूप में मान्यता दी गई है।

1.3.7 प्लांट और उपकरणों की आपूर्ति/चालू करने के लिए माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को निम्नानुसार मान्यता दी गई है:

माल की बिक्री से होने वाले राजस्व की पहचाना तब की जाती है जब उसे ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है और यह संभव है जब विनिमय माल की हकदारी पर कम्पनी ध्यान एकत्र करेगी। माल की बिक्री के लिए संविदा के संबंध में कार्य निष्पादन दायित्वों को उस समय संतोजनक माना जाता है जब उसे ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है और यहां परिसंपत्ति का वैकल्पिक उपयोग हो या कंपनी के पास उस तिथि तक कार्य निष्पादन पूर्ण करने के लिए भुगतान या तो निहित या स्पष्ट हो। परिसंपत्ति का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं होने के मामले में हो और कंपनी के पास कानूनी मामलों पर विचार करके भुगतान का निहित या स्पष्ट अधिकार हो, कार्य निष्पादन दायित्व को समय की अवधि के रूप में संतोषजनक माना जाता है और समय के साथ राजस्व को मान्यता दी जाती है।

1.3.8 वसूली योग्य प्रतिपूर्ति व्यय वर्तमान परिसंपत्तियों की प्रकृति में हैं और ग्राहक द्वारा प्रतिपूर्ति की सीमा तक समायोजित किए जाते हैं।

1.3.9 प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग से ब्याज आय को पहचाना जाता है, जब यह संभावित है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ इकाई में स्थिरता से बढ़ाता है और राशि को स्थिरता से मापी जाती है।

1.3.10 लाभांश आय को तब मान्यता प्राप्त होती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है और जब यह संभावित है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ इकाई में स्थिरता से बढ़ाता है और राशि को स्थिरता से मापा जाता है।

1.3.11 अन्य

समूह की धारिता कम्पनी के पास समूह में नियुक्त नियमित भर्तियों से बॉन्ड राशि लेने की नीति है। बॉन्ड राशि को समूह के नाम पर बैंकों के पास सावधि जमा रसीदों के रूप में रखा जाता है। मूल राशि के साथ जमा पर अर्जित ब्याज को समूह की लेखा-बही में परिसम्पति व देयताओं के रूप में माना जाता है। बांड अवधि के सफल समापन पर, संबंधित अधिकारियों को बांड की धनराशि ब्याज के साथ वापस कर दी जाती है। यदि अधिकारी बांड अवधि पूरी होने से पहले समूह छोड़ देता है, तो उसे जब्त कर लिया जाता है और उसे आय के रूप में माना जाता है।

1.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि ऐतिहासिक लागत पर रखी जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को प्रारंभ में लागत, अर्थात माल भाड़ा, निर्माण तथा कार्य सौंपने के शुल्क, अप्रतिदेय शुल्क एवं कर, निर्माण अवधि के दौरान व्यय, उधार लिए जाने संबंधी लागत, एक पात्र संपत्ति के मामले में, प्रापण/संस्थापन की तारीख तक, निवल संचित मूल्यह्रास तथा खराब होने से होने वाले नुकसान, यदि कोई हो, सहित अधिग्रहण अथवा निर्माण की लागत पर मान्यता दी जाती है। इसके बाद में मापन लागत में से संचित ममूल्यह्रास तथा खराब होने से होने वाले नुकसान, यदि कोई हो, को घटा कर किया जाता है। लागत में वह व्यय शामिल होता है जो प्रबंधन द्वारा संपत्ति को इसके अभिप्रेत उद्देश्य के लिए तैयार करने में प्रत्यक्ष रूप से लगा है।

इसके बाद संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावित हो कि इनसे संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे और मद की लागत का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है। मरम्मत तथा रखरखाव पर होने वाली लागत को व्यय किए जाने पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। प्रारंभ में मान्यता प्रदान की गई संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मद और किसी उल्लेखनीय हिस्से को निपटान के बाद अथवा इसके उपयोग अथवा निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ होने की अपेक्षा न होने पर इसकी मान्यता समाप्त कर दी जाती है।

संपत्ति की मान्यता समाप्त किए जाने से होने वाले किसी लाभ अथवा हानि (निवल निपटान प्राप्ति और संपत्ति की वर्तमान लागत राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को संपत्ति की मान्यता समाप्त किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। निपटान की जाने वाली संपत्ति को वर्तमान लागत मूल्य अथवा उचित मूल्य में से बेचने की लागत को घटा कर प्राप्त होने वाली राशि में से कम राशि पर रिपोर्ट किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा विधि (एसएलएम) के तहत प्रदान किया जाता है जो प्रबंधन के आकलन के समान हो। मूल्यह्रास पद्धति, उपयोगी जीवन और शेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। सम्पत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के भाग-ग में निर्धारित किए गए अनुसार है। वर्ष के दौरान सम्पत्तियों में जोड़/कटौती के संबंध में मूल्यह्रास समानुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाता है।

विभिन्न परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी कार्यकाल निम्नानुसार है:-

विमान्यता

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद और किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से को जिसे आरम्भ में मान्यता दी गई है निपटान पर विमान्यता की जाती है या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। परिसंपत्ति की व्युत्पत्ति पर उत्पन्न कोई भी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना) लाभ और हानि के विवरण में शामिल है, जब परिसंपत्ति की विमान्यता की जाती है।

पूंजी कार्य प्रगति

ऐसी परिसंपत्तियां जो इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक खर्च और जिम्मेदार ब्याज सहित लागत पर किया जाता है।

1.5 अमूर्त संपत्तियाँ

एक अमूर्त संपत्ति बिना किसी वास्तविक संपत्ति के एक पहचाने जा सकने वाली गैर-मौद्रिक संपत्ति होती है जैसे तकनीकी जानकारी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसे तब पूंजीकृत किया जाता है जब संपत्ति के कारण भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित रूप से समूह को प्राप्त हों और संपत्ति के अधिग्रहण अथवा सृजन की लागत का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके। इसके लिए उस बिन्दु से परिशोधन किया जाता है जहाँ संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

संपत्ति का वर्ग	उपयोगी कार्यकाल (वर्ष)
आरसीसी फ्रेम संरचना वाले कार्यालय भवन	60
फर्नीचर और फिक्सचर	10
वाहन-मोटर कारें	8
वाहन-मोटर साइकिल, स्कूटर और अन्य मोपेड़	10
कार्यालय उपकरण	5
विद्युत कार्य	10
कंप्यूटर	3
नेटवर्किंग सर्वर	6
लकड़ी की अस्थायी संरचना	3
इंजीनियरिंग और अन्य पुस्तकें	3
सामान्य संयंत्र और मशीनरी	15

अधिग्रहित/विकसित अमूर्त सम्पत्तियों को लागत रहित संचित परिशोधन और खराबी होने के कारण हुए क्षति नुकसान यदि कोई हैम की मान्यता पर मापा जाता है।

अमूर्त परिसम्पत्तियों के वि-मान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि की गणना निवल निपटान आय और परिसम्पत्ति के बहीखाता मूल्य के बीच के अंतर के रूप में की जाती है और जब सम्पत्ति वि-मान्य होती है तो इसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

अमूर्त संपत्तियों के अव्यवस्थित होने से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति के बहीखाता मूल्य के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और जब संपत्ति को अव्यवस्थित किया जाता है, तो इसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

परिशोधन:

कंप्यूटर सॉफ्रटवेयर का परिशोधन 3 वर्ष की अवधि में अथवा उनकी लाइसेंस अवधि में किया जाता है, जो भी लागू हो। निर्दिष्ट अवधि के लिए लाइसेंसों का आवेदन और संचालन सॉफ्रटवेयर लाइसेंस की अवधि के संबंध में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

वि-मान्यता

अमूर्त संपत्ति की व्युत्पत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

1.6 वित्तीय साधन

प्रारंभिक मान्यता

समूह वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्यता देता है जब यह उस साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्षकार बन जाती है। व्यापार प्राप्तियों/व्यापार देयताओं, जिनका मापन प्रारंभ में लेन-देन की तारीख को किया जाता है, को छोड़ कर सभी वित्तीय सम्पत्तियों और देयताओं को प्रारंभिक मान्यता में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। लेन-देन लागतें जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सम्पत्तियों तथा वित्तीय देयताओं, जो लाभ एवं हानि के मध्यम से उचित मूल्य पर नहीं हैं, के अधिग्रहण अथवा जारी किए जाने के कारण नहीं हैं उन्हें प्रारंभिक मान्यता में उचित मूल्य में जोड़ा जाता है/से घटाया जाता है।

अनुवर्ती मापन

(क) बाद में यदि वित्तीय संपातियों को एक ऐसे व्यापार मॉडल में रखा जाता है जिसका उद्देश्य नकद प्रवाह एकत्रित करने के लिए संपत्ति को रोक कर रखना है और वित्तीय संपत्ति की संविदात्मक शर्तें विशिष्ट तारीखों पर ऐसे नकद प्रवाह में वृद्धि लाती हैं जो केवल प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का प्रयोग करके लंबित मूलधन पर मूल तथा ब्याज के भुगतान हैं तो इनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल किया जाता है। खराबी से होने वाले नुकसान को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ख) लाभ एवं हानि के मध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियाँ

वित्तीय सम्पत्तियों का मापन लाभ एवं हानि के मध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है जब तक कि इसे परिशोधित लागत पर वर्गीकृत न किया जाए।

(ग) लाभ एवं हानि के मध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देयताएँ और प्रारंभिक मान्यता में उचित मूल्य पद्धति के मध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय देयताएँ शामिल हैं।

अन्य सभी वित्तीय देयताओं का मापन बाद में ईआईआर पद्धति का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। जब देयताओं की मान्यता समाप्त की जाती है तब और ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया से भी लाभ एवं हानि के विवरण में लाभ एवं हानि को मान्यता दी जाती है।

` समूह के पास गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधन हैं। गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i) वित्तीय संपत्तियाँ, जिनमें नकद और नकद समकक्ष, इक्विटी में निवेश, व्यापार प्राप्तियाँ, परियोजना प्राधिकरणों द्वारा प्रतिधारित राशि, बिल नहीं किए गए राजस्व, कर्मचारी और अन्य अग्रिम (दी गई जमानत राशि सहित जो समूह को वापस की जा सकती है) शामिल हैं।

ii) वित्तीय देयताएँ, जिनमें व्यापार देयताएँ, संविदात्मक भुगतानों से धारित राशि (ली गई जमानत राशि सहित जिसे समूह द्वारा वापस लौटाया जाना होता है) शामिल हैं।

प्रारंभिक मान्यता के बाद गैर-व्युत्पन्न साधनों का मापन निम्नानुसार किया जाता है:

(i) नकद और नकद समकक्ष:

नकद में कंपनी के पास उपलब्ध नकद राशि और बैंकों में जमा की गई माँग जमा राशि शामिल है। नकद समकक्ष में अधिग्रहण की तारीख से तीन माह अथवा इससे कम की मूल परिपक्वता वाली लघु अवधि जमा शामिल है जो तुरंत नकद की ज्ञात मात्र में बदली जा सकती हैं और जिनमें मूल्य बदलने का जोखिम न के बराबर हो। नकद और नकद समकक्ष में बैंकों में वह शेष राशि शामिल है जिसे निकाले जाने और उपयोग किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ii) सहायक कंपनी में निवेश

सहायक कंपनी में निवेश को ऐसी लागत पर रखा गया है (भारत लेखा मानक 27 के अनुसार) जिसमें मूल कंपनी द्वारा सहायक कंपनी में 98.89% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भुगतान की गई राशि शामिल है।

निवेश – अन्य

भारतीय लेखा मानक 109 के परिदृश्य में सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। व्यापार हेतु धारित किए जाने वाले इक्विटी साधन को लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी साधनों के संबंध में, समूह द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि उन्हें अन्य समग्र आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य अभवा लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

(iii) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

ऋणों, अग्रिम को वर्तमान वित्तीय संपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, केवल उन संपत्तियों को छोड़ कर जो रिपो²टग तारीख के बाद 12 माह से अधिक समय बाद परिपक्व होती हैं जिन्हें गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऋणों और प्राप्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में इनका मापन प्रभावी ब्याज पद्धति (ईआईआर) का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है।

(iv) लाभ एवं हानि के मध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एक वित्तीय संपत्ति जिसे उपर्युक्त में से किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है उसका मापन बाद में लाभ एवं हानि के मध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर किया जाता है।

वित्तीय साधनों की मान्यता समाप्त करना

एक वित्तीय संपत्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है जब:

- संपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाएँ, अथवा

- समूह ने उल्लेखनीय रूप से संपत्ति के सभी जोखिम तथा लाभ हस्तांतरित कर दिए हैं, अथवा समूह ने उल्लेखनीय रूप से न तो संपत्ति के सभी जोखिम तथा लाभ हस्तांतरित किए हैं और न ही अपने पास रखे हैं, परंतु संपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया है।

एक वित्तीय देयता अथवा वित्तीय देयता के एक हिस्से को बैलेंस शीट से बाहर कर दिया जाता है जब संविदा में विनिर्धारित दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है अथवा समाप्त हो जाता है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता की ओर से उल्लेखनीय रूप से भिन्न शर्तों पर किसी दूसरी देयता से बदला जाता है अथवा एक वर्तमान देयता की शर्तों में उल्लेखनीय संशोधन किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा संशोधन को मूल देयता की मान्यता समाप्त किया जाना और एक नई देयता को मान्यता दिया जाना माना जाता है। संगत मूल कीमतों में अंतर को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.7 इम्पेयरमेंट

क. वित्तीय संपत्तियाँः

(उचित मूल्य को छोड़ कर)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार कंपनी वित्तीय संपत्तियों के लिए संपत्ति-हानि से होने वाले नुकसान के मापन एवं इसे मान्यता देने के लिए अपेक्षित क्रेडिट नुकसान (ईसीएल) मॉडल अपनाती है।

ईसीएल संविदा के अनुसार समूह को देय सभी संविदात्मक नकद प्रवाह और समूह को प्राप्त होने की संभावना वाले अपेक्षित सभी नकद प्रवाह के बीच का अंतर होता है। नकद प्रवाह का अनुमान करते समय कंपनी को निम्नलिखित पर विचार करना होता हैः-

- संपत्तियों के अनुमानित जीवन में वित्तीय संपत्तियों की सभी संविदात्मक शर्तें (पूर्व-भुगतान और विस्तार सहित)।
- जमानत के रूप में धारित वस्तु की बिक्री अथवा संविदात्मक शर्तों के अभिन्न हिस्से के रूप में अन्य क्रेडिट संवर्धन से नकद प्रवाह।

व्यापार प्राप्तियां, प्रतिभूति जमा और राजस्व राशि जमा

समूह लागू वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुसार व्यापार प्राप्य पर हानि को स्वीकार करती है, जिसके तहत प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर भावी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को मान्यता दी जाती है।

समूह ने मूल्यांकन को सहयोग प्रदान करने के लिए एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया है। भारतीय बीमांकन मूल्यांकन बीमा संस्थान द्वारा जारी प्रासंगिक बीमांकन अभ्यास मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार बीमांकन किया जाता है, जहां तक प्रासंगिक लेखांकन मानकों के तहत लागू, वित्तीय संपत्तियों पर लागू हानि ढांचे के अनुसार या तो 12 महीने या भावी ईसीएल की मान्यता के लिए उचित रूप से वर्गीकृत किया गया हो। कंपनी की नीति के अनुसार, व्यापार प्राप्य, प्रतिधारण राशि और दस वर्ष से अधिक की प्रतिभूति जमा सहित दीर्घकालिक बकाया वित्तीय परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है

अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को एक सुसंगठित, जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके निर्धारित किया गया है जिसमें ऐतिहासिक डिफ़ॉल्ट पद्धति, उधारकर्ता-विशिष्ट वित्तीय आकलन, भविष्य की जानकारी और डिफ़ॉल्ट मापदंडों को देखते हुए डिफ़ॉल्ट और हानि की संभावना शामिल है। आवधिक अवधि विश्लेषण, संपार्श्विक आकलन, रिपोर्टिंग के बाद की वसूली की समीक्षा और क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की पहचान के माध्यम से वसूली का मूल्यांकन किया जाता है।

i) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

(मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियाँ)

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह इंगित करते हैं कि उनका वहन मूल्य पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकता है, तो पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों की निश्चित जीवन के साथ, हानि के लिए समीक्षा की जाती है। हानि परीक्षण के उद्देश्य के लिए, वसूली योग्य राशि (जो कि उचित मूल्य से अधिक है, बेचने के लिए कम लागत और उपयोग में मूल्य) एक व्यक्तिग़त परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित की जाती है, जब तक कि संपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो बड़े पैमाने पर अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र होती है, जिस मामले में वसूली योग्य राशि नकदी पैदा करने वाली इकाई - ('सीजीयू') स्तर पर निर्धारित की जाती है।

एक संपत्ति को हानिप्रद समझा जाता है जब इसकी मूल कीमत इससे प्राप्त हो सकने वाली राशि (अर्थात उचित मूल्य में से बिक्री लागत और उपयोग में मूल्य को घटाने के बाद प्राप्त राशियों में से उच्च राशि) से अधिक हो जाती है। संपत्ति-हानि से होने वाले नुकसान को उस वर्ष लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष संपत्ति को हानिप्रद के रूप में चिहनित किया जाता है। पूर्ववर्ती लेखांकन अवधियों में चिहनित संपत्ति-हानि को बदल दिया जाता है यदि इससे प्राप्त हो सकने वाली राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है और ऐसी हानि विद्यमान नहीं रहती है अथवा घट जाती है। संपत्ति-हानि को बदलने को पूर्व में मान्य अथवा संतुलित की गई संपत्ति-हानि की सीमा तक लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

बट्टे खाते में डालना

वित्तीय संपत्तियाँ

(उचित मूल्य पर संपत्तियों को छोड़ कर)

व्यापार प्राप्तियों, प्रतिधारण राशि और दस वर्ष से अधिक अवधि के लिए लंबित जमानत राशि सहित ऐसी संपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

गैर-वित्तीय संपत्तियाँ (मूर्त और अमूर्त संपत्तियाँ)

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण, अमूर्त संपत्तियों, वस्तु सूची आदि सहित ऐसी संपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब प्रबंधन की राय में ऐसी संपत्तियाँ जीर्ण-शीर्ण, मरम्मत किए जाने की सीमा से परे क्षतिग्रस्त, चोरी और उपयोग हेतु अलाभकर हो गई हैं।

इन्वेंटरी की ऐसी वस्तुओं का निपटान तब किया जाता है, जब प्रबंधन की राय में, इस तरह की वस्तुएं अप्रचलित हो गई हैं, मरम्मत से परे क्षति, चोरी और उपयोग हेतु अलाभकर हो गई हैं।

1.8 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ

(i) प्रावधानों को तभी मान्यता दी जाती है जबः

क. समूह पर किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में कोई दायित्व (कानूनी अथवा निर्माण संबंधी) है_

ख. इससे संभवतः भविष्य में संसाधनों का बहिर्वाह होगा और इससे होने वाले आर्थिक लाभों की दायित्व का निर्वहन करने में आवश्यकता होगी, और

ग. दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

दायित्व का निर्वहन करने के लिए आवश्यक नकद प्रवाह का अनुमान लगा कर प्रावधान का निर्धारण किया जाता है और यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है तो प्रावधानों की मूल कीमत नकद बहिर्वाह का वर्तमान मूल्य होती है। एक प्रावधान के रूप में मान्य राशि दायित्व से संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग की तारीख को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक राशि का सर्वश्रेष्ठ अनुमान है।

(ii) आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती परंतु निम्नलिखित में से किसी मामले में इन्हें टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है:-

क. किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व, जब यह संभावना न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; अथवा

ख. वर्तमान दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता; अथवा

ग. संसाधनों के बहिर्वाह की संभाव्यता को छोड़ कर एक दायित्व की संभावना बहुत कम है।

आकस्मिक देयता निपटान के लिए संभावित बहिर्वाह को ध्यान में रखते हुए अनुमानित प्रावधानों का निवल है।

(iii) आकस्मिक संपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती परंतु इन्हें तब प्रकट किया जाता है जब किसी आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभाव्य होता है।

आकस्मिक संपत्तियों, आकस्मिक देयता और आकस्मिक देयताओं के लिए आवश्यक प्रावधानों की प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख को समीक्षा की जाती है।

1.9 कर्मचारियों के लिए लाभ

1.9.1 परिभाषित अंशदान योजना

एक परिभाषित अंशदान योजना एक सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभ योजना होती है जिसके अंतर्गत एक इकाई विभिन्न कोषों में निर्धारित अंशदान जमा करती है और उस पर इसके अतिरिक्त किसी राशि का भुगतान करने का कोई कानूनी अथवा रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। समूह ऐसे निधियों/स्कीमों को भुगतान किए जाने वाले अंशदान को व्यय मानती है, जब कोई कर्मचारी संबंधित सेवाएँ दे देता है। यदि बैलेंस शीट तैयार किए जाने से पहले सेवाओं के लिए स्कीमों हेतु प्राप्त देय अंशदान पहले से ही भुगतान किए गए अंशदान से अधिक है तो इस स्कीम हेतु देय अंतर को भुगतान किए जा चुके अंशदान को घटाने के बाद एक दायित्व माना जाता है। यदि पहले से भुगतान किया जा चुका अंशदान बैलेंस शीट तैयार किए जाने से पहले सेवाओं के लिए प्राप्त देय अंशदान से अधिक है तो इस अधिक राशि को उस सीमा तक संपत्ति माना जाता है कि इस पूर्व-भुगतान से, उदाहरण के लिए, भविष्य में भुगतान में कमी होगी अथवा नकद वापसी होगी।

परिभाषित लाभ योजनाओं में अंशदान के दायित्व को लाभ एवं हानि के विवरण में उस अवधि में कर्मचारी लाभ व्यय माना जाता है जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएँ दी गई हैं।

समूह की होल्डिंग कंपनी की एक परिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम है जिसे एक अलग ट्रस्ट के मध्यम से प्रबंधित किया जाता है। समूह की होल्डिंग कंपनी का दायित्व कर्मचारियों के संबंध में इस ट्रस्ट में उस सीमा तक अंशदान करने का है जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% में से भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ स्कीम के लिए नियोक्ता के अंशदान को घटाने के बाद प्राप्त राशि से अधिक न हो। इस कोष में किसी वर्ष के लिए अंशदान को व्यय माना जाता है और इसे लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

समूह अपने कर्मचारियों के लिए अपनी धारिता और सहायक कम्पनी के मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में योगदान देता है जो उस सीमा तक एक निर्धारित लाभ योजना है, कि समूह पर ट्रस्ट के निवेशों से मिलने वाले प्रतिफल के अधिसूचित ब्याज दर से कम होने की स्थिति में कमी को पूरा करने का दायित्व है। इस संबंध में समूह का दायित्व एक बीमांकक द्वारा निर्धारित किया जाता है और यदि परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि ट्रस्ट सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दरों को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रतिफल सृजित करने में सक्षम नहीं होगा तो इसके लिए कदम उठाए जाते हैं। कोष में कंपनी के अंशदान को लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

1.9.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

1.9.2.1 ग्रेच्युटी

समूह पात्र नियमित और संविदा कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, एक परिभाषित लाभ योजना, उपलब्ध करता है। ग्रेच्युटी योजना में निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अशक्तता, अथवा रोजगार की शर्तों को पूरा करने पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और समूह के साथ सेवा की अवधि के आधार पर एक राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाता है।

ग्रेच्युटी योजना के संबंध में देयताएँ निम्नानुसार वर्ष के अंत में एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निष्पादित "अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति" का प्रयोग करके प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को बीमांकित मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती हैं:

(i) समूह की होल्डिंग कंपनी ने एक ग्रेच्युटी ट्रस्ट निधि बनाई है जिसका प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जा रहा है जो अंशदान का निवेश भारत के कानून द्वारा अनुमत्य स्कीमों में करता है। इसी प्रकार समूह की सहायक कम्पनी ने भी ग्रेच्युटी ट्रस्ट निधि बनाई है जिसका प्रबंधन सहायक कम्पनी द्वारा किया जाता है। समान रूप से, समूह की सहायक कंपनी ने भी एक ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड की स्थापना की है जिसका प्रबंधन सहायक कंपनी द्वारा किया जाता है

(ii) समूह एक परिभाषित लाभ योजना के निवल दायित्व को बैलेंस शीट में एक संपत्ति अथवा देयता के रूप में मान्यता देती है।

(iii) निवल परिभाषित देयता/(संपत्ति) के पुनः मापन के मध्यम से लाभ अथवा हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है।

(iv) परिभाषित लाभ दायित्व के मापन के लिए प्रयुक्त छूट दर को लागू करके परिकलित लब्धि से अधिक राशि के योजना संपत्तियों के पोर्टफोलियो के वास्तविक प्रतिफल को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है।

(v) सेवा लागत तथा निवल ब्याज लागत/ निवल परिभाषित लाभ देयता पर (आय)/(संपत्ति) को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

किन्हीं योजना संशोधनों के प्रभावों, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.9.2.2 प्रतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति

समूह प्रतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए परिभाषित लाभ योजना प्रचालित करती है। ऐसे परिभाषित लाभ प्रदान करने की लागत "अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति" का प्रयोग करके प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख को बीमांकित मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती है।

1.9.2.3 सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ स्कीम

सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभों के दायित्व का निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख को बीमांकित मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। बीमांकित लाभों/नुकसानों को अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता दी जाती है। पीआरएमएस स्कीम केवल समूह की धारिता कम्पनी पर लागू होती है।

1.9.2.4 अन्य लघु-अवधि लाभों की गणना उस अवधि में की जाती है जिसके दौरान सेवाएं दी गई हैं और तदनुसार लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित किए जाते है।

1.10 लीज

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने भारतीय लेखा मानक 116 को अधिसूचित किया है जो कि मौजूदा भारतीय लेखा मानक 17- लीज़ को 01 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाले लेखा वर्ष से प्रभावी तरीके से प्रतिस्थापित करता है।

पट्टेदार के रूप में समूह

मान्यता

लीज के आरम्भ के समय, उपयोग के अधिकार को किसी भी अप्रत्यक्ष लागत सहित परिसंपत्ति और विघटित लागत प्राप्त करने के लिए मान्यता दी जाएगी (यदि कोई हो), निम्नलिखित मामलों के अतिरिक्त भुगतान न किए गए लीज के वर्तमान मूल्य के समतुल्य देयता समरूपी लीज के साथ लीज प्रोत्साहन को कम करेंगी:

i. शॉर्ट टर्म लीज ; या

ii. लीज जिनके लिए कम मूल्य की संपत्ति अंतर्निहित है

लीज शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू होने के मामले में, उन पट्टों से जुड़े लीज पेमेंट को लीज टर्म या किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर स्ट्रेट-लाइन आधार पर खर्च के रूप में लिया जाएगा। पट्टेदार के रूप में कंपनी एक और व्यवस्थित आधार लागू करती है यदि वह आधार कंपनी के पैटर्न के अधिक प्रतिनिधि के रूप में पट्टेदार के लाभ के रूप में है।

लीज की अवधि में वित्त लागत में होने से लीज भुगतान के ब्याज तत्व को लाभ व हानि विवरण में चार्ज किया जाता है।

अनुवर्ती मापन (मूल्यह्रास)

अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी कार्यकाल या लीज अवधि की वैधता का उपयोग का अधिकार, जो भी कम है और हानि के अधीन है।

अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी कार्यकाल और उपयोग के अधिकार के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और उचित रूप से समायोजित की जाती है।

लीज की देयता का पुनः मापन

लीज देनदारी फिर से मापी जाती है (उपयोग परिसंपत्ति के अधिकार के अनुरूप समायोजन के साथ) जबः

1. लीज अवधि को संशोधित किया जाता है - पट्टेदार को यह आश्वस्त करना चाहिए कि क्या विस्तार विकल्प का प्रयोग करना उचित है, या एक महत्वपूर्ण विकल्प या परिस्थितियों में बदलाव होने पर समाप्ति के विकल्प का प्रयोग न करें:
   - पट्टेदार के नियंत्रण में है; तथा
   - प्रभाव क्या अनुपालन (या गैर-अनुपालन) यथोचित निश्चित है।
2. एक सूचकांक या दर के आधार पर लीज का भुगतान संशोधित किया जाता है।
3. लीज को संशोधित किया गया है
4. अवशिष्ट मूल्य की गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली राशियों में एक बदलाव है।

एक पट्टेदार संशोधित पट्टे के भुगतान को छूट देकर लीज देयता को अस्वीकार करेगा, यदि या तोः

(क) अवशिष्ट मूल्य की गारंटी के तहत देय राशि में बदलाव की उम्मीद है। अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय राशि में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए एक पट्टेदार संशोधित लीज भुगतान का निर्धारण करेगा।

(ख) भविष्य के पट्टे के भुगतान में बदलाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप एक सूचकांक या उन भुगतानों को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली दर शामिल है, उदाहरण के लिए बाजार किराए की समीक्षा के बाद बाजार किराये की दरों में बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए

एक बदलाव। पट्टेदार उन देय पट्टे भुगतानों को प्रतिबिंबित करने के लिए पट्टा देयता को वापस करेगा, जब नकदी प्रवाह में परिवर्तन होता है (अर्थात् जब पट्टे के भुगतान में समायोजन प्रभावी होता है)। एक पट्टेदार संशोधित संविदात्मक भुगतानों के आधार पर पट्टे की शेष अवधि के लिए संशोधित पट्टा भुगतानों का निर्धारण करेगा।

पट्टेदार अपरिवर्तित छूट दर का उपयोग करेगा, जब तक कि लीज के भुगतान में परिवर्तन से फ्लोटिंग ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं होता है। उस मामले में, पट्टेदार एक संशोधित छूट दर का उपयोग करेगा जो ब्याज दर में परिवर्तन को दर्शाता है।

लीज संशोधन

पट्टेदार एक लीज के संशोधन के लिए एक अलग लीज के रूप में खाता होगा यदि दोनों:

(क) संशोधन एक या अधिक अंतर्निहित परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार जोड़कर लीजके दायरे को बढ़ाता है; तथा

(ख) लीज के लिए विचार राशि में वृद्धि की गुंजाइश के लिए स्टैंड-अलोन मूल्य के साथ कम हो जाता है और उस संविदा के लिए किसी भी उपर्युक्त समायोजन के लिए किसी भी उपयुक्त समायोजन विशेष संविदा की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए।

लीज के संशोधन के लिए जिसका अलग पट्टे के रूप में हिसाब नहीं है, पट्टा संशोधन की प्रभावी तिथि पर पट्टेदार करेगा:

(क) संशोधित अनुबंध में विचार को आवंटित करें

(ख) संशोधित पट्टे की लीज अवधि निर्धारित करें

(ग) संशोधित छूट भुगतानों को संशोधित छूट दरों का उपयोग करके पट्टा देयता को पुनः प्राप्त करें। संशोधित छूट दर को लीज अवधि के शेष के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर के रूप में निर्धारित किया जाता है, अगर उस दर को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है, या संशोधन की प्रभावी तिथि पर पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर, यदि ब्याज दर में निहित है। पट्टा आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

एक लीज संशोधन के लिए जिसका अलग लीज के रूप में हिसाब नहीं है, पट्टेदार लीज देनदारी की पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा:

(क) लीज के संशोधनों के लिए पट्टे के आंशिक या पूर्ण समाप्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए उपयोग की गई परिसंपत्ति की वहन राशि को कम करना, जो लीज के दायरे को कम करता है। पट्टेदार लाभ या नुकसान को पहचान सकता है या लीज की आंशिक या पूर्ण समाप्ति से संबंधित कोई लाभ या हानि।

(ख) अन्य सभी लीज संशोधनों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति के लिए एक संगत समायोजन करना

(ग) एक व्यावहारिक प्रणाली के रूप में, एक पट्टेदार इस बात का चयन कर सकता है कि क्या पैराग्राफ 46ख में निर्धारित शर्तों से मेल खाने वाली रियायत पट्टा रियायत है अथवा नहीं। इस बात का चयन करने वाला पट्टाधारी किराया रियायत के परिणामस्वरूप पट्टा भुगतानों में किसी भी परिवर्तन को उसी प्रकार भारित करेगा जिस प्रकार कि यदि यह परिवर्तन पट्टा संशोधन नहीं होता तो इस मानक को लागू करते समय भारित किया जाता।

(घ) कोविड 19 महामारी के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में किराए में छूट और केवल तभी होगी जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों :-

(i) व्यापक रूप से समान अथवा कम लीज के संबंध में संशोधित मान में लीज भुगतान में परिवर्तन का यह परिणाम होता है कि जो परिवर्तन से पहले के लीज हेतु विचारार्थ था।

(ii) लीज भुगतान के संबंध में किसी भी प्रकार की कटौती केवल 30 जून, 2021 या उससे पहले की मूल रूप से देय भुगतानों को प्रभावित करती

है (यह छूट केवल इस परिस्थिति में लागू होगी यदि 30 जून 2021 या उससे पहले कम हुए लीज भुगतानों और 30 जून 2021 के पश्चात वर्धित लीज भुगतानों जिन्हें 30 जून 2021 से पश्चात तक विस्तारित किया गया हो,);

(iii) लीज की अन्य शर्तों और नियमों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।

वि-मान्यता

प्रारंभ में मान्यता प्राप्त उपयोग संपत्ति का अधिकार निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। उपयोग की संपत्ति के अधिकार की मान्यता को लेकर उत्पन्न कोई भी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना) लाभ और हानि खाते के विवरण में शामिल है जब उपयोग संपत्ति का अधिकार है पहचाना हुआ।

समूह एक लीजदाता के रूप में

वित्तीय लीज

समूह वित्तीय पट्टे के अंतर्गत धारित परिसंपत्तियों को लीज में निवल निवेश के बराबर राशि के रूप में एक प्राप्य के रूप में मान्यता देता है। समूह पट्टे की अवधि के दौरान वित्तीय आय को सीधे आधार पर मान्यता देता है, जो पट्टे में निवल निवेश पर एक स्थिर आवधिक रिटर्न की दर को दर्शाता है।

परिचालन लीज

ऐसी लीज़ जिनमें समूह संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफल को व्यापक रूप से स्थानांतरित नहीं करता है, उन्हें परिचालन लीज़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन लीज के अंतर्गत लीज़ पर दी गई परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है। किराया आय को लीज़ अवधि के दौरान सीधे आधार पर मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां अपेक्षित मुद्रास्फीति लागतों के साथ किराए में निर्धारित वृद्धि समूह को प्रतिपूर्ति करती है।

1.11 विदेशी मुद्रा लेन-देन

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं जो समूह की कार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा है। एक समूह की कार्यात्मक मुद्रा वह होती है जो प्रमुख आर्थिक वातावरण की मुद्रा होती है जिसमें समूह प्रचालन करता है।

विदेशी मुद्रा में लेन-देन प्रारंभ में कंपनी द्वारा उस तारीख की कार्यात्मक मुद्रा स्पॉट दरों पर रिकॉर्ड किए जाते हैं जब यह लेन-देन सर्वप्रथम मान्यता के लिए पात्र होता है। तथापि व्यावहारिक कारणों से कंपनी एक उपलब्ध औसत दर का प्रयोग करती है जब लेन-देन की तारीख को यह औसत वास्तविक दर के लगभग समान होता है।

विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक संपत्तियाँ और देयताएँ रिपोर्टिंग की तारीख को विनिमय की कार्यात्मक मुद्रा स्पॉट दरों पर बदली जाती हैं।

निपटान के समय विनिमय में होने वाले अंतर अथवा मौद्रिक वस्तुओं के परिवर्तन को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

गैर-मौद्रिक संपत्तियों तथा देयताओं, जिनका मापन विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के अनुसार किया जाता है, को पुनः बदला नहीं जाता।

1.12 आय कर

1.12.1 वर्तमान आय कर

वर्तमान आय कर संपत्तियों और देयताओं का मापन कराधान प्राधिकरणों से प्राप्त किए जाने वाली अथवा उन्हें भुगतान किए जाने वाली अपेक्षित राशि पर किया जाता है। राशि की गणना करने के लिए प्रयुक्त दरें और कर कानून वे होते हैं जो रिपोर्टिंग की तारीख को भारत में अधिनियमित किए गए हैं अथवा मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं।

प्रबंधन ऐसी स्थितियों, जिनमें लागू कर विनियम विवेचना के शर्ताधीन है, के संबंध में कर आकलनों में अपनाई गई स्थितियों का आवधिक रूप से मूल्यांकन करता है और जहाँ उचित हो वहाँ प्रावधान स्थापित करता है।

वर्तमान कर संपत्तियों द्वारा वर्तमान कर दायित्वों को संतुलित किया जाता है, यदि और केवल यदि मान्य राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए एक कानूनी रूप से लागू अधिकार विद्यमान है और निवल आधार पर निपटान करने अथवा संपत्ति को बेचने और साथ-साथ देयता का निपटान करने का इरादा हो।

अंतिम रूप से कर प्राधिकरणों/अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए/लागू किए गए अतिरिक्त करों, ब्याज और/अथवा जुर्मानों को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

लाभ एवं हानि के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित वर्तमान कर को लाभ एवं हानि के बाहर मान्यता दी जाती है (अन्य व्यापक आय में अथवा इक्विटी में)।

1.12.2 आस्थगित आय कर

रिपोर्टिंग की तारीख को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्यों से आस्थगित कर संपत्तियों तथा देयताओं के कर आधारों और उनकी मूल कीमतों के बीच अस्थायी अंतर पर प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर संपत्तियों को सभी छूट योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिट के आगे ले जाए गए भाग और किन्हीं अप्रयुक्त कर नुकसानों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर संपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभाव्य है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध छूट योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिट के आगे ले जाए गए भाग और अप्रयुक्त कर नुकसानों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर संपत्तियों की मूल कीमत की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर समीक्षा की जाती है और इसे उस सीमा तक घटाया जाता है कि यह संभाव्य न रहे कि आस्थगित कर संपत्ति का पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उपयोग करने की अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध हो सके। गैर-मान्यताप्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को पुनः आकलन किया जाता है और उस सीमा तक इन्हें मान्यता दी जाती है कि यह संभाव्य हो जाए कि भविष्य में कर योग्य लाभ से आस्थगित कर संपत्ति को वापस प्राप्त किया जा सकेगा।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं का मापन उन कर दरों (और कानूनों), जिन्हें रिपोर्टिंग की तारीख को अधिनियमित किया गया है अथवा मूल रूप से अधिनियमित किया गया है, के आधार पर उन दरों पर किया जाता है जिनके उस वर्ष में लागू होने की संभावना हो जब संपत्ति को बेचा जाता है अथवा देयता का निपटान किया जाता है।

लाभ एवं हानि के बाहर मान्यताप्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ एवं हानि के बाहर मान्यता दी जाती है (अन्य व्यापक आय में अथवा इक्विटी में)।

आस्थगित कर संपत्तियों और आस्थगित कर दायित्वों को संतुलित किया जाता है, यदि वर्तमान कर संपत्तियों से वर्तमान कर दायित्वों को पूरा करने के लिए एक कानूनी रूप से लागू अधिकार विद्यमान है और आस्थगित कर उसी कर योग्य इकाई और उसी कराधान प्राधिकरण से संबंधित है।

1.13 दरें और कर

जांच दस्तावेजों/ग्राह्यता प्रमाणों की उपलब्धता के आधार पर भारत में अथवा विदेश में भुगतान किए गए/उपार्जित विदेशी कार्यों पर विदेशी कर, सेवा कर, जीएसटी, मूल्य वर्धित कर, समान कर, पेशेवर कर, संपत्ति कर, प्रवेश कर, श्रम उपकर, चुंगी आदि को ऐसे दावों की ग्राह्यता के लिए लाभ एवं हानि के विवरण और सीमा अवधि के लिए प्रभारित किया जाता है।

1.14 पूर्व-भुगतान व्यय और पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व-भुगतान व्यय

पूर्व-भुगतान व्यय आने वाले वर्ष में, समूह की वर्तमान/गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में व्यवहार किया जाता है, जैसा कि मामला हो सकता है और इसे संबंधित वित्तीय वर्ष के व्यय / आय के रूप में माना जाता है, जो इसके अंतर्गत आता है जिसके संबंधित वर्ष के लेखो के प्राकृतिक शीर्ष में डाला जाता है।

पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधियों समायोजन में प्रस्तुत की गई त्रुटियों के लिए तुलनात्मक मात्र को बहाल करके पूर्ववर्ती त्रुटियों को पूर्व अवधि रूप से ठीक किया जाता है। यदि प्रस्तुत की गई आरंभिक अवधि से पहले त्रुटि हुई है, प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्ति देयता और इक्विटी का प्रारंभिक संतुलन, तब तक बहाल किया जाता है जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, इस मामले में, तुलनात्मक जानकारी को नई लेखांकन नीति को जल्द से जल्द लागू करने के लिए समायोजित किया जाता है।

1.15 परिसमापन नुकसान/दावे

परिसमापन नुकसानों/दावों पर प्रवेश आधार पर विचार किया जाता है और इन्हें क्रिस्टलीकरण के संबंध में लाभ एवं हानि के विवरण में व्यय/आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.16 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी क्रियाकलापों के लिए संविधि के तहत लाभों के निर्धारित प्रतिशत में से शेष अव्ययित राशि, यदि कोई हो, को वित्तीय विवरण में पृथक दायित्व के रूप में दर्शाया जाता है।

1.17 लाभांश:

शेयरों पर अंतिम लाभांश को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तारीख को देयता के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है और अंतरिम लाभांश को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा घोषित किए जाने की तारीख को देयता के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

1.18 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर आधारभूत आय का निर्धारण करने में इक्विटी शेयरधारकों के कारण निवल लाभ को अवधि के दौरान लंबित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित किया जाता है।

प्रति शेयर कम की गई आमदनी का निर्धारण करने में इक्विटी शेयरधारकों के कारण निवल लाभ को प्रति शेयर आधारभूत आय के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और सभी आमदनी कम करने की संभावना वाले इक्विटी शेयरों को बदलने पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भी विभाजित किया जाता है। आमदनी कम करने की संभावना वाले इक्विटी शेयरों को अवधि के प्रारंभ में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में माना जाता है, यदि इन्हें बाद की तारीख में जारी न किया जाए। आमदनी कम करने की संभावना वाले इक्विटी शेयरों का निर्धारण प्रस्तुत की गई प्रत्येक अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से किया जाएगा।

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पहले किए गए परिवर्तनों सहित जारी किए जाने वाले बोनस शेयरों हेतु प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए इक्विटी शेयरों और आमदनी कम करने की संभावना वाले इक्विटी शेयरों की संख्या को पूर्वव्यापी प्रभाव से समायोजित किया जाता है।

1.19 नकद प्रवाह का विवरण

नकद प्रवाह के विवरण के प्रस्तुतीकरण के उद्देश्य से नकद और नकद समकक्ष में उपलब्ध नकद, माँग जमा सहित बैंकों के पास शेष राशि, अन्य लघु अवधि अत्यधिक तरल निवेश जो मूल्य में परिवर्तन के गैर-महत्वपूर्ण जोखिम के शर्ताधीन हों, जिन्हें आसानी से नकद की ज्ञात मात्रा में बदला जा सके और जिनकी परिपक्वता अवधि अधिग्रहण अथवा निवेश की तारीख से तीन माह अथवा इससे कम हो। प्रचालन, वित्तपोषण और निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह को अलग-अलग किया जाता है।

1.20 मूल कंपनी के मामले में अवकाश यात्रा भत्ते के लाभ की गणना वास्तविक उपयोग के आधार पर की जाती है।

1.21 निवेश संपदा

निवेश संपत्ति वह संपत्ति है (भूमि या भवन-या भवन का हिस्सा-या दोनों) जो व्यापार के सामान्य पाठयक्रम में बिक्री के लिए या उत्पादन में उपयोग के लिए या प्रशासनिक के लिए किराए पर लेने या पूंजीगत प्रशंसा या दोनों उद्देश्यों के लिए धारित की जाती है।

मान्यता:-

निवेश संपत्ति को एक संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब:

(क) यह संभव हो कि भविष्य के आर्थिक लाभ जो कि निवेश संपत्ति से जुड़े हैं, इकाई के लिए प्रवाहित होंगे और

(ख) निवेश संपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो।

यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं तो आगामी अतिरिक्तों को जोड़ दिया जाता है।

निवेश संपत्ति में या उससे स्थानांतरण तब किया जाता है जब उपयोग में परिवर्तन होता है यानी संपत्ति निवेश संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती है या समाप्त हो जाती है और उपयोग में परिवर्तन का प्रमाण है।

अनुवर्ती मापन (मूल्यह्रास)

निवेश संपत्ति के रूप में रखे गए भवनों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

वि-मान्यता

निवेश संपत्ति का एक मद और प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से को या तो तब मान्यता समाप्त कर दी जाती है जब उनका निपटान किया जाता है या जब उन्हें उपयोग से स्थायी रूप से वापस ले लिया जाता है और उनके निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती।

शुद्ध निपटान आय, यदि कोई हो, और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर को अमान्यता की अवधि में लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

1.22 जारी किए गए किन्तु प्रभावी नहीं मानक

हाल ही में की गई लेखांकन संबंधी घोषणाएं

प्रमुख लेखांकन नीति संबंधी जानकारी

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए"), की दिनांक 07 मई, 2025 की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

भालेमा 21 - विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव: इस संशोधन के अंतर्गत संस्थाओं को यह आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या एक मुद्रा मापन तिथि पर और विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु अन्य मुद्रा में विनिमय योग्य है। यदि कोई इकाई विनिर्दिष्ट उद्देश्य हेतु मापन तिथि पर अन्य मुद्रा की नगण्य राशि से अधिक प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो मुद्रा अन्य मुद्रा में विनिमय योग्य नहीं है। ऐसे मामले में संस्था को निम्न का उपयोग करके पैराग्राफ 19 क के उद्देश्य पूर्ति करने वाली तत्काल विनिमय दर का अनुमान लगाने की आवश्यकता है:

(क) समायोजन के बिना एक पर्यवेक्षणीय विनिमय दर; या

(ख) अन्य अनुमान तकनीक

इस मानक संशोधन की प्रभावी तिथि 7 मई 2025 है, अर्थात इसके प्रकाशन की तिथि और यह 01/04/2025 से लागू होगी।

1.21.1 लेखांकन नीतियों और अनुमान अनिश्चितता को लागू करने संबंधी महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय

भारत में वित्तीय विवरणों को आईएनडीएएस के अनुसार तैयार जाता है जिसके अंतर्गत प्रबंधन को अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तारीख में संपत्तियों, देनदारियों के शेष और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण और अवधि के दौरान दिये गए आय और व्यय की मात्रा को प्रभावित करते हैं।

यद्यपि वित्तीय विवरणों के साथ उपयोग किए जाने वाले ये अनुमान और धारणाएं वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों, जोकि प्रबंधन की राय में विवेकपूर्ण और उचित होते हैं, के मूल्यांकन पर आधारित होते हैं, वास्तविक परिणाम वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले अनुमानों और धारणाओं से भिन्न हो सकते हैं।

लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को संभावित रूप से उस अवधि के लिए अभिज्ञात किया जाता है जिस अवधि में लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार ज्ञात/वास्तविक परिणाम होते हैं। परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय को अभिज्ञात करने और उसके मापन पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अनुमानों और धारणाओं से संबधित जानकारी को नीचे दिया गया है:

मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक विवरणों का सारांश

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्धारण

समूह की लेखांकन नीतियों को लागू करने में वित्तीय विवरणों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्धारक निम्नलिखित हैं :

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता

जिस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अभिज्ञात किया जाता है वह समूह की भविष्य की कर संभावित आय के आकलन पर आधारित होती है, जिसके संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

परिसंपत्तियों की हानि हेतु संकेतकों का मूल्यांकन

परिसंपत्तियों की हानि के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण निर्धारक शामिल होते हैं जिसके लिए विभिन्न बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करना अपेक्षित होता है जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट आ सकती है। इन संकेतकों में जारीकर्ता या देनदार की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाइयां, भुगतान में डिफ़ॉल्ट या दोष, तकनीकी, बाजार, आर्थिक या कानूनी वातावरण, अन्य में महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन शामिल हो सकते हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

प्रबंधन शेष उपयोगी वस्तुओं और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्य का आकलन करता है और उसका मानना है कि निर्दिष्ट उपयोगी वस्तु और अवशिष्ट मूल्य यथोचित हैं।

अनुमान अनिश्चितता

परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय को अभिज्ञात करने और उनके मापन पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अनुमानों और मान्यताओं से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

अग्रिम/प्राप्य राशियों की वसूली

परियोजना/तकनीकी प्रमुख और क्षेत्रीय प्रमुख समय-समय पर अग्रिम और प्राप्य राशियों की वसूली की समीक्षा करते हैं। वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा की जाती है और ऐसे मूल्यांकन के लिए परस्पर प्रतिपक्षों की वित्तीय स्थिति, बाजार जानकारी और अन्य संगत कारकों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्धारण की आवश्यकता होती है।

परिभाषित लाभ दायित्व (डीओबी)

डीबीओ से संबंधित प्रबंधन अनुमान कई महत्वपूर्ण अंतर्निहित धारणाओं जैसे मुद्रास्फीति की मानक दर, चिकित्सा लागत प्रचलन , मृत्यु दर, छूट दर और भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान पर आधारित है। इन अवधारणाओं में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय को प्रभावित कर सकती है।

आकस्मिकताएं

चूंकि लंबित मामलों के परिणाम का सटीकता के साथ पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है, समूह के विरुद्ध आकस्मिकताओं/दावे/मुकदमों के संबंध में संसाधनों के संभावित बहिर्वाह, यदि कोई हो, का अनुमान लगाने हेतु प्रबंधन निर्धारण की आवश्यकता होती है

परिसमापित हानि

परिसमापित क्षति प्राप्त योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और संविदात्मक शर्तों के अनुसार दर्ज किया जाता है; ठेकेदार/विक्रेता पर लगाए गए अनुमान वास्तविक अनुमान से भिन्न हो सकते हैं।

राजस्व

प्रदर्शन दायित्व के समाधान हेतु प्रतिशत पूर्णता विधि के उपयोग के लिए समूह को कुल अपेक्षित लागत के सापेक्ष लागत का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए दीर्घकालिक निर्माण और सेवा अनुबंधों के परिणामों का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, संतुलित प्रयासों, अनुबंध को पूरा करने संबंधी लागत और समय पर आकलन और निर्णय लेने, जिसमें परिनिर्धारित क्षति हेतु भारित संभावना और संभावित सीमा तक विलम्ब हेतु मूल्य में गिरावट और विश्वसनीय रूप से मापन में सक्षम हों, की आवश्यकता होती है। चूंकि इनपुट और कार्य निष्पादन के समाधान के मध्य सीधा संबंध है, कार्य पूरा होने की दिशा में प्रगति के मापन हेतु लागत और समय लगा है।

पट्टेदार के रूप में संपत्ति पट्टा वर्गीकरण

कंपनी ने कार्यालय/आवासीय परिसरों हेतु पट्टे पर हस्ताक्षर किए हैं।

जैसा कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक परिपेक्ष्य का एक बड़ा भाग नहीं है और न्यूनतम पट्टे के भुगतान का वर्तमान मूल्य वाणिज्यिक संपत्ति के उचित मूल्य की समग्र राशि नहीं है, यह कि इन संपत्तियों के स्वामित्व हेतु और पट्टों के परिचालन के अनुबंधों के उत्तरदायी है, कंपनी ने अनुबंधों के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारण किया है।

अनुमान अनिश्चितता

परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय के निर्धारण और मापन पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले अनुमानों और अवधारणाओं से संबंधी जानकारी नीचे दी गई है। वास्तविक परिणाम काफी भिन्न हो सकते हैं।

प्रावधान

प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर, समूह प्रबंधन के निर्णय, तथ्यों में परिवर्तन और विधिक पहलुओं के आधार पर, समूह की बकाया राशि से संबंधित प्रावधानों की आवश्यकता का आकलन करती है। हालांकि, भविष्य के वास्तविक परिणाम इस निर्धारण से भिन्न हो सकते हैं।

भौतिकता का निर्धारण

भारतीय लेखा मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों में विभिन्न लेन-देन के प्रकटीकरण और लेखाकंकन हेतु समूह द्वारा भौतिकता का मूल्यांकन अपेक्षित है। तदनुसार, समूह लेखांकन और प्रकटीकरण के लिए विभिन्न मदों के लिए भौतिकता सीमा का आकलन करती है और निरंतर आधार पर अनुसरण करती है।

टिप्पणी - 2

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

वाप्कोस लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2024-25
समेकित लेखा टिप्पणियाँ

सकल मूल कीमत	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	लीजहोल्ड भूमि	भवन	मशीनरी	फर्नीचर और फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कार्य उपकरण	विद्युत कार्य	कंप्यूटर	नेटवर्किंग सेवाएँ	अस्थायी लड़की का ढाँचा	पुस्तकें	कुल
सकल ब्लाक-परिसंपत्तियां														
31-03-2022 को प्रारंभिक शेष	**250.56**	**19.45**	**3,985.64**	**1,022.01**	**935.17**	**501.54**	**1,073.79**	**89.09**	**446.77**	**1,206.37**	**188.93**	**-**	**15.57**	**9,734.90**
वर्ष 2022-23 के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	15.86	40.69	90.83	-	0.48	60.38	552.14	-	0.09	760.46
निपटान/ बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां:	-	-	(65.80)	(206.75)	(25.17)	(87.99)	(24.39)	(38.71)	(23.64)	(36.12)	-	-	(0.23)	(508.79)
निवेश संपत्ति में स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2023 को शेष	**250.56**	**19.45**	**3,919.84**	**815.26**	**925.86**	**454.25**	**1,140.22**	**50.38**	**423.61**	**1,230.64**	**741.07**	**-**	**15.42**	**9,986.58**
वर्ष 2023-24 के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	17.53	-	35.47	-	1.45	55.40	-	-	0.00	109.84
निपटान/ बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां:	-	-	(8.95)	0.03	(1.74)	-	(0.73)	(1.12)	0.07	(4.66)	-	-	-	(17.10)
निवेश संपत्ति में स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ईआरपी प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2024 को शेष	**250.56**	**19.45**	**3,910.89**	**815.29**	**941.64**	**454.25**	**1,174.96**	**49.26**	**425.13**	**1,281.38**	**741.07**	**-**	**15.42**	**10,079.32**
वर्ष 2024-25 के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	20.02	-	23.73	-	0.20	140.63	-	-	-	184.57
निपटान/ बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां:	-	-	-	-	(11.80)	-	(17.77)	(3.21)	(2.28)	(18.04)	-	-	(0.10)	(53.21)
निवेश संपत्ति में स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ईआरपी प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2025 को शेष	**250.56**	**19.45**	**3,910.89**	**815.29**	**949.85**	**454.25**	**1,180.91**	**46.05**	**423.05**	**1,403.97**	**741.07**	**-**	**15.32**	**10,210.68**
संचित मूल्यह्रास														
31-03-2022 को शेष	**-**	**4.19**	**568.06**	**843.20**	**446.16**	**301.25**	**729.86**	**70.89**	**236.57**	**900.11**	**156.85**	**-**	**12.78**	**4,269.92**
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.20	60.71	15.48	90.06	34.75	110.80	1.01	39.37	113.65	70.84	-	2.07	538.95
निपटान के लिए समायोजन	-	-	(65.80)	(190.35)	(22.33)	(83.59)	(23.19)	(30.74)	(17.47)	(34.06)	-	-	(0.22)	(467.74)
निवेश संपत्ति में स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2023 को शेष	**-**	**4.39**	**562.97**	**668.34**	**513.90**	**252.42**	**817.47**	**41.16**	**258.47**	**979.70**	**227.69**	**-**	**14.63**	**4,341.14**
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.20	60.71	15.42	86.76	34.97	89.48	0.54	37.54	101.74	91.15	-	0.07	518.57
निपटान के लिए समायोजन	-	-	(8.95)	0.03	(1.30)	-	(0.71)	(1.09)	0.07	(0.90)	-	-	-	(12.86)
पूर्व अवधि मूल्यह्रास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	-	-	-	0.26
निवेश संपत्ति में स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2024 को शेष	**-**	**4.59**	**614.74**	**683.78**	**599.36**	**287.39**	**906.24**	**40.61**	**296.08**	**1,080.80**	**318.84**	**-**	**14.70**	**4,847.11**
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.20	60.71	14.74	81.85	28.63	71.97	0.51	34.96	105.42	89.25	-	0.06	488.31
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	-	(11.29)	-	(16.94)	(3.01)	(2.16)	(17.22)	-	-	(0.10)	(50.73)
पूर्व अवधि मूल्यह्रास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवेश संपत्ति में स्थानांतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2025 को शेष	**-**	**4.79**	**675.45**	**698.52**	**669.92**	**316.02**	**961.27**	**38.10**	**328.89**	**1,168.99**	**408.09**	**-**	**14.66**	**5,284.69**
क्षति प्रावधान														
31.03.2022 तक प्रारंभिक शेष राशि	**-**	**-**	**-**	**32.33**	**-**	**1.65**	**-**	**4.28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.26**
वर्ष के दौरान हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रावधान उलट दिया गया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2023 को शेष	**-**	**-**	**-**	**32.33**	**-**	**1.65**	**-**	**4.28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.26**
वर्ष के दौरान हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रावधान उलट दिया गया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2024 को शेष	**-**	**-**	**-**	**32.33**	**-**	**1.65**	**-**	**4.28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.26**
वर्ष के दौरान हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रावधान उलट दिया गया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2025 को शेष	**-**	**-**	**-**	**32.33**	**-**	**1.65**	**-**	**4.28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.26**
को नेट बुक वैल्यू 31-03-23	**250.56**	**15.05**	**3,356.87**	**114.60**	**411.96**	**200.18**	**322.75**	**4.94**	**165.14**	**250.94**	**513.38**	**-**	**0.79**	**5,607.18**
को नेट बुक वैल्यू 31-03-24	**250.56**	**14.85**	**3,296.16**	**99.18**	**342.28**	**165.21**	**268.72**	**4.38**	**129.04**	**200.59**	**422.23**	**-**	**0.72**	**5,193.95**
को नेट बुक वैल्यू 31-03-25	**250.56**	**14.65**	**3,235.44**	**84.44**	**279.94**	**136.58**	**219.64**	**3.67**	**94.17**	**234.98**	**332.98**	**-**	**0.66**	**4,887.73**

नोट: पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
पूंजीगत प्रतिबद्धता			
प्रारंभिक शेष	-	644.44	644.44
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	644.44
अंत शेष	-	-	-

टिप्पणी - 2क
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

(रु. लाख में)

विवरण	आरओयू भवन	आरओयू वाहन	कुल
सकल ब्लाक- 01-04-2022 को आरंभिक शेष	**3,524.14**	**134.98**	**3,659.12**
पूर्व अवधि हेतु समायोजन	0.15	-	0.15
जोड़	74.11	34.65	108.76
निपटान/बट्टे खाते में डालना	(245.36)	(2.45)	(247.81)
31-03-2023 को शेष	**3,353.04**	**167.18**	**3,520.22**
सकल ब्लाक - 01-04-2022 को आरंभिक शेष	**2,289.66**	**109.25**	**2,398.91**
वर्ष के लिए परिशोधन	465.29	22.40	487.69
निपटान के लिए समायोजन	(105.37)	-	(105.37)
31-03-2023 को शेष	**2,649.58**	**131.65**	**2,781.23**
31-03-2023 को नेट बुक वैल्यू	**703.45**	**35.53**	**738.98**
सकल ब्लाक - 01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	**3,353.04**	**167.18**	**3,520.22**
जोड़	380.72	19.47	400.19
निपटान/बट्टे खाते में डालना	(117.85)	-	(117.85)
31-03-2024 को शेष	**3,615.90**	**186.65**	**3,802.55**
मूल्यह्रास - 01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	**2,649.58**	**131.65**	**2,781.23**
वर्ष के लिए परिशोधन	367.05	18.84	385.89
निपटान के लिए समायोजन	(53.40)	-	(53.40)
31-03-2024 को शेष	**2,963.23**	**150.49**	**3,113.72**
31-03-2024 को नेट बुक वैल्यू	**652.67**	**36.16**	**688.83**
सकल ब्लाक - 01-04-2024 को आरंभिक शेष	**3,615.90**	**186.65**	**3,802.55**
जोड़	188.54	-	188.54
निपटान/बट्टे खाते में डालना	(18.53)	-	(18.53)
31-03-2025 को शेष	**3,785.91**	**186.65**	**3,972.56**
मूल्यह्रास - 01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	**2,963.23**	**150.49**	**3,113.72**
वर्ष के लिए परिशोधन	294.87	13.53	308.40
निपटान के लिए समायोजन	(13.70)	-	(13.70)
31-03-2025 को शेष	**3,244.40**	**164.02**	**3,408.41**
31-03-2025 को नेट बुक वेल्यू	**541.52**	**22.63**	**564.15**

टिप्पणी - 2ख
निवेश परिसंपत्तियाँ*

(रु. लाख में)

विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	फ्रीहोल्ड वाली भूमि	कुल
सकल ब्लाक			
01-04-2022 को आरंभिक शेष	**2.39**	**184.30**	**186.69**
जोड़	-	-	-
पीपीई से अंतरित	-	-	-
निपटान/बट्टे खाते में डालना	-	-	-
31-03-2023 तक शेष राशि	**2.39**	**184.30**	**186.69**
जोड़	-	-	-
पीपीई से अंतरित	-	-	-
निपटान/बट्टे खाते में डालना	-	-	-
31-03-2024 तक शेष राशि	**2.39**	**184.30**	**186.69**
जोड़	-	-	-
पीपीई से अंतरित	-	-	-
निपटान/बट्टे खाते में डालना	-	-	-
31-03-2025 तक शेष राशि	**2.39**	**184.30**	**186.69**
संचित मूल्यह्रास			
01-04-2022 को आरंभिक शेष	**-**	**43.44**	**43.44**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	2.85	2.85
पीपीई से अंतरित	-	-	-
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-
31-03-2023 तक शेष राशि	**-**	**46.29**	**46.29**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	2.85	2.85
पीपीई से अंतरित	-	-	-
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-
31-03-2024 तक शेष राशि	**-**	**49.14**	**49.14**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	2.85	2.85
पीपीई से अंतरित	-	-	-
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-
31-03-2025 तक शेष राशि	**-**	**51.99**	**51.99**
01-04-2023 को नेट बुक वैल्यू	**2.39**	**138.01**	**140.40**
31-03-2024 को नेट बुक वैल्यू	**2.39**	**135.16**	**137.55**
31-03-2025 को नेट बुक वैल्यू	**2.39**	**132.31**	**134.70**

'सीएसडब्ल्यू इकाई-फ़रीदाबाद की बुक्स में आने वाले भूमि की राशि एवं भवन की राशि फ़रीदाबाद की बहियाँ में ₹ 4.39 लाख एवं निगम कार्यालय में ₹179.91 लाख है।

निदेशक मंडल की सिफारिशों पर तथा कंपनी की आंतरिक समिति की दिनांक 14 मार्च 2022 की रिर्पोट के अनुसार समूह ने एनपीसीसी फ़रीदाबाद औद्योगिक प्लॉट-67-68 सेक्टर-25 फ़रीदाबाद-1211004 हरियाणा-प्रशासनिक ब्लॉक को हुडा के मानदंडों के आधार पर पांच साल के लिए दस साल तक बढ़ा दिया गया है पट्टे पर लेने के लिए निविदा आमंत्रित की है। पक्ष हेतु संपत्ति को पट्टे पर देने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान (एलओआईके) अंतिम रूप दिया गया, और इस पर कब्जे की लीज को माह अगस्त 2003 में सुर्पुद किया गया हालांकि प्रबंधान का इरादा 31 मार्च 2025 तक किराये की आय अर्जित करने के उद्देश्य से संपत्ति को रखने का है, इसलिए संपत्ति को 31 मार्च 2025 को भारतीय लेखा मानक एएस-40 की आवश्यकता के अनुसार निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश सम्पत्ति का मूल्यांकन

भूमि लागत

प्लाट का कुल क्षेत्रफल	14555.55 वर्ग गज
भूमि दर	52,000.00/वर्ग गज
प्लाट की कुल लागत	7,568.89 लाख रूपये
निर्माण की कुल लागत	88.32 लाख रूपये
संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	**7,657.21** लाख रूपये

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल को लागू करते हुए कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है।

टिप्पणी - 2ग
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल ब्लॉक	
1.04.2022 को शेष राशि	**719.37**
जोड़	35.49
31.03.2023 को शेष राशि	**754.86**
प्रारंभिक वर्षों का समायोजन	0.01
जोड़	225.03
31.03.2024 को शेष राशि	**979.90**
प्रारंभिक वर्षों का समायोजन	-
जोड़	218.58
31.03.2025 को शेष राशि	**1,198.48**
संचित मूल्यह्रास	
1.04.2022 को प्रारंभिक शेष	**427.41**
वर्ष के लिए परिशोधन शूल्क	115.01
31.03.2023 को शेष राशि	**542.42**
वर्ष के लिए परिशोधन शूल्क	178.60
31.03.2024 को शेष राशि	**721.02**
वर्ष के लिए परिशोधन शूल्क	247.36
31.03.2025 को शेष राशि	**968.37**
31.03.2023 को निवल निर्धारित मूल्य	**212.44**
31.03.2024 को निवल निर्धारित मूल्य	**258.88**
31.03.2025 को निवल निर्धारित मूल्य	**230.11**

टिप्पणी - 3
गैर-वर्तमान निवेश

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक		1 अप्रैल, 2023 तक	
	यूनिटों की संख्या	राशि	यूनिटों की संख्या	राशि	यूनिटों की संख्या	राशि
इक्विटी निवेश						
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर कंपनी (अनकोटेड) इक्विटी शेयरों में निवेश						
जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड						
10/- रू प्रत्येक शेयर की दर से 30,000 इक्विटी शेयर का पूर्णतयः भुगतान 3,00,000/- रू	-	54.00	-	49.06	-	44.02
10 रुपये प्रत्येक के 2,279 इक्विटी शेयर की खरीद 20/- रुपये प्रति शेयर का पूर्णतयः भुगतान 45,580/- रुपये*						
कुल	**-**	**54.00**	**-**	**49.06**	**-**	**44.02**

* उचित मूल्य के अभाव में, प्रति शेयर बुक वैल्यू पर उसे प्रकट किया गया है।

टिप्पणी - 4
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ
क- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ - गैर-वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	1 अप्रैल, 2023 तक
प्रतिभूति जमा/ईएमडी			
असुरक्षित, उचित समझें	4,319.01	4,906.66	5,262.65
क्रेडिट क्षति	2,771.76	2,502.60	2,160.30
प्रतिधारण राशि			
असुरक्षित, उचित समझें	1,904.56	1,867.99	160.86
क्रेडिट क्षति	887.05	863.69	11.00
आपूर्तिकर्ताओं और उप ठेकेदारों को अग्रिम			
असुरक्षित, उचित समझें	845.84	845.68	845.68
12 माह से अधिक की शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा (क), (ख) (अर्जित ब्याज)	4,129.76	13,677.07	2,798.77
	14,857.98	**24,663.69**	**11,239.26**
हानिः संभावित क्रेडिट हानि हेतु भत्ता (ग)	(3,658.81)	(3,366.29)	(2,171.30)
कुल	**11,199.17**	**21,297.40**	**9,067.96**

(क) उपरोक्त में 312.05 लाख रू (गत वर्ष 310.30 लाख रू) की राशि के 12 माह से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक एफडीआर के रूप में ईएमडी शामिल है और ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं है। उस पर 111.44 लाख रूपए की राशि (गत वर्ष 83.84 लाख रू)

(ख) उपर्युक्त में बैंक गारंटियों के संबंध में मार्जिन धन/प्रतिभूति के रूप में धारित 2078.03 लाख रुपये की बैंक जमाएँ 67.88 लाख रूपए का अर्जित ब्याज शामिल हैं (गत वर्ष 2177.85 लाख रू और अर्जित ब्याज 31.87 लाख रू)

(ग) प्रबंधन की राय में, संदिग्ध प्रतिधारण राशि के संबंध में धारित भत्ता प्रतिधारण की वसूली के कारण किसी भी नुकसान को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। संदर्भ टिप्पणी: 54

ख. अन्य वित्तीय संपत्तियाँ - वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	1 अप्रैल, 2023 तक
प्रतिभूति जमाएं/ईएमडी			
असुरक्षित, उचित समझें	2,728.52	2,248.25	1,808.18
क्रेडिट क्षति	2,360.92	2,342.81	2,074.01
अन्य वसूली योग्य	1,253.34	1,364.64	1,192.11
स्टाफ को अग्रिम (क)			
असुरक्षित, उचित समझें	315.95	238.65	214.22
क्रेडिट क्षति	26.77	26.77	26.77
सीपीएफ ट्रस्ट			
असुरक्षित, उचित समझें	-	128.23	11.65
क्रेडिट क्षति	84.52	84.52	200.00
चांदी के प्रतीक चिन्ह	0.45	0.45	0.45
	6,770.47	6,434.33	5,527.39
घटाएं: अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता	(2,472.21)	(2,454.10)	(2,300.79)
कुल	**4,298.26**	**3,980.22**	**3,226.60**

(क) टिप्पणी संख्या - 64 देखें

(ख) इसमें ठेकेदार द्वारा परियोजना में विलम्ब के कारण मैसर्स बीपीआरडी द्वारा प्रतिसंहरण की गई वाप्कोस की बैंक गारंटी से संबंधित 710.81 लाख (गत वर्ष 710.81 लाख रू) की राशि शामिल है। परिणामस्वरूप, वाप्कोस लिमिटेड ने मैसर्स स्वर्णिम की 304.40 लाख (गत वर्ष 304.40 लाख रू) की बैंक गारंटी का प्रतिसंहारण किया और शेष राशि को बिलों के माध्यम से समायोजित किया।

टिप्पणी - 5
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	01 अप्रैल, 2023 तक
उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ			
संपत्ति, संयंत्र, उपकरणों और अर्मूत संपत्तियों का मूल्यह्रास और परिशोधन	-	-	-
कर्मचारी लाभ	4,282.37	3,873.14	3,723.67
ईएमडी का प्रावधान	424.19	499.90	-
एमएसएमई आपूर्तिकर्ता का प्रावधान	1,019.73	567.98	-
आपूर्तिकर्ता अग्रिम का प्रावधान	81.08	81.08	30.95
किराया अग्रिम का प्रावधान	5.54	5.54	6.29
यात्र भत्ता व्यय/विविध व्यय हेतु प्रावधान	7.00	7.00	1.02
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणऔर इन्वेंट्री के लिए भत्ते	36.62	36.62	36.59
	370.01	388.31	-
मुकदमेबाजी व्यय के लिए प्रावधान	210.74	-	-
विदेशी अग्रदाय हेतु प्रावधान	2.56	2.56	2.56
लीज देनदारियां (आरओयू का निवल)	27.50	46.55	44.09
अपेक्षित क्रेडिट नुकसान हेतु प्रावधान	16,539.43	14,297.31	11,462.37
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)	**23,006.78**	**19,806.00**	**15,307.53**
उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर देयताएं			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों तथा अमूर्त संपत्तियों का मूल्यह्रास और परिशोधन	(410.23)	(433.30)	(440.53)
निवेश पर मूल्यांकन लाभ के लिए प्रावधान	(13.56)	(12.35)	(11.08)
आस्थगित कर देनदारियां (ख)	**(423.79)**	**(445.65)**	**(451.61)**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**22,582.99**	**19,360.35**	**14,855.93**

आस्थगित कर परिसंपत्ति देनदारी में संचलन

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात	हानि के विवरण में अभिज्ञात	31 मार्च, 2024 को	अन्य व्यापक आय में अभिज्ञात	हानि के विवरण में अभिज्ञात	01 अप्रैल, 2023 को
उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:							
कर्मचारी लाभ	4277.99	(52.60)	457.44	3873.15	6.83	142.65	3723.67
लीज देनदारियां	27.50	-	(19.04)	46.54	-	2.45	44.09
अनुमानित हानियों के लिए प्रावधान	16,576.06	-	2,242.12	14,333.94	-	2834.98	11498.96
अन्य	2,120.85	-	568.47	1,552.38	-	1511.56	40.81
उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर देनदारियां:							
मूल्यह्रास	(410.23)	-	23.07	(433.30)	-	7.22	(440.53)
अन्य	(13.55)	(1.24)	0.04	(12.35)	(1.27)	-	(11.08)
कुल	**22,578.61**	**(53.84)**	**3,272.10**	**19,360.35**	**5.56**	**4498.87**	**14855.92**

टिप्पणी - 6
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	1 अप्रैल, 2023 तक
पूर्व-भुगतान व्यय	76.24	166.73	126.73
प्रतिभूति जमा पर उचित मूल्य आरक्षित	5.76	6.50	4.58
आपूर्तिकर्ताओं और उप-संविदाकारों को अग्रिमः			
सुरक्षित, उचित समझे	170.60	21.19	21.19
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	753.12	765.72	802.88
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है	1,784.67	1,825.28	1,825.28
	2,790.39	**2,785.42**	**2,780.66**
घटाएँ: अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता	(1,784.67)	(1,825.28)	(1,825.28)
कुल	**1,005.72**	**960.13**	**955.38**

टिप्पणी - 7
व्यापार प्राप्य - गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	1 अप्रैल, 2023 तक
व्यापार प्राप्तियाँ			
असुरक्षित, उचित समझी जाती है	5,337.37	11,165.90	11,549.16
क्रेडिट क्षति	10,000.10	2,758.69	3,969.00
	15,337.48	13,924.58	15,518.16
घटाएं: अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते*	(10,000.10)	(2,758.69)	(3,969.00)
कुल	**5,337.37**	**11,165.90**	**11,549.16**

*** प्रबंधन की राय में, संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों की संबंध में धारित भत्ते व्यापार प्राप्तियों के वापस प्राप्त न होने की स्थिति में किसी हानि को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। संदर्भ टिप्पणी-54**

व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल

(रु. लाख में)

विवरण	अनबिल	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	-	-	134.30	28.26	94.78	100.21	4,955.61	**5,313.17**
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	0.49	0.10	5.20	15.31	9,763.46	**9,784.56**
विवादित व्यापार प्राप्तियां -उचित समझे	-	-	-	-	-	-	24.20	**24.20**
विवादित व्यापार प्राप्तियां -क्रेडिट अनर्जित	215.55	-	-	-	-	-	-	**215.55**
31 मार्च, 2025 को	**215.55**	**-**	**134.79**	**28.36**	**99.98**	**115.52**	**14,743.27**	**15,337.48**
अविवादित व्यापार प्राप्तियां उचित समझे	-	-	8.94	14.94	119.45	329.19	9,154.80	**9,627.33**
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	2.04	3.40	27.21	74.98	2,085.09	**2,192.72**
विवादित व्यापार प्राप्तियां -उचित समझे	-	-	-	-	-	101.08	1,437.48	**1,538.57**
विवादित व्यापार प्राप्तियां -क्रेडिट अनर्जित	215.55	-	-	-	-	23.02	327.40	**565.97**
31 मार्च, 2024 को	**215.55**	**-**	**10.97**	**18.35**	**146.66**	**528.28**	**13,004.78**	**13,924.58**
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	-	-	-	17.63	353.73	1,467.42	8,458.68	**10,297.46**
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	-	5.73	114.96	476.91	2,749.06	**3,346.66**
विवादित व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	-	-	-	-	-	-	1,251.70	**1,251.70**
विवादित व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	215.55	-	-	-	-	-	406.80	**622.35**
31 मार्च, 2023 को	**215.55**	**-**	**-**	**23.35**	**468.70**	**1,944.33**	**12,866.23**	**15,518.16**

टिप्पणी - 7(ख)
व्यापार प्राप्तियां - वर्तमान परिसम्पत्तियां

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	1 अप्रैल, 2023 तक
व्यापार प्राप्तियाँ			
असुरक्षित, उचित समझी जाती है**	2,17,677.64	2,01,773.10	1,84,959.32
क्रेडिट क्षति	60,283.35	59,197.15	51,182.39
	2,77,960.99	**2,60,970.24**	**2,36,141.71**
घटाएं: अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते*#	(60,283.35)	(59,197.15)	(51,182.39)
कुल	**2,17,677.64**	**2,01,773.10**	**1,84,959.32**

* प्रबंधन की राय में, संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों की संबंध में धारित भत्ते व्यापार प्राप्तियों के वापस प्राप्त न होने की स्थिति में किसी हानि को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। संदर्भ टिप्पणी-54

** 1130.07 लाख रू की वर्तमान प्रतिधारण राशि शामिल है। (गत वर्ष की राशि 1384.61 लाख रू)

359.14 लाख रू की वर्तमान प्रतिधाारण राशि पर अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता शामिल है। (गत वर्ष की राशि 437.78 लाख रू)

व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल

(रु. लाख में)

विवरण	अनबिल	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	8,678.66	27,108.79	31,923.29	38,907.41	35,839.23	21,525.16	53,695.10	**2,17,677.64**
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	1,284.58	982.02	3,022.81	4,442.37	50,551.56	**60,283.35**
व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	-	-	-	-	-	-	-	**-**
व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	-	-	-	-	-	**-**
31 मार्च, 2025 को	**8,678.66**	**27,108.79**	**33,207.87**	**39,889.43**	**38,862.04**	**25,967.53**	**1,04,246.66**	**2,77,960.99**
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	9,364.98	12,527.56	77,089.19	4,625.82	30,080.71	14,501.18	53,583.65	**2,01,773.08**
व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	7,143.34	275.56	3,850.25	3,660.64	44,267.37	**59,197.16**
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	-	-	-	-	-	-	-	**-**
व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	-	-	-	-	-	**-**
31 मार्च, 2024 को	**9,364.98**	**12,527.56**	**84,232.53**	**4,901.38**	**33,930.96**	**18,161.82**	**97,851.02**	**2,60,970.24**
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	7,231.33	16,256.75	58,005.37	10,644.33	23,530.46	22,406.93	46,884.15	**1,84,959.32**
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	5,820.63	1,095.55	2,860.41	6,206.79	35,199.00	**51,182.38**
व्यापार प्राप्तियां- उचित समझे	-	-	-	-	-	-	-	**-**
व्यापार प्राप्तियां- क्रेडिट अनर्जित	-	-	-	-	-	-	-	**-**
31 मार्च, 2023 को	**7,455.67**	**16,256.75**	**63,826.00**	**11,706.63**	**26,390.87**	**28,613.72**	**82,620.88**	**2,36,141.70**

टिप्पणी - 8
इन्वेन्ट्री

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	1 अप्रैल, 2023 तक
स्टोर और स्पेयर (साइट पर और पारगमन में उपलब्ध निर्माण सामग्री सहित)	107.11	107.11	107.12
घटाएं: हानि का प्रावधान	(107.11)	(107.11)	(107.11)
	-	-	**0.01**
उपलब्ध उपकरण	0.15	0.15	0.15
घटाएं: उपकरण हेतु प्रावधान	(0.15)	(0.15)	-
	-	-	**0.15**
कुल	**-**	**-**	**0.16**

* स्टोर और स्पेयर और उपकरणों की वस्तु सूची का प्रबंधन द्वारा ग्रहण, मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाना।

\# संदर्भ टिप्पणी सं. 42

टिप्पणी - 9
नकद एवं नकद समकक्ष

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	1 अप्रैल, 2023 तक
बैंकों में चालू खातों में शेष (क), (ख), (ग) और (घ)	85,803.12	63,148.32	42,884.75
घटाएं: हानि हेतु भत्ते	(383.69)	(383.69)	(383.69)
	85,419.43	**62,764.63**	**42,501.06**
3 माह से कम की मूल परिपक्वता वाली बैंक जमाएँ (ङ) (च) (अर्जित ब्याज सहित)	1,759.01	10,485.75	9,528.39
पारगमन में प्रेषण	-	-	400.00
उपलब्ध नकद	8.92	8.92	10.00
कुल	**87,187.36**	**73,259.31**	**52,439.45**

क) टिप्पणी 9 में से निम्नलिखित बैंक शेष ग्राहकों/मंत्रलयों की ओर से बनाए गए अलग-अलग बैंक खातों में रखे गए हैं:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	1 अप्रैल, 2023 तक
चालू खातों में बैंको के पास शेष राशि	36,370.12	22,111.89	9,090.14
कुल	**36,370.12**	**22,111.89**	**9,090.14**

(ख) विदेशी मुद्रा बैंक खातों और विदेशी बैंकों में बैंक खातों की शेष राशि शामिल है। इसके अलावा प्रत्यावर्तनीय प्रतिबंधों सहित ₹ 434.08 लाख (पिछले वर्ष ₹ 495.16 लाख) की राशि विदेशों में मौजूद है।

(ग) इसमें बैंक गारंटी से संबंधित बैंक के वैध अधिकार के तहत ₹ 0 (पिछले वर्ष ₹ 3.62 लाख) की राशि शामिल है।

(घ) 28.04.2024 को 59.05 लाख रूपये की निधियां समर्पित खाते में अंतरित की गई।

(ड.) उपरोक्त में बैंक जमा ₹ 457.25 लाख और प्रारंभ तिथि से 3 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली बैंक गारंटी के संबंध में मार्जिन राशि/जमा के रूप में धारित ₹ शून्य लाख का अर्जित ब्याज शामिल है। (पिछले वर्ष ₹ 7.25 लाख)

(च) उपरोक्त में 3 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली बैंक एफडीआर के रूप में ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹शून्य) की ईएमडी राशि और ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य) का अर्जित ब्याज, लेकिन उस पर देय नहीं, की राशि शामिल है।

टिप्पणी - 10
अन्य बैंक शेष

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	1 अप्रैल, 2023 तक
बैंक में जमा खाते में तीन माह से अधिक परिपक्वता अवधि वाली शेष राशि परंतु जो बैलेंस शीट डाटा (क) (ख), (ग) और (घ) की तारीख से बारह माह की अवधि के अंदर परिपक्व होने वाली हो (अर्जित ब्याज सहित)	1,74,036.44	1,50,060.77	1,56,088.62
अन्य बैंक शेष (ड.) एवं (च)	85.42	231.60	148.06
कुल	**1,74,121.86**	**1,50,292.37**	**1,56,236.68**

क) उपरोक्त में रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने से कम की परिपक्वता वाली बैंक गारंटी के संबंध में मार्जिन मनी/सुरक्षा के रूप में धारित 15,239.57 लाख रुपये की बैंक जमा राशि और 209.68 लाख रुपये का अर्जित व्याज शामिल हैं। (पिछले वर्ष 10,620.97 लाख रुपये और अर्जित व्याज 255.45 लाख रुपये)

(ख) इसमें कर्मचारी सावधि जमा शामिल है, सदंर्भ टिप्पणी संख्या – 66

(ग) इसमें 31 मार्च, 2025 के अनुसार, मैसर्स अफगान भारत मित्रता बांध परियोजना की आय से प्राप्त पीएनबी लंदन में रु. 20433.92 लाख रूपये की सावधि जमा राशि (और अर्जित ब्याज रु. 813.90 लाख है) शामिल है, जिसे परियोजना से संबंधित वेंडर भुगतान (मूलभूत बकाया राशि रु. 17059.41 लाख यूएसडी और आईएनआर में देय) करने में उपयोग किया जाना है। कंपनी को इस मूल बकाया राशि पर किसी भी ब्याज देयता की कोई उम्मीद नहीं है।

(घ) उपर्युक्त में 12 महीने से कम की परिपक्वता वाली 1265.48 लाख रुपये की बैंक एफडीआर के रूप में ईएमडी शामिल है (पिछले वर्ष 1220.70 लाख रुपये) और उस पर 365.59 लाख रुपये का प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं ब्याज राशि शामिल है (पिछले वर्ष 262.99 लाख रुपये)।

(ड.) उपर्युक्त शेष राशि में नीचे दर्शाये अनुसार 85.42 लाख रुपये की सीएसआर बैंक शेष राशि शामिल है।

(i) 31.03.2025 तक अलग-अलग बैंक खातों में ₹85.42 लाख रूपये धारित थे।

(ii) वित्तीय वर्ष 2024-25 के संबंध में ₹131.58 लाख का प्रावधान किया गया (सम्पूर्ण कोष को 17-09-2025 को स्वच्छ गंगा कोष में स्थानांतरित कर दिया गया)।

(i) (च) उपर्युक्त में अप्राप्त लाभांश खाता में शून्य (पिछले वर्ष शून्य) रूपये की स्थानांतरित की गई शेष राशि शामिल है।

टिप्पणी- 11
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	1 अप्रैल, 2023 तक
अग्रिम आय कर और टीडीएस (_____ लाख रू की राशि के कराधान के प्रावधान का निवल (गत वर्ष 4223.30 लाख रू)) (क)	15,691.18	18,481.95	17,826.15
कुल	**15,691.18**	**18,481.95**	**17,826.15**

(क) आयकर प्रावधान को टीडीएस और अग्रिम कर के निवल के रूप में दर्शाया गया है।

टिप्पणी - 12
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	1 अप्रैल, 2023 तक
आपूर्तिकर्ताओं और उप-संविदाकारों को अग्रिम			
सुरक्षित, उचित समझे (क)	1,924.98	2,694.05	3,736.72
असुरक्षित, उचित समझे	3,258.60	2,060.20	2,056.60
क्रेडिट अनर्जित	322.17	322.17	122.99
अग्रिम किराया			
असुरक्षित उचित समझें	3.81	0.44	21.14
क्रेडिट अनर्जित	22.01	22.01	25.00
पूर्व-भुगतान व्यय	233.29	273.15	416.56
सुरक्षा जमा पर उचित मूल्य आरक्षित	4.09	3.79	8.27
विभिन्न न्यायालयों/प्राधिकरणों के पास जमा राशि	1,402.21	1,139.62	1,179.48
अंतर यूनिट जमा खाता	-	-	0.00
अनबिल राजस्व एनआईओ	12.77	51.93	42.75
सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष राशि	37,914.17	34,795.67	30,645.60
	45,098.11	**41,363.03**	**38,255.11**
कमः आपूर्तिकर्ता को अग्रिम के लिए संदिग्ध प्रावधान	(322.17)	(322.17)	(122.99)
कमः अग्रिम किराए के लिए प्रावधान	(22.01)	(22.01)	(25.00)
कुल	**44,753.93**	**41,018.86**	**38,107.12**

(क) बैंक गारंटी के संबंध में सुरक्षित 1058.79 लाख रू (गत वर्ष 1951.04 लाख रू)

(ख) ठेकेदार द्वारा स्थल पर सामग्री खरीद के संबंध में 655.87 लाख रू (गत वर्ष 301.35 लाख रू)

टिप्पणी-13
शेयर पूंजी
इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को		01 अप्रैल, 2023 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
प्राधिकृत सम मूल्य पर 10/-रू प्रत्येक के इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 31, मार्च 2024 10/-रू प्रत्येक और 1 अप्रैल, 2023 10/-रू प्रत्येक)	20,00,00,000	20,000.00	20,00,00,000	20,000.00	20,00,00,000	20,000.00
जारी किए गए, अभिदत्त और प्रदत्त सम मूल्य पर 10/- रुपये इक्विटी शेयर की दर से (गत वर्ष 31 मार्च, 2024 को 10/- रू प्रत्येक और 01 अप्रैल, 2023 को 10/- रू प्रत्येक)	13,00,00,000	13,000.00	13,00,00,000	13,000.00	13,00,00,000	13,000.00
कुल	**13,00,00,000**	**13,000**	**13,00,00,000**	**13,000**	**13,00,00,000**	**13,000**

31 मार्च, 2025, 31 मार्च, 2024, 1 अप्रैल 2023 को बकाया शेयरों का पुनर्मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को		01 अप्रैल, 2023 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	13,00,00,000	13,000	13,00,00,000	13,000	13,00,00,000	13,000
जोड़: विभाजक के कारण वृद्धि	-	-	-	-	-	-
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयरः बोनस जारी	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	13,00,00,000	13,000	13,00,00,000	13,000	13,00,00,000	13,000

सममूल्य पर 10/- रू- प्रति के इक्विटी शेयर (गत वर्ष 31 मार्च, 2024 को 10/- रू- प्रत्येक और 01 अप्रैल, 2023 को 10/- रू- प्रत्येक)

इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/अधिकार

समूह के पास इक्विटी शेयर के रूप में संदर्भित शेयर का एक वर्ग है जो 10 रु प्रत्येक के मूल्य के हैं। इक्विट शेयर के प्रत्येक धारक की प्रतिशेयर एक वोट का हकदारी है।

समूह में 5% से अधिक शेयरों के शेयरधारकों की सूची:

(रु. लाख में)

शेयर धारक का नाम	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को		1 अप्रैल, 2023 को	
	संख्या	धारित शेयरों का %	संख्या	धारित शेयरों का %	संख्या	धारित शेयरों का %
10 रुपये प्रत्येक के पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर (गत वर्ष 31 मार्च, 2024 तक 10 रु- प्रति और 01 अप्रैल, 2023 तक 10/- रुपये प्रति)						
भारत के राष्ट्रपति और उनके नामित सदस्य	13,00,00,000	100.00%	13,00,00,000	100.00%	13,00,00,000	100.00%

तुलन पत्र की तारीख से पहले गत पाँच वर्षों में बोनस शेयरों द्वारा पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों के रूप में आवंटित इक्विटी शेयरों की कुल संख्या

शेयर धारक का नाम	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को	1 अप्रैल, 2021 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
सामान्य आरक्षित को पूंजीकृत करके पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में आवंटित इक्विटी शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3,00,00,000
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,00,00,000**

वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर

31 मार्च 2025 को

क्र. सं.	प्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयर का%	वर्ष के दौरान बदलाव का%
1	भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति	12,99,81,800	99.986%	-
2	श्री आर.के.अग्रवाल अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	2,600	0.002%	-
3	श्री पंकज कपूर निदेशक (वित्त)	2,600	0.002%	-
4	श्री सुबोध यादव संयुक्त सचिव(प्रशासन, आईसी और जीडब्ल्यू), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।	2,600	0.002%	-
5	सुश्री ऋचा मिश्रा संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।	2,600	0.002%	-
6	श्री आनंद मोहन सरकारी नामित निदेशक और संयुक्त सचिव, आरडी एंड जीआर, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार	2,600	0.002%	-
7	श्री पी.एस. गंगाधर सरकारी नामित निदेशक और संयुक्त सचिव, (ईडी), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार।	2,600	0.002%	-
8	श्री अमिताभ त्रिपाठी निदेशक (वाणिज्य एवं मा.सं. वि.)	2,600	0.002%	-
	कुल	**13,00,00,000**	**100%**	**-**

31 मार्च 2024 को

क्र. सं.	प्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयर का%	वर्ष के दौरान बदलाव का%
1	भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति	12,99,81,800	99.986%	-
2	श्री आर.के.अग्रवाल अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	2,600	0.002%	-
3	श्री पंकज कपूर निदेशक (वित्त)	2,600	0.002%	-
4	श्री सुबोध यादव संयुक्त सचिव(प्रशासन, आईसी और जीडब्ल्यू), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।	2,600	0.002%	-
5	सुश्री ऋचा मिश्रा संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।	2,600	0.002%	-
6	श्री आनंद मोहन सरकारी नामित निदेशक और संयुक्त सचिव, आरडी एंड जीआर, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार	2,600	0.002%	-
7	श्री पी.एस. गंगाधर सरकारी नामित निदेशक और संयुक्त सचिव, (ईडी), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार।	2,600	0.002%	-
8	श्री अमिताभ त्रिपाठी निदेशक (वाणिज्य एवं मा.सं. वि.)	2,600	0.002%	-
	कुल	**13,00,00,000**	**100%**	**-**

1 अप्रैल, 2023 को

क्र. सं.	प्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयर का%	वर्ष के दौरान बदलाव का%
1	भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति	13,00,00,000	100%	-
कुल		**13,00,00,000**	**100%**	**-**

टिप्पणी-14

अन्य इक्विटी

आरक्षित और अधिशेष की प्रकृति और उद्देश्य

1. सामान्य आरक्षित:

सामान्य आरक्षित का अर्थ है किसी उद्यम की आय का वह भाग जिसे प्रबंधन द्वारा शेयरधारकों के बीच वितरित करने के बजाय भविष्य में ज्ञात या अज्ञात दायित्व को पूरा करने के लिए विनियोजित किया जाता है।

2. अधिशेष:

समूह द्वारा वर्ष के दौरान अर्जित लाभ को लाभ एवं हानि खाते के विवरण से अधिशेष में अंतरित किया जाता है।

3. अन्य व्यापक आय:

अन्य व्यापक आय भारतीय लेखांकन मानक 19 "कर्मचारी लभ्य" के अनुसरण में परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर बुक किए गए लाभ/(हानि) और भारतीय लेखांकन मानक 109 "वित्तीय साधन" के अनुसरण में अन्य व्यापक आय के मध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर निर्धारित अनकोटेड इक्विटी साधनों में निवेश से बुक किए गए लाभ/(हानि) के कारण शेष राशि होती है।

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
आरक्षित और अधिशेष			
सामान्य आरक्षित	1,369.25	1,369.25	1,369.25
धारित पूँजी	46,141.02	39,587.38	30,364.08
अधिशेष	9,016.39	9,016.39	9,016.39
अन्य व्यापक आय	(20.44)	(180.42)	(103.40)
कुल	**56,506.22**	**49,792.60**	**40,646.32**

टिप्पणी-15

व्यापार देयाएँ

क. व्यापार देयताएँ-गैर-वर्तमान*

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
सूक्ष्म, एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि**	1,462.92	380.06	406.40
सूक्ष्म, एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य ऋणदाताओं की कुल बकाया देय राशि	17,388.98	17,680.29	16,875.93
कुल	**18,851.90**	**18,060.35**	**17,282.33**

*आपूर्तिकर्ता/विक्रेता को देय प्रतिधारण राशि शामिल

** संदर्भ टिप्पणी 38

व्यापार देय राशि - गैर - वर्तमान - प्राप्य राशि तालिका

(रु. लाख में)

विवरण	अनबिल	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	360.26	177.32	117.15	1,153.19	15.27	1,462.93
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	1,597.01	1,837.13	687.84	294.53	14,562.03	17,381.54
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	7.44	7.44
31 मार्च, 2025 को		**1,957.27**	**2,014.45**	**805.00**	**1,447.72**	**14,584.74**	**18,851.90**
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	380.06	205.27	151.33	-	23.46	380.06
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	1,135.77	828.72	1,719.70	506.00	14,618.42	17,672.84
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	7.44	7.44
31 मार्च, 2024 को		**1,515.83**	**1,033.99**	**1,871.03**	**506.00**	**14,649.32**	**18,060.34**
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	406.40	-	-	-	-	406.40
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	-	901.27	355.41	780.40	1,490.38	13,341.02	16,868.48
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	7.45	7.45
01 अप्रैल, 2023 को		**1,307.67**	**355.41**	**780.40**	**1,490.38**	**13,348.47**	**17,282.33**

ख. व्यापार देय-वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि*	40,859.86	28,927.42	32,551.70
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	1,67,243.24	1,60,374.89	1,28,168.25
कुल	**2,08,103.10**	**1,89,302.31**	**1,60,719.95**

*संदर्भ टिप्पणी संख्या - 38

व्यापार देय राशि - वर्तमान - प्राप्य राशि तालिका

(रु. लाख में)

विवरण	अनबिल	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	-	24,125.42	7,600.60	3,022.35	6,066.76	40,815.13
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	6,425.68	-	86,140.73	31,800.33	8,579.26	34,341.97	1,67,287.97
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2025 को	**6,425.68**	**-**	**1,10,266.15**	**39,400.93**	**11,601.61**	**40,408.73**	**2,08,103.10**
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	-	7,240.59	3,736.42	2,543.09	15,406.95	28,927.04
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	720.37	-	91,243.89	17,686.35	8,931.90	41,792.76	1,60,375.27
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को	**720.37**	**-**	**98,484.48**	**21,422.77**	**11,474.99**	**57,199.71**	**1,89,302.31**
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	39.21	-	12,748.49	3,322.74	2,825.85	13,615.41	32,551.70
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	6,244.31	-	62,177.32	13,700.37	10,678.01	35,368.24	1,28,168.25
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि-विवादित	-	-	-	-	-	-	-
01 अप्रैल, 2023 को	**6,283.52**	**-**	**74,925.81**	**17,023.11**	**13,503.86**	**48,983.65**	**1,60,719.95**

टिप्पणी - 16
प्रावधान
क. प्रावधान - गैर-वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान			
अवकाश नकदीकरण-गैर-वित्तपोषित (टिप्पणी संख्या 34 देखे)	5,109.08	4,615.81	4,668.51
सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा स्कीम-गैर-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 34)	3,469.42	3,015.67	2,718.01
ग्रेच्यूटी-वर्कमैन-गैर-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 34)	8.96	25.90	71.30
ग्रेच्यूटी-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 34)	2,582.45	1,984.15	1,566.03
कुल	**11,169.91**	**9,641.53**	**9,023.85**

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रावधानों की प्रत्येक श्रेणी में संचार हेतु (संदर्भ टिप्पणी 35)

ख. प्रावधान - वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान			
सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ स्कीम - गैर-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 34)	95.68	89.42	78.55
पेंशन (संदर्भ टिप्पणी 34)	2,993.52	2,433.00	1,901.30
अवकाश यात्रा रियायत (संदर्भ टिप्पणी 34)	-	54.71	54.71
अवकाश नकदीकरण - गैर-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 34)	463.03	615.63	561.52
ग्रेच्यूटी-वर्कमैन - गैर-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 34)	21.37	60.61	201.53
ग्रेच्यूटी-वित्तपोषित (संदर्भ टिप्पणी 34)	505.72	993.13	992.35
कुल	**4,079.32**	**4,246.50**	**3,789.96**

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक श्रेणी के प्रावधानों में गतिविधि के लिए (संदर्भ टिप्पणी 35)

टिप्पणी - 17
अन्य देयताएँ
क. अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
ग्राहकों से अग्रिम	8,923.84	18,764.66	10,705.29
अनुपार्जित आय	767.16	800.86	916.07
अग्रिम किराया	-	0.98	1.33
अन्य देयताएँ	162.49	188.15	73.25
कुल	**9,853.49**	**19,754.65**	**11,695.94**

ख. अन्य चालू देयताएँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
ग्राहकों से अग्रिम	136,723.55	117,818.98	129,330.08
अनुपार्जित आय	22,320.57	21,070.26	18,334.00
अग्रिम किराया	0.98	0.35	0.35
अन्य देयताएँ (क)	1,173.03	1,117.46	1,477.75
कुल	**160,218.13**	**140,007.04**	**149,142.18**

(क) पिछले वर्ष की शेष राशि में परियोजना में ठेकेदार द्वारा किए गए विलम्ब के कारण मैसर्स स्वर्णिम की बैंक गारंटी के संबंध में मूल कंपनी कंपनी द्वारा प्रभारित 304.40 लाख रूपये की राशि शामिल है।

टिप्पणी- 18
ऋण
क- दीर्घावधि-ऋण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
बैंक से ऋण (सुरक्षित)			
बैंक से भारतीय मुद्रा ऋण (क)	20,799.50	19,272.64	13,551.17
कुल	**20,799.50**	**19,272.64**	**13,551.17**

(क) बैंक से सुरक्षित सावधि ऋण:

कंपनी ने भारतीय बैंक से 40,000 लाख रूपए का सावधि ऋण लिया है, जिसमें से 31 मार्च, 2025 तक 30300 लाख रूपए, 3 माह के एमसीएलआर (तिमाही पुनर्निर्योजन के साथ) वितरित किए गए हैं, और निम्नलिखित के माध्यम से सुरक्षित होगा:

(i क) प्राथमिक सुरक्षा - क) कंपनी की संपूर्ण अचल संपत्तियां वर्तमान और भविष्य दोनों पर विशेष प्रभार और कॉर्पोरेट ऋण के लिए कंपनी की संपूर्ण वर्तमान परिसंपत्तियों पर पहला समरूप प्रभार।

(i ख) एनएफबी सीमाओं के लिए कंपनी की ओम्नीबस काउंटर गारंटी

-पुनः भुगतान की शर्तें- निम्नलिखित पुनः भुगतान के साथ 9 वर्ष 6 महीने की ऋण अवधि

(i) बकाया मूलधन को जून, 2022 से आरंभ कर मार्च, 2031 तक त्रैमासिक भुगतानों में चुकाया जाएगा। 31 मार्च, 2025 तक वास्तविक बकाया शेष 24295.85 लाख (प्रसंस्करण शुल्क के कारण ईआईआर समायोजन को छोड़कर) होगा।

(ii) दिसम्बर 2021 से शुरू होने वाले प्रावधानों के अनुसार मासिक ब्याज देय होगा

ख. अल्पावधि-ऋण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
बैंक से ऋण (सुरक्षित)			
नकद ऋण सुविधा (क)	(0.02)	(0.02)	-
बैंक से ऋण (सुरक्षित)			
दीर्घ अवधि की उधारी के लिए लघु अवधि मैच्योरिटी (सन्दर्भ टिप्पणी सं. 18क)	3,500.00	3,500.00	731.17
कुल	**3,499.98**	**3,499.98**	**731.17**

(क) कंपनी ने निम्नलिखित नकद ऋण सुविधाओं को संस्वीकृत किया है। :

I) एचडीएफ़सी बैंक रू 5,000 लाख एमसीएलआर पर मासिक देय है और के माधयम से सुरक्षित:

(i) कंपनी की संपूर्ण वर्तमान परिसंपत्तियों पर पहला समान प्रभार, वर्तमान और भविष्य दोनों।

वित्तीय वर्ष 2024-25

बैंक का नाम **एचडीएफसी बैंक**

(रु. लाख में)

तिमाही	प्रदान की गई प्रतिभूति का विवरण	बही खातों के अनुसार राशि	तिमाही विवरणी/विवरण में रिपोर्ट की गई राशि
जून-24	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसी प्रकार की नकद ऋण सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया।		
सितंबर-24			
दिसंबर-24			
मार्च-25			

वित्तीय वर्ष 2023-24

बैंक का नाम **एचडीएफसी बैंक**

(रु. लाख में)

तिमाही	प्रदान की गई प्रतिभूति का विवरण	बही खातों के अनुसार राशि	तिमाही विवरणी/विवरण में रिपोर्ट की गई राशि
जून-23	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी प्रकार की नकद ऋण सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया।		
सितंबर-23			
दिसंबर-23			
मार्च-24			

(ख) समूह ने पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईडीएफसी से कुल 96,500 लाख रुपये (पिछले वर्ष 96,500 लाख रुपये) की गैर-वित्त पोषित सुविधा ली है, जिसमें से 31 मार्च 2025 तक 36,652.93 लाख रुपये (पिछले वर्ष 38,427.52 लाख रुपये) का उपयोग प्रतिभूति के रूप में धारित 10,764.03 लाख रुपये की बैंक जमा राशि के संबंध में किया गया है (पिछले वर्ष 5,984.24 लाख रुपये) (संदर्भ टिप्पणी संख्या - 4, 9 एवं 10)

टिप्पणी-19
लीज देयता
क. लीज देयता - गैर-वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
लीज देयता	326.95	498.50	495.95
कुल	**326.95**	**498.50**	**495.95**

ख. लीज देयता - वर्तमान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
लीज देयता	346.47	306.31	418.51
कुल	**346.47**	**306.31**	**418.51**

टिप्पणी-20
अन्य वित्तीय देयताएँ
क. अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
ग्राहक जमा कार्य पर देय ब्याज (क)	8,497.08	7,785.22	6,998.77
ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज	340.83	341.18	341.18
अन्य देयताएँ	8,787.29	6,999.68	5,553.24
बयाना राशि और प्रतिभूति जमा	45,099.83	40,433.53	35,024.17
कुल	**62,725.03**	**55,559.61**	**47,917.36**

(क) संदर्भ टिप्पणी सं. 65

ख. अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएँ

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को
कार्य निष्पादन से संबंधित वेतन/बोनस	1,316.04	1,565.79	1,389.87
निगमित सामाजिक दायित्व देय राशि (क)	258.21	292.24	354.44
पेंशन (स्वैच्छिक)	-	-	-
अग्रिम राशि और प्रतिभूति जमा	8,496.07	10,543.30	9,963.36
कर्मचारियों को देय राशि	4,834.91	6,397.98	6,200.11
ग्राहकों से अग्रिम- प्रत्यावर्तनीय	-	1,042.12	3,465.19
अवैतनिक लाभांश	-	-	1.85
ग्रेच्युटी ट्रस्ट को देय राशि	775.49	789.80	1,018.36
अन्य देयताएँ	760.49	760.49	760.49
अन्य देय राशि (ख)	3,384.29	3,219.59	4,099.61
कुल	**19,825.50**	**24,611.31**	**27,253.27**

(क) संदर्भ टिप्पणी सं 44

(ख) उन कर्मचारियों की प्रतिभूति शामिल है जिनके संबंध में काउंटर सावधि जमा बनाए गए हैं संदर्भ टिप्पणी सं. 66

टिप्पणी - 21
प्रचालनों से राजस्व

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
परामर्शी आय	66,382.90	67,575.37
निर्माण संविदाएँ	247,881.72	250,955.24
कुल	**314,264.63**	**318,530.61**

टिप्पणी - 22
अन्य आय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
ब्याज से आय		
क. बैंक जमा*	8,956.63	7,077.01
ख. आयकर रिर्टन पर ब्याज	0.35	75.99
ग. अन्य	16.70	12.56
लाभांश आय	0.97	1.02
विनिमय भिन्नताएँ	(67.37)	613.01
अन्य गैर-प्रचालन आय	252.17	532.24
कुल	**9,159.45**	**8,311.83**

* इस राशि में, करार की शर्तों के अनुसार, परियोजना प्राधिकरणों की अप्रयुक्त राशि पर अर्जित निवल ब्याज पर बैंक डिपोजिट पर ब्याज शामिल है। संदर्भ टिप्पणी 72

टिप्पणी - 23
निर्माण व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
निर्माण परियोजनाओं के लिए	237,290.24	237,114.06
कुल	**237,290.24**	**237,114.06**

टिप्पणी -24
कर्मचारी लाभ व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
वेतन, पारिश्रमिक एवं प्रोत्साहन राशि	30,764.25	33,525.36
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	2,893.76	2,736.34
कर्मचारी कल्याण व्यय	329.49	391.77
कुल	**33,987.50**	**36,653.47**

टिप्पणी - 25
वित्त लागत

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
ब्याज :		
नकद ऋण सुविधा	-	-
सावधि ऋण	1,976.11	1,444.85
लीज देनदारियां	61.55	69.58
कुल	**2,037.66**	**1,514.43**

(क) संदर्भ टिप्पणी 65

टिप्पणी - 26
प्राप्त की गई सेवाएं

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
परामर्शी परियोजनाओं के लिए	15,344.95	15,382.51
निर्माण परियोजनाओं के लिए	111.50	96.73
कुल	**15,456.45**	**15,479.24**

टिप्पणी - 27
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	491.16	521.41
अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	247.36	178.59
कुल (क)	**738.52**	**700.01**
उपयोग के अधिकार पर परिशोधन	308.40	385.89
कुल (ख)	**308.40**	**385.89**
कुल (क+ख)	**1,046.91**	**1,085.90**

टिप्पणी - 28
निगमित सामाजिक दायित्व

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
निगमित सामाजिक दायित्व (क)	204.10	176.44
कुल	**204.10**	**176.44**

(क) संदर्भ टिप्पणी सं- 44

टिप्पणी - 29
अन्य व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
विद्युत एवं ईंधन	289.75	313.52
किराया (क)	1,287.11	1,394.70
मरम्मत और रखरखाव - कार्यालय परिसर	573.67	555.01
मरम्मत और रखरखाव - अन्य	114.30	110.32
बीमा	115.59	148.96
दरें और कर	1,533.29	375.23
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	616.74	654.00
यात्रा व्यय - भारत	1,255.66	1,106.71
- विदेश	686.46	545.16
वाहन और यातायात पर व्यय	1,430.68	1,508.22
वाहन किराये पर लेना	1,001.47	1,302.19
निदेशक बैठक शुल्क	14.13	19.37
डाक टेलीफोन एवं टेलीग्राम	255.87	269.78
विज्ञापन व प्रचार	85.25	157.73
विनिमय में भिन्नता	106.08	382.12
ग्राहक की ओर से जमा राशि पर ब्याज (ख)	1,511.15	1,725.56
लेखापरीक्षकों को भुगतान -		
(क) सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	26.07	26.07
(ख) कर लेखापरीक्षा शुल्क	9.68	9.69
(ग) अन्य सेवाओं के लिए	5.46	3.67
(घ) यात्रा व्यय	12.61	13.95
व्यापार प्राप्तियों और प्रतिधारण राशि और अन्यों के लिए प्रावधान	11,097.07	7,783.49
संदिग्ध अग्रदाय खाता प्रावधान	11.87	45.42
विधिक दावों के लिए प्रावधान	25.25	111.72
बैंक शुल्क और गारंटी कमीशन	911.39	626.91
विविध व्यय	2,291.20	2,151.50
कम: व्यय प्रतिपूर्ति योग्य (ख)	(30.29)	(28.54)
कुल	**25,237.51**	**21,312.49**

(क) लीज भुगतान के संबंध में संदर्भ टिप्पणी सं- 46

(ख) संदर्भ टिप्पणी सं. - 65

(ग) प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में संदर्भ टिप्पणी सं- 40

टिप्पणी - 30
असाधारण मदें

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
व्यय		
सम्पत्ति, और उपकरण की ब्रिकी पर हानि	-	0.32
बुरे ऋण/अन्य शेष राशि निपटान	13.86	0.41
(क)	**13.86**	**0.74**
आय		
वाद निपटान	599.55	118.52
बट्टे खाते प्रावधान	-	-
देयताएँ अपलिखित	168.49	443.74
सम्पति, प्लांट और उपकरण की ब्रिकी पर लाभ	0.03	-
(ख)	**768.08**	**562.26**
कुल (ख-क)	**754.22**	**561.52**

टिप्पणी-31
आयकर व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
वर्तमान वर्ष कर		
वर्तमान वर्ष का कर शुल्क	5,146.36	6,826.82
पिछले वर्ष का कर शुल्क	438.41	(65.16)
आस्थगित कर		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	(3,276.50)	(4,498.86)
कुल	**2,308.27**	**2,262.79**

अन्य व्यापक आय में आयकर व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
आस्थगित कर		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	(53.85)	23.44
कुल	**(53.85)**	**23.44**

कर व्यय और लेखा लाभ के बीच पुनर्मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर
सतत संचालन से कर पूर्व लेखांकन लाभ	**8,917.93**	**14,067.95**
भारत की वैधानिक आयकर दर 25.168%	2,244.46	3,540.62
उन राशियों का कर प्रभाव जो कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य (कर योग्य) नहीं हैं		
आयकर में व्यय की अनुमति नहीं है (निवल)	1,148.89	565.88
ओसीआई में कर का प्रभाव	53.85	23.44
आयकर में पूर्व अवधि समायोजन की अनुमति नहीं है	-	32.54
आयकर की दर में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
चालू वर्ष के कर व्यय और अन्य प्रभावों का प्रभाव	-	-
गत वर्ष के कर व्यय और अन्य प्रभावों का प्रभाव	0.35	(0.47)
पूर्व अवधि के समायोजन का प्रभाव	(280.77)	(49.70)
अन्य		
प्रभावी कर दर पर	**1,825.16**	**2,314.06**
लाभ और हानि लेखा के विवरण में दर्ज किया गया (वर्तमान वर्ष) आयकर व्यय	**1,825.16**	**2,314.06**
प्रभावी कर दर	**20.47%**	**16.45%**

अनुपात विश्लेषण

क्र. सं.	अनुपातों का नाम	अंश	/	भाजक		वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	परिवर्तन	परिवर्तनों के कारण > 25%
1	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां	/	वर्तमान देयताएं	=	1.37	1.35	1.66%	-
2	ऋण इक्विटी अनुपात	दीर्घजीवी ऋण + लघु अवधि ऋण	/	कुल शेयरधारकों की इक्विटी	=	0.35	0.36	-3.60%	-
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ई बी आई टी डी ए	/	ऋण चुकौती दायित्व (कर के बाद ब्याज़+मूलधन)	=	0.46	0.69	-33.63%	ऋण और वित्त लागत में वृद्धि और अन्य खर्चों में ग्राहकों पर ब्याज लागत के पुनर्गठन के कारण
4	इक्विटी अनुपात पर रिर्टन	लाभांश के बाद कर के बाद निवल लाभ	/	औसत शेयरधारक की निधि	=	0.02	0.04	-37.48%	कंपनी के परामर्श खंड में कमी के चलते राजस्व लाभ में कमी के कारण
5	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (दिनों में)	निवल ऋण बिक्री	/	औसत व्यापार प्राप्तियां	=	253.17	234.59	7.92%	-
6	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (दिनों में)	निवल ऋण खरीद	/	औसत व्यापार देय	=	313.61	278.43	12.63%	-
7	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	निवल वार्षिक बिक्री	/	कार्यशील पूंजी	=	2.13	2.51	-15.25%	-
8	निवल लाभ अनुपात	कर के बाद निवल लाभ	/	कुल टर्नओवर	=	0.02	0.04	-43.25%	कंपनी के परामर्श खंड में कमी के चलते राजस्व लाभ में कमी के कारण
9	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ईबीआईटी (ऑपरेटिंग)	/	नियोजित पूंजी	=	0.15	0.24	-34.69%	कंपनी के परामर्श खंड में कमी के चलते राजस्व लाभ में कमी के कारण
10	निवेश पर रिटर्न	ईबीआईटी (ऑपरेटिंग)	/	कुल निवेश	=	2.12	2.83	-25.21%	कंपनी के परामर्श खंड में कमी के चलते राजस्व लाभ में कमी के कारण

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 32
समूह की जानकारी

(रु. लाख में)

क्र. सं.	सहायक कम्पनी का नाम	निगमन देश	सहायक कंपनी के अधिग्रहण की तिथि	31 मार्च 2025 को स्वामित्व का अनुपात (%)	31 मार्च 2024 को स्वामित्व का अनुपात (%)
1	नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	भारत	26 अप्रैल 2019	98.89%	98.89%

भौतिक गैर-नियंत्रित ब्याज के साथ सहायक कंपनियां ('एनसीआई')

समूह में निम्नलिखित सहायक शामिल हैं, भौतिक गैर-नियंत्रित हितों के साथ, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

(रु. लाख में)

विवरण	एनपीसीसी लिमिटेड	
देश	भारत	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
एनसीआई द्वारा पूंजी योगदान (%)	1.11%	1.11%
एनसीआई का लाभ हिस्सा (%)	1.11%	1.11%
गैर-नियंत्रित ब्याज का संचित लाभ और हानि	56.01	81.59
गैर-नियंत्रित ब्याज की संचित अन्य व्यापक आय	0.15	(0.48)
गैर-नियंत्रित ब्याज की संचित कुल व्यापक आय	56.16	81.11

अंतर समूह निसन से पूर्व कंपनी की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी नीचे दी गई है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सहायक कम्पनी का नाम	नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड
सहायक कम्पनी बनने की तिथि	26 अप्रैल 2019	26 अप्रैल 2019
इक्विटी शेयर पूंजी	9,453.16	9,453.16
अन्य इक्विटी	21,384.60	16,325.17
कुल परिसंपत्ति	279,954.21	273,812.57
कुल देनदारियाँ	249,116.45	248,034.24
संचालनों से राजस्व	153,060.24	165,479.16
कराधान से पहले लाभ	6,303.46	7,654.97
कर व्यय	1,257.12	304.79
अन्य व्यापक आय	13.09	(43.11)
कुल व्यापक आय	**5,059.42**	**7,307.06**

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त जानकारी:

(रु. लाख में)

कम्पनी का नाम	स्वामित्व हित	निवल संपत्ति, अर्थात कुल संपत्ति घाटा कुल देनदारियां		लाभ और हानि में अंश		अन्य व्यापक आय में अंश		कुल व्यापक आय में अंश	
		समेकित परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ और हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
मूल कम्पनी	-	55.90%	39089.14	23.65%	1563.32	91.83%	147.04	25.26%	1710.36
सहायक कम्पनियां:									
क) नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	98.99%	44.10%	30837.76	76.35%	5046.34	8.17%	13.09	74.74%	5059.42
कुल			**69,926.90**		**6609.66**		**160.13**		**6769.79**

33. कोविड-19 के कारण प्रभाव

दिसंबर 2019 में, कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) की सूचना आई थी और तब से, इसने न केवल दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है, बल्कि इसने वैश्विक आर्थिक वातावरण को भी गंभीर रूप से विचलित किया है। समूह प्रबंधन ने अगले वर्ष के लिए अपने नकद की स्थिति का आकलन किया है, जिसमें इसकी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के वहनीय मूल्य की प्राप्ति भी शामिल है। समूह को आशा है कि मूल्यांकन के आधार पर इन परिसंपत्तियों की वहनीय राशि वसूल ली जाएगी।

चूंकि महामारी के कारण तेजी से बदलते परिवेश में अनिश्चितताएं अंतर्निहित हैं, वित्तीय विवरणों की तैयारी में किए गए प्राक्कलनों और धारणाओं से अनुमानित स्थिति, भविष्य में वास्तविक विवरण से भिन्न हो सकती है। प्रबंधन, भविष्य की आर्थिक स्थितियों और समूह की वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव होने के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की निगरानी कर रहा है। प्रबंधन को मौजूदा समस्या में आगे बढ़ने और जब भी आवश्यक हो अपनी देनदारियों को पूरा करने के संबंध में समूह की क्षमता में कोई जोखिम दिखाई नहीं देता है।

34. कर्मचारी लाभ

परिभाषित अंशदान योजना:

परिभाषित अंशदान योजना में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त निर्धारित राशि इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
अंशदायी भविष्य निधि	1,726.01	1813.41

समूह के सभी पात्र कर्मचारी मूल कंपनी में स्थापित **"वाप्कोस कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट"** नामक ट्रस्ट और सहायक कंपनी में स्थापित **"एनपीसीसी लि. कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट"** के माध्यम से स्थापित एक परिभाषित अंशदायी योजना भविष्य निधि के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ट्रस्ट के कानून के तहत विनिर्धारित किए गए अनुसार एक निर्धारित दर से मासिक अंशदान करते हैं। कंपनी का दायित्व यह अंशदान करने और ट्रस्ट के निवेशों से मिलने वाले प्रतिफल के अधिसूचित ब्याज दर से कम रहने पर, यदि ऐसा हो तो, इस कमी को पूरा करने तक सीमित है। इस संबंध में कमी, यदि कोई हो, को उस वर्ष के दौरान व्यय माना जाता है। बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार निधि के संबंध में ब्याज की अनुमानित गारंटी कृत दर के आधार पर भविष्य के लिए अनुमानित आय व्यक्तिगत सदस्यों के लिए अंशदान की जाने वाली अनुमानित राशि से अधिक है, जिससे कंपनी पर कोई दायित्व नहीं होगा। कंपनी के उपर्युक्त मूल्यांकन के संदर्भ में कंपनी की 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को ब्याज दर की गारंटी के संबंध में कोई देयता नहीं है।

परिभाषित लाभ योजनाएं

समूह में निम्नलिखित परिभाषित लाभ योजनाएं हैं:

- ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)
- ग्रेच्युटी (गैर-वित्त पोषित)
- पी आर एम एस (गैर-वित्तपोषित)
- अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)

योजना के प्रावधानों से जुड़े जोखिम बीमांकिक जोखिम हैं। ये जोखिम निम्नानुसार हैं:

i. निवेश जोखिम,

ii. ब्याज जोखिम (छूट दर जोखिम),

iii. मृत्यु दर जोखिम

iv. वेतन जोखिम।

निवेश जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना सरकारी बॉन्ड यील्ड के संदर्भ में निर्धारित छूट दर का उपयोग करके की जाती है। यदि योजना की देनदारी वित्त पोषित है और प्लान एसेट्स पर रिटर्न इस दर से कम है, तो यह योजना घाटा उत्पन्न करेगी।
ब्याज जोखिम (छूट जोखिम)	बॉन्ड ब्याज दर (छूट दर) में कमी से योजना की देयता बढ़ जाएगी।
मृत्यु दर जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना योजना प्रतिभागियों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में की जाती है। इस रिपोर्ट के लिए हमने भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु दर (2006-08) का उपयोग किया है। अंतिम तालिका मृत्यु दर में बदलाव से योजना की देयता पर असर पड़ेगा।
वेतन जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना भविष्य में योजना प्रतिभागियों की वेतन वृद्धि दर की धारणा के साथ की जाती है। देयता के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने हेतु उपयोग किए जाने वाले वेतन में वृद्धि की दर से योजना प्रतिभागियों के लिए भविष्य में वेतन वृद्धि की दर में विचलन से योजना की देयता पर असर पड़ेगा।
चिकित्सा व्यय मुद्रास्फीति जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना भविष्य में योजना प्रतिभागियों की चिकित्सा व्यय मुद्रास्फीति वृद्धि दर के अनुमान पर की जाती है। देयता के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने हेतु उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा व्यय में वृद्धि की दर से योजना प्रतिभागियों के लिए भविष्य में चिकित्सा व्यय मुद्रास्फीति की वृद्धि दर में विचलन से योजना की देयता पर असर पड़ेगा।
नकद भत्ता मुद्रास्फीति जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना भविष्य में योजना प्रतिभागियों के नकद भत्ते की मुद्रास्फीति वृद्धि दर के अनुमान पर की जाती है। देयता के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने हेतु उपयोग किए जाने वाले नकद भत्ते में वृद्धि दर से भविष्य में योजना प्रतिभागियों के लिए नकद भत्ते की वृद्धि की दर में विचलन से योजना की देयता पर असर पड़ेगा।

वित्तपोषित/गैर-वित्तपोषित दायित्वों से संबंधित प्रकटन

i. तुलन पत्र में मान्य राशि

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		ग्रेच्युटी रेगुलर (वित्त पोषित) (सहायक कंपनी)		ग्रेच्युटी वर्कमैन (गैर-वित्तपोषित) (सहायक कंपनी)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		समूह के लिए अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
वर्ष के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	5633.92	5998.69	1,024.30	1,121.07	30.33	86.51	3565.1	3105.08	5,572.11	5231.43
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2,545.75	3013.64	232.97	220.74	-	-	-	-	-	-
वित्तपोषित/गैर-वित्तपोषित स्थिति	3088.17	2985.05	791.33	900.34	30.33	86.51	3565.1	3105.08	5,572.11	5231.43
बैलेंस शीट में निर्धारित शुद्ध (संपत्ति) / देयता	**3088.17**	**2985.05**	**791.33**	**900.34**	**30.33**	**86.51**	**3565.1**	**3105.08**	**5,572.11**	**5231.43**

ii. लाभ-हानि के विवरण में निर्धारित व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		ग्रेच्युटी रेगुलर (वित्त पोषित) (सहायक कंपनी)		ग्रेच्युटी वर्कमैन (गैर-वित्तपोषित) (सहायक कंपनी)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		समूह के लिए अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
वर्तमान सेवा लागत	296.67	291.60	77.55	78.26	0.80	2.26	148.01	141.62	247.57	228.01
विगत सेवा लागत		-	-	-	-	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ देयता पर ब्याज लागत	432.50	421.88	80.83	83.79	6.23	20.44	224.80	210.58	366.95	391.73
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	217.28	230.26	(14.90)	13.36	-	-	-	-	-	-
पुनः आकलन		-	-	-	-	-		-	-	-
बीमांकिक (लाभ) / हानि		-		-	-	-		-	47.32	(247.85)
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	**511.89**	**483.22**	**143.48**	**148.69**	**7.03**	**22.70**	**372.81**	**352.2**	**661.84**	**371.89**

iii. अन्य व्यापक आय में निर्धारित व्यय

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		ग्रेच्युटी रेगुलर (वित्त पोषित) (सहायक कंपनी)		ग्रेच्युटी वर्कमैन (गैर-वित्तपोषित) (सहायक कंपनी)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		समूह के लिए अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
योजना परिसंपत्ति पर रिटर्न	35.4	26.85	(2.67)	22.06	0	-		-	0	-
बीमांकिक (लाभ) / हानि	(389.18)	(36.17)	(2.67)	22.06	(4.49)	4.27	162.24	39.81	(13.00)	53.34
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय	**(353.78)**	**(9.32)**	**-**	**-**	**(4.49)**	**4.27**	**162.24**	**39.81**	**(13.00)**	**53.34**

iv. परिभाषित लाभ देयताओं के आरंभिक शेष और अंतिम शेष का पुनर्मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		ग्रेच्युटी रेगुलर (वित्त पोषित) (सहायक कंपनी)		ग्रेच्युटी वर्कमैन (गैर-वित्तपोषित) (सहायक कंपनी)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		समूह के लिए अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
वर्ष के आरंभ में देयताओं का वर्तमान मूल्य	5,998.70	5632.61	1121.07	1118.70	86.51	272.84	3105.08	2796.56	5,231.43	5230.02
ब्याज लागत	432.50	421.88	80.83	83.79	6.24	20.44	224.81	210.58	366.95	391.73
वर्तमान सेवा लागत	296.66	291.62	77.55	78.26	0.80	2.26	148.01	141.62	247.57	228.01
से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन	215.56	152.32	35.55	19.83	0.17	0.31	143.39	138.85	86.86	137.03
अनुभव समायोजन	(604.75)	-188.50	-70.06	241.40	-4.65	3.96	18.85	(99.04)	(52.54)	-331.54
विगत सेवा लागत	-	-	0.00	0.00	0.00	-		-	-	-
प्रदत्त लाभ भुगतान	(704.75)	(311.23)	(220.64)	(420.91)	(58.73)	(213.30)	(75.04)	(83.49)	(308.17)	(423.81)
वर्ष के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य	**5633.92**	**5998.70**	**1024.29**	**1121.07**	**30.33**	**86.51**	**3565.1**	**3105.08**	**5,572.10**	**5231.44**

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक शेष और अंतिम शेष का पुनर्मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		ग्रेच्युटी रेगुलर (वित्त पोषित) (सहायक कंपनी)		ग्रेच्युटी वर्कमैन (गैर-वित्तपोषित) (सहायक कंपनी)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		समूह के लिए अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3,013.64	3,074.25	220.74	185.32		-		-		-
ब्याज आय	217.28	230.26	14.90	13.36		-		-		-
पुनःआकलन लाभ/ (हानि)- शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशियों को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	(35.39)	(26.85)	(2.67)	22.06		-		-		-
नियोक्ता से अंशदान	54.97	47.23	220.64	420.91		-		-		-
लाभ भुगतान	(704.75)	(311.23)	(220.64)	(420.91)		-		-		-
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**2545.75**	**3013.66**	**232.96**	**220.74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

v. बीमांकिक अनुमान

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		ग्रेच्युटी रेगुलर (वित्त पोषित) (सहायक कंपनी)		ग्रेच्युटी वर्कमैन (गैर-वित्तपोषित) (सहायक कंपनी)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		समूह के लिए अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
छूट की दर	6.75%	7.21%	6.75%	7.21%	6.75%	7.21%	6.95%	7.24%	6.75%	7.21%
भविष्य की वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
मुआवजा स्तरों में वृद्धि		-						-		-
सेवानिवृत्ति की आयु		-	58	58	58	58		-	58	58

vi. परिभाषित लाभ देयता की परिपक्वता प्रोफाइल

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		ग्रेच्युटी रेगुलर (वित्त पोषित) (सहायक कंपनी)		ग्रेच्युटी वर्कमैन (गैर-वित्तपोषित) (सहायक कंपनी)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		समूह के लिए अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
परिभाषित लाभ देयता का भारित औसत			-	-	-	-				-
परिभाषित लाभ देयता की अवधि- निधि से			11.00	8.00	1.00	1.00		-		-
अवधि (वर्ष)										
1	522.50	599.31	172.13	281.46	21.37	60.61		-		-
2	599.17	314.40	80.86	132.15	8.57	17.70		-		-
3	553.71	546.45	85.03	67.03	-	7.19		-		-
4	555.62	537.91	7.43	70.35	-	-		-		-
5	518.76	513.06	19.53	5.78	-	-		-		-
5 से अधिक	2,175.48	12,273.42	659.29	564.30	0.38	1.00		-		-
कुल	**4,925.24**	**14,784.55**	**1,024.28**	**1,121.07**	**30.33**	**86.51**	**-**	**-**	**-**	**-**
परिभाषित लाभ भुगतान की अवधि- नियोक्ता से		-		-		-		-		-
अवधि (वर्ष)										
1		-		-		-	98.95	89.41		-
2		-		-		-	113.09	102.19		-
3		-		-		-	146.96	116.19		-
4		-		-		-	211.77	128.85		-
5		-		-		-	340.47	143.75		-
5 से अधिक		-		-		-	17,119.77	15,563.39		-
कुल		**-**		**-**		**-**	**18,031.01**	**16,143.78**		**-**

vii. योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रुप में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित)		अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
बीमा निधि	100%	100%	-	-	-	-

viii. संवेदनशीलता विश्लेषण

ग्रेच्युटी (वित्त पोषित) होल्डिंग कंपनी के संबंध में संवेदनशीलता विश्लेषण

(रु. लाख में)

विवरण	अनुमान में परिवर्तन		परिभाषित लाभ देयता में वृद्धि		परिभाषित लाभ देयता में गिरावट	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
छूट दर में वृद्धि / (कमी)	+/- 1%	+/- 1%	527.38	609.59	449.65	512.13
भविष्य की वेतन वृद्धि / (कमी) की अपेक्षित दर	+/- 1%	+/- 1%	209.97	369.35	226.96	356.49
कर्मचारी आय टर्नओवर की दर में अपेक्षित परिवर्तन	**+/- 1%**	**+/- 1%**	**211.26**	**132.36**	**243.72**	**152.3**

ग्रेच्युटी (वित्त पोषित) के संबंध में संवेदनशीलता विश्लेषण (सहायक कंपनी)

(रु. लाख में)

विवरण	अनुमान में परिवर्तन		परिभाषित लाभ देयता में वृद्धि		परिभाषित लाभ देयता में गिरावट	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
छूट दर में वृद्धि / (कमी)	+/- 1%	+/- 1%	95.44	86.88	(82.03)	(74.70)
भविष्य की वेतन वृद्धि / (कमी) की अपेक्षित दर	+/- 1%	+/- 1%	95.18	87.06	(83.32)	(76.15)
कर्मचारी आय टर्नओवर की दर में अपेक्षित परिवर्तन	+/- 1%	+/- 1%	4.87	7.22	(5.48)	(8.11)

वर्कमैन ग्रेच्युटी (गैर-वित्तपोषित) के संबंध में संवेदनशीलता विश्लेषण - (सहायक कंपनी)

(रु. लाख में)

विवरण	अनुमान में परिवर्तन		परिभाषित लाभ देयता में वृद्धि		परिभाषित लाभ देयता में गिरावट	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
छूट दर में वृद्धि / (कमी)	+/- 1%	+/- 1%	0.37	1.14	(0.37)	(1.11)
भविष्य की वेतन वृद्धि / (कमी) की अपेक्षित दर	+/- 1%	+/- 1%	0.37	1.14	(0.37)	(1.14)
कर्मचारी आय टर्नओवर की दर में अपेक्षित परिवर्तन	+/- 1%	+/- 1%	0.00	0.01	(0.00)	(0.00)

पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित) के संबंध में संवेदनशीलता विश्लेषण- (होल्डिंग कंपनी)

(रु. लाख में)

विवरण	अनुमान में परिवर्तन		परिभाषित लाभ देयता में वृद्धि		परिभाषित लाभ देयता में गिरावट	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
छूट दर में वृद्धि / (कमी)	+/- 1%	+/- 1%		566.62		439.7
भविष्य की वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	+/- 1%	+/- 1%	-	-	-	-
कर्मचारी टर्नओवर की दर में अपेक्षित परिवर्तन	+/- 1%	+/- 1%	-	-	-	-
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति में अपेक्षित बदलाव	+/- 1%	+/- 1%	-	-	-	-

अवकाश नकदीकरण (गैर-वित्तपोषित) समूह के संबंध में संवेदनशीलता विश्लेषण

(रु. लाख में)

विवरण	अनुमान में परिवर्तन		परिभाषित लाभ देयता में वृद्धि		परिभाषित लाभ देयता में गिरावट	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
छूट दर में वृद्धि / (कमी)	+/- 1%	+/- 1%	108.00	97.01	(91.72)	(82.36)
भविष्य की वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर	+/- 1%	+/- 1%	107.71	97.21	(93.15)	(83.96)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में अपेक्षित परिवर्तन	+/- 1%	+/- 1%	5.82	8.76	(6.57)	(9.87)

***यदि अन्य सभी मान्यताएँ समान रहती हैं तो मृत्यु दर में 1% की वृद्धि/कमी के कारण परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन नगण्य होता है।**

उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण संभवतः परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व न करता हो क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे से पृथक अलग से होगा चूंकि कुछ मान्यताएँ सहसंबद्ध हो सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करने में परिभाषित दायित्व के वर्तमान मूल्य का परिकलन रिपोर्ट अवधि के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके किया गया है, जो कि वही है जिसका प्रयोग वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्य परिभाषित लाभ दायित्व देयता के परिकलन में किया गया है।

पूर्व की अवधि हेतु मूल्यांकन में कोई परिवर्तन नहीं है। मान्यता में परिवर्तन के लिए कृपया ऊपर तालिका (v) देखे जहाँ पूर्व की अवधि के लिए मान्यताएँ दी गई हैं।

35. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ (भा ले मा 37)

प्रावधानों का संचलन

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रावधान की प्रत्येक श्रेणी (वर्तमान एवं गैर-वर्तमान) में संचलन को नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

(रु. लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		ग्रेच्युटी वर्कमैन (गैर-वित्तपोषित) (सहायक कंपनी)		पीआरएमएस (गैर-वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
प्रारंभिक शेष	2,985.04	2558.38	86.51	272.84	3,105.08	2796.56
वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान	158.10	473.89	2.55	26.97	535.06	392.01
वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	(54.97)	(47.23)	(58.73)	(213.30)	(75.04)	(83.49)
वर्ष के दौरान आरक्षित प्रावधान			-	-		
जमा शेष	**3088.17**	**2985.04**	**30.33**	**86.51**	**3565.1**	**3105.08**

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)		अवकाश नकदीकरण हुए (होल्डिंग कंपनी)		पीआरएमएस* (गैर-वित्तपोषित) (होल्डिंग कंपनी)	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
प्रारंभिक शेष	5,231.43	5,230.02	54.71	54.71	2,433.00	1,901.30
वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान	648.84	425.22	-	-	740.52	846.70
वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	(308.17)	(423.81)	-	-	(1,840.00)	(315.00)
वर्ष के दौरान आरक्षित प्रावधान		-	(54.71)	-		
जमा शेष	**5,572.10**	**5231.43**	**0**	**54.71**	**1333.52**	**2433**

*धारक कंपनी के पास डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना है। इस उद्देश्य के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से पेंशन प्लान लिया गया है।

36. प्रति शेयर आय (ईपीएस) (भा ले मा 33)

(रु. लाख में)

प्रति इक्विटी शेयर आय	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
ग्रुप इक्विटी धारक के लिए प्राप्य लाभ	6609.66	11805.15
सतत संचालन	6609.66	11805.15
अवरूद्ध संचालन	-	-
बुनियादी आय हेतु समूह इक्विटी धारकों के लिए प्राप्य लाभ	6609.66	11805.15
विलयन के प्रभाव हेतु समायोजित समूह इक्विटी धारकों के लिए प्राप्य लाभ	6609.66	11805.15
बुनियादी ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	130000000	130000000
प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य	10	10
प्रति इक्विटी शेयर आय (निरंतर संचालन के लिए) मूल (रुपये में)	5.08	9.08
विलयित (रुपये में)	5.08	9.08

37. लाभांश और आरक्षित राशि

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
घोषित और प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश	-	-
भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	-	2515.56
भुगतान किए गए अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-
भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	-

समूह द्वारा घोषित इक्विटी शेयरों पर लाभांश, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार है

सहायक कंपनी - वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश घोषणा की तिथि 29 दिसम्बर, 2023 है। और लाभांश के भुगतान की तिथि 15 जनवरी, 2024है।

38. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 के संदर्भ में, इन उद्यमों को देय राशि का खुलासा किए जाने की आवश्यकता है। इन उद्यमों को उस अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। समूह ने वेंडरों से एमएसएमई पंजीकरण की स्थिति के बारे में पूछा है। सूक्ष्म और लघु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बकाये का विवरण प्रबंधन के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर दिया गया है:

(रु. लाख में)

क्र सं	विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
1 (क)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया शेष, उस पर देय मूल राशि	42,322.78	29,307.47
1 (ख)	उपर्युक्त राशि पर प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया शेष, उस पर देय ब्याज		-
2	सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को की गई भुगतान राशि के साथ।		-
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज और देय राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) लेकिन सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया है।		-
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में देय ब्याज और शेष बकाया राशि।		-
5	आगामी वर्षों में भी बकाया और देय शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दी जाती।		-

*कंपनी ने सभी आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि करके सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूचना केवल प्राप्त सूचना और उपलब्ध रिकॉर्ड की सीमा तक एकत्रित की गई है।

39. वसूली किए जाने वाले दावों, व्यापार प्राप्तियों, संविदाकारों को अग्रिम व्यापार, देय राशि और संविदाकारों से प्रतिभूति जमा/अग्रिम राशि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष पुष्टि और संबंधित परिणाम समायोजन की शर्त के अधीन हैं। प्राप्त शेष पुष्टि की स्थिति निम्नानुसार :

31 मार्च 2025 तक

(रु. लाख में)

विवरण	केंद्र / राज्य सरकार के विभाग		विदेशी सरकारें		अन्य	
	बकाया	पुष्टि प्राप्त	बकाया	पुष्टि प्राप्त	बकाया	पुष्टि प्राप्त
व्यापार प्राप्तियां	241,468.33	952.88	32,957.73	-	9,712.33	-
प्रतिधारण राशि	12,093.48	-	602.11	-	51,756.12	-
व्यापार देनदारियां	7,753.20	6,427.27	1,056.44		218,309.02	-
ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान	54.94	-	6.47		8,848.08	-

31 मार्च 2024 तक

(रु. लाख में)

विवरण	केंद्र / राज्य सरकार के विभाग		विदेशी सरकारें		अन्य	
	बकाया	पुष्टि प्राप्त	बकाया	पुष्टि प्राप्त	बकाया	पुष्टि प्राप्त
व्यापार प्राप्तियां	232616.15	49.72	30632.20		811.61	14.5
प्रतिधारण राशि	12289.82	-	638.06	-	49033.68	6,351.40
व्यापार देनदारियां	5027.57	1.53	2,921.19	-	199136.14	18436.37
ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान	5.81	3.40	675.79	2.50	7803.14	13.34

व्यापार प्राप्य और व्यापार देय राशि का संतुलन वास्तव में लेखा पुस्तकों में परिलक्षित होता है। जिसके द्वारा बताए गए मतभेदों के संबंध में, समूह समन्वय की प्रक्रिया में है और नियत समय में सही पुष्टि प्राप्त करेगा।

प्रबंधन के विचार में, व्यापार के साधारण क्रम में व्यापार प्राप्तियों, ऋण और अग्रिमों की राशि प्राप्त कर लेने पर, बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होंगी। कुल व्यापार प्राप्तियां 300233.18 लाख रुपये हैं, जिसमें से 271.09 लाख रुपये आस्थगित ऋण हैं जिसका वर्तमान में भुगतान नहीं किया जाना है। (पिछले वर्ष 275251.95 लाख रु. जिसमें से 12527.56 लाख रु. आस्थगित ऋण था।)

40. वर्ष के दौरान समूह ने ग्राहकों की ओर से 30.29 लाख रु.(गत वर्ष 33.75 लाख रु.) (समूह सम्पति अर्थात पीपीई के भाग के रूप में नहीं) की निर्धारित संपत्तियां /फुटकर उपकरण प्राप्त किए हैं। इसके अलावा ग्राहक से प्राप्त प्रतिपूर्ति के संबंध में 30.29 लाख रुपये (गत वर्ष 28.54 लाख रु.) का समायोजन किया गया है।

41. सहायक कंपनी सामान्य रूप से उप-ठेकेदारों को शामिल करके अनुबंध निष्पादित कर रही है। अतः, कंपनी सीधे सामग्री की खरीद नहीं करती है और इसलिए, मुख्य रूप से, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अनुसार लाभ और हानि विवरण तैयार करने के लिए सामान्य निर्देशों के पैरा 5 (viii) (ग) के संबंध में जानकारी शून्य है। तथापि, विभागीय कार्यों में उपभोग किए जाने वाले भण्डार और स्पेयर निम्नानुसार हैं:

स्वदेशी स्टोर और स्पेयर - शून्य (गत वर्ष शून्य)

42. इनवेंटरी में परियोजना प्राधिकरणों द्वारा जब्त किए गए 107.11 लाख (गत वर्ष 107.11 लाख) शामिल हैं जो कि खाते के समायोजन हेतु लंबित हैं। तथापि जब्त की गई परिसंपत्तियों के मूल्य से अधिक की असमायोजित देनदारियां मौजूद हैं।

43. कर्मचारियों के कार्य निष्पादन आधारित वेतन के संबंध में, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए देयता शून्य रुपये (गत वर्ष 195.74 लाख रुपये) आकलित की गई है और कुछ रैंकिंग पैरामीटर के आधार पर, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार योजना के आधार पर प्रदान की गई है। गतिविधि चार्ट निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
1	प्रारंभिक शेष	1435.33	1240.06
2	जोड़ः वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	195.74
3	घटाएं: वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	(220.61)	(0.47)
4	अंतिम शेष	1214.72	1435.33

44. कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) व्यय

भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देश नोट के अनुसार सीएसआर व्यय से सम्बंधित हैं।

मूल कंपनी

वित्तीय वर्ष 2024-2025

(क) वित्तीय वर्ष में व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि

(रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि				
	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे नियम के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
72.51	59.46	28-4-2025			

(ख) वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं के संबंध में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की 7वीं अनुसूची में गतिविधियों की सूची में से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि	चालू वित्त वर्ष में व्ययित राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला						
1.	राजस्थान के फलोदी जिले के बाप ब्लॉक के टेपू गांव में पेयजल हेतु ट्यूबवेल की स्थापना	मद सं. 4 पर्यावरणीय स्थिरता	नहीं	राजस्थान	फालोदी	15-2-25 से 31-8-25	24.86	12.43	12.43	नहीं	अर्पण सेवा संस्थान (सीएसआर पंजीकरण संख्या - CSR00000826)
2.	बिहार में मुजफ्फरपुर के जिला न्यायालय के लिए 25 किलोवाट के ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना	मद सं. 4 पर्यावरणीय स्थिरता	नहीं	बिहार	मुज्जफरपुर	29-03-2025 से 29-07-2025	23.85	-	23.85	नहीं	इंपीरियल सर्विस डेवलपमेंट सोसाइटी (सीएसआर पंजीकरण संख्या - CSR00011369)
3.	बिहार में राजकीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरपुर में खेल अवसंरचना का विकास	मद सं. 7 खेलों को बढ़ावा देना	नहीं	बिहार	मुज्जफरपुर	29-03-2025 से 29-09-2025	24.88	-	23.18	नहीं	अभ्युदय ट्रस्ट (सीएसआर पंजीकरण संख्या - CSR00019017)
4.	ग्रामीण फिटनेस हब- एक वाप्कोस सीएसआर पहल", राजस्थान में जोधपुर जिले के बालेसर ब्लॉक के वस्तवा माता गांव में जिम की स्थापना	मद सं. 7 खेलों को बढ़ावा देना	नहीं	राजस्थान	जोधपुर	31-03-2025 से 30-09-2025	23.30	-		नहीं	अर्पण सेवा संस्थान (सीएसआर पंजीकरण संख्या - CSR00000826)
	कुल						**96.89**	**12.43**	**59.46**		

(ग) वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना हेतु व्ययित राशि	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष	कार्यान्वयन का तरीका कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
-									

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय पर व्यय राशि - रु 0.62 लाख

(ड़) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो - शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (ख+ग+घ+ङ) - रु 13.05 लाख

(छ) निपटान के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	72.51
2	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	13.05
3	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	-
4	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
5	अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में निपटान के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	

(ज) गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि	
1	वित्तीय वर्ष 2021-2022	39.03	35.04	-	-	-	4.26
2	वित्तीय वर्ष 2022-2023	203.97	173.03	-	-	-	30.94
3	वित्तीय वर्ष 2023-2024	24.34	18.55	-	-	-	5.79

(झ) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से निर्मित अथवा या अर्जित परिसम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करें। शून्य

1. पूंजीगत संपत्ति (सम्पत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि। शून्य
2. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि। शून्य
3. उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि शून्य
4. निर्मित या अर्जित की गई पूंजीगत परिसंपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें। शून्य

(ञ) कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

2024-2025 के दौरान, कंपनी ने धारा 135 (5) के अनुसार शुद्ध औसत लाभ के 2% का उपयोग सीएसआर कार्यों के लिए किया है। हालाँकि, 2% के लक्ष्य के की तुलना में व्यय 18.00% है। गतिविधियां पूरी न होने के कारण शेष राशि जारी नहीं की जा सकी। तदनुसार, शेष को उपरोक्त मद संख्या 8 (क) कॉलम 2 में दर्शाए गए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-2024

(क) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित और अव्ययित सीएसआर राशि:

(रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि				
	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे नियम के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
48.37	24.34	29.04.2024	-		

(ख) वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं के संबंध में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की 7वीं अनुसूची में गतिविधियों की सूची में से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि	चालू वित्त वर्ष में व्ययित राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला						
1.	तुगलकाबाद गांव, नई दिल्ली की झुग्गी-बस्तियों की वंचित महिलाओं को स्वास्थ्य (शारीरिक / मानसिक) सेवाएं और पोषण प्रदान करना	मद संख्या 1 स्वास्थ्य एवं पोषण	हां	नई दिल्ली	तुगलकाबाद	1-11-2023 से 31-10-2024	12.83	5.29	7.54 -	नहीं	शांति सहयोग -- (सीएसआर पंजीकरण संख्या - CSR00008695)
2.	ओड़िशा के कंधमाल जिले के जलेश्वरपट्टा,में आदिवासी बालिका छात्रावास, शंकराचार्य संस्कृत कन्याश्रम को सुरक्षा और संरक्षा सुविधाएं प्रदान करना	मद सं. 3 महिलाओं के लिए आवास और छात्रावास की स्थापना	नहीं	ओडिशा	कंधमाल	20-10-2023 से 31-1-2024	23.96	23.96	-	नहीं	समपर्ण चैरिटेबल-ट्रस्ट (सीएसआर पंजीकरण संख्या - CSR00012502)
3.	राजस्थान के जोधपुर जिले के सेखला ब्लॉक के गड़ा गांव में पेयजल हेतु ट्यूबवेल की स्थापना	मद सं. 4 पर्यावरणीय स्थिरता	नहीं	राजस्थान	जोधपुर	7-3-2024 से 30-6-2024	16.76	8.39	8.39	नहीं	अर्पण सेवा संस्थान (सीएसआर पंजीकरण संख्या - CSR00000826)
4.	जोधपुर जिले के सेरगढ़ ब्लॉक के गजे सिंह नगर गांव में पेयजल के लिए ट्यूबवेल की स्थापना	मद सं. 4 पर्यावरणीय स्थिरता	नहीं	राजस्थान	जोधपुर	7-3-2024 से 30-6-2024	16.85	8.43-	8.43	नहीं	अर्पण सेवा संस्थान (सीएसआर पंजीकरण संख्या - CSR00000826)

(ग) वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गयी राशि	निष्पादन की प्रणाली - स्पष्ट (हाँ/नहीं)	निष्पादन की प्रणाली - निष्पादन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
-									

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय पर व्यय राशि - रु 2.30 लाख

(ड़) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो - शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (ख+ग+घ+ङ) - रु 48.37 लाख

(छ) निपटान के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	73.8
2	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	48.37
3	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	-
4	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
5	अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में निपटान के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	-

(ज) गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरणः

(रु. लाख में)

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि	
1	वित्तीय वर्ष 2020-2021	13.00	13.00-	-	-	-	
2	वित्तीय वर्ष 2021-2022	39.30	35.04	-	-	-	4.26
3	वित्तीय वर्ष 2022-2023	203.97	173.03	-	-	-	30.94

(झ) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से निर्मित अथवा या अर्जित परिसम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करें।

1. पूंजीगत संपत्ति (सम्पत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि। शून्य
2. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि। शून्य
3. उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि शून्य
4. निर्मित या अर्जित की गई पूंजीगत परिसंपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें। शून्य

(ञ) कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

2023-2024 के दौरान, कंपनी ने धारा 135 (5) के अनुसार शुद्ध औसत लाभ के 2% का उपयोग सीएसआर कार्यों के लिए किया है। हालाँकि, 2% के लक्ष्य के की तुलना में व्यय 65.53% है। गतिविधियां पूरी न होने के कारण शेष राशि जारी नहीं की जा सकी। तदनुसार, शेष को उपरोक्त मद संख्या 8 (क) कॉलम 2 में दर्शाए गए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है।

पैरेंट कंपनी की सब्सिडियरी, NPCC लिमिटेड के मामले में

वित्तीय वर्ष 2024-2025

(क) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित और अव्ययित सीएसआर राशि:

(रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि				
	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे नियम के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
131.58			स्वच्छ गंगा कोष	131.58	17 सितंबर, 2025

(ख) वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की 7वीं अनुसूची में गतिविधियों की सूची में से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि	चालू वित्त वर्ष में व्ययित राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित की गई राशि	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला						
1	महाराष्ट्र में अद्वितीय आवासीय विद्यालय परियोजना भवन निर्माण चरण अवसंरचना, चिकित्सा केंद्र, कक्षाएं, प्रशासनिक भवन व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र	मद सं. ii	हां	संभाजी नगर - अहमदाबाद	संभाजी नगर	18 माह	24.00	24.00	0.00	हां	मेसर्स आरम्भ सोसायटी
2	50 गरीब बेरोजगार बालिका/बालकों के सशक्तिकरण हेतु सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम	मद सं. ii	हां	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	12 माह	12.64	10.10	2.54	हां	मेसर्स सी. रमेश चंद चैरिटेबल ट्रस्ट (सीआरसीसी ट्रस्ट)
3	बडासाही, मयूरभंज जिले (ओडिशा) में मां हिंगुलाई पीठ में एक सांस्कृतिक भवन का निर्माण	मद सं. . v	हां	ओडिशा	मयूरभंज	18 माह	24.60	12.30	12.30	हां	मेसर्स सत्यभामा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट
4	सूरजपुर जिले के दूरदराज और वंचित गांवों के घरों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना	मद सं. i	हां	छत्तीसगढ	रायपुर	2 माह	24.95	0.00	24.95	हां	युवा साथी फाउंडेशन
5	ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के लिए सौर संचालित ट्यूबवेल की स्थापना	मद सं. i	हां	राजस्थान	जोधपुर	6 माह	8.81	8.81	0.00	हां	मेसर्स अर्पण सेवा संस्थान
6	ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के लिए सौर संचालित ट्यूबवेल की स्थापना	मद सं. i	हां	राजस्थान	जोधपुर	6 माह	12.48	12.47	0.01	हां	मेसर्स अर्पण सेवा संस्थान
7	महाराष्ट्र में मानसिक रूप से बीमार सड़क किनारे रहने वाली 20 महिलाओं के लिए आवासीय हॉल	मद सं. ii	हां	महाराष्ट्र	अमरावती	2 माह	21.6	0.00	21.60	हां	मेसर्स सेवा संकल्प प्रतिष्ठान
8	अमरावती जिले में समर्पण प्रतिष्ठान के स्वामित्व वाली संपत्ति में उत्पीड़ित महिलाओं के लिए आवासीय जी+ 2 भवन के निर्माण हेतु सहायता	मद सं. iii	हां	महाराष्ट्र	अमरावती	- -	12.00	12.00	0.00	हां	समर्पण प्रतिष्ठान

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के संबंध में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गयी राशि	निष्पादन की प्रणाली - स्पष्ट (हाँ/नहीं)	निष्पादन की प्रणाली - निष्पादन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
-									

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय पर व्यय राशि - रु शून्य लाख

(ड़) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो - रु शून्य लाख

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (ख+ग+घ+ङ) - रु शून्य लाख

(छ) निपटान के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	131.58
2	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	-
3	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	
4	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
5	अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में निपटान के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	

(ज) गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि	
1	वित्तीय वर्ष 2021-2022	59.00	59.00	स्वच्छ गंगा कोष	59.00	सोमवार, 29 अप्रैल, 2024	शून्य
2	वित्तीय वर्ष 2022-2023	64.72	58.42*				6.30
3	वित्तीय वर्ष 2023-2024	76.36	21.26#		-	-	55.10

*वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सीएसआर व्यय हेतु कुल ₹ 5,24,573 का भुगतान किया गया था। हालांकि, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से कॉर्पोरेट कार्यालय से द्वारा इस राशि का दावा नहीं किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल ₹ 5,24,573 की गैर दावा सीएसआर राशि अव्ययित सीएसआर खाते से दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के खाते में स्थानांतरित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सीएसआर व्यय के लिए हेतु ₹ 24.01 लाख का भुगतान किया गया था। हालांकि, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से कॉर्पोरेट कार्यालय से इस राशि का दावा नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹ 24.01 लाख की अघोषित सीएसआर व्यय राशि अप्रयुक्त सीएसआर खाते से अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सीएसआर व्यय के लिए कुल ₹ 8.81 लाख और ₹ 12.47 लाख का भुगतान किया गया था। हालांकि, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से कॉर्पोरेट कार्यालय से इस राशि का दावा नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹ 21.28 लाख (₹ 8.81 लाख + ₹ 12.47 लाख) की अघोषित सीएसआर व्यय राशि अव्ययित सीएसआर खाते से दिल्ली जोनल कार्यालय के खाते में स्थानांतरित की गई है।

(झ) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से निर्मित अथवा या अर्जित परिसम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करें।

1. पूंजीगत संपत्ति (सम्पत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि। शून्य
2. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि। शून्य
3. उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि शून्य
4. निर्मित या अर्जित की गई पूंजीगत परिसंपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें। शून्य

(ञ) कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

वित्तीय वर्ष 2023-2024

(क) वित्तीय वर्ष में व्ययित और अव्ययित सीएसआर राशि:

(रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि				
	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे नियम के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
21.28[#]	97.64[##]	30 अप्रैल, 24	स्वच्छ गंगा कोष	0.15	29 अप्रैल, 2024
			स्वच्छ गंगा कोष	4.84*	30 नवंबर, 2024

**लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, शुद्ध लाभ की गणना गलत थी। लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान इस त्रुटि में सुधार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध लाभ में वृद्धि हुई और परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व दायित्व में वृद्धि हुई। इस सुधार के परिणामस्वरूप, अतिरिक्त राशि को बाद में ऊपर बताई गई तारीख को स्वच्छ गंगा कोष में स्थानांतरित कर दिया गया था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सीएसआर व्यय के लिए कुल ₹ 8.81 लाख और ₹ 12.47 लाख का भुगतान किया गया था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कॉर्पोरेट कार्यालय से दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इस राशि का दावा नहीं किया गया था। ₹ 21.28 लाख (₹ 8.81 लाख + ₹ 12.47 लाख) की कुल राशि, जो कि बिना खर्च किए गए सीएसआर खाते से वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के खाते में स्थानांतरित की गई है।

97.64 लाख में 21.28 लाख शामिल हैं, जिसका दावा दिल्ली जोन द्वारा नहीं किया गया है, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है।

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हाँ /नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका
				राज्य	जिला						
1.	महाराष्ट्र में अद्वितीय आवासीय विद्यालय परियोजना भवन निर्माण चरण अवसंरचना, चिकित्सा केंद्र, कक्षाएं, प्रशासनिक भवन व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र	मद संख्या ii	हाँ	संभाजी नगर अहमदाबाद	संभाजी नगर	18 महीने	24.00	0.00	24.00	हाँ	मैसर्स आरंभ सोसायटी
2.	50 गरीब बेरोजगार बालिका/बालकों के सशक्तिकरण हेतु सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम	मद संख्या ii	हाँ	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	12 महीने	12.64	0.00	12.64	हाँ	मैसर्स चौधरी रमेश चंद चैरिटेबल ट्रस्ट (सीआरसीसी ट्रस्ट)
3.	बदासही, मयूरभंज जिला (ओडिशा) में मां हिंगुलाई पीठ में एक सांस्कृतिक भवन का निर्माण	मद संख्या v	हाँ	ओडिशा	मयूरभंज	18 महीने	24.60	0.00	24.60	हाँ	मैसर्स सत्यभामा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट
4.	सूरजपुर जिले के वंचित एवं असेवित गांवों के घरों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना	मद संख्या i	हाँ	छत्तीसगढ़	रायपुर	12 महीने	24.95	0.00	24.95	हाँ	युवा साथी फाउंडेशन
5.	ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल हेतु सौर ऊर्जा चालित ट्यूबवेल की स्थापना	मद संख्या i	हाँ	राजस्थान	जोधपुर	6 महीने	17.63	8.82	8.81	हाँ	मैसर्स अर्पण सेवा संस्थान
6.	ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल हेतु सौर ऊर्जा चालित ट्यूबवेल की स्थापना	मद संख्या i	हाँ	राजस्थान	जोधपुर	6 महीने	24.94	12.46	12.48	हाँ	मैसर्स अर्पण सेवा संस्थान
7.	महाराष्ट्र में मानसिक रूप से बीमार 20 महिलाओं के लिए सड़क के किनारे महिला आवासीय हॉल	मद संख्या ii	हाँ	महाराष्ट्र	अमरावती	2 महीने	21.6	0.00	21.60	हाँ	मैसर्स सेवा संकल्प प्रतिष्ठान

(ग) वित्तीय वर्ष में जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची में से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गयी राशि	निष्पादन की प्रणाली - स्पष्ट (हाँ/नहीं)	निष्पादन की प्रणाली - निष्पादन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
-									

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय पर व्यय राशि - ₹ शून्य

(ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो - ₹ शून्य

(च) वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि (ख+ग+घ+ङ) - ₹ 21.28 लाख

(छ) निपटान के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई होः

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	102.63
2	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	-
3	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	-
4	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
5	अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में सेट आफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	-

(ज) गत तीन वित्तीय वर्षों में अव्ययित सीएसआर राशि का विवरणः

(रु. लाख में)

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि	
1	वि. व. 2020-2021	NIL	NIL				NIL
2	वि. व. 2021-2022	59.00	NIL				59.00
3	वि. व. 2022-2023	87.22	22.5*		-	-	64.72

*वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सीएसआर व्यय के लिए कुल ₹5,25 लाख का भुगतान किया गया। हालाँकि, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान दिल्ली जोनल कार्यालय द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय से इस राशि का दावा नहीं किया गया था। यह सीएसआर अव्ययित कुल ₹5,25 लाख राशि,, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अव्ययित सीएसआर खाते से दिल्ली जोनल कार्यालय के खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

(झ) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से निर्मित अथवा या अर्जित परिसम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करें।

1.	पूंजीगत संपत्ति (सम्पत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।	शून्य
2.	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर की राशि।	शून्य
3.	उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि	शून्य
4.	निर्मित या अर्जित की गई पूंजीगत परिसंपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें।	शून्य

(ञ) कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

2023-2024 के दौरान, कंपनी ने धारा 135 (5) के अनुसार शुद्ध औसत लाभ के 2% का उपयोग सीएसआर कार्यों के लिए किया है। हालाँकि, 2% के लक्ष्य के की तुलना में व्यय 0% है। गतिविधियां पूरी न होने के कारण शेष राशि जारी नहीं की जा सकी। तदनुसार, शेष को उपरोक्त मद संख्या 8 (क) कॉलम 2 में दर्शाए गए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है।

45. संबंधित पक्ष प्रकटन (भा.ले.मा. 24)

I. संबंधित पक्षः वित्तीय वर्ष 2024-25

अन्य संबंधित पक्षों के नाम	देश	संबंध की प्रकृति
वाप्कोस कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन ट्रस्ट)	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना

संबंधित पक्ष - वित्तीय वर्ष 2023-24

अन्य संबंधित पक्षों के नाम	देश	संबंध की प्रकृति
वाप्कोस कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन ट्रस्ट)	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना
वाप्कोस कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट	भारत	वाप्कोस लिमिटेड की रोजगार-पश्चात लाभ योजना

ii. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

वित्तीय वर्ष 2024-25

निदेशक / प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

श्री रजनी कांत अग्रवाल

पूर्ण कालिक निदेशक

श्री पंकज कपूर, निदेशक (वित्त)

श्री अनुपम मिश्रा, निदेशक (वाणिज्यिक व मानव संसाधन विकास) 31.08.2024 तक

श्री अमिताभ त्रिपाठी, निदेशक (वाणिज्यिक व मानव संसाधन विकास) 01.02.2025 से लागू

सरकारी नामंकित निदेशक

श्री अभिषेक सिंह (11.02.2025 तक)

श्री आनंद मोहन

श्री पुट्टाराजू सरोजा गंगाधर (06.03.2025 तक)

गैर - कार्यकारी (स्वतंत्र निदेशक)

श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत (11.01.2025 तक)

श्री जसबीर सिंह ठाकुर (14.01.2025 तक)

श्री लखन लाल साहू (01.02.2025 तक)

श्री पार्थ सारथी घोष (22.02.2025 तक)

कंपनी सचिव

श्री शैलेन्द्र विश्वकर्मा

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्रीमती सुषमा पी. वी. (दिनांक 03.03.2026 से)

iii. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के साथ लेन-देन

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025				31 मार्च, 2024			
	लघु अवधि के कर्मचारी लाभ	रोजगार-बाद लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	शेयर आधारित भुगतान और समापन लाभ	लघु अवधि के कर्मचारी लाभ	रोजगार-बाद लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	शेयर आधारित भुगतान और समापन लाभ
सीएमडी, पूर्ण कालिक निदेशक और कंपनी सचिव								
श्री आर.के. अग्रवाल	43.24	29.60	21.86		44.84	2.06	(5.26)	-
श्री पंकज कपूर	47.02	30.63	24.10		48.58	2.46	(4.70)	-
श्री अमिताभ त्रिपाठी	8.29	32.51	23.45					
श्री अनुपम मिश्रा	-	-	-		45.17	2.63	(3.41)	-
श्री शैलेन्द्र विश्वकर्मा	11.13	0.75	0.99		8.84	1.60	0.41	-
सुश्री कविता परमार	-	-	-		-	-	-	-
कुल	**109.68**	**93.49**	**70.41**	**-**	**147.43**	**8.75**	**(12.96)**	**-**

अभिज्ञात संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के संबंध में डिसक्लोजर केवल उस अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके दौरान ऐसे संबंध मौजूद थे।

अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक को 2,000 / - रुपये प्रति माह (गत वर्ष 2,000 / - रुपये प्रति माह) के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रति माह की ऊपरी सीमा तक की निजी यात्रा के लिए स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति है।

निदेशक (वित्त) और निदेशक (वाणिज्यिक और मानव संसाधन विकास) को 490/- रुपए प्रति माह (गत वर्ष 490/- रुपए प्रति माह) के भुगतान पर 1000 किलोमीटर प्रति माह की ऊपरी सीमा तक की निजी यात्रा के लिए स्टाफ कार के उपयोग की अनुमति है।

iv. स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक / बैठक शुल्क का विवरण:

(रु. लाख में)

नाम और पदनाम	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
डॉ. प्रीति मदान	-	0.00
श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत	2.15	3.60
श्री लखन लाल साहू	2.00	3.00
श्री पार्थ सारथी घोष	2.00	3.20
श्री जसबीर सिंह ठाकुर	2.15	3.60
कुल	**8.30**	**13.40**

v. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (देय) के पास बकाया राशि:

(रु. लाख में)

नाम और पदनाम	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
	देय	देय
श्री आर. के. अग्रवाल	6.12	5.05
श्री अमिताभ त्रिपाठी	5.48	
श्री अनुपम मिश्रा		7.18
श्री पंकज कपूर	7.09	5.73
श्री शैलेन्द्र विश्वकर्मा	0.91	0.71
कुल	**19.6**	**18.67**

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों से कोई राशि देय नहीं है।

vi. सरकार से संबाधीत संस्थाओं के साथ लेन-देन

भारत सरकार के पास कंपनी के 100% इक्विटी शेयर हैं, जो भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितों के पास हैं।

कंपनी ने जल शक्ति मंत्रालय और उन संस्थाओं के साथ विभिन्न लेनदेन किए हैं जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नियंत्रित, संयुक्त रूप से नियंत्रित या जिन पर मंत्रालय का व्यापक प्रभाव है, जिनमें बांसागर नियंत्रण बोर्ड, बेतवा नदी बोर्ड, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय भूजल बोर्ड फरीदाबाद, केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, केंद्रीय जल और ऊर्जा अनुसंधान केंद्र पुणे, केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली, फरक्का बैराज परियोजना, फरक्का, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, एनएमसीजी, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम), पोलावरम परियोजना प्राधिकरण, तुंगभद्रा बोर्ड, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड शामिल हैं।

उनके साथ किए गए लेन-देन का विवरण निम्नानुसार है:

सरकार से संबंधित इकाइयों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन-

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
राजस्व	14,507.33	9911.01
खरीद	-	874.03
प्रशिक्षण व्यय	-	-
कुल	**14507.33**	**10785.04**

पैरेंट कंपनी की सब्सिडियरी, NPCC लिमिटेड के मामले में
सरकार से संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण बकाया शेष राशि

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
पूंजीगत अग्रिम	-	-
अन्य अग्रिम	-	14.85
देय राशि	4,214.38	5315.87
प्राप्त अग्रिम	611.41	530.82
प्राप्तियाँ	15,384.55	9057.93
कुल	**20210.34**	**14919.47**

मूल कंपनी की सहायक कंपनी एनपीसीसी के संबंध में

I. संबंधित पक्ष: वित्तीय वर्ष 2024-25

अन्य संबंधित पक्षों के नाम	देश	संबंध की प्रकृति
एनपीसीसी लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट और एनपीसीसी लिमिटेड कर्मचारी ग्रेच्युटी ट्रस्ट	भारत	एनपीसीसी लिमिटेड की रोजगार उपरांत लाभ योजना।

i. संबंधित पक्ष: वित्तीय वर्ष 2023-24

अन्य संबंधित पक्षों के नाम	देश	रिश्ते की प्रकृति
एनपीसीसी लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट और एनपीसीसी लिमिटेड कर्मचारी ग्रेच्युटी ट्रस्ट	भारत	एनपीसीसी लिमिटेड की रोजगार उपरांत लाभ योजना।

ii. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

वित्तीय वर्ष 2024-2025

निदेशक / प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

श्रीमती शिल्पा सचिन शिंदे, सीएमडी (26.09.2025 से)
श्री आर.के. अग्रवाल, सीएमडी (09.09.2025 तक)
श्री अमिताभ त्रिपाठी, निदेशक (इंजीनियरिंग)
श्री अतुल मेंहदीरत्ता, मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री पंकज कपूर, निदेशक (वित्त) (28.09.25 तक)
श्री आलोक कुमार, मुख्य वित्तीय अधिकारी (30.11.2025 तक)
श्रीमती रजनी अग्रवाल, कंपनी सचिव

सरकार द्वारा नामित निदेशक

सुश्री ऋचा मिश्रा, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार
श्री आनंद मोहन, संयुक्त सचिव (आरडी एवं पीपी)

स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती अनुपमा होस्केरे (20.01.2025 तक)
श्री यजुर्वेन्द्र अनिल महाजन (20.01.2025 तक)
श्री जसबीर सिंह ठाकुर (14.01.2025 तक)

iii. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के साथ लेन-देन

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025				31 मार्च, 2024			
	लघु अवधि के कर्मचारी लाभ	रोजगार-बाद लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	शेयर आधारित भुगतान और समापन लाभ	लघु अवधि के कर्मचारी लाभ	रोजगार-बाद लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	शेयर आधारित भुगतान और समापन लाभ
सीएमडी, पूर्ण कालिक निदेशक और कंपनी सचिव								
श्री आर.के. अग्रवाल					-	-	-	-
श्री पंकज कपूर			-	-	-	-	-	-
श्रीमती रजनीअग्रवाल	33.13	1.73	-	-	31.25	1.05	-	-
श्री आलोक कुमार	24.20	2.24	-	-	23.06	1.53	-	-
कुल	**57.33**	**3.97**	**-**	**-**	**54.30**	**2.58**	**-**	**-**

ज्ञात संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के संबंध में डिसक्लोजर केवल उस अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके दौरान ऐसे संबंध मौजूद थे।

iv. स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक/बैठक शुल्क का विवरण

(रु. लाख में)

नाम और पदनाम	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
श्रीमती अनुपमा होस्केरे	1.53	2.05
श्री यजुर्वेन्द्र अनिल महाजन	1.53	2.18
श्री जसबीर सिंह ठाकुर	1.53	1.08
कुल	**4.58**	**5.30**

v प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (देय) के पास बकाया राशि:

(Rs. in Lakhs)

नाम और पदनाम	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
	देय	देय
श्री आर.के. अग्रवाल	-	-
श्री पंकज कपूर	-	-
श्री आलोक कुमार	-	1.78
श्रीमती रजनी अग्रवाल	-	2.26
कुल	**-**	**4.03**

*श्री मनोहर कुमार के पास 4.16 लाख रू. की राशि (पिछले वर्ष 4.16 लाख) बकाया है।

vi. सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेन-देन

भारत सरकार के पास वाप्कोस लिमिटेड (मूल कंपनी) के 100% इक्विटी शेयर हैं, जो जल शक्ति मंत्रालय और उसके नामांकित व्यक्तियों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। यह माना जाएगा कि भारत सरकार वाप्कोस लिमिटेड के माध्यम से कंपनी को नियंत्रित करती है।

कंपनी ने जल शक्ति मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नियंत्रित या संयुक्त रूप से नियंत्रित या महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली संस्थाओं के साथ विभिन्न संव्यवहार किए हैं। उनके साथ संव्यवहार इस प्रकार हैं:-

कंपनी ने जल शक्ति मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नियंत्रित या संयुक्त रूप से नियंत्रित या महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली संस्थाओं के साथ विभिन्न लेनदेन किए हैं, जिसमें एनएमसीजी, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम), केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, एनडब्ल्यूआईसी, केंद्रीय भूजल बोर्ड, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, सीजीडब्ल्यूबी (जम्मू) शामिल हैं। उनके साथ लेनदेन इस प्रकार हैं:-

सरकार से संबंधित इकाइयों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन-

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
राजस्व	1,458.95	1,629.78
खरीद	-	-
प्रशिक्षण व्यय	-	-
कुल	**1,458.95**	**1,629.78**

सरकार से संबंधित पक्षों के पास महत्वपूर्ण शेष

(रु. लाख में)

लेन देन का विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
प्राप्त अग्रिम	410.20	774.87
प्राप्य	572.35	493.77

46. पट्टा

क. तुलन पत्र में मान्य राशि

पट्टों से संबंधित राशि तुलन पत्र में निम्नानुसार है:

संपत्ति उपयोग का अधिकार

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
भवन	541.52	652.67
वाहन	22.63	36.16

लीज देयता

31 मार्च 2025 को

(रु. लाख में)

विवरण	वर्तमान	गैर-वर्तमान	कुल
भवन	330.43	318.24	648.67
वाहन	16.04	8.71	24.75
कुल	**346.47**	**326.95**	**673.42**

31 मार्च 2024 को

(रु. लाख में)

विवरण	वर्तमान	गैर-वर्तमान	कुल
भवन	293.14	473.75	766.89
वाहन	13.16	24.75	37.91
कुल	**306.30**	**498.50**	**804.80**

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उपयोग के अधिकार में वृद्धि 188.54 लाख रुपये थी।

ख. लाभ या हानि के विवरण में मान्य राशि:

पट्टों से संबंधित राशि लाभ या हानि का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

संपत्ति उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास प्रभार	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
भवन	294.86	367.05
वाहन	13.54	18.84

(रु. लाख में)

ब्याज व्यय (वित्त लागत में शामिल)	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
ब्याज व्यय	61.55	69.58
		4.23

2024-2025 में लीज हेतु कुल नकद बहिर्वाह 376 लाख रुपये (आरओयू भवन के लिए 359.96 लाख रुपये और आरओयू वाहन के लिए 16.04 लाख रुपये)

ग. कंपनी की लीजिंग गतिविधियाँ और इनका लेखा कैसे रखा जाता है

कंपनी विभिन्न कार्यालयों और वाहनों को लीज पर लेती है। किराये के अनुबंध आमतौर पर 6 महीने से 8 साल की निश्चित अवधि के लिए किए जाते हैं, लेकिन नीचे दिए गए अनुसार विस्तार विकल्प हो सकते हैं:

अनुबंध में लीज और गैर-लीज दोनों घटक शामिल हो सकते हैं। कंपनी अनुबंध में विचाराधीन लीज और गैर-लीज घटकों को उनके सापेक्ष अकेले कीमतों के आधार पर आवंटित करती है। हालांकि, अचल संपत्ति के पट्टों के लिए, जिसके लिए कंपनी एक लीजदार है, उसने अलग-अलग लीज और गैर-लीज घटकों को चुना है और इसके बजाय एकल पट्टा घटक के रूप में इनका खाता है।

लीज की शर्तों पर व्यक्तिगत आधार पर बातचीत की जाती है और इसमें विभिन्न नियमों और शर्तों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। पट्टा करार लीजदार द्वारा रखी गई पट्टा परिसंपत्तियों में सुरक्षा हितों के अलावा कोई भी संविदा नहीं लगाते हैं। उधार ली गई संपत्ति का उपयोग उधार के उद्देश्यों के लिए सुरक्षा के रूप में नहीं किया जा सकता है।

घ. लीज का भुगतान मूलधन और वित्त लागत के बीच किया जाता है। वित्त लागत पट्टा अवधि पर लाभ या हानि के लिए चार्ज की जाती है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के शेष राशि पर ब्याज की निरंतर आवधिक दर का उत्पादन किया जा सके।

उपयोग में आने वाली परिसंपत्तियों को निम्नलिखित लागतों से मापा जाता है:

- पट्टा देनदारी के प्रारंभिक आकलन राशि
- पट्टे की तारीख को अथवा तारीख से पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान को किसी भी प्राप्त पट्टा इंसेंटिव से घटाना क

संपत्ति उपयोग का अधिकार आमतौर पर संपत्ति के उपयोगी कार्यकाल के छोटे और सीधी रेखा के आधार पर लीज की अवधि से अधिक मूल्यह्रास की जाती है। यदि कंपनी उचित रूप से खरीद विकल्प का उपयोग करने के लिए निश्चित है, तो अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी कार्यकाल पर सही उपयोग की संपत्ति का मूल्यह्रास या जाता है।

कार्यालय भवनों के अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के सभी लीज से जुड़े भुगतानों को लाभ या हानि में व्यय के रूप में एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

लीज भुगतान लीज देयता के माप में शामिल नहीं है:

लीज देयता के माप में शामिल नहीं किए गए भुगतान से संबंधित व्यय इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
लघु अवधि के पट्टे	1303.24	1420.01
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान		-
परिचालन पट्टे से संबंधित कुल किराया व्यय	**1303.24**	**1420.01**

ङ. विस्तार और समाप्ति विकल्प

विस्तार और समाप्ति विकल्प कंपनी के कई संपत्ति लीज में शामिल हैं। इनका उपयोग कंपनी के संचालन में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए परिचालन लचीलेपन को अधिकतम करने के लिए किया जाता है।

च. यदि कोई विकल्प वास्तव में प्रयोग किया जाता है (या प्रयोग नहीं किया जाता है) या कंपनी को प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है (या प्रयोग नहीं किया जाता है) तो लीज अवधि फिर से निर्धारित किया जाता है। उचित निश्चितता का मूल्यांकन केवल तभी संशोधित किया जाता है जब कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थितियों में

महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, जो इस मूल्यांकन को प्रभावित करता है, और जो लीजदार के नियंत्रण में है।

भारतीय लेखा मानके 116 के पैरा 58 के अनुक्रम में, भारतीय लेखा मानक 107 के पैरा 39 और ख 11 को लागू करने वाली लीज देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण; अन्य वित्तीय देनदारियों के परिपक्वता विश्लेषण से अलग-अलग प्रकटीकरण।

लीज देनदारियों की परिपक्वता

निम्न तालिका में बताई गई राशि में संविदात्मक रियायत रहित नकदी प्रवाह हैं।

31 मार्च, 2025 को

(रु. लाख में)

वित्तीय देनदारियों की अनुबंधित परिपक्वता	6 महीने से कम	6-12 महीने	1 और 2 वर्ष के बीच	2 और 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
पट्टा देनदारियाँ	101.76	89.26	105.94	98.78	-	395.74

31 मार्च, 2024 को

(रु. लाख में)

वित्तीय देनदारियों की अनुबंधित परिपक्वता	6 महीने से कम	6-12 महीने	1 और 2 वर्ष के बीच	2 और 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
पट्टा देनदारियाँ	198.63	168.80	251.26	293.11	-	911.80

नीचे निर्धारित राशि अवधि के दौरान पट्टा देनदारियों और चालन के वहन हेतु राशि है

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025
01 अप्रैल 2024 को	**804.81**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	188.54
संपत्ति का बट्टे खाते में डालना	(5.49)
लीज देनदारियों की वित्तीय लागत	61.55
भुगतान	(376.00)
31 मार्च 2025 को	**673.41**
वर्तमान	346.47
गैर-वर्तमान	326.94

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024
01 अप्रैल 2023 को	**914.47**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	400.20
संपत्ति का बट्टे खाते में डालना	(84.35)
लीज देनदारियों की वित्तीय लागत	69.38
भुगतान	(494.89)
31 मार्च 2024 को	**804.81**
वर्तमान	306.31
गैर-वर्तमान	498.50

47. इराक (बंद विदेशी इकाई) में कई वर्षों से संचालन बंद है और प्रत्यावर्तन प्रतिबंधों के कारण, 383.69 लाख रु (आईडी 381403.165) के बैंक बैलेंस के संबंध में पूर्ण प्रावधान किया गया है। विदेशी मुद्रा में बैंक खाते में शेष राशि का पुनर्मूल्यांकन अंतिम बार 31 मार्च, 1995 को किया गया था।

एक्जिम बैंक, जो इराक में बकाया के निपटान के लिए मध्यस्थ है, ने दिनांक 30/7/2013 के पत्र के द्वारा सूचित किया है कि बैंक खाते में एनपीसीसी के बकाया क्रेडिट शेष पर अर्जित ब्याज के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ ईराक द्वारा अपने बही-खाते में 7.06 लाख अमेरिकी डॉलर (31 मार्च 2025 को 85.4358 रूपये प्रति यूएसडी की दर से 603.18 लाख रूपांतर के बराबर) अनुमानित क्रेडिट प्रविष्टियाँ की गई हैं, एक्जिम बैंक के खाते में वास्तविक क्रेडिट की राशि नहीं है।

48. पूंजी प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय समूह के उद्देश्य हैं:

- एक बढ़ती हुई इकाई के रूप में आगे बढ़ने की समूह की क्षमता सुनिश्चित करना, और
- शेयरधारकों को पर्याप्त प्रतिफल प्रदान करना

समूह अंतर्निहित संपत्तियों की आर्थिक स्थितियों और जोखिम विशिष्टताओं में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और इसमें समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने और इसे समायोजित करने के लिए कंपनी शेयरधारकों को भुगतान किए जाने वाले लाभांश, शेयरधारकों को पूंजी वापस लौटाने अथवा नए शेयर जारी करने की राशि को समायोजित कर सकती है।

कंपनी द्वारा पूंजी के रूप में प्रबंधित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
इक्विटी शेयर पूंजी	13,000.00	13,000.00
अन्य इक्विटी	56,506.22	49,792.60
समूह की पूर्ण इक्विटी	69,506.22	62,792.60
ऋण	24,299.48	22,772.61
इक्विटी अनुपात के लिए शुद्ध ऋण	0.35	0.36

49. प्रबंधन की यह राय है कि भारतीय लेखांकन मानक - 36 (संपत्तियों की हानि) के संदर्भ में नकद सृजन करने वाली संपत्ति की कोई हानि नहीं हुई है।

50. लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां (भारतीय लेखा मानक 8):

I. पूर्व अवधि लेन-देन निम्नानुसार हैं:

(रु. लाख में)

व्यय/आय का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित	1 अप्रैल 2023 से पूर्व
व्यय :		
सामान्य स्टेशनरी	0.43	1.06
परामर्श परियोजनाओं हेतु प्राप्त की गई सेवाएँ	67.31	
बीमा अन्य बीआईआरआर डब्ल्यूएल	2.30	
सदस्यता शुल्क	0.09	
विविध व्यय	2.29	
डाक, टेलीफोन और टेलीग्राम	0.01	0.09
मरम्मत और रखरखाव - अन्य	0.41	-
यात्रा व्यय - भारत	-	3.00
विद्युत एवं ईंधन	-	
कंप्यूटर	8.26	-
वाहन किराये पर लेना	0.30	
विज्ञापन और प्रचार	8.30	2.00
निर्माण का खर्च	383.60	(201.68)
मुकदमेबाजी व्यय	64.56	
अन्य	1.31	120.68
कुल व्यय (वृद्धि /कमी)	**539.15**	**(74.85)**
व्यय/आय की प्रकृति	**वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित**	**1 अप्रैल 2023 से पूर्व**
आय :		
परिचालन से राजस्व - परामर्शी परियोजनाएं	404.96	(761.88)
परिचालन से राजस्व - निर्माण परियोजनाएं	-	(842.96)
अन्य गैर- परिचालन आय	(83.93)	
कुल आय (वृद्धि/(कमी)	**321.03**	**(1,604.84)**

ii. तुलन पत्र की मदों पर प्रभाव इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

वर्ष की पूर्व अवधि	प्रमुख समूहन	टिप्पणी	2023-24 पर प्रभाव	01-04-2023 से पूर्व	कुल
देयताएँ					
व्यापारिक देयताएँ	व्यापाार देय - वर्तमान	15B	89.68	6.15	95.83
प्रतिभूति जमा/ईएमडी (वर्तमान)	ईसीएल हेतु अनुमति	4B	-	(11.70)	(11.70)
व्यय हेतु देयताएँ	एमएसएमई के अतिरिक्त व्यापार देयताएं-वर्तमान	15B		120.68	120.68
किए गए काम का अनबिल मूल्य देयताएं	एमएसएमई के अतिरिक्त व्यापार देयताएं-वर्तमान	15B	383.60	(201.68)	181.92
परियोजना प्राधिकरण वर्तमान	ग्राहक से अग्रिम	17B	45.75	854.66	900.41
अन्य वर्तमान खाता	अन्य देय	20B	78.13		78.13
देयताओं में कुल परिवर्तन			**597.16**	**768.11**	**1,365.28**
परिसम्पत्तियां					
अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष	12	(1.43)	-	(1.43)
अनबिल राजस्व बेहतर	अनबिल राजस्व, गैर वर्तमान	7B	-	(224.34)	(224.34)
व्यापार प्राप्तियां	-	7B	404.12		404.12
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज और कॉल डिपोजिट	प्रोदभूत ब्याज	10	(24.48)		(24.48)
व्यापार प्राप्य - असुरक्षित उचित समझे	व्यापार प्राप्तियां	7	0.84	(538.17)	**(537.33)**
पूर्व भुगतान व्यय		12		0.20	0.20
परिसम्पत्तियों में कुल परिवर्तन			**379.05**	**(762.31)**	**(383.26)**

iii. लाभ और हानि मदों के विवरण पर प्रभाव निम्नानुसार है :

(रु. लाख में)

वर्ष की पूर्व अवधि	टिप्पणी	31 मार्च 2025 के अनुसार 2023-24 पर प्रभाव
व्यय		
सामान्य स्टेशनरी	29	0.43
परामर्शी परियोजनाओं हेतु प्राप्त सेवाएं	26	67.31
निर्माण व्यय	26	383.60
मुकदमेबाजी का खर्च	29	64.56
बीमा अन्य बीआईआरआर डब्ल्यूएल	29	2.30
सदस्यता शुल्क	29	0.09
विविध व्यय	29	2.29
डाक, टेलिफोन और टेलिग्राम	29	0.01
मरम्मत एवं रखरखाव - कार्यालय परिसर	29	0.41
कंप्यूटर	29	8.26
वाहन किराए पर लेना	29	0.30
अन्य	29	1.31
विज्ञापन और प्रचार	29	8.30
कुल व्यय		**539.15**
आय :		
परिचालन से राजस्व - परामर्शी परियोजनाएं	21	404.96
परिचालन से राजस्व - निर्माण परियोजनाएं	21	0
अन्य आय	22	(83.93)
कुल आय (वृद्धि/(कमी)		**321.03**
कर पश्चात लाभ पर निवल प्रभाव		**218.12**

51. **टिप्पणी सं- 2ख** के अनुसार अमूर्त संपत्ति के रूप में प्रकट किए गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रत्यक्ष रेखा आधार पर उनकी लाइसेंस अवधि में जैसा लागू हो, तीन वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किए जाते हैं। परिशोधित राशि निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
लाभ एवं हानि विवरण में मान्य परिशोधन	247.36	178.59

प्रबंधन की राय है कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा यथा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक-36 "संपत्ति की हानि" के संदर्भ में अमूर्त आस्तियों (अर्थात सॉफ्टवेयर) की कोई हानि नहीं हुई है।

52. परिचालन खंड संबंधी प्रकटीकरण (भारतीय लेखा मानक-108):

प्रचालन खंडों को समूह के उन घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके लिए अलग से वित्तीय सूचना उपलब्ध होती है जिसका यह निर्णय करने में, कि संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए और निष्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाए, प्रमुख प्रचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है। समूह के सीओडीएम (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक) हैं।

i. समूह ने किए जा रहे प्रचालनों के आधार पर दो प्रचालनात्मक रिपोर्ट योग्य खंडों की पहचान कि है जो निम्नानुसार हैं:-

क. परामर्श सेवाएँ

ख. निर्माण संविदाएँ

ii. भौगोलिक स्थिति के अनुसार राजस्व खंड का प्रकटन निम्नानुसार किया गया है:-

क. भारत में परामर्श से राजस्व में गुणवत्ता आश्वासन तथा परियोजना प्रबंधन सेवाएँ, टर्नकी निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं।

ख. भारत के बाहर से राजस्व में परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं के लिए दी गई सेवाएँ, टर्नकी निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं।

iii. वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का लगातार व्यक्तिगत खंड में राजस्व तथा व्यय रिकॉर्ड करने में अनुप्रयोग किया जाता है जैसा कि उल्लेखनीय लेखांकन नीतियों संबंधी नोट में दर्शाया गया है।

iv. प्रत्यक्ष रूप से खंडों के कारण होने वाले राजस्व और व्यय प्रत्येक रिपोर्ट किए जा सकने वाले खंड में रिपोर्ट किए जाते हैं। अन्य सभी व्यय जो खंडों के कारण नहीं हैं अथवा उन्हें आवंटित नहीं किए जा सकते उन्हें गैर-आवंटन योग्य व्यय के रूप में प्रकट किया गया है।

v. समूह के व्यवसाय में प्रयुक्त संपत्तियों और देयताओं को किसी रिपोर्ट किए जा सकने वाले खंड में चिह्नित नहीं किया जाता क्योंकि इन्हें खंडों के बीच परस्पर बदल कर प्रयोग किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और अमूर्त संपत्तियों पर मूल्यह्रास, परिशोधन तथा नुकसान को किसी विशिष्ट खंड को आवंटित नहीं किया जा सकता। समूह का मानना है कि वर्तमान में कुल संपत्तियों, कुल देयताओं तथा मूल्यह्रास, परिशोधन और नुकसान से संबंधित खंडीय प्रकटन उपलब्ध कराना व्यवहार्य नहीं है चूंकि उपलब्ध आंकड़ों को अर्थपूर्ण तरीके से अलग-अलग करना दुर्भर हो सकता है।

vi. **प्रचालनात्मक खंड-**

(प्रबंधन द्वारा प्रमाणित बही खातों से जानकारी ली गयी है।)

31 मार्च 2025 को

(रु. लाख में)

विवरण	परामर्शी सेवाएं		निर्माण परियोजनाएं		कुल
	घरेलू	विदेश	घरेलू	विदेश	
राजस्व	46,475.69	19,907.21	2,47,881.73	-	3,14,264.63
अभिज्ञेय परिचालन व्यय	29,880.46	11,778.77	2,40,858.95	-	2,82,518.18
संचालन से सेगमेंट लाभ / (हानि)	**16,595.23**	**8,128.44**	**7,022.77**	**-**	**31,746.44**
जोड़ : ब्याज आय					8,973.68
जोड़ : अन्य आय					224.91
कमी : असाधारण मद सहित गैर आवंटन व्यय					31,730.83
कर पूर्व निवल लाभ					**9,214.21**
कमी : आय कर					2,589.99
कर पश्चात निवल लाभ					**6,624.22**
अतिरिक्त सूचना					
अवमूल्यन और परिशोधन					1,046.91
अवमूल्यन और परिशोधन के अतिरिक्त गैर-नकद व्यय/(आय)					
प्रावधानों का व्युत्क्रमण					599.56
पीपीई के विक्रय पर लाभ					0.03
पीपीई के विक्रय पर हानि					

31 मार्च 2024 को

विवरण	परामर्शी सेवाएं		निर्माण परियोजनाएं		कुल
	घरेलू	विदेश	घरेलू	विदेश	
राजस्व	47,860.34	19,714.19	2,50,955.24	-	3,18,529.77
अभिज्ञेय परिचालन व्यय	35,830.44	12,841.59	2,40,574.06	229.25	2,89,475.34
संचालन से सेगमेंट लाभ / (हानि)	**12,029.90**	**6,872.60**	**10,381.18**	**(229.25)**	**29,054.43**
जोड़ : ब्याज आय					7,165.91
जोड़ : अन्य आय					2,570.96
कमी : असाधारण मद सहित गैर आवंटन व्यय					23,248.60
कर पूर्व निवल लाभ					**15,542.70**
कमी : आय कर (आस्थागित कर सहित)					2,262.79
कर पश्चात निवल लाभ					**13,279.90**
अतिरिक्त सूचना					
अवमूल्यन और परिशोधन					1,085.90
अवमूल्यन और परिशोधन के अतिरिक्त गैर-नकद व्यय/(आय)					-
प्रावधानों का व्युत्क्रमण					118.53
पीपीई के विक्रय पर लाभ					-
पीपीई के विक्रय पर हानि					0.32

vii. प्रमुख ग्राहकों से 90650.05 लाख रुपये (गत वर्ष 28596.63 लाख रुपये) राजस्व का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. लाख में)

वर्ष की पूर्व अवधि	31 मार्च 2025			31 मार्च 2024		
	परामर्शी सेवाएं	टर्नकी / इंजीनियरिंग परियोजनाएँ	कुल	परामर्शी सेवाएं	टर्नकी / इंजीनियरिंग परियोजनाएँ	कुल
ग्राहक -1	30699.00	16405.26	47104.26	5046.00	7004.13	12050.13
ग्राहक-2	18938.00	10201.85	29139.85	2674.00	3491.91	6165.91
कुल	**49637.00**	**26607.11**	**76244.11**	**7720.00**	**10496.04**	**18216.04**

53. वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ

प्रत्येक श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की वहनीय राशि इस प्रकार हैं:-

श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025				31 मार्च 2024			
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य
वित्तीय पूंजी:								
प्रतिधारण राशि और प्रतिभूति जमा (गैर चालू) सहित अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	11,199.17		11,199.17	-	21,297.40	-	21,297.40
निवेश - गैर वर्तमान	-		54.00	54.00	-	-	49.06	49.06
व्यापार लेनदारियाँ	-	2,23,015.01		2,23,015.01	-	2,12,939.00	-	2,12,939.00
नकद और नकदी समतुल्य	-	87,187.36		87,187.36	-	73,259.31	-	73,259.31
अन्य बैंक शेष	-	1,74,121.86		1,74,121.86	-	1,50,292.37	-	1,50,292.37
प्रतिभूति जमा (वर्तमान) सहित अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	4,298.26		4,298.26	-	3,980.22	-	3,980.22
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**4,99,821.67**	**54.00**	4,99,875.67	**-**	**4,61,768.30**	**49.06**	**4,61,817.36**

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025				31 मार्च 2024			
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य
वित्तीय देनदारियाँ:								
व्यापार देय (चालू एवं गैर चालू)		2,26,955.00		2,26,955.00	-	2,07,362.66	-	2,07,362.66
अन्य वित्तीय देयताएं (चालू एवं गैर चालू)		82,550.53		82,550.53	-	80,170.93	-	80,170.93
कुल वित्तीय देनदारियाँ	-	**3,09,505.53**	-	**3,09,505.53**	-	**2,87,533.58**	-	**2,87,533.58**

व्यापार लेनदारियों, व्यापार देनदारियों और नकद तथा नकदी समतुल्य की वहनीय राशि को उनके उचित मूल्यों के समान समझा जाता है।

अमूर्त लागत पर तैयार की गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की वहनीय राशि को उचित मूल्य का एक युक्तिफ़संगत अनुमान समझा जाता है।

i. उचित मूल्य वर्गीकरण

तुलन पत्र में उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य वर्गीकरण के तीन स्तरों में बांटा गया है। मापन के महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन के आधार पर तीन स्तरों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

स्तर - 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धत कीमतें (असमायोजित)।

स्तर - 2: सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन को तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जिसमें अधिंकाशं अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग होता हैं, इकाई विशिष्ट अनुमानों पर जितना संभव हो उतनी कम निर्भरता होती है।

स्तर - 3: यदि एक या उससे अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं, तो साधन को स्तर 3 में शामिल किया जाता है

निम्नलिखित तालिकाएँ 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के पदानुक्रम के भीतरी स्तर को दर्शाती हैं:

ii. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां - आवर्ती उचित मूल्य माप

(रु. लाख में)

विवरण	अवधि	टिप्पणी सन्दर्भ	स्तर-1	स्तर-2	स्तर-3	कुल
एफवीटीओसीआई में वित्तीय साधन			-	-	-	-
गैर-वर्तमान निवेश -			-	-	4.94	4.94
इक्विटी शेयर			-	-	5.04	5.04

iii. उचित मूल्य के निर्धारित हेतु प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निवेशित पक्ष से प्राप्त लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों के शुद्ध संपत्ति मूल्य का उपयोग शामिल है।

54. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी के क्रियाकलाप इसे क्रेडिट जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम में डालते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल की कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए समग्र जिम्मेदारी होती है। यह टिप्पणी जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट करती है जिनका सामना इकाई को करना होता है और यह स्पष्ट करती है कि इकाई कैसे जोखिम और वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रभावों का प्रबंधन करती है।

i. क्रेडिट जोखिम

कंपनी अपने प्रचालन क्रियाकलापों (प्रमुख रूप से व्यापार प्राप्तियाँ) से और बैंकों, म्यूचुअल फंड तथा वित्तीय संस्थाओं और अन्य वित्तीय साधनों में जमाओं सहित अपने वित्तीय क्रियाकलापों से क्रेडिट जोखिम में आती है।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय संपत्तियों की विशिष्ट श्रेणी के अनुसार मान्यताओं, सूचनाओं और घटकों के अनुसार निर्धारित निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर वित्तीय संपत्तियों के क्रेडिट जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है।

क: वित्तीय रिपोर्टिंग तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम

ख: मध्यम क्रेडिट जोखिम

ग: उच्च क्रेडिट जोखिम

समूह निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि का प्रावधान किया है:

परिसंपत्ति समूह	वर्गीकरण का आधार	व्यय क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान
क: कम क्रेडिट जोखिम	नकद और नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और गैर-चालू निवेश।	12 माह के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि
ख: मध्यम क्रेडिट जोखिम	व्यापार लेनदारी और प्रतिधारण धन	आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि
ग: उच्च क्रेडिट जोखिम	व्यापार लेनदारी और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि अथवा के लिए पूर्णकालिक प्रावधान

व्यापार प्राप्तियों के संबंध में, कंपनी आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि के प्रावधान को मान्यता देती है।

कारोबारी माहौल के आधार पर, जिसमें कंपनी काम करती है, वित्तीय संपत्ति पर एक चूक तब मानी जाती है जब प्रतिपक्ष अनुबंध के अनुसार सहमत समय अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है या मामला-दर-मामला आधार पर तथ्यात्मक परिस्थितियों के आधार पर बाद में निर्णय लिया जाता है। चूक को दर्शाने वाली हानि दरें वास्तविक क्रेडिट हानि अनुभव और वर्तमान और ऐतिहासिक आर्थिक स्थितियों के बीच के अंतरों पर आधारित हैं।

जब वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं होती है, जैसे दिवालिया होने की घोषणा करने वाला देनदार या कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाजी का फैसला तब संपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। कंपनी उन पार्टियों के साथ काम करना जारी रखती है जिनकी शेष राशि बट्टे खाते में डाल दी जाती है और चुकौती को लागू करने का प्रयास करती है। लाभ और हानि के विवरण में की गई वसूली को मान्यता दी जाती है।

(रु. लाख में)

परिसंपत्ति समूह	विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
क: कम क्रेडिट जोखिम	नकद और नकदी के समान, अन्य बैंक शेष, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां और गैर-चालू निवेश।	2,76,860.66	2,48,878.36
ख: मध्यम क्रेडिट जोखिम	व्यापार लेनदारी और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	1,64,340.10	1,48,763.05
ग: उच्च क्रेडिट जोखिम	व्यापार लेनदारी और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	1,79,304.96	64,175.93

व्यापार प्राप्तियों का संकेन्द्रण

कंपनी को व्यापार प्राप्तियों के लिए क्रेडिट जोखिम प्रमुख रूप से केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों से होता है।

क्रेडिट जोखिम

अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान

कंपनी निम्नलिखित वित्तीय संपत्तियों के लिए 12 माह और आजीवन अनुमानित क्रेडिट हानि आधार पर अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान करती है-

क: कम ऋण जोखिम

31 मार्च 2025

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	वहनीय राशि	हानि	हानि प्रावधान की वहनीय शुद्ध राशि
नकद और नकदी समतुल्य	9	87,571.05	383.69	87,187.36
अन्य बैंक शेष	10	1,74,121.86	-	1,74,121.86
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4क और 4ख	21,628.45	6,131.02	15,497.43
गैर-वर्तमान निवेश	3	54.00		54.00

31 मार्च 2024

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	वहनीय राशि	हानि	हानि प्रावधान की वहनीय शुद्ध राशि
नकद और नकदी समतुल्य	9	73,643.00	383.69	73,259.31
अन्य बैंक शेष	10	1,50,292.37	-	1,50,292.37
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4क और 4ख	31,098.02	5,820.40	25,277.62
गैर-वर्तमान निवेश	3	49.06	-	49.06

ख: मध्यम क्रेडिट जोखिम (जिसमें 1-3 वर्ष तक की व्यापार लेनदारियाँ और प्रतिधारण राशि शामिल हैं)

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार लेनदारियों और प्रतिधारण राशि के लिए प्रत्याशित क्रेडिट घाटा

31 मार्च 2025

(रु. लाख में)

अवधि	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच	2 वर्ष से 3 वर्ष के बीच	कुल
सकल वहनीय राशि (अच्छा माना जाता है)	7क और 7ख	1,09,263.45	38,962.02	26,083.06	1,74,308.53
प्रत्याशित क्रेडिट हानि पर हानि भत्ता प्रावधान		(2,482.74)	(3,028.01)	(4,457.68)	(9,968.43)
व्यापार लेनदारियों की वहनीय राशि (निवल हानि)		1,06,780.72	35,934.01	21,625.37	1,64,340.10

31 मार्च 2024

(रु. लाख में)

अवधि	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच	2 वर्ष से 3 वर्ष के बीच	कुल
सकल वहनीय राशि (अच्छा माना जाता है)	7क और 7ख	1,11,271.31	34,077.61	18,690.10	1,64,039.03
प्रत्याशित क्रेडिट हानि पर हानि भत्ता प्रावधान		(7,639.89)	(3,877.45)	(3,758.64)	(15,275.98)
व्यापार लेनदारियों की वहनीय राशि (निवल हानि)		1,03,631.43	30,200.16	14,931.46	1,48,763.05

ग:उच्च ऋण जोखिम

31 मार्च 2025

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	अवधि	सकल वहनीय राशि	हानि	हानि प्रावधान की वहनीय निवल राशि
व्यापार लेनदारी और प्रतिधारण राशि	7क और 7ख	3 वर्ष से ऊपर	1,18,989.93	(60,315.02)	1,79,304.96

31 मार्च 2024

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	अवधि	सकल वहनीय राशि	हानि	हानि प्रावधान की वहनीय निवल राशि
व्यापार लेनदारी और प्रतिधारण राशि	7क और 7ख	3 वर्ष से ऊपर	1,10,855.80	(46,679.86)	64,175.93

हानि प्रावधान का समायोजन-व्यापार प्राप्तियां और प्रतिधारण राशि

(रु. लाख में)

हानि भत्ते का समायोजन	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
आरंभिक हानि भत्ता	61,955.83	55,151.39
हानि घाटे की पहचान	8,327.62	6,804.44
प्रत्यावर्तन / वसूली	-	-
समापन हानि भत्ता	70,283.45	61,955.83

ii. चलनिधि जोखिम

समूह की चलनिधि के प्रमुख स्रोत नकद और नकद समकक्ष हैं जो प्रचालनों से नकद प्रवाह से सृजित किए जाते हैं। कंपनी पर कोई बकाया बैंक उधार नहीं हैं। समूह का मानना है कि प्रचालनों से नकद प्रवाह इसकी वर्तमान चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिकाओं में संविदात्मक परिपक्वताओं के आधार पर संगत परिपक्वता समूहों में वित्तीय देयताओं का विश्लेषण किया गया है। तालिका में प्रकट की गई राशि संविदात्मक गैर-छूट प्राप्त नकद प्रवाह हैं। 12 माह के अंदर देय शेष राशि उनके मूल शेष के समान है चूंकि रियायत देने का प्रभाव बहुत कम है।

31 मार्च 2025

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 वर्ष एक अधिक	कुल
व्यापार देनदारी	15क और 15ख	1,20,663.55	1,08,248.73	2,28,912.28
प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण राशि	20क और 20ख	8,496.07	45,099.83	53,595.90
कुल		**1,29,159.62**	**1,53,348.56**	**2,82,508.17**

31 मार्च 2024

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	1 वर्ष तक	1 वर्ष एक अधिक	कुल
व्यापार देनदारी	15क और 15ख	1,01,754.67	1,07,123.82	2,08,878.49
प्रतिभूति जमा और प्रतिधारण राशि	20क और 20ख	10,543.30	40,433.53	50,976.83
कुल		**1,12,297.97**	**1,47,557.34**	**2,59,855.32**

iii. बाजार जोखिम

समूह का मूल्य वृद्धि से होने वाला जोखिम अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर रखे गए और तुलन पत्र में वर्गीकृत निवेशों के कारण है।

समूह का इक्विटी प्रतिभूति से संबंधित जोखिम कंपनी द्वारा रखे गए और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर बैलेंस शीट में वर्गीकृत निवेशों के कारण है।

(रु. लाख में)

विवरण	नोट संदर्भ	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
निवेश- गैर उद्धृत निवेश	3	54.00	49.06

iv. विदेशी मुद्रा जोखिम

समूह के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन होते हैं और इसे विदेशी मुद्रा में लेन-देन से विदेशी मुद्रा जोखिम भी होता है। विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के व्यावसायिक लेन-देन और एक ऐसी मुद्रा, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा नहीं है, में अंकित मान्य संपत्तियों और देयताओं से होता है।

विदेशी मुद्रा में आय

(रु. लाख में)

लेन - देन का विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
निर्माण	-	-
परामर्शी	16,228.50	16,024.43
अन्य आय (एफडीआर में ब्याज शामिल)	1,000.67	319.10
कुल	**17229.17**	**16343.53**

विदेशी मुद्राओं में व्यय

(रु. लाख में)

लेन - देन का विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
प्राप्त सेवा शुल्क	2,723.35	1,084.60
कर्मचारी लाभ व्यय	2,283.35	2,701.10
परिवहन	244.53	203.62
अन्य	2,080.68	2,057.33
कुल	**7331.90**	**6046.64**

विदेशी मुद्रा जोखिम प्रकटीकरण

(मुद्रा लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025										
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	वाई आर	ओआर	एमजैडएम	एसइके	बीडीटी
वित्तीय परिसंपत्तियां											
व्यापार प्राप्तियां	212.86	8.96	127.89	45937.73	4.78	146.10	0.00	0.00	0.00	7.42	120.31
नकद और नकद समतुल्य	27.26	4.998	16.15	24.13	-	25.46	0.0021	0.085	0.00	0.00	5.18
अन्य बैंक शेष	250.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	0.33	-	-	101.64	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**490.91**	**13.96**	**144.04**	**46063.50**	**4.78**	**171.56**	**0.00**	**0.09**	**0.00**	**7.42**	**125.49**

विवरण	31 मार्च 2025										
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	वाई आर	ओआर	एमजैडएम	एसइके	बीडीटी
वित्तीय परिसंपत्तियां											
व्यापार प्राप्तियां	203.70	0.97	0.75	8244.97	-	145.94	-	-	-	-	52.00
अन्य बैंक शेष	2.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**206.64**	**0.97**	**0.75**	**8244.97**	**00.0**	**145.94**	**00.0**	**00.0**	**00.0**	**00.0**	**52.00**

विवरण	31 मार्च 2024										
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	वाई आर	ओआर	एमजैडएम	एसइके	बीडीटी
वित्तीय परिसंपत्तियां											
व्यापार प्राप्तियां	214.16	4.81	46.65	35,603.27	4.78	146.10	-	-	-	40.89	120.31
नकद और नकद समतुल्य	17.02	2.64	52.67	634.19	-	25.46	0.09	0.00	-	-	10.78
अन्य बैंक शेष	252.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	0.36	-	-	101.64	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**483.59**	**7.45**	**99.32**	**36,339.11**	**4.78**	**171.56**	**0.09**	**0.00**	**-**	**40.89**	**131.09**

विवरण	31 मार्च 2024										
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	वाई आर	ओआर	एमजैडएम	एसइके	बीडीटी
वित्तीय परिसंपत्तियां											
व्यापार प्राप्तियां	17.60	0.14	0.75	2,945.03	-	145.99	-	-	-	-	95.37
अन्य बैंक शेष	3.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	154.54	-	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**175.52**	**0.14**	**1.32**	**2,945.03**	**-**	**145.99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95.37**

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विनिमय दर में 5% प्रतिशत परिवर्तन का संवेदनशीलता विश्लेषण

(मुद्रा लाख में)

विवरण	विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता								
	31 मार्च 2025								
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	ओआर	एसइके	बीडीटी
भारतीय मुद्रा में 5 प्रतिशत मूल्यह्रास									
लाभ और हानि खाते पर प्रभाव - आय/(व्यय)	1,216.39	60.00	4.66	44.06	1.95	0.37	0.95	3.16	2.58
भारतीय मुद्रा में 5 प्रतिशत में अभिमूल्यन									
लाभ और हानि खाते पर प्रभाव - आय/(व्यय)	(1,216.39)	(60.00)	(4.66)	(44.06)	(1.95)	(0.37)	(0.95)	(3.16)	(2.58)

विवरण	विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता								
	31 मार्च 2024								
	यूएसडी	यूरो	बीआईआरआर	यूजीएक्स	एनओके	एलकेआर	ओआर	एसइके	बीडीटी
भारतीय मुद्रा में 5 प्रतिशत मूल्यह्रास									
लाभ और हानि खाते पर प्रभाव - आय/(व्यय)	1284.21	32.97	7.19	35.73	1.83	0.36	0.02	26.49	1.01
भारतीय मुद्रा में 5 प्रतिशत में अभिमूल्यन									
लाभ और हानि खाते पर प्रभाव - आय/(व्यय)	(1284.21)	(32.97)	(7.19)	(35.73)	(1.83)	(0.36)	(0.02)	(26.49)	(1.01)

v. ब्याज दर जोखिम

समूह में ब्याज दर जोखिम का अनावरण भी किया गया है, ब्याज दर में परिवर्तन भविष्य के नकदी प्रवाह या इसके वित्तीय साधन मुख्य रूप से ऋण के उचित मूल्य को प्रभावित करेगा।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समूह के ऋणों का अनावरण निम्न प्रकार से है:

(रु. लाख में)

ब्याज दर जोखिम	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
ऋण		
गैर वर्तमान - फ्लोटिंग (वर्तमान परिपक्वताओं सहित)	20799.50	22772.64
वर्तमान	3,499.98	(0.02)
कुल	**24299.48**	**22772.62**

समीक्षाधीन अवधि के अंत में ब्याज दर में 1 प्रतिशत परिवर्तन की गैर-वर्तमान उधारियों के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण

(रु. लाख में)

विवरण	ब्याज दर संवेदनशीलता			
	31 मार्च 2025		31 मार्च 2024	
	ब्याज दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि	ब्याज दर में 1 प्रतिशत की कमी	ब्याज दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि	ब्याज दर में 1 प्रतिशत की कमी
लाभ और हानि खाते पर प्रभाव - आय/व्यय	556.85	(556.85)	814.28	(814.28)

55. विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन और संव्यवहार पर शुद्ध लाभ/हानि

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
विनिमय भिन्नता आय	1,108.92	613.01
विनिमय भिन्नता व्यय	1,282.24	382.12
शुद्ध प्रभाव - लाभ/(हानि)*	(173.32)	230.89

*विचाराधीन उस प्रभावी चालू वित्तीय वर्ष में, समायोज्य व्यापार अग्रिम प्राप्त या भुगतान होने पर भी गैर-मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय उतार-चढ़ाव की गणना नहीं की जाती है।

56. आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसंपत्तियाँ और प्रतिबद्धताएं

(उस सीमा तक जिसका प्रावधान नही किया गया) (प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित)

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
i. आकस्मिक देयताएं - मूल कंपनी		
1. कंपनी के खिलाफ दावा जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया। 2025 2024 कार्मिक द्वारा 44.36 35.31 अन्यों द्वारा 30,226.01 29,501.66 (उपर्युक्त दावों के विरुद्ध कंपनी द्वारा प्रति दावों की राशि 31 मार्च 2025 रु. 3025.28 (गत वर्ष को रु. 3025.28 है, जिसका हिसाब लेखाबही में नहीं है)	30,270.37	29,536.97
2. सेवा कर विभाग द्वारा मांग सह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया (सेवा कर विभाग द्वारा वर्ष 2014 में उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। समूह ने उक्त कारण बताओ नोटिस का प्रतिवाद किया और विभाग को इसके जवाब प्रस्तुत किए थे। विभाग द्वारा कई बार सुनवाई की गई है और प्रारंभिक कारण बताओ नोटिस के बाद कोई और डिमांड नोटिस जारी नहीं किया गया है।)	16,667.99	16,667.99
3. **अन्य - परिसमापन नुकसान** कंपनी बड़ी संख्या में ऐसी परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है जिनमें लेबी निर्माणपूर्व अवधि का समय है और विभिन्न सरकारी एजेंसियों से मंजूरी अनुमोदन की आवश्यकता है, जो समय लगने वाली प्रक्रिया है। नोट में दर्शायी गयी राशि परिसमापन क्षति की संभावित राशि से संबंधित है, जो परियोजना के समय पर पूरी न होने पर कंपनी पर लगाया जा सकता है।	7,657.76	7,384.47
4. व्यवसाय कार्य - निष्पादन प्रक्रिया के भाग के रूप में कंपनी ग्राहक द्वारा संबधित भुगतान जारी किए जाने के पश्चात एमएसई विक्रेताओं, जिनके साथ कंपनी ने सामान और सेवाओं (जो एमएसई विक्रेताओं द्वारा प्रदान की जाती हैं) की स्वीकृति के पश्चात भुगतान हेतु करार किया है, सामान और सेवाओं का क्रय रही है। इस प्रकार, कंपनी एमएसई विक्रेताओं के संबंध में अपने खातों में किसी प्रकार का ब्याज उपलब्ध नहीं करा रही है।	-	-
आकस्मिक देयताएं सहायक कंपनी		
1. ठेकेदार के बकाया दावे मध्यस्थता केन्द्रों और अदालतों में लंबित हैं	39,446.27	22,128.29
2. सेवा कर और आयकर मांग और अपील / सुधार में विवादित आयकर मांग संबंधी ब्याज	22,288.88	30,342.92
3. व्यापार निष्पादन प्रक्रिया के भाग के रूप में कंपनी एमएसएमई विक्रेताओं जिनके साथ कंपनी ने ग्राहक द्वारा संबंधित भुगतान जारी किये जाने पर वस्तु और सेवाओं (जिन्हें एमएसएमई विक्रेताओं द्वारा प्रदान किया जाता है) की स्वीकृति के बाद भुगतान हेतु समझौता किया है, उनसे वस्तु और सेवाएँ प्राप्त कर रही है, जब जाता है। इस प्रकार, कंपनी अपने बहीखातों में एमएसएमई विक्रेताओं को कोई ब्याज प्रदान नहीं कर रही है।		
3. ग्राहक द्वारा एलडी का लगाया जाना लेकिन ठेकेदार के साथ लगातार अनुबंध के कारण	4,031.60	3,660.40
ii. आकस्मिक परिसंपत्तियाँ	-	-
iii. प्रतिबद्धताएं		
1. प्रदर्शन के लिए बैंक गारंटी, बयाना जमा और सुरक्षा जमा	49,109.75	53,001.27
2. पूँजीगत खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानिक राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (संदर्भ टिप्पणी सं-2)	-	-
कुल	**1,69,454.62**	**1,62,722.31**

आकस्मिक देयता के लिए संचालन चार्ट

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
प्रारंभिक जमा	**1,63,955.98**	**1,51,500.66**
जोड़ अतिरिक्त: वर्ष के दौरान	40,790.31	54,414.24
कमः वर्ष के दौरान समायोजित/स्थिर	(34,396.36)	(41,958.92)
जमा शेष	**1,70,349.93**	**1,63,955.98**

57. ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व :

i. राजस्व निर्धारण संबंधी महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय:

अनुबंध राजस्व और संबंधित लेनदारियों की मान्यता प्राप्त राशि प्रबंधन के प्रत्येक अनुबंध के परिणाम और पूरा होने के चरण के सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाती है, जो प्रगति, प्रयासों, लागत के आधार पर लेन-देन की कुल अनुमानित लागत, व्यतीत समय, सेवा निष्पादन या कोई अन्य तरीके, जिसे प्रबंधन उचित मानता है, के आधार पर आंकलित की जाती है। विशेष रूप से अधिक जटिल अनुबंधों के लिए, कार्य पूरा करने की लागत और अनुबंध लाभप्रदता, सटीक अनुमान और अनिश्चितता के अधीन होते हैं।

ii. समूह के पास विभिन्न सेवाओं के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंध है जो नीचे दिए गए हैं:

- परामर्शी सेवाएं
- टर्नकी निर्माण परियोजनाएं

iii. समूह ने ग्राहकों को वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण स्थानांतरित करने पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर समय के साथ या समय के आधार पर राजस्व को मान्यता दी है। यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है, तो राजस्व को कंपनी द्वारा समय के आधार पर मान्यता दी गई है:

- ग्राहक एक ही साथ प्राप्त करता है और लाभ उठाता है।
- समूह का कार्य निष्पादन ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण करता है या बढ़ाता है जिन्हें ग्राहक संपत्ति के निर्माण या संवर्द्धन के रूप में नियंत्रित करता है।
- समूह का निष्पादन वैकल्पिक उपयोग के साथ नहीं बनता है और समूह को अब तक के निष्पादन के लिए भुगतान के लिए लागू करने योग्य अधिकार है।

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व (भारतीय लेखा मानक 115) यह निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है कि क्या, कितना और कब राजस्व मान्यता प्राप्त है और ग्राहक अनुबंध से उत्पन्न होने वाली प्रकृति, राशि, समय और राजस्व की अनिश्चितता और नकदी प्रवाह के बारे में खुलासे की आवश्यकता है। भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत, राजस्व 5-चरण दृष्टिकोण के माध्यम से मान्यता प्राप्त है:

क) ग्राहक के साथ अनुबंध (अनुबंधों) की पहचान करना,

ख) अनुबंध में अलग-अलग निष्पादन दायित्वों की पहचान करना,

ग) लेन-देन मूल्य निर्धारित करना,

घ) निष्पादन दायित्वों के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करना, तथा

ङ) निष्पादन दायित्व से संतुष्ट होने पर राजस्व की पहचान करना।

अनुबंध परिसम्पति - अनबिल राजस्व

अनुबंध में उल्लिखित कार्य पूरा होने के आधार पर ग्राहकों को बिल जारी किए जाते हैं। कुछ मामलों में, हालांकि उल्लिखित कार्य समय के अलावा अन्य कारकों के कारण बिलिंग नहीं हो पाती है। बिलिंग से अधिक राजस्व राजस्व नहीं है और अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पहले से अनुबंधित परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त कोई भी राशि, जब और जब बिलिंग की जाती है और संबंधित कार्य प्राप्त किया जाता है, तो व्यापार प्राप्तियों के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

संविदा परिसम्पतियों का संचलन - अनबिल राजस्व

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
प्रारंभिक शेष	**9,804.87**	**9,113.14**
निवल जोड़	7,982.15	6,091.69
प्रत्यावर्तित राशि	(8,891.76)	(5,399.96)
जमा शेष	**8,895.26**	**9,804.87**

संविदा परिसम्पत्तियों में संचलन- प्रतिधारण राशि

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
प्रारंभिक शेष	9,546.57	8,861.42
निवल जोड़	590.07	1,512.99
प्रत्यावर्तित राशि	(697.93)	(827.84)
जमा शेष	**9,438.71**	**9,546.57**

संविदा परिसम्पत्तियों में संचलन- प्रतिभूति जमा

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
प्रारंभिक शेष	6,570.06	6,347.07
निवल जोड़	4,443.54	2,268.13
प्रत्यावर्तित राशि	(3,306.42)	(2,045.14)
अंत शेष	**7,707.18**	**6,570.06**

अनुबंध देनदारियां - अग्रिम में प्राप्त राजस्व

अनुबंध देनदारी को मान्यता दी जाती है यदि इकाई को प्रदर्शन के अग्रिम में महत्त्व (या यदि उसे महत्त्व मिलने का बिना शर्त का अधिकार है) प्राप्त हो।

अनुबंध देनदारियों का संचालन - अग्रिम में प्राप्त राजस्व

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
प्रारंभिक शेष	1,36,771.09	1,42,645.90
निवल जोड़	35,705.79	68,018.25
प्रत्यावर्तित राशि	(27,684.15)	(73,893.06)
अंत शेष	**1,44,792.73**	**1,36,771.09**

अनुबंध देनदारियों का संचालन - प्रतिधारण राशि

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
प्रारंभिक शेष	27,149.57	24,544.97
निवल जोड़	3,928.46	4,511.36
प्रत्यावर्तित राशि	(18,526.93)	(1,906.76)
अंत शेष	**12,551.10**	**27,149.57**

अनुबंध देनदारियों का संचालन - प्रतिभूति जमा

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
प्रारंभिक शेष	50,955.35	44,999.23
निवल जोड़	3,977.77	7,207.92
प्रत्यावर्तित राशि	(1,329.53)	(1,251.80)
अंत शेष	**53,603.59**	**50,955.35**

"सूचना अवधि में निर्धारित राजस्व, जिसे अवधि के प्रारंभ में अनुबंध देयता शेष में शामिल किया गया था" और निष्पादन दायित्वों से सूचना अवधि में निर्धारित राजस्व से पूर्ववर्ती अवधियों में संतुष्टि (या आंशिक रूप से संतुष्टि) प्राप्त है के संबंध में भारतीय लेखा मानक 115 के पैरा 116 (ख) और (ग) के प्रकटीकरण निम्नानुसार दिए गए हैं:

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
सूचना अवधि में निर्धारित राजस्व जो अवधि की शुरुआत में अनुबंध की देयता शेष में शामिल था	27,684.15	24,059.42
पूर्ववर्ती अवधियों में निष्पादन दायित्वों का निर्वाह (या आंशिक निर्वाह) होने से सूचना अवधि में निर्धारित राजस्व	1,393.54	1,111.00

पृथककरण राजस्व सूचना

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न क्षेत्रें से राजस्व हेतु ग्राहक के साथ अनुबंध से असहमत राजस्व निम्नानुसार दर्शाया गया है। समूह का मानना है कि ये असहमत राजस्व और नकदी प्रवाह की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता उद्योग, बाजार और अन्य आर्थिक कारकों को कैसे प्रभावित करती है।

(रु. लाख में)

विवरण	परामर्शी सेवाएं		निर्माण परियोजनाएं		कुल
	घरेलू	विदेश	घरेलू	विदेश	
2024-25	46,475.69	19,907.21	2,47,881.73	-	3,14,264.63
2023-24	47,860.34	19,714.19	2,48,848.79	-	3,16,423.32

iv. समूह द्वारा ग्राहकों को तथा उनकी ओर से कई परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही है।

कार्य निष्पादन दायित्वों ग्राहकों से भुगतान के साथ जुडे हुए हैं। जहाँ भी रेपोर्टिंग तारीख पर कार्य निष्पादन किया जाता और संविदा के अनुसार भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे मामलों में अनुबंध परिसंपत्ति बनाया गया है।

तथापि, जहां भुगतान अग्रिम में प्राप्त होता है, लेकिन कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा नहीं किया गया ऐसे मामलों में अनुबंध देनदारियों नहीं बनाई गई है। कंपनी द्वारा प्राप्त अग्रिम कार्य के निष्पादन के लिए है और सुरक्षा का प्रकार है अर्थात् बचाव का स्रोत हैं।

वर्ष के दौरान दी गई सेवाओं/वस्तु आपूर्ति हेतु ग्राहकों से प्राप्त राशि की हानि का प्रावधान 7615.37 लाख रू. (गत वर्ष 5671.11 लाख रू.) रहा।

58. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, 1 अप्रैल 2024 तक बिना बिल किए गए राजस्व के ₹ 8665.44 लाख (पिछले वर्ष ₹ 6811.93 लाख) को कार्य पूरा होने पर ग्राहकों को बिल करने पर व्यापार प्राप्तियों में पुनः वर्गीकृत किया गया है।

59. प्रदर्शन दायित्वों का कुल मूल्य जो 31 मार्च 2025 तक पूरा होना बाकी है, ₹ 2136155.89 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1929727.15 लाख) है जो समूह के विभिन्न खंडों से संबंधित है।

31 मार्च 2025 को

(रु. लाख में)

विवरण	चालू परियोजनाएं	बाधित परियोजनाएं	कुल
परियोजनाओं का शेष मूल्य	20,15,017.59	1,21,138.30	21,36,155.89

31 मार्च 2024 को

(रु. लाख में)

विवरण	चालू परियोजनाएं	बाधित परियोजनाएं	कुल
परियोजनाओं का शेष मूल्य	18,23,822.92	1,05,904.23	19,29,727.15

*समूह का मानना है कि कुछ परियोजनाओं में निलंबन प्रकृति में अस्थायी है और एक बार प्रतिबंधित परिस्थितियाँ दूर हो जाने पर गतिविधियां पुनः आरंभ हो जाएंगी। कंपनी अपने तकनीकी और वित्तीय दायित्वों को पूर्ण करने के साथ-साथ इन परियोजनाओं से किए जाने वाले धन के के भुगतान के लिए अवश्वस्त है। इसलिए, प्राप्तियों के साथ-साथ देय, प्रकृति में स्थिर नहीं है और इन्हें वसूली योग्य प्राप्तियां और भुगतान योग्य वास्तविक शेष माना गया है। हालांकि, ऐसी प्राप्तियों पर समूह की अपेक्षित क्रेडिट हानि नीति के संदर्भ में पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

60. समूह ने प्रस्तावों को तैयार करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक लागत को छोड़कर संविदा प्राप्त करने के लिए कोई लागत नहीं ली है और लाभ और हानि विवरण के लिए शुल्क लिया गया है।

61. संविदा को पूरा करने में लगने वाली लागत (खरीद लागत को छोड़कर) लाभ और हानि विवरण के लिए वसूल की जाती है, अगर यह वसूली योग्य नहीं है, तो यह बिल न किए गए राजस्व और बिल न की गई परिसम्मत्तियों का भाग है।

62. संयुक्त व्यवस्थाओं में कंपनियों के ब्याज का प्रकटीकरण:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	व्यवस्था का नाम	कम्पनी का ब्याज		साझेदार और उनका साझेदारी ब्याज (पीआई)	देश
		2024-25	2023-24		
1	लोअर सेती (तानाहु) हाइड्रोपावर परियोजना (एलएसएचईपी)	84.80%	84.80%	प्रमुख संयुक्त व्यवस्था पार्टनर - निप्पन कोई लिमिटेड - 15-2%	नेपाल
2	पावर सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रेंदनिंग प्रोजेक्ट	81.65%	81.65%	प्रमुख संयुक्त व्यवस्था पार्टनर - एसएमईसी इंटरनेशनल पीटीवाई-लि. -18-35%	नेपाल
3	सीएएसए- 1000	83.00%	-	प्रमुख संयुक्त अनुबंध साझेदार- सीईएसआईएस;पी.ए. (इटली) - 17%	अफगानिस्तान
4	काठमांडु घाटी नेपाल	42.92%	-	प्रमुख संयुक्त अनुबंध साझेदार- बी.एन. कंसल्टेन्सी प्रा.लि. - 57.07%	नेपाल
5	एनआईजीडीई, तुर्किए	60.00%	-	प्रमुख संयुक्त अनुबंध साझेदार- आईडिया ग्रुप प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग 40%	तुर्किए
6	ऊपरी अरूण नेपाल	19.86%	-	प्रमुख संयुक्त अनुबंध साझेदार - ट्राक्टेबेल इंजीनियरिंग, जर्मनी (51.25%)और ट्राक्टेबेल इंजीनियरिंग, ,फ्रांस(28.89%)	नेपाल

63. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, अवकाश यात्रा छूट (एलटीसी) देयता की बकाया राशि के रूप में 54.71 लाख रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया है। यह राशि पुराने बकाया से संबंधित है जो अब देय नहीं है। परिणामस्वरूप, यह देयता समाप्त हो गई है और भविष्य से संबंधित किसी भी दायित्व का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

64. टिप्पणी संख्या-4ख में कर्मचारी अग्रिम के लिए 301.76 लाख रुपये की राशि दी गई है। इसकी वसूली/समायोजन के लिए उचित उपाय किए जा रहे हैं। कंपनी का मानना है कि पूरी राशि पूरी तरह से वसूली योग्य है।

65. समूह जमा कार्यों के आधार पर कई परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। ग्राहकों को देय ब्याज के लिए पर्याप्त प्रावधान बहियों में किया गया है, जिसका कंपनी द्वारा आदर्श फंड का उपयोग किया गया है। वर्ष के दौरान प्रदान की गई कुल ब्याज लागत 1511.15 लाख रु. (गत वर्ष 1725.55 लाख रू.) है और देय ब्याज को वित्तीय विवरण में टिप्पणी 25 में विधिवत प्रकटन किया गया है।

66. समूह की कंपनी में लगे नए नियमित भत्तियों से बॉन्ड मनी लेने की नीति है। बांड का पैसा कंपनी के नाम पर बैंकों के पास सावधि जमा रसीद के रूप में रखा जाता है। मूल राशि के साथ जमा पर अर्जित ब्याज को कंपनी की पुस्तकों में परिसंपत्ति और देयता के रूप में माना जाता है। बांड अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, बांड की राशि संबंधित अधिकारियों को उस पर अर्जित ब्याज के साथ वापस कर दी जाती है। यदि अधिकारी बांड की अवधि पूरी होने से पहले कंपनी छोड़ देता है, तो उसे जब्त कर लिया जाता है और उसे आय के रूप में माना जाता है। 31 मार्च 2025 को ऐसे एफडीआर की राशि रु.62.42 लाख (पिछले वर्ष 78.90 लाख रुपये)। समूह के पास कर्मचारियों से संबंधित एफडीआर को विनियमित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है और प्रत्येक कर्मचारी स्तर पर समाधान के लिए प्रक्रिया को डिजिटाइज करने के उपाय किए जा रहे हैं।

67. समूह द्वारा अफगानिस्तान में तीन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है और 31 मार्च 2025 को देनदारों का कुल मूल्य 14.62 करोड़ रुपये है। तीन परियोजनाओं में से कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान दो देनदारों के संबंध में 11.00 करोड़ रुपये का पूर्ण प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान तीसरी परियोजना के संबंध में 1.89 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है

68. समूह बांग्लादेश में तीन परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है और 31 मार्च 2025 को देनदारों का कुल मूल्य 9.70 करोड़ रुपये है। तीन परियोजनाओं में से कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान दो देनदारों के संबंध में 6.83 करोड़ रुपये का पूर्ण प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 0.50 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है

69. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, समूह ने कुछ पुराने बकाया व्यापार देय राशि से संबंधित 324.22 लाख रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है। विस्तृत समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि ये शेष राशि अब देय नहीं है। तदनुसार, वर्ष के दौरान बहीखातों इसे बट्टे खाते किया गया है।

70. समूह गुजरात में तीन परियोजनाओं को निष्पादित कर रहा था जिन्हें ग्राहक द्वारा बंद कर दिया गया था। समूह के पास ग्राहक की ओर से बकाया व्यापार प्राप्य और प्रतिधारण राशि को बहीखातों में पूर्ण रूप से शामिल किया गया है।

71. सहायक कंपनी के संबंध में, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(31) के अनुसार, डिपोजिट रूप में प्राप्त धन राशि विचारार्थ प्रकृति की नही है और इसलिए डिपोजिट की प्राप्ति के समय इस पर जीएसटी देनदारी नहीं बनती। वास्तव में, सेवा के प्रावधान के समय जीएसटी देनदारी की अदायगी होती है। डिपोजिट कार्य परियोजनाओं हेतु प्राप्त धनराशि के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा अग्रिम धनराशि की प्राप्ति के समय जीएसटी का भुगतान किया जाता है।

72. समूह के कुछ करार परियोजना प्राधिकरणों (पीए) के साथ किए हैं, जिसके अंतर्गत परियोजनाओं की अव्ययित राशि पर अर्जित किसी भी ब्याज आय को संबंधित परियोजना प्राधिकरणों को वापस अंतरित किये जाने की आवश्यकता होती है। कतिपय मामलों में, समूह द्वारा विशिष्ट परियोजना हेतु एक अलग से समर्पित एक अलग बैंक खाते के रखरखाव किया जाता है। किसी भी अर्जित ब्याज को वास्तविक आय के आधार पर सीधे संबंधित परियोजना प्राधिकरणों (पीए) को अंतरित किया जाता है। अन्य मामलों में जहाँ राशि को एक सामान्य बैंक खाते के अंतर्गत प्रबंधित किया जाता है, ब्याज की गणना पूरे वर्ष में अनुसूचित बैंक द्वारा प्रस्तुत मौजूदा ब्याज दरों पर और समूह के बहीखातों में पीए के दैनिक आधार पर बकाया शेष राशि पर निर्भर करती है।

73. सहायक कंपनी के निदेशक मंडल ने 18 अगस्त, 2021 को हुई अपनी 333वीं बैठक में 01.01.2007 से पहले या उसी दिन के बाद सेवानिवृत्त हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा और अन्य आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने हेतु मौजूदा पीबीटी का 1.5% अंशदान देकर एक कोष बनाने पर विचार करने का निर्णय लिया और बोर्ड ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि एक आकलन किया जाए ताकि सभी कर्मचारियों(जिनमें 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त हुए लोग भी शामिल हों) के लिए एक समान नीति का निर्माण किया जा सके। हालाँकि, इसे उपलब्ध नहीं कराया गया है सभी कर्मचारियों जो 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों सहित, के लिए एक समान नीति हेतु आवश्यक राशि का मूल्यांकन किये जाने के संबंधी बोर्ड का निर्णय लंबित है और कोष निधि के वितरण हेतु एक योजना तैयार करने की आवश्यकता है।

74. परियोजना प्राधिकरणों के किये गये कार्य की अनबिल मात्रा की 31.03.2025 के अनुसार जोन-वार स्थिति निम्नानुसार है

(रु. लाख में)

क्षेत्र / इकाई का नाम	अनबिल -वर्तमान	अनबिल गैर-वर्तमान	अनबिल गैर-वर्तमान-संदिग्ध	कुल
रायपुर	351.46			**351.46**
कोलकाता	12.41			**12.41**
भोपाल	524.52			**524.52**
युपीजेडओ	174.25			**174.25**
हथियारी	-			**-**
दिल्ली	101.54			**101.54**
पीएमजीएसवाई	313.02			**313.02**
बिहार	75.67			**75.67**
झारखंड	2657.86			**2,657.86**
बैंगलोर	450.68		215.55	**666.23**
गुवाहाटी	0.07			**0.07**
जम्मू	1261.06			**1,261.06**
त्रिपुरा	1.26			**1.26**
अहमदाबाद	184.27			**184.27**
बीबीएसआर	1870.05			**1,870.05**
कुल	**7978.12**	**-**	**215.55**	**8,193.67**

75. समूह ने "रेमिटेंस फ्रीज़" खाते में ₹58.99 लाख की असमायोजित जमा शेष राशि की जानकारी दी है, जो पहले से ही वित्तीय वर्ष 2019-20 में सृजित ₹58.99 लाख के संबंधित प्रावधान द्वारा पूरी तरह से समायोजित है।

76. समूह द्वारा नेपाल में "महाकाली सिंचाई परियोजना का कार्यान्वय किया जा रहा था जिसे ग्राहक द्वारा 1993 में समाप्त कर दिया गया था और परियोजना स्थल पर सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया गया था। तत्पश्चात 2008 में ग्राहक द्वारा जब्त की गई परिसम्पत्तियों को नीलाम कर दिया गया था। इस वित्तीय वर्ष 2023-24 इस संबंध में पूर्ण प्रावधान किया है।

77. बहीखातों की इनपुट/आउटपुट बकाया राशियों का जीएसटी पोर्टल के साथ मिलान किया जा रहा है, जिसे आवश्यक रिटर्न दाखिल करने के बाद पूरा कर लिया जाएगा।

78. मैसर्स ओडिशा हाइड्रो पावर लिमिटेड द्वारा 4029.27 लाख रुपये की राशि के साथ"मुरान कम्पोजिट बांध" के निर्माण का कार्य 08.01.1986 को समूह को सौंपा गया था। कार्य की धीमी प्रगति के कारण, 21.12.1993 को ग्राहक द्वारा कार्य समाप्त कर दिया गया और यह मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय में अर्जी दी। अदालत के आदेश के बाद, मध्यस्थ नियुक्त किए गए जिन्हें समूह द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2023 में इस मामले में दिये गये सभी पिछले आदेशों को रद्द कर दिया। ग्राहक ने 299.22 लाख रुपये की प्रतिभूति जमा राशि रोक को रोक रखा है। समूह रोक ली गई सुरक्षा राशि की वसूली की प्रक्रिया में है।

79. समूह को यूजेवीएनएल द्वारा एसडी/ईएमडी से संबंधित कुछ कार्यों के लिए 795.90 लाख रुपये की राशि ,जिसमें परियोजना प्राधिकरण (यूजेवीएनएल) के साथ 696.95 लाख रुपये की सावधि जमा शपथ की शेष राशि (जिसमें टर्म डिपॉजिट की अवधि के दौरान उस पर अर्जित ब्याज 98.95 लाख रुपये शामिल है) का कार्य सौंपा गया था। परियोजना प्राधिकरण ने बैलेंस शीट की तारीख के बाद यानी 31.03.2024 के बाद उन सावधि जमा शपथ राशि का नकदीकरण किया है। इसे अंतिम बिल के अंतिम निपटान के समय ग्राहक द्वारा वापस किया जाएगा। समूह इस मामले का अनुसरण कर रहा है ताकि इसकी वसूली की जा सके।

80. समूह को गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा त्रिपुरा पूर्वी सीमा बाड़बंदी और बीपी संख्या 2270 से 2283 के बीच सड़क निर्माण के शेष कार्यों का आवंटन किया गया था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने कार्य इस कार्य को सीपीडब्ल्यूडी को पुनः आवंटित करने का निर्णय लिया। कार्यों को सीपीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया है और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा, समूह को गृह मंत्रालय द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा बाड़बंदी और सड़क कार्यों का आवंटन भी किया गया था। हालांकि,कुछ बाधाओं और इस क्षेत्र के नक्सली हमलों से प्रभावित होने के कारण इस परियोजना की जैसी प्रगति की सी उम्मीद की गई थी, वैसी नहीं हो सकी। ऐसे में, 2023 में गृह मंत्रालय ने सीमा बाड़बंदी का कार्य एनबीसीसी को पुनः आवंटित कर दिया किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इससे संबंधित कोई अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ नहीं है। इस मामले से संबंधित अनुषांगिक देयताओं को वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 56 के अंतर्गत सचुचित रूप से प्रकट किया गया है।

81. पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए पॉसंगीपुर, दिल्ली में आवासीय भवन के निर्माण से संबंधित कार्य। समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, परियोजना प्राधिकरण को बिना बाधा वाली भूमि उपलब्ध करानी थी जो कि नहीं करायी जा सकी और इस प्रकार ग्राहक ने काम को बंद करने का निर्णय लिया है। परियोजना बंद किये जाने की प्रक्रिया में है और ग्राहक के साथ अंतिम निर्णय/समझौता के बाद बही खातों में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

82. समूह को भारत स्काउट्स और गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय के भवन के आधुनिकीकरण का कार्य सौंपा गया था। समूह ने ग्राहक से 1.33 करोड़ रुपये के दावे प्रस्तुत किए थे, जो अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इस संबंध में समूह की ईसीएल नीति के अनुसार प्रावधान किया गया है।

83. समूह को आईएआरआई की ओर से पूसा परियोजना (दिल्ली क्षेत्र) के संबंध में 29.42 लाख रुपये की देय राशि के संबंध में कुल 78.65 लाख रुपये प्राप्त हुए। शेष राशि (जो अन्य वर्तमान देनदारियोंके अंतर्गत ग्राहक से अग्रिम के तहत दर्शायी गई है) ग्राहक से डिमांड प्राप्त होने के बाद वापस कर दी जाएगी।

84. समूह ने पाकुड़ और जामतारा स्थलों पर किए गए कार्यों के संबंध में जेपीएचसीएल के समक्ष 2.02 करोड़ रुपये और 3.42 करोड़ रुपये के आरए बिल प्रस्तुत किए हैं। हालांकि, अंतिम बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि मई 2023 में आने वाली इन आरए बिलों के संबंध में जेपीएचसीएल से स्वीकृति अभी भी लंबित है। परिणामस्वरूप, आय की वसूली के संबंध में अनिश्चितता है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व को मान्यता नहीं दी गई है।

85. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाए गए 73.18 लाख रुपये की राशि सेवा कर विभाग को प्रस्तुत की गई थी और अदायगी बाकी है। वर्तमान में यह मामला वापस भेजा गया है और नया आंकलन किया जाना अभी बाकी है। इस प्रकार, इस राशि को बहीखातों में समायोजित नहीं किया जा सकता है।

86. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देनदारियों (टिप्पणी संख्या 56) के अंतर्गत 205.30 करोड़ रुपये की बकाया मांग की जानकारी दी गई है। समीक्षा वर्ष (एवाई) 2016-17 की कुल मांग में से 58.87 करोड़ रुपये डिपोजिट किए गए हैं या हमारे प्रतिदाय के माध्यम से समायोजित किए गए हैं। मामला वर्तमान में आयकर आयुक्त (अपील) [सीआईटी(ए)] के समक्ष लंबित है। इसके अलावा, 205.30 करोड़ रुपये की मांग को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा 18.04.2023 को जारी अपने आदेश के माध्यम से स्थगित कर दिया गया था।

87. समूह को आईआईटी खड़कपुर द्वारा अपने दिनांक 14 अगस्त, 2018 के पत्र के माध्यम से खड़कपुर आईआईटी में नए इनडोर खेल परिसर और खाद्य कोर्ट परियोजनाओं के निर्माण का कार्य संबंधी ₹54.49 करोड़ का कार्य सौंपा गया था। आईआईटी खड़कपुर ने परियोजना स्थल को बाधाओं से मुक्त करने में विफलता दिखाई, हालांकि उन्होंने ऐसा करने पर सहमति व्यक्त थी और एनपीसीसी के पक्ष में वर्क आर्डर जारी करने में भी विफल रहे और एनपीसीसी के डिफॉट होने का हवाला देते हुए उपरोक्त कार्य को समाप्त कर दिया। इसलिए, एनपीसीसी ने विवादों के मैत्रीपूर्ण समाधान हेतु समझौते के अनुच्छेद 14.1 को उठाया और धारा 11(6) के तहत उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया। इसके अलावा, 12 जून, 2023 को एनपीसीसी और आईआईटी खड़कपुर के बीच हुई मध्यस्थता प्रक्रिया में एनपीसीसी के पक्ष में पारित मध्यस्थता अवार्ड के मामले में, आईआईटी खड़कपुर ने निर्णय को चुनौती दी है। उन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय में एक याचिका (मामला संख्या एपी 2023 का 787) दायर की है।

88.

(रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान किए गए आय कर, प्राप्त प्रतिलाभ और समायोजित प्रतिलाभ का विवरण निम्नानुसार है;

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आयकर भुगतान, यदि कोई हो	प्राप्त/प्रोद्भूत प्रतिदाय, यदि कोई हो		मांग के संबंध में समायोजित प्रतिदाय, यदि कोई हो
			कर राशि	ब्याज राशि	
1	2023-24*	-	24.56	-	-
	कुल	-	-	-	-

*वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए धारा 143(1) के अंतर्गत दिनांक 28.01.2025 के सूचना प्राप्त हुआ।

89. सहायक कंपनी में, अभी तक वर्ष 2024-25 के दौरान कोई ईआरपी मॉड्यूल लागू नहीं किया गया है। कार्य की स्थिति को देखते हुए, प्रबंधन अनुभव करता है कि किसी भी सीडब्ल्यूआईपी को अभिज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, हम प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के अंतर्गत किसी आंकड़ें को शामिल नहीं कर रहे हैं और कार्यान्वयन एजेंसी को होल्डिंग कंपनी के माध्यम से भुगतान की गई राशि को अग्रिम के रूप में दिखाया गया है।

90. समूह निर्माण व्यवसाय में संलग्न है जहाँ परियोजना की विशिष्ट प्रकृति/स्थानीय स्थिति/ग्राहक की आवश्यकताओं के कारण कार्यान्वयन के दौरान, मात्रा में भिन्नता उत्पन्न होती है। भिन्नता मदों के भुगतान हेतु केवल संबंधित ग्राहकों द्वारा भिन्नता की मात्राओं और मूल्य की स्वीकृति के बाद ही दावा किया जा सकता है। भिन्नता की मात्राओं के संबंध में राजस्व की गणना ग्राहक द्वारा डेविएशन की स्वीकृति के वर्ष में की जाती है।

91. समूह दीर्घकालिक अनुबंधों से युक्त निर्माण गतिविधियों में संलग्न है। परियोजनाओं की भिन्न प्रकृति और अवधि के कारण, समूह अपने परिचालन चक्र का निर्धारण करने में असमर्थ है। परिणामस्वरूप, भारतीय लेखा मानक 1 (वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति) के अनुसार, समूह ने अपनी संपत्तियों और देनदारियों को 12 महीनों के डिफ़ॉल्ट परिचालन चक्र के आधार पर वर्तमान और गैर-वर्तमान में वर्गीकृत किया है। वर्तामन परिसंपत्तियों में वे शामिल हैं, जिनके रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के भीतर प्राप्त, बेचे जाने या उपभोग किये जाने की उम्मीद है। गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में वे शामिल हैं, जिनके रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है। वर्तमान और गैर-वर्तमान के वर्गीकरण का निर्धारण रिपोर्टाधीन वर्ष के अंत में संबंधित क्षेत्र में किया जाता है।

92. समूह को बिहार में पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण/मरम्मत हेतु डीपीआर तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। समूह ने उक्त कार्य निष्पादन हेतु मैसर्स रांची डिज़ाइन और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को उप-ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया। कार्य निष्पादन के दौरान कुछ विवाद उत्पन्न हुए और ठेकेदार ने ब्याज सहित 16.30 लाख रुपये और 23.86 लाख रुपये की शेष राशि के दो मामले दायर किए है। झारखंड सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद ने उप-ठेकेदार के पक्ष में 191.99 लाख रुपये का निणर्य दिया। समूह ने निर्णय का विरोध किया, और अब यह मामला झारखंड के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के अधीन वाणिज्यिक न्यायालय में लंबित है। न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, सहायक कंपनी ने प्रदत्त राशि के 75% के रूप में 144.00 लाख रुपये जमा किए हैं, जिसे नोट संख्या 12 के तहत "विभिन्न न्यायालयों/प्राधिकरणों में जमा की गई राशि" के अंतर्गत दर्शाया गया है। समूह को इस बात की समुचित निश्चिंतता है कि निधियों के उत्प्रवाह की संभावना नहीं है हालांकि समूह ने विवादित मांग को 411.16 लाख रुपये (ब्याज सहित) एक आकस्मिक देनदारी के रूप में प्रकट किया है।

93. समूह द्वारा झारखंड में पीएमजीएसवाई के कार्य का निष्पादन किया जा रहा था। गैर-निष्पादन के कारण समूह ने विभिन्न उपठेकेदारों की 890.87 लाख रुपये की राशि की प्रतिभूतियों का नकदीकरण किया है , जिसे टिप्पणी संख्या 20 क के अंतर्गत अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय देयताओं - अन्य देनदारियों के अंतर्गत दर्शाया गया है। झारखंड जोन वर्तमान में उपरोक्त की अवधि-वार/परियोजना-वार जानकारी की पहचान करने की प्रक्रिया में है।

94. समूह द्वारा सिमाद्री, ओडिशा में ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएचपीसी) के लिए एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही थी जिसे ओएचपीसी ने 1993 में समाप्त कर दिया। पक्षों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए और मामले का निपटारा ओडिशा सरकार के प्रमुख सचिव के माध्यम से किया गया। बैठकों के दौरान, सहायक कंपनी को ओएचपीसी के पक्ष में 28 लाख रुपये का एक क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। सहायक कंपनी ने उक्त क्षतिपूर्ति बॉन्ड प्रस्तुत किया और यह मामला 31.03.2011 को समाप्त हो गया। ओडिशा सरकार के प्रमुख सचिव के माध्यम से निपटारे के समानांतर, ओएचपीसी ने मध्यस्थ नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन किया और ब्याज का दावा किया। एनपीसीसी ने यह कहते हुए कि ओएचपीसी का दावा समयबद्ध था मध्यस्थ नियुक्त किए जाने का विरोध किया और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी दायर की, जिसने अवकाश की अनुमति दी और कहा कि " न्यायालय का यह मत है कि ओएचपीसी का मध्यस्थता शुरू करने का कदम काफी देर से उठाया गया। उच्च न्यायालय ने आवेदन को अनुमति देकर और मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश देकर गलती की। तदनुसार विवादित आदेश को रद्द किया जाता है।" तदनुसार, समूह ने किसी भी प्रकार की ब्याज देनदारी का निर्धारण नहीं किया है।

95. अन्य जानकारी

i) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।

ii) कंपनी ने बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है।

iii) कंपनी के पास कोई प्रभार या ऋणमुक्ति नहीं है जिसको वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है।

iv) कंपनी ने संबंधित वित्तीय वर्षों/अवधि के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

v) कंपनी ने विदेशी इकाइयों (मध्यस्थों) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाइयों) को मध्यस्थ बनकर अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया है:

   क) कंपनी (मुख्य लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करे या

   ख) मुख्य लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें

vi) कंपनी को विदेशी इकाइयों (वित्तपोषित पक्ष) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाइयों) से कोई वित्त प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनी:

   क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिए गए ऋण या किसी व्यक्ति या वित्तपोषित पक्ष (मुख्य लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचानी गई इकाइयों में निवेश या

   ख) मुख्य लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करना

vii) कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे कि, आयकर अधिनियम 1961 के खोज या सर्वेक्षण या कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किए गए बहीखातों में रिकार्ड नहीं है।

viii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विल्फुल डिफाल्टर घोषित नहीं किया गया है।

ix) कंपनी ने कंपनी (संख्या की लेयर पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2(87) के तहत निर्धारित लेयर की संख्या का अनुपालन किया है।

96. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान किए गए आयकर, प्राप्त रिफंड और समायोजित रिफंड का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं	मद पुर्नसमूहित अथवा पुर्नवर्गीकृत	मद से	मद में	2024-2025	2023-2024
1	वित्तीय वर्ष 2023-24 में भुगतान किया गया लाभांश	सामान्य राजस्व	प्रतिधारित आय	शून्य	2,500.00
2	ग्राहक से जमा पर ब्याज	वित्त लागत	अन्य व्यय	1,511.15	1,725.55
3	12 माह से अधिक की अवधि वाले सावाधि जमा है	नकद प्रवाह परिचालन गतिविधि	नकद प्रवाह निवेश गतिविधि	672.86	140.36
4	अन्य परिचालन राजस्व	अन्य गैर परिचालन आय	निर्माण अनुबंध	-	1,702.33

97. लाभांश - (बोर्ड की बैठक में घोषणा पर भरा जाना है) - कंपनी ने कंपनी अधिनियम '2013 की धारा 123 के प्रावधान के अनुसार विचाराधीन वर्ष के दौरान किसी लाभांश का प्रस्ताव नहीं किया है/या/कंपनी ने कंपनी अधिनियम '2013 की धारा 123 के प्रावधान के अनुसार विचाराधीन वर्ष के दौरान लाभांश के रूप में रु.xxxxx करोड़ (रुपये xxxxx लाभांश) का प्रस्ताव किया है

98 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, समूह ने मेसर्स पाटेपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट (पी) लिमिटेड के साथ एक परामर्शी परियोजना के संबंध में कुछ अनियमितताओं की पहचान की।

घटना की प्रकृति

एक आंतरिक समीक्षा से पता चला कि ग्राहक द्वारा संविदात्मक शर्तों की पूर्ति नहीं की गई थी, जिसके कारण मार्च 2025 के दौरान बढ़ी हुई बिक्री की पहचान हुई। प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि लेनदेन लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के तहत राजस्व मान्यता के मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

वित्तीय प्रभाव और सुधारात्मक कार्रवाई

वित्तीय विवरणों में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए कंपनी ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

• राजस्व उत्क्रमण: 67.50 करोड़ रुपये की राशि के चालान, जो शुरू में पहचाने गए थे, को उसी वित्तीय वर्ष (एफवाई 2024-25) के भीतर पूरी तरह से उलट दिया गया है। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए रिपोर्ट किए गए कारोबार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

• वैधानिक देयताएं (जीएसटी): जीएसटी पोर्टल पर क्रेडिट नोट जारी करके 12.15 करोड़ रुपये की संबंधित जीएसटी देयता को संबोधित किया गया। इन्हें औपचारिक रूप से ग्राहक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, जिससे कर प्रभाव निष्प्रभावी हो गया है।

• • वसूली योग्य परिसंपत्तियां: कंपनी ने ग्राहक के पास 90 लाख रुपये की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) रखी थी। चूंकि अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं किया गया था, इसलिए कंपनी वर्तमान में इस राशि को वसूलने के लिए प्रशासनिक चैनलों का अनुसरण कर रही है।

वित्तीय निहितार्थ का सारांश

चूंकि राजस्व और कर घटकों को निष्प्रभावी कर दिया गया है, इसलिए वित्तीय निहितार्थ की कुल मात्रा 90 लाख रुपये ईएमडी तक सीमित है। प्रबंधन द्वारा लेखा पुस्तकों में 90 लाख रुपये के खराब और संदिग्ध ईएमडी के लिए प्रावधान किया गया है

99. समूह ने 31.03.2025 की तारीख तक संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों और साथ ही उक्त तारीख तक 5 वर्ष की सेवाअवधि पूर्ण कर चुके कर्मचारियों के संबंध में 191.28 लाख रुपये की ग्रेच्युटी का प्रावधान किया है।

100. समूह ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के परियोजना प्राधिकरण से संबंधित एक कार्य को पूरा किया। जिसके संबंध में एनपीसीसी ने सीएमडी के अनुमोदन से अपने फंड से 2.00 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। परियोजना प्राधिकरण से राशि वसूलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

101. समूह ने बीओपी लुकुंग के परियोजना प्राधिकरण से संबंधित एक कार्य को निष्पादित किया। जिसके संबंध में एनपीसीसी ने सीएमडी के अनुमोदन से अपने फंड से 2.47 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। परियोजना प्राधिकरण से राशि वसूलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

102 समूह कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6.27 करोड़ रुपये की अनबिल आय निर्धारित की है, जिसे वित्तीय वर्ष 2025-2026 में बख्शी स्टेडियम के संदर्भ में बिल किया गया है। इसके अलावा हमने बख्शी स्टेडियम और एमए स्टेडियम की परियोजना में आवंटित मूल्य तक संचालन से राजस्व का निर्धारण किया है और इसके अलावा राजस्व से संबंधित इन परियोजनाओं की मान्यता लंबित है और ग्राहक से विचलन की मंजूरी के अध्यधीन है।

103. जीजीवी बिलासपुर के मामले में, ग्राहक से अब तक 2.13 करोड़ रुपये की राशि बकाया है और जीजीवी, बिलासपुर में बुनियादी ढांचे का विकास कार्य पूरा हो चुका है और ग्राहक द्वारा दिनांक 16.10.2023 (7 भवन) और दिनांक 20.05.2024 (01 भवन) को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया है। समूह ने परियोजना के वित्तीय निपटान हेतु ग्राहक से भी अनुरोध किया है। हालांकि वित्तीय निपटान अभी भी लंबित है और ग्राहक की ओर से जांच के अधीन है। इसके अतिरिक्त इस कार्य से संबंधित उपठेकेदार मेसर्स श्रीजी कृपा की एसडी बहीखातों में 2.49 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। इसलिए प्रबंधन का मानना है कि वर्तमान वर्ष के दौरान बहीखातों में किसी प्रकार का समायोजन नहीं है।

104. वाप्कोस लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी के बीच समायोजन का विवरण-

31.03.2025 को शेष राशि

विवरण	वाप्कोस के अनुसार (राशि रू. में)	एनपीसीसी के अनुसार (राशि रू. में)	अंतर
बहीखातों में – ईआरपी	371.44	220.95	150.49
बहीखातो में – किराया	163.66	163.66	0.00
बहीखातों में - निर्धारित अनबिल किराया आय	0.00	19.57	-19.57

1. एनपीसी की बहीखातों से पता चलता है कि ईआरपी के विकास के लिए वाप्कोस की शेष राशि के रूप में 220.95 लाख रुपये है, जबकि वाप्कोस की ओर से 371.44 लाख रुपये की राशि को दर्शाया गया है। इस अंतर को समेकित वित्तीय विवरण में "अन्य पुनर्प्राप्त करने योग्य" शीर्ष को अन्य वित्तीय परिसंपत्ति-वर्तमान के तहत कम करके और "आपूर्तिकर्ता को अग्रिम अन्य असुरक्षित को अन्य वर्तमान परिसंपत्ति के तहत अच्छी श्रेणी में उसी सीमा तक बढ़ाकर" पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

2. एनपीसीसी ने अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए किराया आय के रूप में 19.57 लाख रुपये की अनबिल को दर्शाया है। हालांकि, वाप्कोस ने इस अवधि के लिए किराया व्यय का निर्धारण नहीं किया है क्योंकि पट्टा समझौते को सितंबर 2024 से आगे नहीं बढ़ाया गया था। इस अंतर को समेकित वित्तीय विवरण में ""अन्य गैर-परिचालन आय"" को कम करके और ""अन्य चालू संपत्ति"" के तहत बिल किए गए राजस्व -एनओआई प्रमुख को कम करके समायोजित किया गया है।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(शैलेन्द्र विश्वकर्मा) कम्पनी सचिव	(सुषमा पी. वी.) मुख्य वित्त अधिकारी	(अमिताभ त्रिपाठी) निदेशक (वाणिज्य व मा. सं. वि.) (डीआईएन नं. 10935800)	(शिल्पा शिंदे) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (डीआईएन नं. 10051735)

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 007814एन

प्रदीप कुमार लखानी
साझेदार
एम. नं. 091192

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 3 मार्च 2026

नोट्स

WAPCOS

(भारत सरकार का उपक्रम–जल शक्ति मंत्रालय)

(A Government of India Undertaking-Ministry of Jal Shakti)

56 वीं वर्षगांठ

भारतीय गुणवत्ता परिषद
QUALITY COUNCIL OF INDIA
QCI
NABET

National Accreditation Board for Education and Training

Certificate of Accreditation

WAPCOS Limited, Gurugram

Plot-76-C, Sector-18, Gurugram – 122015, Haryana

*The organization is accredited as **Category-A** under the QCI-NABET **Scheme for Accreditation of EIA Consultant Organization, Version 3**, for preparing EIA/EMP reports in the following Sectors-*

S. No	Sector Description	Sector (as per) NABET	Sector (as per) MoEFCC	Cat.
1.	Mining of minerals including opencast and underground mining	1	1 (a) (i)	A
2.	Offshore and onshore oil and gas exploration, development & production	2	1 (b)	A
3.	River Valley projects	3	1 (c)	A
4.	Thermal power plants	4	1 (d)	A
5.	Oil & gas transportation pipeline, passing through national parks/ sanctuaries/coral reefs / ecologically sensitive areas including LNG terminal	27	6 (a)	A
6.	Airports	29	7 (a)	A
7.	Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)	31	7 (d)	A
8.	Ports, harbours, break waters and dredging	33	7 (e)	A
9.	Highways	34	7 (f)	A
10.	Aerial ropeways	35	-	A
11.	Building and construction projects	38	8 (a)	B
12.	Townships and Area development projects	39	8 (b)	B

Note: Names of approved EIA Coordinators and Functional Area Experts are mentioned in RAAC minutes dated November 08, 2024, posted on QCI-NABET website.

The Accreditation shall remain in force subject to continued compliance to the terms and conditions mentioned in QCI-NABET's letter of accreditation bearing no QCI/NABET/ENV/ACO/24/3445 dated December 10, 2024. The accreditation needs to be renewed before the expiry date by WAPCOS Limited, Gurugram following due process of assessment.

Issue Date
December 10, 2024

Valid up to
April 10, 2027

Dr. Ajay Kumar Jha
(Sr. Director, NABET)

Certificate No.
NABET/EIA/24-27/RA 0360

Prof (Dr) Varinder S Kanwar
(CEO NABET)

For the updated List of Accredited EIA Consultant Organizations with approved Sectors please refer to QCI-NABET website.

ISO 9001:2015

Certificate of Registration

This is to Certify that
Quality Management System of

WAPCOS LIMITED

76 C, SECTOR 18, GURGAON – 122015, HARYANA, INDIA.

has been assessed and found to conform to the requirements of

ISO 9001:2015

for the following scope :

CONSULTANCY SERVICES IN WATER RESOURCES, POWER AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECTS.

IAF CODE : 34

Certificate No	: **24EQMP71**		
Initial Registration Date	: 24/04/2024	Issuance Date	: 24/04/2024
Date of Expiry	: 23/04/2027		
1st Surv. Due	: 24/03/2025	2nd Surv. Due	: 24/03/2026

Director

EGAC Accredited QMS Certification CAB # 012226

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

(Scan to Verify)

Assurance Quality Certification LLC

Head Office: Sharjah Media City, SHAMS, Sharjah, UAE. e-mail: info@aqcworld.com,
Key Location: A-60, Sector - 2, Noida, Uttar Pradesh, 201301, India.

**Validity of the Certificate is subject to successful completion of surveillance audit on or before of due date. In case surveillance audit is not allowed to be conducted, this certificate shall be suspended/withdrawn.*

Certificate Verification: Please Re-check the validity of certificate at http://www.aqcworld.com/activecerts.aspx or www.aqcworld.com in Active Clients.

Certificate is the property of Assurance Quality Certification LLC and shall be returned immediately when demanded.



Designed & Printed by : www.censer.in (Ph) 9810213218

WAPCOS
(भारत सरकार का उपक्रम-जल शक्ति मंत्रालय)
(A Government of India Undertaking-Ministry of Jal Shakti)

पंजीकृत कार्यालय: 5वीं मंजिल ''कैलाश'', 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली- 110 001
टेलीफोन:+91-11-23313131, 23313881 **फैक्स:**+91-11-23313134, 23314924 **ई-मेल:** ho@wapcos.co.in

कॉर्पोरेट कार्यालय: 76-सी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुड़गांव-122 015, हरियाणा
टेलीफोन: +91-124-2399428 **फैक्स:** +91-124-2397392 **ई-मेल:** mail@wapcos.co.in

वेबसाइट: http://www.wapcos.co.in
सीआईएन:U74899DL1969GOI005070

जल, विद्युत और अवस्थापना परियोजनाओं के सतत विकास हेतु एकीकृत और अनुकूलित समाधान प्रदान करते हुए परामर्श और अभियांत्रिकी, प्रापण एवं निर्माण में विश्व में अग्रणी